एकादश माला, खंड 15, अंक 7

गुरुवार, 31 जुलाई, 1997
9 श्रावण, 1919 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

PARLIAMENT LIBRARY
No. 9.....57
Date.....15.12.98

पांचवां सत्र

(ग्यारहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खण्ड 15 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्यः पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

श्री एस. गोपालन
महासचिव
लोक सभा

श्री सुरेन्द्र मिश्र
अपर सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक
लोक सभा सचिवालय

श्री केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

श्रीमती वन्दना त्रिवेदी
सम्पादक

श्री पीयूष चन्द्र दत्त
सहायक सम्पादक

श्रीमती अरूणा वशिष्ठ
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

गुरूवार, 31 जुलाई, 1997/9 श्रावण, 1919 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

....

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
76	नीचे से 5	श्री सुरेश आर० जादव	श्री सुरेश आर० जाधव
...	4	श्री नरेन्द्र बुडानियां	श्री नरेन्द्र बुडानिया
171	4	(क) से (घ)	(क) से (ग)
180	8	श्री अटयन्ना पटरूधु	श्री अय्यन्ना पटरूधु
196	16	श्री बच्पी सिंह रावत	श्री बची सिंह रावत
211	21	श्री सुरेश आर० जादव	श्री सुरेश आर० जाधव
225	नीचे से 15	श्री उधव बर्मन	श्री उद्धव बर्मन
226	नीचे से 3	(घ) से (ङ)	(ख) से (ङ)
237	नीचे से 15	श्री कोडीकु नील सुरेश	श्री कोडीकुनील सुरेश
265	6	श्री नरेन्द्र बुडानि	श्री नरेन्द्र बुडानिया
278	33	श्री श्रीकांत जेेना	श्री श्रीकांत जेना
375	7	श्री तरित रूण तोपदार	श्री तरित वरण तोपदार

विषय-सूची

[एकादश माला, खंड 15, पांचवां सत्र, 1997/1919 (शक)]

अंक 7, गुरुवार, 31 जुलाई, 1997/9 श्रावण, 1919 (शक)

विषय	कालम
निधन संबंधी उल्लेख	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 121 से 123	3—23
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 124 से 140	23—63
अतारांकित प्रश्न संख्या 1316 से 1545	63—274
प्राथमिकता के आधार पर टेलीफोन कनेक्शन के बारे में दिनांक 27.2.97 के अतारांकित प्रश्न संख्या 903 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण	275
सभा पटल पर रखे गए पत्र	276—278.
लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति	
दूसरा प्रतिवेदन—*प्रस्तुत*	276
कृषि संबंधी स्थायी समिति	
चौदहवां और पंद्रहवां प्रतिवेदन—*प्रस्तुत*	277
रक्षा संबंधी स्थायी समिति	
छठा प्रतिवेदन—*प्रस्तुत*	277
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति	
दसवां प्रतिवेदन—*प्रस्तुत*	277
कार्य मंत्रणा समिति	
पंद्रहवां प्रतिवेदन—*प्रस्तुत*	278
संसद में मान्यता प्राप्त दलों और समूहों के नेता और मुख्य सचेतक (प्रसुविधाएं) विधेयक—*पुनःस्थापित*	278
इंडिया गेट के समीप महात्मा गांधी की मूर्ति स्थापित करने के बारे में	279—282
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी के बारे में	282—292.
संसद सदस्यों की कथित निगरानी के बारे में	292—295
नियम 377 के अधीन मामले	319—322
(एक) आगरा के निकट बटेश्वर को पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता	
श्री प्रभु दयाल कठेरिया	319
(दो) जलेसर रोड रेलवे स्टेशन, उत्तर प्रदेश में अधिक रेल सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता	
प्रो॰ ओमपाल सिंह "निडर"	319

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय **कालम**

(तीन) राजस्थान में चुरु में मूंगफली अनुसंधान केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता
श्री नरेन्द्र बुडानिया . . . . 319—320

(चार) उड़ीसा में राउरकेला और सम्बलपुर के बीच एक नई रेलगाड़ी/डी एम यू गाड़ी चलाये जाने की आवश्यकता
श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही 320

(पांच) तेल्लिचेरी और मैसूर बरास्ता कूर्ग के बीच नई रेल लाइन बिछाये जाने की आवश्यकता
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन . . . . 320—321

(छः) बिहार के सीतामढ़ी जिले में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत रियायती दरों पर राशन प्राप्त करने के लिए "रेड कार्ड" जारी किए जाने को सुनिश्चित करने की आवश्यकता
श्री नवल किशोर राय 321

(सात) केरल में तिरुअनंतपुरम के विकास हेतु समुचित धनराशि स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता
श्री ए॰ सम्पत . . . . 321—322

(आठ) केरल में मंजेरी में एफ॰एम॰ रेडियो स्टेशन स्थापित किए जाने की आवश्यकता
श्री ई॰ अहमद 322

पेट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थायी समिति
तेरहवां प्रतिवेदन—प्रस्तुत 349

महाराष्ट्र राज्य के मुम्बई, नागपुर तथा अन्य स्थानों और देश के अन्य भागों में दलितों पर किए गए अत्याचारों के बारे में प्रस्ताव . . . . 322—349, 349—412
श्री पृथ्वीराज दा॰ चव्हाण . . . . 323—338
श्री वी॰वी॰ राघवन . . . . 338—348
श्री राम नाईक . . . . 349—364
श्री जी॰ वेंकट स्वामी . . . . 364—374
श्री तरित वरण तोपदार . . . . 375—378
श्री आनन्द मोहन . . . . 378—388
श्री पी॰आर॰ दासमुंशी . . . . 389—405
डा॰ सत्यनारायण जटिया . . . . 405—412

लोक सभा

गुरुवार, 31 जुलाई, 1997/9 श्रावण, 1919 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11 बजे समवेत हुई

[श्री बसुदेव आचार्य *पीठासीन हुए]*

निधन संबंधी उल्लेख

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय सदस्यो, मुझे सभा को हमारे भूतपूर्व सहयोगी श्री विजय सिंह नाहर के दुखद निधन की सूचना देनी है।

श्री विजय सिंह नाहर ने 1977-79 के दौरान छठीं लोकसभा में पश्चिम बंगाल के कलकत्ता उत्तर-पश्चिम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

इससे पूर्व, वह 1946-47 के दौरान बंगाल विधान परिषद, 1952-57 के दौरान पश्चिम बंगाल विधान परिषद और 1957-77 के दौरान पश्चिम बंगाल विधान सभा के सदस्य रहे।

श्री नाहर एक सक्रिय सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता थे। वह 1971 के दौरान राज्य के उप मुख्यमंत्री रहे। वह 1962-67 और 1968 के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार में भी मंत्री रहे।

श्री नाहर ने अनेक देशों की यात्रा की, वह 1966 के दौरान जेनेवा में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि दल के नेता थे।

विद्वान श्री नाहर एक हिन्दी मासिक पत्रिका "तरूण जैन" और एक बंगाली साप्ताहिक पत्रिका "देश प्रिय" के संपादक रहे।

श्री विजय सिंह नाहर का निधन 90 वर्ष की आयु में 15 जून, 1997 को कलकत्ता में हुआ।

हम अपने मित्र के निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और मुझे विश्वास है कि यह सभा शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने में मेरे साथ है।

सभा दिवंगत आत्मा के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए कुछ क्षण का मौन रखती है।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल (सदर-दिल्ली) : सभापति महोदय, मेरा एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मैम्बर्स को एम॰पी॰एल॰ए॰डी॰एस॰ में एक-एक करोड़ रुपया उनकी कांस्टीट्एंसी के लिए मिलना चाहिए।

सभापति महोदय : गोयल जी, आप क्वश्चन ऑवर के बाद यह प्रश्न उठाइयेगा।

श्री विजय गोयल : सभापति महोदय, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न. है, मंत्री जी अभी यहां पर हैं, आप उनसे जवाब ले सकते हैं।

सभापति महोदय : आप क्वश्चन ऑवर के बाद उठाइये।

[अनुवाद]

(व्यवधान)

सभापति महोदय : यह मामला इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि इसे प्रश्नकाल के दौरान उठाया जाए। सभा का समय नष्ट मत कीजिए। श्री गोयल, कृपया अपने स्थान पर बैठिए।

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़) : सभापति महोदय, आई आर डी पी का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, जरा इसे चलने दीजिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : नहीं, यह समय ऐसा मामला उठाने का नहीं है। आप इसे प्रश्नकाल के पश्चात् उठा सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल : मंत्री जी एक मिनट में जवाब दे देंगे।

सभापति महोदय : आप इसे प्रश्न काल के बाद उठाइयेगा।

श्री विजय गोयल : सभापति महोदय, क्वश्चन ऑवर के बाद आप मंत्री जी को कह दें, वह जवाब दे देंगे।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यह प्रश्नकाल है। मंत्री इस समय इसका उत्तर नहीं देंगे।

[हिन्दी]

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : सभापति महोदय, वह जिस मंत्री की तरफ इशारा कर रहे हैं वह उस विभाग के मंत्री नहीं हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री विजय गोयल : सभापति महोदय, मंत्री जी जवाब दे रहे हैं।

सभापति महोदय : आप इसे क्वश्चन ऑवर के बाद उठाइयेगा।

[अनुवाद]

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप सभा का समय क्यों नष्ट कर रहे हैं? कृपया अपनी सीट पर बैठिए।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

पूर्वाह्न 11.03 बजे

[अनुवाद]

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लाभार्थी

***121. श्री बीर सिंह महतो :** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लाभार्थियों की संख्या में भारी कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस कमी को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किये गए हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडू) : (क) से (ग) बेहतर परियोजना और लाभार्थी को बेहतर आय सुनिश्चित करने के लिए हाल के वर्षों में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में प्रति परिवार निवेश बढ़ाने पर बल दिया जाता रहा है। इसके फलस्वरूप समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सब्सिडी के लिए सीमांत उच्च वार्षिक रिलीज की दृष्टि से प्रति व्यक्ति सब्सिडी में वृद्धि हुई है जिससे लाभार्थियों की संख्या कम हुई है।

श्री बीर सिंह महतो : समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का उद्देश्य पहचान किए गए ग्रामीण निर्धन परिवारों को अपनी आय बढ़ाने और गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने में सहायता करना है। सरकार द्वारा उन्हें राजसहायता देकर उनकी सहायता की जाती है तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा आवधिक ऋण प्रदान किया जाता है। ऋण अनुबन्ध अनिवार्य है। परन्तु कुछ वित्तीय संस्थाएं लाभार्थियों को ऋण नहीं दे रहीं हैं। वित्तीय संस्थाओं द्वारा केवल राजसहायता दी जा रही है। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि सरकार ऐसी वित्तीय संस्थाओं के विरूद्ध क्या कदम उठा रही है।

श्री किन्जारप्पू येरननायडू : समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक निर्धनता विरोधी कार्यक्रम है जिसका लक्ष्य ग्रामीण निर्धन लोगों को आय के साधन और स्व-रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराना है। माननीय सदस्य का कहना है कि ये संस्थाएं सहयोग नहीं दे रही हैं। कुछ हद तक यह बात सही है। माननीय सदस्य ने कहा है कि लाभार्थियों को सब्सिडी तो दी जाती है परन्तु वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण नहीं दिया जाता। मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि हाल ही में हमने रिज़र्व बैंक के डिप्टी चेयरमैन तत्कालीन गवर्नर श्री मेहता की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है और उन्होंने अपनी अन्तरिम रिपोर्ट दी है। उस रिपोर्ट के आधार पर हमने बैंक और राजसहायता योजना शुरू किए जाने के लिए कदम उठाए हैं। योजना को तैयार करने, लाभार्थी को साधन उपलब्ध कराने और धन के पुनर्भुगतान के उपरान्त सरकार बैंक को राजसहायता देगी। यह प्रणाली हमने हाल ही में शुरू की है। पिछले दो वर्षों से लाभार्थियों को अग्रिम सब्सिडी देने की कोई व्यवस्था नहीं है।

श्री बीर सिंह महतो : मंत्रालय द्वारा किए गए समवर्ती मूल्यांकन सर्वेक्षण से पता चलता है कि समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और इसकी उप योजनाएं जैसे 'टी आर वाई एस ई एम' और 'डी डब्ल्यु सी आर ए' कार्यक्रमों के बीच संयोजन सही नहीं है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और उसकी उप योजनाओं के बीच संयोजन स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।

श्री किन्जारप्पू येरननायडू : समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की समवर्ती मूल्यांकन रिपोर्ट का चौथा दौर तथा समेकित ग्रामीण विकास से 'टी आर वाई एस ई एम' कार्यक्रम की संबद्धता का भी विश्लेषण किया गया। यह नोट करना उत्साहवर्धक है कि 56.01 प्रतिशत मामलों में लाभार्थियों को उसी व्यवसाय के लिए सहायता प्रदान की गई जिसके लिए उन्हें प्रशिक्षित किया गया था। इस वर्ष से भी हम समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को 'टी आर वाई एस ई एम' और 'डी डब्ल्यु सी आर ए' कार्यक्रमों के साथ जोड़ने पर काफी बल दे रहे हैं।

श्री वी॰ धनन्जय कुमार : यह कहानी तो हम पिछले कई वर्षों से एक के बाद एक मंत्री से सुनते आ रहे हैं। वास्तव में, कई बार तो ऐसा प्रतीत होता है कि सारी योजना वित्तीय संस्थाओं के अड़ियल रवैये के कारण निष्फल हो जाएगी। अब, माननीय सदस्य कह रहे हैं कि एक नई योजना बनाई गई है जिसके अन्तर्गत लाभार्थी द्वारा वित्तीय संस्थाओं से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के उपरान्त सब्सिडी सीधे वित्तीय संस्थाओं को दे दी जाएगी। परन्तु हम यह देखते हैं कि वित्तीय संस्थाएं पहचान किए गए लाभार्थियों को सहायता प्रदान करने के लिए कभी भी आगे नहीं आती। बार-बार हम यही कहते रहे हैं कि वित्तीय संस्था उसी दल का एक हिस्सा है जो लाभार्थी की पहचान करता है।

एक बार लाभार्थी की पहचान किए जाने पर वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय सहायता देने से इन्कार करने की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। परन्तु वही पुरानी प्रणाली चलाई जा रही है। अत: मेरा प्रश्न है: सरकार यह देखने के लिए क्या कर रही है कि वित्तीय संस्थाएं पहचान किए गए लाभार्थियों को वित्तीय सहायता अवश्य प्रदान करें। दूसरे, बहुत से मामलों में योजना इसलिए ठीक ढंग से कार्यान्वित नहीं की जा रही क्योंकि सरकार या सम्बद्ध विभाग द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश स्थानीय क्षेत्र के अनुकूल नहीं हैं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया प्रश्न पूछिए।

श्री वी॰ धनन्जय कुमार : मैं प्रश्न पर ही आ रहा हूं। दिशा निर्देशों के अन्तर्गत सरकार के लिए यह आवश्यक है कि वह जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन करें। मेरा प्रश्न है: क्या सरकार कार्यकारी एजेन्सियों को जारी किए गए दिशा निर्देशों से थोड़ा हटकर काम करने की छूट देगी जिससे कि निर्धारित क्षेत्रों में योजना को प्रभावपूर्ण ढंग से लागू किया जा सके?

श्री किन्जारप्पू येरननायडू : सभापति महोदय, सरकार ने सभी राज्य सरकारों को लाभार्थियों का चयन करने संबंधी अनुदेश पहले ही जारी कर दिए थे। ग्राम सभा में लाभार्थियों का चयन खुले रूप से किया जाएगा और उसमें स्थानीय लोग, गैर अधिकारी, ब्लाक अधिकारी और बैंक अधिकारी उपस्थित रहेंगे, जिसके बारे में पूर्व प्रचार किया जाएगा। लाभार्थियों का चयन करने के उपरान्त न उनकी सूची ग्राम पंचायत भवन में प्रदर्शित की जाएगी। यदि उसमें उन्हें किसी प्रकार का कोई एतराज हो, तो वे उसे ठीक कर देंगे। राज्य सरकारों द्वारा यही प्रणाली अपनाई जाती है। हमने इस संबंध में अनुदेश पहले ही जारी कर दिए हैं। यहां तक कि अभी हाल ही में दिसम्बर के महीने में...*(व्यवधान)*

श्री वी॰ धनन्जय कुमार : यह कार्य नहीं कर रही। इसी बात पर हमें आपत्ति है। लाभार्थियों को धन प्राप्त नहीं हो रहा है ...*(व्यवधान)* पहचान किए गए लाभार्थियों को लाभ नहीं मिल रहा है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : उन्हें उत्तर देने दीजिए।

[हिन्दी]

डा॰ रमेश चन्द तोमर : सभापति महोदय जो मंत्री महोदय बता रहे हैं, वैसा पूरे देश में कहीं भी नहीं हो रहा है।...*(व्यवधान)*

श्री इलियास आजमी : सभापति महोदय, जेसा मंत्री जी बता रहे हैं वैसा कहीं नहीं है। सारे पैसे की लूट हो रही है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : जवाब देने दीजिए।

(व्यवधान)

श्री अनंत गंगाराम गीते : सभापति जी, जैसा मंत्री जी कह रहे हैं वैसा कहीं नहीं हो रहा है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री किन्जारप्पू येरननायडू : पहले मैं अपना उत्तर पूरा करूंगा ...*(व्यवधान)*

श्री वी॰ धनन्जय कुमार : यह तो वही राग अलापे जा रहे हैं। हम वही बात बताए जा रहे हैं। सब कुछ किया जा रहा है। परन्तु, इसके बावजूद पहचान किए गए लाभार्थी को लाभ नहीं मिल रहा है। आप इस संबंध में क्या कदम उठाने जा रहे हैं? प्रश्न यह है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री इलियास आज़मी : सभापति महोदय, मुसलसल लूट हो रही है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया बैठिए। जवाब देने दीजिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मेरा विचार है कि यह आपकी समिति की सिफारिश है।

(व्यवधान)

श्री किन्जारप्पू येरननायडू : मैं आपको बताऊंगा। मैं प्रत्येक सदस्य के प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हूं। कृपया थोड़ा धीरज रखिए।

श्री वी॰ धनन्जय कुमार : कृपया पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए।

श्री किन्जारप्पू येरननायडू : पिछले वर्ष, दिसम्बर के महीने में, बिल्कुल सही कहा जाए तो 30 दिसम्बर, 1996 को – मैंने राष्ट्रीय स्तर के बैंकों की एक बैठक भी बुलाई थी। माननीय सदस्य द्वारा अभी जो भी प्रश्न उठाए गए हैं, मैंने उनके बारे में सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों को पहले ही अनुदेश जारी कर दिए थे। मैंने वित्त मंत्रालय को भी लिखित उत्तर प्रेषित कर दिए थे। उस बैठक में बैंक अधिकारियों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि डी आर डी ए द्वारा प्रायोजित किए जाने के एक महीने के भीतर ऋण स्वीकार कर लेंगे तथा प्रायोजित करने के दो महीने के भीतर उसका भुगतार कर देंगे।...*(व्यवधान)*

श्री वी॰ धनन्जय कुमार : मैं केवल एक मिनट लूंगा। उस बैठक के पश्चात् क्या आपने यह जांच करने के लिए कोई मूल्यांकन किया है कि क्या बैंक अधिकारियों द्वारा आपके दिशा निर्देशों का पालन किया गया है।

श्री किन्जारप्पू येरननायडू : मैंने अभी अपनी बात पूरी नहीं की है।

सभापति महोदय : माननीय मंत्री, जैसा कि आपने बताया है। आपने बैंक अधिकारियों को अपने अनुदेश भेज दिए हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि इसका पालन किया गया है या नहीं, क्या इसकी कोई समीक्षा की गई है या नहीं।

(व्यवधान)

श्री किन्जारप्पू येरननायडू : जी हां...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री इलियास आजमी : सभापति महोदय, मंत्री जी जो जवाब दे रहे हैं वह ठीक नहीं है। संसद की समिति की रिकमेंडशेन पर अमल नहीं हो रहा है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री वी॰ धनन्जय कुमार : उसका पालन नहीं किया जा रहा है ...*(व्यवधान)*

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : जब डा॰ देवी प्रसाद पाल वित्त राज्य मंत्री थे, तो उन्होंने पश्चिम बंगाल का दौरा किया था और बैंकों को

यह निर्देश जारी किया था कि समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी लंबित आवेदनों का निपटान कर दिया जाए। लेकिन उसका पालन नहीं किया गया...*(व्यवधान)* मंत्री महोदय के पास वित्त मंत्रालय का प्रभार नहीं है। यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे अनिवार्य बनाये जाने पर ही यह लाभकारी साबित होगा। परियोजना स्वीकृति की प्रक्रिया के दौरान बैंक प्रतिनिधि की उपस्थिति सुनिश्चित होनी चाहिए। क्या सरकार परियोजना की स्वीकृति में बैंकिंग क्षेत्र के प्रतिनिधि की उपस्थिति को अनिवार्य बनाएगी? ऐसी व्यवस्था अभी की जानी है और इस मामले को वित्त मंत्रालय के साथ मिल कर हल किया जाना है।

श्री किन्जारप्पू येरननायडू : प्रत्येक जिले में एक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण होता है।

लोक सभा के माननीय सदस्यगण तथा राज्य विधान सभाओं के माननीय सदस्यगण प्रत्येक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की उक्त समिति के सदस्य हैं। उनकी तिमाही बैठकें हुआ करती हैं। इन सभी शंकाओं और प्रश्नों को वहां उठाया जा सकता है। वहां माननीय सदस्यों को इन मुद्दों को उठाने का अवसर है...*(व्यवधान)*

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : यदि प्रक्रिया स्तर पर सरकार का प्रतिनिधि रहे तो इसे अनिवार्य बनाया जा सकता है...*(व्यवधान)*

श्री अनिल बसु : मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या वे इसे अनिवार्य बना सकते हैं। इस पर सभी वर्ग एकमत हैं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री अनिल बसु आप कृपया अपनी सीट पर बैठें। पहले मंत्री महोदय को अपनी बात पूरी करने दें। आप बाद में पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री अनिल बसु : इसे अनिवार्य बनाये बिना योजना का कार्यान्वयन संभव नहीं है।

श्री किन्जारप्पू येरननायडू : मैं पश्चिम बंगाल के माननीय सदस्यों के इस बात से सहमत हूं कि आई॰आर॰डी॰पी॰ के संबंध में पश्चिम बंगाल सरकार का कार्यनिष्पादन असंतोषजनक है और बताया जाता है कि बैंकरों का सहयोग नहीं मिल रहा है। यह सत्य है। मैं माननीय सदस्यों के विचारों को कैबिनेट के समक्ष रखूंगा। मेरा मानना है कि अनिवार्य बना दिए जाने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं माननीय सदस्यों के विचारों को कैबिनेट के समक्ष रखने जा रहा हूं। इसके बिना योजना का कार्यान्वयन कठिन है।...*(व्यवधान)*

प्रो॰ पी॰जे॰ कुरियन : क्या मंत्री महोदय इसे अनिवार्य बनाये जाने का आश्वासन देंगे?

श्री किन्जारप्पू येरननायडू : मैंने इसका उत्तर पहले ही दे दिया है।

प्रो॰ पी॰जे॰ कुरियन : क्या यह आश्वासन है?

सभापति महोदय : प्रो॰ कुरियन आप कृपया अपनी सीट पर बैठ जाएं। उन्होने जो कुछ भी कहा, उससे मैं बस इतना समझ पाया हूं कि वे सदस्यों के विचार को कैबिनेट तक पहुंचा देंगे, क्योंकि इसे अनिवार्य बनाने के लिए कैबिनेट की स्वीकृति आवश्यक है। श्री कुरियन आप भी इसे जानते हैं क्योंकि आप भी कैबिनेट के सदस्य थे।

श्री संतोष मोहन देव : इस मुद्दे को कैबिनेट तक पहुंचाने का आश्वासन देना एक बात है और इसे अनिवार्य बनाना दूसरी बात है। हम यह जानना चाहते हैं कि क्या वे इसे अनिवार्य बनाने का आश्वासन दे रहे हैं। मुख्य प्रश्न यही है।

श्री किन्जारप्पू येरननायडू : मैं माननीय सदस्यों के विचार को कैबिनेट के समक्ष रखूंगा और यह बताऊंगा कि बैंकिंग संस्थाओं के असंतोषजनक कार्यनिष्पादन तथा उनके असहयोग से राज्यों में आई॰आर॰डी॰पी॰ योजना कार्यान्वित नहीं हो सकी। मैं इसे कैबिनेट के समक्ष रखूंगा। यदि कैबिनेट अपनी सहमती देती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं।

जस्टिस गुमान मल लोढ़ा : माननीय सदस्यों की बातें सुनने के बाद आपकी राय क्या है?

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मण सिंह : आदरणीय सभापति महोदय, सारे सदस्यों की उत्तेजना का एक ही कारण है। बैंकों द्वारा आई॰आर॰डी॰पी॰ के ग्राहियों को समय पर ऋण नहीं दिया जाता, गिरावट का मुख्य कारण यही है। मैं केवल एक बात जानना चाहूंगा, चूंकि राष्ट्रीयकृत बैंक केन्द्र सरकार से सम्बद्ध हैं, क्या आप संसद सदस्यों को ऐसी कमेटी का सदस्य बनाएंगे या ऐसी कमेटी का गठन करेंगे जो आई॰आर॰डी॰पी॰ के लोन बांटती है? उन बैंकों से कौआर्डीनेट करने के लिए क्या आप संसद सदस्यों की कोई कमेटी बनाएंगे ताकि उनके द्वारा राष्ट्रीकृत बैंकों पर अंकुश लगाया जा सके जिससे कि आई॰आर॰डी॰पी॰ के ग्राहियों को समय पर ऋण मिल सके? मेरे ख्याल से सभी सदस्यों की यही मांग है।

[अनुवाद]

श्री किन्जारप्पू येरननायडू : मैं पहले ही बता चुका हूं कि अधिक परिवार निवेश के कारण आई॰आर॰डी॰पी॰ के अन्तर्गत लाभार्थियों की संख्या में कमी आई है। आठवीं योजना में 126 लाख परिवारों का लक्ष्य रखा गया था। हमने 108 लाख परिवारों का लाभ प्रदान करने का लक्ष्य प्राप्त किया है। अधिक परिवार निवेश के कारण इसमें गिरावट आई। वर्ष 1992-93 में प्रति परिवार निवेश 7,889 रुपये था, जो 1996-97 में बढ़कर 15,000 रुपये से ऊपर प्रति परिवार हो गया।

जस्टिस गुमान मल लोढ़ा : सभापति महोदय, माननीय सदस्य का प्रश्न यह नहीं है। इन्होंने समिति के गठन के बारे में पूछा है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मंत्री महोदय, शायद आपने इनके प्रश्न को नहीं समझा। इन्होंने पूछा है कि क्या समिति गठित होनी है और क्या इस सदन के सदस्यों को इसमें सम्मिलित किया जा सकता है।

श्री किन्जारप्पू येरननायडू : महोदय, यह जरूरी नहीं है। सलाहकार समिति पहले से ही है। स्थायी समितियां भी बनी हुई हैं। जब भी आवश्यक होता है वे अपनी सिफारिशें भी भेज रहे हैं। मैं भी इसकी समीक्षा कर रहा हूं। अतः ऐसी समिति गठित किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है...*(व्यवधान)*

जस्टिस गुमान मल लोढ़ा : लाभार्थियों की संख्या में कमी आई है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : चूंकि यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं इस पर आधे घंटे की चर्चा की अनुमति देता हूं। हम इस पर आधे घंटे चर्चा करेंगे।

अब हम प्रश्न संख्या 122 पर चर्चा करें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री इलियास आजमी : इस पर एक घंटे की चर्चा करा लीजिए।

सभापति महोदय : इस पर आधे घंटे की चर्चा हो जायेगी।

(व्यवधान)

श्री थावर चन्द गेहलोत : सभापति महोदय, इस सैशन में आधे घंटे की चर्चा अभी तक नहीं आई है। अभी तक एक भी आधे घंटे की चर्चा नहीं आई है।

सभापति महोदय : इस सैशन में चर्चा अभी होगी।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया आप अपनी सीट पर बैठें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

सभापति महोदय : एक घंटा? अच्छा, ठीक है।

[अनुवाद]

श्री किन्जारप्पू येरननायडू : महोदय, इसके लिए पृथक से समिति गठित करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

सभापति महोदय : जी हां, आपने पहले ही इसका उत्तर दे दिया है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा उत्पादों का निर्यात

*122. **श्री रामेश्वर पाटीदार :** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय खनिज विकास निगम अपने उत्पादों का स्वयं निर्यात कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष निर्यात किए गए उत्पादों का ब्यौरा तथा उनका मूल्य क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं?

[अनुवाद]

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) से (ग) एक विवरण लोक सभा के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (एन•एम•डी•सी•) धातु और खनिज व्यापार निगम लि• (एम•एम•टी•सी•) के माध्यम से लौह अयस्क का निर्यात करता है जिसे मौजूदा आयात निर्यात नीति के अनुसार 64 और अधिक लोहांश वाले लौह अयस्क के निर्यात हेतु माध्यमीकरण एजेन्सी के रूप में पदनामित किया गया है।

(ख) अद्यतन उपलब्ध जानकारी के अनुसार विगत तीन वर्षों के दौरान एन•एम•डी•सी• द्वारा किए गए निर्यात की मात्रा और मूल्य निम्नानुसार हैं:-

वर्ष	मात्रा (लाख टन)	अर्जित विदेशी मुद्रा (करोड़ रुपए)
1994-95	66.72	408.47
1995-96	64.11	402.79
1996-97 (अनंतिम)	64.45	448.55

(ग) लौह अयस्क के निर्यात में वृद्धि करने के लिए एम•एम•टी•सी• द्वारा किए जा रहे उपायों में से कुछ उपाय हैं, नए बाजार अभिज्ञात करना और उनका विकास करना, पुराने बाजारों का पुनरूद्धार करना तथा बिक्री से अधिक आय प्राप्त करने के प्रयास करना।

[हिन्दी]

श्री रामेश्वर पाटीदार : सभापति महोदय, मैंने नेशनल मिनरल डवलपमेंट कारपोरेशन के बारे में जो सवाल पूछा, उस पर माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, उस उत्तर से स्पष्ट है कि 1994-95 के

बजाय 1995-96 में निर्यात की मात्रा घटी है और अभी 1996-97 में निर्यात कम ही है। क्या मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि निर्यात कम क्यों हुआ? इस प्रश्न का 'बी' पार्ट यह है कि अलग-अलग, जैसा मैंने सवाल पूछा था, किन-किन देशों को इसका निर्यात हो रहा है, उसके लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं? जापान उल्टे भारत के बजाय आस्ट्रेलिया की ओर मुड़ गया, लौह अयस्क मंगाना उसने कम कर दिया। चीन की ओर निर्यात बढ़ा है या नहीं बढ़ा, इसका स्पेसेफिक उत्तर नहीं देते हुए केवल गोलमाल उत्तर दिया गया है। क्या माननीय मंत्री महोदय इसका स्पष्ट उत्तर देंगे, स्पेसिफिक उत्तर देंगे? यह अन्तर्राष्ट्रीय बाजार भाव से कम भाव में क्यों बिका, यह भी जरा बतायें?

[अनुवाद]

श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य : महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है उस संबंध में मैंने आने उत्तर में स्पष्ट रूप से कहा है कि वर्ष 1994-95 के दौरान एन॰एम॰डी॰सी॰ द्वारा कुल 66.72 लाख टन का निर्यात हुआ और इससे 408.47 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित हुई। वर्ष 1996-97 में एन॰एम॰डी॰सी॰ का निर्यात 64.45 लाख टन का था और इससे भारतीय मुद्रा में 448.55 करोड़ रुपये की राशि अर्जित की गई।

मैं माननीय सदस्य महोदय से सहमत हूं कि एन॰एम॰डी॰सी॰ द्वारा गत वर्ष किए गए निर्यात में कमी आई है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा देश हित में किया गया।

महोदय, भारत के पास लौह अयस्क का भारी भंडार है, लेकिन उच्च कोटि के अयस्कों के कुल भंडार की कमी है। भारत के पास 12.745 मिलियन लौह अयस्क का भंडार है लेकिन इसमें उच्च कोटि के लौह अयस्क की मात्रा केवल दस प्रतिशत है। अत; 1995 में कैबिनेट ने यह निर्णय लिया था कि एन॰एम॰डी॰सी॰ अपने घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद ही लौह अयस्क का निर्यात करेगा। लेकिन कैबिनेट ने उच्चकोटि के लौह अयस्क की निर्यात की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी। अतः निर्यात में कमी आ रही है। हालांकि निर्यात में गिरावट आई है लेकिन लाभ में कमी नहीं आई है। यदि आप तस्वीर को देखें तो पाएंगे कि एन एम डी सी द्वारा 1994-95 में 200 करोड़ रुपये, 1995-96 में 402 करोड़ रुपये तथा 1996-97 में 448.55 करोड़ रुपये अर्जित किए।

[हिन्दी]

श्री रामेश्वर पाटीदार : सभापति महोदय, एन॰एम॰डी॰सी॰ मध्य प्रदेश में लौह-अयस्क के अलावा हीरा खनन का कार्य भी करती है। आजकल टी॰वी॰ में एक विज्ञापन दिखाया जाता है कि 'ख्वाब से ज्यादा खूबसूरत-ख्याल से कम दाम।' इस विज्ञापन में एक खूबसूरत महिला की अंगुली में एक खूबसूरत व्यक्ति हीरे की अंगूठी पहनाता है। डिबियर्स कम्पनी यह प्रचार कर रही है। भारत में हीरे का उपयोग कैसे करें, इसके लिए हमारे देश के उपभोक्ताओं में वह प्रचार-प्रचार कर रही है। इसके अलावा वह कम्पनी मध्य प्रदेश में डेबिअो की खदान लेने के लिए भी प्रयासरत है। 1993-94 से यह काम चल रहा है, लेकिन कभी बात बनती है, कभी नही बनती। कभी हमारे मुख्य मंत्री कहते हैं कि सौदा तय हो गया, कभी कहते हैं कि सौदा कैंसिल हो गया। कभी नई शर्तें तय की जाती हैं।

श्री लक्ष्मण सिंह : मुख्य मंत्री ने कभी नहीं कहा कि सौदा तय हो गया है।

श्री रामेश्वर पाटीदार : फिर नए टैंडर बुलाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में जिस तरह से चल रहा है उसमें केन्द्र सरकार हस्तक्षेप करके या कोई ऐसी नीति बनाकर एन॰एम॰डी॰सी॰ या एम॰एम॰टी॰सी॰ के माध्यम से स्वयं उन खदानों को लेने का प्रयास करेगी? या फिर ऐसे ही विदेशी कम्पनीज हमारे देश में जो प्राकृतिक भंडार हैं, उनको लूटकर ले जाने का काम करती रहेंगी? विदेशी कम्पनीज को प्राथमिकता न देकर देशी कम्पनीज को मौका मिले और एन॰एम॰डी॰सी॰ या एम॰एम॰टी॰सी॰ भी लेने का प्रयास करेगी, क्या इस दिशा में कोई प्रयास किया जा रहा है? इसके अलावा मेरे प्रश्न का दूसरा भाग है कि बेलाडिला में लौह-अयस्क प्रचुर मात्रा में मिलता है, उसको भी निप्पोन डैंसो कम्पनी को देने का प्रयास किया जा रहा था, वह भी अभी तक नहीं हुआ, न ही शर्तें तय हो पा रही हैं। यह भी 1993-94 से मामला चल रहा है, इसमें भी केन्द्र सरकार की क्या कोई अपनी राय है या एन॰एम॰डी॰सी॰ के माध्यम से कुछ करने का विचार है, कृपया इसको भी बताने का कष्ट करें?

[अनुवाद]

श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य : महोदय, माननीय सदस्य ने दो· महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे। हालांकि उनका प्रथम प्रश्न मुख्य प्रश्न से जुड़ा नहीं है, फिर भी प्रश्न के हित में तथा माननीय सदस्य के हित में मैं स्थिति को स्पष्ट करना चाहूंगा।

[हिन्दी]

श्री रामेश्वर पाटीदार : पार्ट 'सी' में आएगा।

[अनुवाद]

श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य : वास्तव में, खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा अनुसूचि-I खनिजों के लिए पट्टे दिए जाते हैं, लेकिन उन्हें इसके लिए केन्द्र सरकार से स्वीकृति लेनी पड़ती है। हीरा अनुसूचि-I का खनिज है अतः किसी कम्पनी को पट्टे दिए जाने के पहले केन्द्र सरकार की अनुमति लेनी पड़ती है। मध्य प्रदेश सरकार ने हीरों के खान के पट्टे देने हेतु वर्ष 1994-95 में केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति हेतु उनके पास तीन मामले भेजे।

संयुक्त मोर्चे की सरकार के सत्ता में आने के बाद खान मंत्रालय ने खानों के लिए लाइसेंस जारी करने तथा उनका हवाई सर्वेक्षण कराने हेतु नये मार्ग निर्देश जारी किए। नये मार्ग निर्देशों के संदर्भ में हमने खान

मंत्रालय को सूचित किया है...*(व्यवधान)* एक मिनट रूकें, मुझे अपनी बात स्पष्ट करने दें।

श्री नीतीश कुमार : आप भविष्य में दिए जाने वाले लाइसेंस संबंधी नीति तथा संबंधित बातों की चर्चा कर रहे हैं।

श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य : महोदय, हमारे देश में आर्थिक सुधार 1991 में शुरू हुआ। इसे कैबिनेट तथा संसद द्वारा स्वीकृति दी गई। जब कोई निर्णय संसद द्वारा पारित होता है, तो कोई यह नहीं कह सकता कि यह देशभक्ति से परे है। यह उचित नहीं है।

मैं माननीय सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न के बारे में स्पष्टीकरण देना चाहूंगा। जहां तक हीरों के खान से संबंधित पट्टे दिए जाने की बात है, मध्य प्रदेश सरकार ने तीन मामलों की सिफारिश की थी। नये मार्ग-निर्देशों के बारे में मैंने राज्य सरकारों को लिखा है और उन्हें कहा कि केन्द्रीय सरकार के नये मार्ग-निर्देशों के आलोक में वे अपने प्रस्तावों को संशोधित करें। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार को सूचित किया है कि उन्होंने अपने उन तीन प्रस्तावों को निरस्त कर दिया है जो आस्ट्रेलियाई कम्पनी को दिया गया है और उन्होंने इसे किसी बाहरी कम्पनी की बजाय मध्य प्रदेश खनिज निकास निगम को देने का निर्णय किया है। हमें मध्य प्रदेश सरकार से यही सूचना प्राप्त हुई है।

दूसरा मुद्दा बैलाडीला खान से संबंधित है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है जिसके बारे में हम सभी जानते हैं। मैं आपसे सहमत हूं कि संयुक्त उद्यम की निप्पोन-डेनरो इस्पात लिमिटेड कम्पनी भारत में कार्य कर रही है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है और मैं चाहूंगा कि सरकार इसकी सभी पहलुओं की जांच करे। कलकत्ता उच्च न्यायालय में पहले ही दो मामले लंबित हैं। दूसरा मामला...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : उत्तर भी संक्षिप्त होना चाहिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : प्रश्न तथा उत्तर दोनों ही संक्षिप्त होने चाहिए।

श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य : माननीय सदस्य ने बैलाडीला खान हीरों के खान के बारे में अलग-अलग प्रश्न पूछे।

सभापति महोदय : पूरक प्रश्न मुख्य प्रश्न से संबंधित नहीं है। आप उसका उत्तर क्यों देंगे?

श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य : हम लोग कोर्ट के फैसले के अनुसार कार्य करेंगे।

श्री संतोष मोहन देव : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं क्योंकि उन्होंने सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। लाभ में कमी हो रही है क्योंकि खनिज की उत्पादित मात्रा में भी कमी आई है। एक समय प्रस्ताव आया था कि प्रमुख एजेंसी एम॰एम॰टी॰सी॰ को छोड़ देना चाहिए। एम॰एम॰टी॰सी॰ निर्यात करने के लिए स्वयं ही उपयुक्त प्रतिस्पर्धी है। वे बीच में कुछ कमीशन लेते हैं। सरकार ऐसा इसलिए करती है, क्योंकि लाभ में कमी आ रही है। एम॰एम॰टी॰सी॰ सरकार से अपने लाभ का हिस्सा बनाती है।

श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य : मैं माननीय सदस्य के इस बात से सहमत हूं कि एन॰एम॰डी॰सी॰ के उत्पादों के निर्यात हेतु एम॰एम॰टी॰सी॰ एक मध्यस्थ एजेन्सी के रूप में कार्य करती है। एन॰एम॰डी॰सी॰ इस्पात मंत्रालय के अन्तर्गत है जबकि एम॰एम॰टी॰सी॰ वाणिज्य मंत्रालय के अधीन है। इस्पात मंत्रालय ने इसके स्थान पर एन॰एम॰डी॰सी॰ को मध्यस्थ एजेन्सी बनाने हेतु वाणिज्य मंत्रालय से बार-बार अनुरोध किया था। लेकिन उन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया। एन॰एम॰डी॰सी॰ लाभ अर्जित कर रही है।

श्री संतोष मोहन देव : जब श्री पी॰ चिदम्बरम वाणिज्य मंत्री थे. तो उन्होंने स्वीकार किया था कि वे इस बढ़िया संस्था को रूग्ण बना रहे हैं।

सभापति महोदय : कई समझौते हुए हैं।

श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य : मुझे यह पता नहीं। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि श्री चिदम्बरम जी ने माननीय सदस्य महोदय को क्या आश्वासन दिया है। लेकिन मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन देता हूं कि इस्पात मंत्रालय इसे प्राप्त करने के लिए भरसक प्रयास करेगी।

[हिन्दी]

श्री सुन्दर लाल पटवा : सभापति महोदय, मध्य प्रदेश के भविष्य को बनाने वाले और बिगाड़ने वाले दो प्रस्ताव हैं – एक देवभोग की हीरा खदान और दूसरे बेलाडिला की 11-B आयरन-ओर माइन। दोनों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आयरन-ओर माइन 11-B को निपोन-डेनरो को देने के बारे में विचार हो रहा है और जिसका न्यायालय में प्रकरण चलने का जिक्र आपने किया है। प्रक्रिया यह है कि पहले राज्य सरकार कोई प्रस्ताव तैयार करती है और केन्द्र की अनुमति के लिए भेजती है। निपोन-डेनरो को 11-B सैल-आउट देने के बारे में केन्द्रीय सरकार का प्रस्ताव तैयार हो गया है, केन्द्रीय स्टील माइन्स का प्रस्ताव और राज्य सरकार को ओके करने के निर्देश के साथ भेजा गया है यानि अंगूठा निशान लगाकर मंजूरी के लिए भेजा गया है। 11-B दुनिया का सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी का आयरन-ओर है और यह मध्य प्रदेश की आने वाली पीड़ियों की जमा पूंजी है। क्या मंत्री महोदय सदन को यह आश्वस्त करने की कृपा करेंगे कि इस 11-B माइन्स को पूरी तरह से देश के फिनिश्ड प्रोडक्ट को तैयार करके उपयोग में लाया जाएगा और इस माइन का किसी भी तरह मालिकाना हक या अधिकार नहीं दिया जाएगा और न इसको बेचा जाएगा?

महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न है, देवहीरा खदान की बात के पुराने प्रस्ताव निरस्त कर दिए हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री पटवा, आप केवल एक पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री प्रमोद महाजन : वैसे आयरन और हीरा में ज्यादा फर्क नहीं है।

श्री सुन्दर लाल पटवा : एक ही सप्लीमैंट्री है और मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है। हीरा खदान और लोह अयस्क खदान दो भाग हैं। वैसे भी हीरा के बारे में...

सभापति महोदय : यह प्रश्न हीरा से संबंधित नहीं है, आयरन-ओर का है।

श्री सुन्दर लाल पटवा : इसी मंत्रालय से संबंधित है। आप सदन को आश्वस्त करने की कृपा करेंगे कि मध्य प्रदेश की सरकार हीरा खदान के साथ खिलवाड़ कर रही है। आप डी बी एस का जिक्र कर रहे थे, जिसकी दुनिया की हीरा खदान माइनिंग का 80 प्रतिशत से ज्यादा मोनोपॉली है, उसके हाथ में मध्य प्रदेश की ये खदान न जाए और किसी देशी उद्योग के हाथ में एन एम डी सी या एम एम टी सी जो देशी उपक्रम हैं, जो सार्वजनिक या निजी क्षेत्र में है, इसके हाथ में स्वामित्व का अधिकार रहे और स्वामित्व का अधिकार किसी को बेचा न जाए। क्या आप इस बारे में सदन को आश्वस्त करने की कृपा करेंगे?

[अनुवाद]

श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य : बैलाडिला 11-बी खदान के बारे में मैं माननीय सदस्य के प्रश्नों के उत्तर दे चुका हूं जो अभी सदन के समक्ष प्रस्तुत हैं।

[हिन्दी]

श्री सुन्दर लाल पटवा : जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, उसके बारे में क्या जानकारी है?

[अनुवाद]

श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य : महोदय, मैं समुचित उत्तर दे रहा हूं।

सभापति महोदय : कृपया उन्हें उत्तर देने दीजिए।

श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य : महोदय वर्ष 1995 में एक संयुक्त उद्यम वाली कंपनी स्थापित की गई थी। एन एम डी सी ने निप्पन डेनरो इस्पात लिमिटेड के साथ संयुक्त उद्यम कंपनी की स्थापना की थी।

श्री सुन्दर लाल पटवा : मंत्री महोदय, इनमें से कौन प्रमुख अंश हिस्सेदार है?

सभापति महोदय : कृपया उन्हें उत्तर देने दें।

श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य : कृपया मुझे अपनी बात समाप्त करने दीजिए।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : उनको जवाब देने दीजिए।

[अनुवाद]

श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य : महोदय, मैंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से यह बता दिया है। मैं समुचित उत्तर दे रहा हूं। कृपया मेरी बात सुनिए।

यह निर्णय 1995 में लिया गया था। मैं निरपवाद रूप से कहता हूं कि यह एक अन्यन्त ही महत्वपूर्ण विषय है। बैलाडीला 11-बी खदान विश्व की सबसे समृद्ध लौह खदान है। इसलिए सरकार इसकी जांच करना चाहेगी। अंतिम निर्णय लेने से पूर्व सरकार विभिन्न पहलुओं की जांच करना चाहेगी। पहले ही दो मामले चल रहे हैं-एक कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष और दूसरा दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष हम अंतिम निर्णय लेने से पहले न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा करेंगे।

बैलाडीला के संबंध में यही स्थिति है, महोदय।

माननीय सदस्य ने, जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, हीरा खदानों के संबंध में ठीक ही अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। मैं यह पुनः दोहराना चाहूंगा कि खदानों की सूची राज्य सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है, केन्द्र सरकार के द्वारा नहीं। सूचीबद्ध, खनिजों के लिए केन्द्र सरकार का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है। हाल ही में हमें मध्य प्रदेश सरकार ने सभी पुराने प्रस्तावों की सूचना दी है। उसने कुछ कंपनियों को, जिसमें विदेशी कंपनी भी शामिल है, हीरा खदानों का पट्टा देने के लिए अनुमोदन हेतु पहले के सभी प्रस्तावों को खान मंत्रालय में भेजा है, लेकिन उन्होंने अभी इसे निरस्त कर दिया है। वे इस मामले में पहल करने जा रहे हैं और वे इसे मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम को देना चाहते हैं। लेकिन अभी तक हमें मध्य प्रदेश सरकार से औपचारिक रूप से प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : हम इस प्रश्न पर 20 मिनट का समय लगा चुके हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सुन्दर लाल पटवा : सभापति महोदय, मेरी एक प्रार्थना है कि इतने महत्वपूर्ण सवाल पर क्या आप चर्चा की अनुमति देने की कृपा करेंगे?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : ठीक है, आधे घंटे की चर्चा की अनुमति दी जाएगी।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, हम पिछले सत्र का कीर्तिमान तोड़ कर देखते हैं। पिछले सत्र में, केवल चौदह आधे घंटे की चर्चा को मंजूरी दी गई थी और इनमें से किसी पर भी चर्चा नहीं की जा सकी। इस बार हमारे पास 20 आधे घंटे की चर्चा होनी चाहिए।...*(व्यवधान)*

श्री तरित वरण तोपदार : महोदय, कृपया इस विषय पर आधे घंटे की चर्चा की अनुमति प्रदान करें...*(व्यवधान)*

प्रो॰ पी॰जे॰ कुरियन : आप केवल निर्यात का क्यों सोचते हैं? महोदय, कृपया मुझे भी बोलने का अवसर दें।

सभापति महोदय : नहीं।

[अनुवाद]

राज्य विद्युत बोर्डों के वित्त पोषण हेतु एशियाई विकास बैंक से ऋण

+

*123. **श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी** :

श्री भक्त चरण दास :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत वित्त निगम ने राज्य विद्युत बोर्डों के वित्त पोषण हेतु एशियाई विकास बैंक से ऋण प्रदान करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो जिन राज्य विद्युत बोर्डों का वित्त पोषण किए जाने की संभावना है उनके नामों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से इस प्रस्ताव को एशियाई विकास बैंक के पास शीघ्रातिशीघ्र भेजने का आग्रह किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर वित्त मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के॰ अलघ) : (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) से (घ) पावर फाइनेंस कारपोरेशन (पी॰एफ॰सी॰) ने एशियाई विकास बैंक को 500 मिलियन अमरीकी डालर के लिए एक ऋण प्रस्ताव भेजा था। विद्युत मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय की सिफारिशों पर एशियाई विकास बैंक द्वारा इस प्रस्ताव पर विचार किया गया है। एशियाई विकास बैंक ने वर्ष 1998 में 1 मिलियन अमरीकी डालर का एक तकनीकी सहायता अनुदान अंतिम रूप से देने का प्रस्ताव किया है ताकि पी॰एफ॰सी॰ एवं ग्राहक राज्य सुधारों और पुनर्सरचना हेतु अध्ययन कर सके तथा वर्ष 1999 में 250 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण राशि से उन राज्य यूटीलिटियों में सुधार करने का प्रस्ताव है जिन्हें एशियाई विकास बैंक तथा विश्व बैंक द्वारा प्रत्यक्ष वित्त पोषण के लिए नहीं चुना गया है। पी॰एफ॰सी॰ असम, तमिलनाडु, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, केरल, पंजाब तथा पश्चिम बंगाल राज्यों के साथ विचार-विमर्श कर रहा है।

[हिन्दी]

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : महोदय, इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड पूरे हिन्दुस्तान में नुकसान में चल रहे हैं। अब एशियन बैंक से आप कर्जा ले रहे हैं तो क्या आपके पास ऐसी कोई स्कीम है कि इससे जो पैसा लिया जा रहा है वह आप फिर वापस करेंगे? आप कैसे वापस करेंगे?

श्री योगेन्द्र के॰ अलघ : यह जो लोन लिए जाते हैं उनका मकसद यही है कि राज्य के इलैक्ट्रीसिटी बोर्डों की तकनीकी क्षमता और उनकी क्षमता सुधारी जाए। जैसे कि ट्रांसमिशन सिस्टम्स के लिए लोन दिये जाएं, मीट्रिंग के लिए लोन दिए जाएं।...*(व्यवधान)*

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : मेरा सवाल यह नहीं है, मेरा सवाल यह है कि अब तक जितने इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड हैं वे सब नुकसान में चल रहे हैं तो क्या आपके पास ऐसी कोई स्कीम है कि कर्जा देने के बाद वह अच्छे तौर पर चलेंगे और फिर कर्जा वापस कर सकेंगे, आप कैसे वापस करेंगे?

[अनुवाद]

सभापति महोदय : ऋण कैसे वापस किया जा सकता है?

[हिन्दी]

श्री योगेन्द्र के॰ अलघ : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वह मेरी बात सुनें। इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड किस तरह से अपनी आर्थिक क्षमता सुधार सकते हैं, जेनरेशन की इम्प्रुवमेंट करें, ट्रांसमिशन के सिस्टम लगाएं, मीट्रिंग करें, योजना बनाएं, अभी क्या करना है और अगले साल में क्या करना है तभी वे लॉस से प्रोफिट में जाएंगे। एक अध्ययन ने बताया कि अगर तीन प्रतिशत एक इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड का प्लांट लोड फैक्टर बढ़ जाए तो वह उनका लॉस से प्रोफिट हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा बिजली दे सकेंगे। उनकी लागत प्रति यूनिट कम हो जाएगी और उनके ओवरहैड्स ज्यादा उत्पादन पर डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। जैसे-जैसे उनकी क्षमता बढ़ेगी तो वे अपने लोन को वापस कर पाएंगे।

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : सभापति जी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स से भी इलेक्ट्रीसिटी बनाने की बात आ रही है। वे लोग भी यह चाह रहे हैं कि बैंक गारंटी दे या गवर्नमेंट गारंटी दे। क्या इस सिलसिले में बैंक और गवर्नमेंट गारंटी देंगे?

श्री योगेन्द्र के॰ अलघ : इस बारे में माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि सरकार ने 12 हजार मैगावाट के लिए नाफ्ता या लिक्विड फ्यूल के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। योजना आयोग ने पिछले साल एक अध्ययन किया था जिसमें उन्होंने यह बताया। हालांकि नाफ्ता के फ्यूल की बिजली महंगी होती है लेकिन हमारे पास और साधन नहीं थे। तो अगले दो सालों में हमें यह बिजली पैदा करनी चाहिए। इसके लिए जो स्पेसिफिक प्रपोजल होंगे, उनको बैंक और फायनेंशियल इंस्टीट्यूशन एग्जामिन करेंगे। ऐसी जगहों पर, जहां पर ट्रांसपोर्ट की लागत कम हो और मांग अच्छी हो, वहां वह वायबल होंगे।

[अनुवाद]

श्री भक्त चरण दास : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि कौन-कौन से राज्य विद्युत बोर्ड एशियाई विकास बोर्ड (ए डी बी) या विश्व बैंक के अन्तर्गत नहीं आते हैं। एशियाई विकास बैंक द्वारा प्रस्तावित ऋण के राज्यों को दे दिए जाने के बाद राज्य विद्युत बोर्डों की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी होगी?

मंत्री जी ने उत्तर दिया कि एशियाई विकास बैंक ने वर्ष 1998 के लिए राज्य विद्युत बोर्डों के सुधार और पुनर्गठन के लिए पावर फाइनैन्स कार्पोरेशन को एक मिलियन डालर देने का प्रस्ताव किया है। क्या कोई योजना बनाई जा रही है? पावर फाइनैन्स कार्पोरेशन का किस प्रकार से सुधार और पुनर्गठन किया जाने वाला है?

श्री योगेन्द्र के॰ अलघ : महोदय, यह ऋण पी एफ सी को उन राज्यों के लिए दिया गया है जो पुनर्गठन पैकेज के लिए सीधे एशियाई विकास बैंक या विश्व बैंक से बातचीत नहीं कर रहे हैं। मेरे उत्तर में सूचीबद्ध राज्य इस ऋण के लिए प्रस्ताव तैयार करने पर विचार कर रहे हैं।

एक मिलियन डालर की राशि परियोजना प्रस्ताव तैयार करने जैसे तकनीकी अध्ययन के प्रयोजनार्थ है। एशियाई विकास बैंक इस पर सहमत है कि इसके बाद वास्तविक परियोजना के लिए 250 मिलियन डालर उपलब्ध होगा। अभी की स्थिति में राज्य सरकारों ने परियोजना प्रस्तावों के लिए ब्यौरा तैयार नहीं किया है। यह अभी बातचीत के प्रारंभिक दौर में है।

अभी जिन बातों पर चर्चा की जा रही है वे हैं। सुधारों के लिए सहायता, पूर्व शर्तों का निर्धारण, विनियामक निकाय का गठन तथा सुधार के लिए अध्ययन।

जैसा कि मैंने पूर्व में कहा था, वास्तविक ऋण पारेषण और वितरण प्रणाली, विद्युत उत्पादन को सुधारने की प्रणाली और उसी तरह के कार्यों के लिए है।

श्री भक्त चरण दास : उड़ीसा चूंकि विद्युत आपूर्ति के दृष्टिकोण से सर्वाधिक पिछड़ा हुआ राज्य है, क्या पॉवर फाइनैन्स कार्पोरेशन और उड़ीसा राज्य विद्युत बोर्ड के बीच कोई बातचीत चल रही है?

श्री योगेन्द्र के॰ अलघ : उड़ीसा इसी प्रकार के ऋण के लिए विश्व बैंक के साथ अलग से बातचीत कर रहा है। यह राज्य और विश्व बैंक के बीच की बात है। जहां तक पावर फाइनैन्स कार्पोरेशन का संबंध है हम उड़ीसा में पुनरोद्धार और आधुनिकीरण संवर्धन परियोजनाओं तथा अन्य उन मामलों जिनके लिए हमें इस बार वित्त मंत्रालय से सहायता प्राप्त हुई है, पर विचार करेंगे।

श्रीमती गीता मुखर्जी : महोदय, मंत्री जी ने अपने उत्तर में जिन राज्यों के नाम लिए हैं, उसमें पश्चिम बंगाल का नाम भी शामिल है। मैं यह जानना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल सरकार उन योजनाओं को कहां तक तैयार कर चुकी है। क्या आपको इस विषय में कोई जानकारी है। आपको यह कब तक मिलने की संभावना है? और आप किस समय इस पर विचार करेंगे?

श्री योगेन्द्र के॰ अलघ : महोदय, इस समय मैं माननीय सदस्य को यह सूचित करना चाहता हूं कि अभी बातचीत अपने प्रारम्भिक दौर में है। ऐसा नहीं है कि राज्य सरकारों ने हमें परियोजना प्रस्तावों का ब्यौरा दिया है। वास्तव में इस समय हम यह चाहेंगे कि एक शुरूआती समझ बन सके ताकि वे विस्तृत परियोजना प्रस्ताव तैयार कर सकें।

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल : सभापति महोदय, चार प्रश्न पूछे गए थे, मुझे मालूम नहीं नीचे के तीन प्रश्नों का जवाब क्यों नहीं दिया गया? मेरा कहना है कि जो एक मिलियन डालर पैसा उसके अध्ययन के लिए मिला है, उसकी रिपोर्ट क्या है? आप वित्त पोषण के लिए जिन राज्यों का चुनाव कर रहे हैं, उनको आपने मैंशन नहीं किया? आपने कहा कि विचार-विमर्श चल रहा है। आप किन राज्यों का वित्त पोषण करेंगे, उसका आधार मंत्री जी बताने की कोशिश करें। इसके साथ ही हमें अध्ययन रिपोर्ट की कापी भी उपलब्ध करायी जानी चाहिए। जिस के लिए एक मिलियन डालर मिला है, उसकी फाइंडिंग्स क्या हैं?

श्री योगेन्द्र के॰ अलघ : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वह मेरी बात सुनें। जैसा कि मैंने दो-तीन बार बताया है कि वे राज्य जो डायरैक्टली वर्ल्ड बैंक के साथ या ए॰डी॰बी॰ के साथ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के लिए नैगोसिएशन नहीं कर रहे हैं हमने उनके लिए, भारत सरकार और ए॰डी॰बी॰ के साथ यह प्रोजैक्ट बनाया है ...*(व्यवधान)*

श्री विजय गोयल : आप उन राज्यों का चयन कैसे कर रहे हैं या सभी का कर रहे हैं?

श्री योगेन्द्र के॰ अलघ : यह बात मेरे रिप्लाई में दी हुई है। मैं उसे बता कर आपका समय खराब नहीं करना चाहता। अगर और कोई राज्य प्रपोजल्स दे...*(व्यवधान)*

श्री अनंत गुढ़े : सभापति महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मंत्री जी को इसका जवाब देना चाहिए...*(व्यवधान)*

श्री योगेन्द्र के॰ अलघ : महोदय, यह जवाब में लिखा है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप रिप्लाई में पढ़ लीजिए।

वैद्य दाऊ दयाल जोशी : राजस्थान के नेफ्था सहित कई प्रपोजल्स आपके पास विचाराधीन हैं। वह आपके यहां से स्वीकृत नहीं होती। क्या आप समयबद्ध तरीके से इन प्रपोजल्स को निकालने की कृपा करेंगे?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : उन्हें अपना उत्तर पूरा करने दीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री योगेन्द्र के॰ अलघ : आप पहले वाले सवाल का जवाब सुन लीजिए...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप बीच में मत बोलिए।

श्री विजय गोयल : मेरा सवाल इतना ही है कि जिन राज्यों ने नाम दिए हैं, क्या उन्होंने ही प्रपोजल्स भेजें हैं या और भी राज्य ऐसे हैं जिनके प्रपोजल्स अंडर कंसिडरेशन है?

श्री योगेन्द्र के॰ अलघ : अगर और कोई राज्य खास तौर से छोटे राज्य प्रपोजल भेजें तो हम उसे स्वयं देखेंगे।...*(व्यवधान)*

आप मेरी बात सुनिए।...*(व्यवधान)*

श्री विजय गोयल : जिन्होंने भेजे हैं, उनके नाम बताएं।

सभापति महोदय : उन्हें बोलने दीजिए।

श्री योगेन्द्र के॰ अलघ : जिन्होंने भेजा है, उनके नाम मेरे रिप्लाई में है। इसके अलावा और कोई नहीं है।

श्री विजय गोयल : क्या आपके पास कोई प्रपोजल पैंडिंग नहीं है?

श्री योगेन्द्र के॰ अलघ : अभी यह डिसकस हो रहा है कि अध्ययन की रूपरेखा क्या होगी? उसके लिए पैसे इस एक मिलियन डालर में से दिए जाएंगे। जब अध्ययन हो जाएगा तो उसकी सूचना दे दी जाएगी। अगर आपको उस रिपोर्ट की कनक्लूजन्स चाहिए तो मैं जरूर बताऊंगा।

वैद्य दाऊ दयाल जोशी : राजस्थान की नेफ्था बेस्ड बिजली की प्रपोजल्स आपके पास हैं। आप उन्हें स्वीकृत क्यों नहीं कर रहे? ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : जोशी जी, आप बैठिए।

वैद्य दाऊ दयाल जोशी : यह क्या तरीका है? क्या आपको समय नहीं मिलता? आप अपनी आदत को बदलने का प्रयास करिए ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप इसका जवाब नहीं दें।

प्रो॰ रासा सिंह रावत : माननीय सदस्य सही फरमा रहे हैं। राजस्थान के लोगों को विद्युत संकट का सामना करना पड़ता है। हम आपका संरक्षण चाहते हैं। मंत्री महोदय से यह आश्वासन दिलाया जाए कि वह इस बारे में शीघ्र ध्यान देंगे।

सभापति महोदय : आप उनसे मिल कर इस बारे में बात कर लेना।

श्री सत्यदेव सिंह : यह बड़ा गम्भीर मामला है। राज्य विद्युत बोर्ड को अपनी योजनाएं स्वीकृत कराने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। इस पर माननीय मंत्री का स्पष्टीकरण आना चाहिए।...*(व्यवधान)*

श्री जी॰एल॰ कनौजिया : सभापति महोदय, इस पर आंधे घंटे की चर्चा होनी चाहिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : कुछ मर्यादा होनी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी : मुझे प्रश्न पूछने दीजिए। ...*(व्यवधान)* मैं उत्तर देखकर आश्चर्यचकित हूं कि इसमें केवल तमिलनाडु, असम, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, केरल, पंजाब और पश्चिम बंगाल का उल्लेख है। पावर कार्पोरेशन इस प्रकार का चित्र पेश करती है मानो यह सभी राज्यों को अपने दायरे में लेने जा रही है और मंत्रालय इस तरह का चित्र प्रस्तुत करता है, जैसे केवल कुछ राज्यों को ही इसमें सम्मिलित किया गया है या केवल कुछ राज्यों में ही पुनर्गठन का काम चल रहा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि आन्ध्र प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, केरल जैसे महत्वपूर्ण राज्यों या इस संबंध में अनेक राज्यों को उत्तर में सम्मिलित नहीं किया गया है। आपके उत्तर में इन राज्यों का उल्लेख क्यों नहीं है? हम यह महसूस करते हैं कि देश में राज्य विद्युत बोर्ड वित्तीय रूप से गरीब हैं। आपने देश के सभी राज्य विद्युत बोर्डों को पूरी वित्तीय शक्ति प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए हैं? आपके सक्रिय नेतृत्व में विद्युत मंत्रालय को और ज्यादा सशक्त होना चाहिए। आप इस बार कौन से कदम उठाने जा रहे हैं? हम आपसे यह आश्वासन लेना चाहते हैं कि आप श्री चिदम्बरम और विश्व बैंक तथा एशियाई विकास बैंक से पावर कार्पोरेशन के लिए और अधिक धन प्राप्त करेंगे तथा राज्य विद्युत बोर्डों को अधिक धन दिया जाएगा। हम यह जानना चाहते हैं कि आप इन बोर्डों को कब सशक्त बनाने जा रहे हैं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाएं, जवाब के लिए समय नहीं बचेगा।

श्री योगेन्द्र के॰ अलघ : मैं एक बार फिर स्पष्ट करना चाहता हूं कि पावर फाइनैन्स कार्पोरेशन ने प्रत्येक राज्य को ऋण सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव तैयार किया है। हमने कुछ अतिरिक्त ...*(व्यवधान)*

डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी : आपको राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार से अवश्य पूछना चाहिए।...*(व्यवधान)* आप उनका मार्गदर्शन क्यों नहीं करते हैं? केवल प्रस्ताव रखने से ही कुछ नहीं होता है।

श्री योगेन्द्र के॰ अलघ : आपको इस संबंध में बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। मैं प्रत्येक मुख्य मंत्री को पत्र लिख रहा हूं।...*(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन : सर्वाधिक आवश्यकता केरल को है। इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए।...*(व्यवधान)*

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : विद्युत के बारे में अलग से चर्चा होनी चाहिए।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप कृपया बैठ जाइये। उन्हें अपना उत्तर पूरा करने दें।

(व्यवधान)

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : हम विद्युत पर अल्प काल की चर्चा करना चाहते हैं। पिछले वर्ष केवल 45 प्रतिशत उपलब्धि रही है। ...*(व्यवधान)*

डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी : हम इस पर आधे घंटे की चर्चा कर सकते हैं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया आप बैठ जाइये।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : यह चूंकि अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न है – लगभग सभी राज्य विद्युत की समस्या से जुझ रहे हैं—मैं महसूस करता हूं कि इस विषय पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए।

मध्याह्न 12.00 बजे

माननीय संसदीय कार्य मंत्री, आप कृपया देश में विद्युत संकट के संबंध में विस्तृत चर्चा पर अपनी प्रतिक्रिया बताएं। क्योंकि लगभग सभी राज्य विद्युत संकट से जूझ रहे हैं।

श्री योगेन्द्र के॰ अलघ : महोदय, यह प्रश्न विशिष्ट परियोजना से सम्बद्ध है।...*(व्यवधान)*

श्री बी॰के॰ गढ़वी : कोई बात नहीं है।...*(व्यवधान)*

श्री योगेन्द्र के॰ अलघ : कृपया मेरी बात सुनिए।...*(व्यवधान)*

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : हम इस विषय पर अल्प कालीन चर्चा चाहते हैं।...*(व्यवधान)*

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

आदिवासियों में गरीबी और भुखमरी

***124. श्री माणिकराव होडल्या गावीत :** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में, विशेषकर महाराष्ट्र, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में, आदिवासी और अन्य पिछड़े लोग अभी भी गरीबी और भुखमरी के शिकार हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन लोगों के जीवन–यापन के स्तर में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडू) : (क) से (ग) ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय देश में आदिवासी और अन्य पिछड़े लोगों में विद्यमान भुखमरी की निगरानी नहीं करता हैं। परन्तु यह मंत्रालय आदिवासी और पिछड़े लोगों सहित गरीबी रेखा से नीचे के सभी लोगों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक रोजगार और गरीबी उपशमन योजनाओं को कार्यान्वित करता है। इन सभी कार्यक्रमों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लाभार्थियों के लिए 22.5 प्रतिशत से 67 प्रतिशत तक आरक्षण उपलब्ध कराया गया है। ग्रामीण रोजगार और गरीबी उपशमन के प्रमुख कार्यक्रमों के अंतर्गत महाराष्ट्र, उड़ीसा और मध्य प्रदेश राज्यों को किए गए केन्द्रीय आबंटन, जो कि देश में (सुनिश्चित रोजगार योजना को छोड़कर) कुछ गरीबों की तुलना में प्रत्येक राज्य में ग्रामीण गरीबों के अनुपात के आधार पर किया जाता है, नीचे दर्शाया गया है :

योजना का नाम	अनुसूचित जाति/	1997–98 के लिए केन्द्रीय आवंटन		
	अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण	मध्य प्रदेश	महाराष्ट्र	उड़ीसा
जवाहर रोजगार योजना	22.5%	19678	16927	12597
सुनिश्चित रोजगार योजना	–	3575*	1920*	2090*
इंदिरा आवास योजना	60%	10207	8780	6534
समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	50%	5457	4694	3494
दस लाख कुओं की योजना	67%	4402	3787	2818
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम	–	6751	3970	3920

* चूंकि सुनिश्चित रोजगार योजना मांग आधारित योजना है इसलिए कोई पूर्व आंबटन नहीं किया जाता है। मांग प्राप्त होने पर निधियां जारी की जाती है।

ग्रामीण क्षेत्रों में एस॰टी॰डी॰ सुविधाएं

***125. श्री पी॰ उपेन्द्र :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में एस॰टी॰डी॰ सुविधाएं प्रदान करने से संबंधित अनेक मांगें सरकार के पास लम्बित हैं;

(ख) यदि हां, तो उनकी राज्यवार संख्या कितनी है; और

(ग) लम्बित मांगों को निपटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) से (ग) जी, हां। ग्रामीण क्षेत्रों में एस टी डी सुविधाओं के प्रावधान हेतु बड़ी संख्या में मांगें लंबित पड़ी हैं। जिन स्टेशनों में एस टी डी सुविधा उपलब्ध करानी अपेक्षित है, उनका राज्य–वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

संसाधन उपलब्ध होने पर, अगले तीन वर्षों में इन मांगों को पूरा करने के लिए एस टी डी सुविधा प्रदान करने की योजना हेतु कार्रवाई पहले ही शुरू की जा चुकी है।

विवरण

क्र॰सं॰	राज्य	उन स्टेशनों की संख्या जहां एस टी डी सुविधा प्रदान की जानी है (30.06.97 की स्थिति के अनुसार)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	826
2.	अरुणाचल प्रदेश	29
3.	असम	1
4.	बिहार	24
5.	गुजरात	488
6.	हरियाणा	368
7.	हिमाचल प्रदेश	109
8.	गोवा	13
9.	जम्मू तथा कश्मीर	155
10.	कर्नाटक	484
11.	केरल	0
12.	मध्य प्रदेश	989
13.	महाराष्ट्र	1190
14.	मणिपुर	10
15.	मेघालय	12
16.	मिजोरम	9
17.	नागालैण्ड	14
18.	उड़ीसा	47
19.	पंजाब	204
20.	राजस्थान	943
21.	सिक्किम	10
22.	तमिलनाडु	318
23.	त्रिपुरा	8
24.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	584
25.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	314
26.	पश्चिम बंगाल	173

पुनःप्रयोज्य ऊर्जा परियोजनायें

***126. प्रो॰ पी॰जे॰ कुरियन** : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में विशेषकर केरल में आज तक क्रियान्वयनाधीन पुनः प्रयोज्य ऊर्जा परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस प्रकार के कोई प्रस्ताव स्वीकृति हेतु केन्द्र सरकार के पास लम्बित हैं; और

(ग) इन्हें कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) अपारंपरिक ऊर्जा का उत्पादन और उसका उपयोग करने के लिए काफी सारे कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों में एकीकृत ग्राम ऊर्जा कार्यक्रम (आई आर ई पी), बायोगैस संयंत्रों, उन्नत चूल्हों, बायोमास गैसीकरण और ब्रिकेटिंग संयंत्रों की स्थापना, घरेलू और औद्योगिक दोनों प्रकार की सौर तापीय जल तापन प्रणालियां, सौर प्रकाशवोल्टीय ऊर्जा आधारित ग्रामीण घरेलू रोशनी प्रणालियां, लालटेन, सिंचाई के लिए जल पंप और ग्राम स्तर के विद्युत संयंत्र, पवन ऊर्जा से ग्रिड-सम्बद्ध-विद्युत, बायोमास कम्बस्टन, खोई-आधारित सह-उत्पादन और सौर प्रकाशवोल्टीय तथा सौर तापीय ऊर्जा, वैकल्पिक ईंधनों से चलने वाले वाहन और शहरी तथा औद्योगिक अपशिष्टों से ऊर्जा की प्राप्ति करना शामिल हैं। केरल में कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) केन्द्र सरकार के पास केरल से प्राप्त कोई भी ऐसा प्रस्ताव लंबित नहीं पड़ा है।

विवरण

केरल में कार्यान्वित की जा रही अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के विवरण।

क्र॰सं॰	कार्यक्रम/परियोजनाएं	संख्या/क्षमता	स्थिति/अभ्युक्तियां
1	2	3	4
I.	बायोगैस		
	(क) राष्ट्रीय बायोगैस विकास परियोजना (संख्या)	1500	ये लक्ष्य वर्ष 1997-98 के लिए रखे गए हैं और कार्यान्वयन के अंतर्गत हैं।

1	2	3	4
	(ख) संस्थागत/सामुदायिक/विष्ठा आधारित बायोगैस संयंत्र (सं॰)	5	ये लक्ष्य वर्ष 1997-98 के लिए रखे गए हैं और कार्यान्वयन के अंतर्गत हैं।
II.	राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा कार्यक्रम (संख्या)	1,00,000	ये लक्ष्य वर्ष 1997-98 के लिए रखे गए हैं और कार्यान्वयन के अंतर्गत हैं।
III.	लघु पन बिजली (सं॰/क्षमता)	6/11.5 मेगावाट	राज्य योजना के अंतर्गत लघु पन बिजली परियोजनाएं निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं।
IV.	जल पंपन पवन चक्की (सं॰)	11	मंजूर की गई 55 जल पंपन पवन चक्कियों की तुलना में कुल 44 जल पंपन पवन चक्कियों की स्थापना की गई।
V.	अक्षय ऊर्जा पार्क (संख्या)	11	वर्ष 1995-96 के दौरान मंजूर किए गए 11 अक्षय ऊर्जा पार्क कार्यान्वयन के अंतर्गत हैं।
VI.	ऊर्जा ग्राम (संख्या)	3	पूर्व में मंजूर की गई 3 ऊर्जा ग्राम परियोजनाएं कार्यान्वयन के अंतर्गत हैं।
VII.	एकीकृत ग्राम ऊर्जा कार्यक्रम	16 ब्लॉक*	मंजूर किए गए 44 ब्लॉकों की तुलना में 28 आई आर ई पी ब्लाक संचालन के अधीन है।
VIII.	सौर काशवोल्टीय		
	(क) घरेलू रोशनी प्रणालियां	470	इन प्रणालियों को वर्ष 1997-98 के दौरान शुरू किए जाने की सम्भावना है।
	(ख) सड़क रोशनी प्रणालियां	22	
	(ग) एस पी वी विद्युत चालित कलर टी वी	2	
IX.	(क) बैटरी चालित वाहन (सं॰)	3	बैटरी चालित 3 वाहनों के लिए एक परियोजना को मंजूरी दी गई और एनईआरटी के माध्यम से इसका कार्यान्वयन किया जा रहा है।
	(ख) दोहरी ईंधन बसें (संख्या)	50	वैकल्पिक ईंधन के प्रदर्शन कार्यक्रम के अंतर्गत केरल राज्य सड़क परिवहन निगम तिरूवनंतपुरम की 50 बसों को, डीजल और मैथानोल की दोहरी ईंधन विधि से चलाने के लिए, आरंभ किया जाएगा और जो कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।
X.	पवन ऊर्जा कार्यक्रम : पवन विद्युत जनित्रों के लिए डिजिटल कंट्रोल अनुसंधान एवं विकास परियोजना	-	यह परियोजना मार्च, 1997 में 20 माह की अवधि के लिए मंजूर की गई और कार्यान्वयन के अंतर्गत है।
XI.	अपशिष्ट से ऊर्जा तिरूवनंतपुरम में अपशिष्ट से ऊर्जा परियोजना की स्थापना के लिए एक संभाव्यता अध्ययन।	-	अंतिम रिपोर्ट जल्दी ही प्रस्तुत की जाने वाली है।

* संचालित किए जाने हैं।

स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर कार्यक्रम

***127. श्री जी॰एम॰ बनातवाला :**

श्री जी॰ए॰ चरण रेड्डी :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत की स्वतंत्रता की स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर स्वतंत्रता आन्दोलन पर आधारित विशेष कार्यक्रम तैयार करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त कार्यक्रम किन भाषाओं में तैयार किए जा रहे हैं;

(घ) क्या यह सच है कि उर्दू भाषा में इस प्रकार के किसी भी कार्यक्रम के प्रसारण का प्रस्ताव नहीं है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) उर्दू भाषा में भी कुछ कार्यक्रमों के प्रसारण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं और इन कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस॰ जयपाल रेड्डी) : (क) जी, हां।

(ख) स्वतंत्रता आन्दोलन से संबंधित कई कार्यक्रमों को धारावाहिकों, वृत्तचित्रों, टेलीफिल्मों, फीचरों, गीत एवं लघु फिल्मों आदि जैसे विभिन्न रूपों में राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय नेटवर्क पर प्रसारित करने की योजना है।

(ग) अंग्रेजी और हिन्दी के साथ-साथ निम्नलिखित भाषाएं हैं—असमियां, बंगला, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

दलालों के कारण समस्या

***128. श्री सोहन बीर सिंह :**

श्री हरिवंश सहाय :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सम्पूर्ण देश में रेल टिकटों का आरक्षण कराकर उनको बेचने वाले दलालों और गैर-प्राधिकृत ट्रैवल एजेंटों के उपद्रव से अवगत है जो जनता के लिए एक परेशानी बन गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या रेल कर्मचारी भी गलत तरीके से लाभ कमाने हेतु दलालों से मिल जाते हैं जैसा कि वरिष्ठ रेलवे अधिकारियों ने समाचार-पत्रों को बताया है;

(घ) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में आज तक प्रत्येक जोन में कितनी बार छापे मारे गए हैं और दोषी अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी है;

(ङ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वर्तमान प्रावधान दलालों को रोकने हेतु पर्याप्त नहीं है;

(च) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार रेलवे टिकट बेचने वाले दलालों पर मुकदमा चलाने, रेल टिकटों की बिक्री प्रभावी ढंग से करने हेतु किसी समिति का गठन करने तथा रेल अधिनियम में संशोधन करने का है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ज) क्या इस संबंध में उनके मंत्रालय को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा कोई नोटिस जारी किया गया था; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (घ) समाज विरोधी तत्वों द्वारा गाड़ियों में स्थान हथियाने और बाद में इसे जरूरतमंद यात्रियों को मुनाफे पर बेचने के कुछ मामलों की रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

इस बुराई पर काबू पाने के लिए दलालों तथा अनधिकृत ट्रेवल एजेंटों की धरपकड़ करने के लिए रेल सुरक्षा बल और रेलों के सतर्कता तथा वाणिज्य विभागों द्वारा नियमित रूप से जांच की जाती है।

प्राधिकृत रेल ट्रेवल एजेंटों के परिसरों की भी, यह देखने के लिए जांच की जाती है कि उनके द्वारा कोई अनियमितताएं तो नहीं बरती जा रही हैं। ग्रीष्मकालीन भीड़-भाड़ के दौरान ये छापे और जांच अधिक गहन कर दिए जाते हैं।

1996 में, दलालों के विरूद्ध 3245 छापे मारे गए थे और इस वर्ष जून तक 1567 जांचें की जा चुकी हैं। उपरोक्त जांचों के परिणामस्वरूप 3006 दलालों और समाजविरोधी तत्वों को पकड़ा गया है और उनके विरूद्ध जुर्माना लगाने, कानूनी कार्रवाई करने, टिकटों को जब्त करने आदि जैसी विभिन्न कार्रवाइयां की गई हैं। कुछ मामलों में विभिन्न रेल टिकट बिक्री एजेंटों के लाइसेंस निलंबित/रद्द किए गए हैं। इसके अलावा, गाड़ियों में उन यात्रियों की भी जांच की जाती है जो अनधिकृत एजेंटों से टिकटें खरीदते हैं और वर्ष 1996 और जून, 1997 के दौरान हस्तांतरित टिकटों के 6889 मामले पकड़े गए हैं। 1994-95 और 1995-96 के दौरान क्रमशः 2407 और 2252 रेल कर्मचारियों के विरूद्ध बुकिंग/आरक्षण में शिकायतों सहित विभिन्न अनियमितताओं के लिए कार्रवाई की गई है।

(ङ) जी नहीं।

(च) से (झ) यात्री आरक्षण प्रणाली के सभी पहलुओं की जांच करने के लिए रेल मंत्रालय ने एक समिति नियुक्त की है और आशा है कि वह अपनी रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत कर देगी। आरक्षण प्रणाली और दलालों की बुराई आदि से संबंधित विभिन्न मुद्दों के संबंध में रेलवे के विरूद्ध दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई है।

[अनुवाद]

"सेल" द्वारा रेल पटरियों की सप्लाई

***129. श्रीमती गीता मुखर्जी :**

श्री वी॰वी॰ राघवन :

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकर लि॰ (सेल) द्वारा रेलवे को सप्लाई की गई लगभग 32,000 टन पटरियों में दरार पायी गई थी;

(ख) यदि हां, तो "सेल" द्वारा रेलवे को की जाने वाली पटरियों की वार्षिक सप्लाई का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे को सप्लाई की गई रेल पटरियों में पाये गये दोषों के कारणों का पता लगाने हेतु कोई जांच की गयी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) रेलवे को 01 से 28 जनवरी, 1997 तक 14 गंतव्य स्थानों पर लगभग 47,000 रेल पटरियों की सप्लाई की गई। इनमें से केवल 26 रेल पटरियां दरार युक्त बताई गई हैं और ये अधिकाशंतः रेल पटरियां कल्याण फलैश बट्ट वैल्डिंग प्लांट को किए गए एक प्रेषण में थीं। रेल पटरियों के दरारयुक्त होने के इस एकमात्र दृष्टान्त के कारणों की पूछताछ/जांच होने तक रेलवे ने 01 से 28 जनवरी, 1997 तक उन्हें भेजी गई रेल पटरियों के सम्पूर्ण प्रेषण का उपयोग नहीं करने का निर्णय लिया है।

(ख) 1996-97 में सेल ने विभिन्न-गंतव्य स्थानों पर रेलवे को 4.07 लाख टन रेल पटरियों की आपूर्ति की थी।

(ग) से (ङ) रेलवे के साथ विस्तृत जांच की गई थी। इस जांच से पता चला कि जनवरी माह में आपूर्ति की गई अधिकांश रेल पटरियां विद्यमान स्ट्रेटनिंग मशीन से संसाधित की गई थीं। इनमें से कुछ रेल पटरियां जो नई बाई-प्लानर स्ट्रेटनिंग मशीन से संसाधित की गई थीं 18 और 19 जनवरी, 1997 को मशीन को परीक्षण के तौर पर चलाए जाने के दौरान सम्भवतः कुछ रेल पटरियों पर अनजाने में अधिक दबाव पड़ा हो। इस अधिक दबाव के साथ-साथ लदाई, उतराई और ढुलाई के दौरान बहुविध सम्भाल के कारण इनमें दरार आई हो और वह गंतव्य स्थान पर पहुंचने के बाद और उपयोग के लिए संसाधित करते समय दिखाई दी। नई मशीन का प्रचालन अस्थाई रूप से बन्द कर दिया गया था और इस मशीन का सुरक्षित प्रचालन निर्धारित करने के लिए रेलवे के साथ व्यापक प्रौद्योगिकीय मूल्यांकन किया गया। रेलवे से अनुमति प्राप्त करने के बाद मशीन का प्रचालन पुनः शुरू कर दिया गया है, आस्थगित रेल पटरियों को देने और उनका उपयोग करने के लिए रेलवे के साथ संयुक्त रूप से कार्रवाई भी शुरू की गई है। "सेल" और रेलवे" के परामर्श से इस मंत्रालय में इसकी जांच की गई। इस स्थिति से निपटने के लिए एक समयबद्ध, मुद्दे-वार कार्य योजना तय की गई है।

[हिन्दी]

राज्य विद्युत बोर्डों को घाटा

***130. श्री राजकेशर सिंह :**

श्री रघुनंदन लाल भाटिया :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान राज्य विद्युत बोर्डों को हुए घाटे का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त घाटे के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने राज्य विद्युत बोर्डों को सुझाव दिया है कि वे विद्युत उत्पादन और वितरण संबंधी विभिन्न कार्य निजी क्षेत्र को सौंपे; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के॰ अलघ) : (क) विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 69 की उपधारा के प्रावधानों के अधीन राज्य बिजली बोर्डों का लेखा जोखा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के समक्ष संबंधित वर्ष के लेखे-जोखे, उक्त वर्ष के समापन पर छः महीने के अन्दर प्रस्तुत करने अपेक्षित होते हैं। वर्ष 1996-97 से संबंधित सभी राज्यों के लेखे जोखे केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के पास सुलभ नहीं हैं। तथापि ग्राम विद्युतीकरण संबंधित आर्थिक सहायता को शामिल न किये जाने के पश्चात वर्ष 1994-95 और 1995-96 से संबंधित राज्य बिजली बोर्डों के लेखे-जोखे और अधिशेष/घाटे का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) राज्य बिजली बोर्डों में हानियों के कारणों में अन्य बातों के अलावा कृषि टैरिफ समेत अलोभकारी टैरिफ, टी एंड डी हानियों की मात्रा अधिक होना, संयुक्त भार घटक का निम्नस्तर होना और परिणामस्वरूप कुछ ताप विद्युत केन्द्रों में ईंधन खपत की अधिक मात्रा का होना आदि हैं।

(ग) और (घ) 1991 से निजी क्षेत्र कंपनियों को विद्युत उत्पादन केन्द्र स्थापित करने की अनुमति प्रदान की गई है। दिसम्बर, 1996 में विद्युत के लिए अंतिम रूप दी गई न्यूनतम कार्य योजना में यह उल्लेख किया गया है कि विद्युत के वितरण में निजी क्षेत्र की भागेदारी से संबंधित क्रमक कार्यक्रम के लिए राज्य सरकारें सहमत हो गई हैं।

निजी क्षेत्र की भागेदारी की प्रक्रिया में राज्य के शहरी तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्र को शामिल करते हुए राज्य के एक अथवा दो भौगोलिक दृष्टि से व्यावहारिक क्षेत्र में इसकी शुरूआत की जायेगी और धीरे-धीरे राज्य के अन्य भागों में इसका विस्तार किया जायेगा।

विवरण

वर्ष 1994-95 एवं 1995-96 के दौरान राज्य बिजली बोर्डों के बारे में अधिशेष/घाटे (लेखे में दर्शाई गई ग्राम विद्युतीकरण संबंधी आर्थिक सहायता को शामिल किए जाने एवं ग्राम विद्युतीकरण संबंधी आर्थिक सहायता को शामिल न किए जाने) को दर्शाने वाला ब्यौरा।

क्र०सं०	राज्य बिजली बोर्ड का नाम	1994-95 आरई आर्थिक सहायता समेत	1994-95 आरई आर्थिक सहायता बगैर	1995-96 आरई आर्थिक सहायता समेत	1995-96 आरई आर्थिक सहायता बगैर
1	2	3	4	5	6
1.	एपीएसईबी	87.24	-857.04	130.59	-1128.58(ए)
2.	एएसईबी	-241.26	-296.90	-261.36	-261.46(पी)
3.	बीएसईबी	-80.32	-300.11	-27.52	-27.52(यू)
4.	जीईबी	105.94	-550.28	108.00	-1003.39(ए)
5.	एचएसईबी	16.16	-98.92	78.21	-536.59 (ए)
6.	एचपीएसईबी	18.56	17.67	35.58	35.53 (ए)
7.	केईबी	43.06	-164.18	51.20	-499.41 (यू)
8.	केएसईबी	21.88	13.32	22.76	-30.48 (यू)
9.	एमपीईबी	132.40	-382.40	133.79	-458.46 (ए)
10.	एमएसईबी	230.78	320.75	349.80	-280.24 (यू)
11.	एमईएसईबी	-20.18	-27.8	-12.76	-21.66 (यू)
12.	ओएसईबी	24.90	-136.08	26.94	-230.68 (यू)
13.	पीएसईबी	-5.53	-427.48	142.85	-325.64 (ए)
14.	आरएसईबी	77.07	-412.75	80.84	-343.87 (यू)
15.	टीएनइबी	347.75	-2.31	339.19	-76.74 (ए)
16.	यूपीएसईबी	258.44	-978.25	22.20	-1495.00 (ए)
17.	डब्ल्यूबीएसईबी	18.47	-78.66	17.22	-64.49 (यू)
	जोड़	1125.36	-4360.80	1237.53	-6748.68

पी - अनन्तिम

ए - लेखा परीक्षित

यू - गैर-लेखा परीक्षित

[अनुवाद]

रेल नेटवर्क का विस्तार

***131. डा॰ असीम बाला :**

कुमारी उमा भारती :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने पिछड़े, पर्वतीय, जनजातीय, दूरस्थ तथा रेगिस्तानी क्षेत्रों में रेल नेटवर्क के विस्तार हेतु कोई नई योजनाएं तैयार की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन योजनाओं को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है; और

(घ) इन पर परियोजनावार कितना व्यय किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

पिछड़े, पर्वतीय, आदिवासी दूरस्थ और रेगिस्तानी क्षेत्रों में चालू नई लाइन परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है :

	परियोजना	राज्य	जोन	लागत करोड़ रुपयों में	पूरा करने की लक्ष्य तिथि
	1	2	3	4	5
1.	तालचेर-सम्बलपुर	उड़ीसा	द॰पू॰	336.68	मार्च, 98
2.	जोगीघोपा-गुवाहाटी	असम	पू॰सी॰	635	ब्रह्मपुत्र पुल और जोगीघोपा से गोलपाड़ा के लिए दिसम्बर, 97 और गोलपाड़ा से गुवाहाटी दिसम्बर, 98।
3.	दैतारी-बांसपानी	उड़ीसा	द॰पू॰	243	दिसम्बर, 99
4.	मंदारहिल-रामपुरहाट	बिहार	पू॰रे॰	170	अभी निर्धारित नहीं।
5.	पेद्दापल्ली-करीमनगर-निजामाबाद	(आंध्र प्रदेश)	द॰म॰	193	-यथोक्त-
6.	अमरावती-नरखेड़	महाराष्ट्र	म॰रे॰	183	-यथोक्त-
7.	लांजीगढ़-जूनागढ़	उड़ीसा	द॰पू॰	100	-यथोक्त-
8.	गोधरा-इंदौर बरास्ता दाहोद-मकसी	(गुजरात एवं मध्य प्रदेश)	प॰रे॰	297	केवल देवास-मकसी पर कार्य किया जा रहा है (कुल लागत 48 करोड़ रुपए)। लक्ष्य तिथि दिसम्बर, 99 शेष की समीक्षा की जा रही है।
9.	खोरधा रोड-बोलनगीर	उड़ीसा	द॰पू॰	353	अभी निर्धारित नहीं।
10.	नांदयाल-येरागुंतला	आंध्र प्रदेश	द॰म॰	156	-यथोक्त-
11.	काडूर-चिकमगलूर-सकलेशपुर	कर्नाटक	द॰रे॰	157	-यथोक्त-
12.	कुमारघाट-अगरतला	त्रिपुरा	पू॰सी॰	575	-यथोक्त-
13.	सकरी-हसनपुर	बिहार	पूर्वोत्तर	96.03	-यथोक्त-
14.	हरिदासपुर-पारादीप	उड़ीसा	द॰पू॰	121	-यथोक्त-
15.	ऊधमपुर-श्रीनगर-बारामूला	जम्मू एवं कश्मीर	उ॰रे॰	1900	-यथोक्त-
16.	जम्मूतवी-ऊधमपुर	जम्मू एवं कश्मीर	उ॰रे॰	335	दिसम्बर, 99
पूरक बजट 96-97 में सम्मिलित नई लाइन कार्य					
17.	खगड़िया-कुशेश्वरनाथ	बिहार	पूर्वोत्तर	78	अभी निर्धारित नहीं।
18.	हरमुटी-इटानगर	अरुणाचल प्रदेश	पू॰सी॰	156	-यथोक्त-

1		2	3	4	5
बजट 97-98 में शुरू किए गए नई लाइन कार्य					
19.	मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी	बिहार	पूर्वोत्तर	100	अभी निर्धारित नहीं।
20.	पटना में गंगा ब्रिज	-यथोक्त-	पू॰रे॰	600	-यथोक्त-
21.	आरा से सासाराम	-यथोक्त-	पू॰रे॰	120	-यथोक्त-
22.	गिरिडीह-बरकाखाना-रांची लाइन के प्रथम चरण के रूप में गिरिडीह से कोडरमा।	-यथोक्त-	पू॰रे॰	145	-यथोक्त-
23.	ललितपुर-सतना और रीवा से सिंगरौली	मध्य प्रदेश	म॰रे॰	925	-यथोक्त-
24.	इम्फाल की ओर लाइन के प्रथम चरण के रूप में दिपू से करोंग	असम/मणिपुर	पू॰सी॰	800	-यथोक्त-
25.	बोगीभील ब्रिज	असम	पू॰सी॰	1000	-यथोक्त-

[हिन्दी]

विद्युत की मांग तथा आपूर्ति

*132. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल :**

श्री निहाल चन्द चौहान :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश की वर्तमान विद्युत संबंधी मांग तथा आपूर्ति का राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने 2000 ईस्वी तक विद्युत की मांग के संबंध में कोई आकलन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) विद्युत की मांग तथा आपूर्ति के बीच पाट खाई को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द के॰ अलघ) : (क) देश में अप्रैल, 1997 से जून, 1997 तक की अवधि के दौरान ऊर्जा की आवश्यकता और उपलब्धता क्रमशः 105.5 बिलियन यूनिट और 92.8 बिलियन यूनिट थी। इसी अवधि के दौरान व्यस्ततमकालीन मांग एवं व्यस्ततमकालीन आपूर्ति क्रमशः 62.927 मे॰वा॰ और 51649 मे॰वा॰ थी। राज्यवार/संघ क्षेत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण I और II में दिया गया है।

(ख) और (ग) 15 वें इलेक्ट्रिक पावर सर्वेक्षण की रिपोर्ट के आधार पर वर्ष 2000-01 के दौरान ऊर्जा की आवश्यकता और व्यस्ततमकालीन मांग क्रमशः 535.9 बिलियन यूनिट और 90093 मे॰वा॰ होने का अनुमान है। नौवीं योजना में मांग अनुमानों को अंतिम रूप दिया जाएगा। ब्यौरा संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

(घ) प्रक्षेपित मांग की पूर्ति करने के लिए सरकार ने विभिन्न कदम उठाए हैं। जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ ये शामिल हैं, क्षमता अभिवृद्धि, विद्युत उत्पादन में निजी क्षेत्र की भागेदारी को प्रोत्साहन. देना, बेहतर मांग प्रबंधन, ऊर्जा संवर्द्धन उपाय करना, विद्यमान संयंत्रों का नवीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्य करना, पारेषण एवं वितरण की मात्रा को कम करना, अंतः क्षेत्रीय लिंकों के द्वारा अधिशेष विद्युत वाले क्षेत्रों से विद्युत की कमी वाले क्षेत्रों को विद्युत का अंतरण करके विद्यमान विद्युत क्षमता का प्रभावी रूप से सदुपयोग करना।

विवरण-I

अप्रैल, 1997 से जून, 1997 की अवधि के दौरान देश में राज्यवार विद्युत सप्लाई की वस्तु स्थिति और 2000-01 के दौरान ऊर्जा की अनुमानित आवश्यकता

क्षेत्र/राज्य/प्रणाली	ऊर्जा (मिलियन यूनिट निवल) अप्रैल-जून, 1997				2000-01 में ऊर्जा की आवश्यकता (बि॰यू॰)
	आवश्यकता	उपलब्धता	कमी	%	
1	2	3	4	5	6
उत्तरी क्षेत्र					
चण्डीगढ़	235	235	0	0.0	.850
दिल्ली	3765	3726	39	1.0	19.352

1	2	3	4	5	6
हरियाणा	3145	3044	101	3.2	22.644
हिमाचल प्रदेश	777	777	0	0.0	3.517
जम्मू और कश्मीर	1225	1174	51	4.2	6.463
पंजाब	5595	5568	27	0.5	30.233
राजस्थान	4780	4704	76	1.6	29.655
उत्तर प्रदेश	10350	8938	1412	13.6	56.440
उ॰क्षे॰	29872	28166	1706	5.7	169.154
पश्चिमी क्षेत्र					
गुजरात	9975	8829	1146	11.5	46.049
मध्य प्रदेश	8125	6896	1229	15.1	39.931
महाराष्ट्र	16000	14854	1146	7.2	78.586
गोवा	332	332	0	0.0	1.373
प॰क्षे॰	34432	30911	3521	10.2	167.375
दक्षिणी क्षेत्र					
आन्ध्र प्रदेश	9740	8047	1693	17.4	42.710
कर्नाटक	6680	4597	2083	31.2	29.543
केरल	2775	2116	659	23.7	14.632
तमिलनाडु	9795	8294	1501	15.3	38.447
द॰क्षे॰	28990	23054	5936	20.5	127.240
पूर्वी क्षेत्र					
बिहार	2300	1843	457	19.9	19.894
डी॰वी॰सी॰	2010	1978	32	1.6	-
उड़ीसा	2635	2572	63	2.4	17.859
पश्चिमी बंगाल	4030	3943	87	2.2	26.481
सिक्किम	-	-	-	-	0.124
पू॰क्षे॰	10975	10336	639	5.8	64.358
उत्तरी पूर्वी क्षेत्र					
अरुणाचल प्रदेश	39.5	20.4	19.1	48.4	0.307
असम	716.9	665.2	51.7	7.2	4.710
मणिपुर	132.3	91.6	40.7	30.8	0.629
मेघालय	94.4	94.3	0.0	0.0	0.600
मिजोरम	54.1	34.2	19.9	36.8	0.449
नागालैण्ड	57.2	38.9	18.3	32.0	0.251

1	2	3	4	5	6
त्रिपुरा	134.7	96.4	38.3	28.4	0.642
एन•ई•आर•	1129.0	1041.0	188.0	15.3	7.588
अंडमान और निकोबार	–	–	–	–	0.163
लक्षद्वीप	–	–	–	–	0.025
अखिल भारतीय	1.05.498	92.770	12.728	12.1	535.503

विवरण-II

अप्रैल, 1997 से जून, 1997 की अवधि के दौरान देश में राज्यवार विद्युत सप्लाई की वस्तुस्थिति और 2000-01 के दौरान ऊर्जा की अनुमानित आवश्यकता

क्षेत्र/राज्य/प्रणाली	व्यस्ततमकालीन (मेगावाट) अप्रैल-जून, 1997				2001 में ऊर्जा व्यस्ततमकालीन मांग
	मांग	पूर्ति	कमी	%	
1	2	3	4	5	6
उत्तरी क्षेत्र					
चण्डीगढ़	169	169	0	0.0	170
दिल्ली	2240	2150	90	4.0	3253
हरियाणा	1970	1926	44	2.2	4259
हिमाचल प्रदेश	661	661	0	0.0	750
जम्मू और कश्मीर	900	805	95	10.6	1476
पंजाब	3951	3951	0	0.0	5515
राजस्थान	2700	2640	60	2.2	5218
उत्तर प्रदेश	6500	4903	1597	24.6	10442
उ•क्षे•	17900	16064	1836	10.3	29603
पश्चिमी क्षेत्र					
गुजरात	6200	5148	1052	17.0	7064
मध्य प्रदेश	5600	3952	1648	29.4	6606
महाराष्ट्र	9350	8117	1233	13.2	12460
गोवा	180	180	0	0.0	278
प•क्षे•	20500	16515	3985	19.4	26924
दक्षिण क्षेत्र					
आन्ध्र प्रदेश	5570	4576	994	17.8	7064
कर्नाटक	4385	3180	1205	27.5	5141
केरल	1920	1442	478	24.9	2983

1	2	3	4	5	6
तमिलनाडु	5754	4622	1132	19.7	6270
द॰क्षे॰	16580	13354	3226	19.5	20746
पूर्वी क्षेत्र					
बिहार	1710	1047	663	38.8	3739
डी॰वी॰सी॰	1490	1179	311	20.9	–
उड़ीसा	1900	1636	264	13.9	2912
पश्चिम बंगाल	2775	2535	240	8.6	5030
सिक्किम	–	–	–	–	43
पू॰क्षे॰	7742	6294	1448	18.7	11166
उत्तर पूर्वी क्षेत्र					
अरुणाचल प्रदेश	47	40	7	14.9	84
असम	541	513	28	5.2	937
मणिपुर	90	70	20	22.2	174
मेघालय	91	91	0	0.0	132
मिजोरम	52	43	9	17ण3	130
नागालैण्ड	39	37	2	5.1	64
त्रिपुरा	96	68	28	29.2	169
उ॰पू॰क्षे॰	935	848	87	9.3	1610
अंडमान और निकोबार	–	–	–	–	37
लक्षद्वीप	–	–	–	–	7
अखिल भारतीय	62.927	51.649	11.278	17.9	90.093

[अनुवाद]

राज्यों में राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना और राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना का क्रियान्वयन

*133. **डा॰ एम॰ जगन्नाथ :** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना और राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना का राज्यों में समुचित रूप से क्रियान्वयन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन योजनाओं को राज्यों द्वारा सख्ती से क्रियान्वित किया जाये, यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडू) : (क) से (ग) राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना और राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के रूप में 15 अगस्त, 1995 से शुरू की गई थीं।

राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना और राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना के अंतर्गत रिलीज, सूचित खर्च और लाभार्थियों की संख्या के ब्यौरे संलग्न विवरण-I से VI में दिए गए हैं।

ये नई योजनाएं थीं और इसलिए देश भर में काफी आधारभूत कार्य और प्रचार किए जाने की जरूरत थी। राज्य/सरकारों ने कार्यक्रम को कार्यरूप देने ओर प्रक्रियाओं तथा औपचारिकताओं को पूरा करने में काफी समय लिया। राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना और राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना के अंतर्गत वर्ष 1995-96 के दौरान निधियों की रिलीज क्रमशः 105 करोड़ रुपए और 58.7 करोड़ रुपए थी जो कि बजट आबंटन का क्रमशः 68 प्रतिशत और 67 प्रतिशत थी। वर्ष

1996-97 के दौरान राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना और राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना के अंतर्गत रिलीज क्रमशः 106.9 करोड़ रुपए और 67.6 करोड़ रुपए थीं जो कि न्यूनाधिक वर्ष के लिए उपलब्ध सम्पूर्ण प्रावधान के समान थी। तथापि विवरण I से VI से जैसा कि देखा जा सकता है, राज्यों द्वारा सूचित खर्च का स्तर निम्न था। इससे पता चलता है कि इन दोनों योजनाओं के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण सुधार होना है।

मंत्रालय ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के प्रभारी राज्य मंत्रियों के साथ बैठकें करने, राज्य सचिवों के साथ व्यक्तिगत समीक्षा बैठकें करने, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम संबंधी केन्द्रीय सलाहकार समिति में योजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए महसूस की गई बाधाओं पर चर्चा करने और विशेष प्रचार अभियान जैसे अनेक कदम उठाए हैं। पिछड़ने वाले राज्यों के मुख्य मंत्रियों और मुख्य सचिवों को भी पत्र लिखे गए हैं। राज्य सरकारों से इन योजनाओं का व्यापक प्रचार करने और कार्यान्वयन में सुधार करने का भी अनुरोध किया गया है। इन प्रयासों को जारी रखा जाएगा। मीडिया और अन्य उपायों के जरिए प्रचार अभियान को बढ़ावा देना, कार्यान्वयन की प्रक्रिया की सतत निगरानी करना और विभिन्न स्तरों पर राज्य सरकारों के साथ बार-बार चर्चा करना तथा प्रक्रियाओं को सरल बनाना कुछ प्रस्तावित कदम हैं।

विवरण-I

1995-96 के दौरान राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना की प्रगति

(लाख रुपए में)

क्र॰सं॰	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	रिलीज	सूचित खर्च	सूचित लाभार्थियों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	1334.93	262.03	3916
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.71	0.00	0
3.	असम	188.21	51.13	1652
4.	बिहार	1090.36	257.48	3191
5.	गुजरात	3.37	1.10	17
6.	गोवा	222.33	6.81	एन॰आर॰
7.	हरियाणा	45.72	1.70	एन॰आर॰
8.	हिमाचल प्रदेश	11.95	3.55	57
9.	जम्मू व कश्मीर	27.3	22.17	292
10.	कर्नाटक	383.69	209.67	एन॰आर॰
11.	केरल	90.57	10.29	31
12.	मध्य प्रदेश	823.85	233.08	4038
13.	महाराष्ट्र	606.69	0.75	155
14.	मणिपुर	3.42	3.38	55
15.	मेघालय	3.27	2.31	10
16.	मिजोरम	1.7	1.66	24
17.	नागालैंड	3.53	2.03	12
18.	उड़ीसा	510.69	1.85	18
19.	पंजाब	37.38	28.91	437
20.	राजस्थान	266.89	0.00	0
21.	सिक्किम	1.67	एन॰आर॰	एन॰आर॰
22.	तमिलनाडु	1130	540.94	14153
23.	त्रिपुरा	10.4	2.12	58
24.	उत्तर प्रदेश	3147.28	2062.93	48221
25.	पश्चिम बंगाल	531.09	72.96	2246
26.	अं॰व नि॰ द्वीप समूह	1.69	एन॰आर॰	एन॰आर॰
27.	चण्डीगढ़	1.72	1.72	एन॰आर॰
28.	दा॰ व न॰ हवेली	1.65	एन॰आर॰	एन॰आर॰
29.	दमन व दीव	1.48	1.27	24
30.	राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली	18.85	18.85	एन॰आर॰
31.	लक्षद्वीप	1.62	0.00	0
32.	पांडिचेरी	1.68	0.00	0
	योग	10506.68	3800.68	78607

एन॰आर॰ - असूचित

* $7^1/_2$ महीनों के लिए

विवरण-II

1995-96 के दौरान राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना की प्रगति

(लाख रुपए में)

क्र॰सं॰	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	रिलीज	सूचित खर्च	लाभार्थियों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	746.75	588.78	203902
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.95	0.00	0

1	2	3	4	5
3.	असम	87.79	35.41	8888
4.	बिहार	572.00	211.34	79701
5.	गुजरात	2.60	0.00	0
6.	गोवा	118.25	0.00	0
7.	हरियाणा	35.72	24.25	5566
8.	हिमाचल प्रदेश	13.42	1.87	295
9.	जम्मू व कश्मीर	30.80	20.46	5022
10.	कर्नाटक	237.96	196.04	एन॰आर॰
11.	केरल	64.88	13.42	167
12.	मध्य प्रदेश	457.60	17.79	0
13.	महाराष्ट्र	361.76	0.07	831
14.	मणिपुर	4.07	3.87	1277
15.	मेघालय	3.74	2.50	122
16.	मिजोरम	1.58	1.58	500
17.	नागालैंड	5.59	3.15	126
18.	उड़ीसा	240.08	4.91	1524
19.	पंजाब	25.48	9.36	2569
20.	राजस्थान	202.67	0.00	0
21.	सिक्किम	0.94	एन॰आर॰	एन॰आर॰
22.	तमिलनाडु	563.60	155.80	50487
23.	त्रिपुरा	12.34	3.77	1671
24.	उत्तर प्रदेश	1777.92	1264.47	291690
25.	पश्चिम बंगाल	274.49	35.23	22285
26.	अं॰ व नि॰ द्वीप समूह	0.69	एन॰आर॰	एन॰आर॰
27.	चण्डीगढ़	1.57	1.57	एन॰आर॰
28.	दा॰ व न॰ हवेली	0.29	एन॰आर॰	एन॰आर॰
29.	दमन व दीव	0.18	0.09	24
30.	राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली	21.85	21.85	एन॰आर॰
31.	लक्षद्वीप	0.22	0.00	0
32.	पांडिचेरी	1.78	0.00	0
	योग	5870.55	2617.57	676647

एन॰आर॰ – असूचित

* $7^1/_2$ महीनों के लिए

विवरण–III

राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (1996–97)

(अंनतिम)

(रुपए लाख में)

क्र॰सं॰	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	रिलीज	सूचित खर्च	लाभार्थियों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	2238.12	1609.37	28461
2.	अरुणाचल प्रदेश	2.03	0.61	8
3.	असम	212.30	160.68	3212
4.	बिहार	583.17	344.15	5871
5.	गुजरात	10.19	12.78	169
6.	गोवा	7.26	11.50	108
7.	हरियाणा	36.52	43.62	617
8.	हिमाचल प्रदेश	11.57	11.11	176
9.	जम्मू व कश्मीर	62.48	30.66	505
10.	कर्नाटक	12.49	12.08	174
11.	केरल	205.51	148.14	1998
12.	मध्य प्रदेश	2246.62	1520.56	26125
13.	महाराष्ट्र	36.74	122.83	716
14.	मणिपुर	14.41	2.70	11
15.	मेघालय	2.61	1.05	21
16.	मिजोरम	5.78	2.81	42
17.	नागालैंड	8.64	4.48	61
18.	उड़ीसा	224.11	458.85	5110
19.	पंजाब	124.62	78.85	1456
20.	राजस्थान	24.97	27.15	1243
21.	सिक्किम	2.26	एन॰आर॰	एन॰आर॰
22.	तमिलनाडु	1357.93	1193.74	23170
23.	त्रिपुरा	25.90	15.72	274
24.	उत्तर प्रदेश	2221.30	1164.14	21476
25.	पश्चिम बंगाल	966.50	235.83	4123
26.	अं॰व नि॰ द्वीप समूह	0.06	0.35	4
27.	चण्डीगढ़	1.36	एन॰आर॰	एन॰आर॰
28.	दा॰ व न॰ हवेली	5.78	2.76	45
29.	दमन व दीव	2.92	2.20	40

1	2	3	4	5
30.	राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली	32.06	9.75	168
31.	लक्षद्वीप	2.81	1.05	19
32.	पांडिचेरी	0.06	0.10	1
	योग	10689.08	7229.62	125404

एन॰आर॰ - असूचित

विवरण-IV

राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना (1996-97)

(अंनतिम)
(लाख रुपए में)

क्र॰सं॰	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	रिलीज	सूचित खर्च	लोभार्थियों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	1205.32	771.37	199399
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.06	0.21	64
3.	असम	145.47	57.28	17240
4.	बिहार	679.55	346.01	114331
5.	गुजरात	0.08	0.14	43
6.	गोवा	3.74	4.8	1413
7.	हरियाणा	64.14	38.55	12713
8.	हिमाचल प्रदेश	8.00	9.69	2463
9.	जम्मू व कश्मीर	36.05	16.04	5527
10.	कर्नाटक	7.54	13.13	8819
11.	केरल	86.35	43.35	8200
12.	मध्य प्रदेश	400.74	283.02	82007
13.	महाराष्ट्र	11.44	57.38	3918
14.	मणिपुर	20.41	3.29	216
15.	मेघालय	3.17	1.06	355
16.	मिजोरम	8.01	2.57	733
17.	नागालैंड	19.99	7.63	2029
18.	उड़ीसा	435.35	296.15	92328
19.	पंजाब	28.11	16.62	4704
20.	राजस्थान	6.51	4.61	117
21.	सिक्किम	1.53	एन॰आर॰	एन॰आर॰
22.	तमिलनाडु	571.21	535.25	177019
23.	त्रिपुरा	30.62	18.09	6150
24.	उत्तर प्रदेश	2416.16	1462.97	453381
25.	पश्चिम बंगाल	529.17	187.09	57721
26.	अं॰व॰नि॰ द्वीप समूह	0.02	0.02	6
27.	चण्डीगढ़	0.05	एन॰आर॰	एन॰आर॰
28.	दा॰ व न॰ हवेली	0.95	0.44	134
29.	दमन व दीव	0.24	0.17	44
30.	राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली	37.68	4.89	629
31.	लक्षद्वीप	0.01	0.03	14
32.	पांडिचेरी	0.06	1.68	559
	योग	6757.91	4183.53	1252276

एन॰आर॰ - असूचित

विवरण-V

राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (1997-98)

(अनंतिम)
(लाख रुपए में)

क्र॰सं॰	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	रिलीज	सूचित खर्च	सूचित लाभार्थियों की संख्या	प्रतिबद्ध देयता	कुल रिलीज
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	1123.98	असूचित	असूचित	-	1123.98
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	असूचित	असूचित	-	0.00

1	2	3	4	5	6	7
3.	असम	89.86	1.35	असूचित	37.18	127.04
4.	बिहार	92.44	असूचित	असूचित	204.46	296.90
5.	गुजरात	5.72	1.20	19.00	–	5.72
6.	गोवा	0.00	असूचित	असूचित	–	0.00
7.	हरियाणा	2.66	असूचित	असूचित	18.99	21.65
8.	हिमाचल प्रदेश	0.00	असूचित	असूचित	9.48	9.48
9.	जम्मू व कश्मीर	14.63	असूचित	असूचित	–	14.63
10.	कर्नाटक	0.00	1.05	13.00	–	0.00
11.	केरल	36.42	2.80	45.00	13.81	50.23
12.	मध्य प्रदेश	509.97	3.45	173.00	–	509.97
13.	महाराष्ट्र	0.00	असूचित	असूचित	61.57	61.57
14.	मणिपुर	0.00	असूचित	असूचित	–	0.00
15.	मेघालय	2.50	असूचित	असूचित	–	2.50
16.	मिजोरम	1.72	असूचित	असूचित	–	1.72
17.	नागालैंड	0.00	असूचित	असूचित	–	0.00
18.	उड़ीसा	64.20	39.18	1574.00	169.21	233.41
19.	पंजाब	62.92	असूचित	असूचित	–	62.92
20.	राजस्थान	0.00	असूचित	असूघित	–	0.00
21.	सिक्किम	0.00	असूचित	असूचित	–	0.00
22.	तमिलनाडु	806.31	असूचित	असूचित	–	806.31
23.	त्रिपुरा	4.90	असूचित	असूचित	–	4.90
24.	उत्तर प्रदेश	222.47	असूचित	असूचित	–	222.47
25.	पश्चिम बंगाल	22.68	असूघित	असूचित	–	22.68
26.	अं० व नि० द्वीप समूह	0.00	असूघित	असूचित	–	0.00
27.	चण्डीगढ़	0.00	असूघित	असूघित	–	0.00
28.	दा० व न० हवेली	1.43	असूघित	असूचित	–	1.43
29.	दमन व दीव	0.00	0.15	2.00	–	0.00
30.	राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली	0.00	असूघित	असूघित	–	0.00
31.	लक्षद्वीप	0.00	असूघित	असूघित	–	0.00
32.	पांडिचेरी	0.00	असूघित	असूघित	–	0.00
	योग	3064.81	49.18	1826.00	514.70	3579.51

विवरण VI

राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना (1997-98)

(अंनतिम)
(रुपए लाख में)

क्र॰सं॰	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	रिलीज	सूचित खर्च	सूचित लाभार्थियों की संख्या	प्रतिवद्ध देयता 96-77	कुल रिलीज
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	588.08	असूचित	असूचित	-	588.08
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.83	असूचित	असूचित	-	0.83
3.	असम	49.07	0.65	183	-	49.07
4.	बिहार	114.74	असूचित	असूचित	109.37	224.11
5.	गोआ	-	0.09	32	-	-
6.	गुजरात		0.78	असूचित		
7.	हरियाणा	12.50	0.34	63	20.69	33.19
8.	हिमाचल प्रदेश		असूचित	असूचित	12.11	12.11
9.	जम्मू व कश्मीर	3.35	असूचित	असूचित		3.35
10.	कर्नाटक	5.16	1.59	531		5.16
11.	केरल		1.25	470	29.43	29.43
12.	मध्य प्रदेश	35.66	असूचित	असूचित		35.66
13.	महाराष्ट्र		असूचित	असूचित	39.89	39.89
14.	मणिपुर		असूचित	असूचित		
15.	मेघालय	3.04	असूचित	असूचित		3.04
16.	मिजोरम		असूचित	असूचित		
17.	नागालैंड	6.02	असूचित	असूचित		6.02
18.	उड़ीसा	45.32	11.29	25151	60.88	106.20
19.	पंजाब		असूचित	असूचित		
20.	राजस्थान		असूचित	असूचित		
21.	सिक्किम		असूचित	असूचित		
22.	तमिलनाडु	89.85	असूचित	असूचित	30.95	120.80
23.	त्रिपुरा	5.53	असूचित	असूचित		5.53
24.	उत्तर प्रदेश	470.57	असूचित	असूषित	106.16	576.73
25.	पश्चिम बंगाल	34.53	असूचित	असूषित		34.53
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह		असूचित	असूषित		
27.	चंडीगढ़		असूचित	असूचित		

1	2	3	4	5	6	7
28.	दादर व नगर हवेली	0.24	असुचित	असूचित		0.24
29.	दमन व द्वीव		असुचित	असूचित		
30.	राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली		असुचित	असूचित		
31.	लक्षद्वीप		असुचित	असूचित		
32.	पांडिचेरी		असुचित	असूचित		
	कुल	1464.49	15.99	26430	409.48	1873.97

एन•आर•--असूचित

सार्वजनिक टेलीफोन

*134. **श्री आई•डी• स्वामी : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के प्रत्येक गांव में सार्वजनिक टेलीफोन उपलब्ध कराने हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने गांवों में सार्वनिक टेलीफोन उपलब्ध कराये गये हैं;

(ग) शेष गांवों में सार्वजनिक टेलीफोन उपलब्ध न कराए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसे कब तक प्राप्त कर लिया जायेगा?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) कुल 6,04,374 गांवों में से, 2,70,607 गांवों को दिनांक 18.7.97 तक सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान किए जा चुके हैं।

(ग) शेष गांवों में सार्वजनिक टेलीफोन उत्तरोत्तर रूप से प्रदान किए जा रहे हैं।

(घ) जी, हां।

(ङ) नवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक यह लक्ष्य प्राप्त हो जाने की आशा है।

तरलीकृत प्राकृतिक गैस का आयात तथा वितरण

*135. **श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :**

श्री दिलीप संघानी :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एल•एन•जी•) पर आधारित 6000 मेगावाट वाला विद्युत स्टेशन स्थापित करने हेतु कोई दीर्घकालिक योजना तैयार की है;

(ख) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने सरकार से विद्युत क्षेत्र में तरलीकृत प्राकृतिक गैस के आयात तथा वितरण हेतु एक अलग निगम की स्थापना करने का अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है; और

(घ) तरलीकृत प्राकृतिक गैस पर आधारित इन विद्युत परियोजनाओं को किन राज्यों में स्थापित किए जाने का विचार है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के• अलघ) : (क) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) वर्तमान में समुद्र तटीय स्थानों पर एलएनजी आधारित बड़े विद्युत स्टेशनों की स्थापना करने की संभावनाओं का पता लगा रही है। तथापि, अभी तक इस प्रकार की किसी परियोजना को स्थापित किए जाने के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) और (ग) जी, नहीं।

(घ) उपरोक्त को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

[हिन्दी]

पिछड़े जिलों का विकास

*136. **श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अंतर्गत देश के 100 पिछड़े जिलों के विकास का आश्वासन दिया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार न्यूनतम साझा कार्यक्रम के ऐसे मुद्दों पर अमल के लिए अब किसी समयबद्ध योजना पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडू) : (क) से (ङ) एक सौ सर्वाधिक पिछड़े और निर्धन जिलों का चयन करने के लिए मानदंड की सिफारिश के लिए एक समिति गठित की गई है ताकि न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में ढांचागत विकास हेतु विशेष कार्य योजना बनाई जा सके। इस समिति की पिछली बैठक 22 जुलाई, 1997 को हुई थी।

[अनुवाद]

रेलवे का कार्यचालन व्यय

***137. डा॰ मुरली मनोहर जोशी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1995-96 तथा 1996-97 में रेलवे के कुल व्यय का कितना प्रतिशत वेतन पेंशन इत्यादि पर व्यय हुआ तथा 1997-98 में उपर्युक्त पर कितना व्यय होने का अनुमान है;

(ख) क्या 1997-98 के दौरान कुल प्राप्तियों का 90 प्रतिशत या उससे भी अधिक धन कार्यचालन लागत के रूप में खर्च होने का अनुमान है;

(ग) यदि हां, तो बाजार से कितना ऋण लिया गया है तथा उस राशि पर कितना वार्षिक ब्याज देय होगा; और

(घ) रेलवे को ऋण के जाल से बचाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) 1995-96, 1996-97 और 1997-98 (बजट अनुमान) के लिए भारतीय रेलों पर कुल संचालन व्यय में वेतन, पेंशन आदि का प्रतिशत नीचे दर्शाया गया है :—

	95-96	96-97 (संशोधित अनुमान)	97-98 (बजट अनुमान)
(1) कर्मचारी वेतन एवं अन्य भत्ते	36.9	36.5	43.8
(2) पेंशन	11.3	12.9	8.8
(3) ईंधन	17.5	18.0	17.6
(4) मू॰आ॰नि॰	11.1	10.1	7.9
(5) अन्य	23.2	22.5	21.9

(ख) जी हां। 1997-98 में परिचालन लागत 91.4 प्रतिशत होने का अनुमान है।

(ग) 1997-98 के दौरान भारतीय रेल वित्त निगम के माध्यम से बाजार से ऋण के रूप में 2150 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। 2150 करोड़ रुपए पर वार्षिक ब्याज दायिता लगभग 235 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।

(घ) रेलों द्वारा ऋण के जाल में फंसने का कोई तात्कालिक खतरा नहीं है। बहरहाल, रेलें संसाधनों का आंतरिक सृजन बढ़ाने और बाजार से कम से कम ऋण लेने के उद्देश्य से अपने राजस्व में वृद्धि करने और परिचालन खर्चों को सीमित रखने के लिए आवश्यक उपाय कर रही हैं। भारतीय रेलें और अधिक बजटीय सहायता की भी मांग कर रही है।

"दस लाख कुंआ योजना" के लाभार्थी

***138. श्री लक्ष्मण सिंह :** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान "दस लाख कुंआ योजना" से राज्यवार कुल कितने छोटे तथा सीमान्त किसानों को लाभ पहुंचा है;

(ख) इस योजना के अंतर्गत राज्यवार कितना धन आबंटित तथा व्यय किया गया;

(ग) क्या इस योजना के अंतर्गत धन आबंटित करते समय राज्यों को प्राथमिकता देने के लिए कोई मानदंड निर्धारित किये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडू) : (क) से (घ) दस लाख कुंओं की योजना के अंतर्गत लाभान्वित छोटे और सीमांत किसानों की संख्या की निगरानी केन्द्रीय स्तर पर नहीं की जाती है। तथापि, गत तीन वर्षों के दौरान योजना के अंतर्गत गरीबी की रेखा से नीचे के छोटे और सीमांत किसानों के लिए बनाए गए कुंओं की राज्यवार संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

गत तीन वर्षों के दौरान दस लाख कुंओं की योजना के अंतर्गत आबंटित कुल निधियों और प्रयुक्त निधियों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

दस लाख कुंओं की योजना के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के आकलनों के अनुसार देश में कुल ग्रामीण गरीबों की तुलना में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ग्रामीण गरीबों के अनुपात के आधार पर आबंटित की जाती हैं। ग्रामीण गरीबों के अधिक अनुपात वाले राज्यों को ग्रामीण गरीबों के कम अनुपात वाले राज्यों की तुलना में अधिक आबंटन मिलता है।

विवरण–I

मिलियन वेल्श स्कीम के अंतर्गत निर्मित कुएं

क्र॰सं॰	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1994–95	1995–96	1996–97
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	17498	10899	13169
2.	अरुणाचल प्रदेश	77	130	12
3.	बिहार	30045	25476	22911
4.	असम	1651	1865	2332
5.	गोवा	31	37	33
6.	गुजरात	6407	4107	3148
7.	हरियाणा	1613	572	363
8.	हिमाचल प्रदेश	17	138	670
9.	जम्मू व कश्मीर	3409	1673	1544
10.	कर्नाटक	4295	5236	3004
11.	केरल	3218	3468	2268
12.	मध्य प्रदेश	38989	35654	19950
13.	महाराष्ट्र	6322	8770	8002
14.	मणिपुर	507	520	429
15.	मेघालय	483	732	885
16.	मिजोरम	1033	425	483
17.	नागालैंड	924	0	80
18.	उड़ीसा	26113	24263	18349
19.	पंजाब	0	0	0
20.	राजस्थान	3071	2457	2389
21.	सिक्किम	87	364	91
22.	तमिलनाडु	6902	10899	5962
23.	त्रिपुरा	1439	2049	1221
24.	उत्तर प्रदेश	780	518	43
25.	पश्चिम बंगाल	3845	2402	1401
26.	अ॰ व नि॰ द्वीप समूह	6	6	13
27.	दा॰ व ना॰ हवेली	16	24	8
28.	दमन व दीव	0	0	0
29.	लक्षद्वीप	0	0	0
30.	पांडिचेरी	2	1	0
	कुल	158780	142685	108760

विवरण–II

दस लाख कुंओं की योजना के अंतर्गत कुल आवंटित और प्रयुक्त निधियां

क्र॰सं॰	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल आवंटित निधियां (केन्द्र – राज्य)			कुल प्रयुक्त निधियां		
		1994–95	1995–96	1996–97	1994–95	1995–96	1996–97
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	8129.99	4342.13	4342.13	5099.95	2608.25	3950.53
2.	अरुणाचल प्रदेश	96.75	44.58	44.58	35.94	71.46	18.36
3.	असम	2676.36	1429.41	1429.41	1426.60	666.70	852.99
4.	बिहार	15946.67	8516.94	8516.94	6853.58	5719.22	6351.13
5.	गोवा	104.54	48.16	48.16	3.60	12.23	9.12
6.	गुजरात	2984.36	1593.91	1593.91	2755.38	1494.06	1182.96
7.	हरियाणा	716.88	382.88	382.88	446.46	168.40	151.64
8.	हिमाचल प्रदेश	332.18	153.04	153.04	270.86	184.29	200.15
9.	जम्मू व कश्मीर	675.00	310.99	310.99	645.46	216.89	258.81
10.	कर्नाटक	5458.93	2915.55	2915.55	5395.07	3241.76	2750.86
11.	केरल	1986.03	1060.71	1060.71	1971.38	1542.52	1075.77

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	मध्य प्रदेश	10301.88	5502.11	5502.11	8483.10	4766.37	3864.57
13.	महाराष्ट्र	8862.80	4733.53	4733.53	4565.82	3416.04	4604.17
14.	मणिपुर	124.01	57.14	57.14	93.34	99.18	46.70
15.	मेघालय	145.10	66.85	66.85	88.80	42.12	54.96
16.	मिजोरम	61.13	28.16	28.16	106.20	40.27	42.82
17.	नागालैंड	155.54	71.66	71.66	138.60	0.00	19.90
18.	उड़ीसा	6595.33	3522.49	3522.49	4285.12	4322.29	4176.51
19.	पंजाब	509.79	272.28	272.28	0.00	0.00	0.00
20.	राजस्थान	4280.06	2285.93	2285.93	1765.93	825.77	891.96
21.	सिक्किम	56.63	26.09	26.09	55.83	104.46	44.94
22.	तमिलनाडु	7349.38	3925.20	3925.20	7339.18	4814.56	4341.06
23.	त्रिपुरा	161.07	74.21	74.21	172.78	123.77	88.89
24.	उत्तर प्रदेश	19812.53	10581.64	10581.64	18883.78	11988.78	11672.94
25.	पश्चिम बंगाल	7285.66	3891.19	3891.19	6721.15	7341.71	3507.65
26.	अ॰ व नि॰ द्वीप समूह	45.81	21.11	21.11	9.35	9.35	5.17
27.	दा॰ व ना॰ हवेली	24.87	11.46	11.46	4.02	8.24	4.20
28.	दमन व दीव	14.65	6.76	6.76	0.41	0.00	0.00
29.	लक्षद्वीप	22.97	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00
30.	पांडिचेरी	44.84	20.66	20.66	0.72	0.16	0.00
	कुल	104961.74	55907.36	55907.36	77618.41	53828.35	50168.77

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा विद्युत परियोजनाओं का वित्त पोषण

*139. **डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को वित्तीय वर्ष 1997-98 में वित्त पोषण के लिए बहुत सारी विद्युत परियोजनाएं प्राप्त हुई हैं;

(ख) क्या वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए लगभग 32 विद्युत परियोजनाओं के प्रस्ताव बैंक के पास लंबित पड़े हैं;

(ग) यदि हां, तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा इन विद्युत परियोजनाओं के वित्त पोषण के बारे में अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा; और

(घ) 1997-98 के दौरान कुल कितने धन की आवश्यकता होगी तथा कितनी परियोजनाओं को स्वीकृति दे दी जाएगी?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के॰ अलघ) : (क) और (ख) वर्तमान में आईडीबीआई के पास विद्युत परियोजनाओं के 16 आवेदन पत्र लंबित हैं।

(ग) आईडीबीआई के अनुसार इन परियोजनाओं को वित्तीय संस्थानों द्वारा मूल्यांकन के आधार पर जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ के॰वि॰प्रा॰ से तकनीकी आर्थिक अनुमोदन, पर्यावरणीय दृष्टिकोण से स्वीकृति, ईंधन लिंकेज और राज्य विद्युत बोर्डों के साथ हुए बैंक ग्राह्य विद्युत क्रय करार जैसे घटकों को ध्यान में रखकर वित्त पोषण हेतु हाथ में लिया जाएगा।

(घ) वर्ष 1997-98 के दौरान आईडीबीआई ने 1550 करोड़ रुपये की स्वीकृति सहायता से चार विद्युत परियोजनाओं को अनुमोदन प्रदान किया है।

भारत-बांग्लादेश विद्युत परियोजना हेतु धन

***140. श्रीमती जयवंती नवीनचन्द्र मेहता :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाई विकास बैंक भारत-बांग्लादेश विद्युत विनिमय परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी शर्तें क्या हैं;

(ग) इन परियोजनाओं में प्रत्येक देश का परियोजना-वार कितना हिस्सा होगा; और

(घ) इन परियोजनाओं से किन राज्यों को लाभ पहुंचने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के॰ अलघ) : (क) एशियाई विकास बैंक, अपने क्षेत्रीय तकनीकी सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत भारत तथा बंगलादेश के मध्य विद्युत के विनिमय हेतु एक व्यवहार्यता अध्ययन का वित्त पोषण करने पर सहमत हो गया है।

(ख) और (ग) यह व्यवहार्यता अध्ययन अन्य बातों के साथ-साथ अंतर-संयोजन स्थलों, प्रत्येक स्थल पर विद्युत आपूर्ति की मात्रा, विद्युत आपूर्ति का स्वरूप (अर्थात् आधार भार, विद्युत का व्यस्ततमकालीन भार अथवा गैर-व्यस्ततमकालीन भार) देशों के मध्य विद्युत के क्रय/विक्रय हेतु अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधों तथा अन्य संबंधित तकनीकी मुद्दों को अभिज्ञात करेगा।

(घ) इस परियोजना में भारत के पूर्वी क्षेत्र से अधिशेष विद्युत को पश्चिमी बंगलादेश को निर्यात किए जाने की परिकल्पना की गई है। इस परियोजना में पूर्वी बंगलादेश द्वारा भारत के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में अधिशेष विद्युत का भी निर्यात किए जाने की परिकल्पना की गई है। प्रारंभ में यह भारत के पूर्वी तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों से संबंधित राज्यों के लिए लाभकारी होगा और फिर राष्ट्रीय ग्रिड के सभी संयोजनों के पूरा हो जाने के पश्चात यह पूरे देश के लिए लाभदायक सिद्ध होगा।

एनरॉन द्वारा केबलों का आयात

1316. श्री श्रीबल्लभ पाणिग्राही : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एनरॉन को अपनी परियोजनाओं के लिए केबलों के आयात की अनुमति प्रदाम कर दी है; ओर

(ख) यदि हां, तो स्वदेशी केब्ल उद्योगों में वर्तमान में आयी मन्दी के परिप्रेक्ष्य में इसके क्या कारण हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के॰ अलघ) : (क) और (ख) मै॰ एनरान की दभोल व्रिद्युत परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में पावर के बिल समेत उपस्कर और संयंत्र के आयात की परिकल्पना की गई है जिसे जुलाई, 1994 में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के॰वि॰प्रा॰) द्वारा तकनीकी आर्थिक दृष्टि से स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी और इंडियन कस्टम टैरिफ एक्ट की हैडिंग 98.01 के अन्तर्गत "पावर प्रोजेक्ट इम्पोर्ट" के तहत के॰वि॰प्रा॰ द्वारा रियायती सीमाशुल्क प्रमाण-पत्र जारी कर दिया गया है। आयात संबंधी सरकारी नीति के अनुसार ही आयात किया है।

रेल यात्रा रियायत

1317. श्री कृष्ण लाल शर्मा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार प्रदान की गई रेल यात्रा रियायत क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान राजनेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, सक्षम व्यक्तियों, विकलांग और बीमार व्यक्तियों के लिए प्रदान किए गए रियायत पासों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार सक्षम व्यक्तियों के कोटे को कम करने और बीमार और विकलांग व्यक्तियों को रेल यात्रा रियायत प्रदान करने के लिए नए मार्ग निर्देश जारी करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) कोचिंग दर सूचियों में अंतर्विष्ट नियमों के अनुसार, विद्यार्थियों, खिलाड़ियों, अशक्त व्यक्तियों, रोगियों की कतिपय श्रेणियों, वरिष्ठ नागरिकों आदि जैसे व्यक्तियों की 38 कोटियों के लिए रेल किरायों में रियायत दी जाती है।

उपर्युक्त के अलावा, सामाजिक, शैक्षणिक तथा सांस्कृतिक महत्व के कुछ संगठनों के प्रतिनिधियों को वार्षिक सम्मेलनों में भाग लेने, कुछ शैक्षणिक संस्थानों के विद्यार्थियों तथा कुछ संगठनों के राष्ट्रीय एकता शिवरों में भाग लेने वाले व्यक्तियों के लिए भी तदर्थ आधार पर रियायत प्रदान की जाती थी। इन रियायतों की कुल संख्या निम्नानुसार थी :—

	1994	1995	1996
सम्मेलन	62	55	54
विद्यार्थी	22	24	8
राष्ट्रीय एकता शिवर	40	35	42

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग

1318. **श्री महेश कुमार एम॰ कनोडिया :**

श्री आर॰ साम्बासिबा राव :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सी॰ई॰आर॰सी॰) गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके उद्देश्य क्या हैं; और

(ग) केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग के कब तक कार्य शुरू करने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के॰ अलघ) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार प्रस्ताव को अंतिम रूप प्रदान कर रही है और यह प्रत्याशा की जाती है कि संसद के मानसून सत्र में एक विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा।

कनिष्ठ टेलीकॉम कर्मचारियों की भूमिका

1319. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 8 जुलाई, 1997 का नई दिल्ली से प्रकाशित "द बिजनेस स्टेंडर्ड" में "नोट क्रिकेट डर्टी ट्रिक्स आन द डर्ट ट्रैक द टेलीकॉम टैंगल" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसमें क्या तथ्य प्रकाशित किए गए हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

साउथ कॉनकोर्स और न्यू कोचिंग कॉम्पलैक्स में रेलवे खानपान विक्रय स्टॉल

1320. **श्री उद्धव बर्मन :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि साउथ कॉनकोर्स तथा हावड़ा रेलवे स्टेशन के न्यू कोचिंग कॉम्पलैक्स में कोई रेल खानपान विक्रय स्टॉल नहीं होने के कारण यात्री कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यात्रियों की मांगें अनधिकृत फेरी विक्रेताओं द्वारा पूरी की जाती हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार रेल के खर्चे पर ऐसी स्थिति बनाये रखने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो स्टेशन के साऊथ कॉनकोर्स की दीवार पर न्यू कोचिंग कॉम्पलैक्स तथा अन्य स्थानों पर कुछ स्टाल बनाने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) यात्रियों को शीतल पेय, मिनरल वाटर, चाय, काफी आदि सहित विभिन्न खाद्य पदार्थों की बिक्री चल प्लेटफार्म वेंडिंग के माध्यम से की जाती है। इसके अलावा, इमारत के प्रथम तल पर स्नैक बार और स्टालें भी लोकप्रिय हैं। यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ये सुविधाएं पर्याप्त हैं।

(ग) से (ङ) जी नहीं। स्टेशन परिसर से अनधिकृत फेरीवालों को हटाने के लिए नियमित जांचें की जाती हैं। दक्षिण कॉनको पर खानपान स्टाल और नए कोचिंग से काम्पलेक्स की व्यवस्था करना आवश्यक नहीं समझा गया है।

आठवीं योजना में विद्युत का उत्पादन

1321. **श्री दिनेश चन्द्र यादव :** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं योजना की समाप्ति तक देश में संस्थापित क्षमता के मुकाबले कुल कितनी पन बिजली और ताप विद्युत पैदा की है;

(ख) बिजली उत्पादन लागत में तुलनात्मक रूप से कितनी वृद्धि हुई है तथा परिणामतः देश में बिजली शुल्क में कितनी वृद्धि हुई है;

(ग) नौवीं योजनावधि के दौरान जल विद्युत और ताप विद्युत उत्पादन संबंधी अनुमान क्या है; और

(घ) मांग और पूर्ति के बीच अंतराल को कम करने के लिए बिजली उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करने के संबंध में सरकार द्वारा क्या रणनीति बनाई गयी है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के॰ अलघ) : (क) वर्ष 1996-97 के दौरान जनित कुल विद्युत के ब्यौरे तथा 31.3.97 (8वीं योजना के अंतिम वर्ष) की स्थिति के अनुसार प्रतिष्ठापित क्षमता नीचे दी गई है :—

श्रेणी	31.3.97 की स्थिति के अनुसार प्रतिष्ठापित क्षमता (मे॰वा॰)	विद्युत उत्पादन 1996-97 (मि॰यू॰)
ताप विद्युत	61,149.51	316869
जल विद्युत	21,658.08	68609

(ख) 31 मार्च, 1994 तथा 31 मार्च, 1996 की स्थिति के अनुसार 17 राज्य विद्युत बोर्डों के संबंध में विद्युत आपूर्ति की औसत लागत तथा उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों (विशिष्ट भार हेतु) से परिवर्तित औसत टैरिफ नीचे दी गई है :—

(पैसे/कि॰वा॰घ॰)

	31 मार्च, 1994 की स्थिति	31 मार्च, 1996 की स्थिति
आपूर्ति की औसत लागत	154.78	179.74
औसत टैरिफ :		
1. घरेलू (2 कि॰वा॰) 100 कि॰वा॰घ॰/मास	94.35	110.18
2. वाणिज्यिक (5 कि॰वा॰) 200 कि॰वा॰घ॰/मास	237.35	295.89
3. कृषि 10 अ॰श॰, 20% या॰गु॰	38.82	45.88
4. औद्योगिक (50 कि॰वा॰) 14600 कि॰वा॰घ॰/मास 40% या॰गु॰	176.23	215.06

(ग) योजना आयोग द्वारा गठित विद्युत कार्यकारी दल ने 9वीं पंचवर्षीय योजना के लिए 15वीं विद्युत शक्ति सर्वेक्षण रिपोर्ट में यथा प्रक्षेपित मांग को पूरा करने के लिए 57,735 मे॰वा॰ के एक क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम की संस्तुति की है जिसमें 17,411 मे॰वा॰ जल विद्युत तथा 39,444 मे॰वा॰ ताप विद्युत (गैस, डीजल आदि समेत) तथा 880 मेगावाट न्यूक्लीय क्षमता समाविष्ट हैं। 9वीं पंचवर्षीय योजना के लिए लक्ष्य को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

(घ) प्रक्षेपित मांग को पूरा करने के लिए सरकार ने विभिन्न उपाय किए हैं जिनमें अन्य बातों के अलावा ये समाविष्ट हैं—क्षमता अभिवृद्धि, विद्युत उत्पादन में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना, बेहतर मांग-पक्ष प्रबंधन, ऊर्जा संरक्षण उपाय, विद्यमान संयंत्रों का नवीकरण तथा आधुनिकीकरण, संचारण एवं वितरण हानियों में कमी लाना तथा अन्तर्क्षेत्रीय संयोजनों के माध्यम से अधिशेष क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों को विद्युत का अन्तरण करके उत्पादन का प्रभावी समुपयोजन।

पश्चिम बंगाल में नए टेलीफोन कनेक्शन

1322. श्री अनिल बसु : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पश्चिम बंगाल में नए टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जिलेवार और स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य में कुछ एक्सचेंजों का भी विस्तार/आधुनिकीकरण किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसके लिए चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कितना निवेश किए जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विदेशी निवेश से संबंधित प्रस्तावों को मंजूरी देना

1323. श्री एन॰एस॰वी॰ चित्‌यन : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से संबंधित स्वीकृति प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) स्वीकृति हेतु अब तक लंबित पड़े प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा किन-किन शर्तों को स्वीकार किया गया है;

(घ) भारतीय सहयोगियों के नाम क्या हैं;

(ङ) उत्पादन शुरू करने के लिए निर्धारित समय-सीमा क्या है; और

(च) इन परियोजनाओं द्वारा कुल कितनी विद्युत का उत्पादन किया जाएगा?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के॰ अलघ) : (क) से (घ) अगस्त, 1991 से मई, 1997 के दौरान विद्युत उत्पादन क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हेतु अनुमोदित विशिष्ट परियोजना प्रस्तावों का ब्यौरा

संलग्न विवरण-I में दिया गया हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हेतु इस समय स्वीकृति के लिए लम्बित विद्युत परियोजना प्रस्तावों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ङ) विद्युत उत्पादन को शुरूआत के लिए शर्त यह है कि अपेक्षित निवेश/लिंकेज सुनिश्चित कर दिए जाएं और आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त कर ली जाएं एवं परियोजनाओं की वित्तीय समापन की स्थिति प्राप्त कर ली जाए।

(च) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए अनुमोदित परियोजनाओं से उत्पादित विद्युत की कुल 20,047 मेगावाट की क्षमता द्वारा विद्युत उत्पादन हो सकता है।

विवरण-I

अगस्त, 1991 से मई, 1997 तक विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश हेतु अनुमोदित परियोजना प्रस्तावों का ब्यौरा

क्र॰सं॰	परियोजना का नाम	क्षमता (मेगावाट)	भारतीय कंपनी का नाम
1	2	3	4
1.	गोदावरी जीबीपीपी	208	स्पैक्ट्रम पावर जेनेरेशन लिमिटेड
2.	जेगरूपाडु जीबीपीपी	216	जीवीके इन्डस्ट्रीज लिमिटेड
3.	विशाखापट्टनम टीपीएस	1000	हिन्दुजा नेशनल पावर कार्पोरेशन लिमिटेड
4.	डाभोल टीपीएस	2015	डाभोल पावर कंपनी
5.	ईब वेली टीपीएस	420	एईएस ईब वेली पावर कार्पोरेशन
6.	जीरो यूनिट ऑफ एनएलसी	250	एसटी-सीएमएस इलेक्ट्रिक कंपनी
7.	मंगलौर टीपीएस	1000	मंगलौर पावर कंपनी
8.	भद्रावती टीपीएस	1072	सैंट्रल इंडिया पावर कंपनी लि॰
9.	पागुथन सीसीजीटी	655	गुजरात टोरेंट एनर्जी कंपनी
10.	पिलैपेरूमलनालूर	320	देना माकोस्की पावर लिमिटेड
11.	बैल्लेरी हास्पेट (टोरंगल्लू) टीपीएस	240	जिंदल ट्रेक्टबेल पावर कंपनी लि॰
12.	सागरडिग्घी टीपएस	1000	सागरडिग्घी पावर जेनेरेशन कंपनी लिमिटेड
13.	बकरेश्वर टीपीएस	420	बकरेश्वर पावर जेनेरेशन कंपनी लि॰
14.	गौरीपुर टीपीएस	150	गौरीपुर पावर कंपनी लि॰
15.	रोसा टीपीएस फेस-I	500	रोसा पावर सप्लाई कंपनी
16.	बालागढ़ टीपीएस	500	बालागढ़ पावर कंपनी लि॰
17.	बेसिन ब्रिज टीपीएस	200	जीएमआर वास्त्री पावर कार्पोरेशन लिमिटेड
18.	नॉर्थ मद्रास टीपीपी चरण-II	1050	विडियोकोन पावर लि॰
19.	भिलाई टीपीएस	500	भिलाई पावर सप्लाई कंपनी
20.	फिनोलैक्स टीपीएस	500	फिनोलैक्स एनर्जी कार्पोरेशन
21.	कोरबा ईस्ट टीपीएस	1070	देबू पावर (इंडिया) लि॰
22.	पेंच टीपीएस	420	पेंच पावर लिमिटेड
23.	सांघीपुरम में टीपीएस	60	आईबीआईएल एनर्जी लि॰
24.	बीना टीपीएस	578	बीना पावर सप्लाई लिमिटेड
25.	महेश्वर एचईपी	400	श्री महेश्वर हाइडल पावर कंपनी लिमिटेड

1	2	3	4
26.	लापंगा टीपीएस	500	समालाई पावर (लापंगा) कंपनी लिमिटेड
27.	नरसिंहपुर टीपीएस	166	जीबीएल पावर लिमिटेड
28.	पीनया टीपीएस	100	पीनया पावर कंपनी लि॰
29.	यमुना नगर टीपीएस	700	यमुना नगर पावर कंपनी
30.	पाताल गंगा टीपीएस	410	रिलायंश (पाताल गंगा) पावर लि॰
31.	कैप्टिव टीपीएस	240	मैस्को इंडेक पावर कार्पोरेशन
32.	मैसर्स ग्रीन व्यू पावर प्रोजेक्ट लि॰ का टीपीएस	12	ग्रीन व्यू पावर प्रोजेक्ट लि॰
33.	टीपीएस कोसीकलां	355	मैसर्स वासन एक्सपोर्ट
34.	नंजुनगुड टीपीएस	100	आईपीएस पावर कंपनी
35.	जोधपुर/पाली जिले में 40 मेगावाट क्षमता के 2 विद्युत संयंत्र	80	मैसर्स एसटी पावर सिस्टम लि॰
36.	जोधपुर/जालौर जिले में 40 मे॰वा॰ क्षमता के 2 विद्युत संयंत्र	80	टीएफ एंड मैनेजमेंट सर्विस कार्पो॰
37.	नापथा आधारित संयंत्र	100	इंडोकॉल पावर वेन्चर्स लिमिटेड
38.	तनीर बावी में बार्ज माउंटिड संयंत्र	170	एसईए कार्पोरेशन
39.	बहुईंधन आधारित विद्युत संयंत्र	130	यूरो केपिटल एजी
40.	बंगलौर में विद्युत संयंत्र	500	पुलाकेसी पावर कंपनी
41.	कुम्ता बार्ज माउंटिड	110	कॉडिया एनर्जी सिस्टम प्रा॰लि॰
42.	नॉर्थ मद्रास टीपीपी चरण–3	500	त्रि–शक्ति एनर्जी प्रा॰लि॰
43.	रायगढ़ टीपीपी	550	जिंदल पावर लि॰
44.	डुबरी टीपीएस	500	कलिंग पावर कार्पोरेशन

विवरण–II

इस समय स्वीकृति के लिए लंबित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश हेतु विद्युत परियोजना प्रस्तावों का ब्यौरा

क्र॰सं॰	परियोजना का नाम	क्षमता (मे॰वा॰)	आवेदक कंपनी का नाम
1.	झाबुआ	360	मै॰ जनरल मैडिटेरियन होलिडंग कंपनी
2.	कोंडापल्ली सीसीपापी	355	मै॰ कोंडापल्ली पावर कार्पोरेशन–2
3.	हनुमान गढ़ में नापथा आधारित परियोजना	150	मै॰ पीराज पावर जेनरेशन लि॰
4.	रतलाम में तरह ईंधन आधारित परियोजना	118.6	मै॰ जीवीके पावर (रतलाम) लि॰
5.	तटीय आंध्र प्रदेश में 100–100 मे॰वा॰ के दो बार्ज माउंटेड विद्युत संयंत्र	200	मै॰ ओकवेल इंजीनियरिंग लि॰
6.	वेम्बर विद्युत परियोजना	2000	मै॰ मौर्य होल्डिंग लि॰

ट्रॉलियों की आवाजाही

1324. श्री अजय मुखोपाध्याय : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हावड़ा स्टेशन के पुराने कॉम्पलैक्स के साऊथ कॉनकोर्स तथा न्यू कोचिंग कॉम्पलैक्स में प्राइवेट बुक स्टॉलों तथा ट्रॉलियों को तो इन स्थानों पर आवाजाही की अनुमति प्राप्त है तथा इन पर कोई प्रतिबंध नहीं है जबकि विभागीय खानपान व्यवस्था के अंतर्गत फेरी लगाकर सामान बेचने अथवा ट्रॉलियों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार इस व्यवस्था संबंधी आदेश वापिस लेने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो हावड़ा स्टेशन के उन क्षेत्रों में विभागीय खानपान के खर्चे पर प्राइवेट स्टालों तथा ट्रॉलियों को वहां अनुमति देने के क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (घ) इन क्षेत्रों में भीड़-भाड़ के स्तर को कम करने के लिए ट्रालियों के संचलन पर प्रतिबंध लगाना एक व्यवस्था है। यात्रियों के निर्बाध संचलन हेतु स्थान बनाने के लिए साऊथ कनकोर्स से कुछ वेंडिंग स्टॉलों को हटा दिया गया है। बुक स्टॉलों, कैमिस्ट स्टॉलोंतथा विविध स्टॉलों को बने रहने की अनुमति दी गई है।

रेल कमीशन विक्रेता

1325. श्री बसुदेव आचार्य : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि रेल कमीशन विक्रेताओं की हावड़ा स्टेशन पर मिनी मार्किट के अंदर गुटबाजी हो गई और साउथ कोनकोर्स से उक्त मार्किट में उनके स्टालों को बदलने के पश्चात उनकी रोजी छिन गई है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने कमीशन विक्रेता हैं जिनकी रोजी छिन गई है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान उन कमीशन विक्रेताओं की (जगह बदलने से पूर्व तथा बाद में) विक्रेता-वार प्रतिमाह पूर्व तथा वर्तमान आय कितनी थी; और

(घ) मार्किट से संलग्न कोनकोर्स की दीवार पर स्टालों को बदलकर उनकी आय में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी, हां।

(ख) चार

(ग) वेंडर स्टाल मार्च, 1997 में ही शिफ्ट किए गए हैं। पिछले वर्ष की तुलना में मार्च से जून, 1997 तक की आमदनी संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) उत्तरी कनकोर्स में दैनिक यात्रियों के बढ़ते हुए रुख से आमदनी में सुधार होगा।

विवरण

आमदनी

अवधि	सिगरेट स्टाल सं॰ 3	शीतल पेय स्टाल सं॰ 7	शीतल पेय स्टाल सं॰ 9	टी स्टाल सं॰ 17
	रु॰	रु॰	रु॰	रु॰
		मार्च 1997 में स्टालों को शिफ्ट किए जाने के बाद		
मार्च, 1997	3,906.00	3,811.00	5,995.00	2,526.00
अप्रैल, 1997	2,273.00	4,233.00	5,798.00	2,504.00
मई, 1997	3,031.00	8,138.00	7,772.00	2,893.00
जून, 1997	1,119.00	6,816.00	6,441.00	2,720.00
		1996 के तदनुरूपी महीनों (शिफ्ट करने से पहले) के दौरान आमदनी		
मार्च, 1996	8,738.00	6,093.00	9,423.00	6,687.00
अप्रैल, 1996	8,632.00	5,603.00	10,272.00	5,829.00
मई, 1996	11,734.00	8,086.00	12,768.00	8,586.00
जून, 1996	9,619.00	6,604.00	10,407.00	7,875.00

पुरुषों द्वारा महिला यात्री डिब्बों का दुरुपयोग

1326. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुरुषों द्वारा महिलाओं के डिब्बों का दुरुपयोग किए जाने के बारे में महिला यात्रियों की ओर से कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में, "राष्ट्रीय महिला आयोग" ने कोई अभ्यावेदन दिया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

नई रेल परियोनाएं

1327. श्री पवन दीवान : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्त वर्ष और नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मध्य प्रदेश में जिन नई रेल परियोजनाओं संबंधी निर्माण कार्य आरंभ किये जायेंगे उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) इन परियोजनाओं पर व्यय होने वाली कुल धनराशि क्या है और प्रत्येक परियोजना की अनुमानित लागत क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं को कब तक पूरा किया जायेगा?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) चालू वित्त वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश में निम्नलिखित नई परियोजनाएं शुरू किए जाने की संभावना है :—

नई लाइनें

1. ललितपुर - सतना और रीवा - सिंगरौली
2. बिश्रामपुर - अम्बिकापुर

नौवीं पंचवर्षीय योजना के शेष वर्षों में शुरू की जाने वाली संभावित परियोजनाएं ज्ञात नहीं है।

(ख) और (ग) ब्यौरा इस प्रकार है :—

	परियोजना का नाम	1997-98 के दौरान खर्च की जाने वाली कुल संभावित राशि	प्रत्याशित लागत (करोड़ रु॰ में)	पूरा करने का लक्ष्य
1.	ललितपुर-सतना और रीवा-सिंगरौली	0.01	925	राज्य सरकार से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त हो जाने तथा भूमि उपलब्ध हो जाने के बाद कार्य शुरू किया जाएगा।
2.	बिश्रामपुर-अम्बिकापुर	0.10	40	राज्य सरकार से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त हो जाने तथा भूमि उपलब्ध हो जाने के बाद कार्य शुरू किया जाएगा।

बिहार में टेलीफोन सुविधा

1328. श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा बिहार के सभी पंचायतों और थानों में टेलीफोन सुविधा प्रदान की गयी है अथवा प्रदान किये जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और ये सुविधाएं कब तक प्रदान की जायेंगी?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) से (ग) सरकार ने ग्राम पंचायतों सहित सभी ग्रामों को टेलीफोन सुविधा प्रदान करने संबंधी नीति बनाई है। पुलिस स्टेशनों और पंचायत कार्यालयों में टेलीफोन प्रदान करने संबंधी कोई नीति नहीं है लेकिन उन्हें मांग के आधार पर यह सुविधा प्रदान की जाती है। तथापि, कुछ मामलों में पंचायत कार्यालयों में भी ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन लगाये जाते हैं, क्योंकि पंचायत कार्यालय उन स्थानों में से एक हैं जहां ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन संस्थापित किये जाते हैं।

[अनुवाद]

अहमदनगर-बीड-परली-बैजनाथ रेल लाइन के लिए सर्वेक्षण

1329. श्री सुरेश आर॰ जादव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में 90 किलोमीटर के अहमदनगर-बीड-परली-बैजनाथ लाइन के लिए स्थान के चयन के संबंध में अंतिम रूप से सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है;

(ख) क्या यह सर्वेक्षण कार्य आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति की स्वीकृति न मिलने के कारण लंबित है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा पूरी परियोजना के लिए स्थान के चयन के संबंध में अंतिम सर्वेक्षण को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी नहीं। सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया है।

(ग) सर्वेक्षण में तेजी लाने के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था की गई है। बहरहाल, 275 कि॰मी॰ लम्बी नई लाइन हेतु अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण में समय लगेगा क्योंकि इसमें क्षेत्र परीक्षण और इंजीनियरिंग तथा यातायात आंकड़े एकत्र करने के लिए काफी धनराशि अन्तर्निहित है।

[हिन्दी]

दूरदर्शन कैमरामैन की भर्ती

1330. **श्री सुशील चन्द्र** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने वर्ष 1995 में संघ लोक सेवा आयोग से दूरदर्शन कैमरामैन के पद पर भर्ती करने के लिए अनुरोध किया था;

(ख) क्या उक्त आयोग ने इस संबंध में विज्ञापन जारी किया था; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस॰ जयपाल रेड्डी) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) आयोग ने दिनांक 28.10.1995 को प्रमुख समाचारपत्रों और रोजगार समाचार में इस पद का विज्ञापन दिया था। आयोग ने सूचित किया है कि सितम्बर, 1997 तक इस मामले में अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है।

विश्व बैंक की सहायता से उत्तर प्रदेश में संपर्क सड़कों का निर्माण

1331. **श्री अशोक प्रधान** : क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने विश्व बैंक की सहायता से राज्य में मूलभूत ढांचे के विकास के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रस्तावित योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के गांवों में तीन वर्ष के भीतर संपर्क सड़कों का निर्माण कर दिया जाएगा; और

(ग) यदि हां, तो उपरोक्त प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडू) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

पेटेंट कानूनों में संशोधन

1332. **श्री ए॰ सम्पत** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी सरकार विज्ञान और प्रौद्योगिकी समझौता संबंधी औपचारिक वार्ता आरम्भ करने से पूर्व भारत पर पेटेंट कानूनों में संशोधन करने का दबाव डाल रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इससे देश की प्रभुसत्ता पर अतिक्रमण होता है; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस मुद्दे को विश्व व्यापार संगठन में उठाने का है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के॰ अलघ) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

हावड़ा से टिकियापाड़ा तक रेलगाड़ी

1333. **श्री महबूब जहेदी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी रेलवे के "टिकियापाड़ा" यार्ड में कुल कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या उन कर्मचारियों को हावड़ा से टिकियापाड़ा तक आने जाने के लिए शटल ट्रेन सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

(ख) और (ग) जी नहीं। परिचालनिक और तकनीकी कठिनाई के कारण।

फेरी वालों को लाइसेंस

1334. **श्री बादल चौधरी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हावड़ा रेलवे स्टेशन से कितने फेरीवालों को फेरी लगाने के लिए लाइसेंस दिए गए हैं;

(ख) क्या सरकार इससे परिचित है कि फेरी लगाने के बजाय ये फेरीवाले प्लेटफार्म तथा स्टेशन पर अन्य स्थानों पर बैठे रहते हैं जिससे यात्रियों की आवाजाही तथा विभागीय ट्रॉली के आवागमन में बाधा पहुंचती है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) हावड़ा रेलवे स्टेशन पर निजी लाइसेंसधारियों द्वारा लगाए गए 67 वेंडर कार्य कर रहे हैं।

(ख) और (ग) जी, हां। यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए गए हैं कि ये वेंडर यात्रियों के संचलन को प्रभावित न करें। इसमें उत्तरी कंकोर्स में कुछ वेंडरों को शिफ्ट करना भी शामिल है परन्तु कुछ वेंडरों ने न्यायालय में मुकदमा दायर कर दिया है और मामला न्यायाधीन है।

छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से रेलगाड़ियां चलाना

1335. **श्री राम नाईक :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोंकण क्षेत्र की सभी रेलगाड़ियों को छत्रपति शिवाजी टर्मिनल (सी॰एस॰टी॰) से चलाये जाने के लिए जनता की मांग के बारे में जानकारी है;

(ख) कुर्ला टर्मिनल से चलने वाले यात्रियों को हो रही दिक्कतों का ब्यौरा क्या है जैसाकि यात्रियों ने विस्तार पूर्वक बताया है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (ग) कोंकण रेलवे की सभी गाड़ियों को या तो दादर या छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुम्बई से शुरू करने के संबंध में कई मांगें प्राप्त हुई हैं। के॰आर॰–3/के॰आर॰–4 पैसेंजर दादर से तथा के॰आर॰–0111/के॰आर॰–0112 एक्सप्रेस पहले ही कुर्ला (टर्मि॰) से चलती हैं। मुम्बई क्षेत्र में बढ़ती हुई मांगों को देखते हुए, रेलों को कुर्ला, बान्द्रा आदि जैसे नए टर्मिनलों का विकास करना पड़ा था क्योंकि छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुम्बई और मुम्बई सेन्ट्रल पर सुविधाएं पूरी तरह से संतृप्त हैं। कोंकण रेलवे की सभी गाड़ियों को छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुम्बई तक बढ़ाने की संभाव्यता की जांच की गई है परन्तु छत्रपति शिवजी टर्मिनल मुम्बई पर टर्मिनल संबंधी कठिनाइयों सहित परिचालनिक कठिनाइयों के कारण इसे व्यावहारिक नहीं पाया गया है। कुर्ला एक नया टर्मिनल है जिसका अभी विकास किया जा रहा है और इसलिए वहां कुछ कमियां हैं जिन्हें रेलें ठीक करने का प्रयास कर रही हैं।

ई॰एम॰यू॰ सेवा की बारंबारता में वृद्धि

1336. **श्री हन्नान मोल्लाह :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दक्षिण पूर्व रेल के हावड़ा–बड़गछिया सेक्शन में ई॰एम॰यू॰ सेवा की बारंबारता में वृद्धि करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार संतरागाछी तथा बड़गछिया के बीच शटल सेवा शुरू करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बिहार में दूरदर्शन रिले केन्द्र

1337. **श्री ललित उरांव :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के गुमला और लोहरदग्गा जिला मुख्यालयों में स्थापित किए जा रहे दूरदर्शन रिले केन्द्रों का निर्माण कार्य पूरा हो गया है;

(ख) कया आवश्यक उपकरणों की आपूर्ति कर दी गयी है और वहां तकनीशियनों/कर्मचारियों को तैनात कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो उक्त केन्द्र कब तक कार्य करना आरंभ कर देंगे; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस॰ जयपाल रेड्डी) : (क) जी, हां।

(ख) दोनों अल्प शक्ति टेलीविजन ट्रांसमीटरों के लिए उपस्कर उपलब्ध कराने के साथ-साथ उपर्युक्त ट्रांसमीटरों पर अधिकांश स्वीकृत पदों पर स्टाफ की तैनाती भी कर दी गई है।

(ग) लोहरदग्गा और गुमला स्थित अल्प शक्ति ट्रांसमीटर पहले ही अक्तूबर, 1994 और दिसम्बर, 1994 से चालू हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

गुजरात में स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता

1338. श्री काशीराम राणा : क्या ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वैच्छिक संगठनों को "कपार्ट" के द्वारा सहायता दी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो गुजरात स्थित ऐसे स्वैच्छिक संगठनों के नाम क्या हैं;

(ग) उन संगठनों का ब्यौरा क्या है जिनके कार्यकरण के खिलाफ शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) सरकार द्वारा ऐसे संगठनों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडू) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1996-97 के दौरान कपार्ट से सहायता प्राप्त गुजरात के स्वैच्छिक संगठनों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया हैं।

(ग) और (घ) कपार्ट को उसके द्वारा स्वीकृत परियोजना को कार्यान्वित न करने के संबंध में आधार सेवा केन्द्र, देदीपाड़ा, भड़ूच जिले के विरुद्ध एक शिकायत प्राप्त हुई है। कपार्ट ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं।

विवरण

वर्ष 1996-97 के दौरान कपार्ट से सहायता प्राप्त गुजरात राज्य के स्वैच्छिक संगठनों का ब्यौरा

1. खानडानिया ग्राम परस्पर सहयोगी मंडल,
   महिला विभाग, आनंद निकेतन आश्रम
   ग्राम : रंगपुर, वाया बोडेली
   जिला : बडोदरा (गुजरात)
2. सृजन हस्तशिल्प केन्द्र,
   जी॰ई॰बी॰ सब स्टेशन के पीछे,
   भूजोड़ी, जिला कच्छ
3. सौराष्ट्र आर्थिक विकास केन्द्र
   104, सुविधा परिसर, तालब गेट
   जूनागढ़, जिला जूनागढ़
4. ग्राम्य विकास ट्रस्ट
   सी-1/20, इन्द्रदीप सोसाइटी
   न्यू विकास गृह के सामने
   जिला जामनगर
5. श्री विवेकानंद अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान
   डाकघर-मांडघ, जिला-कच्छ
6. इंटरनेशनल रुरल एडुकेशन एंड कलचरल
   "इनरेका" काम्पलैक्स राजपीपला रोड़, देदीपाडा
   जिला भड़ूच
7. पांडु मेवात विकास एजेंसी
   डाकघर कालावा, तहसील सावली
   जिला-बड़ौदा
8. आगा खान ग्रामीण सहायता कार्यक्रम
   च्वाइस प्रेमिसिस, स्वास्तिक क्रॉस रोड़
   नवरंगपुरा, जिला-अहमदाबाद
9. एसिल नवसृजन ग्रामीण विकास फांउडेशन
   वलुकड़, तालुक पालिताना, जिला-भावनगर
10. आदिवासी एकता विकास मंडल
    मोधारी, डाकघर बौखरा तालुक विजय नगर
    जिला-साबरकंठा
11. श्री अरबुदा खादी ग्रामोद्योग विकास मंडल
    डाकघर मलासा, जिला-साबरकांठा
12. नव ग्राम परस्पर सहयोगी मंडल
    डाकघर-नवग्राम, तालुक-नवसारी
    जिला-बड़ोदरा
13. प्रफुल्ल खादी ग्रामद्योग संघ
    सोनर कुई, शंकर भवन, धोलका
    जिला-अहमदाबाद
14. सहयोगी खादी ग्रामोद्योग ट्रस्ट
    2/एफ/सी, मंगल तीरथ टावर-ए, धर्नी धर देरासर के पास,
    जिला-अहमदाबाद
15. भाल नालकांठा विकास परिषद
    गांधीवास संख्या 1, ओ॰एन॰जी॰सी॰ साबरमती
    जिला-अहमदाबाद (गुजरात)
16. पूज्य बापू खादी ग्रामोद्योग संघ
    बी-10, गुर्जररतना अपार्टमेंट मगनपुरा
    राधास्वामी रोड़, रानीप
    जिला-अहमदाबाद
17. डा॰ अम्बेडकर खादी ग्रामोद्योग संघ
    न्यू मंजुश्री मिल चाल, बलिया लिमडी चार रास्ता
    सिविल रोड़, जिला-अहमदाबाद
18. विनय केलवानी ट्रस्ट,
    डाकघर-भिलोडा
    जिला-साबरकांठा
19. भारत यात्रा केन्द्र
    पुरानी मौजदा रोड़
    ग्राम/डाकघर-डेडिया पाड़ा
    जिला-भडौच

20. मानव कल्याण ट्रस्ट
जिला–वलसाड़

21. जाब ग्राम परस्पर संयोगी मंडल
जाब डाकघर सानकेड़ा
जिला–बडोदरा

22. आनंद तालुक युवक मंडल संघ
डाकघर/तालुक आनंद,
जिला खेड़ा

23. सर्वोदय आरोग्य केन्द्र और प्रसूति गृह
डाकघर पालनपुर,
जिला बनासकांठा
गुजरात

24. श्री गायत्री खादी महिला ग्रामोद्योग संघ
डाकघर मालासा, तालुक भिलोडा
जिला साबरकांठा (गुजरात)

25. श्री बड़ाडा केलवानी मंडल
डाकघर बड़ाडा, मुहवा सावरकुंडला रोड़,
तालुक–सावरकुडंला,
जिला–भावनगर

26. सौराष्ट्र रचनात्मक समिति
दरबार गोपालदास स्मारक भवन,
राष्ट्रीय स्कूल कम्पाउंड
जिला राजकोट

27. नव चेतन युवक मंडल
डाकघर–धमानिया, तालुक बयाड़
जिला–साबरकांठा

28. संत विनोबा ग्राम स्वराज आश्रम
ग्राम–कविथा, तहसील–दोलका,
जिला–अहमदाबाद

29. लोक विज्ञान सेवा संघ
खेदुत सहकारी जिन लि॰ स्टेशन रोड, व्यारा,
जिला–सूरत

30. सर्राफ्स फाउण्डेशन ट्रस्ट
ग्राम/पोस्ट–कलाली, तहसील/जिला–वड़ोदरा,
गुजरात

31. भेवेश ग्राम विकास मंडल
ग्राम–दलपुर, तालुक–प्रनसिज,
जिला–साबरकांठा,
गुजरात

32. मालधारी सेवा संघ
मोटा रनबारीवाड़ा, खारा कुआं, पोस्ट–दोलका,
जिला–अहमदाबाद

33. चामुण्डा खादी ग्रामोद्योग मंडल
ग्राम–बिरपुर, पोस्ट–मुण्डी, तहसील दोलका

34. श्री बलवीर खादी सेवा समाज मंडल
डा॰ अम्बेडकर नगर, पेजलपुर, मकर्वा रोड,
मकर्वा, जिला–अहमदाबाद

35. श्रमिक विकास संस्थान
श्रम साधना बिल्डिंग, प्रथम तल,
पुलिस मैदान के सामने, रावपुरा,
जिला–बडौदा

36. गुजरात श्रमिक ग्रामोद्योग मंडल
ग्राम/पोस्ट–मोती हिरवानी, तहसील–खेरालु,
जिला–मेहसाना

37. लवरिया विभाग ग्राम विकास मंडल
ग्राम–लवरिया, पोस्ट–कान्तु, तहसील–देवगढ़ बरिया,
जिला–पंचमहल

38. ग्राम शक्ति श्रमजीवी संगठन
एफ–6, पुण्य श्री, काशीराम हाल के पास, अतारा रोड,
जिला–अहमदाबाद

39. सेवा रूरल
ग्राम/पोस्ट–झगड़िया,
जिला–भरौच

40. उत्थान डेवलपमैन्ट प्लानिंग टीम
36, चित्रकूट टवीनूस, मैनेजमेन्ट इन्कलेव के पास,
वस्त्रपुर, जिला अहमदाबाद

41. ब्लाइण्ड मेन एसोशिएसन
डा॰ विक्रम साराभाई रोड, वस्त्रपुर,
जिला–अहमदाबाद

42. कच्छ विकास ट्रस्ट
सेन्ट जेवियर्स स्कूल, भुज,
जिला–कच्छ (गुजरात)

43. सेन्टर फार इनवायरनमेन्ट इजुकेशन नेहरू फाउण्डेशन
थलतल टेकरा, जिला–अहमदाबाद

44. डेवलपमेन्ट सपोर्ट सेन्टर
2, प्रकृति अपार्टमेन्ट, रेड रोज रेस्टोरेन्ट के सामने,
नवरंगपुर, जिला अहमदाबाद

45. श्री कुण्डला तालुक ग्राम सेवा मंडल
रामकृपा, ग्राम सेवा हिउ॰ सोसायटी, मि॰एस॰टी॰ डिपो,
महुबा रोड, साबरकुण्डवा, जिला भावनगर

46. देहगम विकास योजना
अहमदाबाद

47. जी ए आई एफ डेवलपमेन्ट रिसर्च फाउण्डेशन
वलसाड

48. फिल्ड मार्शल फाउण्डेशन ट्रस्ट
राजकोट

49. सेवा
अहमदाबाद

50. सर्वोदय रचनात्मक संघ
गुण्डी

51. श्री नवजीवन खादी ग्रामोद्योग संघ
सुरेन्द्रनगर

52. ईश्वर खादी ग्रामोद्योग संघ
सावरवांडा

53. सर्वोदय केन्द्र
वनासकांठा

54. कुन्दनपुर ग्राम प्रसार सहायोगी मंडल
कुन्दनपुर

55. सारथी
पंचमहल

56. मानव कल्याण ट्रस्ट
सूरत

57. नेशनल रूरल डेवलपमेन्ट ग्रुप
अहमदाबाद

58. अस्मिता संवर्द्धन ट्रस्ट
राजकोट

59. श्री भल विकास संघ क्षेत्र
दोलका

60. श्री सद्भाव खादी ग्रामोद्योग संघ
संदुका

61. इण्डियन काउन्सिल फार ट्रेनिंग एण्ड डेवलपमेन्ट
खेड़ा

62. मानव कल्याण ट्रस्ट
सूरत

63. ग्राम शक्ति श्रमजीवनी
अहमदाबाद

64. ग्राम लक्ष्मी
अहमदाबाद

65. कच्छ महिला विकास संस्था
कच्छ

66. गुजरात ग्राम भारती
कच्छ

67. शक्ति प्रतिष्ठान
कच्छ

68. रूरल डेवलपमेन्ट फाउण्डेशन
कच्छ

69. ममता केन्द्र
मेहसाना

70. लोक जागृति युवक मंडल
साबरकांठा

71. श्री बोदियार विकास युवक संघ
मेहसाना

72. श्री नवयुवक मंडल
वलसाड

73. सद विचार परिवार
इदर

74. दि नवजागृति युवक केन्द्र संस्थान
साबरकांढा

75. श्री अर्बुदा खादी ग्रामोद्योग मंडल
साबरकांठा

76. श्री बधियार खादी ग्रामोद्योग संघ
मेहसाना

77. श्री स्वामी विवेकानन्द युवक मंडल
कच्छ

78. श्री ग्राम विकास मंडल
मेहसाना

79. भल नलकंठ संघ क्षेत्र समिति
अहमदाबाद

80. भल नलकंठ प्रायोगिक संघ
अहमदाबाद

81. अहमदाबाद जिला ग्राम विकास ट्रस्ट
अहमदाबाद

82. इन्सटिट्यूट फार स्टडिंग एण्ड ट्रांसफौरमेन्टिंग
अहमदाबाद

[अनुवाद]

टाटा कम्यूनिकेशन्स

1339. श्री आर॰ साम्बासिवा राव : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टाटा कम्युनिकेशन्स लिमिटेड (टी॰सी॰एल॰) "सर्किल-वाईड" लाइसेंस धारकों के बीच सेल्युलर सेवा शुरू करने वाली प्रथम कंपनी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या कंपनी ने दो शहरों हैदराबाद तथा सिकंदराबाद में यह सेवा दिनांक 13 दिसम्बर, 1996 को शुरू की है;

(ग) क्या कंपनी द्वारा की गई व्यापारिक शुरूआत में विलंब डी॰ओ॰टी॰ के प्रौद्योगिकी आकलन केन्द्र में इसके नेटवर्क की विलंब से दी गई मंजूरी है;

(घ) यदि हां, तो क्या हैदराबाद सेल्यूलर सेवायुक्त देश का पांचवां शहर हो गया है;

(ङ) देश के सभी शहरों में कब तक सेल्यूलर सेवाएं प्रदान कर दिए जाने की संभावना है;

(च) क्या टी॰सी॰एल॰ अपने उपभोक्ताओं को तीन प्रकार के शुल्क ढांचे की सुविधा उपलब्ध करा रही है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) मै॰ टाटा कम्युनिकेशन द्वारा 11 दिसंबर, 1996 को हैदराबाद और सिकंदराबाद में वाणिज्यिक रूप से सेल्यूलर सेवा की शुरूआत की गई थी।

(ग) कंपनी ने अपने सेल्यूलर नेटवर्क के परीक्षण के लिए दूरसंचार इंजीनियरी केन्द्र (टी ई सी) में 23.10.96 को अपना अनुरोध दर्ज किया था और टी ई सी द्वारा 29.11.96 को इसका "क्लियरेंस" जारी कर दिया गया था। इस बात पर विचार करते हुए कि सर्किल सेल्यूलर नेटवर्क का यह पहला परीक्षण था, टी ई सी द्वारा इस कार्य में लगाया गया समय युक्तिसंगत प्रतीत होता है।

(घ) दूरसंचार सर्किलों में हैदराबाद ही इस तरह का पहला शहर है, जहां वाणिज्यिक रूप से सेल्यूलर सेवा की शुरूआत की गई थी।

(ङ) 20 दूरसंचार प्रादेशिक सर्किलों में से 18 सर्किलों हेतु सेल्यूलर सेवा के लिए लाइसेंस प्रदान किए जा चुके हैं। लाइसेंसों की शर्तों के अनुसार लाइसेंसधारक कंपनियों को, लाइसेंस की प्रभावी तारीख से 3 वर्ष के भीतर कम से कम 50 प्रतिशत जिला मुख्यालयों में यह सुविधा प्रदान करनी होगी।

(च) और (छ) टी॰सी॰एल॰ एयर टाइम दरों के तीन स्तरीय निम्न ढांचे की पेशकश कर रहा है जिसमें ज्यादा प्रयोग करने वाले उपभोक्ताओं को छूट दी जाती है।

(1) परियात के व्यस्ततम घण्टों के दौरान	- 16.80 रु॰ प्रति मिनट
(2) परियात के सामान्य घंटों के दौरान	- 8.40 रु॰ प्रति मिनट
(3) परियात के व्यस्ततम घंटों के बाद	- 4.20 रु॰ प्रति मिनट

हावड़ा में विक्रेय कमरे

1340. श्री बलाई चन्द्र राय : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यात्री सुविधाओं के रूप में हावड़ा में विश्राम गृहों तथा रेल यात्री निवास के लिए कुल कितने विक्रेय कमरे उपलब्ध हैं तथा "न्यू कोचिंग कॉम्पलैक्स" नोर्थ कोनकोर्स (तीसरी मंजिल) में ऑल्ड कॉम्पलैक्स स्थित अधिकारी विश्राम गृह तथा साउथ कोनकोर्स (पहली मंजिल) में अधिकारी विश्राम गृह में केवल अधिकारियों के लिए कुल कितने कमरे आबंटित किये गये हैं;

(ख) क्या सरकार यात्रियों के लिए और अधिक कमरे उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) ब्यौरा इस प्रकार है :—

विश्राम गृह में स्थान : बेड की सं॰	= 16
रेल यात्री निवास :	
वातानुकूलित दो बेड वाले	= 8 (कुल 16 बेड)
गैर-वातानुकूलित दो बेड वाले	= 14 (कुल 28 बेड)
5 बेड वाली डारमिटरी 5 कमरे	= (कुल 25 बेड)
गैर वातानुकूलित 3 बेड वाले 6 कमरे	= (कुल 18 बर्थ)
सात बेड वाले 4 कमरे	= (कुल 28 बेड)

नार्थ कॉनकोर्स के पुराने परिसर (तृतीय तल) पर अधिकारियों के विश्राम कक्ष में स्थान

गैर वाता॰ 2 बेड वाले कमरे	= 10
2 बेड वाले कमरे	= 2
पू॰सी॰ रेल के लिए 2 बेड वाले कमरे	= 2
हावड़ा मंडल के लिए 2 बेड वाले कमरे	= 6

साऊथ कॉनकोर्स पर अधिकारियों के विश्राम कक्ष (प्रथम तल)

गैर वाता॰ विश्राम कक्ष	= 4
वातानुकूलित विश्राम कक्ष	= 2

न्यू कोचिंग काम्पलैक्स पर अधिकारियों के विश्राम कक्ष

तृतीय तल पर गैर वाता॰ 2 बेड वाले कमरे	= 14
चतुर्थ तल पर गैर वा ॰ 2 बेड वाले कमरे	= 14
चतुर्थ तल पर 2 बेड वाले वाता॰ विश्राम कक्ष	= 12

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) यात्रियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए मौजूदा व्यवस्था को पर्याप्त समझा जाता है।

[हिन्दी]

संचार विभाग में नियुक्तियां

1341. **श्री एन॰जे॰ राठवा :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक इस मंत्रालय के विभागों/उपक्रमों में कुल कितनी नियुक्तियां की गई;

(ख) उपरोक्त नियुक्तियों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की संख्या कितनी है;

(ग) मंत्रालय के विभागों/उपक्रमों में इस समय अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों की संख्या कितनी है; और

(घ) इन आरक्षित पदों को कब तक भर दिए जाने की सम्भावना है और इन्हें भरने में हुए विलम्ब के क्या कारण हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

आमान परिवर्तन

1342. **श्री ए॰जी॰एस॰ रामबाबू :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चेन्नई और मदुरई के बीच छोटी रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदलने का कार्य किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो परियोजना इस समय किस स्थिति में है और बड़ी लाइन पर उक्त मार्ग को यातायात के लिए कब तक खोल दिया जाएगा?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी हां।

(ख) चेन्नई–तिरुच्चिरापल्लि और तिरुच्चिरापल्लि–दिंडीगुल खंडों पर आमान परिवर्तन का कार्य पूरे जोरों पर है। फिलहाल इन निर्माण कार्यों के पूरा होने का लक्ष्य क्रमशः मार्च, 98 और दिसंबर, 98 है। दिंडीगुल और मदुरै पहले से ही बड़ी लाइन से जुड़े हुए हैं।

लकड़ी के बने स्लीपरों की आपूर्ति

1343. **प्रो॰ अजित कुमार मेहता :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज और धातु व्यापार निगम लिमिटेड (एम॰एम॰टी॰सी॰) और नागालैंड वन सहकारी समिति को लकड़ी के बने स्लीपरों की भारी संख्या में आपूर्ति हेतु क्रयादेश दिए गए हैं जबकि इनके 2000 से अधिक सेट विभिन्न कारखानों में तैयार रखे हैं तथा इतने ही सेट देश के विभिन्न रेल यार्डों में पड़े हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इन फर्मों को दिए गए इन क्रयादेशों का ब्यौरा इनकी लागत क्या है;

(ग) क्या एम॰एम॰टी॰सी॰ और नागालैंड वन सहकारी समिति दोनों स्लीपरों की आपूर्ति के लिए कमीशन प्राप्त करने वाले एजेंट हैं तथा 1993 में रेलवे ने एम॰एम॰टी॰सी॰ को काली सूची में डाल दिया था; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने किन बातों को ध्यान में रखते हुए काली सूची में शामिल फर्म को क्रयादेश दिए?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) एम॰एम॰टी॰सी॰ (केन्द्र सरकार का एक निगम) तथा मारकोफेड दीमापुर, नागालैंड (नागालैंड सरकार का एक निगम) से लकड़ी के स्लीपरों की सप्लाई के लिए दिए गए क्रयादेश इस प्रकार हैं:–

निगम का नाम	मात्रा घन मीटर	ठेके का मूल्य
एम॰एम॰सी॰टी॰ नई दिल्ली	43,000	81.28 करोड़ रु॰
मारकोफेड, दीमापुर, नागालैंड	9000	16.61 करोड़ रु॰
	52000	97.89 करोड़ रु॰

यह सही नहीं है कि 2000 सेट भेजे जाने के लिए विभिन्न कारखानों में तैयार रखे हैं।

(ग) मैसर्स एम॰एम॰टी॰सी॰ और मारकोफेड, नागालैंड दोनों ही निगम क्रमशः केन्द्र सरकार और नागालैंड सरकार के स्वामित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं। 1993 में रेलों द्वारा एम॰एम॰टी॰सी॰ को काली सूची में नहीं डाला गया था।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा में नई रेल परियोजनाएं

1344. **श्री सौम्य रंजन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रस्तुत की गई रेल परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कुछ प्रस्तावों को अलाभकारी पाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (ग) गत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा सरकार से नई लाइनों के लिए चार प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनकी स्थिति निम्नानुसार है :-

1. हरिदासपुर-पारादीप : यह कार्य स्वीकृत कर दिया गया है।
2. जे पुर-मलकानगिरि-कोट्टामट्टा : एक सर्वेक्षण शुरु किया गया है। परियोजना पर आगे विचार करना सर्वेक्षण रिपोर्ट उपलब्ध हो जाने के पश्चात ही संभव होगा।
3. तालचेर-बिमलागढ़ : एक सर्वेक्षण शुरु किया गया है परियोजना पर आगे विचार करना सर्वेक्षण रिपोर्ट उपलब्ध हो जाने के पश्चात ही संभव होगा।
4. झारसुगुडा-बिश्रामपुर बरास्ता सुंदरगढ़ : इस परियोजना पर संसाधनों की तंगी के कारण विचार नहीं किया जा सका।

गरीफा रेलवे स्टेशन का नवीकरण

1345. **श्री तरित वरण तोपदार** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पूर्व रेल के हावड़ा डिवीजन के अन्तर्गत गरीफा रेलवे स्टेशन पर प्रकाश, बैठने की व्यवस्था करने तथा प्लेटफार्मों सीढ़ियों, प्लेटफार्म शेड आदि के नवीकरण तथा मरम्मत के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गयी है;

(ख) क्या इस स्टेशन पर यात्री सुविधाएं बिल्कुल नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो इस स्टेशन पर उपरोक्त उल्लिखित सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए जायेंगे?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (ग) अतिरिक्त सुविधाओं का विस्तार/की व्यवस्था करना एक सतत प्रक्रिया है। यात्री यातायात की मात्रा के अनुसार गरीफा रेलवे स्टेशन पर सुविधाएं प्रदान की गई हैं। हाल ही में 11.55 लाख रुपये की लागत पर प्लेटफार्म सायबान तथा ऊपरी पैदल पुल के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अलावा, प्लेटफार्म पर प्रकाश तथा पंखों की व्यवस्था करने के लिए 34,700 रु॰ की लागत पर इस कार्य को स्वीकृति प्रदान की गई है।

कर्नाटक में सड़कों के निर्माण हेतु धन का आबंटन

1346. **श्री विजय संकेश्वर** : क्या ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक में सड़कों के निर्माण हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(ख) कर्नाटक में कितने गांवों को सड़कों से जोड़ा गया है अथवा जोड़ा जाना है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडू) : (क) और (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अनधिकृत रूप से फेरी लगाने वाले

1347. **प्रो॰ जितेन्द्र नाथ दास** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हावड़ा रेलवे स्टेशन के लिए प्लेटफार्म सं॰ 2 से 7 तथा नव-निर्मित मिनी मार्केट में अनधिकृत रूप से फेरी लगाने वालों द्वारा नौका (फेरा) का प्रयोग करने वाले अधिसंख्य स्थानीय यात्रियों/दफ्तर जाने वालों के लिए परेशानी पैदा कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो यात्रियों को रास्ता देने के लिए रेलवे स्टेशन से अनधिकृत रूप से फेरी लगाने वालों को हटाने और रेलवे स्टेशन की दीवारों के पास रेलवे खान-पान की दुकानें बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) गाड़ियों में और स्टेशन परिसरों में अनधिकृत फेरीवालों और भिखारियों के प्रवेश को रोकने के लिए समय-समय पर नियमित अभियान चलाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त कृतिक बल टीम, जिसमें वाणिज्यिक और राजकीय रेल पुलिस/रेल सुरक्षा बल के कार्मिक होते हैं, के कार्मिक भी स्टेशन परिसरों में अनधिकृत फेरीवालों/वेंडरों के प्रवेश को रोकने के लिए हवड़ा स्टेशन सहित सभी महत्वपूर्ण स्टेशनों/गाड़ियो में तैनात किए जाते हैं।

अप्रैल से जून 1997 की अवधि के दौरान हवड़ा स्टेशन परिसरों और गाड़ियों में की गई 437 जाचों के परिणामस्वरूप 62 अनधिकृत फेरीवाले तथा वेंडर पकड़े गए तथा मुकदमा चलाया गया। इसके अतिरिक्त यात्रियों के निर्बाध संचालन हेतु स्थान बनाने के लिए दक्षिण कनकोर्स से कुछ खान-पान स्टालों को हटा दिया गया है।

मनपाड में उच्च शक्ति वाला ट्रांसमीटर

1348. **श्री टी॰ गोविन्दन : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार केरल के कन्नूर जिले में मनपाड़ में उच्च शक्ति का ट्रांसमीटर लगाने हेतु विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस॰ जयपाल रेड्डी) : (क) से (ग) केरल के कन्नूर जिले में कन्नानोर में विद्यमान अल्प शक्ति टेलीविजन ट्रांसमीटर के स्थान पर एक उच्च शक्ति टेलीविजन ट्रांसमीटर स्थापित करने का विचार है। कन्नानोर में प्रस्तावित उच्च शक्ति ट्रांसमीटर परियोजना के लिए मंगातुपरम्बा में एक उपयुक्त स्थल का अधिग्रहण कर लिया गया है। तथापि, कथित उच्च शक्ति ट्रांसपीटर परियोजना का वास्तविक कार्यान्वयन, स्कीम को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किए जाने पर निर्भर करेगा बशर्ते इस उद्देश्य हेतु अपेक्षित संसाधन तथा आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हों।

तरल ईंधन आधारित नई विद्युत परियोजनाओं के लिए नए पी॰एल॰एफ॰ मानदण्ड

1349. **श्री अनन्त गुढे :** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 9 जुलाई, 1997 के "बिजनेस स्टैण्डर्ड" में "न्यू पी॰एल॰एफ॰ नार्मस टु हिट लिक्विड फ्यूल बेस्ड पावर प्रोजेक्ट्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले के संबंध में तथ्य क्या हैं और सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) पी एल एफ मानदण्डों में प्रस्तावित संशोधन का तल ईंधन आधारित परियोजनाओं के प्रचालन/लाभप्रदता/अर्थक्षमता पर क्या संभावित प्रतिकूल प्रभाव होंगे; और

(घ) इस संबंध में प्राप्त हुए अभ्यावेदनों का ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के॰ अलघ) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के॰वि॰प्रा॰) में गैस, कोयला, तथा तरल ईंधन आधारित विद्युत केन्द्रों के लिए संयंत्र भार अनुपात (पीएलएफ) सहित संशोधित प्रचालनात्मक मानदंड निर्धारित किए हैं। विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार करने के पश्चात् के॰वि॰प्रा॰ ने मई, 1997 में यह निश्चय किया है कि ये मानदंड केवल उन्हीं परियोजनाओं पर लागू होंगे जो अपनी पूर्ण विस्तृत परियोजना रिपोर्टों को स्वीकार्य स्वरूप में, अर्थात् 30 सितम्बर, 1997 तक अथवा उससे पहले तक के॰वि॰प्रा॰ की अपेक्षाओं के अनुरूप हर प्रकार से सम्पूर्ण हो।

[हिन्दी]

गैर–कानूनी सार्वजनिक टेलीफोन बूथ

1350. **श्री मणीभाई रामजीभाई चौधरी : क्या संचार मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में टेलीफोन विभाग के कर्मचारियों की सांठगांठ से गैर–कानूनी सार्वजनिक टेलीफोन बूथ चलाये जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन कार्यकलापों की रोकथाम किस प्रकार किये जाने का विचार है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभा–पटल पर रख दी जाएगी।

खराब पड़े टेलीफोन कनेक्शन

1351. **श्री आर॰एल॰पी॰ वर्मा :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली के नेहरू प्लेस एक्सचेज 628 के अधीन भारी संख्या में टेलीफोन कनेक्शन पिछले कुछ महीनों से खराब पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो इस प्रणाली में आई खराबी का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या ऐसे टेलीफोन प्रयोक्ताओं के टेलीफोन बिल सही किए गए हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) अधिकांश खराबियों को निर्धारित मानदण्डों के अंतर्गत ठीक कर दिया जाता है, यद्यपि कभी–कभी ड्राप वायर के लम्बे स्पान्स, केबल की खराबियों और उपभोक्ता संबंधी कारणों इत्यादि के कारण खराबियों को ठीक करने में थोड़ी सी देरी हो जाती है। तथापि, किसी भी प्रकार की खराबियों को लगातार कई महीनों तक बनाये रखने की अनुमति नहीं है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) विभागीय नियमों के अनुसार यदि किसी उपभोक्ता का टेलीफोन लगातार 7 या इससे अधिक दिनों तक खराब रहता है तो उसे किराये में छूट देने की अनुमति है। यह नियम महानगर टेलीफोन निगम लि॰ दिल्ली के सभी क्षेत्रों में लागू है।

(ङ) उपर्युक्त भाग (घ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

बिहार में नए टेलीफोन एक्सचेंज

1352. श्री ब्रज मोहन राम : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में दी गयी सूचना के अनुसार गत वर्ष बिहार में टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना के लिए कोई निर्णय लिया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) बिहार में अब तक कितने टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना की गई है; और

(घ) वर्ष 1997-98 के दौरान स्थान-वार कितने टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए जाने की संभावना है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख) गत वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट में नए एक्सचेंजों की स्थापना के लक्ष्यों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। तथापि, बिहार में जहां 10 अथवा अधिक की पंजीकृत मांग थी, वहां नया टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने की योजना थी।

(ग) वर्ष 1996-97 के दौरान बिहार में स्थापित किए गए टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या 35 है।

(घ) वर्ष 1997-98 के दौरान स्थापित किए जाने वाले संभावित टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या, उनके स्थानों सहित संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

1997-98 के दौरान स्थापित किए जाने वाले संभावित नए टेलीफोन एक्सचेंज

क्र॰सं॰	दूरसंचार जिले का नाम	स्थान
1	2	3
1.	पटना	समपत चौक
		धनौरा
2.	रांची	बानो
		चेनपुर
		जलडेगा
		बसिया
		बोलवा
		कुरडेग
3.	आरा	नरही चंडी
		तरारी
		प्रतापसागर
		कृष्णासागर
4.	भागलपुर	भीखानपुर
		कालजोरे
		चंदन
5.	छपरा	डेरनी
		मकेर
		ईश्वर
6.	दरभंगा	अलीनगर
		घनश्यामपुर
		लाडनिया
		घरपुर
		बिथान
		खोडाबनपुर
7.	गया	कावाकोल
		बाके बजाऊ
		रोह
		ओरहनपार
		गुरूवा
8.	जमशेदपुर	मांगो
		कदमा
		हटगमारिया
		राजनगर
9.	खेतिहर	सैयदपुर
		रौता (बैसि)
10.	मुंगेर	रामपुर
11.	सासाराम	सतवरवा
12.	हजारीबाग	सायल
		हनटेरगंज
13.	दुमका	फतेहपुर
		मोहनपुर

1	2	3
14.	मुजफ्फरपुर	मुसहारी
		बेनीबाद
		बसदेवपुर
		चंडेल
		मजोरगंज
		(मुबारकपुर)
		सरफुद्दीनपुर

[अनुवाद]

गुवाहाटी स्थित दूरदर्शन और आकाशवाणी के कार्यालय द्वारा कार्य न करना

1353. **डा॰ अरूण कुमार शर्मा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता स्थित दूरदर्शन और आकाशवाणी के संयुक्त क्षेत्रीय कार्यालय को विभाजित करके पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए गुवाहटी में दूरदर्शन और आकाशवाणी नेटवर्क के अभियांत्रिकी प्रभाग के एक पृथक क्षेत्रीय कार्यालय का दिसम्बर, 1995 में सृजन किया गया था;

(ख) क्या गुवाहाटी के गणेशगुड़ी में स्थित उक्त कार्यालय अपनी स्थापना के एक सप्ताह के बाद से ही कार्य नहीं कर रहा है और इसका कमरा उस समय से बन्द पड़ा है;

(ग) यदि हां, तो इस कार्यालय के कार्य न करने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस॰ जयपाल रेड्डी) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) स्टाफ की स्वीकृति में विलम्ब होने और बजटीय बाध्यताओं के कारण क्षेत्रीय कार्यालय में काम चालू नहीं किया जा सका। हाल ही में, स्टाफ की आंशिक स्वीकृति दी गयी है। स्टाफ मौजूद होने पर कार्यालय कार्य करना आरंभ कर देगा।

स्वर्ण खान

1354. **श्री एन॰एन॰ कृष्णादास : क्या खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में पालघाट जिले के अट्टापाड़ी पर्वतीय क्षेत्र में सोने के खनन के लिए प्रक्रिया चल रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सोने के खनन में अब तक पाई गई सम्भाव्यताओं का ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की केरल इकाई का 1990-91 से पालाकड़ जिले की अट्टापाड़ी घाटी के हिस्सों में स्वर्ण के प्रारम्भिक गवेषण का एक सतत् कार्यक्रम है।

(ग) गवेषण कार्य प्रारम्भिक चरण में है, अतः स्वर्ण के खनन का प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

हरियाणा में टेलीफोन व्यवस्था

1355. **डॉ॰ अरविन्द शर्मा : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार की नीति के अंतर्गत हरियाणा में अलग-अलग कितनी ग्राम पंचायतों को टेलीफोन उपलब्ध है तथा कितने गांवों को अभी भी टेलीफोन उपलब्ध कराये जाने हैं;

(ख) शेष ग्राम पंचायतों में कब तक टेलीफोन उपलब्ध कराये जाएंगे;

(ग) कितनी पंचायतों में ये टेलीफोन सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं तथा कितने गांवों में ये टेलीफोन खराब हो गये हैं तथा उन टेलीफोनों को कब तक चालू कर दिया जायेगा; और

(घ) टेलीफोन का सुचारू ढंग से कार्य करना सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) 23.7.1997 की स्थिति के अनुसार, हरियाणा की कुल 5946 ग्राम पंचायतों में से 5802 पंचायतों को टेलीफोन सुविधा प्रदान कर दी गई है। 144 ग्राम पंचायतों को अभी टेलीफोन सुविधां प्रदान की जानी है।

(ख) चालू वित्त वर्ष 1997-98 के दौरान शेष 144 ग्राम पंचायतों में टेलीफोन सुविधा प्रदान किए जाने की संभावना है।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) टेलीफोन के सुचारू कार्यकरण हेतु निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :—

1. बाह्य संयंत्र का उन्नयन।
2. भूमिगत केबलों को नुकसान से बचाने के लिए स्थानीय एजेंसियों के साथ निरन्तर संपर्क।
3. दोष मरम्मत सेवा का कम्प्यूटरीकरण।
4. डक्टों में भूमिगत केबलों को बिछाना।
5. जैली भरे केबलों का प्रयोग।
6. उन्नत गुणवत्ता वाली ड्रॉप वायर का प्रयोग।

7. कर्मचारियों का कौशल बढ़ाने के लिए पुनश्चर्या प्रक्षिशण।
8. ग्रामों में सार्वजनिक टेलीफोनों की जांच संबंधित एक्सचेंजों से प्रतिदिन की जाती है।
9. अधिकाशं स्थानों पर सार्वजनिक टेलीफोनों के रेडियो उपस्करों की मरम्मत हेतु वार्षिक अनुरक्षण ठेका कर लिया गया है।
10. ग्रामों में सार्वजनिक टेलीफोनों के लिए सोलर पावर बैक-अप यथापेक्षित क्रमिक रूप से स्थापित किए जाते हैं।

जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत आबंटित धनराशि का उपयोग

1356. **श्री जयसिंह चौहान :** क्या **ग्रमीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा जवाहर रोजगार योजना के लिए आबंटित धनराशि का कुछ राज्यों में पूरी तरह से उपयोग नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन राज्यों में उक्त धनराशि का कम उपयोग किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा भविष्य में उक्त धनराशि का पूरी तरह से उपयोग किया जाना सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडू) : (क) और (ख) 1996-97 के दौरान आंवटित, जारी, उपलब्ध और उपयोग की गई निधियों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण के अनुसार है।

(ग) और (घ) जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत जिले के आवंटन के 25 प्रतिशत को अगले वित्तीय वर्ष में उपयोग करने के लिए अग्रेनीत करने की अनुमति है। परन्तु यदि कोई जिला अगले वर्ष में शामिल की जाने वाली राशि की इस सीमा को पार कर लेता है तो इस बढ़ी हुई राशि के 80 प्रतिशत की कटौती अगले वित्तीय वर्ष में दूसरी किस्त को जारी करते समय कर ली जाती है।

विवरण

1996-97 के दौरान जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत वित्तीय प्रगति

(रुपए लाख में)

क्र॰ सं॰	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	माह कोड	1.4.96 तक अधशेष (राज्य) संघ राज्य क्षेत्र द्वारा सूचित	कुल आवंटन			जारी किए गए संसाधन			उपलब्ध संसाधन खर्च न की गई (बकाया राशि + रिलीज)	उपयोग किए गए संसाधन	% उपयोग
				केन्द्र	राज्य	कुल	केन्द्र	राज्य	कुल			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आन्ध्र प्रदेश	03	1547.44	13897.91	3474.48	17372.39	14594.96	3648.74	18243.70	19791.14	17488.47	88.37
2.	अरुणाचल प्रदेश	03	127.23	142.64	35.66	178.30	103.88	25.97	129.85	257.08	198.33	77.15
3.	असम	03	2230.47	4574.54	1143.64	5718.18	3186.93	796.73	3983.66	6214.13	4543.21	73.11
4.	बिहार	03	12350.34	27260.46	6815.12	34075.58	22856.07	5714.02	28570.09	41920.43	30563.53	74.69
5.	गोवा	03	14.73*	154.12	38.53	192.65	116.88	29.22	146.10	168.83	236.26	146.90
6.	गुजरात	03	1201.38	5101.00	1275.25	6376.25	4419.33	1104.83	5524.16	6725.54	6280.49	93.38
7.	हरियाणा	03	207.33	1225.45	306.36	1531.81	1195.38	298.85	1494.23	1701.56	1371.79	80.62
8.	हिमाचल प्रदेश	03	304.40	489.73	122.43	612.16	388.12	97.03	485.15	789.55	745.94	94.48
9.	जम्मू व कश्मीर	03	230.69	995.14	248.79	1243.93	1199.75	299.94	1499.69	1730.38	994.37	57.47
10.	कर्नाटक	03	2854.68	9332.27	2333.87	11665.34	6813.18	2218.30	11091.48	13946.16	12815.31	86.16
11.	केरल	03	812.95	3395.33	848.83	4244.16	3286.60@	821.65	4108.25	4921.20	4458.15	90.59
12.	मध्य प्रदेश	03	5017.19	17611.61	4402.90	22014.51	15453.15@	3863.29	19316.44	24333.63	19724.06	81.06
13.	महाराष्ट्र	03	2510.88	15150.04	3787.51	18937.55	14338.51	3584.63	17923.14	21434.82	18664.14	91.34
14.	मणिपुर	03	66.16	182.82	45.71	228.53	129.92	32.48	162.40	228.56	186.36	81.54
15.	मेघालय	03	143.78	213.92	53.48	267.40	186.95	26.74	133.69	277.47	365.98	131.87
16.	मिजोरम	03	4.96	90.12	22.53	112.65	84.21	21.05	105.26	110.22	138.25	125.43
17.	नागालैंड	12	32.04	229.31	57.33	286.64	210.66	52.67	263.33	295.37	164.41	55.66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18.	उड़ीसा	03	2068.47	11274.49	2818.62	14093.11	10789.94@	2677.49	13387.43	15455.98	14426.64	93.34
19.	पंजाब	03	145.85 *	871.51	217.88	1089.39	809.26	202.32	1011.58	1157.43	705.63	60.97
20.	राजस्थान	03	−1111.79	7317.12	1829.28	9146.40	7231.81	1807.95	9039.76	7927.97	8766.70	110.58
21.	सिक्किम	03	39.13	83.49	20.87	104.36	81.37	20.34	101.71	140.84	167.26	118.76
22.	तमिलनाडु	03	2987.15	12563.97	3140.99	15704.96	12088.51	3022.13	15110.64	18097.79	18040.03	99.68
23.	त्रिपुरा	03	273.27	237.46	59.37	296.83	237.45	59.36	296.81	578.88	566.91	99.44
24.	उत्तर प्रदेश	03	12050.23	33867.93	8466.98	42334.91	32442.69	8110.67	40553.34	52603.59	42123.49	80.88
25.	पश्चिम बंगाल	03	5071.91	12455.47	3113.87	15569.34	9564.86@	2391.22	11956.08	17827.99	12834.03	75.37
26.	अ॰ नि॰ द्वीप समूह	03	24.47	84.41	0.00	84.41	42.21	0.00	42.21	66.68	52.39	78.57
27.	दा॰ व ना॰ हवेली	03	9.41	45.81	0.00	45.81	44.57	0.00	44.57	53.98	49.75	92.16
28.	दमन व द्वीव	03	3.70	26.99	0.00	26.99	26.99	0.00	26.99	30.69	27.61	89.96
29.	लक्षद्वीप	03	66.49	42.32	0.00	42.32	21.16	0.00	21.16	87.65	49.22	56.16
30.	पांडिचेरी	03	2.38	82.64	0.00	82.64	64.68	0.00	64.68	67.06	121.96	181.87
			51287.32	179000.00	44679.46	223679.48	163909.98	40927.59	204837.57	256124.89	216070.61	84.36

@ रद्द की गई परियोजनाओं हेतु अभिनव जवाहर रोजगार योजना की निधियों की रिलीज सहित (केरल हेतु 13.49 लाख रु॰, उड़ीसा हेतु 16.66 लाख रु॰ तथा पश्चिमी बंगाल हेतु 10.80 लाख रु॰)

* यू॰ओ॰ के अनुसार।

[अनुवाद]

त्रिपुरा में कलकत्ता दूरदर्शन कार्यक्रमों का प्रसारण

1357\. **श्री बाजूबन रियान : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने त्रिपुरा में और अधिक क्षेत्रीय कार्यक्रम तथा कलकत्ता दूरदर्शन कार्यक्रमों को प्रसारित करने के संबंध में त्रिपुरा के लोगों की मांग पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई कदम उठाये गये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस॰ जयपाल रेड्डी) : (क) से (ङ) जी, हां। सरकार को दूरदर्शन केन्द्र, अगरतला से और क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रसारित कराने और त्रिपुरा में दूरदर्शन केन्द्र कलकत्ता के कार्यक्रम प्रसारित करने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं। संसाधनों की कमी के कारण दूरदर्शन केन्द्र, कलकत्ता के प्रसारण समय में वृद्धि करना वर्तमान में संभव नहीं है। तथापि, अगरतला में स्टूडियो सुविधा के उन्नयन और त्रिपुरा राज्य में टी॰वी॰ नेटवर्क के विस्तार की स्कीमों को 9वीं योजना प्रस्तावों में शामिल कर लिया गया है। जहां तक दूरदर्शन केन्द्र, अगरतला द्वारा दूरदर्शन केन्द्र, कलकत्ता के कार्यक्रमों को रिले करने के अनुरोध का संबंध है, दूरदर्शन की वर्तमान प्रक्रिया में एक राजधानी केन्द्र से प्रसारित कए जाने वाले कार्यक्रमों को दूसरे राजधानी केन्द्र से प्रसारित करने का प्रावधान नहीं है। तथापि, यह उल्लेखनीय है कि दूरदर्शन केन्द्र, कलकत्ता से अपलिंक की गई डी॰डी॰-7 चैनल की बंगला सेवा उपयुक्त डिश-एन्टिना प्रणाली का उपयोग करके त्रिपुरा राज्य सहित सम्पूर्ण देश में उपग्रह पद्धति के जरिए उपलब्ध है।

[हिन्दी]

शीतगार हेतु लाइसेंस प्रणाली

1358\. **श्री पंकज चौधरी : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शीतागार स्थापित करने पर लाइसेंस प्रणाली को समाप्त करने का कोई विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह प्रणाली कब तक समाप्त किए जाने की संभावना है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडू) : (क) से (ग) शीतागार आदेश 1980, जो बिहार, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों को छोड़कर समूचे देश में लागू हुआ था, को ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) के अपने आदेश सं॰ 18011/94 एम-II, दिनांक 27 मई, 1977 के द्वारा निरस्त कर दिया गया है, जिसे 27 मई, 1997 के भारत के सरकारी राजपत्र में अधिसूचित कर दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप देश में शीतागारों की स्थापना करने के लिए अब भारत सरकार से लाईसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है।

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के संबंध में भारत-अमरीका समझौता

1359\. **श्री महेन्द्र सिंह भाटी : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत-अमरीका के बीच कोई समझौता हुआ है;

(ख) यदि हां, तो समझौते की शर्तें क्या हैं; और

(ग) यह समझौता कब से प्रभावी होगा?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के॰ अलघ) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

गरीबी उन्मूलन के संबंध में यू॰एन॰डी॰पी॰ की रिपोर्ट

1360\. **श्री के॰एस॰ रायुडू :**

श्री एन॰ रामकृष्ण रेड्डी :

क्या ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 13 जून, 1997 के "हिन्दू" में "सिक्स पाइन्ट एक्शन प्लान टू बेनिश पावर्टी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) इस पर क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) रिपोर्ट के अनुसार भारत और चीन में मानव संसाधन विकास के संबंध में निवेश के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडू) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) विभिन्न ग्रामीण रोजगार और गरीबी उपशमन कार्यक्रमों के अन्तर्गत निधियां देश में गरीबों की कुल संख्या की तुलना में राज्य में ग्रामीण गरीबों की संख्या के अनुपात के आधार पर राज्यों

के बीच वितरित की जाती है। इन कार्यक्रमों का एक प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार से अतिरिक्त लाभप्रद रोजगार/स्व रोजगार उपलब्ध कराना है जो गरीबों के हित में हो। इन कार्यक्रमों से गरीबों को गरीबी की रेखा को पार करने में मदद मिलेगी।

(घ) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमों की मानव विकास रिपोर्ट, 1997 के अनुसार 1993-94 के दौरान जी॰एन॰पी॰ के प्रतिशत के रूप में शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय भारत में 3.8 प्रतिशत था जबकि चीन में यह व्यय 2.6 प्रतिशत था।

मानचित्र के संबंध में सजगता

1361. **श्री के॰सी॰ कोंडय्या : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने मानचित्र की समझ के बारे में एक लोकप्रिय अभियान शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय सर्वेक्षण विभाग के दक्षिणी सर्किल को गोवा, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पांडिचेरी और आंध्र प्रदेश के कुछ भागों के मानचित्र प्रकाशित करने का कार्य सौंपा गया है;

(ग) यदि हां, तो इन मानचित्रों की लागत कितनी होगी;

(घ) कर्नाटक में इन मानचित्रों की बिक्री के लिए कितने विक्रय केन्द्र हैं; और

(ङ) क्या कर्नाटक में और बिक्री केन्द्र खोलने अथवा निजी बुक स्टालों को इन मानचित्रों को बेचने की अनुमति देने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के॰ अलघ) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय सर्वेक्षण विभाग का दक्षिणी मण्डल तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पांडिचेरी तथा गोवा के महत्वपूर्ण शहरों के मानचित्रों सहित टोपोग्राफिकल मानचित्रों तथा जन श्रृंखला मानचित्र एवं जिला योजना मानचित्रों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के इसी प्रकार के मानचित्र तैयार करने का दायित्व सर्वेक्षण विभाग के दक्षिण-दक्षिण पूर्वी मण्डल को सौंपा गया है।

(ग) गोवा, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पांडिचेरी तथा आंध्र प्रदेश के मानचित्र 21 रुपए से लेकर 28 रुपए के बीच उपलब्ध हैं।

(घ) कर्नाटक राज्य में केवल एक मानचित्र बिक्री केन्द्र (दक्षिण सर्किल कार्यालय) बंगलोर में स्थित है।

(ङ) कर्नाटक में और अधिक बिक्री केन्द्र खोलने का प्रस्ताव नहीं है। अभी तक निजी क्षेत्र का प्रत्युत्तर उत्साहवर्धक नहीं रहा है।

भारतीय मानसून के संबंध में अमरीकी जलवायु विज्ञानी की भविष्यवाणी

1362. **श्री पी॰ षण्मुगम : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हाल ही में एक अमरीकी वैज्ञानिक ने निकट भविष्य में "एलनीनो" स्थिति के पैदा होने की भविष्यवाणी की थी जिसका मानसून पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और जिसके परिणामस्वरूप भारत में सूखे की स्थिति पैदा हो सकती है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार ने देश में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के॰ अलघ) : (क) जी, हां।

(ख) वैज्ञानिकों द्वारा स्वतंत्र रूप से किये गये अध्ययन यह दर्शाते हैं कि "एलनीनो" तथा भारतीय मानसून के बीच प्रत्यक्ष रिश्ता नहीं है। तथापि, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी किये गये मौसम पूर्वानुमान तथा हर साल के व्यवहार का अनुपालन करते हुए सरकार "एलनीनो" तथा मानसून वर्षा की प्रगति पर लगातार नजर रखे हुए है ताकि आकस्मिकताओं के लिए आवश्यकता पड़ने पर उपयुक्त कार्यनीति को शीघ्रतापूर्वक अपनाया जा सके।

(ग) सभी राज्यों में किसी भी साल विपरीत वर्षा की स्थिति से प्रभावी तौर पर निपटने के लिए एक मॉडल आकस्मिक योजना परिचालित की गई है। राज्यों की अपनी योजनाओं में यदि किसी वर्ष वर्षा में कोई कमी होती है तो उससे निपटने के लिए वैकल्पिक फसल कार्यनीति तथा उपयुक्त कृषि-आर्थिक व्यवहार शामिल हैं।

केरल में स्वयंसेवी संगठन

1363. **श्री कोडीकुनील सुरेश : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केरल के कितने स्वयंसेवी संगठनों ने जवाहर रोजगार योजना, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम आदि के अन्तर्गत सहायता के लिए "कपार्ट" से कहा है;

(ख) अब तक मंजूर की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या "कपार्ट" के पास अभी अनेक परियोजना प्रस्ताव लम्बित पड़े हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृत कर दिए जाने की संभावना है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडू) : (क) कापार्ट ने सूचित किया है कि विगत तीन वर्षों के दौरान केरल राज्य के लगभग 800 स्वयंसेवी संगठनों ने अपने परियोजना प्रस्तावों के लिए वित्तीय सहायता स्वीकृत करने का अनुरोध किया है।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान कापार्ट ने केरल राज्य के स्वयंसेवी संगठनों के 172 परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं के लिए स्वीकृत राशि 13.12 करोड़ रुपए हैं। स्वीकृत परियोजनाओं के योजनावार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) से (ङ) केरल राज्य के स्वयंसेवी की संगठनों के 166 परियोजना प्रस्ताव कपार्ट के पास लम्बित पड़े हैं। लंबित पड़ी परियोजनाओं के योजनावार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं। ये प्रस्ताव जांच के विभिन्न स्तरों में हैं और इन पर यथा समय समुचित निर्णय लिया जाएगा। परन्तु ग्रामीण आवास, सामाजिक वानिकी और ग्रामीण सम्पर्क सड़कों से संबंधित लंबित पड़े प्रस्तावों को मंजूर किए जाने की संभावना नहीं है क्योंकि कपार्ट के पास निधियों का अभाव है।

विवरण-I

कापार्ट द्वारा विगत तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत केरल राज्य के स्वयंसेवी संगठनों के परियोजना प्रस्तावों के योजनावार ब्यौरे।

(लाख रुपए में)

क्र०सं०	योजना	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत राशि
1.	कापार्ट को सहायता	6	21.90
2.	त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम	7	24.02
3.	केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम	46	137.12
4.	ग्रामीण महिला और बाल विकास कार्यक्रम	13	22.51
5.	समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	4	6.68
6.	जवाहर रोजगार योजना	70	1039.01
7.	जवाहर रोजगार योजना (आवास के अलावा)	5	41.53
8.	लाभार्थियों का संगठन	16	8.68
9.	ग्रामीण विकास में स्वैच्छिक कार्यों का संवर्धन	3	3.38
10.	पंचायती राज	2	7.43
		172	1312.26

नोट : अनंतिम

विवरण-II

कापार्ट के पास लंबित पड़े केरल राज्य के स्वयंसेवी संगठनों के परियोजना प्रस्तावों के योजना-वार ब्यौरे

क्र०सं०	योजना	लंबित परियोजनाओं की संख्या
1.	कापार्ट को सहायता	3
2.	त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम	1
3.	केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम	17
4.	ग्रामीण महिला और बाल विकास कार्यक्रम	21
5.	समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	2
6.	जवाहर रोजगार योजना (आवास)	116
7.	जवाहर रोजगार योजना (आवास के अलावा)	2
8.	लाभार्थियों का संगठन	1
9.	ग्रामीण विकास में स्वैच्छिक कार्यों को संवर्धन	3
	कुल	166

नोट : अनंतिम

सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत धनराशि का आबंटन

1364. श्री रनजीब बिसवाल : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी॰पी॰ए॰पी॰) का प्रमुख उद्‌देश्य क्या है;

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों को वर्षवार कितनी धनराशि का आबंटन किया गया;

(ग) क्या उड़ीसा राज्य सरकार ने राज्य में लम्बे समय से चले आ रहे सूखे की स्थिति को देखते हुए कितनी अतिरिक्त धनराशि के आबंटन की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडू) : (क) सूखाप्रवण क्षेत्र कार्यक्रम का उद्देश्य इस प्रकार है :—

(1) फसल और पशुधन के उत्पादन तथा भूमि, जल और मानव संसाधन की उत्पादकता पर सूखे के विपरीत प्रभावों को कम करना।

(2) पारिस्थितिकीय संतुलन की पुनर्स्थापना को बढ़ावा देना।

(3) ग्रामीण समुदाय के आर्थिक विकास को बढ़ावा देना।

(4) सम्पत्तिविहीन तथा महिला जैसे ग्रामीण समुदाय के उपेक्षित और साधनविहीन वर्गों की आर्थिक और सामाजिक स्थितियों को सुधारना।

(ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत उड़ीसा सरकार द्वारा किसी अतिरिक्त आवंटन की मांग नहीं की गई है।

विवरण

(लाख रुपये में)

सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम

	राज्य	(1992-93) आवंटन	(1993-94) आवंटन	(1994-95) आवंटन	(1995-96) आवंटन	(1996-97) आवंटन
1.	आंध्र प्रदेश	1203.00	1804.50	1993.00	2635.00	2755.00
2.	बिहार	828.00	1242.00	1380.00	2245.00	2245.00
3.	गुजरात	746.00	1119.00	1236.00	1345.00	1545.00
4.	हरियाणा	135.00	202.50	225.00	165.00	165.00
5.	जम्मू व कश्मीर	214.50	321.75	357.50	495.00	495.00
6.	कर्नाटक	1249.00	1873.50	2068.00	2265.00	2290.00
7.	मध्य प्रदेश	809.00	1213.50	1345.00	3510.00	3752.00
8.	महाराष्ट्र	1343.00	2014.50	2218.00	4295.00	4295.00
9.	उड़ीसा	621.00	931.50	1033.00	1045.00	1045.00
10.	राजस्थान	514.00	771.00	853.00	865.00	871.00
11.	तमिलनाडु	657.00	985.50	1095.00	1485.00	1485.00
12.	उत्तर प्रदेश	1386.00	2079.00	2307.00	1985.00	2185.00
13.	पश्चिम बंगाल	517.50	776.25	862.50	640.00	640.00

भुखमरी के कारण आदिवासियों की मृत्यु

1365. **श्री सत्यजीत सिंह दलीपसिंह गायकवाड़** : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में अनुभव शिक्षा केन्द्र नामक एवं स्वयंसेवी संगठन द्वारा किए गए मूलघाट के सूखा प्रभावित और जनजातीय क्षेत्रों के लगभग 150 गांवों के संबंध में किए गए सर्वेक्षण की ओर आकृष्ट किया गया है जैसा कि 23 जून, 1997 के इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सर्वेक्षण से घोर निर्धनता, जल की कमी तथा भुखमरी के कारण आदिवासियों की मृत्यु की स्थिति का पता चलता है; और

(ग) इस क्षेत्र के सूखा प्रभावित आदिवासियों की ऐसी स्थिति को दूर करने को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडू) : (क) जी, हां। सरकार का ध्यान 23 जून, 1997 के इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है।

(ख) और (ग) ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय महाराष्ट्र के मेलघाट क्षेत्र सहित सारे देश में जवाहर रोजगार योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना और समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रमों जैसे कई ग्रामीण रोजगार तथा गरीबी उपशमन कार्यक्रमों को क्रियान्वित कर रहा है। इन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य आदिवासी जनसंख्या सहित गरीबी की रेखा से नीचे जीवन बसर कर रहे ग्रामीण गरीबों को मजदूरी/स्वरोजगार उपलब्ध करना है। इसके अतिरिक्त आदिवासियों सहित ग्रामीण गरीबों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम और फसलों तथा पशुधन के उत्पादन और भूमि, जल एवं मानव संसाधनों की उत्पादकता पर सूखे के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए सूखा बहुल क्षेत्र कार्यक्रम भी क्रियान्वित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के समय मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार आदिवासियों को विशेष सहायता/तरजीह दी जाती है।

[हिन्दी]

तांबे के कारखाने

1366. श्री पुन्नू लाल मोहले : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में बालाघाट जिले के मलंजखंड में तांबे के कारखाने कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) खान क्षेत्रों में तांबे के कारखानों की स्थापना में की गयी प्रगति का ब्यौरा क्या है तथा खान से इनकी दूरी कितनी है और ये कहां-कहां स्थित हैं;

(ग) इन कारखानों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि किए जाने के संबंध में क्या प्रगति की गयी है;

(घ) कितने स्थानीय और शिक्षित लोगों को वहां रोजगार प्रदान किया गया है;

(ङ) क्या सरकार ने इन खानों से निकाले गए कच्चे माल की ढुलाई हेतु क्या व्यवस्था की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड की, जो खान मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम और देश में प्राथमिक तांबे का एकमात्र उत्पादक है, मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले की बेहर तहसील के बिरसा रेवेन्यू सर्किल में अपनी मलंजखंड ताम्र परियोजना है।

(ख) मलंजखंड ताम्र परियोजना में 2 मिलियन टन वार्षिक तांबा अयस्क के उत्पादन की क्षमता वाली एक ओपन पिट खान और इतनी ही क्षमता वाला एक सान्द्रक संयंत्र शामिल है, जो इन खानों के बहुत निकट स्थित है।

(ग) कंपनी मौजूदा सान्द्रक संयंत्र में आवश्यक वृद्धि सहित इसकी 2 मिलियन टन की वर्तमान उत्पादन क्षमता बढ़ाकर 3 मिलियन टन करने की सम्भाव्यता की जांच करने के एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है।

(घ) 184 कर्मचारी एग्जीक्यूटिव संवर्ग के हैं और शेष 1545 कर्मचारी समूह ख, ग और घ के हैं जिनमें से अधिकांश मलंजखंड ताम्र परियोजना के और इसके आसपास के स्थानीय क्षेत्रों से नियोजित किए गए हैं।

(ङ) और (च) इन खानों से निकाले गए कच्चे माल की ढुलाई हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड रेल और सड़क परिवहन के जरिए कर रहा है।

बंजर भूमि का सुधार

1367. डा॰ राम विलास वेदान्ती : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा बंजर भूमि के सुधार हेतु कोई योजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में किसानों को भूमि-सुधार हेतु प्रदान की जाने वाली खाद उन्हें अभी तक नहीं दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और यह खाद किसानों को कब तक प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडू) : (क) से (घ) भूमि उपयोग सांख्यिकी में वर्णित परिभाषा के अनुसार "बंजर भूमि" में पहाड़ी, पथरीली और ऊसर भूमि आती है, जिन्हें थोड़े व्यय से सुधारा नहीं जा सकता है। अतः बंजर भूमि को सुधारने के लिए कोई भी योजना नहीं बनाई गई है।

इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत कानपुर में आवासों का आबंटन

1368. श्री जगत वीर सिंह द्रोण : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में विशेषकर कानपुर में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले निर्धन ग्रामीणों को इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत आवासों का आबंटन नहीं किया गया है तथा आवासों के निर्माण हेतु अपात्र व्यक्तियों को ऋण प्रदान करने के लिए झूठे फाइल चला कर केन्द्र द्वारा निर्धारित मानदंडों का उल्लंघन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में किसी जांच के आदेश दिए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध एवं भविष्य में इस प्रकार की गतिविधियों की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडू) : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश सरकार से जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पर्वतीय क्षेत्र भत्ता

1369. श्री दत्ता मेघे : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में दूरस्थ पर्वतीय आदिवासी क्षेत्रों में कार्यरत डाक व दूरसंचार कर्मचारियों ने विशेष भत्ता दिए जाने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) (1) ठाणे जिले के दहानू, नागपुर जिले के देवरी तथा सादक अरजुरी तथा वर्धा जिले के पंडरकावड़ा तथा चन्द्रपुर के चिंचिरोली में जनजातीय क्षेत्रों में कार्य कर रहे डाक कर्मचारियों ने जनजातीय क्षेत्र भत्ते की मांग की है।

(2) नासिक जिले के जनजातीय क्षेत्र में कार्यरत दूरसंचार कर्मचारियों ने, राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू आदिवासी उपयोजना क्षेत्र प्रोत्साहन भत्ते की मांग की है।

(ग) डाक और दूरसंचार विभाग, जनजातीय क्षेत्र भत्ता मंजूर नहीं कर सकते। डाक विभाग से संबंधित मामलों पर अतिरिक्त जानकारी के लिए फील्ड यूनिटों से पत्राचार किया जा रहा है। दूरसंचार विभाग ने आगे और जांच करने के लिए, यह मामला कार्मिक विभाग को भेज दिया है।

[अनुवाद]

पंचेश्वर पनबिजली परियोजना

1370. **श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल में महाकाली नदी पर पंचेश्वर पनबिजली परियोजना की स्थापना के लिए भारत और नेपाल के बीच चल रही बातचीत प्रगति पर है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की प्रस्तावित क्षमता क्या है और पारेषण नेटवर्क संबंधी निवेश सहित इस पर कुल कितना निवेश होगा;

(ग) निवेश परिव्यय के लिए धन स्रोत क्या है;

(घ) क्या सरकार ने उतनी ही क्षमता की एक अन्य वैकल्पिक पनबिजली परियोजना देश में ही स्थापित करने पर विचार किया है;

(ङ) क्या सरकार इस बात से स्वयं संतुष्ट है कि पंचेश्वर परियोजना वैकल्पिक भारतीय परियोजनाओं की तुलना में अधिक लाभकारी स्थिति में है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के॰ अलघ) : (क) जी हां। भारत और नेपाल ने 29 जनवरी, 1996 को महाकाली नदी के बारे में एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। संधि से संबंधित अनुसमर्थन/कागजातों को जून, 1997 में प्रधान मंत्री के नेपाल दौरे के दौरान आदान-प्रदान किया गया था। महाकाली संधि दिनांक 6.6.1997 से लागू हो गई है। फरवरी, 1996 में भारत सरकार की ओर से सचिव (विद्युत) द्वारा विद्युत आदान-प्रदान समझौता निष्पन्न किया गया था।

महाकाली संधि में महाकाली नदी पर पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण की परिकल्पना की गई है जो अधिशेष विद्युत का एक स्रोत होगा। पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना में एक स्टोरेज डैम और नदी के दोनों किनारों में भूमिगत विद्युत गृहों के निर्माण की परिकल्पना की गई है। परियोजना को चरणबद्ध रूप में क्रियान्वित किया जाएगा और इसकी शक्यता लगभग 6000 मे॰वा॰ है। तथापि पूर्ण विद्युत शक्यता का दोहन करने के लिए एक पुनः व्यवस्थित ढांचे की आवश्यकता होगी। एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है। नेपाल की ऊर्जा हकदारी के एक भाग को भारत को बेचा जाएगा। इस प्रकार की ऊर्जा की मात्रा और कीमत के संबंध में पक्षों के बीच पारस्परिक सहमति की जाएगी।

(ख) नेपाल की महामहिम सरकार द्वारा तैयार की गई परियोजना रिपोर्ट के अनुसार 6480 मे॰वा॰ अधिष्ठापित क्षमता के लिए इस परियोजना की अनुमानित लागत 9170 करोड़ रुपये (1 अमरीकी डॉलर = 35 रुपये) है जिसमें अप्रैल, 1996 के मूल्य स्तर पर आधारित पारेषण को शामिल किया गया है।

(ग) संयुक्त विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर लिए जाने के पश्चात् दोनों पक्ष अर्थात् भारत तथा नेपाल इस परियोजना के कार्यान्वयन हेतु अपेक्षित निधि जुटाए जाने के लिए संयुक्त रूप से प्रयास करेंगे।

(घ) से (च) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के॰वि॰प्रा॰) में उस अवधि (2011-2012 ई॰) के लिए विद्युत विस्तार प्रतिदर्श के बारे में अध्ययन कार्य किए जा रहे हैं जब तक पंचेश्वर परियोजना से लाभ प्राप्त होने की संभावना है। इन अध्ययन कार्यों में वर्ष 2012 तक की सभी स्वीकृत हो चुकी तथा के॰वि॰प्रा॰ द्वारा स्वीकृति प्राप्त परियोजनाओं एवं सभी व्यवहार्य जल विद्युत परियोजनााओं पर विचार किया गया है। अध्ययनों के परिणाम यह संकेत देते हैं कि 6000 मे॰वा॰ की प्रस्तावित अनंतिम अधिष्ठापित क्षमता वाली पंचेश्वर परियोजना की विद्युत-कोयला आधारित ताप तथा ओपन साईकिल गैस टरबाईन संयंत्रों के संयोजन अथवा कोयला आधारित ताप तथा पम्पित स्टोरेज संयंत्रों के संयोजन के लिए एक सस्ता विकल्प है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में पेय जल परियोजनाएं

1371. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक से विशेष सहायता प्राप्त उत्तर प्रदेश की अनेक पेय जल परियोजनाएं केन्द्र सरकार के पास लम्बित पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें हाल ही में पूरा किया गया है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडू) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) उत्तर प्रदेश के 15 पर्वतीय और बुंदेलखण्ड जिलों में 1000 गावों में ग्रामीण जल आपूर्ति और पर्यावरणीय स्वच्छता के लिए विश्व बैंक की सहायता से 71 मिलियन अमरीकी डॉलर की कुल परियोजना लागत से एक परियोजना कार्यान्वित की जा रही है और इसके 2002 ईस्वी तक पूरा हो जाने की संभावना है।

बिहार में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों को प्रोत्साहन

1372. **श्री राम कृपाल यादव :** क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विशेषकर बिहार में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों को प्रोत्साहन देने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इस पर कुल कितनी राशि खर्च की गई है;

(ग) क्या सरकार इस संबंध में की गई उपलब्धियों से संतुष्ट है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार इस संबंध में समय-समय पर मूल्याकंन कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पिछली बार किए गए मूल्यांकन का निष्कर्ष क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय, बिहार राज्य सहित देश भर में अपारंपरिक ऊर्जा का उत्पादन और उसका उपयोग करने के लिए काफी सारे कार्यक्रमों का क्रियान्वयन कर रहा है जिसमें एकीकृत ग्राम ऊर्जा कार्यक्रम (आई आर ई पी), बायोगैस संयंत्रों, उन्नत चूल्हों, बायोमास गैसीकरण और ब्रिकेटिंग संयंत्रों की स्थापना, घरेलू और औद्योगिक दोनों प्रकार के सौर तापीय जल तापन, सौर प्रकाशवोल्टीय ऊर्जा आधारित ग्रामीण घरेलू रोशनी, लालटेन, सिंचाई के लिए जल पंप और ग्रामीण स्तर के विद्युत संयंत्र, पवन ऊर्जा से ग्रिड-सम्बद्ध-विद्युत, लघु जल विद्युत, बायोमास कम्बस्टन, खोई आधारित सह-उत्पादन और सौर प्रकाशवोल्टीय ऊर्जा तथा शहरी एवं औद्योगिक अपशिष्टों से विद्युत आदि के कार्यक्रम शामिल हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार राज्य को मंत्रालय द्वारा जारी की गई कुल धनराशि 466.58 लाख रुपये हैं।

(ग) और (घ) सरकार, आमतौर पर बिहार राज्य में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के उपयोग की प्रगति से संतुष्ट है। तथापि, बायोगैस संयंत्रों और उन्नत चूल्हों की संभाव्यता का दायरा बढ़ाने और इनकी कार्यकुशलता में सुधार लाने की आवश्यकता है ताकि इसे राष्ट्रीय औसत तक लाया जा सके।

(ङ) जी हां, मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत प्राप्त की गई उपलब्धियों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

(च) मंत्रालय के विभिन्न प्रमुख कार्यक्रमों के अंतर्गत बिहार राज्य में वर्ष 1996-97 के दौरान प्राप्त की गई वास्तविक उपलब्धियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 1996-97 के लिए बिहार राज्य में प्रमुख अक्षय ऊर्जा कार्यक्रमों के अंतर्गत लक्ष्य तथा उपलब्धियां

क्र॰सं॰	कार्यक्रम का नाम	1996-97	
		लक्ष्य	उपलब्धि
1.	बायोगैस		
(i)	एन पी बी डी (संख्या)	2,815	682
2.	उन्नत चूल्हा (संख्या)	60,000	24,712
3.	सौर लालटेन (संख्या)	19,000	14,612
4.	एस पी वी जल पंपन प्रणालियां (सं॰)	लक्ष्य निर्धारित नहीं	40
5.	लघु जल विद्युत परियोजना		
(i)	सफरी माइक्रो हाइडल सैट (10 किवा॰ का प्रत्येक यूनिट)	5	4
(ii)	सर्वेक्षण एवं अन्वेषण	लक्ष्य निर्धारित नहीं	24

एन पी बी डी = राष्ट्रीय बायोगैस विकास परियोजना

के डब्ल्यू = किलो वाट

एस पी वी = सौर प्रकाशवोल्टीय

[अनुवाद]

नीम के औषधीय गुण

1373. **श्री के॰पी॰ सिंह देव : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार का नीम के औषधीय गुणों पर अनुसंधान करने के लिए कोई कार्य योजना कार्यान्वित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन राज्यों के नाम क्या है जहां नीम और इसके औषधीय गुणों पर अनुसंधान कार्य आरम्भ हो चुका है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के॰ अलघ) : (क) और (ख) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, केन्द्रीय आयुर्वेद तथा सिद्ध अनुसंधान परिषद, रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन, बायोटेक्नोलॉजी विभाग और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तत्वावधान में विभिन्न अनुसंधान तथा विकास संस्थान नीम के ओषधीय गुणों पर अनुसंधान कार्य चला रहे हैं। इस कार्य में शामिल किए गए प्रमुख क्षेत्र हैं : गर्भ निरोधक के रूप में नीम तेल तथा इसके प्रभाजों की संभाव्यता; सूक्ष्मजीव-रोधी तथा प्रतिरक्षा माडुलक गुणों का मूल्यांकन; उत्कृष्ट रोपण सामग्री का सूक्ष्मप्रवर्धन; संवर्धित नीम कोशिकाओं से चिकित्सीय अधिकर्मकों का इन-विट्रो उत्पादन; गैस्ट्रिक हाइपरऐसिडिटि तथा अल्सर के नियंत्रण के लिए नीम के छाल से क्रियाशील नियम का विलगन तथा लक्षण-वर्णन; आण्विक मार्करों का प्रयोग कर नीम में आनुवंशिक विविधता का मूल्यांकन।

(ग) नीम पर महत्वपूर्ण अनुसंधान कार्य करने वाले संस्थान आन्ध्र प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में स्थित हैं।

भारतीय टीका निगम लिमिटेड (आई वी सी ओ एल) का बंद किया जाना

1374. श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय टीका निगम लिमिटेड (आई वी सी ओ एल) को बंद करने का निर्णय लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के॰ अलघ) : (क) जी महोदया, मंत्रिमंडल ने अपनी 21-11-95 को हुई बैठक में यह अनुमोदन किया था कि बायोटेक्नालॉजी विभाग (डी बी टी) आई वी सी ओ एल के समापन तथा विघटन के लिए कार्रवाई शुरू करेगा; और अतिरिक्त लागत, यदि कोई हो तो, उसे अन्य दो साझेदारों के साथ डी बी टी द्वारा वहन किया जाएगा।

(ख) यह निर्णय उस परिस्थिति में लिया गया जब भारत में पोलियो के उन्मूलन के लिए ओरल पोलियो वैक्सीन तथा इन्जेक्टिबल पोलियो वैक्सीन संयोजन के स्थान पर केवल ओरल पोलियो वैक्सीन के प्रयोग संबंधी नीति में कुछ परिवर्तनों के कारण वेरो कोशिका प्रोद्योगिकी का हस्तांतरण नहीं हो सका, जिसके लिए 1989 में प्राथमिक रूप से इवकॉल की स्थापना की गई थी।

समझौता ज्ञापन

1375. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हिमाचल प्रदेश सरकार पार्वती एच॰ई॰ परियोजना के संबंध में दिनांक 20.10.92 को किए गए समझौता ज्ञापन से पीछे हट रही है और इस परियोजना के लिए धनराशि के आबंटन में वृद्धि की मांग कर रही है;

(ख) क्या राजस्थान सरकार ने इस मामले में केन्द्र सरकार से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या इस परियोजना को संयुक्त उद्यम के रूप में आरंभ किए जाने की सरकार की कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के॰ अलघ) : (क) से (ग) पार्वती जल विद्युत परियोजना के तीन चरणों में अन्वेषण कार्य करने और क्रियान्वित किए जाने के लिए राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, गुजरात और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकारों के बीच दिनांक 20.10.1992 को एक समझौता ज्ञापन सम्पन्न किया गया था। परियोजना हिमाचल प्रदेश में पार्वती घाटी (कुल्लू जिला) में अवस्थित है। राज्य सरकारों के बीच हुए आपसी समझौतों के अनुसार इक्विटी अंशदान निम्नवत होगा :—

1. राजस्थान	40%
2. हरियाणा	25%
3. गुजरात	15%
4. दिल्ली	15%
5. हिमाचल प्रदेश	8%

समझौता ज्ञापन में यह भी प्रावधान किया गया है कि परियोजना से उत्पादित 12 प्रतिशत ऊर्जा हिमालय प्रदेश को नि:शुल्क प्रदान की जाएगी। परियोजना से शेष उत्पादित 88 प्रतिशत ऊर्जा हिमाचल प्रदेश समेत राज्यों के बीच अनुपातिक रूप से उनकी इक्विटी भागीदारी के अनुपात में प्रदान की जाएगी।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने अनुरोध किया है कि अन्य भागीदार राज्यों के हिस्से में कटोती करके उनकी इक्विटी भागीदारी को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दिया जाए। तथापि, राजस्थान सरकार को यह स्वीकार नहीं है और मंत्रालय से अनुरोध किया गया है कि समझौता ज्ञापन में निहित विद्युत आबंटन के सिद्धांत को स्वीकार करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार से अनुरोध किया जाए।

चूंकि, समझौता ज्ञापन राज्यों के बीच सम्पन्न हुआ था इसलिए केन्द्र सरकार द्वारा मध्यस्थता की भूमिका अदा कर पाना संभव नहीं होगा। विद्युत के बंटवारे के प्रश्न के बारे में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वालों को आपसी परामर्श से निर्णय लेना होगा।

(घ) और (ङ) संयुक्त उद्यम के रूप में परियोजना का क्रियान्वयन किए जाने के लिए केन्द्रीय सरकार के पास इस समय कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

संसद भवन कोटा

1376. **लेफ्टीनेंट जनरल प्रकाश मणि त्रिपाठी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ वर्ष पूर्व रेल आरक्षण के लिए संसद भवन का कोटा था जो अब नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार संसद सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्रों से आने वाले लोगों की सुविधा के लिए उक्त कोटा फिर से शुरू करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (ग) जब संसद सदस्य प्रथम दर्जे में और उनके सहचर दूसरे दर्जे में यात्रा के हकदार थे तब संसद सदस्यों के सहचरों को स्थान दिलाने के लिए विभिन्न गाड़ियों में दूसरा दर्जा शयनयान के आरक्षण कोटे में शायिकाएं निर्धारित की गई थी। अब संसद सदस्यों के सहचर संसद सदस्यों के साथ प्रथम/वाता॰ 2 टियर श्रेणी में यात्रा करने के हकदार हैं अतः संसद भवन बुकिंग कार्यालय में इन कोटों को बनाए रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। संसद सदस्यों से अपने मेहमानों के संबंध में प्राप्त आरक्षण मांग पत्रों पर कार्रवाई संसद भवन स्थित बुकिंग कार्यालय में उपलब्ध कम्प्यूटर टर्मिनलों पर की जाती है जो नई दिल्ली स्थित कम्प्यूटरीकृत आरक्षण कार्यालय की मुख्य यात्री आरक्षण प्रणाली से सीधा जुड़ा है।

तकनीकी कर्मचारियों द्वारा सामूहिक अवकाश लिया जाना

1377. **श्री हरिवंश सहाय :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन और आकाशवाणी के तकनीकी कर्मचारियों ने मई, 1997 के तीसरे सप्ताह के दौरान सामूहिक अवकाश लिया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा वे कब तक अवकाश पर रहे;

(ग) उनके द्वारा लिए गए अवकाश के कारण दूरदर्शन और आकाशवाणी कार्यक्रमों पर क्या प्रभाव पड़ा तथा सरकार को इसके परिणामस्वरूप कुल कितने राजस्व की हानि हुई; और

(घ) कर्मचारियों की मांगों का ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस॰ जयपाल रेड्डी) : (क) से (ग) जी, हां। आकाशवाणी और दूरदर्शन के तकनीकी कर्मचारी, पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के विरोध में दिनांक 18 और 22 मई, 1997 को सामूहिक आकस्मिक अवकाश पर थे। आंदोलनान्तमक स्थिति के बावजूद, कुछ इक्का-दुक्का मामलों को छोड़कर आकाशवाणी/दूरदर्शन सेवाएं अबाधित रूप से जारी रहीं। सरकार को इससे राजस्व की कोई हानि नहीं हुई।

(घ) उनकी मांगें वेतनमान बढ़ाने के बारे में हैं और जिन्हें सरकार द्वारा गठित सचिवों की समिति को इस मामले में शीघ्र निर्णय लेने हेतु भेज दिया गया है।

[हिन्दी]

जौनपुर-औधियार लाइन का आमान परिवर्तन

1378. **श्री विद्यासागर सोनकर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जौनपुर-औधियार मीटर गेज लाइन को ब्राड गेज लाइन में कब तक परिवर्तित किए जाने की संभावना है;

(ख) क्या जौनपुर से औधियार के लिए कोई नई रेलगाड़ी शुरू करने की कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो उक्त रेलगाड़ी कब से शुरू किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या उक्त मार्ग पर रेल बस नियमित रूप से चलती है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जौनपुर-औंडिहार लाइन का आमान परिवर्तन का कार्य अभी तक स्वीकृत कार्य नहीं है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी हां।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

गुजरात में भूमिगत/उपरिपुलों का निर्माण

1379. **डा॰ बल्लभ भाई कथीरिया :**
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में लम्बित/चालू/भूमिगत/उपरिपुलों की परियोजनाओं का उन पर किए गए व्यय सहित ब्यौरा क्या है; और

(ख) ये परियोजनाएं कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख)

क्र॰सं॰	कार्य का नाम	ब्यौरा और पूरा करने का समय	उन पर किया गया खर्च
लागत में भागेदारी वाले कार्य			
1.	साबरमती और गांधीग्राम के बीच समपार सं॰ 11 के बदले निचला सड़क पुल।	समूचा कार्य अहमदाबाद नगर निगम द्वारा निष्पादित किया जाना है। पूरा करने का समय अभी निर्धारित नहीं किया गया है।	कुछ नहीं।
2.	सूरत में समपार सं॰ 146 के बदले ऊपरी सड़क पुल।	रेले के हिस्से का कार्य पूरा किया जा चुका है और पहुंच मार्गों पर 90 प्रतिशत प्रगति की जा चुकी है। कार्य को सितंबर, 1997 तक पूरा करने का लक्ष्य है।	120.83 लाख रुपए
3.	संत रोड़-पिपलोद पर समपार सं॰ 20 के बदले ऊपरी सड़क पुल।	रेलवे के हिस्से का कार्य शुरू नहीं किया जा सका है क्योंकि राज्य सरकार ने पहुंच मार्गों पर कार्य आरंभ नहीं किया है।	कुछ नहीं।
4.	वापी में समपार सं॰ 80 के बदले ऊपरी सड़क पुल।	कार्य पूरा हो गया है और ऊपरी सड़क पुल यातायात के लिए 26-5-97 को खोल दिया गया है।	173.63 लाख रुपए
5.	हिम्मतनगर में कि॰मी॰ 321/10-11 पर निचला सड़क पुल।	राज्य सरकार ने अप्रैल, 1997 में ही 271.21 लाख रुपए का निक्षेप किया है। यह कार्य शुरू किया जा रहा है। पूरा करने का समय अभी निर्धारित नहीं किया गया है।	कुछ नहीं।
6.	दक्षिणी सोसायटी के निकट मणिनगर-वटवा पर निचला सड़क पुल।	मई, 1997 में इस कार्य के लिए ठेका दे दिया गया है। कार्य प्रगति पर है और इसे मई, 1998 तक पूरा किए जाने की लक्ष्य है।	कुछ नहीं।
7.	*अहमदाबाद-मेहसाण खण्ड पर सायसरथा (कलोल) में ऊपरी सड़क* पुल।	*राज्य सरकार ने इस कार्य के लिए 3.26 करोड़ रुपए का निक्षेप किया है जो प्रगति पर है और इसे मार्च, 98 तक पूरा करने का* लक्ष्य है।	*1.95 लाख रुपए*
8.	अहमदाबाद-मेहसाणा के बीच कि॰मी॰ 190/6-8 (कडिला) पर मणिनगर में ऊपरी सड़क पुल।	पहुंच मार्गों का कार्य पूरा हो गया है और रेलपथ हिस्से का कार्य प्रगति पर है। कार्य के नवंबर, 97 तक पूरा हो जाने की संभावना है।	73.36 लाख रुपए
9.	वडोदरा-गोधरा खण्ड पर छायापुर-पिलौल के बीच ऊपरी सड़क पुल को 4 लेनों के लिए चौड़ा करना।	रेलवे के हिस्से का कार्य की प्रगति 5 प्रतिशत है और पहुंच मार्गों का कार्य पूरा कर लिया गया है। इस कार्य को 1998 तक पूरा करने का लक्ष्य है।	32.32 लाख रुपए
10.	मणिनगर-अहमदाबाद के बीच कि॰मी॰ 492/7-8(कोकरा) पर समपार सं॰ 308/ए के बदले ऊपर सड़क पुल।	पहुंच मार्गों का कार्य पूरा होने वाला है और रेलवे के भाग का कार्य पाए कैप स्तर तक पूरा कर लिया गया है। इस कार्य को नवंबर, 1997 तक पूरा करने का लक्ष्य है।	27.22 लाख रुपए
11.	गांधीग्राम-वस्त्रपुर के कि॰मी॰ 23/9-10 पर ऊपरी सड़क पुल।	निविदा दे दी गई है और कार्य मार्च, 98 तक पूरा करने लक्ष्य है।	कुछ नहीं।

बदरपुर ताप विद्युत परियोजना हेतु प्रस्ताव

1380. **श्री भगवान शंकर रावत :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बदरपुर स्थित राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम का विस्तार करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है तथा इसके कब तक पूरा हो जाने की संभावना है; और

(घ) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के बदरपुर संयंत्र की कुल क्षमता उपयोगिता कितनी है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के॰ अलघ) : (क) और (ख) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एन॰टी॰पी॰सी॰) ने बदरपुर ताप विद्युत परियोजना का विस्तार करने के लिए कोई कार्यक्रम नहीं बनाया है।

(ग) उपरोक्त (क) और (ख) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(घ) चालू वर्ष में 30 जून, 1997 तक का संयंत्र भार अनुपात 70.59 प्रतिशत है।

एशियाई विकास बैंक द्वारा सहायता प्राप्त ग्रामीण टेलीफोन

1381. **श्रीमती लक्ष्मी पनबाका :**
डॉ॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाई विकास बैंक द्वारा सहायता प्राप्त ग्रामीण टेलीफोन परियोजनाओं के लिए विदेशी कंपनियों ने बोली लगायी है जिसके लिए दूरसंचार विभाग ने निविदाएं आमंत्रित की हैं;

(ख) यदि हां, तो कितनी विदेशी कंपनियों ने बोली लगाई है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितनी विदेशी कंपनियों का चयन किया गया है; और

(घ) इन परियोजनाओं की स्थापना कब तक कर दिए जाने की संभावना है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) कुल 14 बोलियां प्राप्त हुई हैं जिनमें से आठ सीधे विदेशी कम्पनियों से तथा शेष छः भारतीय कम्पनियों के साथ संयुक्त रूप से प्राप्त हुई हैं।

(ग) निविदाओं का अभी मूल्याकन किया जा रहा है।

(घ) वर्ष 1998-99 के लिए इसकी योजना बनाई गई है।

[हिन्दी]

यात्रा टिकट निरीक्षक द्वारा की जाने वाली अनियमितताएं

1382. **श्री भावनाबेन देवराजभाई चिखलिया :**
श्रीमती पूर्णिमा वर्मा :
श्रीमती शीला गौतम :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 15 जून, 1997 के "राष्ट्रीय सहारा" में "पासवान जी, देखिए क्या सीन है" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने तथा रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं को सुचारू बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) समाचार पत्र में प्रकाशित रिपोर्टों सहित सभी शिकायतों की सक्षम प्राधिकारी द्वारा जांच/छानबीन की गई है तथा शिकायतों के लिए जिम्मेदार कर्मचारियों के विरूद्ध कार्रवाई करने सहित निवारक कार्रवाई की गई है। 1994-95 और 1995-96 के दौरान क्रमशः 2,407 और 2,252 रेल कर्मचारियों के विरूद्ध कार्रवाई की गई। समाचार पत्र में उल्लिखित विशिष्ट मामले में, उत्तर रेल द्वारा तत्परता-पूर्वक जांच की गई थी तथा प्रथम दृष्टया कोई रेल कर्मचारी दोषी नहीं पाया गया था। यात्री सुविधाओं के लिए अलग से निधियां निर्धारित करके स्टेशनों पर कार्यक्रमबद्ध आधार पर यात्री सुविधा में सुधार करने/कारगर बनाने के लिए भी नियमित उपाय किए जाते हैं।

स्थानीय रेडियो स्टेशन और कम शक्ति के ट्रांसमीटरों की अधिष्ठापना

1383. **श्री बृज भूषण तिवारी :**
कुंवर सर्वराज सिंह :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संसद सदस्यों की सिफारिश पर स्थानीय रेडियो स्टेशन और अल्प शक्ति वाले ट्रांसमीटर अधिष्ठापित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो ये किस तारीख को अधिष्ठापित किए गए और इन पर कितनी राशि खर्च हुई;

(ग) क्या उपरोक्त स्थानीय रेडियो स्टेशन और अल्प शक्ति वाले ट्रांसमीटर कार्यरत हैं;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस॰ जयपाल रेड्डी) : (क) से (ङ) टी॰वी॰/रेडियो ट्रांसमीटरों आदि की स्थापना के लिए संसद सदस्यों/अति विशिष्ट व्यक्तियों सहित विभिन्न मंचों से समय-समय पर अनुरोध प्राप्त होते रहते हैं। नए ट्रांसमीटरों के लिए स्थान अभिनिर्धारित करते समय ऐसे अनुरोधों को ध्यान में रखा जाता है। नए ट्रांसमीटरों के स्थानों के निर्णय संबंधी मानदंडों में परिणामी कवरेज की सीमा, क्षेत्र की भू-भागीय अवस्थाएं, क्षेत्र की भाषायी तथा सांस्कृतिक आवश्यकताएं, तकनीकी, संभाव्यता, वित्तीय/आधारभूत संसाधनों की उपलब्धता आदि जैसे कारक शामिल हैं।

वर्तमान में 638 अल्प शक्ति टी॰वी॰ ट्रांसमीटर और 73 स्थानीय रेडियो केंद्र प्रचालन में हैं। इसके अलावा, 18 स्थानीय रेडियो केन्द्र कार्यान्वयन की विभिन्न स्थितियों में हैं। इनमें से कुछ ट्रांसमीटर/स्थानीय रेडियो केन्द्र इन केन्द्रों के लिए पर्याप्त स्टाफ की स्वीकृति न मिलने के कारण आंशिक प्रसारण ही रिले कर रहे हैं अथवा नियमित प्रसारण रिले नहीं कर रहे हैं। स्टॉफ की शीघ्र स्वीकृति के लिए पहले से ही कार्रवाई शुरू की जा चुकी हैं।

होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक औषधालय/अस्पताल

1384. **श्री रामचंद्र वीरप्पा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे के अलग-अलग जोनों में चल रहे होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और एलौपैथिक औषधालयों/अस्पतालों की संख्या क्या है;

(ख) क्या ऐलोपैथिक औषधालयों की तुलना में होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक औषधालयों की संख्या बहुत ही कम है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या होम्योपैथिक/आयुर्वेदिक डाक्टरों के पद विशेषकर दिल्ली में रिक्त पड़े हैं;

(ङ) यदि हां, तो औषधालयवार और जोनवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इन पदों को कब तक भर लिए जाने की संभावना है और इसके लिए किन नियमों का पालन किया जाएगा?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क)

रेलवे/उत्पादन इकाइयां	होम्योपैथिक डिस्पेंसरिया	आयुर्वेदिक डिस्पेंसरिया	एलोपैथिक अस्पताल	एलोपैथिक स्वास्थ्य इकाइयां
मध्य रेल	15	2	16	80
पूर्व रेल	17	10	14 (चि॰रे॰का॰ सहित)	54
उत्तर रेल	14	10	22 (रे॰को॰फे॰, अ॰अ॰मा॰सं॰, डि॰पु॰का॰ सहित)	101
पूर्वोत्तर रेल	24	5	10 (डी॰रे॰का॰ सहित)	51
पूर्वोत्तर सीमा रेल	8	2	10	50
दक्षिण रेल	8	3	15 (स॰डि॰का॰, प॰धु॰का॰, सहित)	63
दक्षिण मध्य रेल	3	3	6	56
दक्षिण पूर्व रेल	14	कुछ नहीं	13	83
पश्चिम रेल	11	1	16	81
रेल कोच फैक्टरी, कपूरथला	1	कुछ नहीं		
पहिया एवं धुरा संयंत्र, बेंगलूरू	कुछ नहीं	1		
जोड़	115	37	122	619+51 लॉक अप डिस्पेंसरियां

(ख) जी, हां।

(ग) भारतीय रेलों पर रेल कर्मचारियों को औषधि की आधुनिक प्रणाली "एलोपैथी" के अंतर्गत नियमित चिकित्सा देखभाल मुहैया कराने के लिए अस्पतालों और स्वास्थ्य इकाइयों की बड़ी संख्या में व्यवस्था की गई है। इसके अलावा, कर्मचारी सुविधा और औषधि की स्वदेशी प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए कर्मचारी हित निधि के तत्वावधान में, जो विभिन्न कर्मचारी कल्याण गतिविधियों को संपूरित करती है, होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक औषधालयों की स्थापना की गई है। इन औषधालयों का खोला जाना इन प्रणालियों के अंतर्गत इलाज की मांग और कर्मचारी हित निधि के अंतर्गत धन की उपलब्धता पर निर्भर करता है। ये होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक औषधालय रेल मंत्रालय द्वारा मुहैया कराई जा रही चिकित्सा देखभाल का भाग नहीं है।

(घ) और (ङ) होम्योपैथी चिकित्सक का एक पद चक्रधरपुर (द॰पू॰ रेल) और एक आयुर्वेदिक चिकित्सक का पद पूर्णा (द॰म॰ रेल) में रिक्त पड़ा है।

(च) ये रिक्त पद उपयुक्त उम्मीदवार मिलते ही भर दिए जाएंगे। कर्मचारी हित निधि के तत्वावधान में चल रहे औषधालयों में होम्योपैथिक/आयुर्वेदिक चिकित्सकों की नियुक्ति के लिए योग्यता औषधि की संबंधित प्रणाली में चार वर्ष का डिप्लोमा/डिग्री प्राप्त करने के बाद पांच वर्ष का अनुभव हो।

भूकंप से हुई रेल संपत्ति को क्षति

1385. **श्री दादा बाबू राव परांजये :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 22 मई, 1997 को आए भूकंप से मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी रीजन में मध्य रेलवे को बहुत अधिक हानि हुई थी;

(ख) यदि हां, तो नष्ट हुई रेल सम्पत्ति का ब्यौरा क्या है और इससे कितनी हानि उठानी पड़ी; और

(ग) क्षतिग्रस्त रेल संपत्ति की मरम्मत के संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और इसके लिए कितनी सहायता दी गई है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी, हां।

(ख) जबलपुर में तथा उसके आस पास के क्षेत्र में बड़ी संख्या में आवासीय क्वार्टरों तथा सेवा भवनों को भारी क्षति पहुंची है। इनमें से 287 आवासीय क्वार्टरों तथा मदन महल और भाराघाट की स्टेशन इमारतों और जबलपुर, कच्छपुरा व अधरताल के केबिनों के पुनर्निर्माण की आवश्यकता है। इसके अलावा, 637 रिहायशी क्वार्टरों और विभिन्न समपारों पर बहुत से ड्यूटी बॉक्स की मरम्मत करने की जरूरत है। इन क्षतियों की मरम्मत/पुनर्निर्माण की कुल लागत इस समय लगभग 10.50 करोड़ रु॰ आंकी गई है।

(ग) पुनर्स्थापन कार्य शुरू किया गया है।

[अनुवाद]

पाकिस्तान से विद्युत का आयात

1386. **श्री एल॰ रमना :**
श्री दिनेश चन्द्र यादव :
श्री छीतुभाई गामीत :
प्रो॰ ओमपाल सिंह निडर :
प्रो॰ अजित कुमार मेहता :
श्री सिद्धैया कोटा :
श्री रनजीब बिसवाल :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में विद्युत मांग को पूरा करने हेतु पाकिस्तान के साथ इसकी खरीद किए जाने के संबंध में कोई समझौता करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारत का पाकिस्तान से कितनी मात्रा में विद्युत का आयात किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) इसका आयात किस दर पर किए जाने की संभावना है तथा इसका उपयोग भारत के किन-किन क्षेत्रों में किया जाएगा;

(ङ) इस संबंध में बातचीत कब तक पूरी कर लिए जाने की संभावना है;

(च) क्या भारत की विद्युत समस्या का समाधान पाकिस्तान, नेपाल तथा बंगालदेश सहित पड़ोसी देशों से विद्युत प्राप्त करके किया जा सकता है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के॰ अलघ) : (क) से (ङ) पाकिस्तान से भारत को विद्युत की बिक्री करने संबंधी एक प्रस्ताव भारतीय दूतावास, वाशिंगटन से प्राप्त हुआ था। प्रस्ताव मूल्यांकन और सवीक्षा किए जाने की प्रारम्भिक अवस्था में है। कराची के समीप विश्व बैंक से वित्तपोषित हब रीवर पावर प्रोजेक्ट की 1300 मे॰वा॰ वाली अन्तिम यूनिट के चालू हो जाने के बाद पाकिस्तान द्वारा मानसून के दौरान 1000 मे॰वा॰ अधिशेष विद्युत अर्जित किए जाने की सम्भावना है। अधिशेष अधिकतर जुलाई से सितम्बर के बीच रहता है। प्रत्याशा यह है कि निर्माणाधीन परियोजनाओं की क्षमता अभिवृद्धि को मद्देनजर रखते हुए कमी वाली अवधि के दौरान पर्याप्त विद्युत उपलब्ध हो जाएगी। पंजाब, राजस्थान और गुजरात से वृहत विद्युत का हस्तान्तरण सुविधाजनक बनाने के लिए एक 400 के॰वी॰ का पारेषण लिंक की उपयुक्त समय पर स्थापना करना आवश्यक होगा। निकट भविष्य में लाहौर और अमृतसर के बीच एक 66 के॰वी॰ डबल सर्किट लाइन चालू किए जाने की आवश्यकता है। इससे 200 मे॰वा॰

विद्युत का पारेषण सुविधाजनक होगा। अपेक्षित निवेशों और विद्युत के अन्तरण को प्रभावी बनाने वाले रूपात्मकताओं के संबंध में अभी तक कोई व्यवहार्यता अध्ययन नहीं किया गया है।

(च) और (छ) नौवीं योजना (1997-2002) में 34000 मे॰वा॰ की वास्तविक क्षमता अभिवृद्धि की परिकल्पना करते हुए विद्युत संबंधी कार्यकारी दल द्वारा किए गये मूल्यांकन के आधार पर 2001-02 में ऊर्जा और इसकी व्यस्ततमकालीन कमी क्रमशः 3.8 प्रतिशत और 14.4 प्रतिशत होगी। पड़ौसी देशों से विद्युत का आयात करने से देश में विद्युत की आपूर्ति की स्थिति में कुछ हद तक सुधार होगा।

सामान से लदे वैगनों को रोकना

1387. श्री हाराधन राय : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "वन ट्रेन सिस्टम" की शुरूआत करने से सामान से लदे वैगनों को बिना किसी जांच के जाने दिया जाता है जो सुरक्षा नियमों का उल्लंघन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रात के समय काम रोकने के कारण सामान से लदे वैगन दक्षिण पूर्व रेल के आद्रा मंडल में राधानगर रेलवे बोर्ड में 4 से 5 दिनों तक खड़े रहते हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या लंबे समय तक वैगनों को रोके जाने से रेलवे की हानि में वृद्धि होती है विशेष रूप से तब जबकि वैगनों की कमी है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या नई प्रणाली की शुरूआत करने से, राधानगर रेलवे यार्ड के 250-300 कर्मचारियों की सेवाएं बेकार जा रही हैं;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(झ) इन कर्मचारियों की सेवाओं को लाभदायक रूप से उपयोग करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) मालडिब्बों की रूकौनी उचित सीमा के भीतर है। इस समय लदे हुए रेकों की रूकौनी में कमी लाई गई है।

(च) लदे हुए रेकों की रूकौनी जो 1995-96 में लगभग 35 घंटे थी, 1996-97 के दौरान घटकर लगभग 21 घंटे रह गई है।

(छ) जी नहीं।

(ज) प्रश्न नहीं उठता।

(झ) कर्मचारियों को उन स्थानों से हटाकर जहां कम हो गया है, अन्य क्षेत्रों में जहां अतिरिक्त कर्मचारियों की आवश्यकता होती है, पुनः तैनात किया जाता है।

रेल सतर्कता दस्ते द्वारा आकस्मिक जांच

1388. श्री प्रदीप भट्टाचार्य : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के सतर्कता दस्ते द्वारा हाल ही में दिल्ली में रेलवे द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कैन्टीनों की आकस्मिक जांच की गई थी और वहां पर कई अनियमितताएं पाई गई थीं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे का विचार इन कैंटीनों के कार्यकरण को चुस्तदुरूस्त बनाने का है ताकि दिल्ली की विभिन्न खानपान इकाइयों में बढ़िया किस्म की चीजें उपलब्ध कराई जा सकें; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी, हां।

(ख) रिकार्डों का उचित ढंग से रख-रखाव न किए जाने के अलावा सफाई और खान-पान मदों की घटिया गुणवत्ता के संबंध में कुछ विसंगतियां पाई गई थीं।

(घ) जी हां।

(घ) रेलों द्वारा खानपान सेवाओं की गुणवत्ता, कच्चे माल, मानक, स्वच्छता तथा रिकार्डों के अद्यतन रखरखाव में सुधार लाने के लिए निरंतर प्रयास किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, जांच तेज कर दी गई है।

लंबी दूरी की गाड़ियों को गांधीधाम तक बढ़ाना

1389. श्री पी॰एस॰ गढ़वी :
श्री गोरधनभाई जावीया :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह मांग की जाती रही है कि लंबी दूरी की गाड़ियों को गांधीधाम तक बढ़ा दिया जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है तथा लंबी दूरी की उन गाड़ियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें आगे बढ़ाए जाने को प्रस्ताव है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) इस संबंध में कुछ मांगें प्राप्त हुई हैं।

(ख) हावड़ा-अहमदाबाद एक्सप्रैस, मद्रास-अहमदाबाद एक्सप्रेस आदि सहित गाड़ियों को गांधीधाम तक बढ़ाने की जांच की गई है परंतु परिचालनिक कठिनाई एवं संसाधनों की तंगी के कारण व्यावहारिक नहीं पाया गया है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में टेलीफोन कनेक्शन की प्रतीक्षा सूची

1390. श्री कचरू भाऊ राउत : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में 30 जून, 1997 तक टेलीफोन कनेक्शन हेतु प्रतीक्षा सूची में जिले-वार पंजीकृत आवेदनों की संख्या कितनी है;

(ख) अब तक कितने टेलीफोन कनेक्शन जारी किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने शीघ्र टेलीफोन कनेक्शन जारी करने हेतु कोई योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) वर्ष 1997-98 के दौरान, महाराष्ट्र दूरसंचार सर्किल में 225000 टेलीफोन कनेक्शन तथा एम टी एन एल, मुंबई में 226000 टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने की योजना है।

विवरण

महाराष्ट्र दूरसंचार सर्किल के लिए

क्र॰सं॰	दूरसंचार जिले का नाम	30.6.97 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा सूची	30.6.97 की स्थिति के अनुसार टेलीफोन कनेक्शनों की स्थिति
1	2	3	4
1	रायगढ़	4348	38325
2.	जलगांव	10876	37586
3.	नासिक	21271	79443
4.	धुले	11846	18842
5.	कोल्हापुर	8218	74942
6.	शोलापुर	7703	44224
7.	सतारा	8193	36257
8.	संगाली	11794	44419
9.	रत्नागिरी	6790	17640
10.	सिंधुदुर्ग	2522	9048
11.	अहमदनगर	14743	47451
12.	औरंगाबाद	8008	41156
13.	जालना	1173	8864
14.	लातूर	2625	18831
15.	उस्मानाबाद	2220	7465
16.	नांदेड़	3587	20476
17.	परभनी	1754	13584
18.	बीड़	2599	12083
19.	पुणे	56349	255783
20.	गोवा	13988	79445
21.	नागपुर	9875	101388
22.	कल्याण	60720	131231
23.	अकोला	3030	25439
24.	अमरावती	3324	30918
25.	भंडारा	2473	15199
26.	बुल्ढाना	2604	14301
27.	चन्द्रपुर	3994	15916
28.	गढ़चिरोली	537	2589
29.	वर्धा	2373	13054
30.	यवतमाल	3182	11877
	जोड़	292719	1267576
	एम टी एन एल मंबई के लिए	30792	1661106

[अनुवाद]

तमिलनाडु में आमान परिवर्तन

1391. श्री एन॰एस॰वी॰ चित्थन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में कुल कितनी लंबाई के रेल मार्ग को बड़ी लाइन में बदला जाना है;

(ख) रेल मार्ग को कब तक पूरी तरह बदल दिए जाने की संभावना है;

(ग) दिसंबर, 1997 तक पूरे कर लिए जाने वाले मुख्य सेक्शनों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त अनुदान दिए जाने पर विचार किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) तमिलनाडु में बड़ी लाइन में परिवर्तित किए जाने वाले रेलपथ की कुल लम्बाई 2612 कि॰मी॰ है।

(ख) धन और अन्य संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

(ग) तिरूच्चिरापल्ली-तंजावूर समानांतर बड़ी लाइन (50 कि॰मी॰)

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल में रेल विकास

1392. **श्री पी॰आर॰ दासमुंशी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें उत्तरी और दक्षिणी दिनाजपुर (उत्तर बंगाल) में रेल विकास के संबंध में संसद सदस्यों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी हां।

(ख) भूतपूर्व संसद सदस्य श्री पालास बर्मन से 20.9.96 को एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था जिसमें इकलाखी-बालूरघाट नई रेल लाइन के निर्माण कार्य को तेज करने तथा 1997-98 के दौरान परियोजना के लिए कम से कम 5 करोड़ रु॰ की व्यवस्था का सुझाव दिया गया है।

(ग) कार्य भली-भांति चल रहा है। कार्य को तेज करने के लिए 1997-98 में परिव्यय को बढ़ाकर 10 करोड़ रु॰ कर दिया गया है।

महाराष्ट्र में इस्पात की मांग और खपत

1393. **श्री अन्नासाहिब एम॰के॰ पाटिल** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में इस समय इस्पात की कितनी मांग है; और

(ख) सरकार द्वारा इस्पात की मांग और आपूर्ति के बीच अन्तर को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) विकास आयुक्त, लोहा और इस्पात द्वारा मांग का निर्धारण अखिल भारतीय आधार पर केवल वार्षिक रूप से ही किया जाता है।

(ख) देश में इस्पात की आपूर्ति में वृद्धि करने के लिए सरकार निजी क्षेत्र में अतिरिक्त क्षमता का सृजन कर रही है। सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों का आधुनिकीकरण/विस्तार भी किया गया है। इस्पात का आयात निर्बाध रूप से करने की अनुमति है और आयात शुल्क क्रमिक रूप से कम किया गया है ताकि कम कीमत पर आयात किया जा सके।

[हिन्दी]

विद्युत का उत्पादन

1394. **प्रो॰ प्रेम सिंह चन्दूमाजरा** :
श्री नवल किशोर राय :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 27 जून, 1997 के "द ट्रिब्यून" में "पावर आउटपुट नोट इवन हाफ ऑफ नीड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके तथ्य क्या हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा देश में जून, 1997 के माह के दौरान बिजली की कितनी कमी ध्यान में आई है;

(ग) क्या देश की विद्युत उत्पादन क्षमता 86,000 मेगावाट है; और

(घ) यदि हां, तो गत वर्षों के दौरान औसतन कितने प्रतिशत विद्युत का उत्पादन हुआ और इस समय वास्तविक रूप से विद्युत का प्रतिवर्ष कितना उत्पादन हो रहा है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के॰ अलघ) : (क) जी हां।

(ख) जून, 1997 के माह के दौरान 63419 मे॰वा॰ की व्यस्ततमकालीन आवश्यकता की तुलना में व्यस्ततमकालीन उपलब्धता 50833 मे॰वा॰ है। अप्रैल-जून, 1997 के दौरान व्यस्ततमकालीन उपलब्धता अधिष्ठापित क्षमता का लगभग 60 प्रतिशत है। जून, 97 में ऊर्जा का उत्पादन जून, 96 से 8.2 प्रतिशत अधिक हुआ है जो कि जनवरी, 1995 से प्राप्त न की जा सकी थी। विद्यमान परिसम्पत्तियों के समुपयोजन में सुधार लाने और मांग में प्रक्षेपित वृद्धि को पूरा करने के लिए सरकार अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों उपाय कर रही है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ विद्यमान संयंत्रों का पी॰एल॰एफ॰ बढ़ाना, पुराने संयंत्रों का नवीकरण एवं आधुनिकीकरण करना, नई क्षमताएं पैदा करना तथा विद्युत क्षेत्र में कीमत और संस्थागत सुधार किया जाना शामिल है।

(ग) 30.6.97 की स्थितिनुसार विद्युत उत्पादन क्षमता 86296 मे॰वा॰ है।

(घ) गत पांच वर्षों के दौरान प्रतिशत क्षमता के रूप में वास्तविक ऊर्जा उत्पादन निम्नवत् है :—

क्र॰सं॰	वर्ष	वास्तविक व्यस्ततमकालीन विद्युत की पूर्ति	प्रतिशत अधिष्ठापित क्षमता के रूप में विद्युत उत्पादन
1.	1992–93	41984	58.0
2.	1993–94	44830	58.4
3.	1994–95	48066	59.2
4.	1995–96	49836	59.8
5.	1996–97	52376	60.6

राजधानी एक्सप्रेस में खानपान शुल्क

1395. **प्रो॰ रीता वर्मा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजधानी एक्सप्रेस में विभिन्न श्रेणियों के किराये में कितना खानपान शुल्क शामिल होता है;

(ख) क्या मानदंडों के अनुसार रेल यात्रियों को खानपान संबंधी सेवाएं प्रदान की जाती हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो, इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) राजधानी एक्सप्रेस गाड़ियों की विभिन्न श्रेणियों के किरायों में सम्मिलित खान पान सेवा प्रभार मानक और व्यंजन की गुणवत्ता, जोड़ी स्टेशनों के बीच यात्रियों को उपलब्ध कराई गई सेवाओं जैसे सुबह की चाय, नाश्ता, लंच, शाम की चाय/स्नैक्स और रात्रि भोजन को ध्यान में रखकर निर्धारित किए जाते हैं। इन प्रभारों की राशि प्रदान की गई सेवा पर निर्भर करती है।

(ख) जी हां।

(ग) ये प्रथम श्रेणी वातानुकूल तथा अन्य श्रेणियों के लिए अलग-अलग निर्धारित मानक व्यंजन सूची पर आधारित हैं।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में डाक सुविधा

1396. **श्री राजाभाऊ ठाकरे :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में टेलीफोन सुविधा युक्त और टेलीफोन सुविधा रहित डाकघरों की अलग-अलग संख्या क्या है; और

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा यह सुविधा कब तक दिए जाने का विचार है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क)

(1) डाक-घरों की कुल संख्या — 12324

(2) टेलीफोन सुविधायुक्त डाक-घरों की संख्या — 4524

(3) टेलीफोन सुविधा रहित डाक-घरों की संख्या — 7800

(ख) तकनीकी रूप से व्यवहार्य होने पर शेष डाक-घरों को टेलीफोन सुविधा डाक प्राधिकारी की मांग के आधार पर प्रदान की जायेगी।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में कम शक्ति वाले तथा उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटर

1397. **श्री डी॰पी॰ यादव :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में इस समय कितने कम शक्ति वाले और कितने उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटर काम कर रहे हैं;

(ख) क्या राज्य सरकार से कम शक्ति वाले ट्रांसमीटरों को उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटरों में बदलने संबंधी कोई योजना प्राप्त हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की सम्भावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस॰ जयपाल रेड्डी) : (क) उत्तर प्रदेश में डी॰डी॰–1 सेवा को रिले करने के लिए 9 उच्च शक्ति ट्रांसमीटर, 57 अल्प शक्ति ट्रांसमीटर, 20 अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर और 4 ट्रांसपोजर तथा डी॰डी॰–2 सेवा को रिले करने के लिए 3 अल्प शक्ति ट्रांसमीटर इस समय प्रचालन में है।

(ख) और (ग) राज्य सरकारों सहित विभिन्न मंचों से उनके संबंधित राज्यों में टी॰वी॰ सेवा को बढ़ाने के लिए समय-समय पर अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं। तथापि, टी॰वी॰ सेवा के विस्तार हेतु स्कीमों को, विशेष रूप से देश में अब तक कवर न किए गए क्षेत्रों तक दूरदर्शन की पहुंच बढ़ाने संबंधी दूरदर्शन के उद्देश्य को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। उत्तर प्रदेश में लखीमपुर स्थित मौजूदा अल्प शक्ति ट्रांसमीटर को एक उच्च शक्ति ट्रांसमीटर में उन्नयित किए जाने का विचार है बशर्ते संसाधन और अन्य आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हों।

(घ) सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्कीम को अनुमोदित किए जाने के पश्चात इस प्रकृति की परियोजना के कार्यान्वयन में सामान्यतया लगभग 3–4 वर्ष का समय लगता है।

[अनुवाद]

परियोजनाओं का आधुनिकीकरण

1398. प्रो॰ ओम पाल सिंह 'निडर' : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इस्पात क्षेत्र में परियोजनाओं के आधुनिकीकरण और विस्तार कार्य में निजी कम्पनियों और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को शामिल करने का है; और

(ख) यदि हां, तो देश में सभी अस्पताल संयंत्रों के आधुनिकीकरण में कुल कितना व्यय होगा?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) और (ख) "सेल" ने अपने दुर्गापुर, राउरकेला और बोकारो स्थित इस्पात संयंत्रों में आधुनिकीकरण कार्यक्रम शुरू किए हैं। आधुनिकीकरण कार्यक्रम फिलहाल जारी हैं। इन आधुनिकीकरण परियोजनाओं के कार्यों की विभिन्न मदों के लिए "सेल" द्वारा बहुराष्ट्रीय/निजी पार्टियों/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के साथ करार किए गए हैं। इस्को, बर्नपुर का पुनरूद्धार/आधुनिकीकरण कार्यक्रम विचाराधीन है। दुर्गापुर, राउरकेला और बोकारो स्थित सेल की आधुनिकीकरण परियोजनाओं पर होने वाला संभावित संचयी व्यय 11,946.92 करोड़ रुपए है।

[हिन्दी]

रेल दुर्घटनाएं

1399. श्री थावर चन्द गेहलोत : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1995-96, 1996-97 और जून, 1997 तक वर्ष 1997-98 के दौरान देश में रेल दुर्घटनाओं की जोन-वार संख्या क्या है;

(ख) पश्चिमी रेलवे के अंतर्गत अन्य रेल-मार्गों की तुलना में इंदौर-उज्जैन तथा उज्जैन-भोपाल रेल मार्ग पर दुर्घटनाओं तथा रेलगाड़ियों के पटरी से उतरने की घटनाओं में वृद्धि के क्या कारण हैं; और

(ग) मध्य और पश्चिमी रेलवे के अंतर्गत पड़ने वाले क्षेत्रों में उपर्युक्त अवधि के दौरान ऐसी दुर्घटनाओं के कारण जान-माल की हुई हानि का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) सूचना इस प्रकार है :

रेलवे	परिणामी गाड़ी दुर्घटनाओं की संख्या		
	1995-96	1996-97	अप्रैल-जून, 1997
1	2	3	4
मध्य	54	57	26
पूर्व	32	31	7
उत्तर	50	58	17
पूर्वोत्तर	28	21	7
पूर्वोत्तर सीमा	23	18	2
दक्षिण	52	40	14
दक्षिण मध्य	41	42	14
दक्षिण पूर्व	73	66	23
पश्चिम	44	44	6
मेट्रो	1	1	1
कोंकण	–	3	1
जोड़	398	381	119

(ख) उज्जैन-भोपाल और इंदौर-उज्जैन खंडों पर दुर्घटनाएं मुख्यतः रेलपथ की खराबी और बिना चौकीदार वाले समपारों को पार करते समय सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही के कारण हुई।

(ग) सूचना इस प्रकार है :—

(लाख रु॰ में)

रेलवे	मारे गए व्यक्तियों की संख्या			रेल संपत्ति को हुई क्षति की लागत		
	95-96	96-97	अप्रैल-जून 1997	95-96	96-97	अप्रैल-जून 1997
मध्य	20	33	1	591.48	770.59	239.08
पश्चिम	11	11	–	90.32	132.89	4.10

बिहार में खराब पड़े टेलीफोन

1400. श्री राधा मोहन सिंह : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के पूर्वी चम्पारण जिले के ब्लॉक मुख्यालय में अधिकांश टेलीफोन एक्सचेंज खराब पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त एक्सचेंजों को आधुनिक बनाने तथा उनमें सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) उक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) विश्वसनीय डिजिटल संचारण माध्यम सहित उच्च क्षमता वाले आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों को संस्थापित करने के लिए कदम उठाए गए हैं।

[अनुवाद]

ग्रेनाइट का भंडार

1401. श्री नन्द कुमार साय : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में ग्रेनाइट के भंडार का पता लगाने हेतु कोई सर्वेक्षण कराया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) ग्रेनाइट एक गौण खजिन है, इसलिए संबंधित राज्य सरकारें गवेषण कार्य के अलावा निक्षेपों के विदोहन के लिए जिम्मेदार है। तथापि, इस खनिज के महत्व को देखते हुए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने देश में ग्रेनाइट के लिए गहन संसाधन सर्वेक्षण शुरू किया है।

(ख) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा सर्वेक्षण किये गये क्षेत्र का राज्यवार ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

राज्य का नाम	वर्ग किमी॰ में संर्वेक्षित क्षेत्र (लगभग)
आंध्र प्रदेश	38,000
असम	125
बिहार	1,855
गुजरात	775
हरियाणा	105
कर्नाटक	6,320
केरल	1,000
मध्य प्रदेश	4,626
महाराष्ट्र	2,300
मेघालय	190
उड़ीसा	1,200
राजस्थान	17,900
तमिलनाडु	4,950
उत्तर प्रदेश	3,050
पश्चिम बंगाल	1,000

[हिन्दी]

अजमेर खंडवा रेलमार्ग पर नई रेलगाड़ियां चलाना

1402. डा॰ सत्यनारायण जटिया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1991 के बाद आज तक अजमेर-खंडवा के मीटर गेज मार्ग पर चलाई गई नई रेल सेवाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान इस प्रयोजन के लिए प्रदान किये गये इंजनों और सवारी डिब्बों की स्थिति क्या है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) अजमेर-खंडवा को सेवित करने वाली 69/70 इन्दौर-मऊ पैसेंजर गाड़ी 5.2.1996 से चलाई गई है।

(ख) पश्चिम रेल को वर्ष 1991-92 तथा 1992-93 के दौरान क्रमशः 75 तथा 60 मीटर लाइन के सवारी डिब्बे आर्बटित किए गए थे। आमान परिवर्तन के कारण 1993-94 से मी॰ला॰ सवारी डिब्बों का उत्पादन रोक दिया गया था।

पडाव अवधि का उपयोग करते हुए मौजूदा स्टाक का उपयोग 69/70 इंदौर मऊ पैसेंजर को चलाने के लिए किया गया था।

इस नई मी॰ला॰ 69/70 पैसेंजर गाड़ी को चलाने के लिए नया रेल इंजन उपलब्ध नहीं कराया गया था और मौजूदा लोको लिंक को पड़ाव अवधि का उपयोग किया गया था।

शंकर गुरूस्वामी समिति

1403. श्री नीतीश कुमार :
श्री नवल किशोर राय :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शंकर गुरूस्वामी समिति को विद्युत पारेषण के क्षेत्र में कार्य करने के लिए गैर-सरकारी संस्थाओं की आर्थिक रियायतों की सिफारिश करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है;

(ग) यदि हां, तो प्रतिवेदन की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो प्रतिवेदन के कब तक प्राप्त हो जाने की संभावना है;

(ङ) क्या सरकार ने भी विद्युत पारेषण क्षेत्र में गैर-सरकारी संस्थाओं को सोलह प्रतिशत लाभांश देने की घोषणा की है; और

(च) यदि हां, तो इसके आधार क्या हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के॰ अलघ) : (क) जी नहीं। शंकर गुरूस्वामी समिति का गठन, पारेषण परियोजना की आयोजना के

लिए विद्यमान व्यवस्था एवं अनुमोदन तथा पारेषण टैरिफों के निर्धारिण के लिए मार्गदर्शी सिद्धातों के बारे में सुझाव देना, पारेषण सेवा के लिए बातचीत द्वारा समझौता करना, तथा बोली संबंधी निवेदन और इनके मूल्यांकन संबंधी सिद्धान्त के लिए किया गया था।

(ख) जी, हां।

(ग) समिति की प्रमुख सिफारिशें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

पारेषण परियोजनाओं में निजी निवेश के बारे में मार्गदर्शी सिद्धान्त दिये जाने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति की प्रमुख सिफारिशें :-

1. पारेषण प्रणाली का समग्र आयोजना कार्य इस समय सी ई ए, पावर ग्रिड और एससीबी के कार्य क्षेत्र के अधीन रहना चाहिए।
2. प्रत्येक क्षेत्र में केवल एक प्रमुख पारेषण एजेन्सीं होनी चाहिए। राज्य के अन्तर्गत पारेषण प्रणाली के लिए सम्बंधित राज्य बिजली बोर्ड, इसका उत्तराधिकारी संगठन (पुनः संरचना के मामले में) और/या राज्य पारेषण कंपनी होगी। क्षेत्रीय/राष्ट्रीय स्तर पर पावर ग्रिड होना चाहिए।
3. उपरोक्त प्रमुख पारेषण एजेन्सियां सरकारी स्वामित्व के अधीन होनी चाहिए।
4. उपरोक्त प्रमुख पारेषण एजेन्सियों को भी यह निर्णय करना होगा कि अपने क्षेत्राधिकार के अधीन किस नए पारेषण विस्तार कार्य के अंग को निजी क्षेत्र को सौंपना चाहेंगे।
5. निजी कम्पनी को सौंपे जाने वाली पारेषण प्रणाली के मामले में भी व्यावहारिकता रिपोर्ट तैयार करने, तथा अपेक्षित स्वीकृतियां प्राप्त करने के लिए एसईबी/पावरग्रिड ही उत्तरदायी होगा, इसके लिए सामान्यतः विद्यमान प्रक्रिया ही अपनाई जायेगी।
6. मुख्य पारेषण एजेन्सीं विशिष्टियां जारी करेगीं और नई पारेषण सुविधाओं के निर्माण के लिए स्वामित्व के आधार पर हाथ में लिए जाने हेतु निजी कंपनियों से प्रस्ताव प्राप्त करेगी।
7. निजी पारेषण कंपनी का चयन प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के आधार पर किया जायेगा जिसके लिए उद्धत वार्षिक पारेषण प्रभार (निर्धारित शर्तों के अधीन) मुख्य मानदण्ड होगें, जिसके आधार पर देय पारेषण प्रभार का निर्धारण किया जायेगा। तथापि महत्वपूर्ण लाइनों के समिति ने यह सिफारिशें की हैं, कि प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के माध्यम से संयुक्त उद्यम पार्टनर का चयन करके संयुक्त उद्यम की पद्धति को अपनाया जाना चाहिए। यह प्रयास किया जाना चाहिए कि प्रत्येक मामले में न्यूनतम टैरिफ का निर्धारण सुनिश्चित किया जा सकें।
8. वार्षिक पारेषण प्रभार को संबंधित पारेषण घटक के साथ जोड़ा जाना चाहिए। ए॰सी॰ प्रणालियों के लिए 98.5 प्रतिशत नियामक उपलब्धता का सुझाव रखा गया है। इसके अधिक के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जायेगा और इससे कम के लिए देय वार्षिक प्रभारों में अत्यधिक कटौती की जायेगी।
9. चूंकि विद्युत प्रवाह और ग्रिड संबंधित पैरामीटर निजी कंपनी के अधीन नहीं होंगे, इसलिए देय पारेषण प्रभार को विद्युत प्रवाह एवं ग्रिड पैरामीटर के साथ जोडें जाने का प्रस्ताव नहीं हैं।
10. चूंकि वार्षिक पारेषण प्रभार के बारे में निर्णय प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के आधार पर किया जायेगा इसलिए पूंजीगत लागत एवं पारेषण प्रभारों के विभिन्न घटकों की ओर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं हैं।
11. मुख्य पारेषण एजेन्सियों और निजी कंपनियों के बीच संयुक्त उद्यमियों के लिए सिफारिशें नहीं की गई है। तथापि किसी विशेष पारेषण परियोजना के लिए संयुक्त उद्यम बनाना आवश्यक समझा जाता है। ऐसे मामले के लिए यह सिफारिशें की गई हैं कि संयुक्त उद्यम के प्रचालन कार्य में प्रमुख पारेषण एजेंसीं की बराबर की भागेदारी होगी और संयुक्त उद्यम पार्टनर का चयन पुनः प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के द्वारा किया जायेगा।
12. निजी पारेषण कंपनी के लिए संबंधित एसईबी/पावर ग्रिड के साथ पारेषण सेवा समझौता करना अपेक्षित होगा ताकि इसके समग्र पारेषण परिसंपत्तियों को इस्तेमाल के लिए परवर्ती को उपलब्ध कराया जा सके, और परवर्ती द्वारा इसका भुगतान किया जा सके। तत्पश्चात निजी कंपनी का पारेषण एवं तीसरी पार्टी संबंधी मुद्दों का कोई वास्ता नहीं होगा।
13. पारेषण कंपनी को अपनी परिसम्पत्तियों का प्रचालन एवं अनुरक्षण, राज्यभार प्रेषण केन्द्र/क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र के निर्देशों के अनुसार किया जायेगा और परिसम्पत्तियों का प्रचालन एवं अनुरक्षण संबंधित एस ई बी/परवर्ती संगठन/राज्य पारेषण कंपनी एवं पावर ग्रिड के स्वामित्व में होगा।
14. निजी पारेषण कंपनी को संबंधित मुख्य पारेषण एजेन्सीं की सिफारिशों के आधार पर संबंधित सरकार द्वारा पारेषण लाइसेंस जारी किया जायेगा।

[अनुवाद]

उपमंडल मुख्यालयों में एस॰टी॰डी॰ सुविधाएं

1404. श्री मुरलीधर जेना : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के सभी जिला मुख्यालयों और उपमंडल मुख्यालयों को एस॰टी॰डी॰ सुविधाओं से जोड़ने सम्बंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो एस॰टी॰डी॰ सुविधाओं से आज तक कितने जिला मुख्यालयों और उपमंडल मुख्यालयों को जोड़ा गया है; और

(ग) सभी जिला मुख्यालयों और उपमंडल मुख्यालयों को एस॰टी॰डी॰ सुविधाओं से कब तक जोड़ दिए जाने की सम्भावना है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) सभी 522 जिला मुख्यालयों और 1206 जिला उपमण्डल मुख्यालयों में से 1149 को एस टी डी सुविधा से जोड़ दिया गया है।

(ग) 1997-99 के दौरान, टेलीफोन एक्सचेंजों सहित सभी शेष उप मण्डल मुख्यालयों को एस टी डी सुविधा प्रदान करने की योजना, संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर होगी।

रेलगाड़ियों को बंद किया जाना

1405. श्री बी॰के॰ गढ़वी :
श्री सनत मेहता :
श्री शांतिलाल पुरषोत्तमदास पटेल :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली-अहमदाबाद मार्ग को छोटी लाइन से बड़ी लाइन में बदलने के कार्य के कारण बंद की गई रेलगाड़ियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस लाइन को छोटी लाइन से बड़ी लाइन में बदलने संबंधी निर्माण कार्य पूरा हो जाने के पश्चात अब तक केवल दिल्ली मेल रेलगाड़ी को ही बहाल किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो अन्य रेलगाड़ियों अर्थात आश्रम एक्सप्रेस, दिल्ली एक्सप्रेस, अरावली एक्सप्रेस आदि रेलगाड़ियों को इस लाइन पर कब तक पुनः चलाया जायेगा?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) दिल्ली और अहमदाबाद के बीच निम्नलिखित सीधी गाड़ियां आमान परिवर्तन के कारण बंद कर दी गई थीं :—

1. अहमदाबाद - दिल्ली आश्रम एक्सप्रेस
2. अहमदाबाद - दिल्ली मेल
3. अहमदाबाद - दिल्ली एक्सप्रेस
4. अहमदाबाद - दिल्ली अरावली एक्सप्रेस

(ख) और (ग) 9105/9106 दिल्ली अहमदाबाद मेल 3.5.97 से चला दी गई है। अगस्त, 97 के दौरान राजधानी एक्सप्रेस (साप्ताहिक) और आश्रम एक्सप्रेस (दैनिक) चलाने का भी विनिश्चय किया गया है। परिचालनिक कठिनाई और संसाधनों की तंगी के कारण दिल्ली और अहमदाबाद के बीच अतिरिक्त गाड़ियां चलाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

विभागेत्तर कर्मचारियों की मांग

1406. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विभागेत्तर कर्मचारियों की मांगों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदमों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस उद्देश्य के लिए गठित तलवार समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(घ) यदि हां, तो इसकी सिफारिशों को लागू करने के लिए कब तक निर्णय लिए जाने की सम्भावना क्या है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां डाक-ट्रैफिक का घनत्व इतना कम है कि विभागीय कर्मचारियों को काम पर लगाने का औचित्य नहीं बनता, वहां डाक सेवाएं प्रदान करने के लिए डाक विभाग अतिरिक्त विभागीय एजेंटों की सेवाओं का उपयोग कर रहा है। समय-समय पर अतिरिक्त विभागीय एजेंट अपनी मान्यताप्राप्त यूनियनों के माध्यम से अपनी सेवा-शर्तों को बेहतर बनाने के लिए दबाव डालते रहे हैं और इस प्रकार हम उनकी मांगों से अवगत हैं।

(ख) उनकी मांगों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है, जिस पर इस संबंध में सरकार द्वारा गठित न्यायमूर्ति तलवार समिति ने विस्तार से विचार किया है।

(ग) जी हां।

(घ) विभाग और अतिरिक्त विभागीय एजेंटों की यूनियन के बीच हुए एक समझौते के अनुसार तलवार समिति की रिपोर्ट पर पहले एक समिति विचार करेगी जिसमें अतिरिक्त विभागीय एजेंटों की यूनियन के प्रतिनिधि, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग तथा वित्त मंत्रालय शामिल होंगे। इस प्रकार, रिपोर्ट की सिफारिशों पर अंतिम निर्णय इन प्रक्रियाओं के पूर्ण होने पर ही लिया जाना संभव हो सकेगा। इस संबंध में अतिरिक्त विभागीय एजेंटों की यूनियन के साथ पहले ही

विचार-विमर्श शुरू किया जा चुका है तथा रिपोर्ट पर अंतिम निर्णय लेने के लिए सभी संभव उपाय शुरू किए जा रहे हैं।

विवरण

डाक विभाग से सम्बद्ध तीन फेडरेशनों द्वारा पेश की गई अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों की मांगें इस प्रकार हैं :—

1. समान कार्य के लिए समान वेतन की उपयुक्त योजना तैयार करने के लिए यह घोषित करना कि आवेदकों सहित अतिरिक्त विभागीय एजेंट, नियमित स्थापना में अपने तदनुरूपी कर्मचारियों के बराबर उपयुक्त वेतनमान और आनुपातिक वेतन पाने के पात्र हैं।
2. यह घोषित करना कि चूंकि अतिरिक्त विभागीय एजेंट सिविल पदों के धारक हैं अतः वे विभाग में नियमित कर्मचारियों को मिलने वाले सभी सेवा लाभों के पात्र हैं जिनमें वेतनमान वार्षिक वेतनवृद्धियां, पदोन्नतियां, पेंशन, अर्जित अवकाश, आकस्मिक अवकाश, एलटीसी, मकान किराया भत्ता तथा अन्य लाभ शामिल हैं। सरकार को यह निदेश देना कि वह तत्काल अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को ये लाभ प्रदान करें।
3. नियमित विभागीय स्टाफ पर लागू होने वाले पेंशनरी लाभ प्रदान करना तथा कम्युटेशन के लाभों सहित सेवा की अवधि के आधार पर सेवानिवृत्ति के समय अदा किए जा रहे वेतन को ध्यान में रखना।
4. नियमित स्टाफ को मिलने वाली आवधिक वेतनवृद्धि सहित उन्हीं के समान यात्रा भत्ता, चिकित्सा भत्ता और वेतनमान देना।
5. तत्कालीन नियमित स्टाफ को जिस दर पर ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाए उसी दर पर अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को ग्रेच्युटी का भुगतान तथा 6000 रु॰ की निर्धारित अधिकतम सीमा को समाप्त कर दिया जाए।
6. सामान्य भविष्य निधि और परिवार पेंशन लाभ अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को प्रदान करना।
7. सेवाकाल के दौरान मरने वाले अतिरिक्त विभागीय एजेंट के एक आश्रित/निकट संबंधी को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त करने की रियायत देना।
8. विभाग में उनकी सेवा के दौरान उन्हें दो समयबद्ध पदोन्नतियां देना-पहली पदोन्नति 16 वर्ष की सेवा पूर्ण होने के उपरांत तथा दूसरी पदोन्नति 26 वर्ष की सेवा पूर्ण होने के उपरांत दी जाए। इस समय विभाग में पदोननति के ऐसे कोई अवसर मौजूद नहीं हैं।
9. पुट आफ ड्यूटी की अवधि के दौरान अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को निर्वाह भत्ते का भुगतान, महिला अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को प्रसूति अवकाश के साथ वेतनसहित अवकाश।
10. सरकार को यह निदेश देना कि पेंशन आदि देने के लिए वेतन निर्धारिण के प्रयोजनार्थ अतिरिक्त विभागीय एजेंटों की संपूर्ण सेवा को हिसाब में लेना।

[अनुवाद]

मणिनगर-अहमदाबाद-मुंबई रेल मार्ग का उन्नयन

1407. श्री विजय पटेल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकट भविष्य में मणिनगर, अहमदाबाद, मुंबई रेल मार्ग का उन्नयन करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो यह योजना कब से लागू की जा रही है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) मुंबई सेंट्रल-अहमदाबाद खंड के रेलपथ का ग्रेडोन्नयन पहले ही कर दिया गया है। मुंबई सेंट्रल-वडोदरा खंड की अधिकतम अनुमेय गति 120 कि॰मी॰ प्रति घंटा है। वडोदरा-अहमदाबाद खंड पर इस समय यह 100 कि॰मी॰ प्रति घंटा है जिसे 31.3.98 तक 110 कि॰मी॰ प्रति घंटा बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है जिसके लिए परीक्षण किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

रेल इंजन

1408. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के पास इस समय जोनवार किस-किस तरह के रेल इंजन हैं;

(ख) देश में प्रति वर्ष कितने इंजन बनाये जा रहे हैं तथा आयात किए गए इंजिनों की संख्या क्या है;

(ग) रेलवे के पास इस समय कितने सवारी डिब्बें तथा मालडिब्बे हैं, देश में उनका वार्षिक उत्पादन कितना होता हैं तथा कितने सवारी डिब्बों का आयात किया गया है;

(घ) क्या सरकार ने रेल इंजन और सवारी डिब्बों और वैगनों के उत्पादन के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कोई योजना बनायी है;

(ङ) देश में निर्मित तथा आयातित डिब्बों पर वर्षवार कितना व्यय किया गया है;

(च) क्या रेल कारखानों यथा पूर्व रेल की जमालपुर कार्यशाला की पूर्ण क्षमता का उपयोग हो रहा है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) रेलों के पास जोन-वार उपलब्ध रेल इंजनों की किस्में निम्नानुसार हैं :—

रेलवे	बड़ी लाइन (डीजल)	विद्युतीकृत बड़ी लाइन		
		ए॰सी॰	डी॰सी॰	ए॰सी॰/डी॰सी॰
मध्य	डब्ल्यू॰डी॰एम॰ 2, डब्ल्यू॰डी॰जी॰ 2, डब्ल्यू॰ डी॰एस॰ 4 व 2, डब्ल्यू॰डी॰एस॰ 6	डब्ल्यू॰ए॰जी॰ 2,5 व 7 डब्ल्यू॰ए॰पी॰ 1, 2, 3 व 4	डब्ल्यू॰सी॰एम॰ 1, 2, 4, 5 व 6 डब्ल्यू॰सी॰जी॰ 2	डब्ल्यू॰सी॰ए॰एम॰ 2 व 3
पूर्व	डब्ल्यू॰डी॰एम॰ 2 व 6, डब्ल्यू डी॰एस॰ 2, 4 व 6,	डब्ल्यू॰ए॰एम॰ 1, 2, 3 व 4 डब्ल्यू॰ए॰पी॰ 1 व 6, डब्ल्यू॰ ए॰जी॰ 4, 5, 7 व 9		
उत्तर	डब्ल्यू॰डी॰एम॰ 2 व 4, डब्ल्यू॰डी॰एम॰ 2 सी॰ डब्ल्यू॰डी॰एम॰ 2 व 4 डब्ल्यू॰डी॰पी॰ 1	डब्ल्यू॰ए॰जी॰ 4, 5 व 7 डब्ल्यू॰ए॰एम॰ 1 व 4 डब्ल्यू॰ए॰पी॰ 1, 8 व 5		
पूर्वोत्तर	डब्ल्यू॰डी॰एम॰ 1 व 2			
पूर्वोत्तर सीमा	डब्ल्यू॰डी॰एम॰ 2, डब्ल्यू॰ डी॰एस॰ 6			
दक्षिण	डब्ल्यू॰डी॰एम॰ 2 व 7, डब्ल्यू॰डी॰एम॰ 2 सी॰, डब्ल्यू॰डी॰एस॰ 2, 4 व 6	डब्ल्यू॰ए॰जी॰ 5 व 7 डब्ल्यू॰ए॰एम॰ 4 डब्ल्यू॰ए॰पी॰ 1		
दक्षिण मध्य	डब्ल्यू॰डी॰एम॰ 2, डब्ल्यू॰ डी॰एम॰ 2 सी॰, डब्ल्यू॰डी॰ जी॰ 2	डब्ल्यू॰ए॰जी॰ 1, 4 व 5 डब्ल्यू॰ए॰एम॰ 4, डब्ल्यू॰ ए॰पी॰ 4		
दक्षिण पूर्व	डब्ल्यू॰डी॰एम॰ 2 डब्ल्यू॰ डी॰जी॰ 2, डब्ल्यू॰डी॰एस॰ 5 व 6	डब्ल्यू॰ए॰जी॰ 1, 5, 6 व 7, डब्ल्यू॰ए॰एम॰ 4		
पश्चिम	डब्ल्यू॰डी॰एम॰ 2, डब्ल्यू॰डी॰ एस॰ 2, 4 एवं 6	डब्ल्यू॰ए॰जी॰ 1 व 5 डब्ल्यू॰ए॰एम॰ 4, डब्ल्यू॰ए॰पी॰ 1, 3, 4 व 6	डब्ल्यू॰सी॰ए॰एम॰ 1 एवं 2	

रेलवे	मीटर लाइन (डीजल)	मीटर लाइन (भाप)	छोटी लाइन (डीजल)	छोटी लाइन (भाप)
1	2	3	4	5
मध्य	-	-	एन॰डी॰एम॰ 1 व 5, जेड॰डी॰एम॰ 4ए, जेड॰डी॰एम॰ 5	-
पूर्व	-	-	जेड॰डी॰एम॰ 5	-
उत्तर	वाई॰डी॰एम॰ 4	-	जेड॰डी॰एम॰ 3	-
पूर्वोत्तर	वाई॰डी॰एम॰ 4	वाई॰पी॰, वाई॰जी॰	-	-

1	2	3	4	5
पूर्वोत्तर सीमा	वाई॰डी॰एम॰ 4	–	–	बी॰ श्रेणी
दक्षिण	वाई॰डी॰एम॰ 2 व 4	वाई॰पी॰, एक्स श्रेणी	–	–
दक्षिण मध्य	वाई॰डी॰एम॰ 2 व 4	–	–	–
दक्षिण पूर्व	–	–	जेड डी एम 3, जेड डी एम॰ 2 आर॰, जेड॰डी॰एम॰ 4ए॰, जेड॰डी॰एम॰ 5	–
पश्चिम	वाई॰डी॰एम॰ 1, 3, 4 व 5	वाई॰पी॰, वाई॰जी॰	जेड॰डी॰एम॰ 5	जेड॰बी॰

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान देश में निर्मित तथा आयातित इंजनों की संख्या निम्नानुसार है :

वर्ष	स्वदेश में निर्मित रेल इंजनों की संख्या			आयतित रेल इंजनों की संख्या (बिजली)
	डीजल इंजन	बिजली इंजन	जोड़	
1994–95	150	160	310	–
1995–96	138	155	293	6
1996–97	157	175	332	24

(ग) 31.3.1996 को रेलों के पास उपलब्ध सवारी डिब्बों तथा माल डिब्बों की संख्या निम्नानुसार है :—

	ब॰ला॰	मी॰ला॰	छो॰ला॰
सवारी डिब्बे	27,208	7,039	1,141 (वाहन यूनिट)
माल डिब्बे	4,57,999	54,615	3,585 (चौपहिया यूनिट)

विगत तीन वर्षों के दौरान स्वदेश में निर्मित सवारी डिब्बों तथा माल डिब्बों का वार्षिक उत्पादन निम्नानुसार है :—

वर्ष	सवारी डिब्बा (वाहन यूनिट)	माल डिब्बा (चौपहिया यूनिट)
1994–95	1579	10575
1995–96	1752	17950
1996–97	2168	22187.5

16.10.95 को प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण सहित 24 आधुनिक कम. वजन वाले उच्च गति के सवारी डिब्बों की सप्लाई के लिए मैसर्स लिंके–हॉफमैन–बुश्च, जर्मनी को आदेश दिए गए हैं। किसी माल डिब्बे का आयात नहीं किया गया है।

(घ) हमारा देश रेल इंजन और माल डिब्बों के उत्पादन में आत्मनिर्भर है।

(ङ) विगत तीन वर्षों के दौरान रेल इंजनों, सवारी डिब्बों तथा माल डिब्बों के स्वदेशी निर्माण पर वहन किया गया अनुमानित खर्च निम्नानुसार है :—

(आंकडे करोड़ रुपए में)

	रेल इंजन (*)	सवारी डिब्बे (**)	माल डिब्बे
1994–95	914.29	625.62	378.37
1995–96	715.76	731.00	794.33
1996–97	1013.42	906.51	1133.39

(*) डीजल एवं बिजली

(**) ई॰एम॰यू॰, एम॰ई॰एम॰यू॰ एवं डी॰एम॰यू॰ शामिल हैं।

आयात पर निम्नलिखित व्यय वहन किया गया है :-

(i) ए॰बी॰बी॰ बिजली इंजन–738 करोड़॰ रुपए (लगभग)

(ii) 2.7 मिलियन अमरिकी डालर (डीजल बिजली इंजनों के लिए अग्रिम भुगतान के रूप में)

(iii) 8.7 मिलियन ड्यूश मार्क (सवारी डिब्बों के लिए अग्रिम भुगतान के रूप में)

(च) जमालपुर कारखाने सहित रेलवे कारखानों में उपलब्ध अवसंरचना और जनशक्ति का भरपूर उपयोग किया जा रहा है।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

मालगाड़ी की बस से भिड़न्त

1409. **श्री प्रभुदयाल कठेरिया :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगरा के निकट बरहान-चमरौली के बीच रेलवे क्रासिंग पर हाल ही में एक बस मालगाड़ी से टकरा गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना में कितने व्यक्ति हताहत हुए हैं;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) सरकार द्वारा दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी हां।

(ख) इस दुघटना में मारे गए और घायल हुए व्यक्तियों की संख्या निम्नानुसार थी :-

(i) मारे गये - 6

(ii) गंभीर रूप से घायल - 23

(iii) मामूली तौर पर घायल - 15

(ग) और (घ) दुर्घटना की अधिकारियों की एक समिति द्वारा जांच की गई थी जो इस निष्कर्ष पर पहुंची कि यह दुर्घटना बस के ड्राइवर की लापरवाही के कारण हुई, जो अपनी बस पर नियंत्रण रखने में असफल रहा और गेट के अवरोधों को तोड़ने के बाद गाड़ी से भिड़ गई।

(ङ) बस के ड्राइवर के विरूद्ध ओनवाल खेड़ा पुलिस स्टेशन, जिला आगरा में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है।

[अनुवाद]

गुजरात में टेलीफोन सलाहकार समिति

1410. **श्री गोरधनभाई जावीया :**

श्री शांतिलाल पुरषोत्तम दास पटेल :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सर्किल में सभी जिलों में और राज्य स्तर पर टेलीफोन सलाहकार समितियां गठित की गइ हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उन राज्यों के संसद सदस्यों को संबंधित जिले/राज्य स्तर की समितियों के लिए नामित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख) जी हां। गुजरात दूरसंचार सर्किल और इसके भड़ूच तथा साबरकांठा टेलीफोन जिलों को छोड़कर सभी टेलीफोन जिलों की टेलीफोन सलाहकार समितियां गठित कर दी गई हैं।

(ग) से (ङ) आज तक, गुजरात दूरसंचार सर्किल में जिला/राज्य स्तर की विभिन्न टेलीफोन सलाहकार समितियों (टी ए सी) में संबंधित जिलों/राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले लोक सभा तथा राज्य सभा के 32 संसद सदस्यों को नामित किया गया है जिसके ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। विवरण-II में दिए अनुसार उन 7 संसद सदस्यों (लोक सभा से 4 तथा राज्य सभा से 3) को नामित किया जाना है जिन्होंने अभी तक अपने निर्वाचन क्षेत्र के चयन के बारे में अपनी इच्छा या विकल्प की जानकारी नहीं दी है।

विवरण-I

गुजरात दूरसंचार सर्किल में विभिन्न टी ए सी में नामित सांसदों की सूची

क्र॰सं॰	सांसदों के नाम	क्षेत्र	टीएसी का नाम
1	2	3	4
लोक सभा के सदस्य			
1.	श्री पी॰एस॰ गाधवी	कच्छ	भुज
2.	श्री सनत मेहता	श्रीनगर	श्रीनगर
3.	श्री सी॰वी॰ पटेल	जामनगर	जामनगर
4.	डॉ॰ वी॰ कथेरिया	राजकोट	राजकोट
5.	श्री जी॰ जाविया	पोरबन्दर	जूनागढ़
6.	श्रीमती भावनाबेन चिखलिया	जूनागढ़	जूनागढ़
7.	श्री दिलीप संघानी	अमरेती	गुजरात (सर्किल)
8.	श्री राजेन्द्र सिंह	भावनगर	भावनगर
9.	श्री हरीन पाठक	अहमदाबाद	अहमदाबाद
10.	श्री विजय पटेल	गांधीनगर एवं अहमदाबाद	अहमदाबाद
11.	रतिलाल वर्मा	धनदुका	अहमदाबाद
12.	डॉ॰ ए॰के॰ पटेल	मेहसाना	मेहसाना
13.	श्री एम॰के॰ कनोडिया	पटना	मेहसाना
14.	श्री बी॰के॰ गोधवी	बनासकांठा	पालनपुर
15.	श्री सोमजीभाई दामोर	दाहोद	गोधरा
16.	श्री शांतिभाई पटेल	गोधरा	गोधरा
17.	श्री दिनेश पटेल	खेडा	नाड़ियाड
18.	श्री सत्यसिंह गायकवाड	बड़ोदरा	बडोदरा

1	2	3	4
19.	श्री काशीराम राणा	सूरत	सूरत
20.	श्री सी॰डी॰ गमित	माण्डवी	सूरत
21.	श्री मणिभाई चौधरी	वलसाड	वलसाड
22.	श्री मोहनभाई एस॰ देलकर	सिल्वासा एवं दादरा नगर हवेली	सिल्वासा एवं दादरा नगर हवेली
23.	श्री गोपाल भाई टन्डेल	दमन	दमन एवं दिउ
24.	श्री ईश्वर भाई चावडा	आनन्द	खेड़ा (नाडियाड़)
राज्य सभा के सदस्य			
25.	श्री अहमद पटेल		गुजरात (सर्किल)
26.	श्री ब्रह्म कुमार भट्ट		गुजरात (सर्किल)
27.	श्रीमती उर्मिला बेन पटेल		मेहसाना
28.	श्री राजूभाई परमार		अहमदाबाद
29.	श्री लक्ष्मण बंगाराव		अहमदाबाद
30.	श्री जी॰जी॰ सोलंकी		गोधरा
31.	श्री अनन्त राय देवशंकर दवे		कच्छ
32.	श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ला		राजकोट

विवरण-II

गुजरात दूरसंचार सर्किल में टीएसी में अभी नामित किए जाने वाले सांसदों की सूची

क्र॰सं॰	सांसद का नाम	क्षेत्र	टीएसी का नाम
लोक सभा के सदस्य			
1.	श्रीमती ए॰ निशा चौधरी	साबरकांठा	
2.	श्री जयसिंह एम॰ चौहान	कपड़यांज	
3.	श्री चंदूभाई देशमुख	ब्रोच	
4.	श्री एन॰जे॰ रंधावा	छोटा उदयपुर	
राज्य सभा के सदस्य			
5.	श्री योगेन्द्र के॰ अलघ		
6.	श्रीमती आनन्दीबेन जेठाभाई पटेल		
7.	श्री माधव सिंह सोलंकी		

[हिन्दी]

क्लोज सर्किट टी॰वी॰ सैटों की उपलब्धता

1411. श्री रवीन्द्र पांडेय : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में किन-किन महत्वपूर्ण स्टेशनों पर क्लोज सर्किट-टी॰वी॰. कैमरा और अन्य सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : भारतीय रेलों के नौ प्रमुख स्टेशनों पर अब तक क्लोज सर्किट टी॰वी॰ की सुविधा तथा अन्य सुरक्षा उपस्कर की व्यवस्था की जा चुकी है। ये स्टेशन हैं :- मुम्बई सी एस टी, भोपाल, पटना, नई दिल्ली, दिल्ली मेन, लखनऊ जंक्शन, चेन्नई, बेंगलूरू तथा त्रिवेन्द्रम।

टेलीफोन एक्सचेंजों का स्थापित किया जाना

1412. श्रीमती सुभावती देवी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार के त्रिमुदानी घाट, बहेरा तथा दरभंगा में टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो ये एक्सचेंज कब तक स्थापित कर लिए जायेंगे; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) से (ग) त्रिमुदानी घाट, बहेरा तथा दरभंगा के संबंध में सूचना इस प्रकार है:-

त्रिमुदानी घाट

इस स्थान पर नए टेलीफोन कनेक्शनों के लिए कोई पंजीकृत मांग नहीं है। अतः इस समय इस स्थान के लिए किसी टेलीफोन एक्सचेंज की योजना नहीं है। विभाग की नीति के अनुसार, 10 अथवा उससे अधिक की पंजीकृत मांग होते ही नए टेलीफोन एक्सचेंज की योजना बनाई जाएगी।

बहेरा :

यह एक छोटा-सा स्थान है जो बेनीपुर एक्सचेंज के स्थानीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अतः इस स्थान के लिए एक अलग एक्सचेंज का औचित्य नहीं बनता है। टेलीफोन कनेक्शन बेनीपुर एक्सचेंज से उपलब्ध कराए जाएंगे।

दरभंगा

यहां पर 6000 लाइनों का इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज पहले से ही कार्यरत है। इस स्थान के लिए 1997-98 में 10,000 लाइनों के नए प्रौद्योगिकी के एक एक्सचेंज की भी योजना बनाई गई है।

[अनुवाद]

उत्तर प्रदेश और राजस्थान में बायोगैस संयंत्र

1413. डा॰ बलिराम :
श्री नरेन्द्र बुडानियां :
श्री अनन्त गुढे :

क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और हरियाणा में पिछले तीन वर्षों के दौरान आज तक जिलेवार बायोगैस संयंत्रों की स्थापना करने के संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था और इस संबंध में क्या उपलब्धियां रहीं;

(ख) कार्य कर रहे संयंत्रों और बंद पड़े संयंत्रों का स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गैस चल्हे बाजार में आसानी से उपलब्ध हैं;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उपर्युक्त राज्यों में जिलेवार कितने बायोगैस संयंत्र स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) बायोगैस संयंत्रों की स्थापना के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की दो योजनाओं के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों अर्थात् वर्ष 1994-95 से 1996-97 के दौरान इन चार राज्यों में लक्ष्यों और उपलब्धियों के संबंध में सूचना नीचे दी गई है :-

राज्य	राष्ट्रीय बायोगैस विकास परियोजना		सामुदायिक, संस्थागत और विष्टा आधारित बायोगैस संयंत्रों का कार्यक्रम	
	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां
हरियाणा	5200	5706	8	2
महाराष्ट्र	32500	43947	72	88
राजस्थान	9500	10772	3	शून्य
उत्तर प्रदेश	31000	31834	120	144

पिछले तीन वर्षों के दौरान इन चार राज्यों में लगाए गए पारिवारिक बायोगैस संयंत्रों के संबंध में जिलावार सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) वर्ष 1995-96 में नेशनल कौंसिल ऑफ एपलाइड इकोनोमिक रिसर्च (एनसीएईआर), नई दिल्ली द्वारा किए गए एक मूल्यांकन अध्ययन से यह रिपोर्ट मिली है कि हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों में सर्वेक्षण किए गए क्रमशः लगभग 85,84,31 और 73 प्रतिशत संयंत्र कार्य करते हुए पाए गए। तथापि बंद पड़े संयंत्रों के संबंध में स्थानवार सूचना, राज्य नोडल विभागों और कार्यक्रम एजेंसियों के ब्लाक/जिला/राज्य कार्यालयों में नमूना जांच और प्राप्त शिकायतों के आधार पर रखी जाती है।

(ग) जी हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों को क्रमशः 2000, 15000, 1500 और 12000 पारिवारिक बायोगैस संयंत्र और 5,35,1 और 50 सामुदायिक संस्थागत एवं विष्ठा आधारित बायोगैस संयंत्रों की स्थापना के लक्ष्य का आवंटन किया गया है। इसके अलावा, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन आदि, जिन्हें लक्ष्य आवंटित किए गए हैं, के द्वारा भी इन राज्यों में बायोगैस कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जा रहा है। राज्य सरकारें और कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियां इन लक्ष्यों को, पशुओं की तादाद, पानी की उपलब्धता तथा मांग और पशुओं के स्थानांतरण, खारा पानी, सूखा और बाढ़ आदि जैसी समस्याओं पर आधारित विद्यमान संभाव्यता को ध्यान में रखते हुए विभिन्न राज्यों के बीच आवंटित कर रही हैं।

विवरण

वर्ष 1994-95, 1995-96 और 1996-97 के दौरान हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों में लगाए गए पारिवारिक बायोगैस संयंत्रों की जिलावार संख्या

राज्य/जिला	लगाए गए बायोगैस संयंत्रों की सं॰
1	2
हरियाणा	
अम्बाला	488
भिवानी	345
फरीदाबाद	334
गुड़गांव	228
हिसार	505
जिंद	285
कैथल	378
करनाल	615
कुरूक्षेत्र	635
मोहिन्द्रगढ़	436
पानीपत	292
रेवाड़ी	285

1	2
रोहतक	236
सिरसा	461
सोनीपत	330
यमुनानगर	571
महाराष्ट्र	
अहमदनगर	2946
अकोला	1512
अमरावती	1849
औरंगाबाद	892
भंडारा	3323
बीड	902
बुल्दाना	966
चन्द्रपुर	1601
धूले	1988
गड़चिरोली	1825
जलगांव	1568
जालना	800
कोल्हापुर	10864
लातूर	879
नागपुर	1003
नांदेड़	908
नासिक	1945
उस्मानाबाद	656
परभानी	983
पुणे	2615
रायगढ़	1304
रत्नागिरी	922
सांगली	4371
सतारा	3736
सिंधुदुर्ग	1609
सोलापुर	781
थाणे	1416

1	2
वर्धा	1447
यवतमाल	1766
राजस्थान	
अजमेर	271
अलवर	279
बांसवाडा	135
बैरन	77
भरतपुर	298
भीलवाड़ा	585
बीकानेर	241
बूंदी	87
चितौड़गढ़	795
चुरू	607
दौसा	204
धौलपुर	80
डूंगरपुर	445
गंगानगर	1456
जयपुर	274
जालौर	90
झलावर	439
झुनझुनू	670
जोधपुर	112
कोटा	109
नागौर	541
पाली	339
राजसमंद	166
सवाई माधोपुर	155
सीकर	692
सिरोही	88
टोंक	225
उदयपुर	1404
हनुमानगढ़	252

1	2
उत्तर प्रदेश	
आगरा	307
अलीगढ़	817
इलाहाबाद	1100
अल्मोडा	777
अम्बेडकरनगर	273
आजमगढ़	1079
बहराइच	613
बरेली	615
बदायूं	737
बलिया	1500
बांदा	224
बाराबंकी	589
बस्ती	561
भदोई	184
बिजनौर	784
बुलन्दशहर	939
चमोली	75
देहरादून	276
देवरिया	859
इटावा	752
एटा	441
फतेहपुर	480
फर्रूखाबाद	488
फैजाबाद	552
फिरोजाबाद	318
गाजीपुर	1434
गाजियाबाद	675
गोंडा	723
गोरखपुर	760
हमीरपुर	150
हरदोई	742
हरिद्वार	405
झांसी	120
जालौन	391

1	2
जौनपुर	1379
कानपुर (ग्राम)	966
कानपुर (शहर)	116
लखीमपुर (खीरी)	1205
लखनऊ	387
ललितपुर	151
मऊ	465
मुजफ्फर नगर	978
मैनपुरी	384
महाराजगंज	364
महोबा	65
मथुरा	238
मेरठ	1268
मिर्जापुर	1247
मुरादाबाद	818
नैनीताल	2449
पदरौना	666
पौड़ी गढ़वाल	1417
पीलीभीत	356
पिथौरागढ़	84
प्रतापगढ़	508
रायबरेली	771
रामपुर	596
सीतापुर	799
सहारनपुर	742
शाहजहांपुर	819
सुल्तानपुर	849
सोनभद्र	159
सिद्धार्थनगर	425
टेहरी गढ़वाल	291
उधमसिंह नगर	329
उन्नाव	614
उत्तरकाशी	70
वाराणसी	2614

[हिन्दी]

टेलीफोन बिलों का वितरण

1414. **चौधरी रामचन्द्र बैंदा :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उपभोक्ताओं को टेलीफोन बिलों का वितरण भुगतान की देय तिथि के अंतिम दिन अथवा इसके पश्चात् किया जाता है;

(ख) क्या टेलीफोन विभाग द्वारा उपभोक्ताओं को टेलीफोन बिल कई वर्षों तक नहीं भेजे जाते हैं जब तक कि उपभोक्ता स्वयं इसे कार्यालय से प्राप्त न कर ले तथा इसके बावजूद भी टेलीफोन के कनेक्शन काट दिए जाते हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उपभोक्ताओं को दंड का भुगतान किए जाने पर मजबूर किया जाता है;

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस के लिए जिम्मेवार व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) से (च) जानकारी मांगी गई है और इसे सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

राजस्थान में नए दूरदर्शन केन्द्र

1415. **श्री परसराम मेघवाल :**

श्री श्यामलाल बंशीवाल :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकट भविष्य में राजस्थान में नए दूरदर्शन केन्द्र तथा स्टूडियो स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर ये केन्द्र तथा स्टूडियों स्थापित किए जाने का विचार है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस॰ जयपाल रेड्डी) : (क) जी, हां।

(ख) राजस्थान राज्य में इस समय कार्यान्वयनाधीन/स्थापित करने हेतु परिकल्पित टेलीविजन परियोजनाओं का स्थलवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

संसाधनों और अन्य आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता के अधीन राजस्थान में इस समय कार्यान्वयनाधीन/स्थापित करने हेतु परिकल्पित टेलीविजन परियोजनाओं का स्थलवार ब्यौरा।

कार्यान्वयनाधीन	प्रस्तावित
कार्यक्रम निर्माण केन्द्र :	
उदयपुर	
उच्च शक्ति ट्रांसमीटर	**उच्च शक्ति ट्रांसमीटर**
बाड़मेर (स्थायी)	अजमेर
जोधपुर	अनूपगढ़
	बीकानेर
	नथद्वारा
	जैसलमेर (डी॰डी॰-2)
अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	**अल्प शक्ति ट्रांसमीटर/अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर**
हिन्डन	नवलगढ़
मकराना	सागवाड़ा
टिबी	कुशलगढ़
	पिरावॉ
	नागर
	किशनगढ़ (अलवर)
	नसीराबाद
	भिनमाल
	सोजात
	बाली
	संचोर
	दरियावाड़
	भरतपुर
	किशनगढ़ (अजमेर)
	विजयनगर
	आंधी
	विराटनगर
	सिकराइ
	सूरजगढ़
	तारानगर
	कोटरा
अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	
लालसोट	
लक्ष्मणगढ़	

[अनुवाद]

राजस्थान में उच्च शक्ति ट्रांसमीटर टॉवर

1416. कर्नल सोनाराम चौधरी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में पाकिस्तान द्वारा किए जा रहे दुष्प्रचार को रोकने हेतु सरकार द्वारा युद्ध स्तर पर दो उच्च शक्ति टीवी टावर का निर्माण किया गया था;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा छोटन (जिला बाड़मेर) तथा रामगढ़ (जिला जैसलमेर) में इन दोनों टीवी टावर पर कुल कितनी धनराशि का व्यय किया गया है;

(ग) इन दोनों टीवी टावर को अब तक चालू न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इन टीवी टॉवर को चालू किए जाने की संभावित तिथि क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस॰ जयपाल रेड्डी) : (क) हालांकि जैसलमेर में 10 कि॰वा॰ उच्च शक्ति टेलीविजन ट्रांसमीटर का निर्माण कार्य पूरा हो गया है तथापि बाड़मेर में स्थायी 10 कि॰वा॰ के उच्च शक्ति ट्रांसमीटर सैटअप के पूरा होने के लम्बित रहते एक अंतरिम सैट-अप (1 कि॰वा॰) भी तकनीकी रूप से तैयार कर लिया गया है।

(ख) जून, 1997 तक जैसलमेर और बाड़मेर स्थित उच्च शक्ति ट्रांसमीटर परियोजनाओं पर क्रमशः 493.28 लाख रु॰ और 758.14 लाख रु॰ कुल व्यय हुआ है।

(ग) और (घ) यद्यपि जैसलमेर में स्थित 10 कि॰वा॰ का उच्च शक्ति ट्रांसमीटर और बाड़मेर में स्थित एक कि॰वा॰ का उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (अंतरिम सैट-अप) दोनों दिनांक 31.3.97 को आंशिक रूप से चालू कर दिए गए थे तथापि, जैसलमेर स्थित उच्च शक्ति ट्रांसमीटर के लिए स्टाफ संबंधी स्वीकृति उपलब्ध न होने और बाड़मेर के उच्च शक्ति ट्रांसमीटर हेतु बहुत कम स्टाफ की स्वीकृति दिए जाने के कारण इन दोनों उच्च शक्ति ट्रांसमीटरों को पूर्ण रूप से चालू नहीं किया जा सका। यद्यपि इन उच्च शक्ति ट्रांसमीटरों को पूर्ण रूप से चालू करने के लिए कोई विशिष्ट समय-सीमा इंगित नहीं की जा सकती। तथापि, यह सक्षम प्राधिकारी द्वारा इन परियोजनाओं के प्रचालन और अनुरक्षण हेतु पूर्ण पूरी संख्या में स्टाफ स्वीकृत करने पर निर्भर करेगा।

विदर्भ क्षेत्र में परियोजनाओं का क्रियान्वयन

1417. श्री नामदेव दिवाथे : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में विदर्भ क्षेत्र में चालू परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गयी है;

(ख) यदि हां, तो निर्दिष्ट मानदंड तथा धीमी प्रगति के कारणों के सन्दर्भ में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जो गत तीन वर्षों के दौरान विदर्भ क्षेत्र में क्रियान्वयन संबंधी लक्ष्य पूरा नहीं कर पाये हैं; और

(घ) पिछड़े/आदिवासी क्षेत्रों को पर्याप्त महत्व देते हुए प्राथमिकता आधार पर अधूरी परियोजनाओं को पूरा करने हेतु वर्ष 1997-98 के लिए क्या कार्य योजना तैयार की गयी है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) विदर्भ क्षेत्र में कार्यान्वित की जा रही विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की पुनरीक्षा अंतिम बार फरवरी, 97 में की गई थी और इस वित्तीय वर्ष के लिए उनकी शीघ्र ही फिर से पुनरीक्षा की जाएगी।

(ख) पिछले वर्ष से अग्रेनीत की गई स्कीमें अधिकतर पारेषण स्कीमें हैं, जैसे रेडियो स्कीमें। स्कीम को निष्पादित करने की सामान्य समय-सीमा ढ़ाई वर्ष है जिसमें राज्य सरकार के माध्यम से भूमि अधिग्रहीत करने के लिए एक वर्ष का समय भी शामिल है। परियोजनाएं समय पर कार्यान्वित न किए जाने के मुख्य कारण हैं:-

(i) राज्य सरकार द्वारा देर से भूमि आबंटित किए जाने अथवा आबंटित न किए जाने के कारण भूमि और भवन उपलब्ध न होना।

(ii) उपस्करों की आपूर्ति में विलम्ब।

(ग) और (घ) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

विदर्भ क्षेत्र में पिछले तीन वर्षों के दौरान जो परियोजनाएं लक्ष्य के अनुसार कार्यान्वित नहीं हो सकीं उनका ब्यौरा और 1997-98 में उन्हें पूरा करने के लिए कार्य-योजना निम्नानुसार है :-

(क) पारेषण परियोजनाएं : तालुका मुख्यालयों को एस टी डी सुविधा प्रदान करने की 13 यू एच एफ/एम डब्ल्यू स्कीमें मुख्यतः इसलिए विलंबित हो गई क्योंकि राज्य-वार सरकार की ओर से इन स्कीमों के लिए भूमि आबंटित करने में विलंब हो गया था। परिणामस्वरूप इनमें से दो स्कीमों की मांग बदलने के लिए संशोधित करना पड़ा और दो स्कीमों को संशोधित करके आप्टिकल फाइबर केबल प्रणाली में परिवर्तित किया जा रहा है। इन सभी स्कीमों को चालू किए जाने हेतु 1997-98 के कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया है।

जहां कहीं भी राज्य सरकार ने भूमि प्रदान करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है वहां निजी पार्टियों से भूमि अधिग्रहीत किए जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

3 माईक्रोवेव स्कीमें और 1 एम सी पी सी उपग्रह स्कीम उपस्कर की आपूर्ति में विलंब के कारण विलंबित हो गई। इनमें से तीन स्कीमों के लिए उपस्कर आबंटित करने का कार्य पूरा हो गया है और इन्हें इस वर्ष के दौरान चालू किए जाने की आशा है।

(ख) स्विचन परियोजनाएं

3 स्विचन परियोजनाएं यथा चन्द्रापुर स्थित स्थानीय तथा टैक्स ई-10 बी एक्सचेंज, अमरावती में 500 लाइनों का विस्तार और अकोला में 500 लाइनों के ई-10 बी विस्तार में विलंब हो गया। 1997-98 के दौरान इनमें से जो परियोजनाएं चंद्रापुर और अकोला में चालू कर दी गई हैं। तीसरी परियोजना भी इसी वर्ष के दौरान चालू किए जाने की आशा है।

बेरोजगार स्नातकों को डाक लाइसेंस देना

1418. श्री हरिन पाठक : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक विभाग गुजरात में बेरोजगार स्नातकों को छोटे डाकघर खोलने हेतु लाइसेंस प्रदान करेगा;

(ख) यदि हां, तो क्या गुजरात में बेरोजगार युवकों की सेवाएं लिए जाने की संभावनाएं हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार गुजरात राज्य में शिक्षित बेरोजगार युवकों की सेवाएं किस प्रकार प्राप्त करेगी?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) से (ग) डाक विभाग की लाइसेंसशुदा डाक-टिकट विक्रेता नामक एक लाइसेंसिंग स्कीम है जिसके अंतर्गत इसके लाइसेंस धारकों के माध्यम से डाक-टिकट व डाक लेखन सामग्री बेची जाती है। यह लाइसेंस आवेदन करने पर ऐसे किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है जो निर्धारित मानदंड पूरे करता हो और निर्धारित शर्तों का अनुपालन करे। विवरण-I संलग्न है।

ऐसे गांवों में, जहां डाकघर खोलना संभव नहीं है, पंचायतों के माध्यम से बुनियादी डाक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए "पंचायत संचार सेवा योजना" नामक एक स्कीम तैयार की गई थी। इस स्कीम के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं। पंचायत संचार सेवा योजना के अंतर्गत पंचायत क्षेत्र के भीतर कोई पढ़ा-लिखा बेरोजगार युवा, जिसकी न्यूनतक शैक्षिक योग्यता मैट्रिक होनी चाहिए, ग्राम पंचायत द्वारा चुने जाने पर अधीक्षक/वरिष्ठ अधीक्षक डाकघर की लिखित सहमति से पंचायत के भीतर डाक सेवा संबंधी कार्य करेगा।

विवरण-I

लाइसेंसशुदा डाक-टिकट विक्रेता

लाइसेंसशुदा डाक-टिकट विक्रेता योजना डाक-टिकटें और डाक-लेखन सामग्री आसानी से उपलब्ध कराने तथा काउंटरों पर भीड़ कम करने के उपाय के रूप में 1966 में शुरू की गई थी।

शर्तें

1. डाकघर में कार्य कर रहे कर्मचारियों अथवा डाकघरों से किसी अन्य प्रकार से सम्बद्ध व्यक्तियों को लाइसेंस नहीं दिया जा सकता है।
2. भूतपूर्व सैनिकों, बेरोजगारों तथा शारीरिक रूप से विकलांगों को प्राथमिकता दी जाती है।
3. लाइसेंसधारक कोई व्यक्ति विशेष, फर्म अथवा निगमित निकाय हो सकता है।
4. लाइसेंसधारक का परिसर नजदीकी डाकघर से 1/2 कि॰मी॰ से कम की दूरी पर स्थित नहीं होना चाहिए तथा इसके परिसर में डाक-टिकटों तथा डाक लेखन सामग्री की उपलब्धता के बारे में एक साइन बोर्ड लगा होना चाहिए तथा इसे दिन में कम से कम 5 घंटे खुला रहना चाहिए।
5. 1000/- रु॰ की जमानत राशि तथा प्रतिवर्ष 100/- रु॰ का लाइसेंस शुल्क निर्धारित किया गया है।
6. विक्रेता के लिए डाकघर से की गई कुल खरीद में से 25 प्रतिशत की डाक लेखन-सामग्री खरीदनी अनिवार्य है।
7. विक्रेता एक वर्ष के लिए वैध है।

विवरण-II

पंचायत संचार सेवा योजना

योजना का उद्देश्य

इस योजना का उद्देश्य उन ग्राम पंचायत वाले गांवों में मूलभूत डाक और दूरसंचार सेवाएं प्रदान करना है, जिनमें अभी तक डाकघर नहीं हैं। इस योजना में पंचायतें कुछ मूलभूत सेवाओं जैसे डाक-टिकटों और डाक लेखन-सामग्री की बिक्री, पत्रों के संग्रहण तथा वितरण और पंजीकृत वस्तुओं की बुकिंग आदि के लिए नोडल प्वाइंट होंगी।

कार्य :

जब तक विभाग द्वारा अन्यथा निर्धारित न किया जाए तब तक पंचायत केन्द्रों द्वारा नीचे उल्लिखित कार्य किए जाएंगे :

(क) वी॰पी॰ और बीमाकृत वस्तुओं को छोड़कर रजिस्टर्ड पत्रों की बुकिंग;

(ख) डाक-टिकटों और डाक लेखन-सामग्री की बिक्री;

(ग) डाक प्रमाण-पत्र जारी करना;

(घ) जहां व्यवहार्य हो, महिला समृद्धि योजना का संचालन करना;

(ङ) जहां व्यवहार्य हो, लैटर-बक्सों की क्लीयरेंस सहित डाक का संग्रहण और वितरण;

(च) लघु बचत योजना और डाक जीवन बीमा को बढ़ावा देना; और

(छ) जब विभाग संतुष्ट हो कि पंचायत केन्द्र शाखा डाकघर के अन्य कार्य करने में सक्षम है तो उसे शाखा डाकघर के अन्य कार्य सौंपना।

इसके अलावा, संबंधित डिवीजन के अधीक्षक/वरिष्ठ अधीक्षक डाकघर द्वारा संचार केन्द्र के इंचार्ज को निम्नलिखित वैकल्पिक कार्य भी दिए जा सकते हैं।

लेखा कार्यालय अथवा नजदीकी डाकघर से संचार केन्द्र के लिए डाक ले जाना तथा संचार केन्द्र से लेखा कार्यालय अथवा नजदीकी डाकघर के लिए डाक लाना-ले जाना।

इस योजना के अंतर्गत संचार सेवा केन्द्र के एजेंट को ऐसे गांवों में एसटीडी/पीसीओ/पंचायत फोन संचालित करने का काम भी सौंपा जाएगा जिन गांवों में अभी ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं है बशर्ते कि वह दूरसंचार विभाग द्वारा निर्धारित पात्रता संबंधी मानदंड और शर्तें पूरी करता हो। गांवों में मौजूद पीसीओ धारकों का संचार केन्द्र के एजेंट के रूप में उपयोग किया जा सकता है।

मुख्य विशेषताएं :

इस योजना में ग्राम पंचायतों की भागीदारी एच्छिक होगी।

पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत कोई पढ़ा-लिखा बेरोजगार युवा, जिसकी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता मैट्रिक होगी, ग्राम पंचायत द्वारा चुने जाने पर अधीक्षक/वरिष्ठ अधीक्षक डाकघर की लिखित सहमति से पंचायत के क्षेत्र के भीतर डाक संबंधी कार्य करेगा।

ऐसा व्यक्ति इस योजना को चलाने के लिए पंचायत के एक एजेंट के रूप में कार्य करेगा। तथापि, इस योजना को चलाने के उद्देश्य के लिए पंचायत को डाक विभाग के साथ एक करार करना होगा।

पंचायत सेवा केन्द्र स्थापित करने के लिए ग्राम पंचायत को एक उचित स्थान निर्धारित करना होगा। बेहतर होगा कि ऐसा भवन पंचायत का स्वयं का अपना हो। पदधारक के बदलने पर पंचायत केन्द्र का स्थान नहीं बदला जाएगा।

डाक सुविधाएं रविवार और डाक-छुट्टियों के दिनों को छोड़कर लोगों को सप्ताह के सभी दिनों में उपलब्ध कराई जाएंगी। केन्द्र के कार्य करने के घंटे अधीक्षक डाकघर द्वारा स्थानीय जनता की सुविधा और जरूरत के अनुसार निर्धारित किए जाएंगे तथा इन्हें अधिसूचित किया जाएगा। तथापि, एसटीडी/पीसीओ/ग्राम पंचायत टेलीफोनों के संचालन के लिए कार्यदिवस और कार्य-घंटे दूरसंचार अधिकारियों द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार होंगे।

पंचायत संचार सेवा केन्द्र उन गांवों में स्थापित किए जाएंगे जिनमें ग्राम पंचायत का मुख्यालय होगा।

पंचायत संचार सेवा केन्द्र के माध्यम से उचित और कार्यकुशल डाक सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए ग्राम पंचायत डाक विभाग के प्रति उत्तरदायी होंगी।

संचार सेवा केन्द्र का डाक विभाग द्वारा नियमित पर्यवेक्षण और निरीक्षण भी किया जाएगा।

पारिश्रमिक/कमीशन :

काउंटर सेवाएं प्रदान करने और जहां अनुमति दी गई हो डाक के संग्रहण, डाक के लाने-ले जाने और वितरण के लिए प्रतिमाह 300 रुपये निश्चित भत्ता दिया जाएगा।

पंचायत के एजेंट को निम्नलिखित भुगतान करके पंचायत क्षेत्र में प्रदान की गई अन्य डाक सुविधाओं के लिए प्रतिपूरक भत्ता दिया जाएगा :

(क) सामान्य क्षेत्रों में डाक-टिकट/डाक स्टेशनरी खरीदते समय उनकी लागत पर 5 प्रतिशत कमीशन दिया जाएगा। पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों में निम्नलिखित दरों पर कमीशन दिया जाएगा :-

100 रुपये तक की बिक्री पर	: 5 प्रतिशत
101 रुपये से 200 रुपये तक की बिक्री पर	: 7.5 प्रतिशत
201 रुपये से अधिक की बिक्री पर	: 10 प्रतिशत

(ख) पंजीकृत वस्तु की बुकिंग और वितरण के लिए 50 पैसे कमीशन

(ग) महिला समृद्धि योजना खातों के रख-रखाव के लिए निर्धारित दरों पर कमीशन।

(घ) डाक जीवन बीमा और राष्ट्रीय बचत योजना को बढ़ावा देने के लिए निर्धारित दरों पर कमीशन।

(ङ) अन्य सेवाएं प्रदान करने के लिए निर्धारित की जाने वाली दरों पर कमीशन।

एसटीडी/पीसीओ ग्राम पंचायत टेलीफोन चलाने के लिए दूरसंचार विभाग द्वारा निर्धारित कमीशन दिया जाएगा।

पंचायत को उस क्षेत्र में कुशल डाक सेवा सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित करने के उद्देश्य से डाक सर्किल में सर्वश्रेष्ठ पंचायत संचार सेवा केन्द्र को पुरस्कृत करने की एक प्रणाली शुरू की जाएगी।

[हिन्दी]

पंचायतों और जिला परिषदों के चुनाव

1419. श्री सत्य पाल जैन : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चंडीगढ़ की पंचायत समिति और जिला परिषद् के चुनाव अभी तक नहीं कराए जाने के क्या कारण है जबकि उनके गठन की तारीख से छः महीने की अवधि के अन्दर ऐसे संस्थानों के चुनाव कराये जाने अनिवार्य है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस समय इस संबंध में किसी न्यायालय ने कोई स्थगन आदेश नहीं दिया है; और

(ग) यदि हां, तो वहां चुनाव कब तक कराये जाने की संभावना है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडू) : (क) से (घ) चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव जनवरी, 1996 में उठाए गए थे लेकिन पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा एक रिट याचिका के आधार पर परिणामों की घोषणा पर रोक लगाए जाने के कारण परिणाम घोषित नहीं किए जा सके। रिट याचिका के खारिज होने के कारण स्थगन आदेश हटा लिया गया। चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन इन निकायों के गठन पर आगे कार्रवाई कर रहा है।

ग्रामीण क्षेत्र में दूरसंचार सुविधा

1420. श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह :
श्री अनन्त कुमार हेगड़े :
कुमारी उमा भारती :
श्रीमती केतकी देवी सिंह :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन सेवाओं के घटिया कार्यकरण के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन सेवाओं में सुधार लाने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त योजना से कितने ग्रामीण क्षेत्रों के लाभान्वित होने की संभावना है;

(ङ) क्या ग्रामीण दूरसंचार प्रणाली में लक्ष्य के मुकाबले बहुत कम प्रगति हुई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(छ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) कुछ कठिन, दुर्गम और दूरस्थ क्षेत्रों को छोड़कर ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन प्रणालियां संतोषजनक ढंग से कार्य कर रही हैं।

(ख) जी हां।

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन सेवाओं में और सुधार लाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:-

(i) सन् 2000 तक सभी गांवों को टेलीफोन सुविधा प्रदान करना।

(ii) सन् 2000 तक सभी एक्सचेंजों को एस टी डी सुविधा प्रदान करना।

(iii) विश्वसनीय पारेषण माध्यम प्रदान करना।

(iv) ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान करने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकियों का प्रवेश।

(v) मौजूदा एक्सचेंजों की क्षमता बढ़ाना।

(vi) लघु क्षमता वाले एक्सचेंजों को उच्चतर क्षमता के स्विचों से बदलना।

(vii) मियाद-समाप्त और पुराने स्विचों को डिजिटल स्विचों से बदलना।

(viii) स्थानीय क्षेत्रों में ओवर हैड संरेखण को उत्तरोत्तर रूप से भूमिगत केबलों से बदलना।

(घ) सभी राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों को इस स्कीम से लाभ होगा।

(ङ) जी नहीं।

(च) और (छ) उपर्युक्त भाग (ङ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण शिल्पकारों का उत्थान

1421. श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण शिल्पकारों के उत्थान हेतु अब तक तैयार/लागू की गयी योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 1997-98 के दौरान उन्हें क्या अतिरिक्त सुविधायें दिए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) गत दो वर्षों के दौरान उक्त योजना के अन्तर्गत किन-किन वस्तुओं का निर्माण किया गया और इनका निर्यात किन-किन देशों में किया गया था?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडू) : (क) यह मंत्रालय ग्रामीण कारीगरों को उन्नत औजार किटों की आपूर्ति की योजना कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण कारीगरों को उन्नत औजार किटें दी जाती हैं ताकि वे अपने उत्पादों की गुणता/मात्रा/विक्रेयता को बढ़ा सकें और अपनी कड़ी मजदूरी को कम कर सकें। प्रारम्भ में इसे चुने हुए जिलों में शुरू किया गया था। बाद में 1995-96 से इसे दिल्ली और चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्रों को छोड़कर पूरे देश में लागू किया गया। इस योजना के अन्तर्गत बुनकरों, दर्जियों, सुई के काम करने वालों और बीड़ी बनाने वाले कामगारों को छोड़कर विभिन्न शिल्पों में कार्यरत कारीगरों को उन्नत औजार किटें दी जाती हैं। औजार किट की औसत लागत 2000/- रुपए है और इकाई लागत संबंधित जिला ग्रामीण विकास एजेंसी द्वारा निर्धारित की जाती है। कारीगरों को अपने योगदान के रूप में औजार किटों की लागत का 10 प्रतिशत देना होता है और शेष 90 प्रतिशत भारत सरकार से सबसिडी के रूप में मुहैया कराया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत 4,500 रुपए की लागत तक के

विद्युत चालित औजार किटों के उपयोग की भी स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा, यह समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ऋण से जुड़ा हुआ होता है। जिला स्तर पर जिला ग्रामीण विकास एजेंसी कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, विकास आयुक्त, हस्तशिल्प के अधीन क्षेत्रीय डिजाइन तथा तकनीकी विकास केन्द्रों और अन्य संगठनों द्वारा मिट्टी के बर्तन बनाने, बढ़ईगिरी, लोहारगिरी, चमड़े के काम, काष्ठ शिल्प, धातु शिल्प और लाख दाने से संबंधित उन्नत औजार किटों के प्रोटोटाइप विकसित किए गए हैं। यदि राज्य सरकार महसूस करती है कि उनके राज्यों में स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल उन्नत औजार किटों के बेहतर विकल्प उपलब्ध हैं तो वे उन माडलों का चयन करने के लिए स्वतंत्र हैं। बशर्ते कि इस प्रयोजन हेतु बनाई गई राज्य स्तरीय/जिला स्तरीय कार्य दल/तकनीकी समिति ने अनुमोदित किया हो।

(ख) वर्ष 1997-98 के दौरान ग्रामीण कारीगरों को निम्नलिखित अतिरिक्त सुविधाएं दिए जाने के प्रस्ताव हैं :-

(1) ग्रामीण कारीगरों की उच्च आय को सुनिश्चित करने के लिए विपणन संबंधी तालमेल स्थापित करने हेतु संस्थागत प्रबंध।

(2) उन्नत औजार किटों के समुचित उपयोग के लिए अशिक्षित ग्रामीण कारीगरों हेतु सचित्र और सोदाहरण साहित्य उपलब्ध कराना।

(3) औजार किटों की आपूर्ति के पश्चात उनकी उपयोगिता तथा उपयुक्तता के बारे में ग्रामीण कारीगरों से चर्चा करना।

(ग) जिन ग्रामीण कारीगरों को औजार किटों की आपूर्ति की जाती है वे अपनी इच्छानुसार किसी भी वस्तु के निर्माण के लिए स्वतंत्र हैं और वे अपने उत्पादों को जहां चाहें वहां बेचने के लिए स्वतंत्र हैं। अन्य देशों को ऐसी वस्तुओं के निर्यात के संबंध में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

[अनुवाद]

गैस आधारित विद्युत उत्पादन

1422. **श्री चित्त बसु :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत उत्पादन के गैस बैस्ड कंबाईड साइकिल मैथड को अधिक अपनाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने विद्युत उत्पादन के लिए यह विधि अपनाई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के॰ अलघ) : (क) से (ग) एक परम्परागत ताप विद्युत संयंत्र और गैस आधारित संयुक्त साइकिल विद्युत संयंत्र के बीच चयन विभिन्न विकल्पों की पूंजीगत लागत, ईंधन की उपलब्धता और कीमत और स्थल संबंधी पर्यावरणीय परिस्थितियों आदि समेत विविध घटकों पर निर्भर करता है। गैस आधारित विद्युत स्टेशन पर्यावरणीय दृष्टि से अधिक उपयुक्त है और इनकी कोयला आधारित स्टेशनों की तुलना में अधिक चक्रीय क्षमता रखने के अतिरिक्त निर्माण की अवधि भी कम है।

कन्याकुमारी से अधिक रेलगाड़ियां चलाया जाना

1423. **श्री एन॰ डेनिस :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कन्याकुमारी में पर्यटकों तथा तीर्थयात्रियों की बढ़ती हुई संख्या को ध्यान में रख कर कन्याकुमारी से देश के महत्वपूर्ण नगरों के लिए और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां चलाये जाने संबंधी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार चेन्नई से कन्याकुमारी तक जाने और वापसी के लिए सुबह के समय एक्सप्रेस रेलगाड़ियां चलाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

अमृतसर से चण्डीगढ़ तक रेल संपर्क

1424. **श्री रघुनंदन लाल भाटिया :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमृतसर से चण्डीगढ़ तक बरास्ता लुधियाना रेल संपर्क बनाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक इस संबंध में कार्य आरंभ किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) आवश्यक स्वीकृति जिसके लिए कार्रवाई शुरू की जा चुकी है, प्राप्त हो जाने के पश्चात् शुरू करने के लिए लुधियाना से चण्डीगढ़ तक एक नई लाइन का निर्माण 1997-98 के बजट में शामिल किया गया है। यह अमृतसर से चण्डीगढ़ एक सीधा संपर्क मुहैया कराएगा।

भूमि सुधार

1425. श्री शरत पटनायक : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में देश में भूमि संबंधी सुधारों की प्रगति की समीक्षा करने हेतु एक राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम रहे?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडू) : (क) देश में भूमि सुधार की प्रगति की समीक्षा करने के लिए समय-समय पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का सम्मेलन आयोजित किया जाता है।

(ख) राजस्व मंत्रियों का अन्तिम सम्मेलन 28 जनवरी, 1997 को नई दिल्ली में हुआ था, जिसमें भूमि सुधार उपायों के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई थी। इसमें सीमा से अधिक भूमि/भूदान भूमि/सरकारी बंजरभूमि का वितरण, हस्तांतरित आदिवासी भूमि की वापसी, काश्तकारी सुधार, भूमिसुधार में पंचायती राज संस्थाओं की भागीदारी आदि सहित भूमि सुधार संबंधी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। इस सम्मेलन में विशिष्ट समयबद्ध सुधारों की सिफारिश की गई थी। इन पर आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई के लिए इन्हें संबंधित राज्य सरकारों के साथ उठाया गया है।

दूरसंचार सेवा का राष्ट्रीय औसत

1426. श्री अनन्त कुमार हेगड़े : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों में दूरसंचार सेवाएं राष्ट्रीय औसत से नीचे है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उन राज्यों में दूरसंचाद सेवाओं को राष्ट्रीय औसत के समतुल्य पर लाने के लिए कोई योजना सरकार के विचाराधीन है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) से (घ) जी हां। कुछ राज्यों में प्रति सौ की जनसंख्या पर टेलीफोनों की औसत संख्या, राष्ट्रीय औसत - 1.72 से कम है। नए टेलीफोन कनेक्शनों के लिए लक्ष्यों का निर्धारण करते समय इन राज्यों को और अधिक महत्व देते हुए इनका टेलीफोन घनत्व राष्ट्रीय स्तर तक लाने हेतु उपाय किए जा रहे हैं। 1997-98 के लिए निर्धारित सर्किल-वार लक्ष्य और 31.3.1997 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा सूची तथा टेलीफोन घनत्व विवरण में दिया गया है।

(ङ) उपर्युक्त उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

सीधी एक्सचेंज लाइनों के 1997-98 के लक्ष्य, 1991 की जनगणना के आधार पर टेलीफोन घनत्व तथा 31.3.97 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा सूची

क्र॰सं॰	सर्किल	डीईएल का लक्ष्य	31.3.97 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा-सूची	प्रति 100 की जन-संख्या पर टेलीफोन घनत्व
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	215000	242592	1.43
2.	असम	35000	28422	0.56
3.	बिहार	60000	51445	0.39
4.	गुजरात	200000	265681	2.60
5.	हरियाणा	73000	85459	2.18
6.	हिमाचल प्रदेश	40000	46762	2.77
7.	जम्मू तथा कश्मीर	20000	33141	0.89
8.	कर्नाटक	195000	165396	2.17
9.	केरल	262000	619955	2.94
10.	मध्य प्रदेश	70000	40772	1.06
11.	महाराष्ट्र	225000	248638	1.84
12.	उत्तर पूर्व	22500	12066	1.03
13.	उड़ीसा	33000	44204	0.63
14.	पंजाब	164000	184448	3.48
15.	राजस्थान	147000	156323	1.39
16.	तमिलनाडु	249000	285276	1.73
17.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	95000	58510	0.74
18.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	99000	73763	0.74
19.	पश्चिम बंगाल	86000	65352	0.40
20.	अंडमान तथा निकोबार	4500	2550	2.24

1	2	3	4	5
21.	बंबई	226000	804	13.06
22.	दिल्ली	214000	2216	14.62
23.	कलकत्ता	80000	84816	4.77
24.	चेन्नई	75000	80607	7.88
	जोड़ :	2900000	2087200	1.72

टिप्पणी :

1. उत्तर पूर्व में अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड और त्रिपुरा राज्य शामिल हैं।
2. पश्चिम बंगाल में सिक्किम राज्य भी शामिल है।
3. मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई तथा दिल्ली महानगर हैं।
4. महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु सर्किलों में क्रमशः मुंबई, कलकत्ता तथा चेन्नई को छोड़कर संबंधित राज्य शामिल हैं।
5. महाराष्ट्र में गोवा राज्य भी शामिल है।

मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन एक्सचेंज

1427. **श्री छतर सिंह दरबार :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 1997-98 के दौरान मध्य प्रदेश में पुराने टेलीफोन एक्सचेंजों के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा जिले-वार तथा स्थान-वार इसकी समय-सारणी क्या है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

क्र॰	उपस्थिति	जिला	मौजूदा		प्रतिस्थापन
			टाइप	क्षमता	हेतु अंनतिम समय-सूची
1.	बिलासपुर	बिलासपुर	एमएएक्स-I स्ट्रोजर	500	मार्च, 98
2.	उज्जैन	उज्जैन	-वही-	3200	मार्च, 98
3.	सिंगरोली	सिधी	एम ए एक्स-II यू/एस टाइप	400	मार्च, 98

[हिन्दी]

जापान द्वारा कार्यकारी दल का गठन

1428. **श्री अमर पाल सिंह :**
श्री सत्य देव सिंह :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान ने देश में विद्युत उद्योग के त्वरित विकास हेतु एक कार्यकारी दल का गठन किया है तथा यह दल पूंजी जुटाने तथा बेहतर प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने में सहायता देगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त दल अपना कार्य कब तक प्रारंभ कर देगा?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के॰ अलघ) : (क) से (ग) भारत में जापानी निजी क्षेत्र के लिए अवसंरचना विकास तथा व्यवसाय अवसरों का पता चलाने के लिए निजी प्रयासों को अवलंबन प्रदान करने की दृष्टि से, जापानियों ने जुलाई, 1996 में भारत के लिए विद्युत शक्ति विकास पर एक अध्ययन दल को स्थापित किया है। व्यापक अध्ययन करने के पश्चात् इस अध्ययन दल ने 28.3.1997 को अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया है। अपनी अंतिम रिपोर्ट में जापानी निजी क्षेत्र तथा जापान सरकार ने भारत जिसे बड़े उभर रहे बाजारों में से एक माना गया है, के साथ औद्योगिक सहयोग के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में विद्युत क्षेत्र के विकास हेतु अवलंबन को अभिज्ञात किया है। इस अध्ययन दल ने जापानी सहयोग हेतु गुजरात, आंध्र प्रदेश, राजस्थान तथा कर्नाटक राज्यों को अभिज्ञात किया है। इसके साथ-साथ, इस दिशा में प्रगति जापानी निजी क्षेत्र द्वारा किए जाने वाले प्रयासों तथा संबंधित राज्यों की प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगी। इस अध्ययन दल ने सहयोग के लिए विशिष्ट क्षेत्र का पता चलाने के लिए संबंधित राज्यों के साथ सतत् विचार-विमर्श का प्रस्ताव किया है।

[अनुवाद]

हिमाचल प्रदेश सरकार और केन्द्र सरकार के बीच समझौता

1429. **श्री के॰डी॰ सुल्तानपुरी :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश के गठन से पूर्व राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के बीच किए गए सभी समझौतों को लागू कर दिया गया. है;

(ख) कौन-कौन सी मांगें अभी भी केन्द्र सरकार के पास लंबित हैं; और

(ग) कब तक राज्य सरकार द्वारा अग्रेषित विद्युत कर लगाये जाने संबंधी प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के॰ अलघ) : (क) और (ख) हिमाचल प्रदेश सरकार ने दावा किया है कि उसे हिमाचल प्रदेश में अवस्थित जल विद्युत परियोजनाओं की अधिष्ठापित क्षमता का 12 प्रतिशत हिस्सा निःशुल्क उपलब्ध कराया जाए परंतु जहां क्षेत्र में अन्य लाभभोगी राज्यों से लाभ प्राप्त किए जाते हैं तथा हिमाचल प्रदेश स्थित भाखड़ा नांगल तथा ब्यास परियोजना से अपनी जनसंख्या के आधार पर 7.19 प्रतिशत बढ़ा हुआ हिस्सा प्राप्त करने का हकदार है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने जून, 1996 में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थनापत्र भी प्रस्तुत किया था जिसमें प्रार्थना की गई थी कि इस मामले में निर्णय दे दिया जाए। नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कार्पोरेशन की केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं अर्थात् बैरास्यूल (198 मे॰वा॰) तथा चमेरा चरण-I (540 मे॰वा॰) की 12 प्रतिशत अधिष्ठापित क्षमता निशुल्क विद्युत के रूप में आबंटित कर दी गई है। यह केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा 7.9.1990 के बाद चालू किए गए ताप विद्युत केन्द्रों के लिए लागू हिस्सेदारी के फार्मूले पर आधारित है। भाखड़ा नांगल तथा ब्यास परियोजना से उत्पादित 7.19 प्रतिशत विद्युत को इन परियोजनाओं को चालू किए जाने की तिथि से आबंटित किए जाने संबंधी हिमाचल प्रदेश सरकार की मांग सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है।

(ग) इस बिल को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त किए जाने हेतु भारत सरकार के पास भेज दिया गया है। इस मंत्रालय द्वारा यह मामला मई, 1997 में विधि मंत्रालय के पास भेजा गया था। कानूनी राय प्राप्त हो जाने के पश्चात् इसे गृह मंत्रालय के पास भेजा जाएगा जो इस पर अंतिम निर्णय लेगा।

डिब्बों का पटरी से उतरना

1430. श्री चन्द्र भूषण सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डिब्बों के पटरी से उतरने की अधिकांश घटनाएं उन अल्ट्रासोनिक फ्लो डिटेक्टर मशीनों के खराब हो जाने के कारण हुई हैं जिन्हें कुछ गैर-सरकारी कंपनियों से खरीदा गया था;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान खरीदी गई मशीनों की कुल संख्या कितनी है और इन्हें किन-किन कंपनियों से खरीदा गया था;

(ग) क्या इ॰सी॰आई॰एल॰ द्वारा विनिर्मित उपर्युक्त मशीन की गुणवत्ता गैर-सरकारी क्षेत्र के अन्य विनिर्माताओं से श्रेष्ठकर है; और

(घ) यदि हां, तो उपर्युक्त मशीनों की खरीद के लिए गैर-सरकारी विनिर्माताओं को आर्डर देने के क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी नहीं।

(ख) इस प्रकार की कुल 81 मशीनें खरीदी गई थी। इनमें से ई॰सी॰आई॰एल॰ से 63 अदद, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंजीनियरिंग कम्पनी, अंधेरी, मुम्बई से 3 अदद, विब्रोनिकर मुम्बई से 9 अदद, मेडसॉनिक ईस्ट॰ मेन्युफैक्चरिंग कम्पनी अहमदाबाद से 4 अदद तथा करात-क्रेम्मर जर्मनी से 2 अदद की खरीद की गई थी।

(ग) और (घ) इन मशीनों को रेलवे अनुसंधान अभिकल्प एवं मानव संगठन द्वारा निर्धारित की गई सामान्य विशिष्टियों के अंतर्गत खरीदा गया था इसलिए मशीनों की गुणवत्तार तुलनीय है।

भारतीय किसानों को लाभ

1431. श्री अटयन्ना पटरुधु : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 15 मई, 1997 के "इंडियन एक्सप्रेस" में "बेनीफिट्स मीन्ट फॉर इंडियन फारमर्श गो टु बंगलादेश" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में क्या उपचारात्मक कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) सामान्यतः निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के लिए कोई पृथक वर्गीकरण निर्धारिक नहीं है। तदनुसार रेल मंत्रालय द्वारा निर्यात के लिए सिंगल सुपर फास्फेट के संचलन के लिए कोई अलग वर्गीकरण निर्धारित नहीं किया गया था। बंगलादेश के लिए बुक किया गया इस वस्तु का यातायात निर्धारित दरों पर प्रभारित किया गया था और रेलों को इसके कारण कोई घाटा नहीं हुआ है।

लेखा परीक्षा से संदर्भ प्राप्त होने पर इस मामले को, निर्यात पारेषणों के लिए एक पृथक वर्गीकरण निर्धारित करने के लिए सुझाव की जांच हेतु क्षेत्रीय रेलों के सभी मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधकों की अंतर्बदल वाणिज्यिक समिति को भेज दिया गया था। समिति ने सिफारिश की है कि इस वस्तु के यातायात के लिए कोई पृथक वर्गीकरण निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है। जहां तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए उपयोग न किए जाने वाले भारतीय खाद्य निगम द्वारा प्रायोजित चावल पारेषणों का संबंध है जैसा कि समाचार मद में उल्लेख किया गया है अवप्रभारों का आकलन और उसकी वसूली करने के लिए कार्रवाई की गई है।

धनराशि का दुरूपयोग

1432. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गया दूरसंचार जिला, गया (बिहार) में स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण में धनराशि का दुरूपयोग किए जाने संबंधी आरोप लगाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

पैदल उपरिपुल का निर्माण

1433. **श्रीमती शीला गौतम** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में राम घाट रोड़ रेलवे क्रासिंग पर अब पैदल उपरिपुल का निर्माण कर दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त स्थान पर पैदल उपरिपुल का निर्माण कब तक किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी नहीं।

(ख) अलीगढ़ रेलवे स्टेशन के समीप मौजूदा समपार सं॰ 109-ए से 55 मीटर की दूरी पर पहले से ही एक ऊपरी पुल मौजूद है। अतः पास ही में दूसरे ऊपरी पैदल पुल का कोई औचित्य नहीं है।

(ग) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पोस्टकार्डों पर विज्ञापन संबंधी योजना

1434. **श्री सनत मेहता** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्त वर्ष की प्रथम तिमाही के दौरान पोस्टकार्ड इत्यादि पर विज्ञापन की योजना से डाक विभाग को कितनी आय की प्राप्ति हुई; और

(ख) चालू वर्ष में पोस्टकार्डों के मूल्य में वृद्धि होने के कारण कितनी अतिरिक्त आय होने का अनुमान है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) चालू वर्ष की पहली तिमाही के दौरान पोस्टकार्ड आदि पर विज्ञापन योजना से विभाग ने 57 लाख रु॰ का राजस्व अर्जित किया है।

(ख) पोस्टकार्ड के मूल्य में वृद्धि से चालू वर्ष के दौरान 4.52 करोड़ रु॰ की अतिरिक्त आय होने का अनुमान है।

चीन तथा भारत के बीच कार्यक्रम का आदान-प्रदान

1435. **डा॰ रामकृष्ण कुसमरिया** :
श्री आनंद रत्न मौर्य :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत तथा चीन के बीच टेलीविजन नेटवर्क में सहयोग तथा कार्यक्रमों के आदान-प्रदान संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो इस समझौते की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ङ) इस समझौते को कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस॰ जयपाल रेड्डी) : (क) से (घ) जी, हां। दूरदर्शन ने 2 जून, 1997 को चाइना सेण्ट्रल टेलीविजन के साथ पारस्परिक सहयोग संबंधी एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ समाचारों, खेलकूद, मनोरंजन, आर्थिक विकास, सांस्कृतिक कार्यकलापों, बाल एवं विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी से संबंधित कार्यक्रमों के आदान-प्रदान करने का विचार है।

(ङ) यह करार पहले से ही लागू है।

मालडिब्बों की कमी

1436. **कुमारी सुशीला तिरिया** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि रेलवे के मालडिब्बों की भारी कमी के कारण उड़ीसा तक खाद्यान्नों की ढुलाई प्रभावित हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी नहीं। रेलवे मालडिब्बों की कोई कमी नहीं है। तथापि भारतीय खाद्य निगम की ओर से उतराई की समस्याओं के कारण खाद्यान्न का संचलन प्रभावित हुआ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

भूकंपीय अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना

1437. **श्री विजय कुमार खण्डेलवाल** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद् के निदेशक ने वर्ष 1993 में भोपाल, मध्य प्रदेश में एक भूकंपीय अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित किए जाने का प्रस्ताव किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रस्ताव पर विशेष रूप से नर्मदा घाटी में भूकंप को मद्देनजर रखते हुए पुनः विचार किया जा रहा हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसे कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के॰ अलघ) : (क) से (ग) महोदय, 1993 में मध्य प्रदेश के विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ था। तथापि, मध्य प्रदेश सरकार ने भारत सरकार से सन् 1993 में राज्य में भूकंप मानीटरिंग सुविधाओं के उन्नयन के लिए संपर्क किया था। इसके अनुवर्तन के तौर पर भारत मौसम विज्ञान विभाग, भारत सरकार ने अधुनातन ब्रॉड-बैंड यंत्र स्थापित करते हुए भोपाल स्थित भूकंपीय वेधशाला का दर्जा बढ़ा दिया हैं। यह यंत्र काम कर रहा है तथा 22 मई, 1997 को जबलपुर में हाल ही में आये भूकंप को इसने दर्ज किया था तथा उस घटना से संबंधित आंकड़े निकाल कर दिये।

[अनुवाद]

इस्पात क्षेत्र के कार्य-निष्पादन की समीक्षा

1438. श्री संदीपान थोरात : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में इस्पात क्षेत्र के कार्य की समीक्षा की गई है;

(ख) यदि हां, तो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी क्षेत्र की इकाइयों के लिए मानक मानदण्डों सम्बन्धी अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या घरेलू बाजार में खराब हालत के कारण इस्पात क्षेत्र ने निर्यात क्षेत्र में उन्हें सहायता तथा वित्तीय राहत प्रदान करने के लिये सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) और (ख) इस्पात मंत्रालय केवल अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के निष्पादन की आवधिक रूप से समीक्षा करता है। समीक्षा के मुख्य प्राचलों में अन्य बातों के साथ-साथ समझौता ज्ञापन लक्ष्य, पिछले वर्षों का निष्पादन, आधुनिकीकरण/विस्तार कार्यक्रमों के संदर्भ में संभावित निष्पादन, अन्य विशेष एवं संबद्ध वर्तमान क्षेत्र आदि शामिल हैं। इस्पात मंत्रालय निजी क्षेत्र की समस्याओं का पता लगाने और उनका समाधान ढूंढने के लिए समय-समय पर उनके साथ संपर्क करता है।

(ग) और (घ) इस्पात का निर्यात करने के लिए वित्तीय सहायता हेतु किसी भी उत्पादक से कोई विशिष्ट अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। आयात-निर्यात नीति के अनुसार इस्पात का निर्यात निर्बाध रूप से करने की अनुमति है। तथापि इस्पात के निर्यात में वृद्धि करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं :-

(i) निर्यात से हुई आय की बाजार विनिमय दर पर पूर्ण परिवर्तनीयता।

(ii) अग्रिम लाइसेंसिंग योजना के तहत् निर्यातकों को अपनी कच्चे माल की आवश्यकता को बिना शुल्क के आयात करने की सुविधा उपलब्ध है।

(iii) निर्यात सामान के विनिर्माण में प्रयुक्त किसी भी आयातित उत्पाद शुल्क योग्य सामग्री पर भुगतान किए गए शुल्क को वापिस करना।

(iv) निर्यात से हुई आय को धारा 80 एच एच सी के तहत् आयकर से छूट देना।

रेल परियोजनाओं के संबंध में नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट

1439. श्री मंगल राम प्रेमी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 13 मई, 1997 के दैनिक जागरण में "कैग ने रेल मंत्रालय को आड़े हाथ लिया - पिछली परियोजना पूरी नहीं हुई और नई हाथ में ली" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी हां।

(ख) जहां तक सी ए जी रिपोर्ट का संबंध है प्रेस रिपोर्ट वस्तुतः सही है।

(ग) नई परियोजनाएं, विकास के लिए अवसंरचना मुहैया कराने के लिए नई लाइनों, आमान परिवर्तन आदि आवश्यकताओं को देखते हुए सरकार द्वारा शुरू की जाती है। ये परियोजनाएं अन्य चालू परियोजनाओं के साथ शुरू की जाती हैं जिनके लिए परिचालनिक/सामरिक महत्व की प्राथमिकताओं के आधार पर निधि उपलब्ध करायी जाती है। इन सभी परियोजनाओं की धीमी प्रगति का मुख्य कारण संसाधनों की तंगी है। योजना आयोग/वित्त मंत्रालय से बजटीय सहायता में वृद्धि कराने के भरसक प्रयास किए जा रहे हैं ताकि इन परियोजनाओं पर संतोषजनक प्रगति की जा सके।

राजस्थान में एस॰टी॰डी॰ बूथ

1440. श्री महेश कुमार एम॰ कनोडिया : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1997-98 के दौरान राजस्थान में कितने एस॰टी॰डी॰/सार्वजनिक टेलीफोन बूथ स्थापित करने का विचार है;

(ख) ऐसे बूथों के आबंटन के लिए कितने आवेदन-पत्र लंबित हैं; और

(ग) राज्य में ऐसे कितने डाकघर हैं जहां वर्ष 1997-98 के दौरान ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने का विचार है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) वर्ष 1997-98 के दौरान राजस्थान में, 6000 एस टी डी/पी सी ओ का लक्ष्य है।

(ख) दिनांक 30.6.97 की स्थिति के अनुसार 13298 आवेदन-पत्र लंबित हैं।

(ग) डाक घरों के लिए अलग से कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जाता है। एस टी डी/पी सी ओ आबंटन समिति द्वारा, एस टी डी/पी सी ओ के आबंटन हेतु उन पात्र आवेदकों के मामलों पर भी विचार किया जाता है, जिनके पास डाकघरों में उपयुक्त स्थान उपलब्ध हो।

बहरे तथा नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए निःशुल्क रेलवे पास जारी करना

1441. **डा॰ ए॰के॰ पटेल :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बहरे तथा नेत्रहीन व्यक्तियों को निःशुल्क रेलवे पास जारी करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस समय मूक और बधिर (दोनों अशक्तता साथ-साथ) व्यक्तियों के लिए पहले से I/II शयनयान श्रेणी में 50 प्रतिशत रियायत उपलब्ध है। नेत्रहीनों को अकेले या एक एस्कोर्ट की भी प्रथम, द्वितीय/ शयनयान श्रेणी के किराए में 75 प्रतिशत की रियायत दी जाती है।

जम्मू-ऊधमपुर रेल लाइन कार्य को पूरा किया जाना

1442. **श्री चमन लाल गुप्त :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू-ऊधमपुर रेल लाइन के निर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है तथा इस पर कितना व्यय किया गया है;

(ख) उक्त लाइन को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या तीन वर्ष पूर्व तत्कालीन रेल मंत्री द्वारा घोषणा की गई थी कि जम्मू-ऊधमपुर रेल लाइन को लेह तक बढ़ाया जायेगा;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए है;

(ङ) इस उद्देश्य हेतु कितनी अनुमानित धनराशि की आवश्यकता होगी; और

(च) जम्मू तथा कश्मीर में शुरू की जा रही रेल लाइन परियोजनाओं के अंतर्गत रेल लाइनों की कुल लम्बाई कितनी है और इसकी अनुमानित लागत क्या है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जम्मू-ऊधमपुर नई लाइन पर निर्माण कार्य पूरे जोरों पर है। इस लाइन पर 31.3.1997 तक किया गया खर्च 235.18 करोड़ रुपये है।

(ख) 31.12.99 तक

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है इसलिए अनुमानित लागत उपलब्ध नहीं है।

(च)

कार्य का नाम	लंबाई (कि॰मी॰ में)	लागत (करोड़ रुपयों में)
जम्मू-ऊधमपुर	53	333.52
ऊधमपुर-बारामूला	290	2500.00

[हिन्दी]

रिश्वत संबंधी शिकायतें

1443. **श्रीमती केतकी देवी सिंह :** क्या संचार मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को टेलीफोन कनेक्शन लगाने तथा एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज में टेलीफोन कनेक्शन स्थानान्तरित करने संबंधी कार्यों के लिये रिश्वत दिये जाने की घटनाओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में 1996-97 के दौरान अब तक सरकार को कितनी शिकायतें प्राप्त हुई है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त, शिकायतों की जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो दोषी पाये गये प्रत्येक व्यक्ति के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

रेल परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक सहायता

1444. श्री बनवारी लाल पुरोहित :
श्री शिवाजी विट्ठल राव काम्बले :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने गत कुछ वर्षों से कुछ रेल परियोजनाओं को वित्तीय सहायता देने से इंकार कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या विश्व बैंक ने भी मुंबई शहरी परिवहन परियोजना के दूसरे चरण को सहायता देने से इंकार कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) जी नहीं। बहरहाल, परियोजना की पहचान करते समय विश्व बैंक कतिपय शर्तें निर्धारित करता है और ऋण लेने वालों द्वारा इन्हें स्वीकार कर लिए जाने के पश्चात् ही परियोजना आरंभ की जाती है।

(ग) जी नहीं। विश्व बैंक ने एम यू टी पी-II से अंतिम रूप से अपना हाथ नहीं खींचा है। विश्व बैंक ने रेल घटक के लिए कुछ परियोजना की तैयारी संबंधी प्रारंभिक अध्ययनों और सड़क घटक के लिए कुछ अध्ययनों का वित्त पोषण किया था। उसने सैद्धांतिक रूप से एम यू टी पी-II के वित्त पोषण के लिए भी सहमति व्यक्त की थी जैसा कि अध्ययनों के पूरा हो जाने के पश्चात् विनिश्चय किया गया था। यद्यपि परियोजना की तैयारी संबंधी प्रारंभिक अध्ययनों के बारे में उन्होंने पहले उल्लेख किया था कि उनके पास परियोजना को, इसके मौजूदा रूप में, त्यागने के अलावा कोई विकल्प शेष नहीं था, साथ ही उन्होंने यह भी उल्लेख किया था कि बैंक सहायता पर विचार करने का इच्छुक तभी होगा यदि पार्टियों द्वारा अर्थात भारतीय रेलों और महाराष्ट्र सरकार द्वारा एक समीक्षा करने के पश्चात परियोजनाओं को ऐसे विकसित किया जा सके जहां संबंधित पार्टियों द्वारा आगे आकर वचनबद्धता दी जाए और उनके पास एक स्पष्ट संस्थागत कार्यान्वयन क्षमता हो।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

विद्युत संबंधी लेखा परीक्षा

1445. श्री आनन्द रत्न मौर्य : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने राज्यों ने विद्युत संबंधी लेखा परीक्षा अनिवार्य कर दिए जाने संबंधी केन्द्र सरकार की नीतिगत घोषणा को लागू कर दिया है;

(ख) क्या विद्युत संबंधी अनिवार्य लेखा परीक्षा के संबंध में राज्य बहुत धीरे-धीरे कार्य कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को विद्युत संबंधी लेखा परीक्षा के कार्यों में तेजी लाने के संबंध में कोई निदेश जारी किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के॰ अलघ) : (क) से (ङ) चार राज्यों नामशः केरल, पश्चिम बंगाल, दिल्ली तथा तमिलनाडु ने विनिर्दिष्ट श्रेणी के औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा लेखा परीक्षा अनिवार्य कर दी है। भारत सरकार ने अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से भी इसी प्रकार के आदेश जारी किए जाने पर विचार करने के लिए अनुरोध किया है।

[अनुवाद]

दादर स्टेशन से कोंकण क्षेत्र के लिए रेलगाड़ियां चलाना

1446. श्री चिन्तामन वानगा :
श्री राम नाईक :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दादर स्टेशन से कोंकण क्षेत्र के लिए रेल गाड़ियां आरम्भ करने के लिए एक शिष्टमंडल ने सरकार से भेट की है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) के आर-0111/के आर-0112 कुर्ला-सावंतवाड़ी एक्सप्रेस को दादर तक बढ़ाने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए है। इसकी जांच की गई है परंतु दादर में टर्मिनल सुविधाओं की कमी के कारण इसे परिचालनिक रूप से व्यावहारिक नहीं पाया गया है।

असम में डाक सेवा

1447. श्री केशव महन्त : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान असम के डाक सर्किल में कितने उपविभागीय डाकघरों तथा विभोगत्तर शाखा डाकघरों को मंजूरी दी गई है तथा कितने स्थापित किये गये हैं;

(ख) क्या मंजूर किए गए कुछ डाकघरों को आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान स्थापित नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को यह जानकारी है कि ग्रामीण डाकघरों तथा तारघरों में सुधार किए जाने की आवश्यकता है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) से (ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान असम डाक सर्किल में 63 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर मंजूर किए गए व खोले गए। मंजूर किए गए व खोल गए विभागीय उप डाकघरों के संबंध में जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) और (ङ) जी हां। मेल लाइनों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है तथा कुछ ग्रामीण विभागीय उपडाकघरों में बहुद्देशीय काउंटर मशीनें लगाई जा रही हैं।

तार :

असम में प्रदान की जा रही तार सेवा संतोषजनक है क्योंकि दिन के 12 घंटों के भीतर वितरित तारों की प्रतिशतता के संबंध में सेवा की गुणवत्ता में पिछले तीन वर्षों में लगातार वृद्धि हुई है। 1994-95 में यह प्रतिशत 90.54 था, 1995-96 में 91.91 और 1996-97 में 92.83 प्रतिशत।

तथापि तार सेवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए निरंतर प्रयास किए जाते हैं और अधिक उपलब्धि हासिल करने के लिए लक्ष्य प्रतिवर्ष संशोधित किया जाता है। सेवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए विभिन्न स्तरों पर सेवा के कार्यनिष्पादन की मॉनीटरिंग और पुनरीक्षा की जाती है।

[हिन्दी]

बिहार में नई रेल लाइन बिछाना

1448. श्री महावीर लाल विश्वकर्मा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार में नई रेल लाइनें बिछाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कोडरमा-बडकारबाना रेल लाइन बिछाने का कार्य कब तक आरंभ कर दिए जाने और पूरा कर दिए जाने की संभावना है; और

(घ) इस परियोजना पर कितनी धनराशि खर्च होने की संभावना है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी हां।

(ख) पहले शुरू किए गए कार्य के अतिरिक्त गंगा पुल और मुंगेर दोनों तरफ रेल लिंक के साथ गंगा नदी पर एक रेल पुल का निर्माण सहित मुजफ्फरपुर से सीतागढ़ी, आरा से सासाराम, पटना से हाजीपुर तक नई लाइन का निर्माण किए जाने का प्रस्ताव है।

(ग) फिलहाल गिरडीह और कोडरमा के बीच प्रस्तावित गिरडीह-बरकाकाना रांची नई लाइन पर केवल प्रथम चरण का कार्य स्वीकृत किया गया है। प्रथम चरण का कार्य पूरा हो जाने के पश्चात शेष भाग का कार्य प्रारंभ किया जाएगा।

(घ) आगामी वर्षों में परियोजना के इस चरण का कार्य स्वीकृत हो जाने पर पता लगेगा।

[अनुवाद]

पोस्टमैनों की संख्या में वृद्धि

1449. श्री जंग बहादुर सिंह पटेल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई कालोनियों की संख्या में वृद्धि हुई है परन्तु पोस्टमैनों की संख्या अनुपातिक रूप से नहीं बढ़ाई गई है;

(ख) यदि हां, तो डाक संबंधी वस्तुओं/धनादेशों/टेलीग्रामों में ही रही देरी के संबंध में सरकार द्वारा कितनी शिकायतें प्राप्त की गई है; और

(ग) डाक की समय पर डिलीवरी को सुनिश्चित करने के लिए पोस्टमैनों की संख्या में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) कालोनियों की संख्या में वृद्धि हुई है, लेकिन डाकियों के पदों की संख्या को नई कालोनियों की संख्या या जनसंख्यावृद्धि से नहीं जोड़ा जा सकता। डाकियों के पदों का सृजन/अनुमोदन कुछ निश्चित मानदंडों के आधार पर किया जाता है जिसमें वितरित की गई डाक वस्तुओं की संख्या तथा तय की गई दूरी शामिल होती है। मई, 1990 में स्पीड पोस्ट सेवा के लिए डाकियों के 90 पद मंजूर किये गये थे। वर्ष 1990-91 में पोस्टमैनों के 2359 पद तथा छंटाई पोस्टमैन के 151 पद सृजित किए गए थे। वर्ष 1992 में नोएडा काम्प्लेक्स के लिए डाकिये के छह (6) तथा छंटाई डाकिये का एक (1) पद सृजित किया गया था। अनिवार्य पदों के औचित्य का मूल्यांकन करने के लिए इस्टैब्लिशमेंट की समय-समय पर पुनरीक्षा की जाती है और जब आवश्यक समझा जाता है, इन्हें वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के अनुमोदन से सृजित/मंजूर किया जाता है।

(ख) डाक/मनीआर्डर/तारों में विलंब के संबंध में 1995-96 के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या इस प्रकार है :—

	1995-96 (हजार में)
(क) डाक (अपंजीकृत)	16.4
(ख) मनीआर्डर	278.3
(ग) तार	0.22 (प्रति 1000 तार)

(ग) विभाग ने 1991-92 में प्रचालन की दृष्टि से अनिवार्य पद बड़ी संख्या में सृजित किए थे जिनमें वितरण व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए डाकियों के आवश्यक पद भी शामिल थे। इसके अलावा, वितरण प्रणाली की सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए विभाग ने सर्किलों के अध्यक्षों को समूह "ग" और "घ" (डाकियों के पदों सहित) के सरप्लस पदों को पुनः तैनात करने के अधिकार दिए गए हैं। प्रत्यायोजित अधिकारों के अंतर्गत, यदि किसी प्रचालन कार्यालय के इस्टैब्लिशमेंट में डाकिये के पद सरप्लस पाए जाते हैं, तो उन्हें किसी दूसरे प्रचालन कार्यालय में, जहां डाकियों के अतिरिक्त पदों की आवश्यकता हो, पुनःतैनात किया जा सकता है।

[हिन्दी]

नई रेल लाइनों का सर्वेक्षण

1450. श्री शिवराज सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने मध्य प्रदेश में बीना, कुरवाई बयारा और गुना में नई रेल लाइनें बिछाने के लिए सर्वेक्षण कार्य आरम्भ करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर होने वाला व्यय क्या है और उपर्युक्त कार्य कब तक पूरा होगा?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) बीना कुरवाई, ब्यावरा तथा गुना पहले से ही बड़ी लाइनों से जुड़े हुए हैं। बहरहाल, बीना को ब्यादरा से जोड़ने के लिए सर्वेक्षण शुरू किया गया है। सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के बाद ही परियोजना पर आगे विचार किया जाएगा।

(ग) सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के बाद ही लागत का पता चल पाएगा। इस स्तर पर कोई भी समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

[अनुवाद]

इलेक्ट्रानिक मीडिया में निवेश

1451. श्री बी॰एल॰ शंकर : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 4 जुलाई, 1997 के "टाइम्स ऑफ इंडिया" में "फॉरेन इनवेस्टमेंटम इन इलेक्ट्रानिक मीडिया अलाउड बट विद स्टिंग्स अटैच्ड" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) हमारे मीडिया उपकरण तथा इलेक्ट्रानिक मीडिया प्रक्रिया इससे किस हद तक प्रभावित होगी; और

(घ) हमारे अपने देश की इलेक्ट्रानिक मीडिया की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस॰ जयपाल रेड्डी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मुम्बई रेल विकास निगम की स्थापना

1452. श्री मोहन रावले : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय द्वारा महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से समान लागत भागीदारी के आधार पर मुम्बई रेल विकास निगम स्थापित करने का निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सहयोग संबंधी ज्ञापन तैयार किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो सहयोग संबंधी ज्ञापन को कब तक तैयार कर लिए जाने तथा मुम्बई रेल विकास निगम को कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कर लिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) जी हां। मुम्बई रेल विकास निगम की स्थापना रेल मंत्रालय के अधीन पूर्णतः सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में रेल मंत्रालय और महाराष्ट्र सरकार द्वारा इक्विटी भागेदारी सहित कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत करने का विनिश्चय किया गया है। अन्य कार्यों के साथ मुम्बई रेल विकास निगम के कार्य इस प्रकार होंगे :—

1. महानगर शहरी परिवहन परियोजना-II में सम्मिलित किए जाने वाले रेलवे घटक और मुम्बई उपनगरीय रेल सेवाओं में अन्य योजनाएं हैं विदेशों के लिए समन्वित योजना का विकास करना और परिणामी अवसंरचना परियोजनाओं का निष्पादन।
2. रेल क्षमता योजना तथा प्रस्तावित निवेशों के साथ मुंबई महानगर क्षेत्र के लिए स्वीकृत शहरी विकास परियोजना।
3. रेलपथ जलनिकासी में सुधार करने और रेलों के मार्गाअधिकार तथा स्टेशन पहुंच मार्गों से अतिक्रमणों एवं अनधिकृत प्रवेशकर्ताओं को हटाने में समन्वय बनाना और इसे सुनिश्चित करना।
4. रेल भूमि के वाणिज्यिन विकास के लिए विशिष्ट परियोजनाओं का निष्पादन और मुम्बई क्षेत्र, महाराष्ट्र में तथा देश के अन्य भागों में रेल परियोजनाओं के लिए आमदनी का क्रमशः 1:1:1 के अनुपात में सविभाजन।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) रेल मंत्रालय और महाराष्ट्र सरकार के बीच समझौता ज्ञापन तैयार करने की प्रक्रिया जारी है।

इस्पात क्षेत्र में श्रमिकों के नियोजन संबंधी स्वायत्तता

1453. **श्री नारायण अठावले** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 9 जुलाई, 1997 के "द फाइनेंशियल एक्सप्रेस" में "फिक्की डिमांड्स आटोनोमी फार लेबर रिवेम्प इन स्टील सेक्टर" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके तथ्य क्या हैं, और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्पर्धात्मक बनने हेतु उत्पादन लागत का कम करने की अनिवार्यता के रूप में जनशक्ति नियोजन को तर्कसंगत बनाने के संबंध में सरकार की नीति क्या है;

(घ) क्या सरकार ने जनशक्ति के अधिक नियोजन के संबंध में कोई आकलन कराया है और विगत में "गोल्डेन हेंड शेक" के लिए योजनाएं तैयार की हैं तथा इन योजनाओं का कोई मूल्यांकन किया गया है एवं इस समस्या से निपटने के लिए क्या कारगर नीतियों का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

डाकघर खोले जाने हेतु मानदंड

1454. **डा॰ कृपासिंधु भोई** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नये डाकघर खोले जाने के लिए निर्धारित मानदंड क्या हैं;

(ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में कितने नये डाकघर खोले जाने का प्रस्ताव है;

(ग) उक्त योजनावधि के दौरान उड़ीसा में कितने डाकघर खोले जाने की संभावना है;

(घ) क्या नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा में कुछ डाकघरों के उन्नयन का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) नए डाकघर खोलने के लिए निर्धारित मानदंड संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष के दौरान 550 डाकघर खोले जाने का प्रस्ताव है, बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध रहें। इनमें से 500 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर तथा 50 विभागीय उप डाकघर होंगे।

(ग) से (ङ) वार्षिक योजना 1997-98 के अंतर्गत उड़ीसा के लिए 27 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलने का लक्ष्य आवंटित किया गया है। वर्ष 1997-98 के दौरान उड़ीसा में 2 विभागीय उप डाकधर भी खोले जाएंगे जो नए डाकघर भी हो सकते हैं अथवा दर्जा बढ़ाए गए डाकघर भी। डाकघर मानदंड आधारित औचित्य होने पर खोले/अपग्रेड किए जाते हैं बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध रहें।

विवरण

डाकघर खोलने के लिए मानदंड

1. **नए शाखा डाकघर खोलने के लिए मानदंड**

1.1 **जनसंख्या :**

(क) **सामान्य क्षेत्रों में**
एक ग्राम समूह की आबादी 3000 (इसमें उन गांवों की आबादी भी शामिल है जहां डाकघर खोला जाना है)

(ख) **पहाड़ी, जनजातीय, रेगिस्तानी और दुर्गम क्षेत्रों में**
किसी एक गांव की आबादी 500 अथवा गांवों के एक समूह की आबादी 1000

1.2 **दूरी :**

(क) **सामान्य क्षेत्रों में :**
नजदीकी डाकघर से न्यूनतम दूरी 3 कि॰मी॰ होगी।

(ख) **पहाड़ी, जनजातीय, रेगिस्तानी और दुर्गम क्षेत्रों में**
दूरी की सीमा वही होगी सिवाय पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़कर। निदेशालय द्वारा ऐसे मामलों में न्यूनतम दूरी की सीमा में छूट दी जा सकती है जहां विशेष परिस्थितियों में ऐसी छूट अपेक्षित है जिसका प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिएं।

1.3 **प्रत्याशित आय :**

(क) **सामान्य क्षेत्रों में :**
न्यूनतम प्रत्याशित राजस्व लागत का $33^1/_3$ प्रतिशत होना चाहिए।

(ख) **पहाड़ी, जनजातीय, रेगिस्तानी और दुर्गम क्षेत्रों में:**
न्यूनतम प्रत्याशित आय लागत की 15 प्रतिशत होनी चाहिए।

2. नए विभागीय उप डाकघर खोलने के लिए मानदंड :

3. ग्रामीण क्षेत्रों में :

अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर का न्यूनतम कार्यभार पांच घंटे प्रतिदिन होना चाहिए। सामान्य ग्रामीण क्षेत्र में अनुमेय वार्षिक घाटा 24000/- रु॰ प्रतिवर्ष तथा जनजातीय व पहाड़ी क्षेत्र में 4800/- रु॰ प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।

2.2 शहरी क्षेत्रों में :

2.2.1 शहरी क्षेत्र में डाकघर को आरंभ में आत्मनिर्भर होना चाहिए तथा प्रथम वार्षिक पुनरीक्षा के समय इसे 5 प्रतिशत लाभ दर्शाना चाहिए ताकि यह आगे बनाए रखे जाने हेतु पात्र हो सके।

2.2.2 20 लाख और उससे अधिक की जनसंख्या वाले शहरों में दो डाकघरों के बीच की न्यूनतम दूरी 1.5 कि॰मी॰ तथा अन्य शहरी क्षेत्रों में 2 कि॰मी॰ से कम नहीं होनी चाहिए। यदि यह एक वितरण डाकघर है तो निकटतम वितरण डाकघर से इसकी दूरी 5 कि॰मी॰ से कम नहीं होनी चाहिए। सर्किल अध्यक्षों को 10 प्रतिशत मामलों में दूरी की शर्त में छूट देने का अधिकार है।

2.2.3 शहरी क्षेत्र में एक वितरण डाकघर में कम से कम 7 पोस्टमैन बीट्स होनी चाहिए।

रेल दुर्घटनाएं

1455. **श्री देवी बक्स सिंह :**

डॉ॰ रमेश चन्द तोमर :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1997 से आज तक जोनवार हुई रेल दुर्घटनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक दुर्घटना में कितने व्यक्ति मारे गए और उनमें सरकार की कुल कितने मूल्य की संपत्ति क्षतिग्रस्त हुई; और

(ग) पंजाब में हुई रेल दुर्घटनाओं का ब्यौरा क्या है और उनमें कितने व्यक्ति मारे गए?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) क्षेत्रवार सूचना निम्नलिखित है।

रेलवे	दुर्घटनाओं की संख्या	मारे गये व्यक्ति	रेलवे संपत्ति की हुई हानि की लागत (लागत रुपयों में)
1	2	3	4
मध्य	45	20	445.28
पूर्व	15	16	321.62
उत्तर	31	19	219.16
पूर्वोत्तर	8	6	4.66
पूर्वोत्तर सीमा	7	1	7.94
दक्षिण	27	1	48.29
द॰म॰	26	24	208.21
द॰पू॰	44	11	939.93
पश्चिम	14	2	8.63
मैट्रो	1	-	2.00
कोंकण रेल निगम	2	-	12.34
जोड़	220	100	1772.78

(ग) रेल दुर्घटनाओं के आंकड़े एवं संबंधित सूचना जोनवार रखी जाती है न कि राज्यवार।

पहाड़ी क्षेत्रों में दूरसंचार प्रणाली

1456. **श्री बच्ची सिंह रावत "बचदा" :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेज बारिश/तूफान में खंभों के गिरने तथा तारों के टूटने के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में दूरसंचार प्रणाली ठप्प हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस स्थिति से निपटने के लिए कोई आपात योजना तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, नहीं। तथापि ओवरहेड संरेखण में यदाकदा व्यवधान उत्पन्न हो जाते हैं जिन्हें तत्काल ठीक कर दिया जाता है।

(ख) और (ग) व्यवधानों को न्यूनतम करने और अधिकाधिक विश्वसनीय सेवाएं प्रदान करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :—

(1) ऐसी स्थितियों के लिए बचाव टीमें बनाई जाती हैं।

(2) आपातकालीन स्थितियों के लिए अतिरिक्त भंडार (स्टोर्स) रखे जाते हैं।

(3) जहां कहीं व्यवहार्य हो, उपग्रह/बेतार माध्यम/भूमिगत केबल/ऑप्टिकल फाइबर केबल प्रणाली द्वारा सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

[अनुवाद]

दूरदर्शन धारावाहिक

1457. डा॰ वाई॰एस॰ राजशेखर रेड्डी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन पर धारावाहिक के अधिकतम कितने एपिसोड प्रकाशित किए जाने की अनुमति दी जाती है;

(ख) किन-किन धारावाहिकों के 300 से अधिक एपिसोडों के प्रसारण की अनुमति दी गई है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) वर्ष 1996-97 के दौरान विज्ञापनों के माध्यम से धारावाहिक-वार कितना राजस्व अर्जित किया गया; और

(घ) महाभारत तथा रामायण के कितने एपिसोडों के प्रसारण की अनुमति दी गई?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस॰ जयपाल रेड्डी) : (क) साप्ताहिक धारावाहिक के संबंध में मंजूर किए जाने वाले प्रकरणों की सामान्यतया अधिकतम संख्या 156 है। दैनिक धारावाहिकों के संबंध में मंजूर किए जाने वाले प्रकरणों की सामान्यतया अधिकतम संख्या 520 है।

(ख) साप्ताहिक धारावाहिक "जुनून" और सांस्कृतिक पत्रिका "सुरभि" को 300 से अधिक प्रकरणों की अनुमति दी गई है। "शान्ति", "स्वाभिमान" और "भक्ति सागर" जैसे दैनिक धारावाहिकों को सप्ताह में 5 दिन प्रसारित किया जाता है और इसलिए अत्यधिक दर्शकगण, टी॰आर॰पी॰ रेटिंग और राजस्व संभावना के कारण 300 से अधिक प्रकरणों की अनुमति दी गई है।

(ग) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) महाभारत के 93 प्रकरण और रामायण के 104 प्रकरण डीडी-1 पर प्रसारित किए गए थे। महाभारत को डीडी-2 पर भी दुबारा प्रसारित किया गया था।

विवरण

1996-97 के दौरान दूरदर्शन पर प्रसारित धारावाहिकों के नाम और अर्जित राजस्व।

क्र॰सं॰	धारावाहिक	राजस्व (लाख रु॰ में)
1	2	3
	डीडी-1	
1.	चन्द्रकान्ता	165.76
2.	स्वाभिमान	690.51
3.	शान्ति	536.52
4.	रिपोर्टर	59.76
5.	इम्तिहान	59.95
6.	जुनून	561.22
7.	कानून	79.74
8.	अजनबी	249.16
9.	अलिफ लैला	1049.05
10.	सिन्दबाद	9.09
11.	संसार	76.77
12.	बाप से बड़ा रुपैया	2.50
13.	अकबर दि ग्रेट	190.87
14.	दास्ताने हातिमताई	20.69
15.	घुटन	131.86
16.	हमारी दुनिया	11.50
17.	झांसी की रानी	96.48
18.	दीने अलादीन	12.87
19.	एक था रस्टी	51.85
20.	श्री कृष्णा	2794.80
21.	संस्मरण	24.75
22.	सुख दुःख	6.50
23.	अपराजिकता	4.97
24.	सफेद झूठ	5.07
25.	भूतनाथ	35.30
26.	बदला	118.18
27.	युग	269.41
28.	करामाती	98.40
29.	आखिर कौन	98.82
30.	अभय चरण	5.50
31.	धर्म-अधर्म	48.92
32.	सबका मालिक एक है	54.41
33.	मृत्युंजय	54.51
34.	सिपाही की डायरी	18.14
35.	तस्वीर	12.40
36.	भावना	12.60
37.	मेवा लाल	43.26
38.	हिना	49.74
39.	फर्ज	64.91

1	2	3
40.	मंथन	4.40
41.	दया सागर	8.60
42.	अहसास	5.65
43.	विधान	7.90
44.	कातिल	1.50
45.	ऊँ नमः शिवाय	350.95
46.	बन्धन	3.50
47.	जंग	6.00
48.	अनुगूंज	2.00
49.	ब्रह्मा	6.00
	डीडी–2	
1.	आंखें	12.73
2.	नोंक झोंक	45.32
3.	श्री कृष्णा	22.98
4.	आरजू	34.56
5.	श्रीमान श्रीमती	338.64
6.	मार्शल	66.61
7.	वंश	109.06
8.	तू–तू मैं–मैं	606.95
9.	सराब	240.36
10.	विरासत	41.66
11.	बदलते रिश्ते	4.80
12.	अलादीन	8.65
13.	देवता	28.03
14.	महाभारत	462.25
15.	पतझड़	189.08
16.	साहिल	294.71
17.	साम्राज्य	87.38
18.	जल्दी–जल्दी	4.44
19.	डिजनी एल मरमाड	3.05
20.	सुपर ह्यूमन	3.35
21.	रिम्बाज आइसलैण्ड	7.67
22.	डेनिस दि मेनान्स	2.79
23.	सहारा	136.14
24.	परछाईयां	56.21
25.	बाइबल की कहानियां	26.56
26.	सांच को आंच	63.78
27.	जय हनुमान	341.79
28.	राजा और रन्चों	209.19
29.	मैं अनाड़ी तू अनाड़ी	195.50
30.	सदमा	56.16
31.	जन्म जन्म	10.40
32.	एक राजा एक रानी	158.31
33.	पड़ोसन	84.45
34.	समझौता	122.94
35.	हिन्दुस्तानी	191.98
36.	सी हॉक	202.30
37.	जज्बात	33.86
38.	अजनबी	25.17
39.	पल्टन	54.20
40.	झरोखा	1.80
41.	यह इश्क नहीं आशां	6.20

मलियारा टेलीफोन एक्सचेंज

1458. **श्री सुनील खान : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या पश्चिम बंगाल में मलियारा टेलीफोन एक्सचेंज ठीक से कार्य नहीं कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) इसमें शामिल व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है/करने का विचार है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) से (ग) पश्चिम बंगाल के जिला बांकुरां में मलियारा का टेलीफोन एक्सचेंज संतोषप्रद ढंग से कार्य कर रहा है। तथापि, मौजूदा 128 पोर्ट–सी–डॉट एक्सचेंज को वर्ष 1997–98 के दौरान, 256 लाइनें एक्सचेंज तक बढ़ाए जाने की योजना है। इससे विस्तृत बिलिंग और डायनेमिक एस॰टी॰डी॰ नियंत्रण जैसी कई अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी।

(घ) उपर्युक्त उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

टेलीफोन कनेक्शन के लिए प्रतीक्षा सूची

1459. श्री वी० धनन्जय कुमार : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन कनेक्शन हेतु भारी संख्या में उपभोक्ता प्रतीक्षा सूची में हैं;

(ख) यदि हां, तो कर्नाटक दूरसंचार सर्किल में ऐसे कितने उपभोक्ता प्रतीक्षा सूची में हैं; और

(ग) प्रतीक्षा सूची में दर्ज सभी उपभोक्ताओं को टेलीफोन कनेक्शन देने के लिए क्या योजना है और ये कनेक्शन कब तक दिए जाने की सम्भावना है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) 30.6.97 की स्थिति के अनुसार कर्नाटक सर्किल के ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतीक्षा सूची 87528 है। चालू वित्त वर्ष अर्थात् 1997-98 के अंत तक इसको निपटा दिए जाने की संभावना है।

डाकघर की मांग

1460. श्री के० कंडासामी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि तमिलनाडु राज्य के नामकल जिले में पुथिचधिरम तालुक में पापिनैकन्पट्टी गांव में तत्काल एक डाकघर खोले जाने की आवश्यकता है; और

(ख) यदि हां, तो इस डाकघर के कब तक खोले जाने की संभावना है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख) तमिलनाडु के नामकल जिले में पुथिचधिरम तालुका में पापिनैकन्पट्टी गांव में डाकघर खोलने के प्रस्ताव की जांच की जा रही है। यदि विभागीय मानदंडों के आधार पर औचित्यसम्मत पाया गया, तो डाकघर की मंजूरी दे दी जाएगी बशर्ते कि संसाधन तथा योजना लक्ष्य उपलब्ध रहें।

रायचूर ताप विद्युत केन्द्र की चौथी तथा पांचवीं इकाई

1461. श्री के०एच० मुनियप्पा : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 210 मेगावाट उत्पादन क्षमता वाले रायचूर ताप विद्युत केन्द्र विस्तार परियोजना की चौथी तथा पांचवीं इकाई को निर्धारित समय सीमा से पहले ही शुरू कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के० अलघ) : (क) और (ख) रायचूर ताप विद्युत केन्द्र (आर०टी०पी०एम०) 210 मेगावाट) की चौथी यूनिट निर्धारित कार्यक्रमानुसार 29/9/94 को चालू कर दी गई थी। रायचूर ताप विद्युत केन्द्र विस्तार परियोजना (2×210 मे०वा०) की पांचवीं तथा छठी यूनिटों को चालू करने संबंधी निर्धारित तिथियां क्रमशः 1/9/1999 तथा 1/3/2000 है। इनके कार्य प्रगति पर हैं तथा कर्नाटक विद्युत निगम (के०पी०सी०एल०) इन विस्तार यूनिटों को निर्धारित कार्यक्रम से काफी पहले चालू करने के लिए प्रयासरत हैं।

[हिन्दी]

कम शक्ति के ट्रांसमीटर का कार्य शुरू न करना

1462. श्री हंसराज अहीर : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सौ से भी अधिक कम शक्ति के ट्रांसमीटर स्थापित किए जाने के बावजूद चालू नहीं किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या महाराष्ट्र के गढचिरोली जिले में स्थित अहेरी और सिरोंचा शहरों में कम शक्ति के ट्रांसमीटर स्थापित कर दिए गए हैं परन्तु उन ट्रांसपीटरों को चालू करने और उनके रख-रखाव के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं की गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या इनके लिए निकट भविष्य में कर्मचारियों की नियुक्ति किए जाने की संभावना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस० जयपाल रेड्डी) : (क) से (च) महाराष्ट्र के गढ़चिरोली जिले में अहेरी और सिरोंचा स्थित अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों सहित उन सभी अल्प शक्ति ट्रान्समीटरों को नेटवर्क में कहीं ओर से स्टाफ की दौरे पर तैनाती करके आंशिक रूप से चालू कर दिया गया है जिनसे संबंधित प्रतिष्ठापना कार्य पूरे हो गए थे और जिनके लिए स्टाफ संबंधी स्वीकृतियां उपलब्ध नहीं हैं। जबकि अहेरी और सिरोंचा स्थित अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों के लिए स्टाफ की स्वीकृति संबंधी प्रस्तावों पर सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन हेतु कार्रवाई पहले ही आरंभ कर दी गई है तथापि इस संबंध में कोई विशिष्ट समय-सीमा निर्दिष्ट नहीं की जा सकती है।

[अनुवाद]

आधुनिकीकरण कार्यक्रम

1463. श्री थामस हंसदा : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 जुलाई, 1997 के "इंडियन एक्सप्रेस" में "सेल वरीड ओवर इट्स टू स्टील प्लांट्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राउरकेला और दुर्गापुर एकीकृत इस्पात संयंत्रों के आधुनिकीकरण कार्यक्रम की जांच करने और उसके बारे में रिपोर्ट देने के लिए कोई विशेषज्ञ समिति गठित की गई थी;

(घ) यदि हां, तो रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इन दो इस्पात संयंत्रों के आधुनिकीकरण पर 10,000 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं और क्या इन संयंत्रों की क्षमता उपयोगिता अपेक्षित स्तर तक बढ़ा दी गई है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है; और

(ज) यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) सेल द्वारा 1996-97 तक दुर्गापुर इस्पात संयंत्र (डी एस पी) के आधुनिकीकरण पर 4472.85 करोड़ रुपए और राउरकेला इस्पात संयंत्र (आर एस पी) के आधुनिकीकरण पर 3453.84 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं।

इन इस्पात संयंत्रों में आधुनिकीकरण कार्यक्रम पूरा होने वाला है और परिकल्पित स्तर तक क्षमता उपयोगिता में सुधार का पता विभिन्न इकाइयों के पूरा होने और उनके स्थिरीकरण के बाद लगेगा। इस संबंध में जांच करने और रिपोर्ट देने के लिए किसी विशेषज्ञ समिति का गठन नहीं किया गया है।

(च) से (ज) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

रेल कर्मचारियों को बोनस

1464. श्री ब्रह्मानन्द मण्डल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहायकों और स्टेनोग्राफर ग्रेड "सी" को वर्ष 1995-96 के लिए बोनस का भुगतान कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन कर्मचारियों से बोनस की उक्त रकम की वसूली की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या रेलवे बोर्ड के इन कर्मचारियों ने उन्हें दिये गये बोनस पर आयकर का भुगतान भी किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसका औचित्य क्या हैं?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) अन्य मंत्रालयों में कार्यरत सहायकों तथा आशुलिपिक "ग" को वित्त वर्ष 1995-96 के लिए तदर्थ बोनस का भुगतान इस आधार पर नहीं किया गया था कि वे ग्रुप "बी" अराजपत्रित के रूप में वर्गीकृत हैं। वस्तुतः इस मंत्रालय के ऐसे कर्मचारियों को भुगतान की गई उत्पादकता संबद्ध बोनस की राशि को वसूल करने के लिए वित्त मंत्रालय से एक दिशा निर्देश प्राप्त हुआ है।

(घ) और (ङ) चूंकि भुगतान की गई उत्पादकता संबद्ध बोनस की समूची राशि इन कर्मचारियों से मार्च, 1997 से पहले वसूल नहीं की गई थी इसलिए आयकर के परिकलन के लिए इस राशि को हिसाब में लिया गया था।

[अनुवाद]

आकाशवाणी में वाणिज्यिक प्रसारण प्रणाली

1465. श्री टी॰ गोपाल कृष्ण :
डा॰ एम॰ जगन्नाथ :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के विशाखापटनम स्थित आकाशवाणी केन्द्र से वाणिज्यिक प्रसारण प्रणाली आरम्भ कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, उक्त प्रसारण केन्द्र में इस प्रणाली को यथाशीघ्र आरम्भ करने के लिए पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों को नियुक्त के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस॰ जयपाल रेड्डी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) आकाशवाणी विशाखापटनम में वाणिज्यिक प्रसारण केन्द्र के लिए पर्याप्त स्टाफ की स्वीकृति संबंधी प्रस्ताव पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

[हिन्दी]

इस्पात उत्पाद के मूल्यों में वृद्धि

1466. श्री नवल किशोर राय :
जस्टिस गुमान मल लोढा :

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 1 जुलाई, 1997 के "बिजनेस स्टैंडर्ड" में "स्टील मेजर्स सेट टू रेज एच॰आर॰सी॰ प्राइसिज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या बड़े इस्पात उत्पादक पिछले वर्षों के दौरान अपने उत्पादों के मूल्यों में लगातार वृद्धि करते रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो किन-किन किस्मों के इस्पात के मूल्यों में पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा मार्च, 1997 तक वृद्धि हुई है और यह वृद्धि कितने प्रतिशत हुई है तथा इस मूल्य वृद्धि का आधार क्या है?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) इस्पात की कुछ प्रतिनिधि श्रेणियों के संबंध में "सेल" से संबंधित ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

मूल्य

पिछले तीन वर्षों के दौरान मूल्य वृद्धि की श्रेणीवार प्रतिशतता

श्रेणी	साइज	तारीख	प्रतिशत वृद्धि	तारीख	प्रतिशत वृद्धि	तारीख	प्रतिशत वृद्धि	तारीख	प्रतिशत वृद्धि
हैमीज	बीओ/100एमएम	1.1.94	7.5	22.4.94	5.4	1.11.94	3.9	1.1.95	3.9
वायर राडस	बीएमएम	1.1.94	4.7	22.4.94	3.9	3.6.94	0.1	1.1.95	3.3
टोर/टी एम टी	10 एमएम	1.1.94	6.0	22.4.94	3.9	3.6.94	3.2	1.11.94	3.1
एंगल्स	75×75×6	1.1.94	10.1	22.4.94	5.0	3.6.94	(–) 2.8	1.11.94	3.4
चैनल	100×50	1.1.94	5.8	22.4.94	4.7	3.6.94	0.1	1.1.95	0.1
चाइट्स	300×140	1.1.94	5.1	22.4.94	4.2	3.6.94	2.4	1.1.95	2.8
प्लेटें	12 एमएम	1.1.94	5.3	22.4.94	3.6	3.6.94	0.1	1.11.94	2.4
एच आर क्वायलें	2.5 एमएम	1.1.94	5.5	22.4.94	3.7	3.6.94	2.6	1.1.95	6.5
सी आर क्वायलें	0.63 एमएम	1.1.94	2.2	22.4.94	3.1	3.6.94	2.0	1.11.94	2.3
जी पी चादरें	0.63 एमएम	1.1.94	20.5	22.4.94	2.1	3.6.94	3.7	1.11.94	2.2

तारीख	प्रतिशत वृद्धि	तारीख	प्रतिशत वृद्धि	तारीख	प्रतिशत वृद्धि	तारीख	प्रतिशत वृद्धि	तारीख	प्रतिशत वृद्धि	तारीख	प्रतिशत वृद्धि	तारीख	प्रतिशत वृद्धि	तारीख	प्रतिशत वृद्धि	तारीख	प्रतिशत वृद्धि
1.9.95	6.1	19.2.96	3.8	1.8.96	6.1	5.1.97	1.1	1.4.97	3.1								
1.7.95	5.7	1.9.95	3.9	1.1.96	0.9	19.2.96	3.1	1.8.96	5.0	5.1.97	0.9						
1.1.95	6.1	19.2.96	3.2	1.8.96	5.0	5.1.97	1.8	1.6.97	1.7	1.7.97	1.7						
1.1.95	0.1	1.7.95	3.3	1.1.96	2.1	19.2.96	3.5	1.8.96	8.5	5.1.97	1.9	1.7.97	(–)2.7				
1.7.95	3.1	1.1.96	3.0	19.2.96	3.2	1.8.96	6.1	5.1.97	1.8	1.4.97	2.6						
1.7.95	2.7	1.9.95	2.6	1.1.96	12.6	19.2.96	2.5	1.8.96	5.5	5.1.97	0.7						
1.1.95	2.5	1.7.95	6.1	1.9.95	2.2	19.2.96	2.4	1.8.96	4.5	5.1.97	0.7	1.4.97	3.3				
1.9.95	4.2	19.2.96	2.4	1.8.96	4.3	15.11.96	(–)2.7	5.1.97	0.7								
1.1.95	2.7	1.7.95	1.9	1.9.95	3.4	1.1.96	6.0	19.2.96	1.9	1.8.96	1.7	5.1.97	0.6				
1.1.95	(–)1.2	1.7.95	1.9	1.9.95	3.4	1.1.96	6.0	19.2.96	1.9	1.8.96	5.0	15.11.96	(–)6.4	5.1.97	0.6	5.5.97	1.7

[अनुवाद]

विद्युत उत्पादन क्षमता

1467. श्रीमती पूर्णिमा वर्मा :
श्रीमती सुशीला गौतम :
श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार कुल कितने मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है और वर्तमान में अतिरिक्त कितने मेगावाट विद्युत की आवश्यकता है;

(ख) विद्युत की प्रतिव्यक्ति वार्षिक उपलब्धता क्या है;

(ग) विद्युत उत्पादन क्षमता का राज्यवार ब्यौरा क्या है तथा प्रति यूनिट विद्युत की लागत कितनी है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार भविष्य में विद्युत आपूर्ति की दर सभी राज्यों में एक समान करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के॰ अलघ) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सहकारी समितियों द्वारा चलाए जा रहे ग्रामीण विकास कार्यक्रम

1468. श्री जार्ज फर्नान्डीज : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण विकास संबंधी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कार्यक्रमों को शुरू करने के लिए सहकारी समितियों को प्रोत्साहन दिया है;

(ख) यदि हां, तो अब तक ऐसी कितनी सहकारी समितियां बनाई गई हैं;

(ग) क्या सरकार ने इन विकासोन्मुखी कार्यक्रमों को शुरू करने में इन सहकारी समितियों को सक्षम बनाने के लिए प्रारम्भिक पूंजी उपलब्ध कराई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडू) : (क) से (ङ) जी, नहीं। तथापि, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत समूह ऋण योजनाओं के तहत प्रत्येक जिला ग्रामीण विकास एजेंसी को निधियों के कुल आबंटन के 25 प्रतिशत तक की अधिकतम सीमा को सबसिडी के रूप में उपयोग करने की अनुमति है, जबकि सबसिडी की मात्रा की अधिकतम सीमा नहीं होती है। समूह में लोगों की संख्या 5 से 15 तक हो सकती है। चयनित समूह सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अधीन सोसाइटी या सहकारी समितियां या पंजीकृत कम्पनी अथवा भागीदारी बना सकता है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सहकारी समितियों की कोई प्रारम्भिक पूंजी उपलब्ध नहीं कराई जाती है।

स्मारक टिकट

1469. डा॰ रामचन्द्र डोम : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार साहित्य के क्षेत्र में महान उपन्यासकार ताराशंकर बंद्योपाध्याय की उपलब्धियों के परिप्रेक्ष्य में उनकी जन्मशती पर एक स्मारक टिकट जारी करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) डाक विभाग ने स्व॰ श्री ताराशंकर बंद्योपाध्याय सहित बांगला के ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेताओं पर वर्ष 1998 में स्मारक डाक-टिकट जारी करने का निर्णय लिया है। यह डाक-टिकट स्व॰ श्री ताराशंकर बंद्योपाध्याय के जन्मशती वर्ष के दौरान किसी उपयुक्त तारीख को जारी किया जाएगा।

वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान

1470. श्री कृष्ण लाल शर्मा : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत देश में कार्य कर रहे वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थानों के नाम और उनके स्थान क्या हैं;

(ख) वर्ष 1995, 1996 और 1997 के दौरान प्रत्येक अनुसंधान संस्थान को आबंटित वार्षिक बजट कितना है;

(ग) क्या इनमें से अनेक संस्थानों ने आबंटित बजट का उपयोग नहीं किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और बजट के उपयोग नहीं किये जाने के क्या कारण हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के॰ अलघ) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

"इंटरनेट" से भारतीय सीमाओं को खतरा

1471. श्री सनत कुमार मंडल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 28 मई, 1997 के "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में "इंडियन बाऊण्ड्रीस थ्रैटेन्ड बाय इंटरनेट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) से (ग) संबंधित मंत्रालयों से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

कम्प्यूट्रीकृत डाकघर

1472. डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी :
श्रीमती लक्ष्मी पनबाका :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में कुछ डाकघरों को कम्प्यूट्रीकृत करने का है; और

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) चालू वर्ष के दौरान देश के 460 डाकघरों में 900 कम्प्यूटर आधारित काउंटर मशीनें लगाने का प्रस्ताव है।

इन 900 मशीनों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

कम्प्यूटर आधारित काउंटर मशीनों की राज्यवार सूची

	राज्य का नाम	डाकघरों की संख्या	कम्प्यूटर आधारित काउंटर मशीनों की संख्या
	1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	28	65
2.	असम	16	50
3.	बिहार	13	30
4.	दिल्ली	28	55
5.	गुजरात	27	55
6.	हरियाणा	07	20
7.	हिमाचल प्रदेश	16	30
8.	जम्मू एवं कश्मीर	05	10
9.	कर्नाटक	52	60
10.	केरल	46	50
11.	मध्य प्रदेश	45	80
12.	महाराष्ट्र	41	75
13.	उत्तर-पूर्व	20	40
14.	उड़ीसा	26	50
15.	पंजाब	19	40
16.	राजस्थान	16	45
17.	तमिलनाडु	19	50
18.	उत्तर प्रदेश	23	50
19.	पश्चिम बंगाल	13	45
	कुल :	460	900

रेलगाड़ियां चलाना

1473. श्री मुल्लापल्ली रामचंन्द्रन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मद्रास-मंगलौर रेलमार्ग पर कोई नई रेलगाड़ी चलाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कम दरों पर संचार सुविधाएं उपलब्ध कराना

1474. श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राकृतिक आपदा, जान और माल को खतरा, तथा अन्य महत्वपूर्ण सूचना भेजने तथा आपातकालीन बातचीत करने के लिए ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्रों के दूरदराज के स्थानों के लिए कम दरों पर संचार सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा कोई कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसे कब तक कार्यान्वित कर दिए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इनके क्या कारण हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख) 1.1.96 से किसी भी प्रकार के संदेश/बातचीत के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं के लिए निम्नलिखित शुल्क-दर शुरू की गई थी :-

(1) 100 और इससे अधिक परन्तु 1000 लाइनों से कम की एक्सचेंज प्रणालियों के लिए द्विमासिक किरायों में 50/- रु॰ की कमी।

(2) द्विमासिक बिल अवधि में 100 अतिरिक्त निशुल्क कालों की अनुमति।

(3) 250 निशुल्क कालों के बाद 200 कालों तक काल-प्रभारों में 20 पैसे प्रति कॉल कम किए गए।

(4) 10,000 लाइनों से कम की एक्सचेंज प्रणालियों के संबंध में पंजीकरण शुल्क 2000/- से घटाकर 1000/-रु॰ किया गया।

(5) कतिपय शर्तें पूरी करने पर देश के ग्रामीण, पहाड़ी तथा जनजातीय क्षेत्रों में 30 कि॰मी॰ तक के लिए ग्रुप डायलिंग स्कीम प्रदान की गई।

(ग) उपर्युक्त रियायतें पहले ही लागू हो चुकी हैं।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

बरोरा-उमरेर रेल लाइन के लिए सर्वेक्षण

1475. श्री सुरेश् आर॰ जादव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में बरोरा-उमरेर बरास्ता चिमूर लाइन का क्षेत्र सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया गया है और रेलवे बोर्ड को 25 अगस्त, 1996 को अपना कार्य पूर्ण करने संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा आगे क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है; और

(ग) उपर्युक्त परियोजना को कार्य रूप कब तक दिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) इस कार्य के लिए किए गए सर्वेक्षण, जिसे हाल ही में पूरा किया गया है, से पता चला है कि 106 कि॰मी॰ लम्बी इस लाइन की लागत डीजल कर्षण के साथ 97.3 करोड़ रुपए होगी जबकि प्रतिफल की दर नकारात्मक है और बिजली कर्षण के साथ इसकी लागत 184.78 करोड़ रुपए होगी और प्रतिफल की दर नकारात्मक है। इस परियोजना की अलाभप्रद प्रकृति तथा संसाधनों की गंभीर कठिनाइयों को देखते हुए, इस परियोजना को फिलहाल शुरू करना संभव नहीं पाया गया है।

[हिन्दी]

टिहरी बांध परियोजना

1476. श्री नीतीश कुमार :

प्रो॰ प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में टिहरी बांध परियोजना निर्माणाधीन है;

(ख) यदि हां, तो निर्माण कार्य कब शुरू हुआ था और इस परियोजना की वास्तविक लागत क्या है तथा इसकी उत्पादन क्षमता के लिए क्या लक्ष्य रखा गया है;

(ग) क्या इस परियोजना में मार्च, 1997 तक अनेक परिवर्तन हो चुके हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस परियोजना के पूरा होने के लिए क्या समय निर्धारित किया गया है और इसकी कुल निर्माण लागत तथा उत्पादन क्षमता कितनी है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के॰ अलघ) : (क) से (ङ) 600 मेगावाट अधिष्ठापित विद्युत उत्पादन क्षमता की टिहरी बांध परियोजना को 197.92 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा क्रियान्वित किए जाने के लिए योजना आयोग द्वारा जून, 1972 में इसे मूलतः निवेश संबंधी स्वीकृति प्रदान की गई थी। इस परियोजना पर निर्माण कार्य 1978 में आरंभ किया गया था बाद में प्रणाली की आवश्यकताओं के अनुरूप इसका प्रचालन एक ईष्टतम विद्युत उत्पादन केन्द्र के रूप में किए जाने हेतु 1983 में टिहरी बांध परियोजना की अधिष्ठापित विद्युत उत्पादन क्षमता 1065.80 करोड़ रुपए की संशोधित अनुमानित लागत (1983 मूल्य स्तर) पर बढ़ाकर 1000 मेगावाट कर दी गई थी।

उत्तरी क्षेत्र के लिए विद्युत की आवश्यकताओं तथा राज्य सरकार के पास निधियों की अपर्याप्तता को ध्यान में रखते हुए 1986 में यह निर्णय लिया गया कि इस परियोजना को भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार के एक संयुक्त उद्यम के रूप में क्रियान्वित किया जाए तथा इस प्रयोजन हेतु 1988 में टिहरी जल विद्युत निगम (टीएचडीसी) की स्थापना की गई थी। कोटेश्वर बांध व बिजली घर (400 मेगावाट) तथा एक पंप स्टोरेज संयंत्र (1000 मेगावाट) को जोड़ते हुए परियोजना के कार्यक्षेत्र में भी विस्तार किया गया ताकि केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम के रूप में एक जल विद्युत कांपलैक्स (2400 मेगावाट) को क्रियान्वित किया जा सके।

टिहरी जल विद्युत परियोजना चरण-I (1000 मेगावाट) को टिहरी जल विद्युत निगम (टीएचडीसी) द्वारा 2963.66 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर क्रियान्वित किए जाने हेतु भारत सरकार ने मार्च, 1994 में इसे अपना अनुमोदन प्रदान कर दिया था। 371 करोड़ रुपए

की लागत की संबद्ध पारेषण प्रणाली का क्रियान्वयन पावरग्रिड कार्पोरेशन आफ इंडिया द्वारा किया जाएगा। इस परियोजना को सन् 2001-2002 तक चालू किए जाने की आशा है।

इस परियोजना पर टीएचडीसी द्वारा जून, 1997 तक 1403.56 करोड़ रुपए (अनंतिम) को राशि खर्च की जा चुकी है।

उत्तर प्रदेश में इस्पात संयंत्रों की स्थापना

1477. श्री अशोक प्रधान : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में इस्पात संयंत्रों की स्थापना के संबंध में लंबित प्रस्तावों पर विचार करने हेतु कोई कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य में नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितने इस्पात संयंत्र स्थापित किए जाने की संभावना है?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश में इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस की मंजूरी के लिए उत्तर प्रदेश राज्य का कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लम्बित नहीं है।

(ग) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में मैसर्स माल्विका स्टील लिमिटेड के नाम रूप में एक इस्पात संयंत्र नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किए जाने की सम्भावना है।

[अनुवाद]

आमान परिवर्तन

1478. श्री जी॰ए॰ चरण रेड्डी : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुदखेड़-निजामाबाद छोटी लाइन के आमान परिवर्तन और पेडापल्ली-करीमनगर-निजामाबाद नई बड़ी रेल लाइन के लिए अधिक राशि आबंटन स्वीकृत किया गया था और वर्ष 1997-98 के रेल बजट में शामिल किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्य को तत्काल शुरू करने में विलंब के मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) क्या रेलवे को सिकन्दराबाद-मुदखेड़ छोटी लाइन का बरास्ता निजामाबाद आमान परिवर्तन करने के लिए कहा गया है;

(घ) यदि हां, तो इस लाइन पर कार्य कब तक शुरू किए जाने की संभावना है;

(ङ) वर्ष 1997-98 के दौरान पेड्डापल्ली-करीमनगर-निजामाबाद नई बड़ी लाइन बिछाने के लिए कितना आबंटन किया गया है;

(च) उक्त रेल लाइन के निर्माण के संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(छ) उक्त रेल लाइन के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) पेट्टापल्ली-करीमनगर पर कार्य अच्छी प्रगति पर है। मुदखेड-निजामाबाद आमान परिवर्तन का कार्य अपेक्षित स्वीकृति मिल जाने के बाद ही शुरू किया जा सकता है। इसे प्राप्त करने की कार्रवाई चल रही है।

(ङ) 5.00 करोड़ रुपए।

(च) 24 प्रतिशत।

(छ) दसवीं योजनावधि के अंत तक।

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास एजेंसियों को निधियों का आवंटन

1479. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण विकास एजेंसियों और जिला परिषदों को निधियों के आवंटन में कोई एकरूपता है;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में प्रत्येक ग्रामीण विकास एजेंसी को निधियों का औसतन कितना आवंटन किया गया है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ग्रामीण विकास एजेंसी की/के आय/व्यय पर कोई नियंत्रण रखती है; और

(घ) यदि हां, तो ग्रामीण विकास एजेंसियों द्वारा ऐसी निधियों के उपयोग की निगरानी करने वाली प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडू) : (क) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विभिन्न ग्रामीण रोजगार और गरीबी उपशमन कार्यक्रमों के अंतर्गत निधियों का केन्द्रीय आबंटन देश में कुल ग्रामीण गरीबों की तुलना में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में ग्रामीण गरीबों के अनुपात के आधार पर किया जाता है।

(ख) ये कार्यक्रम दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कार्यान्वित नहीं किए जा रहे हैं।

(ग) और (घ) ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित विभिन्न कार्यक्रमों की नियमित निगरानी की जाती है। निगरानी तंत्र में अन्य बातों के साथ-साथ आवधिक प्रगति रिपोर्टों/विवरणियों, वित्तीय विवरणियों/लेखा परीक्षा रिपोर्टों को प्राप्त करना, समितियों और राज्य सचिवों, आयुक्तों आदि के साथ वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा गहन क्षेत्र निरीक्षण, समीक्षा और निगरानी करना शामिल है। इसके अलावा सरकार केन्द्रीय स्तरीय समन्वय समितियों,

राज्य स्तरीय समन्वय समितियों और जिला स्तर पर जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के शासी निकाय के माध्यम से विभिन्न राज्यों में कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी और समीक्षा करती है।

[अनुवाद]

रेल यात्री निवास, हावड़ा में पी बी एक्स

1480. श्री हन्नान मोल्लाह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हावड़ा स्थित रेल यात्री निवास में "पी बी एक्स" अधिष्ठापित करने और इसमें ठहरने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए सभी कमरों में टेलीफोन उपलब्ध कराने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी नहीं।

(ख) चूंकि प्रत्येक कमरे में पी बी एक्स की स्थापना के लिए टेलीफोन की वायरिंग पर बहुत अधिक खर्च आएगा। इसलिए इसमें ठहरने वालों की सुविधा के लिए रेल यात्री निवास, हावड़ा के प्रत्येक तल अर्थात् भूतल, प्रथम तल और द्वितीय तल में दूरसंचार विभाग (सी सी बी टाइप) के दो अदद पी सी ओ बूथों की व्यवस्था की गई है।

यात्री आरक्षण

1481. श्री माणिक राव होडल्या गावीत : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विशेष रेलगाड़ियां चलाने के बाद भी यात्रियों को, विशेष रूप से ग्रीष्मकाल में, आरक्षण करवाने में बहुत कठिनाई हो रही है;

(ख) क्या सरकार का विचार सभी यात्रियों को रेल आरक्षण उपलब्ध कराने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) ग्रीष्मकाल, पूजा तथा सर्दी की छुट्टियों जैसी भीड़-भाड़ की अवधि के दौरान महत्वपूर्ण और अधिक सुविधाजनक गाड़ियों में कुछ यात्री प्रतीक्षा सूची में रहते हैं।

(ख) और (ग) प्रतीक्षा-सूची वाले यात्रियों को स्थिति की दिन-प्रतिदिन के आधार पर मानीटरिंग की जाती है और जहां कहीं औचित्यपूर्ण और व्यवहार्य होता है, वहां पर भीड़ की निकासी के लिए अतिरिक्त सवारी डिब्बे लगाए जाते हैं। इसके अलावा, अतिरिक्त भीड़ की निकासी के लिए विशेष रेलगाड़ियां भी चलाई जाती है बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।

इस्पात की निर्यात क्षमता

1482. श्री सुलतान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में इस्पात की निर्यात क्षमता लगभग 28 मिलियन टन के वर्तमान स्तर से इस शताब्दी के अंत तक बढ़कर 43 मिलियन टन हो जायेगी;

(ख) यदि हां, तो क्या सन् 2005 तक इसमें 57 मिलियन टन की और वृद्धि करने संबंधी प्रस्ताव तैयार किए गये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने देश में इस्पात की कम खपत पर चिंता जताई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस्पात की कम खपत के मुख्य क्या कारण हैं?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) से (ग) वर्ष 1996-97 के दौरान भारत से लगभग 16.2 लाख टन परिसृजित कार्बन इस्पात का निर्यात हुआ था। नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए लोहा और इस्पात उद्योग संबंधी कार्यदल ने 2001-02 जो नौवीं पंचवर्षीय योजना का अन्तिम वर्ष है, तक 60 लाख टन परिसज्जित कार्बन इस्पात के संभावित निर्यात और 2006-07 जो दसवीं योजना का अंतिम वर्ष है, तक 90 लाख टन के संभावित निर्यात का अनुमान लगाया है।

(घ) से (च) सरकार देश में अपरिष्कृत इस्पात की प्रति व्यक्ति खपत के कम स्तर से अवगत है जो 133 कि॰ग्रा॰ के विश्व औसत की तुलना में 1994 में 23.9 किलो ग्राम ही थी। इस्पात की खपत किसी देश के आर्थिक और औद्योगिक विकास के स्तर से सम्बद्ध होती है। आर्थिक उदारीकरण के बाद समग्र आर्थिक विकास से इस्पात की खपत में वृद्धि होने की संभावना है।

विकास कार्य

1483. श्री काशी राम राणा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा चालू वर्ष के दौरान गुजरात के दूरसंचार तथा डाक क्षेत्रों में शुरू किये जाने वाले विकास कार्य के बारे में कोई निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा नाम क्या है;

(ग) क्या गत वर्ष शुरू किये गये कार्य अभी भी अधूरे पड़े है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख) जी, हां।

दूरसंचार के लिए :-

1997-98 के दौरान गुजरात में 208000 नए टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने की योजना है। क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

डाक क्षेत्र के लिए :-

पूर्ण सूचना संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ग) और (घ)

दूरसंचार के लिए :-

गुजरात में पिछले वर्ष जिन टेलीफोन एक्सचेंजों के लिए योजना बनाई गई थी जो अभी तक पूरी नहीं हुई हैं, उनके नाम, विलम्ब के कारणों सहित संलग्न विवरण-III में दिए गए हैं।

डाक क्षेत्र के लिए :-

केवल रायगढ़ और विरमगाम स्थित डाकघर भवन, और मोडासा स्थित स्टाफ क्वार्टर संबंधित एजेंसियों द्वारा पूरे नहीं किए जा सके।

विवरण-I

1997-98 के दौरान सीधी एक्सचेंज लाइनों की योजना

क्र०सं०	गौण स्विचन क्षेत्र का नाम	सीधी एक्सचेंज लाइनें
1.	अहमदाबाद	50000
2.	बड़ौदा	20000
3.	राजकोट	10000
4.	सूरत	20000
5.	नादियाड	12000
6.	मेहसाना	10000
7.	भावनगर	16000
8.	भुज	11000
9.	वालसाड	13000
10.	भड़ूच	8000
11.	गोधरा	4000
12.	हिम्मतनगर	6000
13.	जामनगर	5000
14.	जूनागढ़	11000
15.	पालनपुर	5000
16.	सुनेन्द्रनगर	4000
17.	अमरेली	3000
	जोड़	208000

विवरण-II

1997-98 के दौरान, डाक विभाग के विकास कार्यक्रमों में गुजरात सर्किल की निम्नलिखित गतिविधियां शामिल होंगी :-

(1) 2 विभागीय उप-डाकघर और 25 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाक घर खोलना।

(2) 27 डाकघरों में 55 कम्प्यूटर आधारित बहु-उद्देशीय काउंटर मशीनें संस्थापित करना जिनका नाम अनुबंध (पी) में दिया गया है।

(3) 10 डाक घरों में बचत बैंक सेवाओं का कम्प्यूटरीकरण।

(4) प्रत्येक वी-सैट स्टेशनों नामतः अहमदाबाद, सूरत और बड़ोदरा के आस-पास के 10 कार्यालयों में विस्तारित उपग्रह मनीआर्डर सेवाएं प्रदान करना।

(5) बचत बैंक नियंत्रण संगठन के छः यूनिटों का कम्प्यूटरीकरण।

अनुबंध (पी)

डाक घर का नाम

अहमदाबाद क्षेत्र

1. दीसा एच ओ
2. धोजका एच ओ
3. कालोल एच ओ
4. मोदासा एच ओ
5. पाटन एच ओ
6. बीजापुर एच ओ
7. बिसनगर एच ओ

राजकोट क्षेत्र

1. भक्ति नगर एस ओ
2. बोदीपारा एस ओ
3. गोन्डाल एस ओ
4. विरपुर एस ओ
5. जेतपुर एस ओ
6. सुरेन्द्रनगर एस ओ
7. गांधीधाम एस ओ
8. काशोद एस ओ
9. जामनगर उद्योगनगर एस ओ

बड़ोदरा क्षेत्र

1. मांडवी एस ओ
2. पेट्रोकेमिकल
3. एम कारजान एस ओ
4. विथाल यू नगर
5. वल्लभ पी नगर
6. अंकलेश्वर एस ओ
7. एल पी आर कालेज एस ओ
8. सूरत आर एस एस ओ
9. सूरत टैक्स मार्केट
10. कोसांबा आर एस एस ओ

विवरण-III

पिछले वर्ष आरंभ किए गए कार्यों की सूची जो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं:-

क्र॰सं॰	एक्सचेंज का नाम	केन्द्र	क्षमता/तकनीक
1.	साबरमती	अहमदाबाद	10 के एटी एंड टी
2.	आश्रम रोड	" "	5 के एटी एंड टी
3.	ओधाव	" "	3 के एटी एंड टी
4.	बतवा	" "	2 के एटी एंड टी
5.	एलिसब्रिज	" "	2 के एटी एंड टी

विलंब के कारण :- भवन पूरा होने में विलम्ब, विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने, केवल कार्यों के निष्पादन के लिए नगर निगम और पी डब्ल्यू डी से अनुमति लेने और कुछ सामग्रियों की आपूर्ति में विलम्ब।

शाहबाद मरकन्डा में गाड़ी का रुकना

1484. **श्री आई॰डी॰ स्वामी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मूरी एक्सप्रेस गाड़ी 8101 अप और 8102 डाउन का स्थान भटिण्डा-नई दिल्ली इन्टरसिटी एक्सप्रेस नम्बर 4589 अप और 4590 डाउन नामक गाड़ी ने ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या भटिण्डा-नई दिल्ली इन्टरसिटी एक्सप्रेस गाड़ी हरियाणा के मुकाबले पंजाब में अधिक स्थानों पर रुकेगी;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या भटिण्डा-नई दिल्ली इन्टरसिटी एक्सप्रेस शाहबाद-मारकंडा में नहीं रुकती है, जबकि मूरी एक्सप्रेस शाहबाद मारकंडा में रुका करती थी;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) हरियाणा में इस गाड़ी के अधिक जगहों विशेषकर शाहबाद-मारकंडा में रुकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (च) जी नहीं। दोनों गाड़ियां अभी भी चल रही हैं तथा 8101/8102 मूरी एक्सप्रेस शाहबाद मरकन्डा पर रुक रही है। 4589/4590 नई दिल्ली-भटिण्डा एक्सप्रेस हरियाणा में 7 और पंजाब में 8 मध्यवर्ती स्टेशनों पर रुक रही हैं। बहरहाल, 4589/4590 नई दिल्ली-भटिण्डा एक्सप्रेस को शाहबाद मरकण्डा में ठहराव देने की व्यवहार्यता की जांच की गई परन्तु परिचालनिक व्यवहार्यता की दृष्टि से इसे औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया है।

अतिरिक्त टिकट काउन्टर खोलना

1485. **श्री बलाई चन्द्र राय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेल यात्रियों की भीड़ को कम करने के लिए दक्षिण और उत्तर वर्द्धमान में अतिरिक्त टिकट काउन्टर खोलने की योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो ये काउन्टर्स कब तक खोल दिये जायेंगे; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस समय वर्धमान सटेशन पर 5 स्वतः मुद्रण टिकट मशीनरी काउंटरों सहित 10 सामान्य काउन्टर परिचालन में हैं तथा इन काउंटरों से लगभग 24,772 टिकटें रोजना जारी की जाती हैं। मांग के वर्तमान स्तर को पूरा करने के लिए मौजूदा काउन्टर पर्याप्त है।

हावड़ा में यात्री रेस्टोरेंट का दरवाजा

1486. **डॉ॰ असीम बाला** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हावड़ा के यात्री रेस्टोरेंट का एक दरवाजा नदी की ओर खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (ग) जी नहीं। होटल की लाबी से अंदर जाने/बाहर आने का एक रास्ता पहले ही है। नदी की ओर से एक दूसरे दरवाजे की व्यवस्था करने से रेस्तरां के अंदर की सजावट खराब हो जाएगी तथा ग्राहक सेवाओं की निगरानी पर असर पड़ेगा।

नागरकोइल एक्सप्रेस गाड़ी चलाना

1487. **श्री एन॰जी॰एस॰ रामबाबू** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नागरकोइल-मुम्बई एक्सप्रेस गाड़ी में यात्रियों को हो रही कठिनाइयों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार नागरकोइल एक्सप्रेस रोजाना चलाने का है; और

(ग) यदि हां, तो इसके रोजाना कब तक चलाए जाने की संभावना है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) 6339/6340 नागरकोइल-मुम्बई एक्सप्रेस को प्रतिदिन चलाने के लिए कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

हावड़ा रेलवे स्टेशन का सौन्दर्यीकरण

1488. **श्री तरित वरण तोपदार** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान हावड़ा रेलवे स्टेशन के सौन्दर्यकरण के लिए सरकार द्वारा वर्षवार तथा योजनावार कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है;

(ख) चालू वित्त वर्ष के दौरान कितनी धनराशि स्वीकृत तथा जारी की गई;

(ग) क्या रेलवे लाइन, प्लेटफार्मों की सफाई, ओवर हैड शैडो का बदलना, प्लेटफार्मों पर बैठने की व्यवस्था, प्लेटफार्मों पर प्रकाश की व्यवस्था, यात्री सुविधाएं सौन्दर्यकरण परियोजना का अंग हैं; और

(घ) यदि हां, तो ओरवहैड शैडों का न बदला जाना/मरम्मत, रेलवे लाइनों, प्लेटफार्मों की सफाई ठीक तरह से न हो पाने के क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (घ) संभाले जाने वाले यातायात की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपेक्षित विकासात्मक प्रकृति के कार्य रेलों द्वारा किए जाते हैं। ऐसे कार्यों के अलावा स्टेशनों की आवधिक मरम्मत, बदलाव जहां कहीं अपेक्षित हो, करके सही हालत में बनाए रखा जाता है। नियमित सफाई और आवधिक रंगाई भी की जाती है।

हावड़ा रेलवे स्टेशन भारतीय रेल के महत्वपूर्ण स्टेशनों में से एक होनें के नाते सही स्थिति में बनाए रखा जाता है। सौन्दर्यकरण के लिए कोई अतिरिक्त धन मुहैया नहीं कराया गया है। यात्री यातायात की मात्रा के अनुरूप सभी सुविधाएं स्टेशन पर पहले से ही मुहैया करायी गई हैं। रेलवे लाइनों और प्लेटफार्मों की नियमित सफाई की जाती है। प्लेटफार्म सं॰ 15 को छोड़कर जिसका कार्य पहले से ही स्वीकृत है सभी प्लेटफार्मों पर शेड मुहैया कराए गए हैं। यात्री सुविधा मदें, बिजली की फिटिंगें, पंखे और लाइटें पहले से ही सही स्थिति में हैं।

उड़ीसा में स्वर्ण भंडार

1489. **श्री भक्त चरण दास** :

श्री मुरलीधर जेना :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपग्रह सर्वेक्षण से उड़ीसा में बहुत बड़े स्वर्ण भंडारों का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग ने हाल ही में उड़ीसा के मलकानागिरि जिले में स्वर्ण भंडारों का पता लगाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सोने के निर्यात की कितनी संभावना है?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने उड़ीसा में स्वर्ण का पता लगाने के लिए कोई उपग्रह सर्वेक्षण नहीं किया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

कर्नाटक में "मिलियन वेल्स" योजना

1490. **श्री विजय संकेश्वर** : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में चालू वर्ष के दौरान "मिलियन वेल्स" योजना के अन्तर्गत कितने कुएं तैयार किए जायेंगे;

(ख) इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कितने व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होने की संभावना है; और

(ग) राज्य सरकार को वर्ष 1994-95, 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान कितनी धनराशि आवंटित की गई?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडू) : (क) कर्नाटक सरकार ने चालू वर्ष के दौरान "मिलियन वेल्स" योजना के अंतर्गत तैयार किए जाने वाले कुंओं के लक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए हैं। तथापि, 1997-98 के दौरान कर्नाटक में मिलियन वेल्स योजना के कार्यान्वयन के लिए 2915.55 लाख रुपए की राशि उपलब्ध होगी जिसमें 2332.44 लाख रुपए का केन्द्रीय आबंटन और 583.11 लाख रुपए की राशि का 20 प्रतिशत का राज्य अंश शामिल होगा।

(ख) मिलियन वेल्स योजना का उद्देश्य अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से संबंधित छोटे और सीमांत किसानों और गैर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले गरीब लोगों को निशुल्क सिंचाई स्रोत और भूमि विकास मुहैया कराना है। किए गए आबंटन का कम से कम दो तिहाई अंश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छोटे और सीमांत गरीब किसानों के लिए लाभकारी योजनाओं पर खर्च किया जाना चाहिए।

(ग) मिलियन वेल्स योजना के अंतर्गत विगत तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक सरकार को आबंटित कुल केन्द्रीय निधियां नीचे दी गई हैं:-

(लाख रुपए)

वर्ष	केन्द्रीय आबंटन
1994-95	4367.14
1995-96	2332.44
1996-97	2332.44

रेल यात्री निवास में अधिक कमरों की उपलब्धता

1491. प्रो॰ जितेन्द्र नाथ दास : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हावड़ा स्थित रेल यात्री निवास में रेलवे कार्यालय के कब्जे में स्थान को खाली कराकर अधिक कमरे उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस यात्री निवास में सम्मेलन कक्ष के लिए स्थान रखने का है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस रेल यात्री निवास के कमरों की हालत और "फिटिंग्स" में सुधार करने का है; और

(ङ) हावड़ा स्थित रेल यात्री निवास मे समुचित विद्युतीय, सिविल कार्य करने और स्वच्छता रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) और (ङ) बिजली के उपकरणों के अनुरक्षण और रखरखाव, सिविल कार्य, सफाई तथा आवधिक निरीक्षण सहित हावड़ा में रेल यात्री निवास की हालत में समग्र सुधार लाने के लिए उपाय किए गए हैं।

फास्ट ट्रैक परियोजना

1492. श्री अनंत गुढ़े : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 9.7.1997 के "फाइनांसियल एक्सप्रेस" में "रु॰ 32,000 करोड़ फास्ट ट्रैक प्रोजेक्ट मूविंग ऐट स्नेलस् पेस" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो मामले के तथ्य क्या हैं और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) वर्ष 1997-98 के दौरान परियोजनाओं के कुशल क्रियान्वयन हेतु आपरेशनल/फील्ड स्तर पर त्रुटियां के निवारण को सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है/किये जाने का प्रस्ताव है तथा परियोजनावार क्या स्थिति तैयार की गई है;

(घ) महाराष्ट्र में परियोजना की कार्य-योजना को क्या अन्तिम रूप दिया गया है; और

(ङ) महाराष्ट्र में विदर्भ तथा विशेष रूप से अमरावती जिले में लम्बित विद्युत परियोजना संबंधी प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के॰ अलघ) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) भारत सरकार ने अपनी प्रति गारंटी प्रदान किए जाने हेतु आठ परियोजनाओं में से आन्ध्र प्रदेश स्थित मै॰जी॰वी॰के॰ इण्डस्ट्रीज की जेगुरूपाडू संयुक्त साइकल गैस टर्बाइन (सी सी जी टी) तथा महाराष्ट्र स्थित मै॰ एनरोन पावर कंपनी की दभोल सी सी जी टी (चरण-I) के लिए पहले ही प्रति गारंटी जारी कर दी गई है, मै॰ स्पैक्ट्रम पावर जेनरेशन लि॰ ने आन्ध्र प्रदेश स्थित गोदावरी सी॰सी॰जी॰टी॰ के लिए प्रति गारंटी दिए जाने संबंधी अपना अनुरोध वापस ले लिया है। शेष परियोजनाएं, नामशः आन्ध्र प्रदेश स्थित मै॰ हिन्दुजा नैशनल पावर कारपोरेशन लि॰ की विशाखापट्टनम ताप विद्युत परियोजना (टी॰पी॰पी) तमिलनाडु स्थिति मै॰ एस॰टी-सी॰एम॰एल॰ इलैक्ट्रिक कंपनी की नवोली (जीरो युनिट) टी॰पी॰पी॰ कर्नाटक स्थिति मै॰ कोजेन्ट्रिक्स की मंगलौर टी॰पी॰पी॰ तथा महाराष्ट्र स्थिति मैं सेन्ट्रल इंडिया पावर कंपनी लि॰ की भद्रावती टी॰पी॰पी॰ विचार-विमर्श की अग्रिम अवस्था में है तथा इन परियोजनाओं के लिए शीघ्र ही प्रति गारंटी प्रदान कर दिए जाने की प्रत्याशा है। उड़ीसा स्थित मै॰ ए॰ई॰एस॰ इब वैली पावर कारपोरेशन की इब वैली टी॰पी॰पी॰ (यूनिट 4 व 5) के मामले में परियोजना के लिए भारत सरकार की प्रति गारंटी प्रदान की जा चुकी थी। बाद में, राज्य सरकार ने परियोजना पैरामीटरों पर पुनर्विचार किया, जिसके लिए संशोधित विद्युत क्रय करार (पीपीए) हेतु अनुमोदन नए सिरे से प्राप्त करना आवश्यक है। जो निजी विद्युत परियोजनाएं भारत सरकार की प्रति गारंटी के योग्य नहीं है उनके प्रतिदर्श/संदर्भ पी॰पी॰ए॰ सभी राज्यों/राज्य बिजली बोर्डों के पास उनके समुपयोजन के लिए परिपारित कर दिये गए हैं। विद्युत मंत्रालय परियोजनाओं का द्रुतगामी विकास किए जाने हेतु आई॰पी॰पी॰ द्वारा मांगी गई हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है।

(ङ) महाराष्ट्र में वीरभद्र तथा अमरावती जिले में कोई भी निजी विद्युत प्रस्ताव लंबित नहीं हैं।

[हिन्दी]

बिहार में सेलुलर सेवा

1493. श्री ब्रज मोहन राम : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार में सेलुलर फोन सेवा शुरू करने का हैं; और

(ख) यदि हां, तो बिहार के प्रत्येक जिलें में सेलुलर फोन सेवा कब तक शुरू कर दिए जाने की संभावना है तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) सरकार ने निम्नलिखित कंपनियों को, गैर-विशिष्ट फ्रैंचाइज आधार पर बिहार दूरसंचार सर्किल के लिए सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा के लाइसेंस प्रदान किए हैं:-

(i) मै॰ कोशिका टेलीकॉम लि॰

(ii) मै॰ रिलायंस टेलीकॉम (प्रा॰) लि॰

(ख) इन कंपनियों को प्रदान किए गए लाइसेंसों के निबंधन और शर्तों के अनुसार, उन्हें लाइसेंस के प्रभावी होने की तारीख अर्थात 12.12.95 से तीन वर्षों के भीतर कम से कम 50 प्रतिशत जिला मुख्यालयों को यह सुविधा उपलब्ध करानी होगी।

[अनुवाद]

प्रतीक्षा सूची की टिकटें जारी करना

1494. श्री उधव बर्मन :

श्री तरित वरण तोपदार :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रतीक्षा सूची की टिकटें जारी करने के लिए क्या मानदण्ड अपनाया जाता है और संबंधित श्रेणी के लिए प्रतीक्षा सूची टिकटें जारी करने की क्या प्रक्रिया है;

(ख) मई और जून, 1997 के दौरान विभिन्न जोनों की चुनिंदा गाड़ीवार रेलगाडियों के लिए कुल कितनी प्रतीक्षा सूची की टिकटें जारी की गई;

(ग) प्रतीक्षा सूची की टिकटों में से कितने व्यक्तियों को आरक्षण मिला;

(घ) प्रतीक्षा सूची की टिकटों के कितने व्यक्तियों को आरक्षण न मिलने के कारण अपनी टिकटें रद्द करवानी पड़ी;

(ङ) क्या यह देखा गया है कि रेलवे संबंधित श्रेणी में अपनी क्षमता से प्रतीक्षा सूची की दुगुनी टिकटें जारी कर रहा है;

(च) यदि हां, तो प्रतीक्षा सूची की इतनी बड़ी संख्या में टिकटें जारी करने का क्या कारण है जबकि रेलवे प्रतीक्षा सूची के किसी व्यक्ति को आरक्षण दे सकने में असमर्थ है;

(छ) क्या सरकार का विचार प्रत्येक श्रेणी की प्रतीक्षा सूची में आरक्षण के लिए टिकटें जारी करने का है;

(ज) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(झ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) एक गाड़ी के लिए अधिकतम प्रतीक्षा सूची का विनिश्चय प्रत्येक श्रेणी/गाड़ी में उपलब्ध कुल पुष्टिशुदा स्थान तथा रद्दकरण के रूख आदि के आधार पर किया जाता है। समस्त भारतीय रेलों पर एकरूपता सुनिश्चत करने के उद्देश्य से क्षेत्रीय रेलों पर 1 जुलाई, 1996 से विभिन्न श्रेणियों में प्रतीक्षा सूची के टिकटों को जारी करने के लिए निम्नलिखित एक समान उच्च सीमाएं अपनाई जा रही है:-

प्रथम श्रेणी वाता॰/एक्जीक्यूटिव क्लास	- 30
द्वितीय श्रेणी वाता॰	- 100
प्रथम दर्जा	- 30
वाता॰2 टियर/कुर्सीयान/शयनयान दर्जा	- 300*

* गाड़ी में एक वाता॰ 3 टियर लगाने के मामले में 75 उपर्युक्त उच्च सीमा एक रनिंग प्रतीक्षा सूची है जिसमें आर ए सी शामिल नहीं है। गाड़ी विशेष/गाड़ियों में रद्दकरण की संख्या अत्यधिक हो जाने के मामले के परिणामस्वरूप रनिंग प्रतीक्षा सूची अधिकतम सीमा तक पहुंचने के बाद भी यदि गाड़ी में स्थान उपलब्ध है तो क्षेत्रीय रेलें ऐसी गाड़ी/गाड़ियों में दिन-प्रतिदिन के आधार पर प्रतीक्षा सूची में वृद्धि कर सकती हैं।

(ख) से (घ) इस प्रकार के आंकडे नहीं रखे जाते हैं।

(ङ) और (च) जी हां। ग्रीष्म काल पूजा और शीतकालीन अवकाश जैसे कुछ मामलों में व्यस्त अवधि के दौरान प्रतीक्षा सूची वाले टिकट ज्यादा संख्या में जारी किए जाते हैं जिससे कि बेईमान व्यक्तियों द्वारा गाड़ियों में स्थानों को हथियाने के प्रयास को रोका जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि यात्रा करने वाले इच्छुक यात्रियों को बेईमान कर्मचारियों द्वारा इस झूंठे तथ्य के आधार पर कि प्रतीक्षा सूची खत्म हो चुकी है वापिस कर दिए जाते हैं। इसके अलावा रेलें अतिरिक्त डिब्बे लगाने और विशेष गाडियां चलाने आदि की योजना में भी मदद करती हैं।

(छ) से (झ) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है चूंकि प्रतीक्षा सूची टिकट जारी करने की संख्या 1 जुलाई, 1996 से पहले ही कम कर दी गई है।

सूखा प्रभावित जिलों की पहचान करना

1495. श्री सत्यजीत सिंह दलीप सिंह गायकवाड़ : क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में सूखा प्रभावित क्षेत्रों के रूप में राज्यवार किन-किन जिलों की पहचान की गई है; और

(ख) सूखा राहत उपायों के लिए राज्यवार कितनी केन्द्रीय सहायता की मांग की गई और कितनी सहायता उपलब्ध करायी गई?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडू) : (क) गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा राज्यों ने 1996-97 के दौरान सूखे की स्थितियों के बारे में बताया था। राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी के आधार पर प्रभावित जिलों की तैयार की गई सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है। चालू वर्ष के दौरान किसी भी राज्य से अभी तक सूखे की स्थिति की कोई भी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) राज्य सरकारों को सूखे सहित प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में आपदा राहत कोष, जिसमें केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा 75:25 के अनुपात में अंशदान किया जाता है, में से राहत उपायों को शुरू करना होता है। वर्ष 1995-96 से 1999-2000 के लिए आपदा राहत कोष के राज्यवार आबंटन को दर्शाने वाला विवरण II संलग्न है। अत्यधिक आपदा की स्थिति में राज्यों को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष में से अतिरिक्त सहायता मुहैया कराई जाती है। 1996-97 के दौरान उड़ीसा और मध्य प्रदेश राज्यों से सूखे की स्थिति में अतिरिक्त सहायता के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ था।

सूखा राहत उपायों के लिए उड़ीसा सरकार ने 570.70 करोड़ रुपए तथा मध्य प्रदेश सरकार ने 201.00 करोड़ रुपए की राशि मांगी थी। 1996-97 के दौरान उड़ीसा सरकार को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से 54.00 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी।

विवरण-I

सूखे से प्रभावित जिलों की सूची

1. **मध्य प्रदेश (9)**

   बालाघाट, रायपुर, दुर्ग, सिओनी, राजगढ़, राजनंदगांव, झाबुआ जबलपुर और रायगढ़।

2. **महाराष्ट्र (7)**

   रायगढ़, धूले, अहमदनगर, सांगली, भंडारा, चन्द्रपुर और गढ़चिरौली।

3. **उड़ीसा (18)**

   बोलंगीर, बलसोर, भद्रक, बौद्ध, कटक, देवगढ़, धेनकेनाल, जगतसिंहपुर, झाड़सुगुडा, कालाहांडी, केन्द्रपाड़ा, क्योंझार, खुर्द, नवरंगपुर, नयागढ़, नौपाड़ा, पुरी और रायगढ।

4. **गुजरात (6)**

   कच्छ, जामनगर, राजकोट, भावनगर, सुरेन्द्रनगर और बनासकांठा।

विवरण-II

1995-2000 हेतु आपदा राहत कोष

(लाख रुपये में)

		1995-1996	1996-1997	1997-1998	1998-1999	1999-2000	कुल 1995-2000
1		2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	11721	12419	13105	13773	14359	65377
2.	अरूणाचल प्रदेश	664	704	743	781	813	3705
3.	असम	4720	5001	4277	5547	5783	26328
4.	बिहार	4904	5196	5483	5763	6007	27353
5.	गोआ	101	107	113	119	124	564
6.	गुजरात	13176	13960	14731	15483	16140	73490
7.	हरियाणा	2365	2505	2644	3779	2897	13190
8.	हिमाचल प्रदेश	2544	2695	2844	2989	3116	14188
9.	जम्मू व कश्मीर	1860	1971	2079	2184	2279	10374
10.	कर्नाटक	3949	4185	4416	4641	4839	22030
11.	केरल	5229	5540	5847	6144	6405	29165

1		2	3	4	5	6	7
12.	मध्य प्रदेश	4821	5108	5389	5665	5905	26888
13.	महाराष्ट्र	6437	6820	7197	7564	7885	35903
14.	मणिपुर	235	248	261	275	287	1306
15.	मेघालय	263	279	295	309	323	1469
16.	मिजोरम	120	127	133	140	147	667
17.	नागालैंड	160	171	180	188	196	895
18.	उडीसा	4625	4901	5172	5436	5667	25801
19.	पंजाब	5111	5415	5715	6005	6261	28507
20.	राजस्थान	16899	17904	18893	19856	20700	94252
21.	सिक्किम	444	471	497	523	544	2479
22.	तमिलनाडु	5602	5935	6263	6583	6863	31245
23.	त्रिपुरा	424	449	475	499	520	2367
24.	उत्तर प्रदेश	11809	12512	13203	13876	14467	65867
25.	पश्चिम बंगाल	4844	5132	5416	5692	5933	27017
	कुलः	113026	119755	126371	132815	138460	630427

[हिन्दी]

लौह अयस्क भण्डार

1496. श्री पुन्नू लाल मोहले : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में स्थित बिलासपुर जिले के पंडारी तहसील के भुरकुड और कंडवानी पहाडी क्षेत्र में लौह अयस्क का भण्डार होने की पूरी संभावना है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया गया है अथवा कराये जाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो इससे कितना लौह अयस्क निकलने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसका सर्वेक्षण कार्य कब तक कराये जाने की संभावना है?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) मध्य प्रदेश में बिलासपुर जिले की पंडारी तहसील के भुरकुड और कंडवानी पहाड़ी क्षेत्रों में लौह अयस्क के भण्डार होने के बारे में भारतीय खान ब्यूरो को कोई जानकारी नहीं है। तथापि भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी एस आई) के अनुसार इन क्षेत्रों में लौह अयस्क होना असम्भावित नहीं है।

(ख) चालू अथवा आगामी फील्ड सत्र के दौरान इन क्षेत्रों में कोई सर्वेक्षण कार्य करने के लिए जी एस आई का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) लागू नहीं होता।

मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में विद्युत परियोजनाओं की स्थापना

1497. श्री रामेश्वर पाटीदार :
श्री श्याम लाल बंशीवाल :
श्रीमती पूर्णिमा वर्मा :
श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में नवीनतम प्रौद्योगिकी युक्त विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री और विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के॰ अलघ) : (क) और (ख) विद्युत क्षेत्र के लिए नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) को योजना आयोग द्वारा अंतिम रूप प्रदान किया जा रहा है।

[अनुवाद]

विजयवाड़ा में टी॰वी॰ स्टूडियो

1498. श्री पी॰ उपेन्द्र : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश स्थित विजयवाड़ा में टेलीविजन प्रोडक्शन सेंटर स्थापित किया जा रहा है;

(ख) इसका शिलान्यास कब किया गया और स्टूडियो के निर्माण कार्य की वर्तमान स्थिति क्या हैं;

(ग) निर्माण कार्य के पूरा होने में असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं;

(घ) क्या विजयवाड़ा रेडियों स्टेशन के अतिरिक्त रेडियो चैनल की मांग भी की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) जी, हां।

(ख) विजयवाड़ा केन्द्र में स्टूडियो की आधारशिला जनवरी, 1990 में रखी गई थी। यद्यपि भवन के निर्माण का कार्य प्रगति पर है तथापि तकनीकी कार्य लगभग पूरा होने वाला है।

(ग) उक्त स्कीम को यद्यपि सातवीं योजना में शामिल किया गया था तथापि, संसाधनों के अभाव के कारण स्कीम के कार्यक्षेत्र की समीक्षा करनी पड़ी जिससे परियोजना के कार्यान्वयन में देरी हो रही है।

(घ) जी, हां।

(ङ) और (च) विजयवाड़ा में यद्यपि दूसरा रेडियो चैनल (क्षेत्रीय) स्थापित करने की मांग है तथापि ऐसा कोई अत्यावश्यक कार्यक्रम नहीं है जो विजयवाड़ा में चैनल का औचित्य सिद्ध करता हो। इसलिए फिलहाल वहां दूसरा रेडियो चैनल स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

वांचिनाडु और वायनाडु एक्सप्रेस रेलगाडियों में सुविधाएं

1499. प्रो॰ पी॰जे॰ कुरियन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल में चलने वाली वांचिनाडु और वायनाडु एक्सप्रेस में अपर्याप्त सुविधाएं होने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) 6303/6304 वांचीनाडु एक्सप्रेस के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है किंतु 6301/6302 वायनाडु एक्सप्रेस के संबंध में जून" 97 में एक शिकायत प्राप्त हुई है।

(ख) वायनाडु एक्सप्रेस के संबंध में प्राप्त हुई शिकायत पहले दर्जे के कुर्सीयान के न उपलब्ध होने के बारे में थी।

(ग) वायनाडु एक्सप्रेस की निर्यात ब्रेक प्रणाली से वात ब्रेक प्रणाली में बदल दिया गया था और सवारी डिब्बों की संख्या बढ़ाकर 21 कर दी गई थी। वात ब्रेक वाले पहले दर्जे के कुर्सीयान उपलब्ध न होने के कारण यह सुविधा मुहैया नहीं कराई जा सकी थी। एक निर्यात ब्रेक वाले पहले दर्जे के कुर्सीयान को वात ब्रेक किस्म वाले सवारी डिब्बे में बदले जाने की कार्रवाई की गई है जिसे इस गाड़ी पर शीघ्र ही उपलब्ध करा दिया जाएगा।

[हिन्दी]

लोनी में डाकघर

1500. श्री सोहन बीर सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि लोनी (गाजियाबाद) में केवल एक डाकघर है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार लोनी की जनसंख्या के अनुपात में वहां एक उप डाकघर खोलने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) वहां कब तक उप-डाकघर खोले जाने की संभावना है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) इस समय ऐसा कोई निश्चित प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया है। डाकघर मानदंड आधारित औचित्य पूरा होने पर खोले जाते हैं बशर्ते कि लक्ष्य और संसाधन उपलब्ध रहें। वार्षिक योजना 1997-98 के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य में 6 विभागीय उप डाकघर खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

महाप्रबंधकों की नियुक्ति

1501. श्री हरिवंश सहाय : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे में महाप्रबंधक की नियुक्ति के संबंध में कोई मानदंड या कानून है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन कानूनों और मानदंडों का पालन किया जा रहा है;

(घ) वर्तमान समय में रेलवे में सामान्य प्रबंधक के कितने पद रिक्त पड़े हैं; और

(ङ) कब तक ये रिक्त पद भरे जाने है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) जी हां। महाप्रबंधकों तथा उनके समतुल्य अधिकारियों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया और दिशा-निर्देश दिनांक 30.1.87 तथा 26.2.88 के यथा संशोधित संकल्पों के तहत् भारत सरकार के दिनांक 16.7.86 के संकल्प सं॰ ई (ओ) 111/84/पी एम/6/132 में अंतर्विष्ट हैं। इन संकल्पों को भारत के राजपत्र में प्रकाशित एवं अधिसूचित किया गया है।

(ग) जी हां।

(घ) और (ङ) इस समय महाप्रबंधकों तथा उनके समतुल्य अधिकारियों के आठ पद रिक्त पड़े हैं जिन पर स्थानीय व्यवस्था द्वारा कार्य का संचालन किया जा रहा है। इन पदों को नियमित आधार पर भरने के लिए प्रक्रिया पहले ही आरंभ की जा चुकी है तथा सक्षम प्राधिकारियों की सहमति से निकट भविष्य में इन पदों को भर लिए जाने की संभावना है।

[अनुवाद]

छोटे-छोटे मकानों में डाकघरों का चलाया जाना

1502. श्री राजकेशर सिंह : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में बहुत से डाकघर छोटे-छोटे मकानों में चलाये जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो सर्किलवार उनकी संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे डाकघरों के लिए इमारतें बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो सर्किलवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है तथा सभापटल पर रख दी जाएगी।

उत्तर प्रदेश में टेलीफोन कनेक्शन

1503. श्री भगवान शंकर रावत : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छह महीनों के दौरान उत्तर प्रदेश में विशेषकर आगरा में स्थापित टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या क्या है;

(ख) गत तीन महीनों के दौरान दिए गए, परन्तु कार्य न कर रहे टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या क्या है;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन टेलीफोनों के कब तक कार्य आरंभ करने की संभावना है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क)

उत्तर प्रदेश	आगरा
159480	6031

(ख) से (घ) टेलीफोन दोषों को छोड़कर, पिछले तीन माह के दौरान संस्थापित किए गए सभी टेलीफोन प्रचालन में है। टेलीफोन दोषों की जब भी रिपोर्ट की जाती है उन्हें तुरन्त ठीक कर दिया जाता है।

पड़ौसी देशों से विद्युत की खरीद

1504. डॉ॰ एम॰ जगन्नाथ :
श्री नवल किशोर राय :
जस्टिस गुमानमल लोढ़ा :
श्री राजकेशर सिंह :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में बिजली की कमी से निपटने के लिए बिजली का आयात करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं तथा वहां से कितनी बिजली के आयात किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या बिजली आयात के लिए वांछित पारेषण व्यवस्था पर विचार कर लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अनुमानतः कितना व्यय होने की संभावना है;

(ङ) क्या बिजली का आयात करना आर्थिक दृष्टिकोण से लाभकारी होगा; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री और विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) से (च) पडौसी राष्ट्रों के साथ विद्युत के आदान-प्रदान की स्थिति निम्नवत है:-

1. भूटान

भारत पिछले कुछ वर्षों से भूटान स्थित चुखा जल विद्युत परियोजना से विद्युत आयात करके उसे पावरग्रिड द्वारा निर्मित विद्यमान पारेषण नेटवर्क के माध्यम से विभिन्न घटक राज्यों को पारेक्षित करता आ रहा है। आयातित की जा रही विद्युत की मात्रा 1388 मिलियन यूनिट प्रतिवर्ष है। भूटान सरकार पश्चिम बंगाल तथा असम राज्य बिजली बोर्ड से भी विद्युत खरीदता है।

2. नेपाल

भारत तथा नेपाल के बीच अक्तूबर, 1971 में हुई सचिव स्तर के विचार-विमर्श के पश्चात् दोनों देशों के बीच विद्युत का आदान-प्रदान आरम्भ हुआ। आरम्भ में अन्तरित की जाने वाली

विद्युत की मात्रा 5 मेगावाट तक थी जो कि इस समय बढ़कर 50 मेगावाट तक हो गई है। यह अन्तरण विद्यमान पारेषण नेटवर्क के माध्यम से भारत नेपाल सीमा पर 17 स्थानों से किया जाता है। भारत सरकार तथा नेपाल सरकार के बीच हुए महाकाली संधि में प्रावधान है कि नेपाल को यह अधिकार होगा कि इस संधि के लागू होने की तिथि से वह अनवरत रूप से 70 मिलियन यूनिट ऊर्जा निशुल्क प्राप्त कर सकेगा। इस प्रयोजन हेतु भारत को टनकपुर विद्युत केन्द्र से भारत-नेपाल सीमा पर महेन्द्र नगर, नेपाल तक एक 132 के॰वी॰ पारेषण लाइन का निर्माण करना होगा। इस पारेषण लाइन का निर्माण पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि॰ द्वारा किया जाएगा। दोनों देशों के बीच विद्युत के आदान-प्रदान के लिए निजी क्षेत्र का प्रवेश आरम्भ करने के लिए फरवरी, 1996 में भारत तथा नेपाल के बीच एक अम्ब्रेला समझौता भी किया गया था।

3. पाकिस्तान

पाकिस्तान से भारत को विद्युत की बिक्री करने संबंधी एक प्रस्ताव भारतीय दूतावास, वाशिंगटन से प्राप्त हुआ था। प्रस्ताव मूल्यांकन और संवीक्षा किए जाने की प्रारम्भिक अवस्था में है। कराची के समीप विश्व बैंक से वित्तपोषित डब रिवर पावर प्रोजैक्ट की 1300 मे॰वा॰ वाली अन्तिम यूनिट के चालू हो जाने के बाद पाकिस्तान द्वारा मानसून सत्र के दौरान 1000 मे॰वा॰ अधिशेष विद्युत अर्जित किए जाने की संभावना है। अधिशेष अधिकतर जुलाई से सितम्बर के बीच रहता है। प्रत्याशा यह है कि निर्माणाधीन परियोजनाओं से क्षमता अभिवृद्धि को मद्देनजर रखते हुए कमी वाली अवधि के दौरान पर्याप्त विद्युत उपलब्ध हो जाएगी। पंजाब, राजस्थान और गुजरात को विद्युत का हस्तान्तरण सुविधाजनक बनाने के लिए एक 400 के॰वी॰ का पारेषण लिंक की उपयुक्त समय पर स्थापना करना आवश्यक होगा। निकट भविष्य में लाहौर और अमृतसर के बीच एक 66 के॰वी॰ डबल सर्किट लाइन चालू किए जाने की आवश्यकता है। इससे 200 मे॰वा॰ विद्युत का पारेषण सुविधाजनक होगा। अपेक्षित निवेशों और विद्युत के अन्तरण को प्रभावी बनाने वाले रूपात्मकताओं के संबंध में अभी तक कोई व्यवहार्यता अध्ययन नहीं किया गया है।

4. बंगलादेश

भारत और बंगलादेश के बीच विद्युत के आदान प्रदान के संबंध में विभिन्न स्तरों पर हुए विचार विमर्श के बाद दोनों सरकारें भारत की ओर से व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए अधिकृत होकर पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमि॰ के साथ बंगलादेश और भारत के बीच विद्युत प्रणालियों के अतः संबंध हेतु एक संयुक्त व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए सहमत हो गये है। एसियाई विकास बैंक अपने क्षेत्रीय सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत और बंगलादेश के बीच विद्युत का आदान प्रदान करने के लिए एक व्यवहार्यता अध्ययन का वित्तपोषण करने के वास्ते सहमत हो गया है। परियोजना के संबंध में ए॰डी॰बी॰ मलीला में 29 और 30 मई, 1997 को एक त्रिपक्षीय बैठक आयोजित की गई थी, परियोजना में भारत के पूर्वी क्षेत्र से अधिशेष विद्युत का पश्चिमी बंगलादेश को निर्यात करने की परिकल्पना की गई है। परियोजना में पूर्वी बंगलादेश से भी भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र को अधिशेष विद्युत का निर्यात किए जाने की परिकल्पना की गई प्रारम्भ में यह भारत के पूर्वी और उत्तर पर्वी क्षेत्रों से संबंधित राज्यों के लिए लाभदायक होगी और एक बार राष्ट्रीय ग्रिड के सभी लिंकों का कार्य पूरा हो जाने के पश्चात सम्पूर्ण देश के लिए इससे लाभ प्रदान किया जा सकता है।

नई रेलगाड़ियों को चलाया जाना

1505. **श्रीमती लक्ष्मी पनबाका :**

डॉ॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी और दक्षिणी रेलवे ने यात्रियों की भीड़ को कम करने के लिए नई रेलगाडियां चलाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी नई रेलगाड़ियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) किन-किन रेलगाड़ियों की बारम्बारता बढ़ाई गई है;

(घ) उपरोक्त रेल गाड़ियां यात्रियों की भीड़ को कम करने में किस सीमा तक समर्थ हुई है; और

(ङ) उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जिनमें ये रेलगाडियां चलाई जा रही हैं और इनके द्वारा समय का अनुपालन किए जाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी हां।

(ख) 1997-98 के दौरान उत्तर रेल और दक्षिण रेल द्वारा निम्नलिखित गाड़ियां चलाने का प्रस्ताव है:-

1. अहमदाबाद-दिल्ली स्वर्ण जयंती राजधानी एक्सप्रेस (साप्ताहिक)
2. सिकंदराबाद-निजामुद्दीन स्वर्ण जयंती राजधानी एक्सप्रेस (साप्ताहिक)
3. हुबली के रास्ते बेंगलूरू-निजामुद्दीन स्वर्ण जयंती राजधानी एक्सप्रेस (साप्ताहिक)
4. हटिया-रांची-दिल्ली स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस (साप्ताह में दो दिन)
5. विशाखापत्तनम-निजामुद्दीन स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस बरास्ता विजयवाड़ा (सप्ताह में दो दिन)
6. मुद्रास-तिरूपति इंटरसिटी
7. वास्को-बेंगलूरू एक्सप्रेस
8. गोरखपुर-देहरादून एक्सप्रेस (सप्ताह में दो दिन)
9. कोयम्बतूर-बेंगलूरू इंटरसिटी
10. दिल्ली-फैजाबाद-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस (साप्ताहिक)

11. नई दिल्ली-अमृतसर शताब्दी एक्सप्रेस (रिवर्स)
12. जम्मू तवी तक मदुरै-इरोड लिंक एक्सप्रेस (सप्ताह में दो दिन)
13. निजामुद्दीन-एर्णाकुलम एक्सप्रेस (साप्ताहिक)
14. हिसार के रास्ते जयपुर-अमृतसर एक्सप्रेस (सप्ताह में दो दिन)
15. मैसूर-त्रिची एक्सप्रेस
16. दिल्ली-अहमदाबाद आश्रम एक्सप्रेस

(ग) 7611/7612 अमृतसर-नांदेड एक्सप्रेस की बारम्बारता सप्ताह में एक दिन से बढ़ाकर सप्ताह में तीन दिन कर दी गई है तथा 1997-98 के दौरान 9767/9768 जयपुर-चेन्नई एक्सप्रेस की बारम्बारता सप्ताह में एक दिन से बढ़ाकर सप्ताह में तीन दिन और 4245/4246 सूरत-वाराणसी एक्सप्रेस को एक सप्ताह में 4 दिन से बढ़ाकर एक सप्ताह में 5 दिन करने का प्रस्ताव है।

(घ) उपर्युक्त गाड़ी सेवाएं कुल मिलाकर इनके द्वारा सेवित किए जाने वाले सैक्टरों में यात्रियों की भीड़-भाड़ को सम्हालने के लिए पर्याप्त होगी।

(ङ) सैक्टरों का ब्यौरा भाग (ख) के उपर्युक्त उत्तर में दिया गया है।

विभिन्न स्तरों पर प्रतिदिन कड़ी निगरानी तथा नजर रखने सहित सभी प्रयास नियमित रूप से किए जा रहे हैं। इसके अलावा, समयपालन अभियान भी चलाए जा रहे हैं।

शोरानूर-मंगलौर रेलवे लाइन का दोहरीकरण

1506. श्री कोडीकुन्नील सुरेश :

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1997 को शोरानूर-मंगलौर रेलवे लाइन के दोहरीकरण संबंधी कार्य की प्रगति क्या थी;

(ख) परियोजना की कुल लागत क्या है तथा इस पर अब तक कुल कितना व्यय हुआ है; और

(ग) उक्त कार्य को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) कालीकट-वेस्ट हिल-एलाथूर तथा किलांडी-टिक्कोली खंडों पर कार्य पूरा हो चुका है तथा इस खंड के अगस्त, 97 में चालू हो जाने की संभावना है।

खंड के बाकी हिस्स पर नाजुक तथा दीर्घकालिक मदों संबंधी कार्य शुरू हो चुका है।

(ख) परियोजना की लागत लगभग 300 करोड़ रु॰ है। 30.6.1997 तक 33.80 करोड़ रु॰ खर्च हो चुका है।

(ग) 1998-99 में अन्य 8 ब्लॉक खंडों पर कार्य पूरा हो जाएगा बशर्ते धन उपलब्ध हो, संपूर्ण कार्य को नौवीं योजना अवधि के भीतर पूरा करने की योजना है।

[हिन्दी]

सौर ऊर्जा चालित लालटेनें

1507. श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य सौर ऊर्जा चालित लालटेनों की सप्लाई करने के लिए क्या मानदण्ड अपनाये गए हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष/राज्यवार ऐसी कितनी लालटेनों की सप्लाई की गई है; और

(ग) लालटेनों की कम सप्लाई के क्या कारण हैं तथा इस कमी को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए सौर लालटेनों के लक्ष्यों का नियतन उनके प्रस्तावों, पिछली परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति, कार्यान्वयन की गुणवत्ता और कार्यक्रम के लिए उपलब्ध कुल बजटीय आबंटन को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान आपूर्ति किए गए सौर लालटेनों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) कुछ राज्यों में सौर लालटेनों की कम आपूर्ति के मुख्य कारणों में राज्य एजेंसियों द्वारा परियोजना का धीमा कार्यान्वयन, उत्पादकों द्वारा सौर लालटेनों की आपूर्ति में विलम्ब और लाभार्थियों को सौर लालटेनों के वितरण में लगा समय शामिल है। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन की गुणवत्ता और गति में सुधार लाने के लिए किए जा रहे उपाय इस प्रकार हैं:-

(1) खरीद और वितरण-व्यवस्था के बारे में राज्यों को स्पष्ट दिशा-निर्देश देना।

(2) कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों के लिए समय-सीमा तय करना।

(3) विनिर्माताओं द्वारा भेजे गए लालटेन के नमूनों के परीक्षण में विलम्ब को कम करने के लिए कलकत्ता और त्रिवेन्द्रम में अतिरिक्त परीक्षण सुविधाओं की स्थापना करना;

(4) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय से प्राप्त धनराशि को विनिर्माताओं को अग्रिम रूप से देने के लिए राज्य एजेंसियों से अनुरोध करना;

(5) सौर उत्पादों के लिए विशेष शो-रूम खोलना; और

(6) कार्यक्रम के कार्यान्वयन में गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी।

विवरण

गत तीन वर्षों अर्थात् 1994-95, 1995-96 एवं 1996-1997 के दौरान आपूर्ति कराए गए लालटेनों का राज्यवार विवरण

क्र॰सं॰	राज्य/संघ	राज्य क्षेत्रवर्ष के दौरान आपूर्ति किए गए सौर लालटेनों की संख्या		
		1994-95	1995-96	1996-97
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1370	2920	1540
2.	अरुणाचल प्रदेश	1218	-	-
3.	असम	100	50	-
4.	बिहार	95	4905	14614
5.	गुजरात	679	1503	1632
6.	हरियाणा	1579	3285	2922
7.	हिमाचल प्रदेश	2070	3480	2500
8.	जम्मू एवं कश्मीर	200	1600	100
9.	कर्नाटक	-	300	-
10.	केरल	3346	5500	11905
11.	मध्य प्रदेश	598	-	5000
12.	महाराष्ट्र	992	-	-
13.	मणिपुर	-	543	-
14.	मेघालय	1100	-	655
15.	मिजोरम	286	164	-
16.	उड़ीसा	898	686	187
17.	पंजाब	-	500	-
18.	राजस्थान	-	500	3778
19.	तमिलनाडु	13	600	1219
20.	त्रिपुरा	38	168	-
21.	उत्तर प्रदेश	7854	14025	5900
22.	पश्चिम बंगाल	757	693	420
23.	अंडमान एवं निकोबार	-	176	38
24.	दिल्ली	1601	1602	307
25.	लक्षद्वीप	57	182	218
26.	पांडिचेरी	-	215	-

मध्य प्रदेश में भूकम्प

1508. श्री दादा बाबूराव परांजपे : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी क्षेत्र में 22 मई, 1997 को आए भूकम्प की गंभीरता कितनी थी और उसमें जन-धन की कितनी हानि हुई;

(ख) भकम्प प्रभावित गांवों, विकास खण्डों, वार्डों तथा कस्बों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार के किसी दल ने भूकम्प प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भूकम्प से प्रभावित लोगों को दिए जा रहे मुआवजे का ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के॰ अलघ) : (क) 22 मई, 1997 को आये भूकंप की तीव्रता 6.0 (रिक्टर पैमाने पर) थी और जिसका उत्केन्द्र उत्तर में लगभग 23.1° और देशांतर पूर्व में 80.1° था। इसके परिणामस्वरुप 39 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और लगभग 1.65 लाख मकान क्षतिग्रस्त हो गए।

(ख) भूंकप के झटके जबलपुर, पानागर, सिहोरा, सिनोई, मांडला, दमोह, भोपाल, पन्ना, छतरपुर, सतना, शहडोल, रीवा, रायपुर, बिलासपुर, राजेन्द्रगांव, अम्बिकापुर, ग्वालियर, गन्ड और देवास कस्बों में महसूस किए गए जिससे 67 वार्ड और 386 गांव प्रभावित हुए।

(ग) से (ङ) भारत मौसम विज्ञान विभाग, भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग तथा राष्ट्रीय भू-भौतिक अनुसंधान संस्थान के दलों ने भूंकप से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और पश्चात् झटकों की गतिविधियों को रिकार्ड करने के लिए पोर्टेबल यंत्रों की स्थापना की। कृषि मंत्रालय ने राहत और पुनर्वास आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने के लिए एक केन्द्रीय दल भेजा। केन्द्रीय दल की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय आपदा राहत समिति (एन सी आर सी) ने 55.36 करोड़ रुपए की राहत सहायता का आकलन किया और राष्ट्रीय आपदा राहत निधि से 45.26 करोड़ रुपए तथा राज्य आपदा राहत निधि से 1997-98 के लिए 10.10 करोड़ रुपए अग्रिम राशि के रूप में जारी करने का निर्णय लिया। राष्ट्रीय आपदा राहत समिति द्वारा यथा संस्तुत निधियां 26-6-97 को मध्यप्रदेश सरकार को जारी की गई ताकि पीड़ितों को मुआवजा और राहत दी जा सके। इसके अलावा, शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय, ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय और वस्त्र मंत्रालय ने निम्नलिखित रूप में योगदान दिया :-

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय :

(i) जबलपुर में 2925 आवासीय एकक का निर्माण करने और 8650 एककों की मरम्मत करने के लिए "हडको" द्वारा 29.12 करोड़ रुपए की कुल राशि ऋण के रूप में मंजूर की गई।

(ii) "हडको" राज्य में 5 भवन निर्माण केन्द्र स्थापित करने के लिए 1.00 करोड़ रुपए उपलब्ध कराएगा। "हडको" प्रत्येक भवन निर्माण केन्द्र में विभिन्न आकारों के मॉडल घरों को बनाने के लिए सहायता देगा।

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय

जबलपुर, सिनोई, मांडला, छिन्दवाड़ा जिलों में 2500 घर बनाने के लिए 4.00 करोड़ रुपए की राशि निर्गत की गई।

वस्त्र मंत्रालय

प्रभावित बुनकरों के लिए 2.00 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई। इसके अलावा, स्वास्थ्य पैकेज योजना के तहत हथकरघा बुनकरों को चश्में उपलब्ध कराने एवं आंखों की जांच करवाने के लिए राज्य सरकार को 2.95 लाख रुपए की राशि भी निर्गत की गई।

[अनुवाद]

पारसलों का वजन

1509. डॉ॰ मुरली मनोहर जोशी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 20 मई, 1997 के "नवभारत टाइम्स" में "वजन रखने पर होता है पारसलों का वजन" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले की जांच कराई है तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) रेलवे में पारसलों की बुकिंग में भ्रष्ट तरीकों के विरुद्ध सतर्कता विभाग ने 1996-97 के दौरान क्या कारवाई की है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी हां।

(ख) नई दिल्ली और दिल्ली स्टेशनों पर पार्सल बुकिंग की प्रक्रिया के अनुसार पार्टी अपने पार्सल बुक कराने के लिए सीधे बुकिंग लिपिक अथवा फारवर्डिंग एवं क्लीरियंग एजेंटों के माध्यम से संपर्क कर सकती हैं। ये एजेंट यातायात की बुकिंग एवं क्लीरेंस में उपभोक्ताओं की सहायता करने के लिए प्राधिकृत हैं।

इस शिकायत की छानबीन की गई थी और कई व्यापारियों से संपर्क किया गया था। बहरहाल, उनमें से किसी ने एजेंटों के विरुद्ध ऐसी कोई शिकायत नहीं की है। इसके अलावा, पार्सलों की बुकिंग और क्लीयरेंस में उत्पीड़न के बारे में, अथवा किसी व्यापारी पर उसके यातायात को बुक कराने के लिए किसी एजेंट से संपर्क साधने के लिए दबाव डालने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) वर्ष 1996-97 के दौरान दिल्ली और नई दिल्ली में पार्सल कार्यालयों में 58 रोधक जांच की गई थी जिसके परिणामस्वरूप 10 भ्रष्ट कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासन और अपील नियमों के अंतर्गत कार्रवाई की गयी थी।

सेल्यूलर सेवाएं चलाने वाली कम्पनियां

1510. श्री दत्ता मेघे : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार विभाग सेल्यूलर फोन सेवा आरंभ करने जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में सेल्यूलर (मोबाइल फोन) और पेजर सेवाएं चलाने के लिए कितनी कम्पनियों को लाइसेंस जारी किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार को उनसे अर्जित राजस्व का ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख) दूरसंचार विभाग का भारत के महत्वपूर्ण नगरों में मोबिलिटी एंड रोमिंग सुविधा सहित निजी दूरसंचार सेवा (पी सी एस) शुरू करने का प्रस्ताव है। इस सेवा के अंतर्गत वाएस एंव हाईस्पीड डाटा फ्लेक्सिबल बिलिंग, वरीयता कालों इत्यादि जैसी विभिन्न सेवाएं प्रदान करने की आशा है।

(ग) देश में 21 कम्पनियों को सेल्यूलर फोनों (मोबाइल फोनों) के प्रचालन के लिए लाइसेंस जारी किए गए हैं तथा 21 कम्पनियों को पेजर सेवाओं के लिए लाइसेंस जारी किए गए हैं।

(घ) सेल्यूलर फोनों (मोबाइल फोनों) के लिए लाइसेंसधारी प्रचालक कम्पनियों के नगरवार एवं दूरसंचार सर्किल-वार नाम विवरण-I तथा पेजर सेवाओं (रेडियो पेजिंग) के लिए कम्पनियों के नाम विवरण-II पर दिए गए हैं।

(ङ) जून, 1997 तक सेल्यूलर लाइसेंस से वसूले गए लाइसेंस शुल्क द्वारा अर्जित राजस्व तथा सेल्यूलर फोनों और रेडियो पेजिंग सेवाओं से अर्जित राजस्व क्रमशः 2655.20 करोड़ रु॰ तथा 99.68 करोड़ रु है। इसमें विलंब से हुए भुगतानों के कारण लगाए गए जुर्माने भी शामिल हैं।

विवरण-I

सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा के लिए लाइसेंसधारक।

चार महानगर

महानगर	कम्पनी का नाम
बम्बई	बी पी एल सिस्टमस एंड प्रोजक्ट्स लि॰
बम्बई	हटचिसन मैक्स टेलीकाम लि॰
कलकत्ता	मोदी टेलस्ट्रा प्रा॰ लि॰
कलकत्ता	ऊषा मार्टिन टेलीकॉम लि॰
दिल्ली	भारती सेल्यूलर लि॰
दिल्ली	स्टरलिंग सेल्यूलर लि॰
मद्रास	आर पी जी सेल्यूलर लि॰
मद्रास	स्काई सेल कम्यूनिकेशन प्रा॰ लि॰

20 प्रादेशिक दूरसंचार सर्किल

सर्किल	कम्पनी का नाम
1	2
असम	रिलायंस टेलीकाम लि•
आंध्र प्रदेश	जे•टी• मोबाइल लि•
आंध्र प्रदेश	टाटा कम्यूनिकेशन प्रा•लि•
बिहार	रिलायंस टेलीकॉम
बिहार	कोशिका टेलीकॉम
गुजरात	बिरला ए टी एंड टी कम्यूनिकेशन लि•
गुजरात	फैस्केल लि•
हरियाणा	एसकोटेल मोबाइल कम्यूनिकेशन प्रा•लि•
हरियाणा	एयरसेल डिजिलिंक इंडिया लि•
हिमाचल प्रदेश	भारती टेलीनेट लि•
हिमाचल प्रदेश	रिलायंस टेलीकाम लि•
हिमाचल प्रदेश	रिलायंस टेलीकाम लि•
कर्नाटक	मोदीकाम नेटवर्क प्रा• लि•
कर्नाटक	जे•टी• मोबाइल्स लि•
केरल	एसकोटेल मोबाइल कम्यूनिकेशन प्रा• लि•
केरल	यू एस वेस्ट बी पी एल सेल्यूलर
मध्य प्रदेश	सेल्यूलर कम्यूनिकेशन्स इंडिया लि•
मध्य प्रदेश	रिलायंस टेलीकॉम लि•
महाराष्ट्र	बिरला ए टी एंड टी कम्यू• लि•
महाराष्ट्र	यू एस वेस्ट बी पी एल सेल्यूलर
उत्तर पूर्व	रिलायंस टेलीकॉम लि•
उत्तर पूर्व	हेक्साकॉम इंडिया लि•
उड़ीसा	कोशिका टेलीकॉम
उड़ीसा	रिलायंस टेलीकॉम लि•
पंजाब	जे•टी• मोबाइल्स लि•
पंजाब	मोदीकॉम नेटवर्क प्रा•लि•
राजस्थान	हेक्साकाम इंडिया लि•
राजस्थान	एयरसेल डिजीलिंक इंडिया लि•
तमिलनाडु	यू एस वेस्ट बी पी एल
यू•पी• (पश्चिम)	एसकोटेल मोबाइल कम्यू• प्रा• लि•
यू•पी• (पश्चिम)	कोशिका टेलीकाम
यू•पी• (पूर्व)	कोशिका टेलीकाम
यू•पी• (पूर्व)	एयरसेल डिजिलिंक इंडिया लि•
पश्चिम बंगला	रिलायंस टेलीकॉम लि•

विवरण–II

30.6.97 की स्थिति के अनुसार 27 शहरों में रेडियो पेजिंग सेवा की स्थिति।

क्र•सं•	शहर	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	अहमदाबाद	माइक्रोवेव कम्यू• लिमिटेड हुडचिसन एमएक्स लि• डीएसएस मोबाइल कम्पनी लि• डीएसएस मोबाइल कम्पनी लि• आर पी जी पेजिंग लि• आईडर पी डब्ल्यू आई कम्पनी लि•
2.	अमृतसर	एबीसी कम्पनी प्राइवेट लि• बेलट्रोन टेलीकॉम लि• पनवायर पेजिंग लि•
3.	बंगलौर	पेज प्वाइंट सर्विसेज प्रा• लि• टेलीसिस्टम प्रा• लि• हुडचिसन मैक्स लि• डी एस एस मोबाइल कम्यू•लि• आइडर पी डब्ल्यू आई कम्यू•लि•
4.	भोपाल	इजीकाल कम्यू• प्रा•लि• टेलीकॉम इनफोरमैटिक्स प्रा•लि• नाइस प्रा•लि•
5.	कलकत्ता	इजी कॉल कम्यू•प्रा•लि• माइक्रोवेव कम्यू•लि• मोदी कोरिया टेलीकॉम लि• डी एस सम मोबाइल कम्यू• लि• आईडर पी डब्ल्यू आई पेजिंग लि•
6.	चन्डीगढ़	एबीसी कम्यू• प्रा•लि• हुटचिसन मैक्स लि• मोदी कोरिया टेलीकॉम लि• वेस्टन पेजर्स प्रा•लि• आईडर पी डब्ल्यू आई कम्यू• लि•

1		2
7.	चेन्नई	टेलीसिस्टम प्रा॰लि॰
		आर पी जी पेजिंग लि॰
		मोदी कोरिया टेलीकॉम लि॰
		डी एस एम मोबाइल कम्यू॰ लि॰
		आईडर पी डब्ल्यू आई कम्यु॰ लि॰
8.	कोयम्बटूर	टेलीसिस्टम प्रा॰लि॰
		उषा मार्टिन टेलीकाम लि॰
		टेलीकॉम इनफोरमैटिक्स प्रा॰लि॰
9.	दिल्ली	माइक्रोबेव कम्यू॰ लि॰
		ए बी सी कम्यू प्रा॰लि॰
		आर पी जी पेजिंग लि॰
		डी एस एस मोबाइल कम्यु॰ लि॰
		आईडर पी डब्ल्यू आई पेजिंग लि॰
10.	एर्नाकुलम्	टेलीसिस्टम प्रा॰लि॰
		बी पी एल सिस्टम्स एंड प्रोजेक्टस लि॰
		उषा मार्टिन टेलीकॉम लि॰
		आईडर पी डब्ल्यू आई कम्यु॰ लि॰
11.	हैदराबाद	इजीकाल कम्यु॰ प्रा॰लि॰
		हुरचिसन मैक्स लि॰
		डी एस एस मोबाइल कम्यु॰ लि॰
		पेज प्वाइंट सर्विसेज प्रा॰लि॰
12.	इंदौर	इलीकाल कम्यु॰ प्रा॰लि॰
		उषा मार्टिन टेलीकाम लि॰
		मोदी कोरिया टेलीकाम लि॰
13.	जयपुर	ए बी सी कम्यु॰ प्रा॰लि॰
		मोदी कोरिया टेलीकॉम लि॰
		वेस्टन पेजर प्रा॰लि॰
		उषा मार्टिन टेलीकाम लि॰
		आइडर पी डब्ल्यू आई कम्यु॰ लि॰
14.	कानपुर	ए बी सी कम्यु॰ प्रा॰लि॰
		मोदी कोरिया टेलीकाम लि॰
		वेस्टन पेजर्स प्रा॰लि॰
		डी एस एस मोबाइल कम्यु॰ लि॰
15.	लखनऊ	मोदी कोरिया टेलीकॉम लि॰
		डी एस एस मोबाइल कम्यु॰ लि॰
		वेस्टन पेजर्स प्रा॰लि॰
16.	लुधियाना	ए बी सी कम्यु॰ प्रा॰लि॰
		हुरचिसन मैक्स लि॰
		बेलट्रान टेलीकाम लि॰

1		2
17.	मदुरई	टेलीसिस्टम प्रा॰लि॰
		उषा मार्टिन टेलीकाम लि॰
18.	मुम्बई	पेज प्वाइंट सर्विसेज प्रा॰लि॰
		मेटमिक्स पेजिंग प्रा॰लि॰
		माइक्रोबेव कम्यु॰ लि॰
		डी एस एस मोबाइल कम्यु॰ लि॰
		आईडर पी डब्ल्यू आई पेजिंग लि॰
19.	नागपुर	इजीकाल कम्यु॰ प्रा॰लि॰
		वेस्टर्न पेजर्स प्रा॰लि॰
		बेलट्रान प्रा॰लि॰
		नाइस प्रा॰लि॰
20.	पटना	इजीकॉल कम्यु॰ प्रा॰लि॰
		बेलट्रान टेलीकाम लि॰
		टेलीकाम इनफारमैटिक्स प्रा॰लि॰
21.	पुणे	मेट्रिक्स पेजिंग प्रा॰लि॰
		हुडचिंसन मैक्स लि॰
		डी एस एस सर्विसेज प्रा॰लि॰
		आईडर डब्ल्यू आई कम्यु॰ लि॰
22.	राजकोट	मैट्रिक्स पेजिंग प्रा॰लि॰
		माइक्रोबेव कम्यु॰ लि॰
		उषा मार्टिन टेलीकाम लि॰
		वेस्टन पेजर प्रा॰लि॰
23.	सूरत	माइक्रोबेव कम्यु॰ लि॰
		वेस्टन पेजर्स प्रा॰लि॰
		बेलट्रान टेलीकाम लि॰
		मेर्ट्रिक्स पेजिंग प्रा॰लि॰
24.	त्रिवेन्द्रम	टेलीसिस्टम प्रा॰लि॰
		बीपीएल सिस्टम एण्ड प्रोजेक्ट्स लि॰
		वेस्टर्न पेजर्स प्रा॰लि॰
25.	बड़ोदरा	माइक्रोबेव कम्यु॰लि॰
		हुडचिसन मैक्स लि॰
		वेस्टन पेजर्स प्रा॰लि॰
		मेट्रिक्स पेजिंग प्रा॰लि॰
		आईडर पी डब्ल्यू आई कम्यु॰ लि॰
26.	वाराणसी	एबी सी कम्यु॰ प्रा॰लि॰
		मोदी कोरिया टेलीकॉम लि॰
		बेलट्रान टेलीकाम लि॰
27.	विशाखापट्टनम	इजीसेल कम्यु॰ प्रा॰लि॰
		उषा मार्टिन टेलीकाम लि॰
		वेस्टन पेजर्स प्रा॰लि॰

30.6.1997 की स्थिति के अनुसार दूरसंचार सर्किलों में रेडियो पेजिंग सेवा की स्थिति

क्र॰सं॰	सर्किल	कंपनी का नाम	टिप्पणियां
1.	अंडमान एवं निकोबार	मैट्रिक्स पेजिंग प्रा॰लि॰	
		नाइस प्रा॰लि॰	
2.	आंध्र प्रदेश	पनवायर मोबाइल कम्यू॰ लि॰	
3.	असम	इजीकाल कम्यू॰ प्रा॰लि॰	लाइसेंस रद्द कर दिया गया।
		नाइस प्रा॰लि॰	
4.	बिहार	खाली	
		खाली	
5.	गुजरात	पनवायर मोबाइल कम्यू॰ लि॰	
6.	हरियाणा	पनवायर पेजिंग लि॰	
7.	हिमाचल प्रदेश	पनवायर पेजिंग लि॰	
		खाली	
8.	जम्मू एवं कश्मीर	एबीसी कम्यू॰ प्रा॰लि॰	लाइसेंस रद्द कर दिया गया।
		नाइस प्रा॰लि॰	
9.	कर्नाटक	बीपीएल वायरलैस कम्यू॰ लि॰	
		पनवायर मोबाइल कम्यू॰ लि॰	
		खाली	आईटीआई को आशयपत्र जारी किया गया।
10.	केरल	बीपीएल वायरलैस कम्यू॰ लि॰	
		पनवायर मोबाइल कम्यू॰ लि॰	
		खाली	आईटीआई को आशयपत्र जारी किया गया।
11.	मध्य प्रदेश	पनवायर मोबाइल कम्यू॰ लि॰	
		मोदी कोरिया टेलीकॉम लि॰	
12.	महाराष्ट्र	पनवायर मोबाइल कम्यू॰ लि॰	
		खाली	
13.	उत्तर पूर्व	इजीकॉल कम्यू॰ प्रा॰लि॰	लाइसेंस रद्द कर दिया गया।
		माइक्रोवेव कम्यू॰ लि॰	
14.	उड़ीसा	माइक्रोवेव कम्यू॰ लि॰	लाइसेंस रद्द कर दिया गया।
		टेलीसिस्टम्स प्रा॰लि॰	
15.	पंजाब	पनवायर पेजिंग लि॰	
		हचिसन मैक्स प्रा॰लि॰	
16.	राजस्थान	पनवायर मोबाइल कम्यू॰ लि॰	
		मोदी कोरिया टेलीकॉम लि॰	
17.	तमिलनाडु	बी पी एल वायरलैस कम्यू॰ लि॰	
		पनवायर मोबाइल कम्यू॰ लि॰	
		खाली	आईटीआई को आशयपत्र जारी किया गया।
	उत्तर प्रदेश	पनवायर मोबाइल कम्यू॰ लि॰	
		माइक्रोवेव कम्यू लि॰	
	पश्चिम बंगाल	मोदी कोरिया टेलीकाम लि॰	
		इजीकाल कम्यू॰ प्रा॰ लि॰	लाइसेंस रद्द कर दिया गया।

निजी विद्युत क्षेत्र में विद्युत उत्पादन लागत

1511. **श्री नंद कुमार साय :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निजी क्षेत्र में विद्युत उत्पादन लागत को नियंत्रित करने के लिए कोई उपचारात्मक उपाय किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस समय सार्वजनिक क्षेत्र और निजी विद्युत क्षेत्रों में विद्युत उत्पादन लागत में कितना अंतर है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के॰ अलघ) : (क) और (ख) उत्पादन कंपनियों द्वारा निजी क्षेत्र विद्युत परियोजनाओं को ठेके पर दिए जाने में अधिकाधिक सुस्पष्टता तथा प्रतिस्पर्धा लाने के लिए 18.2.95 से प्रतिस्पर्धात्मक बोली को अनिवार्य बना दिया गया है। उन विद्युत परियोजनाओं हेतु, जहां राज्यों द्वारा इस तारीख से पहले एमओयू कर लिए गए हैं, राज्यों को 28.6.96 को अंतर्राष्ट्रीय बोली प्रक्रिया के जरिए अभियंता प्रापण संविदाएं प्रदान किए जाने को सुनिश्चित करने के लिए कहा गया। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्रदान करते समय अन्य बातों के साथ-साथ लागत के औचित्य की भी जांच करता है।

(ग) किसी परियोजना के विद्युत उत्पादन की लागत उसके समापन के वर्ष, समापन लागत, प्रकार, प्रौद्योगिकी, अवस्थिति, वित्त पोषण के तरीके, ब्याज की दरों, ईंधन की कीमत तथा स्त्रोत इत्यादि पर निर्भर करती है जो विभिन्न संयंत्रों के उत्पादन के लागत की तुलना को जटिल बना देते हैं।

[हिन्दी]

रेल परियोजनाएं

1512. **श्री पंकज चौधरी :**

श्री मंगल राम प्रेमी :

श्री महेन्द्र सिंह भाटी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान सरकार द्वारा कितनी रेल परियोजनाएं घोषित की गई हैं;

(ख) उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जो मूल अवधि से पीछे चल रही हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ग) प्रत्येक परियोजना की लागत में कितनी वृद्धि हुई है; और

(घ) इन परियोजनाओं को समय से पूरा किए जाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

पुराने टेलीफोन एक्सचेंज

1513. **श्री अन्नासाहिब एम॰के॰ पाटिल :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुंबई में कितने पुराने टेलीफोन एक्सचेंज हैं;

(ख) क्या उन्हें आधुनिक बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) मुंबई में पुरानी प्रौद्योगिकियों (इलैक्ट्रोमेकैनिकल) के बारह एक्सचेंज हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) इन बारह एक्सचेंजों की क्षमता 131,000 लाइनों की है। इनमें से 40,000 लाइनों को वर्ष 97-98 के दौरान और शेष को बाद के वर्षों में बदलने की संभावना है।

केन्द्रीय दल का विदेश दौरा

1514. **श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :**

जस्टिस गुमानमल लोढा :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत पारेषण क्षेत्र में स्वदेशी निवेश को बढ़ाने के लिए मंत्रिमण्डल सचिव के नेतृत्व में एक दल विदेश भेजा गया;

(ख) यदि हां, तो उक्त दल के अन्य सदस्यों के नाम क्या हैं तथा उन्होंने किन-किन देशों का दौरा किया है और यह दल वहां कितने समय तक रहा है;

(ग) क्या कतिपय स्वदेशी निवेशकों ने इस दल के निवेश के संबंध में आश्वासन दिया है;

(घ) यदि हां, तो निवेशकों द्वारा दिए गए आश्वासन के अनुसार कितनी राशि का निवेश किये जाने की संभावना है; और

(ङ) क्या देश के विद्युत क्षेत्र में विदेशी निवेश की कानूनन अनुमति है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के॰ अलघ) : (क) मंत्रिमण्डलीय सचिव के नेतृत्व में एक संयुक्त सरकारी/व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल नें देश में विद्युत क्षेत्र समेत अवसंरचनात्मक ढांचे में निवेश करने के लिए निर्णयों का संभवतः अधिक प्रभावित करने वाले विभिन्न प्रकार की अभिरुचियों के संबंध में एक दूसरे को प्रभावित करने तथा मिलने के वास्ते सं॰ राष्ट्र अमेरिका का दौरा किया है।

(ख) प्रतिनिधि मंडल ने जून, 1997 में 7 कार्य दिवसों (8 से 18 जून, 1997 के बीच) सं॰ राज्य अमेरिका का दौरा किया था। सरकारी प्रतिनिधि मंडल के सदस्य के नाम निम्नवत् हैं :-

1. श्री टी॰एस॰आर॰ सुब्रणियम, मंत्रिमंडलीय सचिव
2. श्री एन॰पी॰ बागची, सचिव कोयला मंत्रालय
3. श्री योगिन्द्र नारायण, सचिव, भूतल परिवहन मंत्रालय
4. डा॰ शंकर एन॰ आचार्य, मुख्य आर्थिक सलाहकार, वित्त मंत्रालय
5. श्री श्याम लाल घोष, सचिव, इलैक्ट्रानिक विभाग (केवल सैन जोसपर)
6. श्री प्रदीप बैजल, अपर सचिव, विद्युत मंत्रालय
7. डॉ॰ अविनाश चन्द्र, महानिदेशक, हाइड्रो कार्बन, पैट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय
8. श्री धीरेन्द्र सिंह, संयुक्त सचिव, मंडलीय सचिवालय

व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के नाम निम्नवत् हैं :-

1. श्री अनिल अम्बानी, प्रबंध निदेशक, रिलायंस इंडस्ट्रीज
2. श्री के॰के॰ मोदी, अध्यक्ष, मोदी इंटरप्राइजेज
3. श्री के॰जी॰ रामनाथन, सीएमडी आईपीसीएल, बड़ौदा
4. श्री अशोक अग्रवाल, निदेशक टीसीआई इन्फ्रास्टैक्चर फाइनेंस लिमिटेड
5. श्री दास गुप्ता, उप प्रबंध निदेशक, सीईएससी लिमिटेड
6. डॉ॰ सोम दत्त, सोम दत्त बिल्डर्स
7. श्री सी॰एल॰ वर्मा, सीएमडी, कान्टीनेंटल कंट्रक्शन लिमिटेड
8. श्री के॰एन॰ शिनोय, कार्यकारी अध्यक्ष, एबीबी लि॰
9. श्री आर॰ सेशासायी, उप प्रबंध निदेशक, अशोक लिलैण्ड लिमिटेड
10. श्री ए॰ रामाकृष्णा, अध्यक्ष (प्रचालन) लार्सेंस एंड ट्यूबरो।
11. डॉ॰ अशोक हारने, मुख्य कार्यकारी, पावर बिजनिस ग्रुप आईएलएफएस
12. श्री एस॰ चन्द्रशेखर, प्रबंध निदेशक, भोरुका पावर कार्पोरेशन लि॰

(ग) और (घ) जैसाकि भाग (क) के उत्तर में बताया गया है, प्रतिनिधिमंडल ने निवेश संबंधी निर्णयों को सम्भवतः अधिक प्रभावित करने वाली विभिन्न प्रकार की अभिरुचियों के संबंध में एक दूसरे को प्रभावित करने और मिलने के वास्ते सं॰रा॰अमेरिका का दौरा किया था। निवेश का प्रवाह नई निवेश व्यवस्थाओं की प्रगति के अनुरूप बढ़ाई गई अवधि के भीतर होने की प्रत्याशा है। तथापि, जब से प्रतिनिधिमंडल ने व्यापार और वित्त व्यवस्था में लगे हुए कई सारे व्यक्तियों और मुख्य सरकारी विभागों के व्यक्तियों तथा बहुपक्षीय एजेंसियों से मुलाकात की है, तब से पारस्परिक क्रिया ने इस संबंध में अभिरुचियों को प्रचलित किया है।

(ङ) निजी विद्युत नीति भारत के विद्युत क्षेत्र में निजी क्षेत्र को अपनी पूंजी निवेश करने की अनुमति प्रदान करती है।

ग्रामीण विकास हेतु हुडको से ऋण

1515. श्री निहाल चन्द चौहान : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इंदिरा आवास योजना तथा अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत आवासों के निर्माण हेतु हुडको के माध्यम से राज्यों को ऋण देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इंदिरा आवास योजना के तहत प्रत्येक राज्य को कितना धन दिया गया; और

(घ) इस योजना के अंतर्गत राज्यवार कितने आवासों का निर्माण किया गया है तथा कितने आवासों का निर्माण अभी किया जाना है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडू) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपरोक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत प्रत्येक राज्य को जारी की गई राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) 1985-86 में इंदिरा आवास योजना के आरंभ से अब तक 37 लाख मकानों को बनाया गया है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान निर्माण के लिए लगभग 7 लाख मकानों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राज्यवार ब्यौरों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

विवरण

इंदिरा आवास योजना

विगत तीन वर्षों के लिए केन्द्रीय रिलीजें

राज्य का नाम	1994-95	1995-96 (रुपए लाख में)	1996-97
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	2500.79	8844.20	11260.90
अरुणाचल प्रदेश	24.19	96.78	159.82
असम	669.09	2656.32	3157.45
बिहार	5279.02	17339.21	15737.76

1	2	3	4
गोवा	26.14	86.12	71.82
गुजरात	1037.66	3490.09	3308.95
हरियाणा	179.22	1114.63	698.28
हिमाचल प्रदेश	83.05	334.39	269.16
जम्मू व कश्मीर	232.79	952.48	1071.39
कर्नाटक	1718.36	6273.33	6883.89
केरल	496.51	2566.68	2351.03
मध्य प्रदेश	3718.76	11468.39	11372.21
महाराष्ट्र	2982.02	12478.10	7387.12
मणिपुर	31.01	91.54	285.32
मेघालय	36.28	116.84	46.70
मिजोरम	15.29	67.13	54.78
नागालैंड	38.89	306.60	275.31
उड़ीसा	2184.62	6358.60	7943.55
पंजाब	127.45	352.35	582.29
राजस्थान	1412.68	5167.49	4032.70
सिक्किम	14.16	231.28	27.42
तमिलनाडु	2081.47	8380.97	9222.31
त्रिपुरा	40.27	209.03	144.47
उत्तर प्रदेश	5578.26	20560.34	23733.55
पश्चिम बंगाल	2280.79	7357.05	7668.93
अ॰ और नि॰ द्वीप समूह	11.45	60.38	28.26
दा॰ व ना॰ हवेली	6.22	35.60	27.86
दमन व द्वीप	3.66	25.08	7.54
लक्षद्वीप	5.75	33.64	11.83
पांडिचेरी	11.21	23.10	103.23
कुल	32827.06	117077.74	117925.83

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में टेलीफोन सुविधाएं

1516. श्री राजाभाऊ ठाकरे : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में ऐसी ग्राम पंचायतों की जिले-वार संख्या कितनी है जिनमें टेलीफोन सुविधाएं उपलब्ध हैं; और

(ख) शेष ग्राम पंचायतों में टेलीफोन सुविधाएं कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) कुल 24,752 ग्राम पंचायतों में से 22249 को टेलीफोन सुविधा प्रदान कर दी गई है। जिला-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) 9वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक ग्राम पंचायतों सहित सभी गांवों को टेलीफोन सुविधा प्रदान किए जाने की संभावना है।

विवरण

महाराष्ट्र में वे पंचायतें, जिन्हें ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान किए गए हैं।

क्र॰सं॰	क्षेत्र जीएम	जिले का नाम	कुल ग्राम पंचायत	ग्राम पंचायतों में टेलीफोन सुविधा
1	2	3	4	5
1.		अकोला	936	936
2.		अमरावती	804	685
3.		भान्द्रा भंडारा	1046	845
4.		बुलधाना	828	812
5.		चन्द्रापुर	804	655
6.		गाडचीरोली	458	279
7.		वरधा	481	481
8.		यओतमल	1123	779
		उप-जोड़	6480	5472
9.		रायगढ़	660	660
10.		रत्नागिरी	768	499
11.		सिंधुदुर्ग	388	314
		उप-जोड़	1816	1473
12.		नासिक	1224	1175
13.		धुले	962	856
		उप-जोड़	2186	2031
14.		जालना	557	557
15.		बीड़	924	636
16.		लातूर	637	637
17.		ओस्मानाबाद	544	429
18.		नान्देड	1163	1060
19.		पारभानी	1073	806
		उप-जोड़	4898	4125

1	2	3	4	5
20.		जलगांव	1062	1062
21.		सांगली	631	588
22.		सतारा	1213	1083
23.		सोलापुर	931	931
24.		अहमदनगर	1160	1160
25.		औरंगाबाद	693	693
26.		ठाणे	882	820
27.		कोल्हापुर	913	913
28.		नागपुर	710	710
29.		पुणे	1177	1003
		उप-जोड़	24752	22064

[हिन्दी]

एस॰टी॰डी॰/पी॰सी॰ओ॰ आबंटन के नियम

1517. श्री डी॰पी॰ यादव : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संचार सुविधाओं के विस्तार के लिए विकलांग व्यक्तियों और भूतपूर्व सैनिकों को एस॰टी॰डी॰ और पी॰सी॰ओ॰ बूथ आबंटन करने संबंधी नियमों में संशोधन करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

यात्री सुविधाओं पर अल्प राशि व्यय किया जाना

1518. श्रीमती जयवंती नवीनचन्द्र मेहता : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान "रेलवे स्पेंट मीगर अमाउन्ट आन अमेनिटीज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष अर्जित राजस्व में से यात्री सुविधाओं पर कितनी राशि व्यय की गई है; और

(ग) यात्री सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए अपर्याप्त राशि आबंटित किए जाने के क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (ग) स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं की व्यवस्था मानदण्डों के अनुसार की जाती है जो सम्हाले जाने वाले यात्री यातायात की मात्रा पर आधारित होते हैं। यात्री सुविधा संबंधी कार्यों के लिए धनराशि के आबंटन का, अर्जित राजस्व से कोई संबंध नहीं है।

रेलें यात्रियों की जरूरतों के प्रति भलीभांति सजग हैं और चालू वर्ष के लिए आबंटन करते समय आवश्यकताओं को ध्यान में रखा गया है। यात्री सुविधाओं के संबंध में पिछले तीन वर्षों के दौरान हुआ खर्च और इसके लिए चालू वर्ष के दौरान आबंटन निम्नानुसार है :-

वर्ष	करोड़ रुपये में
1994-95	73.34
1995-96	87.98
1996-97	87.96
1997-98	80.00

प्रतीक्षा सूची टिकटों का जारी किया जाना

1519. डा॰ अरुण कुमार शर्मा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर क्षेत्र जाने वाली गाड़ियों के लिए आरक्षण खुलने के पहले ही दिन से अधिकांश यात्रियों को प्रतीक्षा सूची वाली टिकट मिलने के क्या कारण हैं; और

(ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र के यात्रियों के हितार्थ इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) ग्रीष्मकालीन भीड़, पूजा भीड़ तथा क्रिसमिस की छुट्टियों जैसी व्यस्त अवधि के दौरान प्रसिद्ध गाड़ियों में आरक्षित स्थान की मांग अधिक होती है और कम समय में ही यह भर जाता है। यद्यपि यह परिपाटी व्यस्त अवधियों में प्रतिबंधित होती है तथा मंदी के समय अधिक लंबी अवधि के लिए स्थान उपलब्ध रहता है। भीड़ की अवधियों के दौरान महत्वपूर्ण गाड़ियों में प्रतीक्षा सूची की स्थिति पर कड़ी निगरानी रखी जाती है और मांग के आधार पर संभव सीमा तक अतिरिक्त सवारी डिब्बे जोड़े जाते हैं।

[हिन्दी]

टेलीफोनों के लिए प्रतीक्षा सूची

1520. श्री थावर चन्द गेहलोत : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 30 जून, 1997 तक टेलीफोन कनेक्शन के लिए प्रतीक्षा सूची का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रतीक्षा सूची में पंजीकृत लोगों को टेलीफोन कनेक्शन देने के लिए सरकार की क्या नीति है;

(ग) क्या सरकार 30 जून, 1997 तक की प्रतीक्षा सूची में पंजीकृत सभी लोगों को टेलीफोन कनेक्शन आबंटित करने के लिए किसी कार्य योजना पर कार्य कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) दिनांक 30.6.97 की स्थिति प्रतीक्षा सूची के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) से (घ) देश में, वर्ष 1997-98 के दौरान, 29 लाख नए टेलीफोन कनेक्शनों की व्यवस्था के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। नए टेलीफोन कनेक्शनों की व्यवस्था से वर्ष 1997-98 के दौरान कई राज्यों में दिनांक 31.3.97 तक की प्रतीक्षा सूची के एक बड़े भाग का निपटान हो जाएगा तथा शेष राज्यों में प्रतीक्षा-सूची का निपटान वर्ष 1998-99 के दौरान एवं इसके बाद किया जाएगा। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आवश्यक उपस्कर तथा सामग्री का प्रबंध किया जा रहा है।

विवरण

30.6.1997 की स्थिति के अनुसार टेलीफोन कनेक्शनों की राज्य-वार प्रतीक्षा सूची

क्र॰सं॰	राज्य का नाम	प्रतीक्षा सूची
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	2,66,604
2.	असम	28,953
3.	बिहार	62,907
4.	गुजरात (दादर, द्वीव, दमन एंव नागर हवेली)	2,97,613
5.	हरियाणा	98,442
6.	हिमाचल प्रदेश	51,499
7.	जम्मू कश्मीर	31,561
8.	कर्नाटक	1,99,049
9.	केरल (संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप)	6,56,973
10.	मध्य प्रदेश	60,198
11.	महाराष्ट्र (गोवा और मुबंई सहित)	3,23,511
12.	उत्तर-पूर्व (अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा सहित)	14,178
13.	उड़ीसा	40,838
14.	पंजाब (चंडीगढ़ सहित)	2,12,599
15.	राजस्थान	1,73,254
16.	तमिलनाडु (चेन्नई तथा संघ शासिंत क्षेत्र पांडिचेरी सहित)	4,17,699
17.	उत्तर प्रदेश	1,53,771
18.	पश्चिमी बंगाल (सिक्किम, अंडमान निकोबार, द्वीपसमूह और कलकत्ता)	1,73,943
19.	दिल्ली	17,086
	जोड़	32,80,678

हाजीपुर-सुरौल रेलवे लाइन हेतु सर्वेक्षण

1521. श्री राधा मोहन सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाजीपुर-सुरौल नयी रेल लाइन बिछाने के लिए सर्वेक्षण कार्य की घोषणा की थी;

(ख) यदि हां, तो उक्त घोषणा कब की गयी थी;

(ग) क्या सरकार ने उक्त सर्वेक्षण करा लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

गुजरात में "ग्रामसेट" योजना पर व्यय की गई राशि

1522. श्री एन॰जे॰ राठवा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और आज तक गुजरात के प्रत्येक जिले में विशेषकर जनजातीय जिलों में "ग्रामसेट" योजना पर प्रतिवर्ष कितनी धनराशि व्यय की गई;

(ख) इस योजना के अंतर्गत प्रसारित कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार जनजातीय संस्कृति को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से इन कार्यक्रमों में जनजातीय लोगों को भाग लेने के प्रोत्साहित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस॰ जयपाल रेड्डी) : (क) से (घ) गुजरात में कोई ग्रामसेट स्कीम कार्यान्वित नहीं की जा रही है। तथापि, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरों) द्वारा मध्य

प्रदेश के झाबुआ जनजातीय जिले में एक ग्रामसेट पायलट परियोजना चलाई जा रही है। इस परियोजना में नियमित ट्रांसमिशन 1 नवम्बर, 1996 से आरंभ हुआ है। यह 2 वर्ष तक चलने वाली परियोजना है। झाबुआ जिले के 150 गांवों के लिए प्रतिदिन सांयकाल में एक घंटे के लिए ग्रामीण विकास कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। इन ट्रांसमिशनों में जल-निकास (वाटर शैड) संबंधी विकास, पर्यावरण, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य-विज्ञान, शिक्षा आदि विषयों पर कार्यक्रम शामिल किए जाते हैं। इन कार्यक्रमों में स्थानीय लोगों की भागीदारी से झाबुआ जिले में निर्मित कार्यक्रम शामिल किए जाते हैं।

[अनुवाद]

दिल्ली में विद्युत की कटौती

1523. **श्री माधवराव सिंधिया : क्या विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष गर्मी के मौसम में दिल्ली में विद्युत की अत्यधिक कमी लम्बे समय तक लोड-शेडिंग तथा ब्रेक-डाउन की स्थिति बनी हुई है;

(ख) राजधानी में सभी स्त्रोतों से प्राप्त विद्युत की कितनी आपूर्ति उपलब्ध करायी जाती है तथा उसकी कितनी कमी है; और

(ग) ऊर्जा के संरक्षण तथा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में इसके अधिकतम उपयोग हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के॰ अलघ) : (क) अप्रैल-जून, 1997 की अवधि के दौरान दिल्ली में ऊर्जा की कमी तथा शीर्ष कमी क्रमशः 1.0 प्रतिशत तथा 4.0 प्रतिशत थी। विद्युत की मांग तथा उपलब्धता के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए दिल्ली विद्युत बोर्ड (डीवीबी) ने मई तथा जून, 1997 के दौरान विभिन्न इलाकों में क्रमागत आधार पर एक घंटे के लिए बिजली बंद रखने से संबंधित एक कार्यक्रम की घोषणा की। तथापि, कुछ क्षेत्रों में काफी लंबे समय तक बिजली की कटौती की गई तथा न्यून वोल्टता की स्थिति बनी रही जो कि स्थानीय खराबी, दिल्ली विद्युत बोर्ड की प्रणाली में पारेषण, वितरण तथा संचरण संबंधी बाधाएं उत्पन्न हो जाने के कारण हुई।

(ख) 1 जुलाई से 14 जुलाई, 1997 की अवधि के दौरान दिल्ली को उसकी आवश्यकता की तुलना में उसे विभिन्न स्त्रोतों से उपलब्ध कराई गई विद्युत की औसत प्रतिदिन उपलब्धता का विस्तृत ब्यौरा निम्नवत है :-

ऊर्जा आवश्यकता (मि॰यू॰/दिन)	ऊर्जा उपलब्धता (मि॰यू॰/दिन)	कमी (मि॰यू॰/दिन)	प्रतिशत कमी
47.83	46.17	1.66	3.47%

(ग) दिल्ली विद्युत बोर्ड ने व्यस्ततमकालीन घण्टों के दौरान एअर कंडीशनर्स के उपयोग पर प्रतिबंध तथा निओन साईन बोर्डों, सजावटी प्रकाश तथा विन्डो डिस्पले जैसे प्रचार एवं प्रवर्तक क्रियाकलापों पर रोक लगा दी है।

विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी

1524. **श्री आर॰ साम्बासिवा राव : क्या विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई॰पी॰पी॰डी॰ तमिलनाडु ने विद्युत मंत्रालय से सम्पर्क स्थापित कर विसंगति के बारे में बताया है जिसके कारण आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने में विलम्ब होगा;

(ख) क्या विद्युत मंत्रालय ने इसमें मौजूदा विसंगति को स्वीकार किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस कमी को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जाने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के॰ अलघ) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

[हिन्दी]

दिल्ली-अहमदाबाद रूट पर राजधानी एक्सप्रेस को चलाया जाना

1525. **श्री बी॰के॰ गढ़वी :**

श्री विजय पटेल :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जयपुर-अजमेर पालनपुर होते हुए दिल्ली-अहमदाबाद रूट पर राजधानी एक्सप्रेस गाड़ी चलाने का है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त रेलगाड़ी के कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) 1 अगस्त, 97 के दौरान जयपुर-अजमेर के रास्ते साप्ताहिक नई दिल्ली-अहमदाबाद स्वर्ण जयंती राजधानी एक्सप्रेस चलाने का विनिश्चय किया गया है।

कर्मचारियों को बिना बारी के टेलीफोन

1526. **श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान तथा 1.6.1997 तक जिला प्रबंधक, टेलीफोन बरेली के कार्यालय में विभागीय कर्मचारियों को बिना बारी के कितने टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए गए;

(ख) क्या जिला स्तर के अधिकारी, कर्मचारियों को बिना बारी के टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने में सक्षम हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसकी क्या सीमा है तथा इस संबंध में किस प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) पिछले एक वर्ष के दौरान 1.6.1997 तक जिला प्रबंधक (टेलीफोन), बरेली के कार्यालय में कार्यरत विभागीय कर्मचारियों को बिना बारी आधार पर कोई भी टेलीफोन कनेक्शन नहीं प्रदान किया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

मुंबई में रेलवे द्वारा नाला सफाई कार्य

1527. **श्री राम नाईक :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि मुंबई नगर निगम द्वारा अदायगी कर दिए जाने के बावजूद, केन्द्रीय रेल प्राधिकारियों द्वारा समय-सारणी के अनुसार नाला सफाई का कार्य नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) चालू मानसून के दौरान उच्च ज्वार अवधि के दौरान भी सुगम रेल सेवा को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का विचार है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) मध्य रेल के भाग के अंतर्गत नाले की सफाई (गाद हटाने) के कार्य के लिए मुम्बई नगर निगम द्वारा भुगतान कर देने के पश्चात् रेलवे ने इस कार्य हेतु 1.4.97 को ठेका दिया था। अनुबंध के अनुसार, मुम्बई नगर निगम को नाले अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम भागों की सफाई करनी थी। बहरहाल, निगम अपने हिस्से वाले कार्य संबंधी ठेकों का मई, 1997 के मध्य में ही निपटा सका। इससे नाले की सफाई के कार्यक्रम में विलम्ब हुआ। बहरहाल, सफाई कार्य को प्रभावी ढंग से किया गया तत्पश्चात् तीन नालों अर्थात् (I) कि॰मी॰ 12/5-6 पर मुखोपाध्याय नगर नाला (II) कि॰मी॰ 23/10-11 कि॰मी॰ पर संतोषीमाता नगर माला और (III) 18/6-7 कि॰मी॰ पर पुलिया के डाउनस्ट्रीम भागों को छोड़ दिया गया जिनको बिम्सटोबाड़ रिपोर्ट के अनुसार निगम प्राधिकारी द्वारा यथोचित ढंग से आशोधन किया जाना है।

(ग) नालों को बिना रुके बहने का सुनिश्चित करने के लिए गाद को निरंतर हटाया जा रहा है। रेलपथा को विशषकर 12/5-6 कि॰मी॰ पर मुखोपाध्याय नगर के नाले के आस-पास बाढ़ से बचाने के लिए उपर्युक्त तीनों स्थानों में आवश्यक आशोधनों को पूरा करने के लिए मुम्बई नगर निगम को लगातार कहा जा रहा है।

चंदलोडिया रेलवे स्टेशन का दर्जा बढ़ाना

1528. **श्री विजय पटेल :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गुजरात में चंदलोडिया रेलवे स्टेशन के पास तेजी से हो रहे विकास कार्य को ध्यान में रखते हुए अर्थात् स्टेशन के निकट नए उच्च न्यायालय और अन्य महत्वपूर्ण संस्थानों के बन जाने से उक्त स्टेशन का दर्जा बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस रेलवे स्टेशन पर आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध कराने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (घ) गुजरात के नए उच्च न्यायालय से 5 कि॰मी॰ दूर स्थित चंदलोडिया रेलवे स्टेशन पर वहां सम्हाले जाने वाले यात्री यातायात की मात्रा के अनुरूप सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। इस स्टेशन का और विकास करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

देश के डाकघरों की संख्या

1529. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :**

श्री विजय अन्नाजी मुंडे :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार डाकघरों की संख्या कितनी है और इनमें कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान कितने व्यक्तियों को स्थायी रूप से नौकरी दी गयी है और इनका प्रतिशत क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन्हें सरकारी कर्मचारियों का दर्जा प्रदान करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

उत्तर प्रदेश में डाकघरों का स्तर बढ़ाया जाना

1530. **श्री प्रभु दयाल कठेरिया :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 1997-98 के दौरान उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के आधार पर कुछ शाखा डाकघरों तथा उप डाकघरों का स्तर बढ़ाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख) डाकघरों का दर्जा जनसंख्या के आधार पर नहीं बढ़ाया जाता। वार्षिक योजना 1997–98 में उत्तर प्रदेश में 6 विभागीय उप डाकघर खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध रहें। ये नए डाकघर भी हो सकते हैं तथा दर्जा बढ़ाए गए डाकघर भी।

[हिन्दी]

कंप्यूटरीकृत रेलवे आरक्षण का आधुनिकीकरण

1531. **श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कंप्यूटरीकृत रेलवे आरक्षण प्रणाली में सुधार लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिल्ली में वापसी यात्रा टिकट आरक्षण काउंटर पर स्थापित कंप्यूटर मई–जून, 1997 के दौरान कई दिनों तक खराब पड़े थे; और

(घ) यदि हां, तो इस समस्या का समाधान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण सेवा में सुधार और इसका आधुनिकीकरण एक सतत प्रक्रिया है और निम्नलिखित सुविधाएं शुरू करके यात्रियों के लिए सेवा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए नियमित रूप से उपाय किए जा रहे हैं :–

(1) इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस प्रणाली के जरिए आरक्षण स्थिति से संबंधित स्वचालित पूछताछ जिसमें कंप्यूटर सिम्युलेटिड वायस के जरिए टेलीफोन पूछताछों का तत्काल और कुशलता से उत्तर दिया जाता है।

(2) आरक्षण उपलब्धता स्थिति सूचना प्रदर्श (रेपिड) की सुविधा जिसकी व्यवस्था सभी प्रमुख आरक्षण कार्यालयों में की गई है।

(3) पांच प्रमुख कंप्यूटर प्रणालियों की नेटवर्किंग जिसके लिए साफ्टवेयर का आंशिक विकास पहले ही किया जा चुका है और जो दिल्ली और सिकंदराबाद में पहले ही कार्यान्वित कर दी गई है। पहले चरण में इन दो प्रणालियों के बीच नेटवर्किंग करने का प्रस्ताव है।

(4) आंकड़े अन्तरण की कुशलता और गति में उल्लेखनीय वृद्धि करने के लिए पांच प्रमुख प्रणालियों के बीच उच्च गति दूरसंचार संपर्कों की संस्थापना।

(5) वर्ष–दर–वर्ष अतिरिक्त स्टेशनों के लिए कंप्यूटर आरक्षण सुविधाओं का विस्तार तथा महानगरों तथा प्रमुख शहरों में अतिरिक्त सेटेलाइट आरक्षण कार्यालय खोलना।

(ग) और (घ) जी नहीं। ऐसी कोई घटना नहीं हुई है जब दिल्ली में वापसी टिकट आरक्षण काउंटर पर संस्थापित कंप्यूटर मई–जून, 1997 के दौरान कई दिनों तक लगातार खराब रहा हो। बहरहाल, दिल्ली, कलकत्ता, मुम्बई, मद्रास और सिकंदराबाद में पांच प्रणालियों के बीच दूरसंचार चैनल संपर्कों में आवर्तक खराबियां हुई थीं। काउंटरों का औसत कार्यकाल 97 प्रतिशत के कुशलता स्तर पर बनाए रखा गया था।

दरभंगा से हसनपुर के बीच नई रेल लाइनें बिछाना

1532. **श्रीमती सुभावती देवी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दरभंगा से हसनपुर–कुशेश्वर तक एक नई रेल लाइन बिछाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (ग) जी नहीं। बहरहाल, कुशेश्वर स्थान के रास्ते सकरी से हसनपुर तक एक नई लाइन निर्माणाधीन है कुशेश्वर स्थान के रास्ते दरभंगा से सहरसा तक एक नई लाइन के लिए सर्वेक्षण शुरू किया गया है। सर्वेक्षण रिपोर्ट उपलब्ध हो जाने पर परियोजना पर आगे विचार करना संभव होगा।

[अनुवाद]

तरल ईंधन आधारित विद्युत संयंत्र

1533. **श्री प्रमोद महाजन** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तरल ईंधन आधारित विद्युत संयंत्रों को देश में विद्युत की कमी की समस्या का अल्पकालिक समाधान समझा जाता है;

(ख) क्या सरकार ने सरकारी मूल्य निर्धारण तंत्र के अंतर्गत विद्युत संयंत्रों के लिए तरल ईंधन के आयात में राजसहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इससे देश में तरल ईंधन आधारित विद्युत संयंत्रों की स्थापना की सम्भाव्यता पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के॰ अलघ) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) विद्युत संयंत्रों के लिए तरल ईंधन के आयात का मूल्य निर्धारण करना सरकारी मूल्य निर्धारण तंत्र से इतर होगा तथा इसे तेल पूल खाते में साथ नहीं जोड़ा जाएगा। ये कीमतें अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों पर आधारित होंगी तथा इसमें किसी प्रकार की आर्थिक सहायता

प्रदान नहीं की जायेगी' ऐसी प्रत्याक्षा की गई है कि 12000 मेगावाट तक की तरल ईंधन आधारित परियोजनाएं स्थापित किए जाने की व्यवहार्यता पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडेंगा।

[हिन्दी]

राजस्थान के गावों में बिजली की कमी

1534. श्री नरेन्द्र बुडानि : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के पुरजोर प्रयास के बावजूद राजस्थान के विभिन्न गांवों और शहरों में बिजली की कमी है और वहां अनेक ऐसे गांव हैं जहां अभी तक बिजली नहीं पहुंची है;

(ख) यदि हां, तो उन जिलों और गांवों की संख्या कितनी है जहां गत तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकार की मदद से भारतीय ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा बिजली पहुंचाई गई है; और

(ग) उन जिलों के नाम क्या हैं जिन्हें चालू वर्ष में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार विद्युतीकरण हेतु चुना गया है और इसके लिये कितनी धनराशि आबंटित की जाएगी?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के॰ अलघ) : (क) राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड (रा॰रा॰वि॰बो॰) ने सूचित किया है कि यद्यपि, इस राज्य में विद्युत की कमी है तथापि, इससे राज्य में ग्राम विद्युतीकरण के योजना लक्ष्यों की प्राप्ति प्रभावित नहीं हुई है। 1981 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 34,968 बसे हुए गांवों में से राज्य ने मार्च, 1997 तक 31,320 गांवों के विद्युतीकरण की सूचना दी है। शेष 3648 गांव विद्युतीकृत किए जाने के लिए बचे हुए हैं।

(ख) ग्राम विद्युतीकरण निगम (आरईसी) राज्य विद्युत बोर्डों/विद्युत विभागों को ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम के लिए केवल आर्थिक सहायता मुहैया करवाता है तथा गांवों के विद्युतीकरण समेत इस कार्यक्रम का वास्तविक निष्पादन संबंधित राज्य विद्युत बोर्डों विद्युत विभागों द्वारा किया जाता है। गत तीन वर्षों के दौरान आरईसी वित्त-पोषित स्कीम तथा राज्य योजना निधियों, दोनों के तहत् रा॰रा॰वि॰बो॰ द्वारा विद्युतीकृत किए गए गांवों की जिलावार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) चालू वित्त वर्ष 1997-98 के लिए राज्यवार ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम को योजना आयोग द्वारा अभी अंतिम रूप दिया जाना है। तथापि, यह प्रस्ताव है कि आर॰ई॰सी॰ वित्त पोषण स्कीम के तहत् राजस्थान में 480 गांवों को विद्युतीकृत किया जाएगा।

विवरण

क्र॰सं॰	जिला	1981 की जनगणना के अनुसार बसे हुए गांवों की सं॰	विद्युतीकृत गांव		
			1994-95	1995-96	1996-97
1	2	3	4	5	6
1.	अजमेर	923	15	1	14
2.	अलवर	1892	16	10	12
3.	बासंवाड़ा	1445	35	8	41
4.	बारां	1045	40	13	12
5.	बारमेड़	853	23	9	7
6.	भरतपुर	1328	22	11	19
7.	भीलवाड़ा	1512	9	3	0
8.	बीकानेर	571	5	0	3
9.	बूंदी	783	16	16	21
10.	चितौड़गढ़	2144	46	47	58
11.	चुरू	855	17	7	12
12.	दौसा	793	18	41	21
13.	धौलपुर	538	11	1	3
14.	डुंगरपुर	832	16	16	5

1	2	3	4	5	6
15.	हनुमानगढ़		75	139	145
16.	जयपुर	1913	15	50	13
17.	जैसलमेर	462	10	12	1
18.	जालौर	602	4	0	40
19.	झालावाड़	1444	41	36	0
20.	झुझनुं	689	0	0	0
21.	जोधपुर	705	5	0	9
22.	कोटा	798	18	12	1
23.	नागौर	1223	12	12	0
24.	पाली	818	0	0	17
25.	राजसमन्द	939	16	6	16
26.	सवाईमाधोपुर	1534	18	16	0
27.	सीकर	813	0	0	0
28.	सिरोही	433	0	0	145
29.	श्री गंगा नगर	3886	189	196	28
30.	टोंक	1017	27	30	54
31.	उदयपुर	2178	37	58	
	जोड़	34968	756	750	700

* गांवों के नाम जिन्हें गत तीन वर्षों के दौरान विद्युतीकृत किया गया है, को एकत्रित करने के लिए अपेक्षित प्रयास एवं समय परिणाम के संभव नहीं है, अतः विद्युतीकृत गांवों की संख्या दी गई है।

[अनुवाद]

अप्रयुक्त टिकटों की धनराशि वापस करना

1535. **डा॰ बलिराम :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेशन अधीक्षक या रेलवे स्टेशन का कोई अन्य अधिकारी उस स्थिति में किसी यात्री द्वारा देश को किसी स्टेशन से एक्सप्रेस/मेल रेलगाड़ी द्वारा लम्बी दूरी की यात्रा हेतु खरीदे गए अप्रयुक्त टिकट की धनराशि को वापस करने के लिए प्राधिकृत है जब वह यात्री अचानक बीमार हो जाने के कारण यात्रा नहीं कर पाया हो और वह उस वापस की गयी धनराशि से अगले दिन के लिए टिकट खरीदना चाहता है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) रेलवे द्वारा ऐसे यात्रियों को किस प्रकार की सहायता दी जाती है जब उस यात्री के पास उस स्टेशन से उसके अप्रयुक्त टिकट के लिए धनराशि वापस नहीं किए जाने की स्थिति में अगले दिन के लिए टिकट खरीदने के लिए पैसे न हों; और

(घ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसे यात्रियों को उस स्टेशन पर ही धनराशि वापस की जाए, क्या कदम उठाने का विचार है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) नियमानुसार, नियमों में निर्धारित समय सीमा में भारतीय रेलों के सभी स्टेशनों पर आरक्षित, आर ए सी, प्रतीक्षा सूची के टिकटों पर धन वापसी की व्यवस्था है बशर्ते संबंधित स्टेशन पर ऐसे टिकटों का सत्यापन संभव हो। बहरहाल, 452 महत्वपूर्ण स्टेशन मास्टरों को उनके स्टेशनों से जारी उन अप्रयुक्त टिकटों के किराए की धन वापसी करने के विवेकाधिकार दिए गए हैं जिन पर नियमों में निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के कारण धन वापसी अनुमेय नहीं होती है।

(ग) और (घ) रेलें टिकट खरीदने के लिए यात्रियों को वित्तीय सहायता नहीं देती हैं। बहरहाल, आरक्षित टिकटों पर यात्रा स्थगन की सुविधा पहले से ही है बशर्ते प्रस्तावित यात्रा के दिन पुष्टिशुदा आरक्षण उपलब्ध हो।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में दोषपूर्ण दूरसंचार सेवाएं

1536. **डा॰ राम विलास वेदान्ती :**
श्री सोहन बीर सिंह :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में दोषपूर्ण दूरसंचार सेवाओं के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो संचार सुविधाओं में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान संचार सुविधाओं में सुधार लाने के कार्य पर होने वाले व्यय के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गयी है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाएं संतोषजनक ढंग से काम कर रही हैं। तथापि, वे दूरसंचार सेवाएं जो ओवर हेड संरेखण/कैरिअर प्रणालियों आदि जैसे कम विश्वसनीय माध्यम से जुड़ी हुई हैं उन्हें ऑप्टिकल फाइबट केबल (ओ एफ सी), अल्ट्रा हाई फ्रिक्वैंसी (यू एच एफ), मल्टी चैनल प्रति कैरियर (एम सी पी सी), वेरी स्मॉल अपरचर उपग्रह (वी-सैट) टर्मिनलों आदि जैसे विश्वसनीय माध्यम से उत्तरोत्तर रूप से बदला जा रहा है। ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों (वी पी टी) के कार्य-निष्पादन पर विभिन्न स्तरों से कड़ी निगरगनी रखी जा रही है। सेवाओं के कार्यकरण में सुधार लाने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जहां अपेक्षित है, दोषपूर्ण/मरम्मत के अयोग्य ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों (वी पी टी) को बदलने के प्रयास भी किए जा रहे हैं।

(ग) वर्ष 1997-98 के लिए दूरसंचार विभाग की समग्र आबंटन योजना 10766 करोड़ रु॰ की है जिसमें से 625.68 करोड़ रु॰ की राशि उत्तर प्रदेश की दूरसंचार सेवाओं में सुधार लाने के लिए प्रस्तावित है। नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए शेष अवधि के आबंटन को यथा-समय अंतिम रूप दिया जाएगा।

आमान परिवर्तन

1537. **श्री परसराम मेघवाल :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार ने निकट भविष्य में उदयपुर-जोधपुर रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में परिवर्तित करने के लिए किसी प्रस्ताव पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त लाइन का कब तक आमान परिवर्तन किये जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) जी हां। जोधपुर-मारवाड़ और उदयपुर-चित्तौड़गढ़ खंडों पर आमान परिवर्तन का कार्य प्रगति पर है और इसके पूरा हो जाने पर उदयपुर-जोधपुर के बीच ब॰ला॰ के मार्ग की व्यवस्था हो जाएगी। मावली-मारवाड़ के आमान परिवर्तन के लिए भी एक सर्वेक्षण किया गया है। सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के बाद ही इस मार्ग के आमान परिवर्तन पर आगे विचार करना संभव होगा।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय नेटवर्क पर राष्ट्रीय खेलों का प्रसारण

1538. **श्री के॰पी॰ सिंह देव :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय नेटवर्क पर राष्ट्रीय खेलों के कवरेज के लिए निर्धारित समय कम है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) भविष्य में ऐसे राष्ट्रीय महत्व के आयोजनों को पर्याप्त कवरेज दिए जाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इसके लिए क्या मानदंड निर्धारित किए जाने का विचार है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस॰ जयपाल रेड्डी) : (क) से (घ) दूरदर्शन अपने अन्य कार्यक्रम आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय महत्व के सभी प्रमुख खेल कार्यक्रमों को पर्याप्त कवरेज प्रदान करने के लिए सतत प्रयासरत है। इसके अनुसरण में, दूरदर्शन ने हाल ही में सम्पन्न राष्ट्रीय खेलों के कवरेज की विस्तृत व्यवस्था की थी। सभी दिनों के आस्थगित अथवा रिकार्डिड भिन्न-भिन्न खेल कार्यक्रमों के सीधे कवरेज के अलावा दूरदर्शन ने खेलों के उद्घाटन तथा समापन समारोहों के सीधे कवरेज की व्यवस्था की थी। इसके अलावा, प्रतिदिन मुख्य अंश भी प्रसारित किए गए।

दूरदर्शन भविष्य में भी ऐसा ही करता रहेगा।

[अनुवाद]

सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों को लाभ

1539. **कर्नल सोनाराम चौधरी :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि चेयरमैन सहित रेलवे के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बहुत से लाभ दिए गये हैं;

(ख) यदि हां, तो श्रेणी-वार ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है तथा उस पर श्रेणी-वार प्रतिवर्ष कितना व्यय किया जाता है;

(ग) क्या रेलवे के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दिये गये ये लाभ नियमानुसार हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इस तरह के लाभ दिये जाने के क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) 1996-97 के दौरान, सेवानिवृत्त ग्रुप "घ" कर्मचारियों और अध्यक्ष सहित बोर्ड के सेवानिवृत्त सदस्यों, सेवानिवृत्त कर्मचारी उदारीकृत स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत शामिल सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों को उपलब्ध यात्रा सुविधाओं में कतिपय सुधार किए गए थे।

(ख) यात्रा सुविधाओं में किए गए उपरोक्त सुधार के अंतर्गत लाभार्थ कर्मचारियों की संख्या और इसके खर्च के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। बहरहाल नई यात्रा सुविधा के अंतर्गत कार्ड पास का लाभ उठाने वाले बोर्ड के सेवानिवृत्त सदस्यों की संख्या अब तक 43 है।

(ग) जी हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

डाक वितरण में विलम्ब

1540. श्री हरिन पाठक : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पत्रों के वितरण में दो दिन से अधिक का विलम्ब गंतव्य पर ही हो जाता है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा प्रत्येक राज्यों के शहरों में डाक के अगले दिन वितरण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) सामान्यतः गंतव्य स्थान पर पत्रों के वितरण में विलंब नहीं होता। तथापि प्राकृतिक आपदाओं, डाक ले जाने वाली रेलगाड़ियों, बसों या हवाई जहाजों के विलंब से चलन, वितरण के लिए अपर्याप्त कर्मचारी होने जैसे अपरिहार्य कारणों से और कारपोरेट मेल तथा ग्रीटिंग्स मेल आदि जैसी डाक की आकस्मिक और अत्यधिक मात्रा के कारण पत्रों के वितरण में यदा कदा विलंब हो सकता है।

(ख) सामान्यतः एक ही शहर के भीतर ओरिजिनेट होने वाले कार्य-दिवस को वितरित कर दिए जाते हैं बशर्ते कि उपर्युक्त (क) में वर्णित बाधायें आड़े न आएं। शहरों में डाक का त्वरित वितरण सुनिश्चित करने के निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

(1) शहरों में स्थानीय पत्रों के निपटान के लिए एक अलग प्रणाली स्थापित की गई है जिसे ग्रीन चैनल कहा जाता है।

(2) शहरों में वितरण-व्यवस्था की समीक्षा की जाती है और कुछ शहरों में वितरण ढांचे के पुनर्गठन के आदेश दिए गए हैं ताकि जिन स्थानों पर वितरण व्यवस्था में कोई कमी है, वहां विवरण कर्मचारी मुहैया कराए जा सकें।

(3) अतिरिक्त वितरण कर्मचारियों के पदों के सृजन का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय के साथ उठाया गया है।

(4) विभिन्न श्रेणियों की डाक की, उसकी समय-संवेदनशीलता के अनुसार, प्राथमिकतावार और अलग-अलग हैंडलिंग द्वारा मेल प्रोसेसिंग को युक्तिसंगत बनाना।

(5) डाक वितरण के लिए कुछ चुनिंदा शहरों में हैवी बीट्स में कार्य कर रहे डाकियों को मोपेड दी गई हैं।

(6) विभिन्न शहरों में मुख्यालय और फील्ड, दोनों स्तरों पर डाक के वितरण की निरंतर मानीटरिंग की जाती है।

चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर अधिक सुविधाएं प्रदान करना

1541. श्री सत्यपाल जैन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1997-98 के दौरान चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर अनेक सुविधाओं के विस्तार के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके लिए कुल कितनी राशि स्वीकृत की गई है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) चंडीगढ़ में 617.98 लाख रु॰ की लागत पर लाइन सं॰ 1 और 4 पर धुलनीय एप्रेन और प्लेटफार्म सं. 2/3 पर सायबान कोचिंग टर्मिनल सुविधाओं के विकास और प्लेटफार्म सं॰ 1 पर सायबान के विस्तार करने की व्यवस्था से संबंधित कार्य शुरू किया गया है जिसके लिए 1997-98 के दौरान 87.91 लाख रु॰ के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

ग्रामीण रोजगार योजनाओं हेतु अपर्याप्त धन

1542. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न ग्रामीण रोजगार योजनाओं के अंतर्गत किये जा रहे कार्यों में श्रम तथा सामग्री का अनुपात 60:40 निर्धारित किया है;

(ख) क्या सामग्री की कीमतों में वृद्धि और कार्य निष्पादन के बाद शिकायतों को ध्यान में रखते हुए यह श्रम सामग्री अनुपात व्यवहार्य नहीं है;

(ग) क्या सरकार को विभिन्न राज्यों से इस आशय के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं कि श्रम तथा सामग्री के अनुपात में संशोधन किया जाये; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्यवाही की गयी है/किये जाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडू) : (क) ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों अर्थात जवाहर रोजगार योजना और सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत मजदूरी और सामग्री का अनुपात 60:40 निर्धारित है।

(ख) से (घ) मजदूरी सामग्री अनुपात को संशोधित करने के लिए कुछ स्रोतों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं। जवाहर रोजगार योजना और सुनिश्चित रोजगार योजना का प्राथमिक उद्देश्य मजदूरी रोजगार मुहैया कराना है इसलिए कार्यक्रमों के अंतर्गत खर्च का प्रमुख भाग ग्रामीण गरीबों के लिए मजदूरी रोजगार के सृजन के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। अतः मजदूरी सामग्री अनुपात 60:40 रखा गया है।

गुजरात में विद्युत उत्पादन की क्षमता

1543. **श्री जयसिंह चौहान :** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में गत दो वर्षों के दौरान गुजरात के प्रत्येक विद्युत केन्द्रों की विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने राज्य के विद्युत केन्द्रों की विद्युत उत्पादन क्षमता में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान और वृद्धि किए जाने हेतु कोई कार्य योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के॰ अलघ) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उड़ीसा में विद्युत परियोजनाएं

1544. **श्री मुरलीधर जेना :** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान उड़ीसा के गैर-सरकारी क्षेत्र में कितनी विद्युत परियोजनाएं प्राप्त की गई हैं तथा इन परियोजनाओं से कितने विद्युत का उत्पादन होने की संभावना है;

(ख) उड़ीसा में परियोजना कार्य शुरू करने के लिए कितनी परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है;

(ग) इन परियोजनाओं को चलाने के लिए उपलब्ध कोयले और ईंधन की स्थिति क्या है;

(घ) क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने राज्य की कुछ गैर-सरकारी परियोजनाओं को आवश्यकता के लिए ईंधन की स्वीकृति नहीं दी है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं; और

(च) राज्य को कुल कितनी विद्युत की आवश्यकता है तथा गैर-सरकारी और सरकारी क्षेत्रों में उत्पादित विद्युत का अलग-अलग हिस्सा कितना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के॰ अलघ) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र की लम्बित विद्युत परियोजना

1545. **श्री कचरू भाऊ राउत :**
श्री अन्नासाहिब एम॰के॰ पाटिल :
श्री प्रभु दयाल कठेरिया :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, 1997 की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र की कुछ विद्युत परियोजनायें केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के पास लम्बित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा कितनी परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गयी;

(घ) क्या सरकार ने इस उद्देश्य हेतु राज्य को विश्व बैंक द्वारा ऋण उपलब्ध कराये जाने के संबंध में कोई कदम उठाया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के॰ अलघ) : (क) और (ख) 30.6.97 का स्थितिनुसार महाराष्ट्र से किसी विद्युत परियोजना का प्रस्ताव तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति हेतु केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में लम्बित नहीं है।

(ग) गत 3 वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में भद्रावती टी॰पी॰एस॰ (निप्पोन देनरो इस्पात लिमि॰ द्वारा प्रवर्तित मै॰ सेन्ट्रल इंडिया पावर क॰ लिमि॰) को तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

(घ) और (ङ) महाराष्ट्र में नई विद्युत परियोजनाओं को विश्व बैंक सहायता प्रदान करने हेतु कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है।

अपराह्न 12.0½ बजे

प्राथमिकता के आधार पर टेलीफोन कनेक्शन के बारे में दिनांक 27.2.97 के अतारांकित प्रश्न संख्या 903 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

[अनुवाद]

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) :

लोक सभा में दिनांक 27.2.97 को दिया गया अतारांकित प्र॰सं॰ 903 का उत्तर इस प्रकार था :—

(क) गत तीन वर्षों के दौरान स्वविवेकाधिकार के अंतर्गत बिना बारी के प्राथमिकता के आधार पर आबंटित की गई टेलीफोन कनेक्शनों की क्या संख्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान जम्मू तथा कश्मीर में कितने टेलीफोन स्थापित किए गए;

(ग) क्या सरकार का ध्यान 13 दिसंबर, 1996 के "फ्रन्टलाइन" में पृष्ठ संख्या 31-33 पर "फोन्स टू बिल" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या लक्ष्य है;

(ङ) क्या सरकार का विचार आगे जांच करने हेतु इस मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंपने का है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

2. प्रश्न के भाग (क) का उत्तर इस प्रकार दिया गया था :—

"(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, विवेकाधिकार के अंतर्गत बिना बारी के कुल 39880 टेलीफोन मंजूर किए गए थे।"

असावधानीवश, तत्कालीन संचार राज्य मंत्री द्वारा मंजूर किए गए और सीधे मुख्य महाप्रबंधक, शिमला को भेजे गए मूल अनुरोधों को उत्तर में शामिल नहीं किया गया था। इसे ध्यान में रखते हुए उत्तर के भाग "क" को संशोधित रूप में इस प्रकार पढ़ा जाए :—

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, विवेकाधिकार के अंतर्गत बिना बारी के कुल 57,275 टेलीफोन कनैक्शन मंजूर किए गए थे।

3. प्रश्न के भाग (घ) का उत्तर इस प्रकार दिया गया था :—

(घ) तत्कालीन माननीय संचार राज्य मंत्री द्वारा दि॰ 24.1.1991 की डायरी सं॰ 13742 से 13753 के तहत जम्मू और कश्मीर सर्किल के लिए टेलीफोन कनेक्शनों के 26 अनुरोधों वाली एक सूची में से, 12 बिना बारी के टेलीफोन कनैक्शन मंजूर किए गए थे।

उक्त भाग "घ" में, तारीख में, टंकण संबंधी गलती है, इसे 24.01.1991 के स्थान पर 24.01.1996 पढ़ा जाए।

उत्तरों के संकलन में निर्धारित प्रक्रिया अपनाने और आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई के कारण विलम्ब हुआ। तथापि, विलम्ब के लिए अत्यधिक खेद है।

अपराह्न 12.01 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब, सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्रों की बारी है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : हम सभा पटल पर पत्रों के रखे जाने के पश्चात् देखेंगे।

(व्यवधान)

भारतीय तार अधिनियम, 1885 और भारतीय डाक घर अधिनियम, 1898 इत्यादि

[हिन्दी]

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 7 उपधारा (5) के अंतर्गत रेडियो, टेलीविजन और वीडियो कैसेट रैकार्डर सैट्स (अनुज्ञापन आवश्यकताओं से छूट) नियम, 1997 जो जुलाई, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 393(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल॰टी॰ 2213/97]

(2) भारतीय डाक घर अधिनियम, 1898 की धारा 74 की उपधारा (4) के अंतर्गत भारतीय डाक घर (संशोधन) नियम, 1997, जो 19 मई, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 267(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल॰टी॰ 2214/97]

अपराह्न 12.01½ बजे

लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति

दूसरा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : मैं लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति का दूसरा प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

अपराह्न 12.02 बजे

कृषि संबंधी स्थायी समिति

चौदहवां तथा पंद्रहवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : महोदय, मैं कृषि संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :—

(1) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के संबंध में अनुदानों की मांगों (1996-97) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के पांचवें प्रतिवेदन (ग्यारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी चौदहवां प्रतिवेदन।

(2) कृषि मंत्रालय (कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग) के संबंध में अनुदानों की मांगों (1996-97) के बारं में कृषि संबंधी स्थायी समिति के दूसरे प्रतिवदेन (ग्यारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट।

सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी पंद्रहवां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.02¼ बजे

रक्षा संबंधी स्थायी समिति

छठा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री बी॰के॰ गढ़वी (बनासकांठा) : मैं रक्षा संबंधी स्थायी समिति को नौसेना (संशोधन) विधेयक, 1997 संबंधी छठा प्रतिवदेन सभा पटल पर रखता हूं।

[अनुवाद]

अपराह्न 12.02½ बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति

दसवां प्रतिवेदन

श्री डी॰एस॰ए॰ शिवप्रकाशम (तिरूनेलवेली) : मैं गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी दसवां प्रतिवेदन सभा पटल पर रखता हूं।

[अनुवाद]

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री अहमद आपने कोई भी नोटिस नहीं दिया है।

(व्यवधान)

श्री पी॰आर॰ दासमुंशी (हावड़ा) : महोदय, यह एक गंभीर विषय है। आसूचना ब्यूरो के लोग संसद भवन के अन्दर संसद सदस्यों पर निगरानी रख रहे हैं। यह संसद सदस्यों के लिए अपमानजनक है। गृहमंत्री को इस संबंध में वक्तव्य देना चाहिए कि क्या आसूचना ब्यूरो के लोगों को संसद भवन के अंदर संसद सदस्यों की गतिविधियों की निगरानी करने के लिए कहा गया है।...*(व्यवधान)*

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : आसूचना ब्यूरो के मामले पर चर्चा होनी चाहिए।...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.04 बजे

कार्य मंत्रणा समिति

पन्द्रहवां प्रतिवेदन

पर्यटन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का पन्द्रहवां प्रतिवेदन सभा पटल पर रखता हूं।

[अनुवाद]

अपराह्न 12.04¼ बजे

संसद में मान्यता प्राप्त दलों और समूहों के नेता और मुख्य सचेतक (प्रसुविधाएं) विधेयक*, 1997

पर्यटन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि संसद में मान्यता प्राप्त दलों और समूहों के नेता और मुख्य सचेतक को प्रसुविधाएं उपलब्ध कराने संबंधी विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :—

> "कि संसद में मान्यता प्राप्त दलों और समूहों के नेता और मुख्य सचेतक को प्रसुविधाएं उपलब्ध कराने संबंधी विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री श्रीकांत जेनो : श्रीमन्, मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूं।

---

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 21.7.97 में प्रकाशित।

** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

[अनुवाद]

...*(व्यवधान)*

श्री पी॰आर॰ दासमुंशी (हावड़ा) : सभापति महोदय, सभा की और संसद सदस्यों की सीमा की मांग यह है कि आज समाचार पत्रों में जो यह खबर प्रकाशित हुई है कि आसूचना ब्यूरो संसद भवन के अंदर ससद सदस्यों की गतिविधियों पर निगाह रख रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। यह न केवल अनुचित है बल्कि यह संसद सदस्यों के विशेषाधिकारों के प्रतिकूल भी है। यह सदन की मर्यादा के खिलाफ है। गृहमंत्री को इस पर वक्तव्य अवश्य देना चाहिए।...*(व्यवधान)* यह एक गम्भीर मामला है। हम इस पर चुप नहीं रह सकते।...*(व्यवधान)*

डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी (विशाखापत्तनम) : यह एक अत्यन्त ही गंभीर विषय है।...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.06 बजे

(उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए)*

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : उपाध्यक्ष महोदय, यह विशेषाधिकार का मामला है। यदि आसूना ब्यूरो के लोग हमें परेशान करने का प्रयास कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री पी॰आर॰ दासमुंशी : यह रिपोर्ट मिली है कि आसूचना ब्यूरो संसद भवन के अन्दर संसद सदस्यों पर निगरानी रख रहा है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आप सबों को बारी-बारी से अनुमति प्रदान करूंगा।

श्री चन्द्रशेखर

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं प्रत्येक माननीय सदस्य को बोलने की अनुमति दूंगा, कृपया उन्हें बोलने दीजिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें अनुमति प्रदान की है।

अपराह्न 12.07 बजे

इंडिया गेट के समीप महात्मा गांधी की मूर्ति स्थापित करने के बारे में

[हिन्दी]

श्री चन्द्रशेखर (बलिया) : उपाध्यक्ष जी, मैं एक ऐसे सवाल पर आपके सामने खड़ा हुआ हूं जिस पर इस सदन में शायद कोई विवाद नहीं होगा। मैंने कल ही अध्यक्ष महोदय से अनुमति ली थी। महात्मा गांधी की स्टेचू इंडिया गेट पर लगाने का सवाल 30 वर्षों से चल रहा है। पिछले तीन वर्ष पहले श्री नरसिंहराव जी ने वहां शिलान्यास किया था कि अगस्त क्रांति उद्यान बनेगा और उसमें महात्मा गांधी की स्टेचू लगायी जाएगी। इस देश के कुछ विचारक, विद्वान जिनकी सोच सारे देश से निराली है, वे लोग अदालत में गये थे और उस अदालत में उन्होंने जो बातें कहीं वे किसी भी व्यक्ति को अपमानजनक लगेंगी। मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता। उन्होंने कहा कि सारे दशे में महात्मा गांधी की जो स्टेचू लगी हैं, एक कैरीकेचर दिखायी पड़ती है और इंडिया गेट पर उसको ले जाना एक देश के लिए या कला के लिए अपमान होगा। उन्होंने यह भी कहा कि यह एक तरह का ऐस्थेटिक वेन्डालिज्म है। उसके खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम के संगठन के लोगों ने विशेषकर शशिभूषण जी ने अपनी बात कही और 4-5 दिन पहले अदालत ने यह फैसला दिया कि सरकार को वहां पर स्टेचू लगानी चाहिए और 4-5 दिन के अंदर ही उसका फैसला होना चाहिए। उपाध्यक्ष जी, आप जानते हैं कि वहां पर एक छतरी में जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगी थी। राम मनोहर लोहिया जी ने उस मूर्ति को हटाने का निवेदन किया, सरकार ने वह बात नहीं सुनी। फिर 1968 में कुछ युवकों ने जाकर उस मूर्ति को विकृत कर दिया और मजबूर होकर सरकार को उस मूर्ति को हटाना पड़ा। आज लगातार यह बात चल रही है कि वहां से उस केनोपी को हटाकर वहां शहीद उद्यान बनाया जाए। उसका शिलान्यास श्री नरसिंहराव जी ने किया, लेकिन सरकार उस पर मौन बैठी हुई है। अब अदालत के फैसले के बाद क्या करेगी, कहना मुश्किल है। कहा जाता है विचारकों के जरिये जो इतिहास को अपनी दृष्टि से देखते हैं कि जनता को यह बहुत बुरा लगेगा कि लुटियन साहब ने जो बनाया था उसमें हम हस्तक्षेप कर रहे हैं। शायद उनको इतना भी ज्ञान नहीं है कि वह छतरी लुटियन ने नहीं बनाई थी, बल्कि 1930 में जब गांधी जी डांडी मार्च करने चले तो यहां के कुछ राजाओं ने, जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहता, ब्रिटिश साम्राज्यवाद की हिमायत करने के लिए वह छतरी और जॉर्ज पंचम की तस्वीर वहां पर लगायी थी। उस तस्वीर के बारे में मुझे आज कहने से कोई लाभ नहीं है, मैं कहना भी नहीं चाहूंगा। लेकिन मुझे आश्चर्य इस बात पर होता है कि 20-25 और 30 वर्षों से सरकार निर्णय क्यों नहीं कर पाती है। उपाध्यक्ष जी, मैं पढ़ूंगा नहीं। इन मूर्ति को लगाने के पक्ष में अब तक जिन महानुभावों ने पत्र लिखे हैं उसमें श्री जयपाल रेड्डी जी हैं, शायद उनको अपना पत्र याद होगा। उसमें श्री इन्द्रजीत गुप्त हैं, जो आज हमारे गृह मंत्री हैं। उसमें श्री मधु लिमये हैं जो दुर्भाग्यवश आज हमारे साथ इस दुनिया में नहीं हैं, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी हैं, जो इस देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, श्री अटल बिहारी वाजपेयी हैं, जो हमारे विरोधी दल के नेता हैं, श्री सिद्ध राज धड्ढा हैं, श्री सत्य प्रकाश मालवीय हैं, हमारे साथ यहां बैठने वाले श्री नीतीश कुमार हैं, श्री नवल किशोर शर्मा हैं, श्री सादिक अली हैं जो सबसे बड़े गांधीवादी हैं और श्री कृष्ण कांत ने गवर्नर की हैसियत से लिखा है जो अब उप-राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। इसके अलावा अन्य बहुत से लोग इसमें शामिल हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार को इसमें क्या हिचक है?

मैं समझता हूं कि स्टीयरिंग कमेटी ने जो सर्वसम्मत निर्णय लिया था, जिसके कन्वीनर शायद श्री इन्द्रजीत गुप्त थे, उसके बाद श्री नरसिंह राव जी ने वहां एक समारोह किया था जिसमें मैंने भी भाषण किया

था लेकिन पिछले तीन वर्षों में कुछ नहीं हुआ। मैं जानना चाहता हूं कि देश का इतिहास बनाने वाले जो दो-चार लोग हैं, जो इतिहास को अपनी दृष्टि से देखते हैं, जिनकी दृष्टि में भारत की 90 या 95 करोड़ जनता नहीं है, उसकी विदेशों में क्या प्रतिक्रिया होगी, कुछ बुद्धिजीवियों में क्या प्रतिक्रिया होगी, उसे देखकर यदि हम महात्मा गांधी की स्टेच्यू को लगाने का काम टालते जाएंगे, यहां सदन के नेता बैठे हैं, विभिन्न मंत्रीगण हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि क्या आप देश में ऐसी स्थिति लाना चाहते हैं कि जिन परिस्थितियों में जार्ज पंचम की मूर्ति हटी थी, उसी स्थिति में वह छतरी भी हटे। वह दिन दूर नहीं, आप यह मत समझिए कि अगर आप लोगों की भावनाओं का इसी तरह निरादर करते जाएंगे तो स्वतंत्रता की इस स्वर्ण जयन्ती के साल में कहीं उस छतरी पर कुछ न हो जाए जिसके कारण देश में कोई भयावह स्थिति पैदा हो जाए।

आप ऐसा भी मत समझिए कि मैं आपको डरा रहा हूं या कोई चेतावनी दे रहा हूं लेकिन जो खतरा मुझे दिखाई पड़ता है, बहुत से लोगों के दिल में आग हैं, उस आग को देखकर यह मत समझिए कि संसद में बैठे हुए हम लोग जो फैसला देते हैं, वही फैसला देश को बनाने वाला है। महात्मा गांधी की आज जिस तरह से उपेक्षा हो रही है, जिस तरह निरादर हो रहा है, न जाने कितने स्टेच्यू लग रहे हैं, कितने स्मारक बन रहे हैं, मैं उनका जिक्र नहीं करना चाहता लेकिन सरकार महात्मा गांधी के बारे में चुप है। दिल्ली में जितने स्मारक बन रहे हैं, जिन लोगों के बन रहे हैं, क्या महात्मा गांधी के सामने उनकी कोई हैसियत हैं? मैं यहां कोई तुलना नहीं करना चाहता लेकिन जो राष्ट्र महात्मा गांधी जैसे व्यक्ति का सम्मान नहीं कर सकता, जिसमें चंद अपने को बुद्धिजीवी कहे जाने वाले लोग रास्ते में रोडा डाल सकते हैं, जिनकी बात मानकर सरकार चुप रहती है, वह सरकार एक भयावह स्थिति को निमंत्रण दे रही है। मुझे विश्वास है कि सरकार चेतेगी और इस काम को पूरा करेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री संतोष मोहन देव।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आपको कुछ कहना है?

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : इस संबंध में कोई विवाद नहीं हो सकता है। सरकार को शीघ्र फैसला करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री प्रमोद महाजन (मुम्बई उत्तर पूर्व) : अभी चन्द्रशेखर जी ने जो विषय उठाया है, पूरा सदन उसका समर्थन करता है। सबके भाषण की आवश्यकता नहीं है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : मैं श्री चन्द्रशेखर की भावनाओं से बिल्कुल सहमत हूं। श्री पासवान यहां मौजूद हैं। उन्हें भी इस पर कुछ कहना चाहिए।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज (दक्षिण दिल्ली) : उपाध्यक्ष जी, महात्मा गांधी की प्रतिमा की स्थापना इस देश में दुर्भाग्य का विषय बने और संसद् में उस पर चर्चा हो, यह निहायत शर्म की बात है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यह चर्चा नहीं है।

(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : इसमें चर्चा का सवाल नहीं है। जिस विषय को चन्द्रशेखर जी ने उठाया है, उस पर अविलम्ब कार्यवाही होना आवश्यक है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे लगता है कि इस विषय पर सबकी सहमति है, अतः मैं लीडर ऑफ द हाउस को पुकारता हूं।

(व्यवधान)

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : महात्मा गांधी से बड़ा कोई नेता इस देश में आजादी के दरम्यान पैदा नहीं हुआ। गांधी जी के मामले में, माननीय सदस्यों ने यहां ठीक कहा कि यह कोई चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए। हम सरकार की तरफ से आश्वासन देते हैं, इस संबंध में मैं प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा और आपकी भावनाओं को उन तक पहुंचाने के साथ साथ, जल्द से जल्द सरकार इस बारे में निर्णय लेगी।...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.14 बजे

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी के बारे में

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : हम लोग अगले विषय को शुरू कर चुके हैं।

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (पूर्णिया) : उपाध्यक्ष जी, मैं सदन में एक संवेदनशील और महत्वपूर्ण सवाल को उठाने के लिए खड़ा हूं। कुछ दिन पूर्व पटना हाई कोर्ट में एक रिट फाइल की गई थी जिसमें बिहार में पटना के कलैक्टर और एस॰एस॰पी॰ ने एक रिट याचिका के तहत अपना मैमोरैंडम हाई कोर्ट को दिया था।

उसमें उन्होंने पशु पालन के मामले में जांच करने वाली सी॰बी॰आई॰ को पूर्ण सहयोग करने की बात कही थी, लेकिन जब सुप्रीमकोर्ट ने वारंट इश्यु कर दिया और केन्द्र से जब डायरैक्टर ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : सुप्रीम कोर्ट ने बेल एप्लीकेशन रिजैक्ट कर दी थी, वारंट इश्यू नहीं किया था। आप बीच में मत बोलेए।

(व्यवधान)

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (पूर्णिया) : जब सी॰बी॰आई॰ के डायरैक्टर श्री शर्मा ने यहां से गिरफ्तार करने के आदेश दिए, तो पटना में बैठे सी॰बी॰आई॰ के डी॰आई॰जी॰ श्री कौल ने गिरफ्तारी की प्रक्रिया शुरू कर दी। यह प्रक्रिया शुरू हो गई, तो उसने डी॰जी॰पी॰ से आग्रह किया कि गिरफ्तारी की प्रक्रिया में सहयोग करिए और जब चीफ सैकेंट्री से और वहां के कलैक्टर से और यह कि एस॰एस॰पी॰ से कहा कि गिरफ्तारी की प्रक्रिया में सहयोग दीजिए, तो इन लोगों ने केवल रिफ्यूज ही नहीं किया बल्कि कलैक्टर ने सी॰बी॰आई॰ के आफिसर को धमकी दी कि आप चुपचाप बैठे रहें, नहीं तो आपके ऊपर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद जब पटना की सी॰बी॰आई॰ के डी॰आई॰जी॰ ने नार्थ ईस्ट के अपने संबंधित अधिकारी यू॰एन॰ विश्वास से संपर्क किया, तो उन्होंने निर्देश दिया कि आप मानिटरिंग कोर्ट में जाइए। सी॰बी॰आई॰ के वकील जब मानिटरिंग कोर्ट में गए और जब उन्होंने कोर्ट को कहा और उन्होंने जब सारी स्थिति बताई और यह बताया कि हम हैल्पलैस हैं, हमें बिहार प्रशासन से कोई मदद नहीं मिल रही है, उल्टे हमें धमकी दी जा रही हैं कि आप चुप बैठिए, नहीं तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह सब सुनकर मानिटरिंग कोर्ट ने कहा कि ठीक है आप एक आवेदन पत्र दे दीजिए मैं मिलिट्री को आर्डर कर दूंगा। आवेदन पत्र दिया गया। उसके बाद हाइकोर्ट की मानिटरिंग कोर्ट ने सेना के लिए आदेश दिए।

उपाध्यक्ष महोदय, जब सेना के लिए आदेश निकल गया, तो केन्द्र से शर्मा जी का नोटिस उपेन्द्र विश्वास, डिप्टी डायरैक्टर, सी॰बी॰आई॰ के लिए जाता है कि आपने इस मामले में सेना को किस कारण से इंटरफीयर करने के लिए कहा और इतना ही नहीं, बल्कि श्री उपेन्द्र विश्वास का जो पत्र पेपर में आया है उससे पता लगता है कि उन्हें यहां तक कहा गया है कि आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। इस तरह से एक साल से जो मामला पूरे देश में चल रहा था, वह मामला इससे प्रभावित हो गया।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय, यहां जो कोल मंत्री हैं, जो कहती हैं कि हम विच हंटिंग को बढ़ावा नहीं देते हैं हम भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं देते हैं, लेकिन कोल इंडिया के प्लेन से लालू यादव के हाइकोर्ट के दो वकीलों को बिना मंत्री के यहां से पटना भेजा गया। इतना ही नहीं, न्यायाधीश के एक जज ने सुरक्षा की मांग की है। उन्होंने कहा है कि मेरी जान पर खतरा है। यह बात पटना के न्यायाधीश ने कही है। इतना ही नहीं, पटना में मात्र 200 व्यक्ति, पटना के 200 गुंडे पूरे पटना में न्यायालय से लेकर, लालू प्रसाद यादव को जहां रखा गया है, वहां तक फैले हुए हैं। इतना ही नहीं, देश के केन्द्रीय मंत्री श्री कल्पनाथ राय को जब जेल हुई, तो उनको तिहाड़ जेल में रखा गया। नरसिंहराव जी की सुनवाई विशेष अदालत में हुई, लेकिन लालू जी को जब जेल भेजा गया, तो विशेष व्यवस्था की गई और जेल में उनके लिए ए॰सी॰ की व्यवस्था की गई। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इस देश में एक व्यक्ति के लिए दो कानून लागू होंगे...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह से मानिटरिंग कोर्ट को बाधित किया जा रहा है उससे ऐसा लगता है कि यह मामला सिर्फ जांच का नहीं है बल्कि पूरे देश के लोकहित का है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप इस मामले में इंटरफीयर करें और कानून सबके लिए एक हो। किसी व्यक्ति के लिए विशेष कानून न बने और जो कानून बने वह सबके ऊपर एक समान रूप से लागू हो।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अब आप बैठे जाइये। कृपया बैठ जाइये।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना मामला खराब नहीं कीजिए। कृपया बैठ जाइये। कुछ सीमा तो होनी चाहिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री नीतीश कुमार

मैंने श्री नीतीश कुमार को बोलने के लिए कहा है। मैंने उन्हें बोलने की अनुमति दी है। आप कृपया बैठ जाइये।

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (पूर्णिया) : उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह से रात भर लालू को छोड़ दिया गया कि वे कल सरेंडर करेंगे...*(व्यवधान)* और यहां प्रधान मंत्री कहते हैं कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा...*(व्यवधान)* मुझे लगता है कि इस प्रकार से तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है और बिहार को कन्फ्यूजन में डालना चाहते हैं।...*(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, जो विषय श्री राजेश रंजन जी ने उठाया है, आज समाचार पत्रों में सब लोगों ने उसको पढ़ा है और उसके बाद जो कुछ भी सूचना मिली है, उसके मुताबिक,.. *(व्यवधान)*

श्री ब्रह्मनन्द मंडल (मुंगेर) : यह सिर्फ बिहार का सवाल नहीं है, यह केन्द्र सरकार का सवाल है, सी॰बी॰आई॰ का सवाल है, प्रधानमंत्री का सवाल है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : नीतीश जी के अलावा कोई बात रिकार्ड में नहीं जाएगी।

*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : एक ही समय में इतने सज्जन मत बोलिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें बोलने की अनुमति दी है।

(व्यवधान)

* कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

नीतीश कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, जितना लोगों ने कहना था, कह चुके हैं, अब जरा गौर से सुन लें कि जो मामला हम उठा रहे हैं वह बिहार का नहीं है।...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइये मैं हरेक को मौका दूंगा।

(*व्यवधान*)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइये।

(*व्यवधान*)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं प्रत्येक को अनुमति दूंगा।

(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : यह मैं संवैधानिक मामला उठा रहा हूं। हमारे फैलो मैम्बर्स को यह समझना चाहिए कि हम बिहार का सवाल नहीं उठा रहे हैं। जो सवाल उन्होंने उठाया है, इससे साफ पता चलता है कि स्टेट मशीनरी को टोटल ब्रेकाडाउन हो गया है। कोर्ट आर्डर के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जब इन्टरिम बेल ऐप्लिकेशन रिजैक्ट कर दी और जब नॉन-बेलेबल अरैस्ट वारंट को ऐग्जीक्यूट करने के लिए डायरैक्टर, सी॰बी॰आई॰ द्वारा वहां के सी॰बी॰आई॰ के अधिकारियों को डायरैक्शन दी गई तो सी॰बी॰आई॰ के अधिकारियों ने राज्य के अधिकारियों से सम्पर्क किया, मुख्य सचिव से सम्पर्क किया, डी॰जी॰पी॰ से सम्पर्क किया लेकिन किसी ने कोई सहयोग नहीं किया। कोर्ट के आर्डर को ऐग्जीक्यूट करने के लिए अगर स्टेट मशीनरी द्वारा सहयोग नहीं मिलेगा तो मैं केन्द्र सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या स्टेट मशीनरी के ब्रेक डाउन का कोई दूसरा उदाहरण हो सकता है। अगर यह स्टेट मशीनरी के ब्रेक डाउन का उदाहरण नहीं है तो उसका दूसरा कौन सा उदाहरण हो सकता है? यदि स्टेट मशीनरी के ब्रेक डाउन का उदाहरण है तो फिर केन्द्र सरकार क्या कर रही है?

दूसरा सवाल यह उत्पन्न होता है कि स्टेट मशीनरी असहयोग करती है, कोर्ट के आदेश की अवहेलना करती है, इसके बाद मौनीटरिंग कोर्ट, जैसा कि अ.खबारों में छपा है, उनके निर्देश पर जब सी॰बी॰आई॰ के लोग आर्मी से सम्पर्क करते हैं तो आर्मी के मामले को लेकर यह कहा जा रहा है। हम केन्द्र सरकार से जानना चाहते हैं, क्या आर्मी से सम्पर्क किया गया? आर्मी से सम्पर्क करना उचित है या अनुचित है। किन परिस्थितियों में आर्मी से सम्पर्क किया गया? जब कोर्ट के निर्देश के हिसाब से आर्मी से सम्पर्क किया गया, उस हालत में अब अगर, जो जांच के प्रभारी हैं, उन पर सो-कॉज नोटिस जारी हो रहा है और उनके खिलाफ, यह चर्चा है, हम जानना चाहते हैं कि क्या निलंबन की कार्यवाही हो रही है। क्या यह देश बरदाश्त करेगा कि जिस व्यक्ति ने जांच की, कोर्ट की मौनीटरिंग में जांच हो रही है, उसको पूरे सीन से हटाने के लिए परदे के पीछे साजिश हो रही है, इस आधार पर निलंबित करने के लिए? मैं इस पर केन्द्र सरकार से सफाई चाहता हूं।

तीसरी सफाई हम यह चाहते हैं कि किस कानून के तहत, किस रूल के तहत, कोल इंडिया का हवाई जहाज पटना से गैर-सरकारी व्यक्तियों को लेकर, जिनका कोल इंडिया से कोई मतलब नहीं है, जिनका केन्द्र सरकार से कोई मतलब नहीं है, आया। क्या वायुयान में कोई वकील जाएँगा, किसी ऐक्यूज्ड का वकील जाएगा? ये तमाम खबरें समाचार पत्रों में छपी हैं। इसके लिए बहुत बेचैनी है। हम आपके माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि केन्द्र सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट करे।

एक बात मैं चेतावनी के तौर पर कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री का बार-बार यह आश्वासन आया है, हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। उन्होंने सी॰बी॰आई॰ के कामों की जवाबदेही अपने ऊपर ली है। इसके बाद अगर इस ढंग की कोई बातचीत होती है तो जांच में साफ तौर पर दखल करके जांच करने वाले ईमानदार अधिकारियों को बहाना बनाकर दंडित किया जाएगा तो यह देश बरदाश्त नहीं करेगा। हम केन्द्र सरकार से जानना चाहते हैं, स्टेट मशीनरी का जो टोटल ब्रेक डाउन हो गया है, उसपर कब, कौन सा रूख अखितायार करेगी क्योंकि इससे बेहतर धारा 356 के इस्तेमाल का कोई दूसरा मौका नहीं हो सकता। हम आग्रह करेंगे कि धारा 356 का इस्तेमाल किया जाए और वहां की सरकार को बरखास्त किया जाए।

[अनुवाद]

श्री जसवन्त सिंह (चित्तौड़गढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सभा के माननीय सदस्यों की व्यग्रता से पूर्णतः सहमत हूं। हमने बिहार के बारे में बहुत कुछ सुना है। पिछले तीन चार दिनों से, संसद के इस सत्र के आरम्भ से जो प्रश्न उठाए गए हैं उनके केन्द्र में वस्तुतः बिहार है। लेकिन मैं उस विषय पर नहीं बोल रहा हूं।

मैं जो कुछ कहने जा रहा हूं, उसका सम्बनध इस सभा में श्री नीतीश कुमार और श्री राजेश रंजन के अभी-अभी के उल्लेख से है। मैं माननीय गृहमंत्री द्वारा जताई गई चिन्ता से बिल्कुल सहमत हूं कि स्वतंत्रता के पचासवें वर्षगांठ के अवसर पर, किसी भी राज्य के शीर्षस्थ पदाधिकारी अर्थात् मुख्यमंत्री को, भले ही उस सर्वोच्च पद पर कोई भी आसीन हो, राज्य के प्राधिकारियों के द्वारा न्यायालय में गिरफ्तार किया जाना कोई साधारण घटना नहीं है। यह एक ऐसी घटना है जिस पर हमें अवश्य प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए। यह मेरा पहला मुद्दा है लेकिन पहले ही इस पर कहा जा चुका है।

सेना की सहायता लेने हेतु अनुरोध करने के बारे में जो कुछ कहा गया है वह दिए गए सभी वक्तव्यों में सबसे ज्यादा खतरनाक है। मैं नहीं जानता कि क्या यह सही है। मैं नहीं जानता कि किस आधार पर यह कहा गया है। श्री नीतीश कुमार वरिष्ठतम सदस्यों में से एक हैं और वह इस सभा के अत्यन्त विश्वसनीय सदस्य हैं। उन्होंने कहा है कि यह अनुरोध किया गया था।...(*व्यवधान*)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : किसके द्वारा?...(*व्यवधान*)

श्री जसवन्त सिंह : मैं ब्यौरा जानना चाहता हूं। मैं नहीं जानता कि यह अनुरोध किसने किया। मैं नहीं जानता कि हम एक के बाद एक गल्ती का, एक के बाद एक अपराध का अनुमोदन कैसे करेंगे। अब हम सेनाओं को वह भूमिका निभाने के लिए बुला रहे हैं, जो न तो उनके अनुकूल है और न ही उसके लिए वे पूर्णतः सुसज्जित या प्रशिक्षित या उत्तरदायी है। क्या केन्द्र सरकार इसके बारे में कुछ जानती है? क्या केन्द्र सरकार के लिए यह आवश्यक नहीं है? श्री नीतीश कुमार ने कुछ कहा है। निश्चित रूप से यह बात समाचारपत्रों में प्रकाशित हुई है। उन्होंने मुझे सूचित किया है कि यह बात कुछ समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई है। यदि ऐसा हुआ है, तो यह अत्यन्त चिन्ताजनक है। हम केवल यही नहीं जानना चाहते कि क्या हुआ है ...(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री गिरधारी यादव (बांका) : अखबारों से हाउस चलेगा क्या?

श्री जसवन्त सिंह : जी, मैंने सुना नहीं।

श्री गिरधारी यादव : आप लोग अखबारों में छपने से ही बात जानिएगा क्या?

श्री जसवन्त सिंह : नहीं, मैं तो चिन्ता व्यक्त कर रहा हूं।

श्री गिरधारी यादव : इस देश में कितने लोग हैं, जिनपर दो घंटे का वारंट है? सुप्रीम कोर्ट में अपील की है, खुद को सरेण्डर कर दिया, अब बोलने की क्या आवश्यकता है। माननीय जसवन्त सिंह जी जैसे सीनियर लोग यह बात कर रहे हैं, जिनको कानून की पूरी जानकारी है।

उपाध्यक्ष महोदय : उनको बोलने दीजिए।

(*व्यवधान*)

उपाध्यक्ष महोदय : आप इनको कन्फ्यूज मत कीजिए, इनको बोलने दीजिए।

[अनुवाद]

आप अपने ही सदस्य की बात में क्यों व्यवधान डाल रहे हैं?

[हिन्दी]

श्री जसवन्त सिंह : जो बात मैं कह रहा हूं, माननीय सदस्य उसको पूरी तरह समझे नहीं। मैं सुप्रीम कोर्ट या उसके किसी मसले पर नहीं...(*व्यवधान*) नहीं, मैंने कोई सुप्रीम कोर्ट या किसी का उल्लेख नहीं किया। आप जानते हैं, अपने आपमें यह बहुत गम्भीर मसला होता है कि फौज को बुलाया जाये और...(*व्यवधान*) नहीं, यह नीतीश जी बोल रहे हैं तो आप सफाई दे दीजिए। केन्द्र सरकार सफाई दे दे, क्योंकि यह अपने आपमें, मेरी मान्यता है कि गम्भीर मसला है।...(*व्यवधान*)

श्री नीतीश कुमार : स्टेट की मशीनरी ने सहयोग करने से इंकार कर दिया।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं नहीं जानता कि सेना को कौन बुला सकता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि...(*व्यवधान*)

श्री जसवन्त सिंह : सरकार को इससे इन्कार करना चाहिए। यह समाचार अत्यधिक व्याकुल करने वाला है। सरकार को खड़े होकर स्पष्ट रूप से यह कहना चाहिए, "ऐसी कोई घटना नहीं घटी।"

[हिन्दी]

बात खत्म हो जाएगी। सरकार खड़ी होकर कह दे कि ऐसा कुछ नहीं हुआ और फौज नहीं बुलाई गई है। अगर बुलाई गई है तो मैं समझता हूं कि यह बुरी बात होगी और सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चन्द्रशेखर इसी मुद्दे पर बोलना चाहते हैं।

(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री चन्द्रशेखर : सभापति जी, जसवन्त सिंह जी ने जो कहा है, उसके इस भाग से...(*व्यवधान*)

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : उपाध्यक्ष जी, यह ढांचा टूटने का सवाल है।...(*व्यवधान*)

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये। मैंने अभी आपका नाम नहीं लिया।

(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। मैंने उनको बोलने की अनुमति दी है।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रशेखर : उनकी बात से मैं सहमत हूं कि फौज को बुलाने की अगर घटना हुई तो इससे भयंकर बात कोई नहीं हो सकती। फौज को बुलाने का अधिकार या तो राज्य सरकार को है या गवर्नर को है। जज लोग और वे भी कोई ट्रायल कोर्ट के जज अगर फौज को बुलाने के लिए तैयार हो गये और ऐसा सुझाव उन्होंने सी॰बी॰आई॰ को दिया तो नीतीश जी से मैं कहूंगा कि इसके खतरनाक परिणामों को हमें और आपको सोचना चाहिए।

यह भी कहना कि राज्य सरकार सहयोग नहीं कर रही थी, इसमें सच्चाई नहीं जान पड़ती। अगर राज्य सरकार सहयोग नहीं करती तो लालू प्रसाद यादव आज जेल में नहीं होते।...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया सबसे वरिष्ठ सदस्य को बोलने की अनुमति दीजिए।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रशेखर : आप जोर से बोलेंगे तो मैं बैठ नहीं जाऊंगा। सभापति जी, सदस्यों से कहिए कि मैंने बहुत जोर से आवाजें सुनी है, उससे मैं नहीं बैठने वाला। मैं कल की बात कर रहा हूं, मैं पूरे सहयोग की बात नहीं कर रहा हूं। जब परसों लालू यादव ने कहा था कि मैं आत्मसमर्पण कर रहा हूं तो साफ था कि वह जेल जाने वाले हैं या कचहरी जाने वाले हैं। उस समय अति उत्साह में होकर कुछ लोग पहले पकड़ना चाहते थे, तो उनको न बिहार के बारे में चिंता है और न देश के बारे में कोई चिंता है। अगर थोड़ी देर बाद लालू यादव जेल जाते तो कोई दुनिया उलट नहीं जाती। मैं मानता हूं कि कुछ लोगों के मन में व्यक्तिगत विग्रह और विद्रोह की भावना पनपी हुई है। उनको और कोई खतरा दिखाई नहीं पड़ता। मैं असली सवाल पर आता हूं कि किस मजिस्ट्रेट ने फौज बुलाने की सलाह सी॰बी॰आई॰ को कैसे दी? अगर सी॰बी॰आई॰ ने दी तो सी॰बी॰आई॰ का कौन अधिकारी था? उसके खिलाफ जांच होनी चाहिए। जिस मजिस्ट्रेट ने फौज बुलाने की बात कही उसके कंडक्ट के बारे में भी जांच होनी चाहिए।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, हम स्पष्ट रूप से कहते रहे हैं और मेरा मानना है कि पूरी सभा ने यही कहा है कि भ्रष्टाचार या अपराधों के सभी मामलों की पूरी तरह से जांच की जानी चाहिए। कोई भी व्यक्ति चाहे वह हमारे राष्ट्रीय जीवन में अथवा संवैधानिक रूप से बहुत ऊंचे पद पर क्यों हो वह कानून से ऊपर नहीं है, और न ही कोई कानून से ऊपर होना चाहिए। हम ऐसा कहते रहे हैं। पिछली चर्चा में भी हमने ऐसा कहा। मेरा विचार है कि किसी भी व्यक्ति ने, ऐसा नहीं कहा कि 'आप ऐसे व्यक्तियों को दोषमुक्त कर दें।' परन्तु एक मामले में आपराधिक जांच का दुर्भाग्य से इतना राजनीतिकरण कर दिया गया है कि आज हम फौज बुलाने के लिए उनकी प्रशंसा कर रहे हैं।

श्री जसवन्त सिंह : वह व्यक्ति कौन है?

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैंने आपके नाम का उल्लेख नहीं किया है। कुछ व्यक्ति ऐसा कर रहे हैं। इसलिए हमें सब **लक्ष्मण रेखाएं** समाप्त नहीं करनी चाहिए। आज कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधानमण्डल के अधिकार क्षेत्रों का अतिक्रमण हो रहा है।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : स्टेट मशीनरी ने कापरेट नहीं किया, उस पर भी कुछ कहें। यह नौबत आई, यह सवाल उठाया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : नीतीश जी, मैंने उनको अलाऊ किया है।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : बिहार के मुद्दे का जिसकी हम भर्त्सना करते रहे हैं, उपयोग इस देश का संवैधानिक संतुलन बिगाड़ने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। अब प्रत्येक मुद्दे पर सभा में अनुच्छेद 356 लागू किए जाने की मांग की जाने लगी है जैसे कि इस मामले पर यहीं निर्णय लिया जाना है। प्रत्येक मुद्दे पर, प्रतिदिन हम सदस्यों को यहां तक कि एक मंत्री जैसे जिम्मेदार सदस्य को अनुच्छेद 356 लागू करने की मांग करते हुए देखते हैं। यदि कोई सदस्य, केवल इसलिए कि कुछ हुआ है, राष्ट्रपति शासन की मांग करेगा तो इस देश में क्या होगा।

महोदय, हमें अपनी सेना पर गर्व है। भारत के नागरिक के रूप में मुझे अपनी सेना पर गर्व है। उन्होंने बहुत ही सराहनीय भूमिका निभाई है। वे हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। उन्हें राजनीति के किसी भी अथवा प्रत्येक मामले से सम्बद्ध नहीं करना चाहिए। सेना ने, प्राकृतिक आपदाओं के दौरान हमारी रक्षा करने के अतिरिक्त, भी हमारी सराहनीय सेवा की है। मैं आपसे यह अपील कर रहा हूं कि बिहार में जो कुछ भी घटित हो रहा है, हमें उसकी गंभीरता को कम नहीं करना चाहिए। परन्तु इस सभा को प्रतिदिन दूसरी बिहार विधानसभा का रूप भी नहीं दिया जाना चाहिए। मेरा यही आग्रह है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : कंफ्यूजन पैदा किया जा रहा है। यह डिरेलमेंट है। सीनियर लीडर्स का हम आदर करते हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया पहले मुझे बोलने दीजिए। कृपया आप बैठ जाइये।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे अपनी बात कहने दीजिए। कृपया आप बैठ जाइये।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आप एक मिनट सुन लें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : भगवान के लिए कृपया शांत रहिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अगले आईटम पर जाने से पहले मैं दो बातें कहना चाहूंगा। एक तो यह कि बिहार में फौज बुलाने की बात हुई भी है या नहीं हुई है। किसके कहने पर हुई है। दूसरे, कोल इंडिया के जहाज पर कोई गया भी है या नहीं गया है। इसके बारे में मैं चाहूंगा कि सरकार आज या कल स्टेटमेंट दें।

(व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार : देखिए, डिरेलमेंट हो रहा है।...*(व्यवधान)* यह अन्याय होगा।...*(व्यवधान)* सीनियर लीडर्स का हम आदर करते हैं लेकिन इस विषय का सोमनाथ जी ने सुपर डिरेलमेंट किया है। हम यह बात कहना चाहते हैं।...*(व्यवधान)* हम कहना चाहते हैं कि डिरेलमेंट हुआ है।...*(व्यवधान)* जो स्टेट मशीनरी ने कोऑपरेट नहीं किया...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यह मुद्दा अब समाप्त हो गया है। मैंने सरकार को पहले ही निदेश दे दिया है। कृपया आप अपनी सीट पर बैठिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री यादव, आपने अपनी बात कह दी है। कृपया आप अपनी सीट पर बैठिए।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : पीठासीन अधिकारी अनेक अवसरों पर अपने विचार और इच्छा व्यक्त कर देते हैं, परन्तु मैं नहीं समझता कि समान्यतः निदेश दिया जाता है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपनी सीट पर बैठिए। मुझे कुछ सुनने दीजिए।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : आपने अपनी इच्छा व्यक्त की कि सरकार को वक्तव्य देना चाहिए।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : मेरा आपसे आग्रह है कि कोई भी डायरेक्शन के बाद भी जो सैन्ट्रल एजेंसी को फंक्शन करने में स्टेट मशीनरी ने कोआपरेट नहीं किया...*(व्यवधान)* डिफाइ किया। यह स्टेट मशीनरी का नॉन–कोआपरेशन है और यह सब कुछ पी॰एम॰ के इशारे पर हुआ है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब मुद्दा समाप्त हो गया है। मैंने श्री दास मुंशी को बोलने के लिए कहा है।

(व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार : महोदय, कृपया मुझे बोलने की अनुमति दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो, कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : बिहार के अलावा और भी इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं। आप कृपया बैठ जाइये

*(व्यवधान)**

* कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपनी सीट पर बैठिए।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री चन्द्रशेखर : उपाध्यक्ष महोदय, इन लोगों की मांग सही है। ...*(व्यवधान)* नीतीश कुमार और लालमुनी चौबे की बात अपनी जगह पर सही और उचित लगती है, जब सरकार और बातों को बताए, तो यह भी बताए कि बिहार राज्य सरकार ने इस काम में सहयोग किया है या नहीं। इसमें इतना शोर करने की जरूरत क्या है।. ..*(व्यवधान)* प्रधान मंत्री जी से बातचीत के बारे में मुझे मालूम नहीं है।...*(व्यवधान)*

एक माननीय सदस्य : अखबारों में आया है।...*(व्यवधान)*

श्री चन्द्रशेखर : लेकिन इस सरकार ने...*(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार : आप से वह बात नहीं करेंगे। एक्युज्ड से बात करने के लिए उनके पास फुरसत है।...*(व्यवधान)*

श्री चन्द्रशेखर : प्रधान मंत्री जी मुझ से बात करें या न करें, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। जो लोग नहीं करना चाहते हैं, वे कह रहे हैं ...*(व्यवधान)* इनकी बात सही लगती है। जो सवाल उठा रहे हैं कि बिहार सरकार ने उसमें सहयोग किया है या नहीं किया है, इस बारे में सरकार जानकारी दें। इसमें इतना शोर करने की क्या बात है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है।

(व्यवधान)

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : लालू जी ने एलान किया है...*(व्यवधान)* जेल भरो...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.43 बजे

संसद सदस्यों की कथित निगरानी के बारे में

[अनुवाद]

श्री पी॰आर॰ दासमुंशी (हावड़ा) : महोदय, मुझे बोलने के लिए समय देने के लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं श्री चन्द्रशेखर के सार्थक हस्तक्षेप के लिए भी आभारी हूं।

मैं आपका ध्यान एक अत्यन्त गंभीर मामले की ओर दिलाना चाहता हूं। उसका सम्बन्ध सभा के सभी सदस्यों से है। एक अत्यन्त गंभीर रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि आसूचना ब्यूरो के लोग संसद भवन परिसर के भीतर संसद सदस्यों की निगरानी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री, सभी मंत्री तथा संसद के कुछ महत्वपूर्ण सदस्यों को सुरक्षा के साथ संसद

* कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

भवन परिसर में आने का अधिकार प्राप्त है, और हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु यदि आसूचना ब्यूरो के अधिकारी संसद सदस्यों की गतिविधियों पर निगरानी रख रहे हैं तो यह सभा की प्रतिष्ठा तथा सदस्यों के विशेषाधिकारी का विषय है। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे दल के मुख्य सचेतक यहां उपस्थिति हैं—सात दिन पूर्व हमारे स्टाफ के एक सदस्य ने कार्यालय में मुझे बताया कि ब्यूरो का एक अधिकारी हमारी पार्टी कार्यालय में आ रहा है तथा मैं उसको पकड़ लूं। जिस क्षण मैं वहां पहुंचा, वह वहां से भाग गया। मैंने यह बात अपने दल के मुख्य सचेतक को बताई...(*व्यवधान*) जी हां, वह संसद भवन में हमारे पार्टी कार्यालय में आया। महोदय, मैं आपको बताता हूं कि आज प्रकाशित हुई रिपोर्ट में यदि ज़रा सी भी सच्चाई है, तो सरकार को पूरी जिम्मेवारी से इस बात को स्वीकार करते हुए अथवा इसका खण्डन करते हुए एक वक्तव्य देना चाहिए। यदि वे इसे स्वीकार करते हैं तो उन्हें इस बात का कारण बताना चाहिए कि गुप्तचर अधिकारी संसद भवन परिसर के भीतर क्या कार्य कर रहे हैं। यदि वे इसका खण्डन करते हैं तो हमें उस पर कोई आपत्ति नहीं। परन्तु तथ्य यह है कि इससे सभी सदस्यों, चाहे वे किसी भी पार्टी के हों, के लिए शर्मनाक स्थिति पैदा हो गई है। हम केन्द्रीय कक्ष में किसी भी सांसद सदस्य से मिल सकते हैं, हम लायब्रेरी भी जा सकते हैं और कैंटीन भी जा सकते हैं। हम लोगों के साथ विभिन्न मुद्दों पर बातचीत कर सकते हैं। आसूचना ब्यूरो को संसद भवन परिसर में हमारे ऊपर निगरानी रखने का कोई अधिकार नहीं है।...(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री लालमुनी चौबे (बक्सर) : महोदय, देश में केवल एमपीज़ अपराधी हैं...(*व्यवधान*) सरकार को केवल दो अपराधी दिखाई देते हैं, बाकी देश में और कोई अपराधी नही है...(*व्यवधान*) यह सरकार का काम है।...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

श्री जसवन्त सिंह (चित्तौड़गढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री दासमुंशी की चिन्ता से सहमत हूं। हमने अपने संसदीय दल की कार्यकारिणी में इस मुद्दे पर चर्चा की है। आसूचना ब्यूरो द्वारा हमारे ऊपर भी हमारे कार्यालय के बाहर प्रतिदिन निगरानी की जाती है।

महोदय, गिरावट आनी उस समय शुरू हुई और 1984 की उस गिरावट में संसद भवन परिसर के भीतर पूरी सुरक्षा हेतु पीठासीन अधिकारी के अधिकार और उत्तरदायित्व को कम करने की अनुमति दी। जिस दिन हमने बाहरी एजेंसियों—मुझे आशा है श्री चन्द्रशेखर मुझे माफ करेंगे—विशेष सुरक्षा बल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल जैसे तत्वों को संसद में सुरक्षा प्रदान करने के लिए कहा, जिसकी जिम्मेवारी पीठासीन अधिकारी की है, तभी से पीठासीन अधिकारी की जिम्मेवारी कम हो गई तथा उसके बाद से आसूचना ब्यूरो और अन्य ऐसी एजेंसियों की उपस्थिति अनिवार्यता बन गई। उनकी उपस्थिति आज या कल से नहीं है, बल्कि यह उपस्थिति तो वर्ष 1984 से है। हम यह बात बार-बार अध्यक्ष महोदय के ध्यान में लाए हैं कि इससे संसद, जिसे सैद्धान्तिक रूप से हम सर्वश्रेष्ठ मानते हैं तथा जिसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी पीठासीन अधिकारी पर है, के अधिकार का हनन होता है। हम सभी ने इसे स्वीकार कर लिया। जिस दिन से हमने संसद के परम अधिकारों में कमी को स्वीकारा, उसी दिन से आसूचना ब्यूरो की अपरिहार्यता स्पष्ट होने लगी। हमें विशेष सुरक्षा गार्ड और सभी प्रकार के हथियारबंद व्यक्तियों का संसद परिसर में घूमना स्वीकार है।

मैंने कई बार इस बात का उल्लेख किया है कि ये लोग हर समय अपनी उंगलियां ट्रिगर पर रखते हैं। इस समय वर्षाकाल है। परन्तु ग्रीष्मकाल की गर्मी में ये ऊंघते रहते हैं। मैंने कई बार यह आशंका व्यक्त की है कि ये किसी भी समय एक दूसरे से लड़ सकते हैं? किसी भी समय कोई भी गल्ती से ट्रिगर दबा सकता है।

महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है। यह मात्र संसद सदस्यों की निगरानी और निरीक्षण का मामला नहीं है। आपको भाजपा पर अपनी निगरानी करने की पूरी छूट है। हमारा दल एक खुली पुस्तक है। आसूचना ब्यूरो का एक आदमी हमारे संसदीय कार्यालय के सामने बैठा है। विरोध का मुद्दा क्या है? हम अपना विरोध किससे जताएं? इस सरकार से? अध्यक्षपीठ द्वारा इस मुद्दे को गंभीरता से लेना चाहिए क्योंकि हम जिसे संसद की संप्रभुता कहते हैं उसका हमने पूर्णतः उल्लंघन किया है। इसके लिए हम ही उत्तरदायी हैं...(*व्यवधान*)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, मैं श्री जसवंत सिंह से सहमत हूं कि इस भवन तथा सदस्यों की सुरक्षा का मामला अध्यक्षपीठ से सम्बन्धित है। हमने अनेक अवसरों पर इस मुद्दे पर चर्चा की है तथा बैठकें भी आयोजित की गई है। हमें बताया गया कि संसद भवन को भी यदि भारी खतरे की आशंका है और इसीलिए हमने इस मुद्दे को अनके अवसरों पर अध्यक्ष महोदय के लिए छोड़ दिया था। आप अपने विवेक से निर्णय लें, क्योंकि हम लोगों को तो खतरे के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी भी नहीं दी गई है। कई बार हम लोगों को बुलाकर कहा गया कि खतरे के कारण गंभीर स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए हम लोगों को यह मुद्दा अध्यक्ष महोदय के लिए छोड़ना पड़ा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि संसद सदस्यों पर निगरानी रखी जाए। इस भवन की सुरक्षा अथवा संसद सदस्यों की आतंकवाद अथवा किसी व्यक्ति अथवा वैसी किसी स्थिति से सुरक्षा का यह मतलब नहीं कि संसद सदस्यों पर ही निगरानी रखी जाए। यह आपत्तिजनक है। यदि ऐसी कोई बात है तो उस पर रोक लगनी चाहिए और सरकार को इस संबंध में वक्तव्य देना चाहिए।...(*व्यवधान*)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सिर्फ यही कहूंगा कि यह एक गंभीर मामला है और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए।

(*व्यवधान*)

उपाध्यक्ष महोदय : आप नाराज क्यों हैं? मैंने श्री आजमी को बोलने की अनुमति दी है। कृपया बैठ जाइये।

(*व्यवधान*)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री महोदय को बोलने दें।

(*व्यवधान*)

श्री ए॰ सम्पत (चिरायिंकिल) : महोदय यहां, अनेक कैमरे लगे हैं।...(*व्यवधान*)

उपाध्यक्ष महोदय : आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते? माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं।

(*व्यवधान*)

श्री मधुकर सरपोतदार (मुंबई उत्तर पश्चिम) : महोदय, मुझे सिर्फ एक बात कहनी है। यह समाचार 'इण्डियन एक्सप्रेस' के प्रथम पृष्ठ पर छपा था कि सभी संसद सदस्यों की निगरानी रखी जा रही है और यह निगरानी आसूचना ब्यूरो द्वारा की जा रही है। यह संसद सदस्यों के लिए घोर अपमान की खबर है...(*व्यवधान*) यह समाचार प्रथम पृष्ठ पर छपा है। किसने यह समाचार दिया है? क्या यह सत्य है? अगर ऐसा हो रहा है तो उसपर तत्काल रोक लगनी चाहिए और इस मामले में अध्यक्ष महोदय को एहतीयात बरतनी चाहिए। इस संबंध में पूरी सभा को विश्वास में लिया जाना चाहिए। संसद भवन में गुप्त निगरानी न की जाए इसे सुनिश्चित किया जाना चाहिए। ...(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : पहले यह तो खत्म हो जाए।

श्री इलियास आजमी (शाहबाद) : उपाध्यक्ष जी, प्रियरंजन दास मुंशी ने जो मुद्दा उठाया है वह बहुत महत्वपूर्ण हैं। यह पूरे संसद की गरिमा और मर्यादा का सवाल है। यह सवाल ऐसा नहीं है जिसे सरसरी तौर से टाला जाए।

वैद्य दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : इनके बोलने की क्या आवश्यकता है?

श्री इलियास आजमी : उपाध्यक्ष जी, संसदीय परिसर में एक ज्वाइंट सैक्रेट्री रैंक का ऑफिसर सुरक्षा के लिए बैठा है। इसलिए यहां सी॰आर॰पी॰, एस॰पी॰जी॰ या आई॰जी॰ का कोई काम नहीं है।...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप क्रोधित क्यों होते हैं?

[हिन्दी]

श्री इलियास आजमी : सरकार को चाहिये कि पार्लियामेंट की सुरक्षा से अलग चाहे कोई भी सुरक्षा एजेंसी हो, चाहे एस॰पी॰जी॰ हो, आई॰जी॰ हो, सी॰आर॰पी॰ हो, आज से ही उसको हटा दिया जाए।

[अनुवाद]

श्री तरित वरण तोपदार (बैरकपुर) : महोदय, केरल उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में मझे यह लगता है कि लोगों के तथा राजनीतिक दलों के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है।...(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : इसके अलावा और भी इश्यू हैं। मैं दूसरे इश्यू को लेता हूं आप फिर पहले वाले इश्यू पर आ जाते हैं।

[अनुवाद]

श्री तरित वरण तोपदार : मजदूर संघों तथा अन्य संगठनों, विशेषकर कृषकों द्वारा अपनी मांगों के लिए आंदोलन चलाये जाते हैं। अनेक कानूनों के बावजूद पश्चिम बंगाल में भूमि सुधार तब तक नहीं हो पाया जब तक वहां के कृषकों ने अपनी मांगों के लिए आंदोलन नहीं किया। बाद में, सरकार ने इसे कानूनी मान्यता दे दी। इसीलिए मैं पूरी सभा से अनुरोध करता हूं कि वह इस विषय पर चर्चा करे और निर्णय ले, क्योंकि कि हमारी स्वतंत्रता की पचासवीं वर्षगांठ के वर्ष में हम पाते हैं कि न्यायपालिका, कार्यपालिका तथा विधायिका के अधिकारों तथा विशेषाधिकारों में असंतुलन है। मैं बिहार का एक उदाहरण देता हूं जहां किसी न्यायाधीश ने एक ऐसे मामले में फौज की मदद लेने संबंधी आदेश दिए जो उनके अधिकार से बाहर हैं। मुझे आशंका है कि किसी दिन कोई उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय अपने आप ही यह निर्णय सुना देगा कि हम सभी को शाकाहारी होना चाहिए। इसीलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि संसद में इस मुद्दे पर विशेष चर्चा हो ताकि हम लोग इस संबंध में कोई निर्णय ले सकें। विशेषकर, मैं यह चाहता हूं कि सरकार उच्चतम न्यायालय के इस आदेश के विरुद्ध एक विशेष अनुमति याचिका दायर करे।

प्रो॰ पी॰जे॰ कुरियन (मवेलीकारा) : केरल उच्च न्यायालय का आदेश बंद के विरूद्ध है, जो दरअसल नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन करता है। बंद के दौरान कई घटनाएं हुई। बंद के कारण परिवहन की सुविधाएं बाधित हुई तथा इसमें शामिल संगठनों ने बीमार लोगों को अस्पताल पहुंचने से रोका और इस कारण कई मौतें हुई।

महोदय, बंद का आयोजन करने वाले लोगों ने इस देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का पूर्ण रूपेण हनन किया है। बंद चाहे जिसके द्वारा आयोजित किया जाए, इससे लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन होता है। केरल उच्च न्यायालय ने इसी पहलू को ध्यान में रखते हुए अपना निर्णय दिया है। लोग बंद के विरुद्ध हैं।...(*व्यवधान*) क्या आप इस मामले में जनमत-संग्रह कराने को तैयार हैं? आप चाहे जो कुछ भी करें। केरल में सभी लोग बंद के विरुद्ध हैं। इसलिए केरल उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध यहां सभा में कोई चर्चा नहीं हो सकती। उच्च न्यायालय ने अपने विवेक से निर्णय दिया है। यह सभा का दायित्व है कि वह न्यायालय के निर्णय का सम्मान करे। मैं बस यही कहना चाहता हूं...(*व्यवधान*)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

(*व्यवधान*)

प्रो॰ पी॰जे॰ कुरियन : क्या आप जानते हैं कि बंद के दौरान कितने लोगों की मृत्यु हुई? उन्होंने कई लोगों की जानें लीं...(*व्यवधान*)

श्री रमेश चेन्नितला (कोट्टायम) : उपाध्यक्ष महोदय, हाल ही में केरल उच्च न्यायालय द्वारा वहां बंद पर प्रतिबंध लगाने संबंधी दिया

गया निर्णय स्वागत योग्य है। हम सामूहिक सौदेबाजी के विरूद्ध नहीं है और हम आंदोलन के विरूद्ध भी नहीं हैं। यदि लोगों के हितों के विरूद्ध कुछ होता है तो आंदोलन होना चाहिए और इसके लिए सामूहिक सोदेबाजी तथा शांतिपूर्ण आंदोलन होना चाहिए। लेकिन केरल में हर रोज बंद का आगोजन होता है। यदि कोई प्रैस में यह सूचना देता है कि कल बंद रहेगा तो वहां सभी दुकानें बंद हो जाती हैं तथा अस्पताल, समाचारपत्र इत्यादि जैसी आवश्यक सेवाएं बाधित होती हैं। आम लोगों पर ऐसे बंद का काफी असर पड़ता है। वहां कारोबार ठप्प हो जाता है तथा लोगों का सामान्य जीवन बिल्कुल अस्त-व्यस्त हो जाता है। इसमें रोचक बात यह है कि किसी भी उत्तरदायी राजनीतिक दलों द्वारा ऐसे बंद का आह्वान नहीं किया जाता है। यदि भा॰ज॰पा॰ अथवा कांग्रेस अथवा सी॰पी॰आई॰ (एम॰) बंद का आह्वान करती तो बात समझ में आती है। लेकिन कोई भी उत्तरदायी राजनीतिक दल ऐसे बंद का आह्वान नहीं करता है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि केरल में प्रत्येक दिन बंद होता है। हम केरल में ऐसी गतिविधियों को स्वीकार नहीं कर सकते। अतः मैं प्रो॰ पी॰जे॰ कुरियन द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से पूर्णतः सहमत हूं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं दूसरे विषय पर आ रहा हूं। श्री प्रमोद महाजन।

श्री सोमनाथ चटर्जी : उपाध्यक्ष महोदय, श्री महाजन के बोलने के पहले मैं इस विषय पर कुछ बोलना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया मुझे उनकी बात सुनने दें।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, इस विषय पर शून्य काल के दौरान इस तरह चर्चा नहीं हो सकती। यह इस देश के लोगों से सम्बद्ध एक अति गंभीर मामला है। इस पर काफी चर्चा हो चुकी है और अब हम इस पर आगे कोई सुनवाई नहीं करेंगे। यह मजदूर वर्ग तथा देश की आम जनता के मौलिक अधिकार का मुद्दा है जो बंद का आह्वान करने के जरिए अपनी शिकायतें जाहिर करते हैं। उच्चतम न्यायालय ने माना है कि प्रदर्शन करना मौलिक अधिकार है। अब प्रश्न यह हो सकता है कि बंद का आयोजन कैसा हो? हम यह नहीं कहते कि इसका आयोजन हिंसा के द्वारा तो अथवा इसमें जोरजबर्दस्ती हो। हम विरोध जताने के इस स्वीकार्य तरीके को नहीं छोड़ेंगे।

महोदय, देश के सुचारू विकास के लिए यह आवश्यक है कि सरकार अथवा न्यायपालिका लोगों के, उनके शिकायत की अभिव्यक्ति के स्वीकार्य तरीके पर प्रतिबंध न लगाए। आज लोकहित याचिकाओं का आधार क्या है? यह समाज के उन तबकों के लिए है जो अपने शिकायतों के निवारण हेतु न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। इसलिए न्यायालयों ने इन जन-हित याचिकाओं को अनुमति देने हेतु वैध स्थिति वाला तरीका निकाला है ताकि एक ऐसे मंच का निर्माण हो सके जहां से समाज के प्रभावित तथा पीड़ित जनता अपनी शिकायतों को उठा सके।

अपराह्न 1.00 बजे

अंधा बनाये जाने के मुद्दे पर, बाल श्रम के मुद्दे, महिलाओं तथा हरिजनों पर अत्याचार के मुद्दों के संबंध में अनेक कार्यवाहियां हो रही हैं। आज, यदि इस देश की जनता *बंद* अथवा *हड़ताल* का आयोजन करती हैं तो इसमें शामिल होने अथवा न होने का निर्णय लोगों के हाथों में ही है...*(व्यवधान)* मैं कतिपय माननीय सदस्यों की उस बात को समझ सकता हूं जिसमें उन्होंने राजनीतिक दलों अथवा मजदूर संघों को महत्वपूर्ण मुद्दों पर बंद का आह्वान करें अथवा नहीं—इस बारे में गंभीरता से विचार करने तथा इस संबंध में निर्णय लेने का सुझाव दिया है। इस प्रकार के बंद तथा हड़ताल का आयोजन करना लोगों पर निर्भर करता है। कृपया हम इस देश को आपातकाल के अंधेरे युग में पुनः न धकेलें। हमने देखा है कि लोगों ने अपनी जानें कैसे गवाई। प्रो॰ पी॰जे॰ कुरियन, आपने तब क्या किया था? क्या आपमें आगे आकर अपने नेताओं से आपातकाल को वापस लेने का सुझाव देने की हिम्मत थी? क्या आपने यह किया? हिम्मत के अभाव में आपने उनके सामने घुटने टेक दिये। हम फिर उस अंधेरे युग में, उपनिवेशवाद के युग में नहीं जाना चाहते। इस देश की जनता इसे कभी नहीं स्वीकार करेगी। कृपया इस प्रकार भड़काने वाली स्थिति पैदा न करें। हमने स्वाधीनता प्राप्त कर ली है लेकिन इस देश की बहुत बड़ी जनता स्वाधीनता का वास्तविक अर्थ नहीं जानती। क्या उनकी रोजी, रोटी और मकान की समस्या का समाधान हो गया है? क्या उन्हें कोई सुरक्षा प्राप्त है?...*(व्यवधान)* हम उनके लिए संघर्ष करते रहेंगे?

उपाध्यक्ष महोदय : धन्यवाद, अब श्री प्रमोद महाजन बोलेंगे।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह ठीक नहीं है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात भी सुनिये। कार्य मंत्रणा समिति ने यह निर्णय किया है कि आज भोजनावकाश नहीं होगा। पहले सदन इस बारे में निर्णय करे। मैं जानना चाहता हूं कि आप भोजनावकाश चाहते हैं अथवा नहीं।

कुछ माननीय सदस्य : हम भोजनावकाश चाहते हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : हम इस विषय पर 10 अथवा 15 मिनट तक और चर्चा करें।

उपाध्यक्ष महोदय : हां, अब कोई भोजनावकाश नहीं होगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अब बैठ जाइए। यह मुद्दा अब समाप्त हो गया है। अब मैं दूसरे माननीय सदस्य श्री प्रमोद महाजन को बोलने का मौका देता हूं।

*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : श्री प्रमोद महाजन की बातों के अलावा अन्य कोई बात कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं की जाएगी। कृपया बैठ जाइए।

---

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री प्रमोद महाजन (मुम्बई–उत्तर पूर्व) : उपाध्यक्ष महोदय, इंडिया गेट की छतरी पर महात्मा गांधी की प्रतिमा लगे या न लगे, सेना बुलाना उचित था या नहीं, बन्द करना चाहिये या नहीं, इन सभी विषयों पर मेरा भी मत था लेकिन मैंने सोचा कि चूंकि इस विषय पर मैंने नोटिस नहीं दिया था बल्कि जिस विषय पर दिया है, उस पर ही बोलूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, मेरी प्रार्थना होगी कि अगर ज़ीरो ऑवर में सबको अनुमति मिलनी हो तो एकाध मुद्दे पर महत्वपूर्ण नेताओं के भाषण समझ में आते हैं लेकिन यदि हर मुद्दे पर इस प्रकार चलता रहा और अपने मत को डिबेट में परिवर्तित कर दें तो ज़ीरो ऑवर चलाना मुश्किल हो जायेगा।

अपराह्न 1.05 बजे

(**श्री चित्त बसु** *पीठासीन* हुए)

इसलिए मेरी प्रार्थना है कि जिसने नोटिस दिया है, उसी को अनुमति मिले। कोई विशेष हो तो आप अपने अधिकार का प्रयोग करें।...*(व्यवधान)*

मैंने जिस विषय पर नोटिस दिया है, वह शायद उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितनी यह चर्चा थी। मैं जयपाल रेड्डी जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

सभापति जी, गत कुछ दिनों से दूरदर्शन पर स्वतंत्रता की स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर "वन्दे मातरम्" नाम का एक छोटा सा दो मिनट का कार्यक्रम, विज्ञापन तो नहीं कहूंगा, लेकिन जानकारी के रूप में दिया जाता है। इसमें बहुत महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी हैं। यहां तक कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति वेंकटरमण भी हैं जो वन्दे मातरम् के बारे में अपना संस्मरण सुनाते हैं। उसके बाद वन्दे मातरम् की घोषणा करते हैं और बहुत पुराने स्वतंत्रता सेनानी रोज़ बताते हैं। यह बहुत अच्छा कार्यक्रम है। जब यह कार्यक्रम देखते हैं तो कम से कम हमारी जैसी पीढ़ी जो स्वतंत्रता आंदोलन में नहीं थी, उनको इन सारे नेताओं की जानकारी दी जाती है। बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कार्यक्रम जब समाप्त होता है तो एकदम मन खट्टा होता है क्योंकि समाप्ति पर उसमें स्पॉन्सर आ जाता है।

[अनुवाद]

"कोलगेट, दैट मेक्स इण्डिया स्माइल" अर्थात कालगेट, भारत की मुस्कान

[हिन्दी]

अब मुझे लगता है कि स्वतंत्रता का अर्थ विदेश वाले व्यक्तियों से मुक्ति नहीं थी। इसका अर्थ स्वदेशी था, स्वावलंबन था। अगर दूरदर्शन को इस वन्दे मातरम् की जानकारी देनी है तो दूरदर्शन अपनी तरफ से दे सकता है। उसके लिए विज्ञापन ढूंढने की जरूरत नहीं है और वह भी कम से कम मल्टीनेशनल कंपनी का

[अनुवाद]

"कोलगेट, दैट मेक्स इण्डिया स्माइल" मुझे नहीं मालूम कि भारत को कौन मुस्कान देता है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

आजादी के पचासवें साल में हम सब दुखी हैं और कोलगेट का दावा है कि इंडिया स्माइल कर रहा है। मुझे लगता है कि ऐसी मल्टीनेशनल कंपनी का विज्ञापन इतने अच्छे कार्यक्रम के बाद आना बहुत गलत है। यह तो बिना विज्ञापन का ही कार्यक्रम आना चाहिए। अगर विज्ञापन लेना है तो बहुत स्वदेशी कंपनियां हैं, उनसे लेना चाहिए।

[अनुवाद]

"कोलगेट, दैट मेक्स इण्डिया स्माइल",

[हिन्दी]

यह तुरंत हटाया जाना चाहिए।

[अनुवाद]

मंत्री महोदय उत्तर देना चाहते हैं। कृपया उन्हें बोलने की अनुमति दें।

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्री एस॰ जयपाल रेड्डी) : मैं उत्तर दूंगा।...*(व्यवधान)*

महोदय, मैं माननीय साथी श्री प्रमोद महाजन द्वारा इस विसंगति की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं। मैं उनकी भावना का पूर्णतः समर्थन करता हूं। मैं निश्चय ही इस संबंध में जो कुछ भी किया जा सकता है उसे सुनिश्चित करूंगा। लेकिन, मैं साथ ही यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम के प्रायोजक वही लोग हैं जो इस कार्यक्रम को तैयार करते हैं। आपने स्वयं ही कहा है कि उक्त कार्यक्रम अत्यधिक सुन्दर एवं प्रेरणादायक है। हाल ही में मैंने ऐसा एक कार्यक्रम देखा था जिसमें श्री निजलींगप्पा शामिल थे। वास्तव में यह काफी प्रेरणादायक कार्यक्रम है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आज गांधी जी पर है।

श्री एस॰ जयपाल रेड्डी . इसीलिए मैं इस संबंध में जांच करूंगा। मैं पता लगाऊंगा कि यह सही है...*(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन : 'इंडिपेंडेंस कप' का प्रायोजन भी पेप्सी द्वारा किया गया है। पेप्सी, कोका कोला तथा कोलगेट के पास काफी पैसा है और वे स्वाधीनता कार्यक्रमों का प्रायोजन करते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं मानता हूं कि उसके बाद इसका महत्व समाप्त हो गया। वे बिना नाम बताये इन्हें प्रायोजित कर सकते हैं ...*(व्यवधान)*

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : सभापति महोदय, हम लोग केरल उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के संबंध में चर्चा कर रहे थे।

सभापति महोदय : आप पुनः उस विषय को उठा रही हैं।

(व्यवधान)

श्रीमती गीता मुखर्जी : मैं एक मिनट का समय लूंगी। मुझे एक बात कहनी है। यह लोगों के अधिकारों का मामला है। बंद एक ऐसा अस्त्र है जिसका उपयोग हम पुराने समय से करते रहे हैं। हमने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इसका उपयोग किया। हम इसे अपनाते रहे हैं। मैं कुछ उदाहरणों को प्रस्तुत करूंगी–जब हमने बंद का आयोजन किया। उदाहरणार्थ, श्री राजीव गांधी की दुर्भाग्यपूर्ण हत्या के बाद हमने बंद का आयोजन किया। क्या वामपंथी दलों ने पश्चिम बंगाल में तब बंद का आह्वान नहीं किया था? जहां तक मैं समझती हूं संहार था। ऐसी परिस्थिति में बंद का आयोजन किया गया। इसीलिए मैं समझती हूं कि इसकी अनुमति होनी चाहिए।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैं एक मिनट का समय लूंगा।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : माननीय सदस्यों ने इस विषय पर बोलने की अनुमति हेतु सूचना दी है। मैं समझता हूं कि इस विषय पर अब चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने बताया है कि चर्चा हेतु अन्य महत्वपूर्ण विषय भी हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री अहमद, कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री ई॰ अहमद (मंजेरी) : केरल के सभी राजनीतिक दलों के सदस्यों को बोलने की अनुमति दी गई है। मुझे भी बोलने की अनुमति दी जाए...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : जो भी हो, बहुत से सदस्यों ने अपने विचार रखे, केरल के कुछ सदस्यों ने भी अपने विचार रखे। मुझे लगता है कि अब इस विषय पर चर्चा समाप्त कर देनी चाहिए।

श्री सुख लाल कुशवाहा बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री सुख लाल कुशवाहा (सतना) : आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि हमारे संसदीय क्षेत्र मैहर में 29 मई को प्रदर्शनकारियों को चने की तरह भूना गया। इस मामले को लेकर मैं लम्बे समय से कोशिश में लगा रहा। लेकिन मेरा दल छोटा है, इस कारण से हमारी आवाज दबती रही। मैं आज आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे इस मामले में बोलने का अवसर दिया है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इस बिंदु पर जानकारी देना चाहूंगा कि 29 तारीख को प्रदर्शनकारियों को गोलियों से क्यों भूना गया, उनका अपराध क्या था। थाने पर वह किस बात को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। उसमें सिर्फ एक कारण था कि 30 तारीख को श्रमिकों की तरफ से एक घेराव का कार्यक्रम रखा गया था, जो सरला नगर सीमेंट फैक्टरी के मैनेजमैंट की तरफ से मजदूरों का जो शोषण हा रहा था, उस कार्यक्रम को लेकर 30 तारीख को एक प्रदर्शन आयोजित किया गया था। उस प्रदर्शन के आयोजक श्रमिक नेता श्री रमेश तिवारी थे। उनकी हत्या 27 तारीख को करा दी गई, हत्या किसके इशारे पर हुई, यह एक अंतरंग मामला है। लेकिन इस मामले में मैं एक अनुरोध करना चाहता हूं कि 27 तारीख को जो रमेश तिवारी की हत्या हुई उसकी जांच के लिए मैंने माननीय गृह मंत्री से कई बार मुलाकात की। गृह मंत्री ने प्रदेश सरकार को लिखा। लेकिन प्रदेश सरकार की नीयत पर कहीं शक होता है कि रमेश तिवारी की एक हत्या को लेकर सी॰बी॰आई॰ जांच के लिए उसने परमीशन दी। जहां 10–12 लोग मारे गये और उसकी उसने न्यायिक जांच की परमीशन दी, उसको अलग कर दिया, उसमें संदेह की सुई उनके ऊपर टिक जाती है कि 6 लोगों के मरने की अधिकृत घोषणा शासन ने की और पेपर लिखता है कि 12 श्रमिक मारे गये और 48 घायल हुए, उसमें श्रमिकों पर गोली चलायी गयी।

सभापति महोदय : आप समाप्त कीजिए।

श्री सुख लाल कुशवाहा : छः लोगों की हत्या को तो उन्होंने स्वीकार किया।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप क्यों खड़े होते हैं, आपको खड़े होने की जरूरत नहीं है।

श्री सुख लाल कुशवाहा : लेकिन छः लोगों के गायब होने की जो शंका है मैं उस मामले में आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि छः लोगों की लाशें गायब कर दी गई, वहां दो दिन के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया। कोई शहर में नहीं निकल सका, तब तक जो वहां पर्याप्त सबूत थे उनको मिटाने की पूरी कोशिश की गई। थाने में आग लगाई, गाड़ियों में आग लगाई, पत्थर मारे गये और अपने रिकार्ड को जलाया, उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाई। 15 लोग आज भी जेल में बंद हैं, उनके ऊपर फर्जी मुकदमें लगा दिये गये। कोई आवाज नहीं उठा पाया, वहां इतनी दहशत पैदा कर दी ताकि कोई इनके खिलाफ न बोले। इस घटना से संबंधित लाशें कैसे गायब की गईं। 29 तारीख को एक आदिवासी गायब हुआ, उसके बेटे "सुकरू" कोल ग्राम अकही ने अपने पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाना उचेंहरा में दर्ज कराई जिसकी तारीख 29/5/97 लिखवाया जो सही थी, लेकिन पुलिस विवेचना में उसको तारीख बदलने को कहा गया जब उसने सचाई से मुह नहीं मोडा तब उसे इसलिए मार डाला कि तुम 29 तारीख की रिपोर्ट मत लिखवाओ, तुम किसी और तारीख में गायब होने की रिपोर्ट लिखाओ। इसलिए आदरणीय सभापति जी, मेरा निवेदन है कि इस मामले में छः लाशें गायब हैं और एक लाश की रिपोर्ट जो लड़के ने की, उसको मारा गया। तो मैं चाहूंगा कि इसकी भी सी॰बी॰आई॰ जांच हो और जो पुलिस द्वारा गालीबारी हुई है और जो मरने वाले श्रमिक हैं, उनकी जांच हो और जो पुलिस अधिकारी हैं उनको सजा दी जाए, उनके ऊपर दफा 302 के तहत मुकदमा चलाया जाए।

जो लोग सुकुरूवान को घर से उठाकर ले गए और 72 घंटे अपने पास रखकर उसे मार डाला, उनके खिलाफ निश्चित रूप से धारा 302 के अंतर्गत मुकदमा चलाना चाहिए। मैहर में जिन निरपराध और निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर पुलिसकर्मियों ने प्रहार किया, गोलियां चलाईं, उन तमाम पुलिसकर्मियों पर भी धारा 302 के अंतर्गत मुकदमे

[श्री सुख लाल कुशवाहा]

कायम किए जाएं, उन्हे जेल भेजा जाए और सजा दी जाए, यह मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं।...*(व्यवधान)* मैं चाहूंगा कि उस हत्याकांड में जिस तरह पुलिस एक्शन हुआ, उस मामले की सी•बी•आई• से जांच कराई जाए।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यह ठीक नहीं है।

श्री राम नाईक (मुम्बई-उत्तर) : सभापति जी, 1971 में जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, उसमें भारत को निर्णायक विजय मिली थी। दूसरे महायुद्ध के बाद, केवल यही भारत-पाक युद्ध ऐसा था जिसमें किसी राष्ट्र ने निर्णायक विजय पाई है। हिन्दुस्तान के इतिहास का जो यह स्वर्णिम पृष्ठ है, उसकी एक कड़ी की तरफ मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

वह कड़ी यह है कि राजस्थान सीमा पर लौंगोवाल नाम की भारतीय चौकी पर 2500 पाकिस्तानी जवानों ने हमला किया, जिसकी रक्षा उस समय केवल 120 भारतीय जवान कर रहे थे। उन 120 भारतीय जवानों ने न केवल उस हमले का जवाब दिया बल्कि दुश्मन के सभी सैनिकों को खत्म कर दिया और 45 टैंक ध्वस्त कर दिए। उसे आधार बनाकर अभी एक बेहतरीन फिल्म बनी है, जिसका नाम है - बोर्डर। वह फिल्म बहुत अच्छी है जो लोगों को राष्ट्रभक्ति का मैसेज देती है लेकिन दुर्भाग्य से या शायद अनजाने में, उस युद्ध का नायक बाद में मारा गया, जिसका नाम सूबेदार रत्न सिंह है, ऐसा उस फिल्म में दिखाया गया है। उसके साथ जो दो अन्य भारतीय सेना अधिकारी थे - कैप्टेन मथुरा दास और धर्मवीर मान - वे भी उस युद्ध में मारे गए दिखाए गए हैं।

यहां मेरे पास उस सैनिक का फोटो है, जिसे बाद में वीर चक्र भी मिला था। वह इस समय जिन्दा है और 75 साल उसकी उम्र है। मेरा निवेदन है कि भारत सरकार कोई ऐसी व्यवस्था करे ताकि जो व्यक्ति मृत दिखाया गया है, जबकि वह जिन्दा है, अतः उस चित्र में तदनुसार परिवर्तन किया जा सके। इस समय उसे मात्र 50 रुपए पेंशन मिलती है जो हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। मैं आपके माध्यम से यह मांग भी करना चाहता हूं जिन ऐसे वीर सैनिकों को केवल मात्र 50 रुपए पेंशन मिलती है, सरकार उनकी पेंशन राशि के बारे में फिर से विचार करे और कोई उचित फैसला ले। मैं यह मानता हूं कि आजादी के 50 साल पूरे होने पर, इस वर्ष हम जो स्वर्ण जयन्ती मना रहे हैं, ऐसे समय यदि हम उन सैनिकों को मिलने वाली पेंशन आदि सुविधाओं पर दोबारा विचार करते हैं तो उनके लिए यह बहुत बड़ी देन होगी - यही मेरी मांग है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब श्री हाराधन राय बोलेंगे।

(व्यवधान)

प्रो• पी•जे• कुरियन : सभापति महोदय, मैं आपके ध्यान में एक अति महत्वपूर्ण विषय लाना चाहता हूं। यहां कुछ नये निगरानी कैमरे दिखाई दे रहे हैं। मैं इन कैमरों के बारे में जानना चाहता हूं।... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यह क्या है? कृपया एक-एक करके बोलिए।

प्रो• पी•जे• कुरियन : महोदय, आपके आसन के ठीक ऊपर कुछ नये निगरानी कैमरे हैं...*(व्यवधान)*

श्री राजेश पायलट (दौसा) : सभापति महोदय, इस कक्ष में कुछ फिटिंग लगायी हुई हैं जो बहुत पुरानी हैं। अब इन्हें हटा कर कई स्थानों पर कैमरे लगाये गए हैं। सदन को इसके बारे में बताया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री प्रमोद महाजन : मेरी आपत्ति आठ दिनों से है, ये कैमरे आठ दिनों से लगे हैं।

श्री राजेश पायलट : हमने तो आज देखे हैं।

[अनुवाद]

श्री राजेश पायलट : क्या ये दूरदर्शन के कैमरे हैं? ये यहां किसलिए लगाए गए हैं?...*(व्यवधान)*

श्री ए• सम्पत (चिरायिंकिल) : बिना किसी सूचना के यह सब किसने किया...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैं अपने कर्मचारियों से वास्तविकता की जानकारी लूंगा और उसके बाद ही आपको इस संबंध में रिपोर्ट दूंगा।

श्री राजेश पायलट : महोदय, माननीय संसदीय कार्य मंत्री यहां उपस्थित हैं। उन्हें इसका पता होगा।

सभापति महोदय : यदि संसदीय कार्य मंत्री उत्तर देना चाहें तो दे सकते हैं। लेकिन मेरे लिए तत्काल उत्तर देना संभव नहीं है। मामले की पूछताछ होनी चाहिए।

(व्यवधान)

श्री राजेश पायलट : यह गंभीर मामला है। इस बारे में सूचना होनी चाहिए।

सभापति महोदय : आप इतने उतावले मत होइये।

(व्यवधान)

पर्यटन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : मैं सहमत हूं कि यह अच्छा नहीं लग रहा है। यहां अध्यक्ष के आदेश पर कैमरा लगाया जाना चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री का इससे कोई मतलब नहीं है। यह बहुत खराब लगता है। मैं समझता हूं कि इस बारे में निर्णय लेना अध्यक्ष पर निर्भर करता है।

प्रो• पी•जे• कुरियन : यह सदस्यों के अधिकारों का हनन है। मुझे लगता है ये निगरानी कैमरे हैं।

सभापति महोदय : मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता। माननीय संसदीय कार्य मंत्री भी इसका उत्तर देने की स्थिति में नहीं हैं। उनका कहना है कि यह उनके क्षेत्राधिकार में नहीं आता। पूरा सदन अध्यक्ष के नियंत्रणाधीन है। इसलिए मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे धैर्य रखें। मैं इस मामले को अध्यक्ष के समक्ष उठाऊंगा और उसके बाद आपको रिपोर्ट दूंगा।

(व्यवधान)

प्रो॰ पी॰जे॰ कुरियन : अध्यक्ष को भी यह अधिकार नहीं है कि वे इस सदन में निगरानी रखने की अनुमति दें। हमें इस बारे में जानकारी मिलनी चाहिए।

श्री प्रमोद महाजन : ये कैमरे पूरे सदन में लगे हुए हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : माननीय सदस्य, मैं सोचता हूं कि आपको यह देखना चाहिए कि अन्य सदस्यों को भी बोलना है।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद महाजन : जब सारी कार्यवाही का दूरदर्शन से सीधा प्रसारण किया जा रहा है, तब निगरानी के लिए कैमरा लगाने की क्या आवश्यकता है? क्या यह सो रहे सदस्यों को देखने के लिए है?

सभापति महोदय : जो भी हो, मेरी व्यवस्था यही है। यह विषय अब खतम होता है।

श्री एस॰ बंगारप्पा (शिमोगा) : सभापति महोदय, मैं अपने मित्र श्री प्रमोद महाजन के साथ एक मुद्दे पर असहमत हूं। आज, एक समाचार पत्र 'दि इंडियन एक्सप्रेस' में एक शीर्षक से छपा है।... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यह ठीक नहीं है। अब मैं श्री हाराधन राय को बोलने के लिए पुकारता हूं।

श्री एस॰ बंगारप्पा : यह आज 'दि इंडियन एक्सप्रेस' में शीर्षक के रूप में छपा है।...*(व्यवधान)**

सभापति महोदय : श्री हाराधन राय के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैंने आपको बोलने की अनुमति नहीं दी है। आपको अनुमति नहीं दी गई है।

श्री श्रीकान्त जेना : महोदय, मैं समझता हूं कि ये दूरदर्शन के कैमरे नहीं हैं, बल्कि अन्य निजी चैनलों के कैमरे हैं। इन कैमरों को केबल......के अंतर्गत लगाया जा सकता था...*(व्यवधान)*

श्री एस॰ बंगारप्पा : क्या वे कैमरे निजी चैनलों के हैं?

श्री श्रीकान्त जेना : मैं आपसे कहता हूं, इस भवन के अंदर कुछ भी अध्यक्ष की अनुमति के बिना नहीं आ सकता है। माननीय सभापति जी ने पहले ही कह दिया है कि वह अध्यक्ष के नोटिस में यह मामला लाएंगे।

श्री एस॰ बंगारप्पा : यदि निर्णय माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा लिया गया है तो हम उससे सहमत हैं।...*(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं पहले ही कह चुका हूं कि यह विषय अध्यक्ष के ध्यान में लाया जाएगा और अध्यक्ष के कार्यालय से प्राप्त सूचना सभा को बताई जाएगी। माननीय मंत्री ने भी इस संबंध में कुछ प्रारम्भिक उत्तर दिए हैं।

[हिन्दी]

श्री शिवराज सिंह (विदिशा) : सर, आप हमें मौका नहीं देते हैं। मेरा नाम सातवें नंबर पर है। मैं रोज नोटिस देता हूं, लेकिन आप मुझे मौका नहीं देते हैं।...*(व्यवधान)*

वैद्य दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : माननीय सभापति जी, यह कोई तरीका नहीं है। आप सिर्फ आगे बैठने वालों को ही चांस देते हैं।...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज सिंह : माननीय सभापति जी, ऐसे काम नहीं चलेगा। आप हमें मौका क्यों नहीं देते हैं? क्या आप सिर्फ आगे की कुर्सियों पर बैठने वाले माननीय सांसदों को ही बोलने का अवसर देंगे। क्या पीछे की कुर्सियों पर बैठने वाले सांसदों को मौका नहीं देंगे? ...*(व्यवधान)*

श्री हाराधन राय (आसनसोल) : आप हर समय हल्ला करते हैं। इन लोगों ने क्या समझ रखा है।...*(व्यवधान)* हम भी चुनकर आए हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइये।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : इस तरह से खड़े मत होइये।

[हिन्दी]

वैद्य दाऊ दयाल जोशी : हमें भी बोलने का समय चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री राम नाईक क्या आप अध्यक्ष-पीठ से सहयोग करेंगे?

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैंने श्री हाराधन राय को पहले ही बोलने के लिए कहा है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री हाराधन राय : सभापति महोदय, मैं जो बात बोल रहा था, रेलवे की आसनसोल से धनबाद तक जो ग्रैंडकॉर्ड लाइन है, थापरनगर स्टेशन के बीच में एक खुफिया नदी है, उस पर ब्रिज है। लाइन की

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री हाराधन राय]

27 फीट दूरी में पिछली 22 तारीख को भयंकर भूधसान हुआ जो लम्बाई में दोनों तरफ 20 फीट से ज्यादा होगा। हमारी जितनी भी लम्बी दूरी की ट्रेनें हैं जैसे राजधानी एक्सप्रैस, शताब्दी एक्सप्रैस, कालका मेल, पूर्वा एक्सप्रैस आदि उसी लाइन पर अधिक आती हैं। लोकल ट्रेन भी उसी लाइन पर आती है। उसमें काफी खतरा पैदा हो गया है। कोल इंडिया ने गैर-कानूनी ढंग से जो कोल उत्तोलन किया, उससे यह नतीजा हुआ। यदि उसकी कुछ व्यवस्था नहीं होगी तो वहां पर बहुत बड़ा ऐक्सीडैंट हो सकता है और बहुत लोग मर सकते हैं जैसे पीछे हरियाणा में हुआ। इसलिए मैं इसे सरकार के नोटिस में लाता हूं कि जल्दी से उस लाइन की व्यवस्था की जाए नहीं तो गंभीर परिस्थिति होगी, बहुत आदमियों की जानें जाएंगी।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : शून्य काल समाप्त होता है। अब हम लोग मद सं॰ 9 को लेंगे जो नियम 377 के अंतर्गत है। श्री प्रभु दयाल कठेरिया

(व्यवधान)

सभापति महोदय : शून्य काल समाप्त होता है।

[हिन्दी]

श्री प्रभु दयाल कठेरिया (फिरोजाबाद) : सभापति महोदय, आगरा के निकट करीब 62 किं॰मी॰ दूर बटेश्वर है। वहां मेला एक वर्ष में एक बार चलता है। समूचे देशों से श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। जमुना के किनारे (101) बने मंदिर पर्यटन की दृष्टि से बहुत आकर्षक है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री के॰एच॰ मुनियप्पा : महोदय, पिछले दो दिनों से मैं बोलने की अनुमति मांग रहा था।...*(व्यवधान)* अब आप कह रहे हैं कि यह समाप्त हो चुका है। यह कैसे हुआ?...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री आनंद मोहन (शिवहर) : हम एक विषय पर तीन दिन से लगातार नोटिस दे रहे हैं और हमको मौका नहीं मिलता है।

[अनुवाद]

श्री राजेश पायलट : महोदय, हम पहले ही डेढ़ घंटे का समय लगा चुके हैं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : नहीं, बहुत से माननीय सदस्यों को बोलना है। मेरे पास समय की पाबन्दी है।

(व्यवधान)

श्री राजेश पायलट : आप अन्य चार या पांच सदस्यों को बोलने की अनुमति क्यों नहीं दे रहे हैं?...*(व्यवधान)*

श्री राम नाईक : महोदय, मैं एक बीच का रास्ता सुझा रहा हूं। यह सच है कि वैसे उन सदस्यों ने, जिन्होंने नोटिस नहीं दिए, अत्यधिक समय लगाया है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप न तो उनकी बात सुन रहे हैं और न ही मेरी।

(व्यवधान)

श्री राम नाईक : आप शून्यकाल को आधे घंटे के लिए बढ़ा दीजिए। यदि आवश्यक हुआ तो हम देर तक बैठेंगे। जिन सदस्यों ने नोटिस दिया है उन्हें बोलने दीजिए।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप मेरी बात भी सुन सकते हैं। कृपया मुझे परामर्श दें।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री अहमद, आप अत्यन्त ही वरिष्ठ सदस्य हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : अभी भी 20 माननीय सदस्यों को बोलना बाकी है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री राम नाईक ने अभी कुछ सुझाव दिया है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : अभी भी 15 से अधिक माननीय सदस्य हैं जिन्हें बोलने के लिए बुलाया जाना है। यदि प्रत्येक सदस्य को बोलने का अवसर दिया गया तो इसमें ज्यादा समय लगेगा। अब मैं सभा पर फैसला छोड़ता हूं।

(व्यवधान)

श्री के॰एच॰ मुनियप्पा : आप सभी 15 सदस्यों को बोलने का मौका दे सकते हैं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैं इस मामले से कैसे निबटूं नहीं जानता। यह उचित नहीं है। सभा की कार्यवाही के संचालन में पीठ के साथ सहयोग करने का यह तरीका नहीं है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया मुझे बोलने दीजिए। कृपया मेरी बात सुनिए। आप कृपया अपनी सीट पर बैठें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री आनंद मोहन : पीठासीन अधिकारी हम लोगों की मदद नहीं कर रहे हैं।

श्री प्रमोद महाजन : रास्ता ऐसे ही निकलेगा, नहीं तो हम बहस में इसी पर आधा घंटा निकाल देंगे कि हमको आगे बोलना है या नहीं बोलना है। सभापति जी रास्ता निकाल रहे हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : क्या आप मुझे अपनी बात सुनने देंगे। क्या आप सुनेंगे। आप मुझे अपनी बात सुनने दें और मेरी बात भी सुनें। सूची में 15 से भी ज्यादा सदस्य हैं। यदि आप चाहते हैं कि प्रत्येक सदस्य को बोलने का मौका मिले तो इसके लिए एक घंटे से ज्यादा समय चाहिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री आनंद मोहन : यदि हम लोगों को बोलने नहीं दिया जायेगा तो हाउस नहीं चलेगा।

[अनुवाद]

श्री राम नाईक : आप उनमें से प्रत्येक को केवल दो मिनट का समय दे सकते हैं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यदि आप सभी उनमें से प्रत्येक को दो मिनट का समय देने पर सहमत हैं तो इसमें आधा घंटा समय लगेगा। हमें आशा करनी चाहिए कि यह आधे घंटे में समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार हम 2 बजे म॰प॰ तक इसे पूरा कर लेंगे। केवल उन्हीं सदस्यों को बोलने का मौका दिया जाएगा जिनके लिए समय होगा। कुछ सदस्यों को बोलने का अवसर नहीं भी मिल सकता है।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद महाजन : आप केवल उन्हीं को बोलने की अनुमति दे सकते हैं जिन्होंने नोटिस दिया है।

[हिन्दी]

श्री आनंद मोहन : आप तो बड़े लोगों की बात सुनते हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं समझता हूं कि कुछ माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर नहीं मिल सकेगा।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : यह हम देखेंगे, हमें 2 बजे म॰प॰ तक यह पूरा करने का प्रयास करना चाहिए।

श्री प्रभु दयाल कठेरिया : सभापति जी, मेरा पाइंट ऑफ ऑर्डर है। एक बार चेयर से रूलिंग होने के बाद उसको बदला जा रहा है।. ..*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री कठेरिया, आपकी सहमति से नियम 377 के अंतर्गत मामले अस्थायी तौर पर स्थगित किए जाते हैं। मैं सूची के अनुसार माननीय सदस्यों का नाम पुकारूंगा, कोई भी माननीय सदस्य इसकी जांच कर सकता है। अब श्री ब्रजमोहन राम बोल सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री ब्रजमोहन राम (पलामू) : सभापति महोदय, बिहार स्थित मेरे पलामू लोक सभा संसदीय क्षेत्र में सेल का डोलोमाइट और लाइम स्टोन का एक माइन्स है। अभी वहां पर बोकरो स्टील प्लान्ट मैनेजमेंट के द्वारा मनमानी की जा रही है। वहां अभी करीब 50 हजार मजदूर कार्यरत हैं, फिर भी बोकारो स्टील प्लांट के मैनेजमेंट के द्वारा बन्द करने की साजिश रची जा रही है।

मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि बोकारो स्टील प्लांट के प्रबन्धन के द्वारा यह जो नीति अपनाई जा रही है, कारखाने को बन्द करने की जो साजिश रची जा रही है, उसके लिए हम सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि बोकारो स्टील प्लान्ट आधुनिकीकरण के नाम पर वहां के लाइम स्टोन को मानक के रूप में नहीं माना है और कहते हैं कि इसमें सिलिका का प्रतिशत ज्यादा है, जबकि बाहर की पार्टियों से ज्यादा सिलिकायुक्त लाइम स्टोन खरीदते हैं। इसके पीछे एक गहरी साजिश छिपी हुई है। इस खरीदी में बोकारो स्टील प्लांट प्रबन्धन का स्वार्थ छिपा हुआ है।

भवनाथपुर लाइम स्टोन माइंस की क्वालिटी कंट्रोल की प्रतिदिन की टैस्ट की रिपोर्ट रॉ–मैटीरियल डिवीजन मुख्यालय कलकत्ता में भेजी जाती है। उसकी रिपोर्ट बोकारो स्टील प्लांट के द्वारा पार्टियों से खरीदे जाने पर उन्हीं से मिलान यदि किया जाता है तो वास्तविकता मालूम हो जाएगी। इसलिए सेल के चेयरमैन का मैंने ध्यान आकृष्ट कराया था, परन्तु उन्होंने हमसे कहा था कि मैं उसका कोटा बढ़ा रहा हूं। कोटा बढ़ाने का उन्होंने आश्वासन दिया, मुझे चिट्ठी भी लिखी, श्री जी॰एस॰ गर्चा के द्वारा कि 2.44 लाख टन इस वर्ष का कोटा निर्धारित किया गया है। लेकिन चार महीने बीत गए, फिर भी अभी उस पर कार्रवाई नहीं हो सकी है। बोकारो स्टील प्लान्ट सिर्फ 10 हजार टन प्रति माह लाइम स्टोन ले रही है।

मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि वहां के मजदूरों के हित में और पिछड़ेपन की सारी स्थिति को देखते हुए वहां की स्थिति में सुधार लाने के लिए आश्वासन दिया जाये। बोकारो स्टील प्लांट को डोलोमाइट यहां से जाता है, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अंततोगत्वा बाध्य होकर हमें उसे रोकना पड़ेगा। इसलिए जल्द से जल्द कोटा बढ़ाया जाए। लाइम स्टोन की माइन्स बन्द होने से हजारों मजदूरों के समक्ष भुखमरी की नौबत आ सकती है। इसलिए मेरा सरकार से आग्रह है कि माननीय सदस्यों की कमेटी बनाकर बोकारो एवं भवनाथपुर भेजी जाए और उसकी जांच की जाए, जिससे पता चले कि असलियत क्या है। ठेका मजदूरों को दो महीने से भुगतान नहीं मिला। जिसके चलते हम चेयरमैन से मिले और भुगतान देने का आग्रह किया। चेयरमैन के कार्यालय के द्वारा मुझे बतलाया गया कि पेमेंट करवा दी गई है, लेकिन सच्चाई यह है कि अभी तक पेमेंट नहीं हुई है। इसलिए सरकार से निवेदन है कि अविलम्ब मजदूरों के बकाया मजदूरी का भुगतान कराया जाए।

सभापति महोदय : आनन्द मोहन जी, आपने यह तो लिख दिया है 'अरजेंट मैटर' लेकिन वह क्या है, उसके बारे में उल्लेख नहीं किया।

श्री आनन्द मोहन : सभापति महोदय, देश के बड़े-बड़े शहरों में बड़े पैमाने पर हो रही मादक पदार्थों की तस्करी पर दिनांक 25.8.1995 को शून्य काल में सदन का ध्यान आकृष्ट कराया गया था। खासकर मुम्बई में विशेषरूप से बड़े पैमाने पर मादक पदार्थों का व्यापार होता आ रहा है। इस धंधे में संलिप्त तस्करों का सीधा सम्बन्ध मुम्बई के एंटीनारकोटिक्स विभाग के तीन आला पदाधिकारियों...* इस आशय की खबर प्रायः अखबारों में छपती रही है। तस्करों एवम् एंटीनारकोटिक्स के इन आला अफसरों के सम्बन्ध का खुलासा पाकिस्तान में पकड़े गए दो तस्करों अबु दाऊद एवम् उसके बेटे यूनुस ने किया है।

सभापति महोदय : नाम रिकार्ड में नहीं जाने चाहिए। कृपया नामों का उल्लेख मत करें।

श्री आनन्द मोहन : दोनों उक्त तस्करों ने स्वीकार किया है कि...* उन्हें इस धंधे में सहयोग मिलता रहा है। 5 फरवरी, 1995 को लाहौर से प्रकाशित एक दैनिक "दि डेली पाकिस्तान" ने भी ...* के सम्बन्ध अंतरराष्ट्रीय मादक द्रव्य बेचने वाले तस्करों से होने की पुष्टि की है।...* खुफिया तौर पर पाकिस्तान की यात्रा भी कर चुके हैं। 17 अगस्त, 1995 को मुम्बई से प्रकाशित "दी एशियन एज" में भी इस आशय की खबर छपी है।...* कुछ ही दिनों में अपने काले कारनामों के जरिए तकरीबन 250 करोड़ रुपये की सम्पत्ति अर्जित की है। इस आशय की खबर अगस्त, 1995 में मुम्बई से प्रकाशित 'दि फ्री प्रेस जर्नल" में छपी है। इंटरपोल एवम् अमेरिकी इंटेलीजेंस एजेंसी ने भी इस मामले में खास दिलचस्पी ली है।

दिनांक 2.1.1996 को मुम्बई एंटीनारकोटिक्स विभाग ने एक तस्कर...* को मादक द्रव्यों के साथ गिरफ्तार किया था। उसने अपने बयान में बताया कि केस नं॰ सी॰आर॰ नं 38/93 से अपना नाम हटाने के लिए मैंने तीस लाख रुपए...* एवम् उनके सहयोगी पदाधिकारियों को दिए। इसके एवज में...* का नाम उस चार्ज शीट से हटाया गया। जांच से इस लेन-देन की पुष्टि हुई एवम्...* को दिनांक 21.2.1996 को बर्खास्त कर दिया गया...* ने अपने बयान में...* तथा अन्य पदाधिकारियों के भी इस कारनामे में संलिप्त होने की बात स्वीकारी।

सभापति महोदय : अब समाप्त करें।

श्री आनन्द मोहन : श्री राहुल राय सूर, श्री सलास्कर एवम् अशोक खेडकर ने एंटीनारकोटिक्स विभाग मुम्बई में अपनी सेवा काल के दौरान किस प्रकार तस्करों के माध्यम से करोड़ों रुपये अर्जित किए, तस्करों को किस तरह मदद की एवम् बचाया इसकी विस्तृत रिपोर्ट वहां के स्थानीय दैनिक "दि डैली" में 6 दिन लगातार 28 अप्रैल, 1997 से 3 मई, 1997 तक छपती रही।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री जी॰एम॰ बनातवाला (पोन्नानी) : महोदय यहां क्या हो रहा है? वे यह नहीं सोच रहे हैं कि विषय तात्कालिक महत्वपूर्ण है या नहीं। क्या वह तात्कालिक महत्व का विषय उठा रहे हैं? सभा का कितना समय उन्होंने ले लिया है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : उन्होंने जिन नामों का उल्लेख किया है वह कार्यवाही वृत्तान्त में नहीं लिए जाएंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री आनन्द मोहन : बरामद किए गए ड्रग्स को जलाने के नाम पर कचरे को जलाकर पुनः इस ड्रग्स को तस्करों तक पहुंचाने का काम इन आला पदाधिकारियों ने किया।

इन काले कारनामों के बारे में दिनांक 28.8.96 को लिखित तौर पर अनेकों सांसदों द्वारा हस्ताक्षर-युक्त पत्र तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री पी॰वी॰ नरसिम्हाराव को दिया गया। माननीय सांसद श्री चिमन भाई मेहता ने दिनांक 26.8.95 को प्रधान मंत्री, गृह मंत्री एवं वित्त मंत्री को पत्र लिख कर इस ओर उनका ध्यान आकृष्ट कराया। दिनांक 16.8.96 को भी उपरोक्त लोगों को इस आशय का पत्र दिया गया।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

सभापति महोदय : मैं सूची के अनुसार नाम पुकार रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री आनंद मोहन : लेकिन खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी तक इस दिशा में कोई कार्यवाई नहीं की गई है। एन्टीनारकोटिक्स विभाग के आला पदाधिकारियों का पाकिस्तान जैसे आतंकवादी देश के तस्करों के साथ संबंध होना देश की एकता और अखण्डता के लिए खतरनाक है। फिर भी इस अति संवेदनशील मामले में सरकार द्वारा कोई कार्यवाई नहीं करना दुर्भाग्यपूर्ण है। राष्ट्रहित के मामलों में सरकार का इस तरह गंभीर न होना कहीं से भी जायज नहीं है।

अतः मैं सदन एवं सरकार से आग्रह करता हूं कि इस पूरे प्रकरण की जांच सी॰बी॰आई॰, रॉ एवं आई॰बी॰ से कराई जाए एवं इसमें संलिप्त पदाधिकारियों को कठोर से कठोर सजा दिलाई जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं कब तक चिल्ला सकता हूं। सभापति से यह आशा नहीं की जाती है कि वह सभा के माननीय सदस्यों के विरूद्ध चिल्लाए। मैंने स्पष्ट किया है कि एक सूची है। आप मुझ पर यह आरोप नहीं लगा सकते हैं कि मैं क्रमानुसार नाम नहीं पुकारता हूं। अतएव मैं क्रम के अनुसार नाम पुकार रहा हूं।

दूसरी बात यह है कि मुझे यह दो बजे तक समाप्त करना है जैसा कि सभा ने निर्णय किया है। यह मेरा निर्णय नहीं है या इसे सभापति के विवेक पर नहीं छोड़ा गया है। यह सभा का फैसला है कि यह

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

विषय दो बजे तक चलेगा। मैं क्रमानुसार नाम पुकारूंगा और जितने भी सदस्यों को बोलने का मौका मिल सकेगा, मिलेगा और जिसे बोलने का मौका नहीं मिलेगा उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूंगा।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप फिर मुझे चिल्लाने के लिए कह रहे हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : सभा को इस बात से कोई मतलब नहीं कि आप मुझ पर आरोप लगा रहे हैं अथवा नहीं।

[हिन्दी]

श्री राम टहल चौधरी (रांची) : सभापति जी, पूरे बिहार में बिजली की स्थिति तो गड़बड़ है ही, मेरे निर्वाचन क्षेत्र रांची जिसकी आबादी लगभग 12 लाख है,...*(व्यवधान)* वहां के कल-कारखाने बंद हो रहे हैं तथा बिजली की भी समस्या उत्पन्न हो गई है। गर्मी के दिनों में बिजली की समस्या तो रही ही है और पेयजल की समस्या भी रही है। पीने के पानी का जो पाइप है, वह टूट गया है और विभाग की लापरवाही की वजह से वहां बिजली और पानी की सप्लाई भी ठीक से नहीं हो रही है। इससे कई कारखाने बंद हो गए हैं। लोग दूसरी जगह पलायन कर रहे हैं। अतः मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि पूरे बिहार में और खास तौर पर रांची में बिजली और पानी की व्यवस्था ठीक कराई जाए।

[अनुवाद]

श्री के॰एच॰ मुनियप्पा : सभापति महोदय, कर्नाटक राज्य में, विशेषतः कोलाट जिले में सारे किसान संकटग्रस्त हैं क्योंकि प्याज, आलू, टमाटर और आम जैसी सब्जियों व फलों के मूल्य में अत्यधिक गिरावट आ गई है। सब्जियों और फलों की मजबूरन बिक्री किए जाने से कर्नाटक के किसानों के लिए कई गंभीर समस्याएं पैदा हो गई हैं। टमाटर 50 पैसे प्रति किलो की दर से बिक रहे हैं। जो टमाटर नहीं बिकते उन्हें गलियों में फेंक दिया जाता है। जो सब्जियां व फल बिकते नहीं, उन्हें अधिक समय तक नहीं रखा जा सकता क्योंकि ये वस्तुएं जल्दी खराब हो जाती हैं। इसके साथ-साथ दुर्भाग्यवश सारे कर्नाटक राज्य में कहीं भी 'कोल्ड स्टोरेज' की सुविधा उपलब्ध नहीं है।

कोलार जिले में सब्जी उत्पादकों और फल उत्पादकों की स्थिति दयनीय है। उन्हें 500 से 600 फुट की गहराई से पानी खींचना पड़ता है। वर्षा ऋतु तीन महीने पहले आरंभ हुई थी परन्तु वर्षा हो ही नहीं रही है। कोलार जिले में 11 तालुकों में 2000 एकड़ भूमि पर टमाटर पैदा किया जाता है। प्रत्येक किसान ने लगभग 20,000 रु॰ से 25,000 रु॰ प्रति एकड़ खर्च किया है। सभी फसलों पर अनुमानतः 10 करोड़ रु॰ खर्च किया गया है। उन्हें 50 करोड़ रु॰ के उत्पादन की अपेक्षा थी। परन्तु उनकी सारी फसलें नष्ट हो गई हैं।

मैं केन्द्रीय सरकार से आग्रह करता हूं कि वह एक अध्ययन दल वहां भेजने के लिए तत्काल कुछ कदम उठाए।

अतः केन्द्र को उस स्थल पर जाकर जांच करने तथा प्रभावित निर्धन किसानों की स्थिति का अध्ययन करने के लिए एक अध्ययन दल वहां भेजना चाहिए। इस सारी स्थिति को प्राकृतिक आपदा माना जाना चाहिए तथा किसानों के फल और सब्जियां खरीदने तथा उत्पादकों को एक नोडल एजेंसी स्थापित करने में सहायता देने हेतु 20 करोड़ रु॰ की राशि मुआवजे के रूप में तत्काल दी जानी चाहिए।

मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह कर्नाटक के प्रत्येक जिले विशेषतः कोलार में तथा चिन्तामणि अथवा श्रीनिवासपुरी में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करे।

महोदय, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वहां पानी उपलब्ध नहीं है। यह एक अत्यधिक गंभीर मुद्दा है। हम 500 से 600 फुट की गहराई से, बड़ी कठिनाईपूर्वक पानी प्राप्त कर रहे हैं। इस स्थिति में भी कर्नाटक सरकार तथा केन्द्रीय सरकार निर्धन किसानों के हितों की रक्षा के लिए आगे नहीं आई है। इस संबंध में मैं माननीय कृषि मंत्री से आग्रह करता हूं कि वह वहां की स्थिति का अध्ययन करने के लिए एक दल भेजें। मैं माननीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री से भी आग्रह करता हूं कि वह उस प्रदेश का दौरा करें तथा किसानों के लिए कुछ सुविधाजनक व्यवस्था करें।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रभूषण सिंह (कन्नौज) : सभापति महोदय, पिछले वर्ष देश में हुए वैजिटेबल और फूड के उत्पादन का 30 प्रतिशत उत्तर प्रदेश में हुआ है। इस 30 प्रतिशत उत्पादन का 30 प्रतिशत फर्रूखाबाद में हुआ है। वास्तविक स्थिति यह है कि 45 फीसदी फसल (आलू) पिछली बार सड़ी थी। इसका मुख्य कारण यह है कि अपने देश में कोल्ड स्टोरेजों में कमी है। उत्तर प्रदेश में अभी तक कोल्ड स्टोरेजों का किराया इतना कम था कि नए प्राइवेट ओनर्स पिछले दस वर्ष में बहुत कम आए थे। नतीजा यह हुआ कि सारा का सारा माल सड़ गया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसके लिए सरकार आवश्यक निर्देश दे। नए कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए सब्सिडी दे और बिजली की रेग्युलर सप्लाई हो। इसके साथ-साथ ब्याज की दर भी कम हो। उत्तर प्रदेश की सरकार ने पिछली 27 मई को इससे संबंधित नोटिफिकेशन वापिस कर लिया है। उत्तर प्रदेश में कोल्ड स्टोरेज इसलिए भी बनाना जरूरी है, क्योंकि आलू पेरिशेबल गुड्स हैं और इनको बचाने के लिए कोल्ड स्टोरेजों को लगातार बिजली की आवश्यकता होती है। बिजली की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय सरकार आवश्यक निर्देश दे।

श्री रामशकल (राबर्ट्सगंज) : सभापति महोदय, वाराणसी से शक्तिनगर जो राजमार्ग हरकान कम्पनी द्वारा निर्माण किया जा रहा है, पूरी सड़क खाई जैसी खोद दी गई है और आए दिन दुर्घटनायें हो रही है। निर्माण कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है। लाखों-लोग परेशान हैं। इसके कारण क्षेत्र के लोगों में भारी रोष व्याप्त है। इसलिए मेरा केन्द्रीय सरकार से निवेदन है कि इस मार्ग को ठीक कराने का कार्य करे, जिससे जन और धन की क्षति को रोका जा सके।

श्री लाल बिहारी तिवारी (पूर्वी दिल्ली) : सभापति महोदय, इन दिनों धार्मिक लोग हरिद्वार और त्रिवेणी से पवित्र गंगाजल भर कर लाखों लोग आ रहे हैं। इस दिशा में दिल्ली सरकार ने एक सराहनीय कार्य किया है। कांवड़ियों के ठहरने के लिए व्यवस्था की है। इसी प्रकार अमरनाथ यात्रा के लिए जो लोग दिल्ली से जा रहे हैं, उनको दस हजार रुपए की मदद करने का कार्यक्रम बनाया है। मैं केन्द्रीय सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार दिल्ली सरकार ने तीर्थ यात्रा विकास समिति बनाई है, उसी प्रकार की वह समिति बनाए, ताकि इस माध्यम से भी यात्रियों को सहायता दी जा सके। यहीं मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

[अनुवाद]

प्रो॰ पी॰जे॰ कुरियन : केवल उन्हीं सदस्यों के नाम पुकारे जाने चाहिएं जो सभा में उपस्थित हैं।

सभापति महोदय : अपना परामर्श देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल सदन में रखता हूं। आप इससे अवगत होंगे कि मनुष्य की सुनने की क्षमता सामान्यतः 60 डिसिबल होती है और उसकी गति इससे अधिक नहीं होती है। जब कोई भी व्यक्ति अपने रेडियो पर या टेलीविजन पर सुनता है तो इसी गति से सुनता है लेकिन जो व्यवसायी प्रचार बीच-बीच में होता है उसमें ध्वनि बहुत तेज हो जाती है जिसको लोगों को सुनने में बहुत ही दिक्कत एवं कठिनाई महसूस होती है। मनुष्य की सुनने की क्षमता कम हो जाती है, उससे उसके कानों में ठीक से आवाज सुनाई नहीं देती है। जो लोग बड़े-बड़े कीमती टेलीविजन वगैरह रखते हैं वे तो रिमोट से कंट्रोल कर लेते हैं लेकिन जो छोटे-छोटे लोग हैं, जो दो-ढाई हजार के रखते हैं उसमें रिमोट कंट्रोल नहीं होता। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो व्यापार के लिए प्रचार होता है उसमें ध्वनि कम की जाए जिससे हर आदमी की सुनने की क्षमता कम न हो।

प्रो॰ ओम पाल सिंह 'निडर' (जलेसर) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल सदन में सरकार के सामने रखना चाहता हूं। कोई भी देश पैसे से कमजोर हो, उसका तन गुलाम हो जाए तो आजाद हो सकती है लेकिन जब मनोवैज्ञानिक रूप से गुलाम हो जाए, मल गुलाम हो जाए तो उसकी गुलामी का टूटना बड़ा मुश्किल है। विदेशी इलैक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से पिछल कई वर्षों से हमारे देश पर यह आक्रमण चल रहा है कि कैसे हमारी संस्कृति को क्षत-विक्षत किया जाए, संस्कारों को नष्ट किया जाए। इस संदर्भ में जो इलैक्ट्रोनिक मीडिया के किंग हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि नाम नहीं लिया जाता, इसलिए मैं उनका नाम नहीं ले रहा। ऐसा ही हमारा एक मित्र देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। वहां का जो फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन है, उसके जो अध्यक्ष हैं, जिनका मंत्री का स्तर है उन दोनों के माध्यम से बहुत बड़ा दबाव हमारे प्रशासन पर, दूरदर्शन पर, आकाशवाणी पर और कुछ हमारे सांसदों के माध्यम से शासन पर पड़ रहा है। जब कोई गवाही चाहेगा तो मैं वह कहीं भी दे दूंगा। यहां तक कि हमारे प्राइम मिनिस्टर पर भी दबाव पड़ रहा है कि उनको सीधे-सीधे पूरे अधिकार देश पर छाने के दे दिये जाएं। सौभाग्य से 16 जुलाई को एक आदेश आया कि हम डीटीएच का, जो डायरेक्ट टू होम वाला सिस्टम सीधे घर पहुंचने का है, जिससे हमारा पूरा केबल सिस्टम समाप्त हो जाएगा जो कि दुनिया का सबसे बड़ा केबल सिस्टम हिन्दुस्तान में है, यह अधिकार किसी विदेशी को सीधे नहीं देंगे, यह आया। लेकिन मेरे संज्ञान में यह आया है कि उन विदेशी मीडिया किंगों ने यहां पर चार आफिस खोल दिए हैं, तीन सौ कर्मचारी भर्ती कर लिए हैं और बिना हिन्दुस्तान की सरकार की परमिशन के उन्होंने यहां पर जो डायरेक्ट टू होम वाला सिस्टम है, लागू कर दिया है। वे उपकरण बेचने शुरू कर दिए हैं। अब खतरा यह है कि जहां से ये निर्देश आएंगे वे हमारे नियंत्रण में नहीं हैं और उसमें जो स्मार्ट कार्ड लगेगा उसमें क्या दिखाएंगे और कब दिखाएंगे, ये हमारा पूरा सिस्टम, पूरी व्यवस्था, पूरी सरकार नहीं जानती। मैं प्रमाण के लिए आपसे कहना चाहता हूं कि पिछले दो-तीन महीने में जो हमारे यहां पर दूरदर्शन में बड़े-बड़े सक्षम चार-छह अधिकारी थे, जो जी टी॰वी॰ में भी काम करते थे वे यहां से करोड़ों रुपए में बिक कर चले गए और वे यह काम कर रहे हैं।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इस देश के मनोविज्ञान को बचाना है, संस्कृति को बचाना है, अखंडता को बचाना है और देश की अस्मिता को बचाना है तो किसी भी कीमत पर इन विदेशी घुसपैठियों को, जो वायु के माध्यम से, इलैक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से यहां आक्रमण करना चाहते हैं, जैसे ब्रिटेन में कर चुके हैं, सरकारें बदल चुकी हैं उनको किसी कीमत पर भी आज्ञा न दें। उनको कोई भी कड़े से कड़ा कानून बना कर रोकें और इसमें दंड का भी प्रावधान किया जाए। इस पर रोक लगाई जाए, यह मेरा आपके माध्यम से कहना है। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री जी॰एम॰ बनातवाला (पोन्नानी) : सभापति महोदय, मैं सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश विधानसभा के दो निर्वाचित सदस्यों द्वारा उर्दू में शपथ लेने की अनुमति अस्वीकार किए जाने के कारण सभा में अपना स्थान प्राप्त करने में असमर्थ रहने से उत्पन्न हुए संवैधानिक गतिरोध की ओर दिलाना चाहता हूं।

महोदय, आप यह बात बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि शपथ संवैधानिक प्रावधान के अन्तर्गत ही ली जाती है। अनुच्छेद 188 के अनुसार, कोई भी सदस्य सभा में तब तक कार्य नहीं कर सकता जब तक कि वह शपथ न ले ले। इन दो सदस्यों, श्री आलम बरी आज़मी और श्री वसीम अहमद को उर्दू में शपथ लेने के अपने संवैधानिक एवं मूलभूत अधिकार से वंचित किया गया। यह संवैधानिक एवं मूलभूत अधिकारों का तथा इस संबंध में स्थापित सभी परंपराओं का गंभीर उल्लंघन है। इसलिए यह नितान्त आवश्यक है कि सरकार इस मामले पर विचार करे और यह देखे कि उक्त दो सदस्य भी सभा में अपने स्थान ग्रहण करने की स्थिति में हों।

सभापति महोदय, चार महीने का समय पहले ही व्यतीत हो गया है। इन चार महीनों में उस सभा की कार्यवाही चलती रही है और उक्त दो सदस्य उसमें भाग लेने में असमर्थ रहे हैं। यह सम्पूर्ण कार्य प्रणाली की हत्या है।

तीसरी अनुसूची के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को शपथ लेने का संवैधानिक अधिकार है। अनुच्छेद 188 के अनुसार शपथ तीसरी अनुसूची के अनुसार ली जानी चाहिए। तीसरी अनुसूची के अन्तर्गत सभी तरीके निर्धारित होते हैं। इसके बाद आठवीं अनुसूची के अनुसूची के अन्तर्गत सभी राष्ट्रीय भाषाओं की सूची है। यह एक भाषायी अल्पसंख्यक जैसे किसी तमिल द्वारा गुजरात विधानसभा में तमिल भाषा में, किसी केरलवासी द्वारा महाराष्ट्र विधानसभा में मलयालम भाषा में शपथ लेने के अधिकार का प्रश्न है। ये भाषा विषयक अल्पसंख्यक लोगों के अधिकार हैं। यहां तक कि संविधान के अनुच्छेद 29 के खण्ड (1) के अनुसार भाषा, लिपि और संस्कृति के अधिकारों की गारंटी दी गई है परन्तु वहां इन सभी का उल्लंघन किया गया है।

सभापति महोदय : आपने अपना मुद्दा प्रस्तुत कर दिया है।

श्री जी॰एम॰ बनातवाला : इस बात की आवश्यकता है कि भारत के राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश में अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दें कि वहां संवैधानिक अधिकार सुरक्षित हो। इसलिए, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री और प्रधान मंत्री से अपील करता हूं कि वे इस मामले को देखें। मैंने इस संबंध में प्रधानमंत्री को लिखा है। मैंने राज्य के राज्यपाल, विधान सभा के अध्यक्ष तथा अन्य अधिकारियों को भी लिखा है। मुझे आशा है कि इस विशिष्ट अधिकार की सुरक्षा की जाएगी तथा उक्त दोनों सदस्यों को, और समय नष्ट किए बिना, उर्दू में शपथ लेने की अनुमति दी जाएगी। मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

सभापति महोदय : माननीय गृह मंत्री, मेरा विचार है कि आपने इस बात को नोट कर लिया है। गृह मंत्रालय को इस संबंध में उचित कार्यवाही करनी चाहिए।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : जी हां, महोदय।

अपराह्न 2.00 बजे

सभापति महोदय : अब हम अगले मुद्दे पर चर्चा करेंगे।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : उसका उत्तर दे दिया गया है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : हमने निर्णय ले लिया है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : दलों के नेता यहां उपस्थित हैं। सभी के विभिन्न सदस्यों के अनुरोध पर तथा पीठासीन अधिकारी के स्थान पर कार्य करते हुए मैंने सभा का समय आधा घण्टा और बढ़ाने का निर्णय लिया है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : हम सभा की कार्यवाही कैसे चला सकते हैं?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन) : सभापति महोदय, हमें एक एक मिनट बोलने का समय दे दें।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप कृपया बैठ जाइये। मैं खड़ा हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आजमी जी, यह सही नहीं है। जब चेयरमैंन खड़ा होता है तो आपका बोलना उचित नहीं है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मुझे बात स्पष्ट करने दीजिए। आज सुबह सभापति द्वारा नहीं बल्कि सभा द्वारा ही इस बात का निर्णय लिया गया था कि शून्य काल 2.00 बजे तक जारी रखा जाएगा। इस बात पर भी सहमति हुई थी कि मैं सूची में से क्रमानुसार नाम पुकारूंगा। वह कार्य मैंने कर दिया है। इसलिए, समय बढ़ाने की और कोई गुंजाइश नहीं है।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : अभी और कितने सदस्यों को बोलना है?

सभापति महोदय : अभी दस से अधिक सदस्य हैं।

अब माननीय सदस्य सभा की कार्यवाही जारी रखने की अनुमति दें। हम कार्यवाही के अगले मुद्दे पर चर्चा करते हैं।

अब, हम नियम 377 के अन्तर्गत मामलों पर चर्चा करते हैं।

श्री प्रभु दयाल कठेरिया।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद (फतेहपुर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। सदन में कोरम नहीं है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : घंटी बजाई जा रही है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : अब कोरम है।

अपराह्न 2.06 बजे

(उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*)

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) आगरा के निकट बटेश्वर को एक पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री प्रभु दयाल कठेरिया (फिरोजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, आगरा के निकट करीब 62 कि॰मी॰ दूर बटेश्वर मेला है। करीब वह मेला एक वर्ष में एक बार चलता है। समूचे देशों से श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। जमुना के किनारे (101) बने मंदिर पयर्टन की दृष्टि से बहुत आवश्यक हैं। भारत सरकार ने 1993 को करीब 40 लाख रुपया स्वीकृत किया था। माननीय पर्यटन मंत्री जी ने सदन में बटेश्वर को पर्यटन स्थल घोषित किया था। उसकी अभी तक कोई खास प्रगति नहीं हुई है।

अतः केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि बटेश्वर को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने हेतु शीघ्र कार्यवाही की जाये।

(दो) जलेसर रोड रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश में अधिक रेल सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

प्रो॰ ओम पाल सिंह 'निडर' (जलेसर) : मेरे लोक सभा क्षेत्र जलेसर के अंतर्गत रेल सुविधाओं का नितांत अभाव है। जलेसर रोड स्टेशन पर मगध एक्स॰ का रूकना तथा फिरोजाबाद पर मरूधर एक्स॰ और जोधपुर-हावड़ा एक्सप्रेस का रूकना बहुत आवश्यक है। इन रेलों के रूकने से तथा दिल्ली से टुंडला तक ई॰एम॰यू॰ पैसेंजर चलने से इस क्षेत्र के लाखों लोगों को लाभ पहुंचेगा एवं व्यापार, कृषि, पर्यटन आदि का विकास होगा।

महोदय, मैं आपके माधम से रेल मंत्री जी से अनुरोध करता हूं, मंत्री महोदय कृपया आप इन समस्याओं का समाधान करें।

(तीन) राजस्थान में चुरू, में मूंगफली अनुसन्धान केंद्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री नरेन्द्र बुडानिया (चुरू) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री, भारत सरकार का ध्यान राजस्थान के अपने लोकसभा क्षेत्र चुरू जिले की ओर आकर्षित करना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि चुरू जिले में बहुत बड़ी मात्रा में मूंगफली पैदा होती है जिसका दाना अपेक्षाकृत मोटा तथा एक बीघे में 20 क्विंटल तक उपज होती है, लेकिन इसके विपणन की पर्याप्त एवं उचित व्यवस्था के अभाव में मेरे क्षेत्र का किसान बिचौलियों एवं व्यापारियों के हाथों अपनी उपज को बहुत कम कीमत पर बेचने के लिये विवश है।

मेरा कृषि मंत्री महोदय से अनुरोध है कि मूंगफली पैदा करने वाले किसानों को आने वाली कठिनाईयों को दूर करने एवं किसानों की उन्नति के लिये चुरू जिले में मूंगफली की केन्द्रीय एजेंसी के माध्यम से खरीद की जाये, निर्यात की व्यवस्था की जाये, देश में इसकी खपत बढ़ाने, खाने में प्रयोग बढ़ाने के पूर्ण प्रयास किये जायें। मूंगफली की किस्म को और उन्नत बनाने, यील्ड बढ़ाने के लिये कृषि विस्तार सेवा उपलब्ध करवाई जाये। इसकी उपज बढ़ाने के लिये किसानों को मूलभूत सुविधायें जैसे-बीज, खाद, कीटनाशक दवायें एवं कृषि उपकरण खरीदने के लिये विशेष सबसिडी उपलब्ध करवायी जाये जिससे राजस्थान में मूंगफली की पैदावार और बढ़ाई जा सके तथा किसान लाभान्वित हो सकें।

[अनुवाद]

(चार) उड़ीसा में राउरकेला और सम्बलपुर के बीच एक नई रेलगाड़ी/डी॰एम॰यू॰ चलाये जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : महोदय, राउरकेला और सम्बलपुर उड़ीसा के दो प्रमुख शहर है जो राज्य के उत्तरी राजस्व डिविजन में आते हैं। लेकिन इस महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र में पर्याप्त रेल सुविधाएं नहीं दी जा रही है। रेलगाड़ियों के पर्याप्त संख्या में नहीं होने के कारण, बहुसंख्य सवारियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हालांकि राऊरकेला से सुबह चलने वाली तथा सम्बलपुर से शाम को आने वाली नई सवारी रेलगाड़ी/डी एम यू चलाने की न्यूनतम मांग को डिविजनल तथा जोनल प्राधिकारियों ने माना है तथापि यह खेद का विषय है कि इस मांग को अभी तक पूरा नहीं किया गया है। इसके परिणामस्वरूप लोगों में असंतोष पनप रहा है।

अतएव मैं रेलमंत्री से इस विषय में स्वयं व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करने तथा और अधिक विलम्ब किए बिना इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने का आग्रह करता हूं।

(पांच) तेल्लिचेरी और मैसूर बरास्ता कूर्ग के बीच नई रेल लाइन बिछाये जाने की आवश्यकता

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन (कन्नानौर) : महोदय, तेल्लीचेरी और मैसूर के बीच कूर्ग के रास्ते रेलमार्ग की मांग पिछले नौ दशकों से लंबित है। इस मार्ग का पहला सर्वेक्षण ब्रिटिश राज में साऊथ इंडियन रेलवे कंपनी के द्वारा शुरू किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध छिड़ जाने के कारण इस सर्वेक्षण कार्य को बीच में ही छोड़ देना पड़ा था। तत्पश्चात् स्वतंत्रता से पूर्व तीन और सर्वेक्षण किए गए। इन सभी सर्वेक्षणों से पता चलता है कि यह मार्ग आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद तथा सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पहले के मैसूर राज्य और मद्रास प्रेजीडेन्सी ने इस रेलमार्ग की जोरदार वकालत की थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भी तकनीकी-आर्थिक संभाव्यता सर्वेक्षण किया गया था। सभी मापदंडों को देखते हुए, यह रेल मार्ग केरल और कर्नाटक का विकास करने में सहायक होगा। इस मार्ग पर प्रतिदिन हजारों ट्रक तथा

सैकड़ों बसें चलती हैं। केरल और कर्नाटक के इस क्षेत्र में पर्यटन की भारी संभावना प्रतिवर्ष हजारों पर्यटकों को आकर्षित करती है। इस रेलमार्ग के बन जाने से कालीकट, बीपुर, तेल्लीचेरी और अझिक्कल बंदरगाह विकसित हो सकते हैं। कूर्ग, वायनद, मैसूर और कन्नानौर में नकदी फसल भारी मात्रा में होती है। इस रेलमार्ग के बन जाने से इस मार्ग से व्यापार और उद्योग समृद्ध होंगे। अभी, तेल्लीचेरी से मैसूर जाने वाले यात्रियों को जोलारपेट होते हुए लगभग 600 कि॰मी॰ की यात्रा करनी पड़ती है जबकि कूर्ग होते हुए तेल्लिचेरी–मैसूर मार्ग से इस दूरी से 200 कि॰मी॰ की कमी आ जाएगी। पूर्व रेलमंत्रियों ने जिसमें स्व॰ लाल बहादुर शास्त्री भी सम्मिलित हैं—इस मार्ग की वास्तविक आवश्यकता को समझा था।

मैं माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह इस सौ वर्ष पुराने प्रस्ताव को सबसे ज्यादा महत्व दें।

(छ) बिहार के सीतामढ़ी जिले में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत रियायती दरों पर राशन प्राप्त करने के लिए "रेड कार्ड" जारी किए जाने को सुनिश्चित करने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी) : महोदय, केन्द्र सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे के सभी परिवारों को प्रति परिवार प्रति महीना 10 किलो गेहूं आधे मूल्य पर दिया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को पहचान कर लाल कार्ड जारी किया जाता है। बिहार के सीतामढ़ी जिला में लाल कार्ड बनाने में नियमों का समुचित पालन नहीं किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन, कृषि मजदूर, छोटे किसानों, भारवाहक, कुली, रिक्शा चालक आदि को कार्ड वितरित नहीं किया जा रहा है जिसके कारण ग्रामीणों में काफी आक्रोश एवं व्यापक असंतोष है।

केन्द्र सरकार से मेरा आग्रह है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक कारगर एवं लोकप्रिय बनाने तथा गरीबी रेखा से नीचे गुजर कर रहे लोगों को लाभान्वित करने के लिए सीतामढ़ी में जारी किये गए सभी लाल कार्डों की जांच कराएं तथा वंचित परिवारों को लाल कार्ड जारी करने का आदेश निर्गत करें।

[अनुवाद]

(सात) केरल में तिरूअनंतपुरम के विकास हेतु समुचित धनराशि स्वीकृति किए जाने की आवश्यकता

श्री ए॰ सम्पत (चिरायिंकिल) : महोदय, तिरूअनन्तपुरम हवाई अड्डा दक्षिणी गोलार्द्ध से उत्तरी गोलार्द्ध को जोड़ने वाले अत्यन्त महत्वपूर्ण अन्तरराष्ट्रीय वायुमार्ग में पड़ता है। यह सर्वाधिक सुरक्षित हवाई अड्डों में से एक है। वर्ष 1991 में ही त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे को अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया और स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद यह पहला हवाई अड्डा है जिसे अन्तराष्ट्रीय घोषित किया गया था। काफी संख्या में विदेशी एयरलाइन्स तिरूअनन्तपुरम (त्रिवेन्द्रम) से प्रचालन करना चाहते हैं। अन्य कई इस हवाई अड्डे का प्रयोग पुनः तेल लेने और अन्य सेवाओं के लिए करना चाहेंगे। लेकिन, इस हवाई अड्डे का विकास कार्य अत्यन्त मंथर गति से हो रहा है जिससे प्रत्येक माह करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा है। दूसरी और निधियों के अभाव के कारण बिना अधिक सुविधाएं जुटाए ही सवारी यातायात में वृद्धि हो रही है।

मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह तत्काल इस मामले को देखे तथा बिना किसी विलम्ब के तिरूअनन्तपुरम अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के विकास के लिए पर्याप्त निधियां आवंटित करें।

(आठ) केरल में मंजेरी में एफ॰एम॰ रेडियो स्टेशन स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री ई॰ अहमद (मंजेरी) : मंजेरी में 3 कि॰वा॰ का एफ एम ट्रांसमीटर लगाकर एफ एम रेडियो स्टेशन स्थापित करने का प्रस्ताव था और इस परियोजना के लिए पर्याप्त धन स्वीकृत कि गया है। स्थानीय लोगों के द्वारा रेडियो स्टेशन की स्थापना के लिए नियत जमीन के अधिग्रहण की औपचारिकता पूरी की जा चुकी है।

इस क्षेत्र के लोगों के लिए यह घोर चिन्ता का विषय है कि केरल के मलपुरम जिले में स्थित मंजेरी, जो कि सर्वाधिक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, में अभी तक एफ एम रेडियो स्टेशन स्थापित नहीं किया गया है।

इसमें पहले ही विलम्ब हो चुका है और चीफ इंजीनियर, ए आई आर को मंजेरी में, रेडियो स्टेशन, जो कि केरल राज्य के मलपुरम जिले की बड़ी परियोजना है, के लिए भवन का निर्माण कार्य शुरू करने के लिए तेजी से कदम उठाने चाहिए। अतएव, मैं सरकार से इस परियोजना के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए अनुरोध करता हूं।

अपराह्न 2.17 बजे

[अनुवाद]

महाराष्ट्र राज्य के मुम्बई, नागपुर तथा अन्य स्थानों और देश के अन्य भागों में दलितों पर किये गये अत्याचारों के बारे में प्रस्ताव—जारी

श्री पृथ्वीराज दा॰ चव्हाण (कराड़) : उपाध्यक्ष महोदय...

(व्यवधान)

श्री पी॰सी॰ चाक्को (मुकुन्दपुरम) : महोदय, यह उचित होता यदि चर्चा के दौरान माननीय गृह मंत्री या माननीय गृह राज्य मंत्री उपस्थित होते।

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किन्जारप्पू येरननायडू) : महोदय, मैं यहां उपस्थित हूं।

श्री पी॰सी॰ चाक्को : महोदय, श्री येरननायडू यहां उपस्थित हैं किंतु सरकार के प्रतिनिधि नहीं है।

श्री किन्जारप्पू येरननायडू : महोदय, गृह राज्य मंत्री अभी पांच मिनट में आ रहे हैं। वह अभी-अभी यहां थे।

श्री पृथ्वीराज दा॰ चव्हाण : महोदय, मैंने कल अपना हस्तक्षेप शुरू किया था और मैंने यह कह कर इस पूरे विवाद के महत्वपूर्ण पहलू को रेखांकित किया था कि 11 तारीख की घटनाओं के तीन महत्वपूर्ण पहलू थे और बाद में श्री भुजबल के घर पर हमला किया गया और इस पूरे प्रकरण में किसी अन्य को फंसाने का प्रयास किया जा रहा है।

मैं इस गोलीबारी को न्यायसंगत ठहराने के लिए राज्य सरकार और शिव सेना के नेताओं द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर आपत्ति कर रहा हूं। मैं पहले ही रैंकर के विषय में कह चुका हूं और अब इसे दोहराना नहीं चाहता हूं। मैं अपने विषय पर बाद में लौटूंगा और माननीय गृह मंत्री तथा सभा को बताने का प्रयास करूंगा कि शिव सेना नेतृत्व क्यों दलितों के क्रूरतापूर्ण संहार को न्याय संगत ठहराना चाहता है?

किसी को बलि का बकरा बनाने, जवाबदेह ठहराने और किसी को फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। अब मैं आगे बढ़ूंगा और यह बताऊंगा कि शिव सेना के नेताओं, शिव सेना के संसद सदस्यों और उन सभी जो सरकार के साथ जुड़े हुए थे, ने कितने तरह के अलग अलग कहानियां गढ़ी थीं। मैं केवल घटनाओं को फिर से याद करूंगा जिसे आप बखिया उधेड़ना, ध्यान बंटाने का प्रयास, किसी भी कांग्रेसी, आर पी आई के सदस्य या विधान सभा के किसी भी सदस्य के मत्थे आरोप मढ़ने का प्रयास है।

न्यायिक जांच क्यों हो रही है? पता नहीं इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने तथा दोष मढ़ने हेतु किसी की तलाश का प्रयास क्यों किया जा रहा है। क्या शिव सेना के नेता गण दोषी हैं? क्या उन्हें भय है कि इस जांच में उनके विरूद्ध कुछ मिल सकता है?

अब मैं बताना चाहूंगा कि इसमें कितनी अलग-अलग कहानियां हैं।

पहली कहानी तो यह है कि पुलिस गोलीबारी के तत्काल बाद कांग्रेसजन वहां पहुंच गए। श्री भुजबल वहां तत्काल पहुंच गए। बाद में अ॰भा॰कॉ॰क॰ का एक शिष्टमंडल जिसका नेतृत्व हमारे उपनेता श्री जी॰ वेंकट स्वामी कर रहे थे, वहां पहुंचे। श्रीमती मीरा कुमारी वहां पहुंची। उन सभी का वहां स्वागत था। जिन दलितों का उत्पीड़न हुआ था उनसे ये सब के सब मिले लेकिन सरकार की ओर से तथा भा॰ज॰पा॰ अथवा शिव सेना की ओर से किसी को भी वहां जाने की अनुमति नहीं दी गई। उन्हें कार से उतरने नहीं दिया गया। इसीलिए यह कहानी प्रचारित की जा रही है कि चूंकि कांग्रेस जनों को वहां जाने की अनुमति दी गई अतः, उस व्यक्ति से मिले हुए थे जिसने प्रतिमा को माला पहनायी।

महोदय, अब मैं शिव सेना के एक अति सम्मानित संसद सदस्य श्री संजय निरूपम द्वारा लिखित पत्र का अंश उद्धृत करना चाहूंगा। वे शिव सेना नेता के काफी करीब हैं। उन्होंने मुंबई में रहने वाले उत्तर भारतीय लोगों की ओर से महाराष्ट्र के राज्यपाल को पत्र लिखा है और उन्होंने कृपा करके इस पत्र की एक प्रति हम लोगों को भी दी है। यह कांग्रेस द्वारा षडयन्त्र की कहानी है। इस पत्र में लिखा है।

> "हमें पूरा विश्वास है कि पूरी कार्यवाही कांग्रेस द्वारा की गई। पुलिस द्वारा आरंभिक जांचों तथा पारिस्थितिक प्रमाण से पता चलता है जिन संदिग्ध लोगों का अब तक पता लग सका है, वे प्रतिपक्ष के नेता के काफी निकट माने जाते हैं।"

मैं माननीय गृह मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि क्या उन्हें पता है कि...(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

प्रो॰ ओम पाल सिंह 'निडर' (जलेसर) : उपाध्यक्ष जी, जब हमारी तरफ से स्पीच में किसी का नाम लिया जाता है तो ये लोग टोकते हैं, रोकते हैं। फिर पृथ्वीराज जी यहां श्री संजय निरूपम का नाम क्यों ले रहे हैं?...(*व्यवधान*)

श्री पृथ्वीराज दा॰ चव्हाण : उन्होंने एक लैटर हमें लिखा है, जिसे मैं कोट कर रहा हूं।...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

मैं श्री संजय निरूपम द्वारा महाराष्ट्र के राज्यपाल को लिखे पत्र को उद्धृत कर रहा हूं।

मैं माननीय गृहमंत्री से कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या कुछ लोगों पर आरंभिक संदेह है? क्या वह संदिग्ध लोगों के बारे में जानते हैं? गृह मंत्री ने लोक सभा में चर्चा के दौरान हस्तक्षेप करते हुए बताया है कि उन्हें वहां उपस्थित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से मिलने की अनुमति नहीं दी गई। जब वे रामाबाई कालोनी पहुंचे तो वहां उन्हें किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से नहीं मिलने दिया गया। केन्द्रीय गृह मंत्री ने यही कहा है। हमारे पास शिव सेना के एक माननीय सदस्य का पत्र है जिसमें आरम्भ में जांच के आधार पर संदिग्ध लोगों, पारिस्थितिक प्रमाण की बात कही गई है और यह किसी की ओर इशारा करता है। गृह मंत्री को इस बारे में पता लगाना चाहिए ...(*व्यवधान*)

श्री बनवारी लाल पुरोहित (नागपुर) : गृह मंत्री अधिकारियों को बुला सकते थे। किसी ने उन्हें नहीं रोका...(*व्यवधान*)

श्री पृथ्वीराज दा॰ चव्हाण : मैं यही जानना चाहूंगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं आपसे सहमत हूं। गृह मंत्री को अधिकारियों को बुलाना चाहिए था। उन्होंने ऐसा नहीं किया। वे कहते हैं कि उनके पास कोई नहीं आया।

यह 'कांग्रेस द्वारा षडयन्त्र की कहानी है।'

उसी पत्र में श्री संजय निरूपम विरोधाभासी बातें कहते हैं। मैं उनके पत्र से पुनः उद्धृत करता हूं।

> "मैं आपका ध्यान आर॰पी॰आई॰ नेता श्री राजा धाले के उस वक्तव्य की ओर दिलाता हूं जिसमें कहा गया है कि

पूरी कार्यवाही कालोनी में ही ठहरे किसी विशेष समुदाय के सदस्यों द्वारा की गई थी।"

अब किसी आर॰पी॰आई॰ के व्यक्ति को संबद्ध होने की बात कही गई है।

महोदय श्री राजा धाले ने अपने ऊपर लगाए गए आरोप का साफतौर पर खंडन किया है। यह दूसरी बात है। मजे की बात है कि उन्होंने इस पत्र में दो बातें कही है।

श्री प्रमोद महाजन ने मूर्ति को अपमानित करने की घटना के बारे में यह कहते हुए तुलनात्मक आंकड़े देने का प्रयास किया है कि कांग्रेस शासन तथा बी॰जे॰पी॰/एस॰एस॰ शासन के दौरान ऐसी अनेक घटनाएं हुई।

श्री संजय निरूपम ने अपने पत्र में एक रोचक बात कही है जो इस प्रकार है :

"वर्ष 1994 में कांग्रेस शासन के दौरान बाबा साहेब की मूर्ति को 184 बार अपमानित किया गया..."

श्री शरद पवार ने भी यह कहा है।

इसमें आगे कहा गया है :

"शिव सेना–भाजपा के शासन के दौरान बाबा साहेब की मूर्ति को 20 बार अपमानित किया गया और यह घटनाएं विधान सभा के सत्र के दौरान हुई जिससे यह साबित होता है कि यह किसी और द्वारा नहीं बल्कि कांग्रेसजनों द्वारा ही की गई"...*(व्यवधान)*

श्री राम नाईक (मुम्बई–उत्तर) : ऐसा किसने कहा है? ...*(व्यवधान)*

श्री पृथ्वी राज दा॰ चव्हाण : यह पत्र श्री निरूपम द्वारा राज्यपाल को लिखा गया है...*(व्यवधान)*

श्री राम नाईक : अब आप श्री प्रमोद महाजन को उद्धृत कर रहे हैं।

श्री पृथ्वीराज दा॰ चव्हाण : श्री प्रमोद महाजन ने आंकड़े दिए हैं। मैं श्री प्रमोद महाजन को उद्धृत नहीं कर रहा बल्कि मैं श्री संजय निरूपम के पत्र का हवाला दे रहा हूं। बड़ा ही अद्भुत तर्क है। इसमें कहा गया है कि कांग्रेस शासन के दौरान बाबा साहेब की मूर्ति को 184 बार अपमानित किया गया जबकि शिव सेना शासन के दौरान ऐसी घटनाएं 20 बार हुई, इस प्रकार इन 20 घटनाओं में कांग्रेसजन शामिल रहे होंगे। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या उक्त 184 घटनाएं किसी अन्य द्वारा की गई थीं? ऐसा किसने किया? इस प्रकार आंकड़े देकर अनुमान लगाना आवश्यक नहीं है। इन मामलों की न्यायिक जांच होने वाली है।

अब हम दूसरी कहानी पर आते हैं। यह शिव सेना के मुख्य पत्र 'सामना' के 14 जुलाई के अंक से है। इसमें कहा गया है कि मूर्ति को अपमानित करने का षडयन्त्र श्री पीचाद के घर पर रचा गया था। श्री पीचाद कांग्रेस के प्रतिपक्ष के नेता है। मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा। मेरे पास समाचारपत्र की कतरन है। यह दूसरी कहानी है।

एक अन्य कहानी भी है जिसके बारे में श्री प्रमोद महाजन ने भी बताया है, यह कांग्रेस विधायक श्री आर॰आर॰ पाटिल द्वारा महाराष्ट्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा से जुड़ी है। उन्होंने सारी बातें स्पष्ट की हैं। उन्होंने महाराष्ट्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा के दौरान यह कहा। विपक्ष का व्यक्ति और क्या कहेगा? उनहोंने हरिजनों पर अत्याचार के बारे में कहा। उन्होंने पत्रकारों पर हमले की बात कही। उन्होंने चुने हुए प्रतिनिधियों तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं पर हमले की बात भी कहीं। वहां की शासन व्यवस्था की बात पर मैं बाद में आऊंगा। उन्होंने हत्याओं, जबरन वसूली कांड तथा फ्लैटों को जबर्दस्ती खाली कराये जाने के उन मामलों के बारे में भी बात उठाई जिसमें सरकार जांच नहीं करा रही है। इसी संबंध में उन्होंने कहा कि "श्मशान शंताता" की स्थिति हैं। अब पुनः कोई अप्रत्यक्ष रूप से इस तरफ इशारा कर रहा है कि हो सकता है उन्हें पता हो। यदि उन्हें पता था तो उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया? आप षडयन्त्र का पता क्यों नहीं लगाते? यह इशारों में उंगली क्यों उठाई जा रही है?

महोदय, परमानी घटना के बारे में श्री महाजन द्वारा कही गई बात को मैं पुनः उद्धृत करता हूं। उन्होंने कुछ लोगों के नाम बताए जो एक विशेष समुदाय के हैं। उन्होंने आगे कहा है कि उसमें से एक को पाकिस्तान में प्रशिक्षण दिया गया। सरकार को इसका पता लगाना चाहिए। इस प्रकार कहानियां और भी बनाई जा रही हैं। पाकिस्तानी खुफिया एजेन्सी आई॰एस॰आई॰ पर देश को अस्थिर करने का आरोप लगाया जा सकता है। यह कहानी गढ़ना सबसे सुविधाजनक है। इस प्रकार कहानी हर कोई गढ़ता है।

एक और कहानी यह है कि श्री भुलबल अपराध जगत के इस सरगने से मिले जिसे माफिया सरगना कहा गया है। मुझे अपराध जगत के इस सरगने अथवा माफिया सरगने के बारे में जानकारी नहीं है और यह भी पता नहीं कि वह किसका पत्र है। श्री भुजबल किसी व्यक्ति तथा किसी सरगने से कहीं मिले अतः उन्होंने जरूर षडयन्त्र रचा होगा।

श्री भुजबल की महाराष्ट्र सरकार द्वारा 24 घंटे की सुरक्षा तथा व्यक्तिगत अंगरक्षक मिला हुआ है। उनकी हर पल की गतिविधि का पता होता है। वे हमें क्यों नहीं बताते कि वे कहां गए तथा किससे मिले?

इस षडयंत्र पहलू के दूसरे आरोप पर आने के पहले मैं इस माफिया बादशाह की बात कहना चाहूंगा। यह माफिया सरगना कौन था? आप ऐसा क्यों कहते हैं कि उसका कांग्रेस से दोस्ताना संबंध है? ...*(व्यवधान)* ऐसा कहा गया कि इस माफिया सरगने का कभी शिव सेना के साथ काफी दोस्ताना संबंध था, यहां तक कि हिन्दू–मुस्लिम तनाव के संबंध में शिव सेना नेता श्री ठाकरे ने कहा कि यदि एक समुदाय विशेष के पास दाउद इब्राहिम है तो हमारे पास भी श्री अरुण गावली नाम का सरगना है। बाद में उन्हें गिरफ्तार किया गया। बाद में उनके संबंधों में जरूर दरार पड़ी होगी। मुझे पता नहीं कि क्या हुआ।...*(व्यवधान)* मैं उत्तर दे रहा हूं। मुझे पहले अपनी बात पूरी करने दें उसके बाद श्री मोहन रावले बोलें। आगे इस व्यक्ति ने ...*(व्यवधान)*

श्री आनन्दराव विठोबा अडसूल (बुलढाना) : आप उदाहरण बताएं। कोई उदाहरण है।

श्री पृथ्वी राज दा॰ चव्हाण : आप मना कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य गलत आरोप लगा रहे हैं। मेरा अनुरोध है कि वे गलत आरोप न लगाएं। यह दाउद का और गावली का मामला कब हुआ, उसका इससे क्या संबंध है। हमारी पार्टी शिव सेना के जो प्रमुख हैं, उनके ऊपर ये गलत आरोप लगा रहे हैं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : वे डिनाई करेंगे।...*(व्यवधान)*

श्री अनंत गंगाराम गीते : वे डिनाई तो करेंगे, लेकिन इस तरह से गलत आरोप नहीं लगा सकते है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : इस प्रकार से किसी का नाम लेने में तो कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन इल्जाम लगाने से पहले जरा सोच लीजिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री आनन्दराव विठोबा अडसूल : क्या आपके पास कोई प्रमाण है?

श्री पी॰सी॰ चाक्को : समाचार पत्रों में इस पर विस्तार से चर्चा की गई है। इसमें आपत्तिजनक क्या है? इसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें बोलने दें। कृपया शोरगुल न करें। उन्हें बोलने दें।

श्री पृथ्वीराज दा॰ चव्हाण : अपराध जगत का यह व्यक्ति शिव सेना सरकार द्वारा हाल ही में गिरफ्तार किया गया। जिस व्यक्ति का मैंने अभी-अभी नाम लिया और जिसके बारे में उन्होंने कहा वह 17 जुलाई को एक मोर्चे का नेतृत्व कर रहा था। उसे शिव सेना सरकार ने एक महीना पहले गिरफ्तार किया।

श्री आनन्दराव विठोबा अडसूल : आप शिव सेना सरकार क्यों कहते हैं? इसमें भा॰ज॰पा॰ भी शामिल है।

श्री पृथ्वीराज दा॰ चव्हाण : मैं सुधार कर लेता हूं। धन्यवाद। मेरे साथी ने मेरी बात सुधार दी। जब मैं शिव सेना कहता हूं तो उसमें भा॰ज॰पा॰ भी शामिल है। मेरी बात सुधारने के लिए आपको धन्यवाद क्योंकि बिना भा॰ज॰पा॰ के समर्थन के शिव सेना की यह सरकार नहीं चल सकती। मैं इसकी प्रशंसा करता हूं। वह व्यक्ति गिरफ्तार किया गया और इस सदन के माननीय सदस्य श्री मोहन रावले इसके विरोध में अनिश्चित काल के लिए भूख हड़ताल पर चले गए। वे हमारे घनिष्ठ मित्र है...*(व्यवधान)* मैं समझता हूं कि वे स्थिति को बाद में स्पष्ट करेंगे...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : महोदय, इन्होंने मेरा नाम लिया है इसलिए मैं पर्सनल एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

श्री पृथ्वीराज दा॰ चव्हाण : आप बाद में बोलें तो अच्छा रहेगा।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप बोलिए, क्या कहना है।

श्री मोहन रावले : मेरे निर्वाचन क्षेत्र में हिन्दू, मुसलमान, सिख सब जाति के लोग रहते हैं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : उस प्वाइंट को क्लैरीफाई कर दीजिए।

श्री मोहन रावले : जिसका नाम उसने लिया, वह मेरे क्षेत्र में रहता है। दगड़ी चाल मेरे क्षेत्र में है। वहां ऐसा तनाव पैदा हुआ था। उसे अरेस्ट करने के लिए पुलिस गई थी। वहां हमारे कार्पोरेटर दिलीप चौहान रहते हैं। वे मेरे पास आए...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप चेयर को ऐड्रैस कीजिए।

श्री मोहन रावले : मुझे उन्होंने कहा, ढाई-तीन हजार महिलाएं बैठी हैं। आप चलिए नहीं तो वहां तनाव, गोलीबारी कुछ भी हो सकता है। मैं वहां से पहले पुलिस स्टेशन चला गया। बाद में मैं उस दगड़ी चाल चला गया। वहां जाकर मैंने अरुण गवली के साथ बात की, पुलिस के साथ बातचीत की और वापिस पुलिस स्टेशन आकर ए॰सी॰पी॰, श्री सुब्रह्मणियम से बात की और कहा कि आपको अरैस्ट करना है तो डायरैक्ट जाकर उसे अरैस्ट कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, आप उसे ले जाइए, उसे हम जमानत दे देंगे। ऐडीशनल सी॰पी॰ ने मुझे वर्ड दिया था। उनका वर्ड लेकर मैं दगड़ी चाल में चला गया। वहां सब महिलाएं बैठी थी और अरुण गवली था। मैंने उससे कहा कि आप मेरे साथ चलो, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे क्षेत्र में कुछ दंगा हो, कुछ गड़बड़ हो।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रमोद महाजन (मुम्बई उत्तर पूर्व) : महोदय, उनका यह स्पष्ट करना पूरी तरह जायज है कि उन्होंने भूख हड़ताल क्यों की।...*(व्यवधान)*

श्री पृथ्वीराज दा॰ चव्हाण : मैंने सोचा कि अब वह बोलेंगे।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : इन्होंने तो हिम्मत बताई। शरद पवार जी ने जो कहा, उसके बारे में मैं बाद में बोलूंगा। दगड़ी चाल में टैंशन था।...*(व्यवधान)*

श्री पृथ्वीराज दा॰ चव्हाण : आप जल्दी समाप्त कीजिए क्योंकि मेरा लिंक खराब हो रहा है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो मैं भी कहूंगा कि जल्दी खत्म कीजिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पृथ्वीराज दा॰ चव्हाण : मैंने केवल इतना ही कहा कि उन्होंने भूख हड़ताल कर दी।...*(व्यवधान)*

श्री राम नाईक : महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। यदि श्री पृथ्वीराज दा॰ चव्हाण श्री मोहन रावले के बारे में कोई विशिष्ट उल्लेख करना चाहते थे तो उन्हें पहले नोटिस देना चाहिए था। उन्होंने ऐसा नहीं किया और नियमों के अनुसार ऐसा किया जाना आवश्यक है। परन्तु चूंकि उन्होंने उनके नाम का उल्लेख किया है, तो कम से कम उन्हें अपनी बात कहने दीजिए। नियमों के अनुसार, यह बहुत महत्वपूर्ण है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया संक्षिप्त बात कीजिए।

(व्यवधान)

श्री पृथ्वीराज दा॰ चव्हाण : मैंने उनको अनुमति दे दी है। मैं मान रहा हूं...*(व्यवधान)*

श्री राम नाईक : इसी कारण आपको उस प्रथा का पालन करना चाहिए था। कृपया ऐसा मत करिए।...*(व्यवधान)* आपको मानना पड़ेगा।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए।

(व्यवधान)

श्री पृथ्वीराज दा॰ चव्हाण : वह भूख हड़ताल पर चले गए हैं ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण-मध्य) : मैं वापिस चाल में गया तो वहां की महिलाएं कहने लगीं कि हम अरुण गवली को पुलिस के पास ले जाएंगे। उनको मैंने आश्वासन दिया कि मैं संसद सदस्य हूं, मैं जिम्मेदार हूं। मुझे ए॰सी॰पी॰ ने कहा है कि आप उसे लेकर आओ, हम उसे जमानत देंगे। मैं उन्हें पुलिस स्टेशन ले गया परन्तु वहां ए॰सी॰पी॰ नहीं था। मैंने आधा घंटा उनकी राह देखी और उसके बाद वहां से चला आया। मैंने देखा कि सब गड़बड़ हो रहा है। जब ए॰सी॰पी॰ आए तो उन्होंने कहा कि हम उनको अरैस्ट करने जा रहे हैं। मैंने उनको कहा कि आपने मुझे धोखा दिया है। जिस क्षेत्र से मैं चुनकर आता हूं, उन लोगों ने मेरी बात पर विश्वास किया है। जब किसी व्यक्ति पर कोई मुसीबत आती है तो उसको लेकर हम पुलिस स्टेशन में जाते हैं। इस प्रकार पुलिस वालों ने जब मुझे फंसाया था तो उनके खिलाफ मैंने अनशन किया था। यह मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आपने अपना पर्सनल एक्सप्लेनेशन दे दिया, ठीक है।

[अनुवाद]

श्री पृथ्वीराज दा॰ चव्हाण : ...*(व्यवधान)* मैं अपने मित्र का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि जब श्री गवली को गिरफ्तार किया गया तो उन्होंने भूख हड़ताल क्यों की। मेरा केवल यही मुद्दा है।

अब मैं अपनी बात जारी रखूंगा। बड़ा गंभीर षड्यन्त्र चल रहा है और जो स्थिति वहां उत्पन्न की जा रही है उसके लिए मैं गृह मंत्री को दोषी मानता हूं। गृह मंत्री वहां गए और उन्होंने कुछ ऐसी टिप्पणियां की जो बिल्कुल अनुचित हैं। चाहे विधायी पार्टी हो अथवा कांग्रेस संसदीय पार्टी, हमने अपने नेता के नेतृत्व में प्रधानमंत्री से भेंट की तथा अनुच्छेद 356 लागू करने की मांग की। महाराष्ट्र के राज्यपाल और यहां पर प्रधानमंत्री से यह सरकारी मांग की गई। गृह मंत्री वहां गए और उन्होंने कुछ ऐसी टिप्पणियां कर दी जिनकी कोई आवश्यकता नहीं थी। ये परस्पर विरोधी टिप्पणियां हैं। मैं उनके विस्तार में नहीं जाना चाहता। इसका ब्यौरा पहले ही दे दिया गया है। उसके पश्चात् क्या हुआ? उन्हें संविधान से इतर किसी अधिकारी से यह आश्वासन मिल गया कि इसके बाद कोई घटना नहीं घटेगी, और गृह मंत्री संतुष्ट हो गए।

इसके अतिरिक्त, गृह मंत्री ने कहा कि कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक तो नहीं है परन्तु छिन्न-भिन्न भी नहीं हुई है। मैं नहीं जानता कि इससे उनका क्या अभिप्राय था। इसके तत्काल बाद गृह मंत्री वापिस चले गए, इन शक्तियों ने, जो कि किसी विशिष्ट व्यक्ति से बदला लेने के लिए किसी व्यक्ति को दोषी ठहराकर राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयत्न कर रही थी, राजेन्द्र गुप्ता अथवा राजेन्द्र अग्रवाल नामक व्यक्ति से एक झूठा शपथ पत्र बनवाया, जिसका उल्लेख कल श्री सरपोतदार ने किया था। इस शपथ पत्र में विपक्ष के नेता श्री भुजबल को दोषी ठहराने का प्रयत्न किया गया है। शपथ पत्र में कहा गया है : "मैं किसी एक विशेष दिन श्री भुजबल के पास गया"—तारीख और समय दिया गया है—"और उनसे भेंट की। श्री भुजबल ने मुझे बताया "हम सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं। मेरे पास इसके लिए योजना है। मैं रामबाई नगर में अम्बेडकर की प्रतिमा आपको दिखाऊंगा। आपको वहां जाकर उस प्रतिमा पर माला अर्पित करनी है। मैं आपको अपनी कार, और आदमी दूंगा तथा आपको यह काम करना है।" इसके बाद इस व्यक्ति ने आगे लिखा है : "मैं 8 तारीख को पुनः उन्हें मिला"—तारीख और समय दिया गया है। एक सवैधानिक व्यक्ति, विपक्ष के नेता को दोषी ठहराने का यह कैसा साहस है? ऐसी घटना क्यों घटी? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि गृह मंत्री द्वारा यह परस्पर विरोधी संकेत दिए गए कि स्थिति अधिक खराब नहीं है।

अब, उस शपथ पत्र का क्या हुआ? मैंने श्री सरपोतदार से यह बताने का आग्रह किया कि वह यह बताएं कि क्या यह पहला शपथ पत्र था या दूसरा। श्री भुजबल के लिए सौभाग्यवश जिन दो दिनों और समय के बारे में श्री गुप्ता ने कहा है कि वह श्री भुजबल से मिले, श्री भुजबल वहां नहीं थे। श्री शरद पवार ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि पहले दिन, जब वे श्रीकृष्ण आयोग के सम्मुख उपस्थित हुए थे, सुबह नौ बजे से लेकर शाम को छह बजे तक सारा समय वह उनके साथ थे। जिस मोर्चे का उन्होंने उल्लेख किया है, वह उसमें नहीं थे। अब, इस राजेन्द्र गुप्ता नामक व्यक्ति ने शपथपत्र को बदल दिया है उसमें दी गई तारीख को भी उनके अनुरूप बदल दिया है। सौभाग्यवश जिन लोगों ने उन्हें दोषी ठहराया था, उन्होंने गल्ती की। यदि श्री भुजबल की अन्यत्र स्थिति न होती, कहीं और उपस्थिति न होती, तो क्या होता? यह कैसी सरकार चल रही है जिसके रहते ऐसे प्रयास

[श्री पृथ्वीराज दा॰ चव्हाण]

किए जाते हैं। श्री गुप्ता ने कहा है कि वह पुलिस आयुक्त के पास गए। सामना के अतिरिक्त अन्य किसी समाचारपत्र ने ऐसी कोई कहानी नहीं गढ़ी है। सामना ने क्या किया? गृह मंत्री को आश्वस्त करने के पश्चात् सामना लिखता है 'भुजबल को पकड़ो। दलित भाईयों, भुजबल ने ही प्रतिमा का अपमान किया था। उसे पकड़ लो।" यह लेख 17 जुलाई को प्रकाशित किया गया था। यह लेख भड़काने वाला है जिसमें एक निर्दोष व्यक्ति पर आरोप लगाने का प्रयास किया गया है।

परन्तु महोदय, हमें वह पृष्ठभूमि जाननी चाहिए कि शिवसेना केवल इसी व्यक्ति को अपना निशाना क्यों बना रही है? यह भुजबल कौन है? इन दो घटनाओं को अलग-अलग नहीं किया जा सकता। क्या कानून और व्यवस्था समाप्त हो गई है अथवा महाराष्ट्र में जिस तरह की सरकार कार्य कर रही है, भुजबल मामला अत्यन्त महत्वपूर्ण है। भुजबल के विरूद्ध गुस्सा क्यों? भुजबल शिवसेना के भूतपूर्व कार्यकर्ता हैं। श्री सरपोतदार ने कहा है कि वह किसी समय शिव सेना प्रमुख के दायां हाथ थे। वह शिव सेना की आन्तरिक कार्यप्रणाली जानते हैं। वह सभी नेताओं को भी जानता है। भुजबल अन्य पिछड़ी जातियों के समुदाय से सम्बद्ध हैं। वह मुम्बई में सब्जी विक्रेता थे। 26 वर्षों तक शिव सेना में रहने के कारण उन्होंने नेताओं में ऊंची जातियों के प्रति पक्षपात पूर्ण रवैया देखा। जब भी सत्ता की बात होती थी, तो ऊंची जाति का उम्मीदवार ही चुना जाता था। इससे उनको शिव सेना में संभावित खतरे और फासिस्ट मानसिकता का तथा लोकतंत्र दलितों और पिछड़े वर्गों के लिए संभावित खतरे का अहसास हुआ।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : क्या आपको मालूम नहीं कि वह बम्बई के दो बार महापौर रहे थे?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पृथ्वीराज दा॰ चव्हाण : एक बार महापौर थे...*(व्यवधान)* महोदय, कृपया व्यवधान मत होने दीजिए।

जब शिव सेना ने मण्डल आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के विरूद्ध निर्णय लिया, वह शिव सेना से नाराज हो गए तथा वैयक्तिक खतरे पर शिव सेना छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। स्पष्टतः शिव सेना के नेता इस बात से खिन्न थे कि उन्होंने शिव सेना छोड़ने की हिम्मत कैसे की। वे उन्हें पाठ पढ़ाना चाहते थे। वे दूसरों के लिए उदाहरण भी प्रस्तुत करना चाहते थे। शिव सेना के आन्तरिक मामलों की वैयक्तिक जानकारी रखने वाले भुजबल शिव सेना के कट्टर आलोचक हैं। आज वह विपक्ष के नेता हैं। भाजपा सरकार अथवा शिव सेना की आलोचना करने के लिए एक विरोधी नेता के रूप में कार्य करना उनकी आवश्यकता है।

वह यही कर रहे हैं। परन्तु, महोदय, चूंकि वह कट्टर आलोचक हैं, संवैधानिक संस्था के रूप में कार्य कर रहे हैं तथा विपक्ष के नेता है, शिव सेना उनके पीछे हाथ धोकर पड़ी है। वह नेताओं के लिए कांटा बन गए हैं। वह एक बहुत बड़ा खतरा हैं तथा उन्हें किसी भी कीमत पर बदनाम किया जाना चाहिए। उन्हें चुप करा दिया जाना चाहिए तथा आवश्यकता पड़ने पर समाप्त करा दिया जाना चाहिए। यदि आप शिवसेना के मुखपत्र सामना में प्रकाशित हुए सैंकड़ों लेखों को देखें तो कोई भी यह नहीं कह सकता कि उन्हें गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है क्योंकि यह पत्र उस दल का प्राधिकृत अंग है—आप देखेंगे कि यह धमकियां निराधार नहीं हैं बल्कि एक समुदाय को दूसरे समुदाय के विरूद्ध भड़काने तथा कांग्रेस नेताओं और विशेष रूप से श्री भुजबल को दोषी ठहराने हेतु सारा वातावरण दूषित करने के लिए एक निरन्तर प्रचार चलाया जा रहा है। श्री भुजबल एक सामान्य व्यक्ति नहीं हैं बल्कि एक पूरी संवैधानिक संस्था हैं।...*(व्यवधान)* उन्हें बदनाम करने के लिए और भी प्रयास किए जा रहे हैं। मैं उसके विस्तार में जाना नहीं चाहता। गोडसे की प्रतिमा का उल्लेख है, जो पूरी तरह गलत है तथा जिसका उन्होंने खण्डन किया है। ये सब 'द टाईम्स आफ इंडिया' में प्रकाशित हुआ है। मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चव्हाण, आपने 40 मिनट का समय ले लिया है।

श्री पृथ्वीराज दा॰ चव्हाण : महोदय, मैंने कल शाम को ही अपना भाषण शुरू किया था। मैं अपना भाषण बीच में ही छोड़ना नहीं चाहता था परन्तु मैं आज बोलने के लिए सहमत हुआ था।

उपाध्यक्ष महोदय : कल आपने 13 मिनट का समय लिया था।

श्री पृथ्वीराज दा॰ चव्हाण : महोदय, मैं श्री सरपोतदार द्वारा उल्लिखित अन्य मुद्दे पर अभी चर्चा करूंगा। उन्होंने बड़े अस्पष्ट ढंग से यह बताया कि एक भवन निर्माण कंपनी है। यह गलत सूचना देने का प्रयास है। वह किस भवन निर्माण कम्पनी का उल्लेख कर रहे थे? जी हां, यह सत्य है कि श्री भुजबल के पुत्र की एक भवन निर्माण कंपनी है। परन्तु इस बात का उल्लेख करते हुए मुझे भाजपा—शिव सेना के चुनाव घोषणा पत्र का भी उल्लेख करना चाहिए जिसके अन्तर्गत भवन निर्माताओं को पर्याप्त एफ एस आई देकर आठ लाख झोपड़ियों के गंदी बस्तियों में रहने वालों के पुनर्वास और झोंपड़-पट्टियां तोड़ने का आश्वासन दिया था। परन्तु इसे पूरा नहीं किया गया। यह लोग इससे परेशान हैं। मैं इसका थोड़ा बहुत उल्लेख करूंगा। इस योजना के अन्तर्गत इस वर्ष 23 जून को कांदीवली गंदी बस्ती में पांच हजार झोंपड़ियों को सरकार ने बुलडोजर से क्रूरतापूर्वक तोड़ दिया था।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री पृथ्वीराज दा॰ चव्हाण : बहुत इम्पोर्टेंट है...*(व्यवधान)*

श्री अनंत गंगाराम गीते : सदन में प्रस्ताव क्या है। प्रस्ताव पर चर्चा करिए।...*(व्यवधान)* आप दलित को भूल गए। यह आपका दलित प्रेम है। आप प्रस्ताव के ऊपर बोलिए।

श्री पृथ्वीराज दा॰ चव्हाण : मैं आ रहा हूं।...*(व्यवधान)*

श्री अनंत गंगाराम गीते : आपका दलित के ऊपर बोलने के लिए मैटर खत्म हो गया।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप समाप्त कीजिए।

[अनुवाद]

श्री पृथ्वीराज दा॰ चव्हाण : मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा। महोदय, वे अनावश्यक रूप से मेरी बात में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। मैंने उनके साथ ऐसा नहीं किया...*(व्यवधान)* आप सच्चाई से डरते क्यों हैं? आप क्यों नहीं सुन सकते?...*(व्यवधान)*

महोदय, मैं मुख्य विषय पर चर्चा करना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : वह अपनी बात पूरी कर रहे हैं। उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए।

श्री पृथ्वीराज दा॰ चव्हाण : महोदय, मैं इसी विषय पर आ रहा हूं। अब मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं।

इन झोंपड़ियों को बिना किसी पूर्व चेतावनी के तोड़ दिया गया है। गंदी बस्तियों में रहने वाले पचास हजार लोग बेघर कर दिए गए। 9 जुलाई को कांग्रेस ने विशाल **मोर्चा** आयोजित किया। इससे पूर्व, 8 जुलाई को बेरोजगारी के विरूद्ध विशाल **मोर्चा** आयोजित किया गया था। सरकार द्वारा दिया गया यह आश्वासन कि 27 लाख बेरोजगार युवकों को नौकरियां दी जाएंगी, पूरा नहीं किया गया...*(व्यवधान)*

श्री प्रकाश विश्वनाथ परांजपे (ठाणे) : हमारी सरकार केवल 30 महीने से सत्ता में है। वे लोग 40 वर्ष तक सत्ता में रहे। उन्होंने महाराष्ट्र में क्या किया? उन्हें महाराष्ट्र की जनता द्वारा सत्ताच्युत क्यों किया गया। वे महाराष्ट्र में सत्ता से बाहर इसलिए हुए क्योंकि उन्होंने 40 वर्ष तक कुछ नहीं किया...*(व्यवधान)*

श्री पृथ्वीराज दा॰ चव्हाण : महोदय, मैं चाहता हूं कि सरकार भवन निर्माताओं और शिव सेना की अपने आपको मजबूर दिखाने की योजना के बीच की सांठ-गांठ की जांच करे ...*(व्यवधान)* महोदय, मैं एक दूसरी बात बताने जा रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री प्रकाश विश्वनाथ परांजपे : महोदय, महाराष्ट्र में इन लोगों ने 40 साल राज किया है। तीस महीने में हम लोग क्या क्या करेंगे। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उन्होंने 40 वर्ष तक शासन किया। उन्होंने निर्धन लोगों तथा **दलितों** के लिए क्या किया? वे आंकड़ों से स्वयं यह तथ्य देख सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप उन्हें अपनी बात पूरी क्यों नहीं करने देते?

श्री पृथ्वीराज दा॰ चव्हाण : महोदय, मैं एक अन्य मुद्दे पर चर्चा करूंगा। रामबाई नगर भी एक ऐसी कालोनी थी, जिसे पुनर्स्थापित किया जाना था। यह आरोप लगाया गया है कि दो मंत्रियों के बीच इस बात को लेकर झगड़ा चल रहा था कि उसका निर्माण कौन कराए। फ्रैंकी बिल्डर्स के नाम से एक भवन निर्माता को इसका ठेका दिया जाना था।...*(व्यवधान)* मैं चाहता हूं कि सरकार इसकी जांच करे।. ..*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चव्हाण, जो कुछ आप बोल रहे हैं, क्या उसका सभा में रखे गए प्रस्ताव से कोई संबंध है? कृपया विषय से संबंधित बात कीजिए।

(व्यवधान)

श्री पृथ्वीराज दा॰ चव्हाण : रामबाई नगर, जहां अनुचित कार्य किया गया है, को पुनर्स्थापित किया जाना चाहिए...*(व्यवधान)*

श्री प्रकाश विश्वनाथ परांजपे : उपाध्यक्ष महोदय, यह अपना संतुलन खो रहे हैं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आपको हर समय नहीं बोलना चाहिए।

[हिन्दी]

देखिए, कभी कभी तो ठीक है लेकिन हर समय टोका टाकी ठीक नहीं है।

[अनुवाद]

श्री प्रकाश विश्वनाथ परांजपे : प्रस्ताव किसी और विषय पर है और यह किसी और विषय पर बात कर रहे हैं। हम इसे कैसे बर्दाश्त करें? यदि वह प्रस्ताव पर ही बात करें तो हम शांत रहें। परन्तु यह प्रस्ताव पर नहीं बोल रहे हैं...*(व्यवधान)*

श्री पृथ्वीराज दा॰ चव्हाण : मैं चाहता हूं कि सरकार इस संबंध की जांच करे। यह भवन निर्माता कौन हैं? इसे रामबाई नगर में आने की अनुमति क्यों दी गई?...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अब, कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री पृथ्वीराज दा॰ चव्हाण : अब मैं अपने भाषण के अंतिम भाग पर आता हूं। हमने प्रधानमंत्री से सरकार भंग करने की सिफारिश की है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या इसलिए कि 11 **दलितों** की वहां हत्या की गई? क्या इसलिए कि विपक्ष के नेता श्री भुजबल पर हमला किया गया?

श्री प्रमोद महाजन : राज्य सभा के सदस्य श्री एस॰बी॰ चव्हाण ने कहा है कि अनुच्छेद 356 का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। आपकी क्या प्रतिक्रिया है?

श्री पृथ्वीराज दा॰ चव्हाण : मैं अभी उस मुद्दे पर चर्चा करूंगा। मैं आपको यह दिखाना चाहता हूं कि शिव सेना और भाजपा द्वारा इसका समर्थन करना दलित-विरोधी आचरण है। मैं अपने विषय की मुख्य बात पर आता हूं। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं ...*(व्यवधान)* यह सर्वविदित है। मैं एक वाक्य का उल्लेख करूंगा। शिव सेना ही अम्बेडकर की पुस्तक "रिडल्स आफ हिन्दुइस्म" के विरूद्ध सड़क पर आई और उसने आन्दोलन आयोजित किया। उन्होंने अम्बेडकर के साहित्य को प्रकाशित करना बंद कर दिया। जब

[श्री पृथ्वीराज दा॰ चव्हाण]

मराठवाड़ा विश्वविद्यालय का पुनर्नामकरण किया गया तो श्री शरद पवार उसके कारण होने वाले आन्दोलन के साथ सख्ती से निबटे। परन्तु मैं एक बात सीधे रूप से रिकार्ड में रखना चाहता हूं। विश्वविद्यालय के पुनर्नामकरण का निर्णय किसी विशेष समिति के निर्णय के अन्तर्गत नहीं, बल्कि महाराष्ट्र विधान मण्डल की दोनों सभाओं के एकमत निर्णय के अन्तर्गत लिया गया था।

इसके अतिरिक्त शिव सेना के नेता दलितों और नव-बोद्धों के बीच अन्तर स्थापित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। वे यह भी कह रहे हैं कि डा॰ अम्बेडकर केवल नव-बोद्धों के नेता थे। रक्तांतर का कोई अजीब सा सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। मैं सामना में प्रकाशित एक लेख **धालेतवर पत अरी** का बिल्कुल संक्षिप्त अनुवाद करूंगा-बहुत हो गया। इसके अन्तर्गत नव-बोद्धों को आदेश दिया जाता है।

[हिन्दी]

> "तुम्हारा धर्मान्तर हुआ है लेकिन रक्तान्तर नहीं हुआ है, इसलिए हम तुम्हारी ओर एक अलग भावना से देखते हैं। अगर हमें बदला लेना होता तो हम कभी भी ले सकते थे, लेकिन तुम्हारा और हमारा रास्ता एक है।"

[अनुवाद]

अब, क्या बदला, कौन सा बदला?...*(व्यवधान)*

श्री प्रकाश विश्वनाथ परांजपे : क्या बात है?...*(व्यवधान)* महोदय, क्या वे इसके बारे में बात कर सकते थे?...*(व्यवधान)* भाई जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तित किया है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री पृथ्वीराज दा॰ चव्हाण : मैं बदला लेने की भावना की बात कर रहा हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पृथ्वीराज दा॰ चव्हाण, आपने 45 मिनट का समय ले लिया है।

श्री पृथ्वीराज दा॰ चव्हाण : कृपया मुझे पांच मिनट का समय दे दीजिए।

जब भाजपा शिवसेना सरकार ने सत्ता संभाली तो उन्होंने कार्यालयों से डा॰ अम्बेडकर के सभी चित्र हटाने का आदेश दिया। इसके प्रतिरूप बहुत बड़ा आन्दोलन हुआ। विपक्ष के नेता ने शिकायत की और तब उन्हें पुनः लगाया गया। मैं उनकी विचारधारा दर्शाना चाहता हूं...*(व्यवधान)* यह विवाद पहले ही उत्पन्न हो चुका है। मैं इसके ब्यौरे की चर्चा नहीं करूंगा...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री वी॰वी॰ राघवन।

श्री पृथ्वीराज दा॰ चव्हाण : महोदय, मैं समाप्त कर दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे कितनी देर तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी?

श्री पृथ्वीराज दा॰ चव्हाण : मैं केवल दो मिनट का समय लूंगा। दलितों को दी गई सुविधाओं के विरूद्ध एक व्यवस्थित प्रचार चल रहा है तथा ऊंची जाति के लोगों को नौकरियों में आरक्षण, दाखिलों और अत्याचारों संबंधी अधिनियम के संबंध में दलितों के विरूद्ध भड़काने के प्रयास किए जा रहे हैं। अनुसूचित जातियों, और अनुसूचित जनजातियों की भर्ती का विशेष भर्ती अभियान एक वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाया गया है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की पदोन्नति रोक दी गई हैं। अत्याचारों संबंधी अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज मामले वापिस ले लिए गए हैं। महात्मा फूले ओ॰बी॰सी॰ डेवेलपमेंट कारपोरेशन को दी गई राजसहायता भी वापिस ले ली गई है। दलितों के विरूद्ध एक प्रक्रियात्मक, प्रचार क्यों चलाया जा रहा है? इस विचार और विशेष रूप से इसकी विचारधारा ही ऐसी है। यह सरकार फासिस्ट विचारधारा को प्रोत्साहित कर रही है। शिव सेना के नेता हिटलर का नाम, जो कि इस संदर्भ में बहुत प्रसिद्ध है, का प्रयोग करते हैं। मुझे इसकी व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। वे महात्मा गांधी को राष्ट्र पिता नहीं कहते। सामना में उत्तेजक लेख प्रकाशित हुए हैं। पत्रकारों पर हमले हुए हैं, पहला मामला महानगर हमले का है और शिव सेना के एक नेता द्वारा देशोनाट्टी समाचारपत्र पर हमला किया गया है। कल मुख्यमंत्री ने हमले की जांच करने के लिए एक विशेष समिति गठित की है। समाचारपत्रों पर हमला करने की एक मानक-प्रैक्टिस है। उन्होंने अब एक सम्मिति नियुक्त की है। श्रीमती मेधा पाटेकर जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं के ऊपर भी हमले हुए हैं। उन पर हमला इसलिए किया गया क्योंकि वह एनरान के संबंध में आन्दोलन कर रही थीं। श्री अन्ना हज़ारे जो सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच करने की कोशिश कर रहे थे, के विरूद्ध लिखा गया। न्यायपालिका पर हमले किए गए हैं। यही कारण है कि हम चाहते थे कि यह सरकार चली जाए...*(व्यवधान)* न्यायपालिका पर हमले हुए। होलाम्बे पाटिल के न्यायालय पर घातक हमला किया गया जिसका उल्लेख श्री शरद पवार ने किया है। न्यायमर्ति श्रीकृष्ण आयोग को समाप्त करने की मांग की गई।

अब, मैं बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करता हूं। मुम्बई में नागरिकों का जीवन सुरक्षित नहीं है।

महोदय, अब मैं रमेश किनी की हत्या के मामले का उल्लेख करता हूं। उच्च न्यायालय ने केन्द्रीय गुप्तचर ब्यूरो को उस हत्याकाण्ड की जांच का आदेश दिया है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह जांच में तेजी लाएं तथा इस विषय में सदन में वाद-विवाद का उत्तर देते हुए हो रही प्रगति के बारे में वक्तव्य दें।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते : उपाध्यक्ष जी, यह असत्य बोल रहे हैं। इनके पास कोई पाइंट नही है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री वी॰वी॰ राघवन। श्री चव्हाण, अब कृपया अपनी बात पूरी कीजिए और अपने स्थान पर बैठिए।

श्री पृथ्वीराज दा॰ चव्हाण : महोदय, मैं अभी अपनी बात पूरी कर रहा हूं।

महाराष्ट्र में *दलितों* और महिलाओं पर अत्याचार के सैंकड़ों मामले हैं। मेरे पास एक पत्र है जिसमें लिखा गया है कि शोलापुर में एक अनुसूचित जाति की महिला महापौर को कुचल दिया गया। मेरे पास समय नहीं है। अन्यथा, मैं वह पढ़कर सुनाता। महाराष्ट्र में प्रतिदिन *दलितों* और महिलाओं पर अत्याचार किए जाते हैं।... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री विजय अन्नाजी मुडे (वर्धा) : 40 साल के आपके राज में क्या हुआ वह बोलें।

[अनुवाद]

श्री पृथ्वीराज दा॰ चव्हाण : मुम्बई में भूमि हथियाने, जबरदस्ती बेदखल करने और हाफिकंस संस्थान के निदेशक को पीटे जाने के मामले हैं।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते : उपाध्यक्ष जी, असत्य बोलने का इनको अवार्ड दीजिएगा।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : क्या अब मैं आपका धन्यवाद कर दूं? कृपया अपनी सीट पर बैठिए।

श्री पृथ्वीराज दा॰ चव्हाण : महोदय, अब मैं बताऊंगा कि मेरी मांगें क्या हैं और कांग्रेस पार्टी की मांगें क्या हैं।

मेरी पहली मांग यह है कि अम्बेडकर नगर में *दलितों* पर गोली चलाने का आदेश देने वाले पुलिस अधिकारियों को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अन्तर्गत दंडित किया जाए।

सरकार को श्री छगन भुजबल को परिसमाप्त करने तथा तदनन्तर श्री ठाकरे द्वारा **सामना** में उस कार्य को न्यायोचित ठहराने के षड्यंत्र की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच करानी चाहिए।

श्री छगन भुजबल के घर पर उपस्थित वरिष्ठतम पुलिस अफसरों को निलंबित किया जाना चाहिए तथा उनके घर में जबरदस्ती घुसने वाले शिवसेना के कार्यकर्ताओं को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 के अन्तर्गत दण्डित किया जाना चाहिए।

माननीय गृह मंत्री ने लोकसभा में दिए गए अपने वक्तव्य में श्री भुजबल पर जो अनावश्यक आक्षेप किए हैं, उसके लिए उन्हें खेद व्यक्त करना चाहिए। इन टिप्पणियों ने फासिस्टों को मदद पहुंचाई है और उन्हें झूठा शपथपत्र तैयार करते रहने को बढ़ावा दिया है।

फिर सी॰बी॰आई॰ को झूठा शपथ पत्र तैयार करने वाले श्री रमेश गुप्ता उर्फ अग्रवाल को हिरासत में रख कर उसके जीवन की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी उसके साथ कुछ भी कर सकता है और इसका दोषारोपण कांग्रेस पर कर सकता है।

सरकार को रमेश किनी की हत्या की सी॰बी॰आई॰ द्वारा जांच में तेजी लानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री वी॰वी॰ राघवन

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चव्हाण, मैंने अगले वक्ता को बोलने के लिए कहा है। अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री पृथ्वीराज दा॰ चव्हाण : महोदय, मैं अब अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

सरकार गवर्नमेन्ट स्लम क्लियरेन्स प्लान के अंतर्गत बिल्डरों और ठेकेदारों के बीच की सांठगांठ तथा रामबाई नगर की घटना की जांच करे।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइये। अब कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइये। मैंने उन्हें कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं करने के लिए कहा है। अब आप सिर्फ अंतिम वाक्य बोलकर समाप्त करें।

श्री पृथ्वीराज दा॰ चव्हाण : मैं मांग करता हूं कि महाराष्ट्र सरकार को तत्काल बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए।

श्री वी॰वी॰ राघवन (त्रिचूर) : महोदय, मैं अत्यन्त दुःखी मन से महाराष्ट्र में दलितों पर किए गए क्रूर अत्याचार के विरूद्ध अपना भारी विरोध और चिन्ता जताने के लिए खड़ा हुआ हूं। मुम्बई में 11 जुलाई को जो कुछ हुआ, वह दिन दहाड़े हत्या के अलावा कुछ नहीं है। उस दिन के बाद से महाराष्ट्र के विभिन्न भागों में दलितों पर उनके शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के समय हमला किया गया। महाराष्ट्र की हाल की घटनाओं से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि सामाजिक न्याय के लिए उभर रहे *दलित* आंदोलन को पहले उकसाने और फिर उसका दमन करने की गहरी साजिश है।

अपराह्न 2.54 बजे

(श्री पी॰सी॰ चाक्को *पीठासीन हुए)*

महोदय, जब हम प्राचीन काल के इतिहास की ओर मुड़ कर देखते हैं तो पाते हैं कि हिन्दू समाज से *दलितों* को पंचमेन बताकर भगा दिया गया। वे चतुर्वर्ण से बाहर थे। उन्हें कोई भी मानवाधिकार देने से मना कर दिया गया और उसके बाद से हमारे समाज में महान लोगों के द्वारा कई शक्तिशाली समाज सुधार आंदोलन चलाए गए।

अंत में, डा॰ अम्बेडकर ने, जिन्हें हम अपने संविधान का निर्माता मानते हैं, दलितों के उत्थान के लिए अनेकों प्रावधान बनाएं। अभी हम अपनी स्वतंत्रता की स्वर्ण जयन्ती मनाने जा रहे हैं। लेकिन अभी तक दलितों और दबे–कुचले लोगों के प्रति हमारी मानसिकता क्या है?

---

* कार्यवाही–वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री वी॰वी॰ राघवन]

यहां, मुझे यह बताना चाहिए कि हाल ही में क्या हुआ है। श्री अरूण शौरी ने हाल ही में एक पुस्तक प्रकाशित की है जिसका नाम है "वरशिपिंग फाल्स गॉड"। उस पुस्तक में उन्होंने संयोगवश ही नहीं, जानबूझकर अश्लील और कटु शब्दों का प्रयोग करके भारत के महान सपूत डा॰ अम्बेडकर की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया है। हजारों अरूण शौरी डा॰ अम्बेडकर की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर सकते हैं किंतु वे इसमें सफल नहीं होंगे। लेकिन मुझे विख्यात स्तम्भकार, श्री खुशवंत सिंह द्वारा लिखे एक लेख को पढ़कर अत्यन्त दुःख हुआ। यह मलयालम है दैनिक 'दीपिका' में छपा है। इसमें श्री अरूण शौरी की पुस्तक का हवाला देने के बाद श्री खुशवंत सिंह लिखते हैं, "वर्तमान महाराष्ट्र सरकार के द्वारा प्रकाशित पाठ्य पुस्तक के लेखों और टिप्पणियों, जिनसे डा॰ अम्बेडकर की छवि काफी धूमिल हुई है, से उन्हें भारी दुःख हुआ है।" पाठ्य पुस्तक का नाम नहीं दिया गया है। उन्होंने सिर्फ इतना ही जिक्र किया है कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रकाशित पाठ्य पुस्तक की टिप्पणियों से डा॰ अम्बेडकर की छवि अत्यधिक धूमिल हुई है।

मैं अपने विद्वान मित्र, श्री राम नाईक की जानकारी के लिए इस पाठ्य पुस्तक में की गई एक टिप्पणी का उल्लेख करता हूं जो इस प्रकार है, "भारत का संविधान लिखने वाले भारतीय नहीं हैं। डा॰ अम्बेडकर या अन्य भारतीयों के द्वारा अदा की गई भूमिका अत्यन्त नगण्य है। भारतीय संविधान यूरोपियनों के द्वारा लिखा गया है" ये सारी बातें पाठ्य पुस्तक में लिखी गई हैं और आप इन सारी बातों को अपनी युवा पीढ़ी को पढ़ा रहे हैं। आप इसे कैसे न्याय संगत ठहरा सकते हैं? मैं आपको इस मलयालम दैनिक की एक प्रति उपलब्ध करा सकता हूं।

श्री राम नाईक : आप कृपया पहले इसका अनुवाद कर लें और फिर इसकी एक प्रति मुझे दीजिए।

श्री वी॰वी॰ राघवन : आप हमारे मित्र, श्री ओ॰ राजगोपाल की, जो कि राज्य सभा में हैं, सेवा ले सकते हैं। यदि यह सही है, तो मैं भारत सरकार और महाराष्ट्र राज्य में मेरे मित्र, जो राज्य में शासन कर रहे हैं, से इस पुस्तक को वापस लेने का अनुरोध करता हूं। यह पूरे राष्ट्र का अपमान है।

[हिन्दी]

श्री विजय अन्नाजी मुडे : कौन सी टैक्स्ट बुक है? आप उसका नाम बताएं।

श्री वी॰वी॰ राघवन : उसमें नाम नहीं बताया गया है। आप उसे देख सकते हैं।...*(व्यवधान)*

श्री विजय अन्नाजी मुडे : महाराष्ट्र में किसी टैक्स्ट-बुक में ऐसा नहीं लिखा है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री मधुकर सरपोतदार : वह श्री खुशवन्त सिंह के लेख का उद्धरण दे रहे हैं। आप इसे कैसे अनुमति प्रदान कर सकते हैं?

श्री वी॰वी॰ राघवन : श्री खुशवन्त सिंह काफी विख्यात व्यक्ति हैं। मैं आपको पेपर दे सकता हूं। मैं इसे अभी यहां प्रस्तुत कर रहा हूं। यह मेरी अपनी टिप्पणी नहीं है बल्कि ऐसा श्री खुशवन्त सिंह द्वारा लिखा गया है।...*(व्यवधान)*

अपराह्न 3.00 बजे

सभापति महोदय : श्री मधुकर सरपोतदार जी ने एक मुद्दा उठाया है। श्री वी॰वी॰ राघवन किसी अनाधिकृत स्रोत से उद्धरण नहीं दे रहे हैं। वह श्री खुशवन्त सिंह के लेख से उद्धरण दे रहे हैं। यदि कोई माननीय सदस्य यह लेख प्राप्त करना चाहते हैं तो वह उन्हें यह लेख उपलब्ध कराएंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रमेन्द्र कुमार (बेगुसराय) : श्री राम नाईक जी, आप भारतीय हैं, भारत माता की जय कहते हैं लेकिन यह सब आप लोगों की सरकार ने किया है...

सभापति महोदय : रमेन्द्र जी, आप बैठिये।

[अनुवाद]

श्री राम नाईक : मुझे स्पष्ट करने दीजिए।

सभापति महोदय : यह किसी भी अपमानजनक तरीके से नहीं कहा गया है।

श्री राम नाईक : मैं वह नहीं कह रहा हूं। मैं स्पष्ट करने का प्रयास कर रहा हूं। स्पष्टीकरण यह है कि श्री खुशवन्त सिंह के लेख अंग्रेजी और मराठी दोनों में प्रकाशित होते हैं। मैं उनके लेख नियमित रूप से पढ़ता हूं। मुझे नहीं मालूम कि वह लेख तमिल भाषा के समाचापत्र को दिया गया है। मैं आश्वस्त करता हूं कि महाराष्ट्र सरकार कभी भी वैसा नहीं कर सकती।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : माननीय सदस्य, श्री वी॰वी॰ राघवन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यदि कोई माननीय सदस्य खुशवन्त सिंह का यह लेख चाहता है तो वह इसकी प्रति उपलब्ध करा सकते हैं। जो उनके पास मौजूद है। मैंने स्थिति स्पष्ट कर दी है। आप स्थिति को मान लीजिए और माननीय सदस्य को बोलने दीजिए।

श्री वी॰वी॰ राघवन : मैं श्री राम नाईक की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि श्री खुशवंत सिंह मलयालम समाचारपत्रों के स्तम्भों में नियमित रूप से लिख रहे हैं। श्री राम नाईक यह लेख अभी-अभी श्री ओ॰ राजगोपाल को दे सकते हैं। वह उनसे इसका अनुवाद प्राप्त कर सकते हैं। यह लेख श्री खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है। उन्हें मुझसे बहस करने की ज़रूरत नहीं है। वह श्री खुशवन्त सिंह से बहस कर सकते हैं।

मेरा प्रश्न यह है कि मनु के जमाने से लेकर अभी तक समाज का चतुर्वर्ण सामाजिक ताना-बाना जारी है और अत्याचार तथा हमले जारी हैं। सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए। यदि श्री खुशवन्त सिंह ठीक हैं तो इस पाठ्य पुस्तक को वापस ले लेना चाहिए।

मैं आपका ध्यान पुलिस बल में जो कुछ हो रहा है उसकी ओर आकर्षित करना चाहता हूं। पुलिस बल जिससे जनता के अधिकारों की सुरक्षा करने की अपेक्षा की जाती है, असामाजिक तत्वों का पक्ष ले रहा है तथा वह बहुसंख्य दलितों पर हमला कर रहा है। मलयालम में एक कहावत है 'रक्षक ही भक्षक है।' पुलिस दलितों पर हमला कर रही है और उनकी हत्या कर रही है। यहां भी मैं महाराष्ट्र के दिग्गज पुलिस अधिकारी श्री जुलियस रिबैरो का हवाला दे सकता हूं। एक लेख में यह कहा गया है:-

> "पुलिस को संदेश स्पष्ट था :
> इसका काम राजनैतिक स्वामियों के आदेशों का आंख मूंद कर पालन करना है"

श्री जूलियस रिबैरो ने एक स्थानीय पत्र में लिखा है:-

> "एक राजनैतिक और मातहत पुलिस बल विधान द्वारा स्थापित कानून को लागू करने की स्थिति में नहीं है। इस समय सत्ताधारी राजनैतिक दल की इच्छा के अनुसार चुनकर कानून को लागू करती है।"

ये श्री जुलियस रिबैरो के शब्द हैं। इन अत्याचारों के मूल में यही कारण हैं।

जब हम अपनी स्वतंत्रता की स्वर्ण जयन्ती मना रहे हैं, कब तक हम इस तरह की चीजों को इस प्रकार से चलते रहने देंगे? इस चर्चा के बिल्कुल आरम्भ से मैं यह देख रहा हूं। जब भी हम महाराष्ट्र की बात करते हैं। कुछ माननीय सदस्य शोर मचाना शुरू कर देते हैं। हमारे विचार महाराष्ट्र के लोगों के प्रति काफी ऊंचे हैं। हम उनके द्वारा निभाई गई महान ऐतिहासिक भूमिका और उनकी सांस्कृतिक धरोहर इत्यादि को ध्यान में रखते हैं। उद्योग तथा कृषि के क्षेत्र में उनके द्वारा की गई प्रगति की हम प्रशंसा करते हैं। ये सभी चीजें वहां हैं। लेकिन हमें यह जांच करनी चाहिए कि ये बातें क्यों होती हैं। वहां जो कुछ भी हो रहा है उससे समस्त जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचती है। हमारे स्वर्ण जयन्ती समारोहों के इन दिनों में यह नहीं होना चाहिए था। महाराष्ट्र सरकार इसे रोक सकती थी। इसका पुलिस पर नियंत्रण है। उस महान भारतीय की मूर्ति को जूतों की माला नहीं पहनानी चाहिए थी।

इसके बाद भी हमें मुम्बई से क्या समाचार मिल रहा है। इस दुःखद घटना के घंटों बाद भी कोई भी जिम्मेदार पुलिस अधिकारी अथवा सरकारी अधिकारी वहां नहीं पहुंचा। अंततः वहां निर्मम पुलिस गोलीबारी तथा निर्दोष लागों की हत्याओं की घटना हुई। जब वहां शान्तिपूर्ण विरोध जताया जा रहा था तो आप गोलीबारी के आदेश कैसे दे सकते हैं? लोगों पर कैसे निर्मम अत्याचार हुए। इसका कोई औचित्य है? इस घटना पर हमारे शिव सेना के साथियों की प्रतिक्रिया आश्चर्यजनक है। क्या आप अपने चुनाव क्षेत्र में हुई इस घटना की कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे? वह आपका शहर है। वह आपका महान राज्य है। मैं बहुत अफसोस के साथ यह कहता हूं कि उस घटना से पूरा राष्ट्र आहत हुआ है।

अब वहां क्या हो रहा है? अपराध जगत का माफिया वहां सक्रिय है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री विजय अन्नाजी मुडे : आप मेरे निर्वाचन क्षेत्र में चलें और मैं सदन से निवेदन करता हूं कि वहां पांच लोगों का एक शिष्टमंडल भेजें।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री वी॰वी॰ राघवन : कृपया धैर्य से मेरी बात सुनें। आप सुसंस्कृत राज्य से आते हैं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अब और टीका टिप्पणी न करें। कृपया अपनी सीट पर बैठें। यदि सदस्य महोदय उत्तर दे रहे हैं तो उन्हें बोलने में बाधा उत्पन्न न करें।

(व्यवधान)

श्री वी॰वी॰ राघवन : मैं सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे मेरी बात सुनें। आप सुसंस्कृत राज्य से आते हैं। आप धैर्य रखें। आप प्रत्येक शब्द पर कैसे प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं? यदि आप इसी प्रकार प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे तो शर्म की बात होगी...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : उन्होंने बोलना बंद नहीं किया है। फिर भी आप क्यों बोलने का प्रयास करते हैं?

श्री वी॰वी॰ राघवन : आप सुसंस्कृत लोग हैं। आप सुसंस्कृत राज्य से आते हैं। आप भारत के सर्वाधिक सुसंस्कृत राज्य से आते हैं। क्या आप धैर्यपूर्वक मेरी बात नहीं सुनेंगे? आप हर बात पर क्यों प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं और इस प्रकार से शोर मचाते हैं। मैं भी शोर मचा सकता हूं। मैं यहां चुपचाप बैठा हूं। मैं किसी पर नहीं चिल्लाता। मैं चर्चा सुन कर आप से सीख रहा हूं। कृपया धैर्य रखें। हर बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त न करें। मुम्बई में 11 जुलाई के बाद जो हो रहा है आप उस पर विचार करें। इससे किसको लाभ हो रहा है? परिस्थिति का लाभ कौन उठा रहा है? वे अपराध जगत के लोग हैं। दलितों को...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : राघवन जी, आप चेयर को एड्रेस कीजिए।

[अनुवाद]

श्री वी॰वी॰ राघवन : महाराष्ट्र में भा॰ज॰पा॰-शिवसेना की सरकार अपने दायित्व से पीछे नहीं हट सकती। आप अपने दायित्व से पीछे नहीं हट सकते। श्री गवली और अधिक समस्या पैदा करेंगे। अब उन्होंने अपनी सेना बना ली है, शिव सेना तथा अन्य सेनाएं महाराष्ट्र में जन जीवन को न केवल दयनीय बना रही है बल्कि भारत के इतिहास के लिए काले अध्याय का निर्माण कर रही है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया उनका समय न लें।

*(व्यवधान)**

---

* *कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आपको भी टाइम मिलेगा।

[अनुवाद]

श्री वी॰वी॰ राघवन : मुझे लगता है कि माननीय सदस्यों के साथ कुछ गड़बड़ है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : क्या आप दूसरे को बोलने देना नहीं चाहते?

*(व्यवधान)**

सभापति महोदय : यह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। आप अपनी सीट पर बैठें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते : सभापति महोदय, यह क्या बात कर रहे हैं, जो भी गाड़ी केरल बिहार आदि से आती है उसमें हजारों लोग मुम्बई में आ रहे हैं। एक शहर को इस तरह से बदनाम करना ठीक नहीं है...*(व्यवधान)* कितने केरल वाले मुम्बई छोड़कर गये, यह एक भी बतायें जो मुम्बई छोड़कर गया हो।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : संस्कृतियों के बारे में आपकी राय काफी दृढ़ है। आपके विचार सुनना सदन के लिए सौभाग्य की बात है। लेकिन यह सुना नहीं जा रहा हैं? आप अपना समय क्यों बरबाद करते हैं? आप अपनी सीट पर बैठें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते : आप एक शहर को बदनाम कर रहे हैं जो सारे देश का व्यापारिक केन्द्र हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मुझे एक अनुरोध करना है। श्री राघवन बोल रहे हैं। हमारे सदन की कुछ स्वस्थ परिपाटियां हैं। कोई भी सदस्य किसी भी विषय को उठा सकता है। मैं इस पर आपत्ति नहीं कर रहा हूं। लेकिन आप मेरी बात सुने बिना ही क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं? यदि बोलने वाला सदस्य आपकी बातों का उत्तर देने के लिए तैयार है तो कोई भी माननीय सदस्य उठकर अपनी बात पूछ सकता है। अन्यथा ऐसा करने का प्रयास न करें। मैं एसी अनुमति नहीं दे सकता।

श्री मधुकर सरपोतदार : इसका यह मतलब नहीं कि वह जो भी चाहे बोलें अथवा कोई भी आरोप लगा दें। उन्हें कुछ नहीं बोलना चाहिए। केवल सच बोलना चाहिए।

*(व्यवधान)**

* कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय : यह कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। आप अपना बहुमूल्य समय तथा शक्ति बरबाद कर रहे हैं। आप जो कुछ भी कह रहे हैं यह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं हो रहा है। व्यवधान कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं हो रहा।

श्री मधुकर सरपोतदार : आप ऐसा एक भी उदाहरण दें जब किसी व्यक्ति ने शहर छोड़ दिया हो...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री सरपोतदार, अगला वक्ता आपके दल से है। यदि वे ऐसा व्यवहार करते हैं तो आपको बोलने का समय नहीं मिलेगा।

(व्यवधान)

श्री मधुकर सरपोतदार : मैं आरोप के बारे में बोल रहा हूं।

*(व्यवधान)**

सभापति महोदय : आप यह क्यों नहीं समझते कि आप जो कुछ भी बोल रहे हैं वह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। फिर आपके बोलने का क्या फायदा?

*(व्यवधान)**

सभापति महोदय : सदन में बोलने का क्या अर्थ है जब यह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित ही नहीं किया जा रहा है?

*(व्यवधान)**

सभापति महोदय : यदि कोई सदस्य किसी दूसरे सदस्य को चुनौती देना चाहता है तो यह सदन उसके लिए उपयुक्त स्थान नहीं है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : यदि आप चाहते हैं कि दूसरे आपकी बात सुनें तो कृपया सहयोग करें।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री राघवन, शिव सेना एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है। यह प्रस्ताव *हरिजनों* तथा *दलितों* के विरूद्ध अत्याचार से संबद्ध है। इस बारे में मुम्बई में जो कुछ भी हुआ, आप उस बारे में बोल सकते हैं लेकिन किसी भी राजनीतिक दल के लिए इस प्रकार की आम टिप्पणी न करें। श्री सरपोतदार का यही कहना है। कृपया उनकी भावनाओं को समझें।

हम लोग ऐसा नजरिया रखें कि चर्चा जीवंत, उपयोगी एवं एक-दूसरे के लिए लाभकारी हो जाए। यह एक दूसरे का समझने का अवसर है।

श्री राघवन, कृपया अपनी बात जारी रखें।

(व्यवधान)

* कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय : मुझे आपकी सलाह की आवश्यकता नहीं है। श्री गोविंदन, कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन (कन्नानौर) : सभापति महोदय, एक माननीय सदस्य ने बड़ा ही आपत्तिजनक वक्तव्य दिया है... *(व्यवधान)* क्या भा॰ज॰पा॰–शिवसेना सरकार यह कर रही है?... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया ऐसा न करें। यह किसी के लिए भी अच्छा नहीं है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : ऐसा किसी के लिए भी अच्छा नहीं है।

माननीय सदस्यगण, कृपया बात को समझें। भावना के वेग में आप कुछ भी कर सकते हैं – लेकिन दल के लिए यह ठीक नहीं है। कृपया ऐसा न कहें।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मेरी आपसे विनती है कि ऐसा न कहें। आपकी बातों का क्या असर हो सकता है आप न ही समझ रहे हैं। कृपया ऐसा उदाहरण न दें।

श्री मधुकर सरपोतदार : महोदय, हमारी ऐसी मंशा बिल्कुल नहीं है। हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। मेरा नम्र निवेदन है कि पूरे महाराष्ट्र पर आरोप न लगाएं। प्रस्ताव के संबंध में श्री राघवन कुछ भी कह सकते हैं लेकिन, उन्हें हमलोगों पर झूठे आरोप नहीं लगाने चाहिएं।

सभापति महोदय : मेरे द्वारा व्यवस्था दिए जाने के बाद आप अपनी बात क्यों जारी रखे हुए हैं?

(व्यवधान)

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : महोदय, माननीय सदस्य का उक्त वक्तव्य कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए, इसे हटा देना चाहिए।

सभापति महोदय : हां, यह कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। ऐसी टिप्पणी करने वाले सदस्य इस बात से सहमत हो गए हैं।

माननीय सदस्यगण, समस्या यह है कि भाषण की कुछ पंक्तियों को सुनकर हम उत्तेजित हो जाते हैं। कृपया कुछ समय के लिए इंतजार करें और जब आपकी बारी आएगी तब आप बोलें। आप हर वाक्य के बाद टोकेंगे तो मुश्किल होगा।

(व्यवधान)

श्री मधुकर सरपोतदार : हम ऐसा नहीं कर रहे हैं।

सभापति महोदय : श्री सरपोतदार, मेरा आपसे मतलब नहीं है। कुछ सदस्य ऐसा कर रहे हैं।

कृपया दूसरों की बात सुनने का धैर्य रखें।

अब श्री राघवन अपनी बात जारी रखें।

श्री वी॰वी॰ राघवन : सभापति महोदय, मैंने केवल यह कहा कि हाल ही में एक नई सेना उभरी है। मैं बस इसी सत्य को कह रहा था। शिवसेना कई वर्षों से है लेकिन, गावली सेना नई है। मैंने यह सत्य कहा है।

श्री मधुकर सरपोतदार : यदि वे ऐसा कह रहे हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि यह गावली सेना नहीं है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यह आपके विरूद्ध नहीं है। वह एक बात कर रहे हैं। कृपया हर वाक्य का उत्तर देने का प्रयास न करें।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री सरपोतदार, आप अपने दल के एक वरिष्ठ सदस्य हैं। कृपया हमारे साथ सहयोग करें। बिना सहयोग के सदन की कार्यवाही कैसे चलेगी?

श्री वी॰वी॰ राघवन : सभापति महोदय, मैं असली मुद्दे पर आता हूं। हजारों साल से दलित तथा दबे–कुचले लोग बहुत ही दयनीय स्थिति में रह रहे हैं। इसीलिए वे किसी भी असामाजिक तत्व अथवा शासक वर्ग के जो उनके उत्थान के विरूद्ध है, के आसानी से शिकार बन जाते हैं। अतः कम से कम स्वाधीनता के इस पचासवें वर्ष में हमें असंतुलित सामाजिक संरचना में परिवर्तन लाने के लिए कुछ क्रांतिकारी कदम उठाने पर विचार करना चाहिए। यदि हम सामाजिक न्याय के प्रति गंभीर हैं तो केवल संसद, विधान सभाओं तथा स्थानीय निकायों में आरक्षण की व्यवस्था करना ही पर्याप्त नहीं है। उन्हें आज की अमानवीय, दुखदायी स्थिति से मुक्त कराने के लिए सर्वप्रथम भूमि उपलब्ध करानी होगी।

दबी–कुचली दलित जनता को वर्तमान स्थिति से मुक्त कराने के लिए भूमि सुधार का उपाय सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। वे बिना आवास, बिना रोजगार तथा बिना न्यूनतम सुविधाओं के रहते हैं। अतः राज्य सरकारों तथा केन्द्र सरकारों की ओर से दलित जनता के उत्थान हेतु सघन प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। उन्हें भूमि चाहिए। वे भूमि पुत्र हैं। वे जमीन से सोना पैदा कर सकते हैं। यदि उन्हें भूमि दे दी जाती है, तो हमारे कृषि उत्पादन में भी वृद्धि होगी क्योंकि वे लोग भूमिपुत्र हैं। उन्हें भूमि से वंचित रखा गया है। अतः खेतीहर जनता, दलितों तथा दबे कुचले लागों को भूमि दी जानी चाहिए। उन्हें खेती के लिए उदारतापूर्वक सहायता मिलनी चाहिए ताकि उन्हें रोजगार के भी और अवसर मिल सकें। यह मूल पहलू है जिसके बारें में हमें सोचना है। राज्यों में विशेषकर दलितों, दबे–कुचले लोगों तथा खेतीहर मजदूरों के लिए भूमि सुधार उनके उत्थान की दिशा में प्रथम कदम होगा।

सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखें तो हमें आश्चर्य होगा कि आज भी कुछ स्थानों पर काफी हाउसों में दलितों के लिए अलग ग्लास रखा जाता है। आज भी जुलाई, 1997 में भारत के अनेक भागों में काफी हाउसों में दलितों के लिए अलग ग्लास रहता है। हमारी सामाजिक संरचना की स्थिति किस हद तक पहुंच गई है। दलित जनता के प्रति समाज का यह दृष्टिकोण है।

[श्री वी॰वी॰ राघवन]

आजकल जोरदार आंदोलन हो रहा है। अधिक से अधिक दलित जनता अपने अधिकारों के प्रति सजग हो रही है, वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं तथा इन्हें प्राप्त करने के लिए तत्पर हैं। दलितों तथा अन्य मेहनतकश लोगों की ओर से सामाजिक न्याय के लिए एक सशक्त आंदोलन खड़ा हो रहा है और इसी आंदोलन से उनके अधिकारों की गारंटी सुनिश्चित होगी।

उक्त आंदोलन दिन प्रतिदिन सशक्त हो रहा है। इस उभरते सशक्त आंदोलन तथा दलित जनता को दबाने का षडयन्त्र चल रहा है। वे उन्हें विभाजित करना चाहते हैं। वे उन्हें उकसाना चाहते हैं। सामाजिक न्याय हेतु उभरते आंदोलन को दबाने हेतु उनकी निर्मम हत्या की जा रही है। ऐसा षडयन्त्र रचा गया है। मैं कहना चाहता हूं कि आप इस उभरते ऐतिहासिक आंदोलन को पुलिस गोलीबारी तथा असामाजिक तत्वों द्वारा उनपर आक्रमण करके नहीं दबा सकते। यह शक्ति एक नये भारत का निर्माण करने जा रही है। जब हम स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिशों से लड़ रहे थे तो हमने एक नव भारत के निर्माण का स्वप्न देखा था। उस नव भारत का निर्माण अब तक नहीं हो पाया है। उस नव भारत का निर्माण दबे कुचले लोगों तथा हम सब के सामाजिक न्याय के आंदोलन के माध्यम से होगा। मेरा यह मानना है कि फिरकापरस्ती से रहित उभरता उक्त सशक्त दलित आंदोलन हमारी सहायता कर रहा है। यह नव भारत के निर्माण में सहायक होगा। यदि भूमि का जागरूक पुत्र, जागरूक दबी-कुचली जनता, खेतीहर मजदूर तथा दलित लोग राष्ट्र निर्माण के लिए आगे आते हैं तो निश्चय ही एक नये भारत का निर्माण होगा और हमारे स्वप्न पूरे होंगे। लेकिन, इसके लिए हमें उनकी सहायता करनी है। वे हमारे भाई हैं।

महात्मा गांधी ने उन लोगों को ईश्वर का पुत्र कहा था। हम उन्हें उनका हक देने को तैयार नहीं हैं। हमें उन्हें समाज में उचित स्थान, दिलाना चाहिए, उन्हें भूमि का स्वामित्व दिया जाना चाहिए तथा रोजगार, शिक्षा एवं अन्य क्षेत्रों में उन्हें अवसर प्रदान करने चाहिएं। बिना उनके सक्रिय सहयोग के हमारे स्वप्न साकार नहीं होंगे। हम नव भारत का निर्माण नहीं कर सकते। जो उन्हें बांटना चाहते हैं और जो उन्हें उकसाना चाहते हैं, उन्हें दबाना चाहते हैं वे अपने प्रयासों में सफल नहीं हो सकते। हम सब नव भारत के निर्माण में लगे हैं। हम नये भारत का निर्माण करना चाहते हैं।

इस संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात हमारी सामाजिक संरचना में सन्निहित ऐतिहासिक भूल में परिवर्तन लाना है। हिन्दू समाज को चतुर्वर्णीय विभाजन से मुक्त कराना है। इन दलितों को 'पंचामन' में रखा गया। इन्हें चार वर्णों में शामिल नहीं किया गया। वे इन चतुर्वर्ण से बाहर हैं और इसी आधार पर उन्हें कोई भी मानवाधिकार प्राप्त नहीं हैं। उन्हें अस्पृश्य माना गया। हिन्दू समाज की यह सोच एवं संरचना को बदल कर ही हम आगे बढ़ सकते हैं।

तब कोई अरूण शौरी भारत के महान सपूत डा॰ बाबा साहब अंबेडकर की छवि धूमिल नहीं कर सकेगा। हमारे संविधान के महान निर्माता की छवि धूमिल करने वाली टिप्पणियों से युक्त पाठ्य पुस्तकें प्रकाशित करने का कोई प्रयास नहीं किया जाएगा और इस प्रकार पूरे भारत में आशा की एक किरण दिखी है। इस उभरते सशक्त जन आंदोलन से एक नये भारत का निर्माण होगा जिसमें उन्हें उनका अधिकार मिलेगा। मैं आशा करता हूं कि हाल की घटनाओं से सभी को सीख मिलेगी।

सभापति महोदय : धन्यवाद, श्री राघवन। अगले वक्ता को बुलाने के पहले मैं सदस्यों को सूचित करना चाहूंगा कि इस विषय पर चर्चा हेतु दो घंटे आवंटित किए गए हैं और इस पर हम घंटे बावन मिनट का समय लगा चुके हैं। अभी 21 और सदस्य बोलने शेष हैं।

अतः मैं आप लोगों के सहयोग एवं अनुमति से प्रत्येक वक्ता के लिए पांच से सात मिनट का समय निर्धारित करना चाहूंगा। अन्यथा इस विषय पर चर्चा पूरी हो पाना असंभव हो जाएगा।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, आप महाराष्ट्र मुद्दे पर चर्चा हेतु समय सीमित क्यों कर रहे हैं? हमने बिहार की स्थिति पर चर्चा में लगभग दस घंटे दिए। हमें इस विषय पर भी विस्तार से चर्चा करने की अनुमति मिलनी चाहिए क्योंकि एक तरह से यह ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा है।

[हिन्दी]

श्री इलियास आज़मी : टाइम लिमिट होना चाहिए लेकिन सबको बोलने का मौका दिया जाए।...*(व्यवधान)*

श्री जी॰ वेंकट स्वामी : नहीं, टाइम लिमिट का सवाल नहीं है, जैसे निर्मल बाबू ने कहा कि बिहार के ऊपर जितना टाइम दिया है, उससे एक घंटा ज्यादा देना चाहिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : ठीक है। आपने अपनी बात कह दी। मुझे माननीय सदस्यों से एक ही अनुरोध करना है। सूची में वरिष्ठ माननीय सदस्यों के नाम हैं। पीठ द्वारा किसी को बोलने से नहीं रोका जाएगा। लेकिन यदि सदन कोई सामूहिक निर्णय लेता है, तो हम उसका अनुपालन करेंगे। कल का दिन गैर सरकारी सदस्यों से संबंधित कार्यों का है। यदि इस चर्चा को सीमित न किया जाए तो यह कल भी समाप्त नहीं हो पाएगा। श्री निर्मल कान्ति चटर्जी तथा श्री वेंकट स्वामी का तर्क सही है। लेकिन यदि हम उनके तर्क के अनुसार कार्य करेंगे, तो इसका कोई अंत नहीं हो पाएगा। अतः कृपया सहयोग करें।

(व्यवधान)

श्री प्रकाश विश्वनाथ परांजपे : महोदय यह चर्चा 14 अगस्त को रात 11 बजे तक चलनी चाहिए।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह (बलिया) (बिहार) : यह मजाक कर रहे हैं कि 14 अगस्त की रात तक बहस चलाते रहिए।...*(व्यवधान)* यह क्या मजाक कर रहे हैं?...*(व्यवधान)* किसी महत्वपूर्ण विषय

पर गंभीरता पूर्वक विचार किया कीजिए। बैठे-बैठे बोलते हैं। ...(*व्यवधान*) यह बहुत आपत्तिजनक है।...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

श्री प्रकाश विश्वनाथ परांजपे : महोदय, हम भी इस विषय पर बोलना चाहते हैं। आप हमारे जैसे नए सदस्यों पर क्यों प्रतिबंध लगा रहे हैं?...(*व्यवधान*)

सभापति महोदय : हम सभी लोग सभा का समय बचाने का विचार और प्रयास कर रहे हैं।

आप लॉबी में हल्के फुल्के ढ़ंग से टिप्पणी कर सकते हैं, किंतु सभा में नहीं। आपने सभा के अंदर जिस प्रकार की टिप्पणी की है उसका मैं समर्थन नहीं करता हूं। टिप्पणी करने का यह तरीका नहीं है।

अपराह्न 3.33 बजे

पेट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थायी समिति

तेरहवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री शान्तिलाल पुरूषोत्तम दास पटेल (गोधरा) : महोदय, मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च विधेयक, 1997 पर पेट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थायी समिति का तीसरा प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : महोदय, आपने ठीक ही उन्हें सभा पटल पर पत्र रखने की अनुमति प्रदान की है। लेकिन हमें अपनी ही आलोचना करनी चाहिए और यह कहना चाहिए कि हमें इसे पेश करने हेतु सही समय पर उपस्थित रहना चाहिए।

सभापति महोदय : आपने उनसे ज्यादा समय लिया है।

अब हम महाराष्ट्र के मुद्दे पर अपनी चर्चा जारी कर सकते हैं। श्री राम नाईक।

अपराह्न 3.34 बजे

महाराष्ट्र राज्य के मुम्बई, नागपुर तथा अन्य स्थानों और देश के अन्य भागों में दलितों पर किए गए अत्याचारों के बारे में प्रस्ताव-जारी

[हिन्दी]

श्री राम नाईक (मुम्बई-उत्तर) : सभापति जी, दलितों पर महाराष्ट्र में जो अत्याचार हुए और महाराष्ट्र के बाहर उस पर चर्चा का आज तक तीसरा दिवस है। इसके पहले बिहार पर भी चर्चा हुई और वह चार दिन चली। बिहार की चर्चा की यह विशेषता रही कि बिहार की राजनैतिक गतिविधियां इतनी बदलती थी कि आज जो परिस्थिति थी, कल बदल जाती थी और कल जो आने वाली थी, वह परसों बदल जाती थी।

सभापति महोदय : राम नाईक जी, आपको कितना टाइम चाहिए?

श्री राम नाईक : 25 मिनट लगेंगे।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यह ठीक है।

श्री राम नाईक : मैं उतना ही समय लूंगा जितना कि श्री पृथ्वीराज चव्हाण ने लिया है। वह पर्याप्त होगा।

सभापति महोदय : आप तुलना क्यों कर रहे हैं? आप मुझे बताइये कि आप अपनी बात कहने में कितना समय लेंगे।

श्री राम नाईक : मैं समाप्त करूंगा जैसा कि मेरा सहज स्वभाव है मैं जिस विषय पर चर्चा चल रही है उससे बाहर नहीं जाऊंगा।

सभापति महोदय : यदि आप कर सकते हैं, तो आप कृपया अपनी बात पंद्रह मिनट में खतम कीजिए।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : बिहार की जैसी चर्चा रोज-रोज नया मोड़ ले रही थी और परिस्थिति में परिवर्तन हो रहा था, मुझे ऐसा लगता है कि उतनी गति से नहीं लेकिन कुछ परिवर्तन, कुछ मोड़ महाराष्ट्र की चर्चा में भी आ गया। कल जो राज्य सभा की चर्चा हुई और उस राज्य सभा की जो प्रोसीडिंग्स आज मैंने पढ़ी हैं, उसमें एक बात पढ़ने में स्पष्ट हो गई। सरकार की कम से कम कल की नीति थी कि महाराष्ट्र में 356 का उपयोग नहीं करना चाहती है। महाराष्ट्र में राष्ट्रपति का शासन लाने की उनकी इच्छा नहीं है। ऐसी कल तक की बात थी। इसलिए उस पृष्ठभूमि में एक परिवर्तन आया है। मैं उस बात को सदन के सामने रखना चाहता हूं। सदन में पृथ्वीराज चौहान जी होने चाहिए थे। वे आ गए हैं। पृथ्वीराज चौहान जी ने अपने भाषण के अंत में कहा कि महाराष्ट्र की सरकार को बर्खास्त करना चाहिए और इसी दल के नेता, माननीय एस॰बी॰ चव्हाण, जो केवल राष्ट्रीय नेता ही नहीं है, बल्कि पूर्व गृह मंत्री भी हैं, कई राज्यों में उन्होंने इसके पहले 356 के अन्दर कई सरकारें बर्खास्त की हैं, उन्होंने भी कल कह दिया कि महाराष्ट्र का केस बर्खास्त करने जैसा नहीं है। लेकिन हो सकता है, एस॰बी॰ चव्हाण और पृथ्वीराज चौहान में काम्युनिकेशन गैप हो। इसी प्रकार का माम्युनिकेशन गैप, ओल्ड जनरेशन, पुरानी नजरेशन, नई जनरेशन में स्वाभाविक है, लेकिन यह गैप दिखाई देता है और इस भूमि में मैं ऐसा मानता हूं कि कांग्रेस को थोड़ा पुनर्विचार करने की बात आई है। लेकिन मैं अपनी चर्चा, जैसी कि मान्यवर सदस्यों ने की, मुम्बई से शुरू हो कर महाराष्ट्र की चर्चा करनी है, देश के अन्य राज्यों की चर्चा करनी है, लेकिन मुम्बई से मुम्बई तक ही सामान्यतः सब लोगों ने अपने विचार रखे हैं। मैं इससे थोड़ा उल्टा जाना चाहता हूं। मैं थोड़ा मुम्बई से बाहर जाना चाहता हूं।

[श्री राम नाईक]

शरद पवार जी को दलितों के बारे में बड़ा प्यार आया है। वह प्यार हमने सुना। इसलिए उनका जो प्रस्ताव है, केवल शब्द ही विशेष रखे। मतदान करने की बात आती है, तो शब्द विशेष रख कर ऐसी अच्छी ड्राफ्टिंग है कि उसको समर्थन देना चाहिए। लेकिन जो उन्होंने विचार रखे हैं, उनके विचार और उनके लेखन में कोई जोड़ नहीं आता है। साफ बात नहीं है, ऐसा स्पष्ट दिखाई देता है। हमारे मराठी में एक कहावत है "ओठा देखो, पोठा देखो।" हिन्दी में मुंह में राम बगल में छूरी, इस प्रकार की बात चलती है। यह कह कर कि साफ है, साफ है, जमीन में डंडा मारते रहो, इस प्रकार की बात यहां पर चरितार्थ हुई है। पहले किसी को बदनाम करो फिर उसका पन्ना काट दो। इस प्रकार की बातें इस चर्चा में मैं समझा हूं और जो मुझे दिखाई दी हैं। राघवन जी भी अपनी बात कह कर सदन से चले गए। अपनी एक परम्परा है, भाषण करने के बाद दूसरे वक्ता का भाषण जब तक पूरा नहीं होता है, तब तक पहले वक्ता को नहीं जाना चाहिए। लेकिन राघवन जी ने दलितों की हमदर्दी के बारे में कई बातें हमको बताई। लेकिन मुझे लगता है कि दलितों के बारे में कितना प्यार होना चाहिए और कैसे होना चाहिए, यह हमको न कांग्रेस से सीखने की आवश्यकता है और न सीपीआई से सीखने की आवश्यकता है। आप लोगों को पता ही नहीं चल रहा है कि आज हिन्दुस्तान की जनता कहां जा रही है। आज इस लोक सभा में सबसे ज्यादा दलित सदस्य किसी के पास होंगे, तो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के पास हैं।...*(व्यवधान)* आप गिन कर देख लीजिए, आपको पता चलेगा। महाराष्ट्र की विधान सभा में भी सबसे ज्यादा दलित विधायक किसी दल के पास हैं, तो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के पास हैं। इसीलिए दलितों का प्रेम हमने कैसे संपादन किया है, वह आपको बिहार में जाकर पता चल सकता है। हमने जो बातें की हैं और इसलिए दलितों के बारे में आपके कोई सरमन्स हमारे लिए कोई उपयागी नहीं है, क्योंकि उनकी जो असली शिकायत है और तकलीफ है, वे हम सदियों से जानते हैं। इसलिए वे हमारे पास आ रहे हैं। पहले कांग्रेस के पास थे, पहले सीपीआई के पास थे और सीपीएम के पास थे, वहां से सारा समाज हमारे पास आ रहा है। इसलिए इस भूमिका में इन सारी बातों पर विचार करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। आज अगर हम विचार करते हैं तो दलितों का सबसे मुखर नेता कौन है, रामविलास पासवान जी हैं और वह हमारे सदन के नेता हैं। वह संयोग से दलित भी हैं। जब वह अपने राज्य में गए और रेल मंत्री के नाते गए, इस सदन के प्रमुख के नाते गए, उनका बिहार में किस प्रकार से स्वागत किया गया। वह दलित नहीं हैं। उनका स्वागत नहीं बल्कि उनके साथ जो साथी जनता दल के अध्यक्ष थे, इतनी तो सभ्यता होनी चाहिए, लेकिन बिहार में हमने देखा कि दलितों पर कैसे न्याय होता है। पासवान जी, शरद जी आये, अच्छे बड़े-बड़े पत्थर हाथ में आए, मार दिए, वहां बम फोड़ने की कोशिश हुई। दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं। मैं महाराष्ट्र के बाहर की बात बता रहा हूं। मैं गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। यहां गृह मंत्री जी भी नहीं हैं और गृह राज्य मंत्री जी भी नहीं है। हम कैसे चर्चा करें, किस के सामने बात करें।...*(व्यवधान)*

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण-मध्य) : इस कारण से कल ही राज्य सभा एडजर्न हुई है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री राम नाईक वही बात कह रहे हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : क्या आप नहीं चाहते हैं कि राम नाईक वह बात नहीं करें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि हमारे गृह मंत्री जी ने, हमारे सदन के नेता पर बिहार में हमला होने के बाद क्या वहां से जानकारी ली है। उनको बिहार राज्य से कुछ जानकारी मिली है और मिली है तो सदन के सामने रखें कि किस प्रकार का हमला हुआ, क्यों हुआ और जिन्होंने हमला किया उन पर वहां की सरकार ने या यहां की सरकार ने क्या कार्यवाही की? जैसे महाराष्ट्र में गृह मंत्री जी ने बताया है कि यह जो शिव सेना के कुछ कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है उनके ऊपर धारा 307 लगाई, क्या ऐसा कोई सुझाव, सलाह बिहार को दी है कि उनके बारे में क्या करना चाहिए।...*(व्यवधान)*

अभी देश के सभी राज्यों की चर्चा हुई है। मैं गृह मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि पासवान जी पर जो हमला हुआ, एक दलित नेता पर जो हमला हुआ उसके बारे में उन्होंने क्या किया? मैं बिहार से गुजरात पर आ रहा हूं। वहां की हमारे काशी राम राणा जी ने कुछ बातें बताई। हमने देखा कि एक जगह पर गोली चलाई और उस गोलीकांड से चार लोगों की हत्या हुई लेकिन वह गोलीकांड गुजरात बंद के कारण था और वह गुजरात बंद सरकार के समर्थन से हुआ था। मैं जानना चाहता हूं कि क्या गृह मंत्री जी ने गुजरात के मुख्य मंत्री से पूछा कि यह गोलीकांड कैसे हुआ, कैसे लोग मरे। उसके बारे में कुछ जानकारी ली है। वहां से कुछ जानकारी मंगाई है। वहां के राज्यपाल ने कुछ जानकारी दी है। मैं जानना चाहता हूं कि गृह मंत्री जी ने गुजरात के बारे में वहां पर जो हो रहा है, वहां का मुख्य मंत्री कोई न्यायिक जांच की बात नहीं करेगा, न्यायिक जांच की बात न्याय से राज करने वाले हम लोग जानते हैं, आप लोग नहीं जान सकते।...*(व्यवधान)* इसलिए मैं गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने उनको कुछ कहा, कुछ सलाह दी यह भी मैं उनसे जानना चाहता हूं। गृह मंत्री जी जिस पार्टी के हैं, सीपीएम और सीपीआई के नेताओं ने भी यहां पर भाषण किया। केरल और बंगाल में भी कुछ जानकारी आपने की होगी। छगन भुजबल के घर पर हमला होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, फिर हमला होने के बाद जो काम करना चाहिए वह हमने किया। उस पर मैं कुछ समय बाद आता हूं। लेकिन 23 जुलाई, 93 को युवक कांग्रेस का जब एक बड़ा जुलूस, बड़ा कार्यक्रम कलकत्ता में था उसमें 13 कांग्रेस के युवकों की हत्या हुई। गोलीकांड में मर गए, उसका क्या हुआ। सीपीआई के नेता के नाते गृह मंत्री जी हमें जवाब दें।

उस समय पर उन्होंने क्या किया, और केवल युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, वह हमने देखा। कांग्रेस का झगड़ा एक कारण हो सकता है। ममता जी यहां नहीं है, लेकिन अच्छा है आप यहां हैं। ममता जी मंत्री थी और एक मंत्री के नाते वह राइटर-बिल्डिंग में मुख्यमंत्री से मिलने गयीं। मुख्यमंत्री ने मिलने से इंकार कर दिया और फिर क्या हुआ? ममता जी को, केन्द्र सरकार की मंत्री को वहां से हटा दिया। उसके बाद ममता जी जब सदन में आई तो व्हील-चेयर पर आई थी। उनकी हड्डियां कैसे टूटी? आप राजनैतिक विरोधियों के साथ, महिलाओं के साथ, युवकों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? इन दो घटनाओं के बारे में गृह मंत्री जी की क्या प्रतिक्रिया है, और वे इनके बारे में क्या सोचते हैं, हमें बताएं।

राघवन जी केरल के हैं। केरल में पिछले एक साल में क्या हुआ? उन्होंने महाराष्ट्र में लोगों के साथ कैसा व्यवहार है, हमारी सभ्यता क्या है, इस पर उनका बौद्धिक भाषण सुना। कुछ लोग नाराज हो गये, ठीक है। लेकिन मेरे पास केरल में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ताओं के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाता है उसकी एक पूरी लिस्ट हैं। 1996 से जून, 1997 के बीच केरल में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के 15 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। 29 जून, 1997 को हत्या का कारण केवल यह था कि एक हैड-मास्टर भारतीय जनता पार्टी का वहां अध्यक्ष बन गया, तो उसके घर पर जाकर उसकी हत्या की गयी। मैं यह बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के एम॰एल॰एज॰ ने भी उस हत्या का विरोध किया था। इससे साफ हो जाता है कि केरल में वहां की सी॰पी॰आई॰ और सी॰पी॰एम॰ की सरकार हमारे कार्यकर्ताओं के साथ कैसा व्यवहार करती है। यह कैसी सभ्यता है, कैसा व्यवहार है? जिन लोगों के विचारों से आप सहमत नहीं होते हैं उनको डंडे, छूरे और गोलियां चलाकर आप मारते हैं। इसलिए आपके मुंह से ऐसे उपदेश और ऐसी बातें करना शोभा नहीं देता है। मैं जानना चाहता हूं कि इन 15 कार्यकर्ताओं की हत्या होने के बाद क्या आपने केरल सरकार से रिपोर्ट मंगाई, या आपके पास रिपोर्ट आई? क्या आपने इनमें से किसी की न्यायिक जांच करने के लिए कहा। तीन मासूम विद्यार्थी एक नाव में जा रहे थे तो उस नाव को ही डूबा दिया गया। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपने इनकी जानकारी ली है, तथा आपने इनके बारे में क्या किया है? मैं केवल तीन राज्यों की बात कर रहा हूं लेकिन आपको बाकी के राज्यों का भी इससे अंदाजा हो सकता है। इसके बाद मैं महाराष्ट्र पर आना चाहता हूं। महाराष्ट्र के बारे में सारी जानकारियां हरेक सदस्य ने बताई। लेकिन किसी ने भी एक बात नहीं बताई। पृथ्वीराज जी, न आपने बताई और न ही शरद पवार जी ने बताई। आपने 11 जुलाई का तो उल्लेख किया लेकिन 13 जुलाई का उल्लेख नहीं किया। जो 11 लोग मर गये थे, 13 जुलाई को उनकी अंतिम यात्रा निकालने की बात थी। कुछ लोग कह रहे थे कि हम अंतिम-यात्रा नहीं निकालेंगे। हमने उनको समझाया कि समाज के हित में आपको अंतिम-यात्रा निकालनी चाहिए। इस प्रकार से जब तय हो गया तो रामदास अठोले, प्रकाश अम्बेडकर, गवई जी, इस प्रकार के अलग-अलग नेता वहां आए और समाज में इन लोगों के बारे में इतना गुस्सा था कि उन्होंने रामदास अठोले को वहां इतना पीटा कि उनको अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। आप अगर उनके फोटो देखना चाहें तो देख सकते हैं। सरपोतदार जी ने उनके कुछ फोटो आपको दिखाए कि उन पर किस प्रकार हमला हुआ और पुलिस उनकी सुरक्षा करके उन्हें कैसे ले गई? आपने यह बात नहीं बतायी कि 13 जुलाई को उन पर क्यों हमला हुआ? मैं दलित गैर दलित का भेद करने के लिए तैयार नहीं हूं। सारे समाज को लगने लगा था कि ये वे लोग हैं जिन्होंने राजनैतिक स्वार्थ के लिए दंगा भड़काने का प्रयास किया। इसलिए राम दास अठोले को वहां पीटा। जब उनसे पूछा गया कि आप पर दलित होकर जिन लोगों ने हमला किया, आप उनका नाम बताएं तो उन्होंने कहा कि मेरे लोगों ने मुझे मारा है। इस कारण मैं उनका नाम बताने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं नहीं चाहता कि मेरे लोगों को सजा हो। क्या सरकार को और पुलिस को सहयोग देने की यह पद्धति है? जिन लोगों ने इसमें राजनैतिक लाभ उठाने की कोशिश की उनको मुम्बई की जनता ने अपने-अपने स्थान पर बैठाया। मुम्बई शहर की यह विशेषता है कि वहां की जनता सही और गलत को जानती है। मुम्बई में बम विस्फोट में जब सैकड़ों लोग मर गए, मुम्बई शहर जहां का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं, मेरा सौभाग्य है और मैं गर्व अनुभव करता हूं कि वहां की यह विशेषता है कि दंगे होने के तीन दिन बाद मुम्बई रैगुलर रूटिन में आ गया। इन दंगों में भी 14 तारीख को महाराष्ट्र बंद का ऐलान करने के बाद भी 15 तारीख को मुम्बई शहर का वातावरण नॉर्मल हो गया। यह कैसे हो गया? वहां के लोग सब कुछ जानते हैं। वह बड़े होशियार हैं। वे राजनैतिक दृष्टि को बड़े अच्छे ढंग से देखते हैं। इसलिए मुम्बई की जनता ने कांग्रेस, सी॰पी॰आई॰ और सी॰पी॰एम॰ को चुनकर नहीं भेजा।

मैं मुम्बई का सामान्य कार्यकर्ता था। मुझे सबसे ज्यादा वोट से मुम्बई की जनता ने चुनकर भेजा। सरपोतदार जी पहली दफा खड़े हुए। उनको भी वहां की जनता ने चुनकर भेजा। रावले जी को दूसरी बार चुनकर भेजा। मुम्बई की जनता की राजनैतिक समझ-बूझ ऐसी है कि वह अच्छे-बुरे को पहचानती है। वहां की जनता यह समझती है कि आपके आंसू मगरमच्छ के आंसू हैं। जैसा कि मराठी में कहते हैं "मूले घातले रडाया" पैसा देकर रुलाने की बात होती है। वैसा आपका काम है।

क्या गृह मंत्री जी ने राम दास अठोले जी से पूछा कि आप पर हमला होने के बाद आपने शिकायत क्यों नहीं की? आपको क्या मदद चाहिए? वह उनसे मिलने गए थे। गृह मंत्री जी मुम्बई में आए। वह बाकी जगह नहीं गए। यह अच्छा नहीं किया। स्पीकर साहब ने निर्देश दिया है और संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी कहा है कि जब कोई मिनिस्टर किसी शहर में जाता है कि वह उसकी वहां के सांसदों को जानकारी दे। क्या हमें इसकी जानकारी दी गई? न पासवान जी ने जानकारी दी और न ही इन्द्रजीत गुप्त जी ने जानकारी दी। अगर वे हम से मिलते तो हम उन्हें बता सकते थे। मैं रिपोर्ट के बारे में बाद में कहने वाला हूं। क्या आपको नहीं लगता कि राम नाईक मुम्बई से हैं, प्रमोद महाजन जी उस क्षेत्र से हैं और सरपोतदार जी पास के क्षेत्र से चुनकर आए हैं। गौड़े जिन के बारे में बड़ी चर्चा थी, उनके क्षेत्र की जानकारी रावले जी को होगी। आपको इतना तो समझ लेना चाहिए था। किसी ने ऐसी रिपोर्ट बना दी। इसलिए उसे सही मान

[श्री राम नाईक]

लिया...(*व्यवधान*) मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूं। मैं यह प्रश्न इनसे पूछ रहा हूं। यह प्रश्न आप भी उनसे पूछ सकते हैं क्योंकि आप महाराष्ट्र के सांसद हैं। आप इस बात की जानकारी ले सकते थे कि यह कैसे हो गया? इससे आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं था। आप हमारी बात नहीं मानते थे। यह परस्पर विचार-विमर्श की बात है। आपने वह दिखायी नहीं। मुझे इस पर हंसी आ रही है।

जब शरद जी, सी॰पी॰एम॰ के श्री हन्नान मोल्लाह भाषण कर रहे थे तो मैं सुन रहा था और उसके बाद चह्वाण जी का भाषण सुन रहा था। तब तीनों ने रिपोर्ट की तारीफ की। श्री हन्नान मोल्लाह का भाषण तो यह रिपोर्ट है, यह रिपोर्ट किसकी है।

[अनुवाद]

यह रिपोर्ट 'लोक शाही हक रक्षा संगठन'—'प्रजातांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए समिति' की है।

[हिन्दी]

यह तो मानी हुई लैफ्टिस्ट आर्गनाईजेशन है। इसकी मुम्बई शहर में कोई विश्वसनीयता नहीं। यह छपकर आ गई तो आप लोग विश्वास कर रहे हैं। इसमें क्या बताया गया है, आप पढ़ेंगे तो आपको आश्चर्य होगा। मैं उसका कुछ भाग बता रहा हूं जिसमें कहा गया कि वाटर कैनन्स का प्रयोग होना चाहिये। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब हाईवे पर अचानक दंगा होने की परिस्थिति बनती होती है तो वहां पर वाटर कैनन्स कैसे आ सकते हैं?

श्री पृथ्वीराज दा॰ चव्हाण (कराड़) : आज ही महाराष्ट्र ने कहा है कि वाटर कैनन्स का प्रयोग करेंगे।

श्री राम नाईक : यह तो ठीक है परन्तु वहां पर वाटर कैनन्स कैसे आते, आप तो हाईवे से आते हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : राम नाईक जी अब आप अपनी बात समाप्त कर सकते हैं।

श्री पी॰आर॰ दासमुंशी (हावड़ा) : हमें उनके द्वारा उनकी पार्टी की कुशलतापूर्वक बचाव को सुनना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : इसलिये जो रिपोर्ट है, उसमें यह डिमांड की गई है :

[अनुवाद]

अंतिम और महत्वपूर्ण पैराग्राफ यह है :

> "जनता अपवित्र करने के खिलाफ इसलिए क्रुद्ध हो उठी क्योंकि अम्बेडकर उनके आत्म सम्मान और उनके विगत उत्पीड़न से मुक्ति के प्रतीक हैं।"

इसमें कोई मतभेद नहीं है। उसका नैक्सट सेन्टेन्स यह है :

> "इस प्रकार से अपवित्र करने का उद्देश्य राजनैतिक है और राजनैतिक दल उत्पीड़ित जनता के कष्टों से लाभ उठाने के लिए ऐसा करती हैं।"

[हिन्दी]

अब कौन माईलेज लेने की कोशिश कर रहा है? आप कांग्रेस के लोग लेने की कोशिश कर रहे हैं। यह देखते हुये कि इस प्रकार करने से हमें लाभ मिलता, इतना नहीं समझ सकते हैं कि डा॰ अम्बेडकर की प्रतिमा पर इस प्रकार से जूते की माला पहनाने के बाद बी॰जे॰पी॰ और शिव सेना की बदनामी होगी, इतनी बुद्धि हमारे पास नहीं है? क्या आप ऐसा मानते हैं? इसलिये इसमें जो राजनैतिक लाभ उठाने की बात है, वह एक षड्यंत्र से जुड़ी हुई है। यह तो आप मानेंगे कि कोई षड्यंत्र है।

श्री पृथ्वीराज दा॰ चव्हाण : बिलकुल है। लेकिन किसने किया है?

श्री राम नाईक : यदि हमारा होता तो राजनैतिक लाभ का ख्याल नहीं करेंगे? आज हमारी सरकार को दो-ढाई साल हो रहे हैं और मुम्बई तो क्या सारा महाराष्ट्र अच्छे ढंग से चल रहा है। आप कितनी ही कोशिश करिये, यह बदनामी नहीं हो सकती। कहीं किसी ने जरा सी गलती की और करप्शन चार्जेज लगे, हमने फोरन कमिशन अपांयट कर दिया। क्या आपने कभी ऐसा किया। आप ऐसे लोगों की सरकार का समर्थन कर रहे हैं जिसके लिये सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया लेकिन उनको गिरफ्तार नहीं कर रही है और वे इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। आप तो ऐसे लोगों का समर्थन कर रहे हैं। हमारे यहां दो मिनिस्टर्स पर करप्शन के चार्जेज लगे तो उनके इस्तीफा मांग लिया गया और इन्कवाइरी कमिशन बैठा दिया। क्या आपकी ऐसी हिम्मत हो सकती है? नहीं। प्रधानमंत्री इस्तीफा देने के लिये कह नहीं सकते। इसलिये इस रिपोर्ट की रद्दी बेचने से जो कीमत मिल सकती है, उतनी ही इसकी कीमत है। इसका हकीकत से कोई संबंध नहीं है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : राम नाईक जी आप 24 मिनट ले चुके हैं।

श्री राम नाईक : मैं और दस मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय : आप केवल 25 मिनट चाहते थे। अब आपको अपनी बात समाप्त करनी होगी। अन्य कई सदस्यों को भी बोलना है।

श्री राम नाईक : मैं ऐसा करने का प्रयास करूंगा।...(*व्यवधान*)

सभापति : मैं यह राम नाईक जी पर छोड़ रहा हूं।

श्री राम नाईक : मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं महोदय। मैं अपनी बात यथा संभव शीघ्र समाप्त करने का प्रयास करूंगा।

[हिन्दी]

अब यहां पर शरद जी बेचैनी, चिन्ता और पीड़ा से बोले और सारी बातें कहीं। अब इतना ख्याल नहीं आता कि चह्वाण जी खड़े हो गये और बोले कि हमने धारा 356 में अमेंडमेंट दिया है और अध्यक्ष जी ने वह अमेंडमेंट नहीं माना। लेकिन आपने क्यों दिया? इसका कारण यह है कि सारे महाराष्ट्र में चर्चा कर रहे हैं कि हम सरकार की बर्खास्तगी की मांग करेंगे, 356 की कोशिश करेंगे लेकिन इनकी पार्टी के नेता और जनरल सैक्रेटरी में आपस में तालमेल नहीं है।

अपराह्न 4.00 बजे

(कर्नल राव राम सिंह *पीठासीन हुए*)

कम से कम जो प्रस्ताव आपने दिया, उससे पहले आपस में चर्चा करते तो उचित होता। आप जैसे पढ़े-लिखे विद्वान सांसद का अमेंडमेंट रिजेक्ट होना उचित नहीं लगता है, लेकिन कांग्रेस में आपस में तालमेल नहीं है, उसका उदाहरण जो तुरंत मेरे ख्याल में आया वह मैंने बता दिया। मैं दोबारा इतना कहूंगा कि कल राज्य सभा में गृह मंत्री के बताने के बाद भी फोर्सफुली पृथ्वीराज चौहान जी ने मांग की कि राज्य सरकार को डिसमिस करो वह ठीक नहीं है, वहां आज भी सरकार को समर्थन दे रहे हैं। वहां क्या हो रहा है, थोड़ा तो तालमेल रखने की कोशिश करिये। हम जानते हैं कि आप बड़े अस्वस्थ हैं। स्वाभाविक है कि सत्ता में नहीं हैं तो अस्वस्थ हो सकते हैं, लेकिन यह बात आपको ख्याल में रखकर चलना चाहिए।

एक और महत्व की बात है कि गोलीकांड हो गया। उसकी जांच करने के लिए महाराष्ट्र की विधान सभा ने कहा कि एक कमेटी नियुक्त करेंगे। उसकी चर्चा मैं फिर नहीं करना चाहता हूं। उस बारे में प्रमोद महाजन तथा सरपोतदार जी ने बताया। वहां न्यायमूर्ति को जांच के लिए नियुक्त किया गया है। लेकिन आप लोगों का आजकल न्यायालय में विश्वास ही नहीं है। आपने मांग की कि सीबीआई की इनक्वायरी होनी चाहिए क्योंकि सीबीआई को आप राजनीतिक ढंग से तोड़-मोड़ करने की कोशिश कर सकते हैं।

श्री पृथ्वीराज दा॰ चव्हाण : हमने इसलिए कहा क्योंकि न्यायिक जांच में बहुत देर लगती है। मैंने भुजबल जी पर हुए अटैक की जांच सीबीआई को देने के लिए कहा था।

श्री राम नाईक : आपने किसी भी बारे में सीबीआई की जांच की मांग की हो, मगर आप रिकार्ड देखिए कि आपने क्या-क्या कहा है।...*(व्यवधान)*

श्री पृथ्वीराज दा॰ चव्हाण : आपने सुना नहीं, आप उस समय शोर कर रहे थे।...*(व्यवधान)*

श्री राम नाईक : मैंने आपका भाषण अच्छी तरह से सुना है और इसलिए मन में आता है कि क्या आप न्यायमूर्ति पर भी विश्वास नहीं करते? जब हमें गृह मंत्री ने कहा कि यह जांच जल्दी पूरी होनी चाहिए तो हमने कहा कि ठीक है, दो महीने में पूरी करेंगे। उसकी टर्म्स ऑफ रेफरेन्स मान ली और सिटिंग जज रखने की बात मान ली तब भी आप सीबीआई की इनक्वायरी की मांग कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री पृथ्वीराज दा॰ चव्हाण : उसके लिए नहीं कह रहा हूं मैं।

श्री राम नाईक : उसके लिए नहीं कह रहे हैं तो टर्म्स ऑफ रेफरेन्स जब तय हो गई तो आप बता सकते थे कि उसमें भुजबल जी के घर पर हमला भी इनक्लूड कर दो।

[अनुवाद]

श्री पी॰आर॰ दासमुंशी : हमने न्यायिक जांच आयोग के संबंध में अपनी आशंका व्यक्त की है।...*(व्यवधान)* अन्यथा हमें कोई आपत्ति नहीं है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया एक-दूसरे के साथ वाद-विवाद में मत उलझिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया पीठ को सम्बोधित कीजिए। एक दूसरे के साथ वाद-विवाद मत कीजिए।

(व्यवधान)

श्री पी॰आर॰ दासमुंशी : सभापति महोदय, मैं सिर्फ एक मिनट के लिए हस्तक्षेप करना चाहता हूं।...*(व्यवधान)* न्यायिक जांच आयोग के संबंध में हमें कोई आपत्ति नहीं है। महाराष्ट्र में श्रीकृष्ण आयोग की स्थापना की गई थी और बाद में उसी सरकार ने उसकी परवाह नहीं की। वाजपेयी जी के आशीर्वाद से इसे आज पुनः पुनरूज्जीवित किया गया है। हमेशा यह संशय बना रहता है कि न्यायिक आयोग का हश्र क्या होगा।

श्री राम नाईक : यदि श्री वाजपेयी ने हस्तक्षेप किया है तो आपको श्री वाजपेयी में भरोसा होना चाहिए।...*(व्यवधान)*

श्री पी॰आर॰ दासमुंशी : उस समय श्री वाजपेयी प्रधान मंत्री थे। श्री ठाकरे श्री वाजपेयी की बात नहीं सुनेंगे। हमें इसका भय है। ...*(व्यवधान)*

श्री राम नाईक : आपकी यह गलत धारणा है कि श्री ठाकरे हमारे साथ सहमत नहीं हैं। वह आपकी तरह नहीं है कि अपनी बातें मान ली फिर भी ऐसा कहें।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री राम नाईक, आप अपना भाषण जारी रखिए। हरेक व्यवधान पर प्रतिक्रिया नहीं कीजिए।

(व्यवधान)

श्री पृथ्वीराज दा॰ चव्हाण : मैं समझता हूं, आप गलत हैं। उच्च न्यायालय ने सी॰बी॰आई॰ जांच के आदेश दिए हैं।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : वहां दंगा शुरू हो गया। वह ठीक हुआ या नहीं, वहां टैंकर था या नहीं, ये सारी बातें जांच में आ जाएंगी, लेकिन जब कोई पुलिस अधिकारी गोली चलाता है तो क्या वह देखता है कि सामने वाले की जाति क्या है? दंगा करने वाली जो भीड़ इकट्ठी हुई, उस भीड़ पर उन्होंने गोली चलाई। उसके बाद यह कहना कि यह

[श्री राम नाईक]

दलित है इसलिए गोली चलाई, यह ठीक नहीं है। इतना तो विवेक हम लोगों के पास होना चाहिए।...*(व्यवधान)*

श्री इलियास आजमी (शाहबाद) : उस बस्ती में सारे ही दलित थे।

श्री राम नाईक : वह दलित बस्ती है इसलिए ऐसी बात हो गई।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब कृपया बीच में मत बोलिए।

[हिन्दी]

आप बाद में अपना जवाब देना। अभी इंटरप्ट न करें।

(व्यवधान)

श्री राम नाईक : अंत में जिस बात पर मैं आ रहा हूं, वह यह कि महाराष्ट्र विधान परिषद् के नेता छगन भुजबल के मकान पर हमला हुआ। उसके बारे में दोबारा जोर देकर कहना चाहता हूं कि इस प्रकार का हमला अनुचित था। और अनुचित हमला होने के बाद कानून में जो भी काम किया जा सकता है वह काम प्रारम्भ हुआ।

[अनुवाद]

कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

[हिन्दी]

और इसलिए किसने कौन सा अपराध किया है उसकी जानकारी लेकर मुकदमे चलेंगे। लेकिन आज तक हमने कभी नहीं सुना है और मैं गृह मंत्री से इसके बारे में जवाब चाहूंगा कि आप यहां से डाइरेक्ट करेंगे कि इस सैक्शन के अंदर आपको इंक्वायरी करनी चाहिए या जो पुलिस अधिकारी इंक्वायरी कर रहे हैं वह तय करेंगे कि कौन सा सैक्शन लगाना है। यह तो कमाल का न्याय है, यह कैसा न्याय है और इसलिए यहां से ऐसी डाइरेक्शन देना कानून के विरूद्ध है और नीति के तो बिल्कुल ही विरूद्ध है। लेकिन छगन भुजबल जी को पृथ्वीराज जी आप कैसे नहीं जानते। थोड़ा वर्णन तो हमारे सरपोतदार जी ने किया। लेकिन मैं भी छगन भुजबल जी को 30 सालों से जानता हूं। वह जब महापौर बने, उस समय भाजपा और शिवसेना का गठबंधन नहीं था। हम एक-दूसरे के विरूद्ध लड़कर चुनकर आए थे। लेकिन उनके पास थोड़ी मेज्योरिटी कम थी, तो हमने कहा कि हम मदद करेंगे, तो बालासाहेब ठाकेर जी को मिलने के बाद छगन भुजबल जी और किसी से मिलने के लिए आये तो मुझसे मिलने के लिए आए थे, क्योंकि मैं उस समय मुम्बई का अध्यक्ष था। इसलिए मैं छगन भुजबल जी को जानता हूं। बल्कि कम शब्दों में मेरा कहना यह है कि...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी॰आर॰ दासमुंशी : मुझे इस पर कड़ी आपत्ति हैं एक प्रमुख दल का मुख्य सचेतक दूसरे सदन में, राज्य विधनमण्डल में दल के नेता पर आरोप नहीं लगा सकता। मैं इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित न करने की मांग करता हूं।...*(व्यवधान)*

आप सदन के व्यवस्था संबंधी नियम देखिए। राज्य विधान मण्डल में एक दल के नेता के साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए जैसा कि यहां पर एक दल के मुख्य सचेतक द्वारा किया जा रहा है। आप व्यवस्था सदन संबंधी नियम देखिए।...*(व्यवधान)*

माफ कीजिए, इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जा सकता, इसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : राम नाईक जी, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जो आदमी हाउस में नहीं है उसके बारे में अपशब्द इस्तेमाल न करें। छगन भुजबल जी के बारे में जो शब्द राम नाइक जी ने इस्तेमाल किए हैं उनको रिकार्ड से निकाल दिया जाए।

(व्यवधान)

श्री आनन्दराव विठोबा अडसूल (बुलढाना); : सभापति महोदय, यह गलत शब्द नहीं हैं, जो उसके बारे में शब्द होने चाहिए, वही बोले गये हैं, क्योंकि यह सही बात है।...*(व्यवधान)*

श्री राम नाईक : सभापति महोदय, आपने निर्णय दिया है तो मैं मान लेता हूं। लेकिन यदि मैं यह कहूं कि छगन भुजबल ऐसा व्यक्ति है कि उस पर मेरे जैसा आदमी विश्वास नहीं रख सकता, तो मुझे लगता है कि इसमें कुछ आपत्तिजनक नहीं होगा। इसलिए मुझे लगता है कि मैं जिस पर विश्वास नहीं रखता हूं, उस पर मुम्बई का आम आदमी कैसे विश्वास रखेगा, यही समझने की बात है।

[अनुवाद]

श्री पी॰आर॰ दासमुंशी : मैं नहीं बैठूंगा।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया व्यवस्था बनाए रखें। मुझे बोलने का अवसर दें।

श्री पी॰आर॰ दासमुंशी : यह मुम्बई नहीं है। यह संसद है।

सभापति महोदय : श्री दासमुंशी, कृपया बैठ जाइये।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : सभापति महोदय, मैंने तो यह कहा कि उनके घर पर जो हमला हुआ वह गलत था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप जो चाहें वह यहां पर कह सकते हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पृथ्वीराज दा॰ चव्हाण : क्या इस कारण उनके घर पर हमला हुआ कि उन्हें मार दिया जाए, उन्हें समाप्त कर दिया जाए। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : सभा में श्री भुजबल के चरित्र के विषय में चर्चा नहीं की जा रही है।

श्री राम नाईक : ऐसा इसलिए है कि उनके घर पर हमले की बात पर चर्चा की जा रही है।

श्री पृथ्वीराज दा॰ चव्हाण : राज्य में व्याप्त आतंकवाद से प्रभावित होकर उनके घर पर कातिलाना हमला किया गया।

[हिन्दी]

जस्टिस गुमान मल लोढा (पाली) : सभापति महोदय, आपको केवल यह निर्णय करना है कि शब्द पार्लियामेन्ट्री है अथवा नहीं। जो अनपार्लियामेन्ट्री शब्द हो उसे ही निकाला जा सकता है, विश्वासघात या अविश्वास यह अनपार्लियामेन्ट्री नहीं है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : पार्लियामेन्ट्री हो या अनपार्लियामेन्ट्री हो, जो भी कोई व्यक्ति सदन में मौजूद नहीं है उसके करेक्टर को हाउस में डिसकस करना मेरी समझ में उचित बात नहीं है।

श्री राम नाईक : हम अनपार्लियामेन्ट्री कुछ नहीं कहेंगे।

सभापति महोदय : आप ज्यादातर लोग राजनीति में मेरे से अधिक तजुर्बेकार हैं। लेकिन मैं तो यह कह सकता हूं कि किसी के करेक्टर को डिसकस करना बराये-मेहरबानी उचित नहीं है।

श्री राम नाईक : उनके राजनैतिक कार्यों के बारे में, मैं यहां चर्चा कर रहा हूं क्योंकि उन्होंने 21 मई, 1991 को कहा था कि महात्मा गांधी के बदले नाथू राम गोडसे के पुतले बनाओ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पृथ्वीराज दा॰ चव्हाण : उनके द्वारा इसका तत्काल खण्डन कर दिया गया...*(व्यवधान)*

जस्टिस गुमान मल लोढ़ा : आप प्रत्येक बात पर आपत्ति कर रहे हैं। यह क्या है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आप इंटरप्ट मत करिए। जब आपके लीडर बोल रहे हैं तो क्यो आप इंटरप्ट कर रहे हैं?...*(व्यवधान)* राम नाईक जी आप कंक्लूड कीजिए।

श्री राम नाईक : अभी यहां पृथ्वीराज जी ने रामायण का जिक्र किया...*(व्यवधान)* जिसे लेकर महाराष्ट्र में बहुत बड़ा आन्दोलन हुआ – उस समय छगन भुजबल जी मुम्बई के महापौर थे। यहां दलितों की चर्चा की गई लेकिन जब उनके समय में दलितों का आन्दोलन हुआ, जो बाद में हुतात्मा चौक से गुजरा, जब हुतात्मा चौक से दलित चले गए, उसके दूसरे दिन, चूंकि दलितों के पैर लगने से हुतात्मा चौक अपवित्र हो गया था, उसे पवित्र करने के लिए हुतात्मा चौक को उन्होंने गंगाजल से साफ किया। यह एक राजनैतिक इतिहास है, जिससे आप इंकार नहीं कर सकते...*(व्यवधान)*

श्री मोहन रावले : इसे इन्होंने भी इंकार नहीं किया।

श्री पृथ्वीराज दा॰ चव्हाण : ऐसी बात नहीं हुई थी। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आर्डर प्लीज।

श्री राम नाईक : सभापति जी आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इस कांड के तीन दिन पहले भुजबल जी ने कहा था, जब वे झोंपड-पट्टी वालों के एक मोर्चे में आए थे, जिस मोर्चे का उल्लेख पृथ्वीराज जी ने भी किया, वहां उन्होंने भाषण करते हुए और बाद में विधान परिषद में भी कहा कि चलो, मंत्रियों के बंगले में घुस जाएं-क्या होता है – मंत्रियों के बंगलों पर कब्जा करेंगे। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा जिम्मेदारीपूर्ण वक्तव्य उन्होंने दिया।

महाराष्ट्र में प्याज की कीमत कम होती जा रही थी, किसानों को प्याज की कीमत कम मिल रही थी इसलिए विधान सभा में उसकी चर्चा हुई। इनके नेता ने एक प्याज हाथ में ली और मुख्यमंत्री पर मार दी। इससे आप समझ सकते हैं कि उनमें कितना संसदीय सम्मान है, वे कितने अच्छे ढंग से चलने वाले लोगों में है। इतना ही काफी नहीं, एक समय विधान परिषद् में, यहां जैसे बाबा साहेब अम्बेडकर का कांस्टीट्यूशन होता है, वह कांस्टीट्यूशन गिरा दिया गया जिसको लेकर बाद में बड़ा कांड हुआ। मैं यहां उसकी चर्चा में जाना नहीं चाहता। उसके बाद उन्होंने माफी भी मांगी – ऐसा करने वाले श्रीमान छगन भुजबल जी हैं।

इसका उल्लेख यहां अभी सरपोतदार जी ने किया, लेकिन मैं समझता हूं कि उन्होंने भी इस विषय के साथ न्याय नहीं किया, इसलिए मैं उसका भी उल्लेख करना चाहता हूं कि वहां विधायकों की अंतिम यात्रा या आरती निकालकर, इस तरह कंधे पर लाकर उन्होंने सभागृह में रख दिया – इससे आप समझ सकते हैं कि संसदीय परम्पराओं के प्रति उनके मन में कितना प्रेम है, क्या सभ्यता है? इसी भूमिका में, विधान परिषद् में विरोधी दल के नेता के व्यवहार के कारण, महाराष्ट्र की राजनैतिक प्रतिष्ठा को भारी धक्का लगा है जिसके लिए हम उनकी निन्दा करते हैं। केवल राम नाईक, भारतीय जनता पार्टी या शिवसेना के लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं बल्कि श्री प्रकाश अम्बेडकर, जो बाबा साहेब अम्बेडकर के पोते हैं, उन्होंने भी 25 तारीख को नागपुर में कहा था, जो लोकमत टाइम्स में छपा था, जिसके चारला सम्पादक हैं...*(व्यवधान)* प्रकाश अम्बेडकर जी ने वहां छगन भुजबल को अरैस्ट करने की डिमांड की।

इसलिए महाराष्ट्र में जो नाटक कुछ लोगों ने चला रखा है, वह नाटक काफी हो चुका, यह नाटक आगे चलने वाला नहीं है। मुम्बई की जनता दो दिन बाद तुरन्त शांत हो गई। महाराष्ट्र की जनता ने 5 साल के लिए हमें सेवा करने का मौका दिया है और हम उसकी सेवा करने की पूरी कोशिश करेंगे। यदि हमने कहीं कोई गलती की है तो आप हमें बता सकते हैं, आपको बताने का अधिकार है, विपक्ष का यही काम है और उस जिम्मेदारी को आप जरूर निभायें लेकिन किसी ऐसे मामले को लेकर यदि आप ऐसे नाटक करेंगे तो मुम्बई और महाराष्ट्र की जनता उसे सहन नहीं कर सकती...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अब आप कन्क्लूड कीजिए।

श्री राम नाईक : बस लास्ट टू सैन्टेन्सेज हैं। हम महाराष्ट्र की जनता की रक्षा करेंगे।

सभापति महोदय, जब हम जनता की रक्षा करते हैं, तो जनता में पुरूष आते हैं, महिलाएं आती हैं, बूढ़े आते हैं, बच्चे आते हैं, दलित आते हैं, गैर-दलित आते हैं, मुसलमान आते हैं और सभी धर्मों के लोग आते हैं। हमने सभी धर्मों और सभी आयु के लोगों का

[श्री राम नाईक]

विश्वास पाया है। इसलिए हमारी सरकार बनी है। नहीं, तो कांग्रेस को परास्त करना हमारे लिए इतना आसान नहीं था। हमने 25 साल तक कड़ी मेहनत की है। उसकी वजह हमारे ऊपर वहां की जनता ने विश्वास किया है और हमें जिताया है। अगर हम कोई गलती करते हैं, तो हमें जरूर बताइए, लेकिन सिर्फ इसके आधार पर आप वहां पर धारा 356 को लागू करने की बात करेंगे, तो आपके चाहे जो भी नापाक मंसूबे हों, महाराष्ट्र की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी।

सभापति महोदय, मैं गृह मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि वे कांग्रेसी मित्रों से भी सावधान रहें क्योंकि ये आज महाराष्ट्र में सत्ता में नहीं हैं। इसलिए जैसे पानी की मछली पानी से बाहर आने पर तड़पती है, वैसे ये सत्ता से बाहर होने के कारण तड़फ रहे हैं। इस भूमिका में आपको इन सारी बातों को देखना और करना चाहिए।

मैं इस सदन से भी प्रार्थना करूंगा कि यह जो प्रस्ताव यहां पेश किया गया है, इसकी भावना से तो हम सहमत हैं, लेकिन इसी भावना के साथ धारा 356 लागू करने का यदि यहां प्रस्ताव लाते हैं, तो हम उससे कभी भी सहमत नहीं हो सकते। मैं गृह मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि जब वे जवाब दें, तो इस बात का ख्याल रखें। मैं आज इस सदन में आपसे प्रार्थना करूंगा कि इस प्रस्ताव को वापस ले लें। इससे सदन की गरिमा रहेगी और जो थोड़ी बहुत आपकी गरिमा है, वह भी बची रहेगी।

श्री जी॰ वेंकट स्वामी (पेद्दापल्ली) : सभापति जी, राम नाइक जी ने बहुत ही अच्छी और सुलझे हुए पार्लियामेंटेरियन की तरह तकरीर की है, लेकिन निहत्थे दलितों पर चली गोली से जो खून निकला, उसके ऊपर उन्होंने अपने भाषण में कुछ नहीं कहा। मैंने उनकी पूरी स्पीच सुनी है। मैं यहां यह साफ बात कहना चाहता हूं कि पार्लियामेंट के हर एक मैम्बर को हक है कि वह अपनी बात को यहां पर रखे। देश के हालात पर और देश की जनता के बारे में जब कभी यहां पर मैम्बरों को बात करने का मौका मिलता है, तो उन्हें अपनी बात कहने का हक हासिल है।

सभापति जी, इस देश के अंदर जो गरीब हैं और जो मुसीबत में जी रहे हैं, देश की आजादी के 50 साल के बाद आज भी अपने पेट की भूख और आग को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे दलितों के ऊपर गोली चलाना और उसके बाद इस पार्लियामेंट में कुछ बहस न करना इसे बिलकुल ठीक नहीं कहा जा सकता है। शिवसेना के मैम्बरों को देखकर मुझे तकलीफ होती है। हम और आप, दोनों ही इस पार्लियामेंट के मैम्बर हैं। यहां पर हमको बात करने का हक उतना ही है जितना आपको है। लेकिन बीच-बीच में उठकर बोलना और बोलते हुए मैम्बर को डिस्टर्ब करने का किसी को कोई हक नहीं है। यदि मेरे खिलाफ कोई बोलता है, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसको सुनूं और जब मेरे बोलने का मौका आए, तब मैं उसका जवाब दूं। यही पार्लियामेंट का तरीका है, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम लोग अपने इस फर्ज को भूल जाते हैं और बीच-बीच में उठकर बोलने लग जाते हैं। इससे पार्लियामेंट की जो गरिमा है, जो शोभा है, उसका कत्ल होता है और चेयरमैन साहब यहां निहत्थे बैठे देखते रह जाते हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप प्रत्येक व्यवधान पर क्यों अपनी प्रतिक्रिया करते हैं?

[हिन्दी]

श्री जी॰ वेंकट स्वामी : सभापति जी, अगर मेरी स्पीच में कोई इस तरह से बीच-बीच में उठकर इंटरप्ट करेगा, तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपको हर बात पर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी बात कहिए।

(व्यवधान)

श्री जी॰ वेंकट स्वामी : सभापति महोदय, मैं आपसे यही बात कह रहा था कि जो मैम्बर डिस्टर्ब कर रहे हैं, जो इंटरप्ट कर रहे हैं, उनको कंट्रोल कीजिए। आप वहां पर इसीलिए बैठे हैं।

यदि कोई व्यक्ति गलत बोलता है तो उसे रोकिए।...*(व्यवधान)* यहां पर जो भी भाषण हुए हैं, उसे देखते हुए श्री शरद पवार ने जो मोशन मूव किया है, मैं उसे सपोर्ट करने के लिए खड़ा हुआ हूं। आप जानते हैं कि जब 11 तारीख को मुम्बई में फायरिंग हुई, उसे देखने के बाद हमारे ए॰आई॰सी॰सी॰ के प्रैजीडैंट श्री सीता राम केसरी ने जब यह देखा कि वहां पर किसी को आने नहीं दे रहे हैं और कोई लीडरशिप नहीं है तो उन्होंने कांग्रेस की तरफ से कुछ माननीय सदस्यों को भेजने का फैसला किया जिसमें मैं, श्री प्रिय रंजन दासमुंशी और राज्य सभा के श्री सिब्ते रिज़वी थे। हमने वहां जाकर देखा। हम पहले लोग थे जो फायरिंग के बाद उन लोगों का दुख-दर्द जानने के लिए वहां पहुंचे। हमें हर एक के घर में जाने का मौका मिला, एक-एक व्यक्ति के आंसू देखने का मौका मिला। वहां पर किस तरह से गोलियां चलीं, मैं माननीय सदस्यों से जानना चाहता हूं कि दलितों पर गोली चलने का असर मुम्बई की हद तक ही रहा या सारे देश में हुआ। इस तरह से गोली से 12 दलितों को मार डालना, आजादी के 50 सालों बाद एक साथ इतने लोगों को मार डालने का यह पहला वाकया है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : वे यील्ड नहीं कर रहे हैं।

श्री भीमराव विष्णु जी बडाडे (कोपरगांव) : कांग्रेस के राज में इतनी गोलियां चलीं, इतने दलित मरे, हम उसके दस उदाहरण रख सकते हैं। महाराष्ट्र में नहीं, पूरे हिन्दुस्तान में कई बार गोलियां चली हैं और दलितों पर चली हैं। कांग्रेस के राज में चली हैं।...*(व्यवधान)*

श्री जी॰ वेंकट स्वामी : मैंने पहले ही कहा था कि यदि बोलते समय मुझे इंटरफियर करेंगे तो मैं नहीं बोलूंगा। यदि ऐसा किया जाएगा तो मैं ऐसे ही खड़ा रहूंगा, चाहे सुबह के चार बजें या पांच बजें। मैं उनसे रिक्वैस्ट करता हूं कि यदि आपको बोलना है तो अपनी बारी में बोलिए, बीच में इंटरफियर करने का कोई अधिकार नहीं है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि दलितों पर इस किस्म की फायरिंग को हम कन्डैम कर रहे हैं। और माननीय सदस्यों ने भी कन्डैम किया है। बी॰जे॰पी॰ और शिव सेना की सरकार ने भी कन्डैम किया है। लेकिन मैं जब कर रहा हूं तो आपको तकलीफ क्यों हो रही है। मैंने कहा कि जो हुआ है वह गलत हुआ है। आप इसे मान लीजिए। आपको होश नहीं था, कांग्रेस ने 50 सालों में होश दिलाया है। मुझे मुंह मत खोलने दें। आप तब पैदा नहीं हुए थे। कांग्रेस ने जो किया है, उसे याद कर लें।...(*व्यवधान*)

डा॰ रमेश चन्द तोमर : सारे देश को बरबाद कर दिया। भ्रष्टाचार की नींव सारे देश में डाल दी है।

श्री जी॰ वेंकट स्वामी : क्या अभी महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार नहीं है? अभी भ्रष्टाचार बोलकर सैर्टीफिकेट मत लो। मुम्बई में जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं, जुबान खोलकर रख दूंगा।

बात मत करो! भ्रष्टाचार की बात करते हो। हर मोड़ पर भ्रष्टाचार है। क्या करते हो? एक-एक बात खोलकर रख दूंगा। बताते क्या हो? बताऊं? कोर्ट के अंदर जाकर देखो कितने केसेज लगे हुए हैं? कितने लैंड ग्रैबिंग के केसेज हैं।...(*व्यवधान*) मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि इन लोगों का हस्तक्षेप न हो तो मैं सीधी-सादी स्पीच दूंगा। इन लोगों की बीच में बोलने की आदत बन गई है। मुश्किल से पचास साल में पहली मर्तबा पार्लियामेंट में आए हैं।...(*व्यवधान*) पार्लियामेंट किस तरह से चलता है, किस तरह से बात करनी है, इनको नहीं मालूम है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है और...(*व्यवधान*)

श्री मोहन रावले : माननीय सभापति जी, मैं बताना चाहता हूं कि उनको भी इस सदन को गुमराह नहीं करना चाहिए। जो गलत बात बता रहे हैं।...(*व्यवधान*) मैं बताना चाहता हूं कांग्रेस के राज में दलितों पर गोलीबारी हुई थी और तीन लोग मारे गए थे।...(*व्यवधान*) यह घटना 3 अक्तूबर, 1989 में हुई थी। उन तीन लोगों के नाम अलका यादव, सुभाष कांबली और नानाबरे हैं।...(*व्यवधान*)

सभापति महोदय : रावले जी, जब आप बोलें और यह बात जब आए तब आप बताना।

(*व्यवधान*)

श्री मोहन रावले : वह बोलते हैं कि कांग्रेस के राज में कोई नहीं मारे गए। मैं उनकी इज्जत करता हूं लेकिन वह गुमराह कर रहे हैं, इस पर मुझे आपत्ति है।...(*व्यवधान*)

श्री जी॰ वेंकट स्वामी : बारह लोगों की फायरिंग में कोई हरिजन, कोई दलित नहीं मारा गया। यह आज भी बोल रहा हूं।...(*व्यवधान*)

श्री मोहन रावले : मेरे पास रिकार्ड है।...(*व्यवधान*)

श्री जी॰ वेंकट स्वामी : मैं बैठ जाता हूं। बारह लोगों का कहां हुआ यह बताएं।...(*व्यवधान*)

श्री मोहन रावले : मैं आपको तारीख भी देता हूं। 10 अक्तूबर, 1989 को तीन लोग मारे गए हैं।

सभापति महोदय : रावले जी, जब आपकी बोलने की बारी आएगी, तब आप ये सब बताएं।

(*व्यवधान*)

श्री आनन्दराव विठोबा अडसूल : इनको असत्य बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अगर सीनियर मेम्बर हैं तो सीनियर मेम्बर को सत्य बोलना चाहिए। हमको सत्य बोलना सिखाना चाहिए। हम ऐसी उम्मीद करते हैं। आप असत्य बोलेंगे तो हमको बीच में बोलना पड़ेगा।...(*व्यवधान*)

सभापति महोदय : चलिए।

श्री जी॰ वेंकट स्वामी : नहीं सभापति जी, उनको बोलने दीजिए। मैं जो बोलता हूं तो उसको कॉन्ट्रेडिक्ट कर रहे हैं कि आपने गलत बोला है।...(*व्यवधान*)

श्री मोहन रावले : नए मेम्बर पर कमेंट कर रहे हैं, इसलिए हमने ऑब्जेक्शन किया था।...(*व्यवधान*)

श्री जी॰ वेंकट स्वामी : सभापति जी, बोलना यह है कि आज मुम्बई की फायरिंग के बारे में यहां पर मोशन मूव हुआ है। इस मामले में सब लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देश के दलितों के ऊपर जो कुछ गुजरा है, उसके बारे में हम सबको चिंता करने की जरूरत है। एक दूसरे को कॉन्ट्रेडिक्शन के साथ सपोर्ट करें और फायरिंग को जस्टिफिकेशन करें।...(*व्यवधान*) जस्टिफिकेशन नहीं करते हैं तो मुझे कहना पड़ेगा कि वहां की सरकार ने फायरिंग क्यों की?

आजादी के बाद पहली बार डा॰ राम मनोहर लोहिया ने ललकारा था कि केरल में फायरिंग के बाद वहां की सरकार को खत्म करो। इन बच्चों बिचारों को सारी हिस्टरी जानने की जरूरत है, इसलिए जानने की जरूरत है कि डैमोक्रेसी इंसानों के ऊपर गोलियां चलाने के लिए नहीं है। हम इस डैमोक्रेसी के अंदर जो गरीब से गरीब आज देश का दलित है, एक साथ बारह लोगों पर विदाउट वॉर्निंग गोलियां चलवा दी गई। राम नाई जी ने भी कहा कि भई करो। मैं यह नहीं बोलता कि फायरिंग नहीं करनी चाहिए। करनी चाहिए थी। जरूरी है। लेकिन वॉर्निंग देकर उनको निकालना चाहिए था, भगाना चाहिए था। कई जगह होता है और मैं समझता हूं कि सारी चीजों के बावजूद भी जो अंधाधुंध फायरिंग हुई है, उसकी निंदा करने के लिए मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं ताकि आइंदा दलितों को यह महसूस हो जाए कि सरकार की तरफ से यह गलती हुई है। ठीक है, फायरिंग को आप जस्टिफाई करो, मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन इस सारे प्रोसीजर के खिलाफ विदाउट वॉर्निंग जो फायरिंग हुई है, उन सबको क्या बुक किया गया? यह मैं पूछना चाहता हूं।

मैं यह पूछना चाहता हूं, क्या आपने इन सबको चार्जशीट किया? मेरा कहना है कि जो भी फायरिंग किया है, उन लोगों को बुक किया जाए और अदालत के सामने लाया जाए, क्योंकि उन लोगों ने बिना किसी मैजिस्टीरियल आर्डर और बिना किसी अधिकारी के आदेश के दनादन फायरिंग की है। हमने एक-एक घर को जाकर देखा है। एक मां छः बच्चों के साथ बैठी थी और रो रही थी। उसके दिल से पूछो, वह कैसे जीएगी। क्या वह आदमी मारने गया था? लेकिन

[श्री जी॰ वेंकट स्वामी]

एक मां छः लड़कियों को लेकर आंसू बहा रही हैं, क्योंकि उसका पति मार डाला गया। इसी प्रकार 14 साल के बच्चे ने क्या किया। वह जा रहा था, लेकिन उसको भी मार दिया गया। मैं इसको कन्डैम करता हूं। यह पार्लियामेंट गोलियों की हुकूमत को सपोर्ट करने वाली नहीं है। पार्लियामेंट के अन्दर...(*व्यवधान*)

श्री इलियास आजमी : मेरठ के अन्दर भी सैकड़ों को मार डाला गया था। सैकड़ों मातायें आज भी रो रही हैं।...(*व्यवधान*)

श्री जी॰ वेंकट स्वामी : वह भी अच्छा नहीं हुआ है। आप एक जबान से एक बात कहते हैं और दूसरे वक्त दूसरी बात।...(*व्यवधान*)

श्री इलियास आजमी : आप इस सदन में उस वक्त ऐसा क्यों नहीं बोले?...(*व्यवधान*)

श्री जी॰ वेंकट स्वामी : आज सदन में विषय दूसरा है। आपको मालूम नहीं है, आप संसद सदस्य हैं। इस विषय पर बात हो रही है, लेकिन आप मेरठ की बात बीच में ला रहे हैं।...(*व्यवधान*)

सभापति जी, यही वजह है कि बीच में इन्टरफीयर करके, सदस्य की बात का जो तरीका है, उसको बदल देते हैं। इसीलिए मैंने प्रार्थना की, जब सदस्यों को बोलने का मौका मिले, तो वे हमारी बातों का जवाब दें, उस पर कोई ऐतराज नहीं है। मैं आज साफ-साफ कहना चाहता हूं कि जो निहत्थे दलितों के ऊपर फायरिंग हुई है, उसको मैं कन्डैम करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मुझे इसका अफसोस है। नाईक साहब ने कहा मगरमच्छ के आंसू बहाए जा रहे हैं। इसको सुनकर मुझे अफसोस हो रहा है। मगरमच्छ के आंसू किसके निकल रहे हैं? हम वहां पर गए, तो वहां पार्लियामेंट मैम्बर हैं महाजन साहब। महाजन साहब का यह फर्ज नहीं है कि वे एक टेलीफोन करें और कहें कि आप लोग आए हैं मेरी कान्स्टीचुयेंसी में, मैं आपका स्वागत करता हूं। आइए, आपके साथ चलता हूं। उन दुखदर्द लोगों के आंसू पोछने के लिए चलना चाहिए था। मगरमच्छ के आंसू आप बहा रहे हैं या कौन बहा रहे हैं। हमने कहा था, हम वहां पर गए। हम कोई सड़क पर आंसू बहाने के लिए नहीं गए थे। हम एक-एक घर में जाकर एक-एक के दुखदर्द को पूछा। आज सबसे ज्यादा जो मुझे तकलीफ हुई, वह हुई दलित लीडर के भाषण को सुनकर। कल उन्होंने भाषण देते वक्त कहा, डा॰ अम्बेडकर के स्टेचू पर पक्षी पेशाब करता है और उन्होंने बुरी तरह से स्टेचू को कन्डैम किया। मुझे उनकी बात से अफसोस होता है। दलित लीडर होकर डा॰ बी॰आर॰ अम्बेडकर जी के बारे में इस तरह से कहते हैं। मेरा सिर शर्म से झुक जाता है। ...(*व्यवधान*)

श्री इलियास आजमी : आप सही कह रहे हैं, उन्होंने गलत कहा।

श्री जी॰ वेंकट स्वामी : डा॰ अम्बेडकर की स्टेचु और फोटो से वोट कमाया है और डा॰ अम्बेडकर के स्टेचू और फोटो नहीं होते, तो आज यूपी के अन्दर सरकार भी नहीं होती। उन्होंने यह भी कहा कि डा॰ अम्बेडकर के स्टेचु से कुछ नहीं बनता और उनकी जो फिलोसोफी है, उनकी जो पालिसी है, उसको लेकर जाने की जरूरत थी। आज की परिस्थिति के अन्दर उन्होंने कहा कि मुझे आने नहीं दिया, मेरी बात नहीं सुनी, वहां के दलित लीडरों ने फायरिंग का जस्टिफिकेशन किया है, दूसरे मायनों में यह पेपरों के अन्दर आया है।

यह सुनने के बाद मुझे तकलीफ होती है कि डा॰ अम्बेडकर के फोटो और स्टेचु का कब तक ड्रामा चलेगा और कब तक यह पोलिटीकल व्यापार होगा। आज दलित जान चुके हैं कि यह देश के अंदर क्या ड्रामा हो रहा है। अगर कांशी राम जी दलितों के लीडर हैं और सही मानो में अगर अम्बेडकर से मिल कर उनकी शिक्षा लेते तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि मुझे इस बात का फख होता। कांशी राम जी इस समय यहां नहीं हैं मगर उनको सुनकर खुशी होनी चाहिए कि वेंकट स्वामी ने डा॰ अम्बेडकर के साथ कई बार कई मीटिंगें अटेंड की हैं, उस समय बेचारे कांशी राम जी स्कूल में पढ़ रहे थे। इसलिए डाक्टर अम्बेडकर क्या हैं, वह नहीं जानते। डा॰ अम्बेडकर की मूर्ति की जो हत्या हुई है वह हत्या नहीं बल्कि जिस तरह से भी व्यवहार हो रहा है उसको डिफेंड करने की बजाए वहां के लीडर को गाली दे रहे हैं, इस वास्ते उनको महाराष्ट्र में कदम नहीं रखने देते। महाराष्ट्र में कोई सौदेबाजी नहीं होने दी। मुझे नहीं मालूम कि उस सौदेबाजी की क्या बात है मगर डा॰ अम्बेडकर के बारे में उन्होंने जो भी बातें कल कहीं वही बातें मैं राम नाईक जी को कहता हूं। राम नाईक जी, ऐसे लोगों को कहो, मगरमच्छ के आंसू और उन आंसुओं से फायदा उठाने वालों के बारे में बोलो। मैं तो डा॰ अम्बेडकर के साथ रहा हूं और उनकी फिलोस्फी को जानता हूं। उनकी फिलोस्फी को लेकर आगे बढ़ रहा हूं।...(*व्यवधान*)

आन्ध्र प्रदेश में आइए और जानिए कि अम्बेडकर जी और मेरी क्या बातचीत हुई। आप अखबारों में पढ़िए।...(*व्यवधान*)

श्री राम नाईक : देखिए, मैंने मगरमच्छ के आंसू आपके बारे में नहीं कहे, क्योंकि मुझे आपकी दलितों के बारे में जो धारणा है वह अच्छी तरह से मालूम है इसलिए मैंने आपके बारे में नहीं कहा। मैंने जो शरद पवार जो प्रस्ताव लाए हैं उनके बारे में कहा, आपके बारे में नहीं कहा।...(*व्यवधान*)

श्री जी॰ वेंकट स्वामी : मैं जानता हूं कि मेरे बारे में नहीं कहा मगर जिसके बारे में कहना चाहिए उसके बारे में नहीं कहा। ...(*व्यवधान*)

मैंने जिन्दगी भर अम्बेडकर जी के चरणों में जो सीखा, कांग्रेस में रह कर भी हर चीफ मिनिस्टर के खिलाफ मैंने बगावत की और लाठियां, गोलियां खाईं। आप आन्ध्र प्रदेश में आइए, कितनी बार फायरिंग हुई और वेंकट स्वामी पर फायरिंग हुई। मुझ पर लाठीचार्ज हुआ, मुझे जेलों में जाना पड़ा।...(*व्यवधान*) मैं जानता हूं इस हाउस में आज जो अम्बेडकर के बारे में बात हो रही है उसको मैं कंडेम करता हूं। अम्बेडकर के स्टेचु को इस तरह से करना, उसके ऊपर पक्षी पेशाब करते हैं, इस तरह की बात करना दलित लीडर के लिए शोभा नहीं देती। इससे हमारा शर्म के मारे सिर झुक जाता है। अगर यही बात किसी मंदिर या मस्जिद के बारे में होती तो इस हाउस में क्या होता, यह भी जानता हूं।...(*व्यवधान*)

सभापति महोदय : आपको 25 मिनट हो गए हैं, अब आप समाप्त कीजिए।

श्री जी• वेंकट स्वामी : मैं दलितों के बारे में बात कर रहा हूं। राम नाईक जी 50 मिनट बोले तब आप कुछ नहीं बोले।

सभापति महोदय : मेरी तरफ से आप भी 50 मिनट बोल सकते हैं लेकिन आप फिर अन्य मैम्बरों का टाइम ले रहे हैं। मेरी तरफ से तो आप जितना चाहे समय ले लें लेकिन अन्य मेम्बरों के समय का ध्यान रखिए।

(व्यवधान)

श्री जी• वेंकट स्वामी : इसके बाद मैं राम नाईक जी और शिवसेना के लीडर को कुछ बताना चाहता हूं।

इससे कितनी ठेस लगी दलितों को, यह आपको मालूम होना चाहिए। हम उस समय मुम्बई के अंदर थे, जब एक दलित कवि फांसी लगाकर मर गया। उसके ऊपर तो आप लोगों में से कोई आवाज नहीं उठाता। आने वाले इलेक्शन के अंदर दलित आपको वोट देकर भेजने वाला है?

सारे देश के अंदर, चाहे आंध्र हो, केरल हो, गुजरात हो एजीटेशन हुआ और महाराष्ट्र के हर जिले में हुआ। डा• बाबा बी•आर• अम्बेडकर की प्रतिमा पर जूतों की माला डालने के कारण एजीटेशन हुआ और सारे देश में हुआ। इस बात को महसूस करने की जरूरत है। सारी विपक्ष की पार्टियों ने महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त करने की मांग की, तब आप कुछ नहीं बोले। होम-मिनिस्टर के पास जाकर डिमांड की कि महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए क्योंकि दलितों के ऊपर फायरिंग हुई है। अनीस अहमद को नागपुर के अंदर जुलूस निकालने पर इतना मारा कि वह आज भी चलने लायक नहीं है।...*(व्यवधान)* इन सारी चीजों के ऊपर भी आपको बोलना चाहिए।

एक माननीय सदस्य : आपस में झगड़ा हुआ था, उसको पुलिस ने नहीं मारा है।...*(व्यवधान)*

श्री जी• वेंकट स्वामी : अध्यक्ष जी, ये बीच में बोलते रहेंगे तो मैं नहीं बोलूंगा।

प्रो• रासा सिंह रावत (अजमेर) : आप बड़े पुराने और अनुभवी नेता है, आपके मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती हैं। आप सत्य बोलिये।

श्री जी• वेंकट स्वामी : जो सत्य है, उसे मैं बताना चाहता हूं। आप उसका जवाब दीजिए।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : इनको अपना भाषण पूरा करने दीजिए।

श्री जी• वेंकट स्वामी : फायरिंग से शुरू होकर, भुजबल के घर अटैक तक, जितनी भी बातें पृथ्वी राज चव्हाण और शरद पवार जी ने बताई हैं वे रिकार्ड के अंदर हैं। मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहता हूं। डा• अम्बेडकर को जिस अंदाज और तरीके से छेड़ा गया है, इसकी वजह क्या है, यह आप जानने की कोशिश करें। अपर क्लॉस के खिलाफ प्रतिक्रिया कहां से शुरू हुई है यह आप जानने की कोशिश करें। सभापति जी, महाराष्ट्र के अंदर पैदा हुआ डा• बी•आर• अम्बेडकर अगर महाराष्ट्र को लोगों के, दलितों के खून में है।

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर) : डा• अम्बेडकर मध्य प्रदेश के मऊ में पैदा हुए थे। आप उनके कैसे चेले हैं जो आपको उनके जन्म-स्थान के बारे में पता नहीं है।...*(व्यवधान)*

श्री जी• वेंकट स्वामी : ये मुझे सिखा रहे हैं कि वे कहां पैदा हुए थे। मैं महाराष्ट्र नहीं बोल रहा हूं यह तो समझो। महाराष्ट्रयन क्या है? वह मऊ में पैदा हों या दिल्ली में पैदा हों, महाराष्ट्रयन हैं। यह आपको मुझे समझाने की क्या जरूरत है। मैंने कहा कि वे महाराष्ट्रयन थे।

ये कहने लगे कि मुझे यह भी नहीं मालूम कि वह महाराष्ट्र में पैदा हुए या कहीं और पैदा हुए। यह तो मऊ में पैदा हुए थे। मैं इसके बारे में थोड़ा बहुत जानता हूं। आप मेहरबानी करके मुझे मत सिखाओ। यह छेडछाड़ क्यों हुई? ऐसा देश के विभिन्न हिस्सों में क्यों हो रहा है? देश में कई किस्म के लोग पैदा हुए हैं। जब गांधी जी देश को आजादी दिलाने के लिए लड़ने जा रहे थे कि उन्हें अम्बेड़कर जी ने रोका। यहां से कहानी शुरू होती है। उन्होंने गांधी जी से कहा कि यह आजादी किस के लिए है? आजादी इंसानों के लिए या इन्सानानुमा हैवानों के लिए है? कुत्ते और बिल्ली घर में आ सकते हैं मगर एक दलित किसी के घर के सामने से गुजर नहीं सकता। आप पहले इसका फैसला करो। गांधी ने अपनी गलती को माना और इसका प्रायश्चित किया। उन्होंने 21 दिन का मौन व्रत किया। उन्होंने अम्बेड़कर जी की हर बात को माना।...*(व्यवधान)*

श्री इलियास आजमी : आप कह रहे हैं कि सब कुछ मान लिया। उनका सब कुछ अंग्रेजों ने छीन लिया...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप इंटरप्ट मत करिए। उन्हें अपना भाषण पूरा करने दीजिए।

श्री जी• वेंकट स्वामी : गांधी जी ने सारे देश में इस मूवमैंट को चलाया। जब आजादी की लड़ाई चल रही थी उसमें अम्बेडकर जी को वार्निंग दी गई और जगह-जगह से टेलीग्राम आए कि इनको मार डालो क्योंकि वह देश के गद्दार हैं। इस पर डा• अम्बेडकर जी ने कहा कि मैंने जो बीड़ा उठाया है, मैं उसके लिए मरने को तैयार हूं। अगर एक अम्बेड़कर को मारोगे तो इस देश में करोड़ों अम्बेड़कर पैदा होंगे लेकिन मैं अपने उसूलों से कभी नहीं हटूंगा। वह अपने उसूलों से नहीं हटे। पूना पैक्ट इसका नतीजा है। यह बेचारे इतिहास के बारे में नहीं जानते।...*(व्यवधान)*

श्री इलियास आजमी : आप इस समय इतिहास की बात मत छेड़ो। आपको कुछ जानकारी नहीं है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पृथ्वीराज दा• चव्हाण : क्या माननीय सदस्य बोलेंगे? वह हमारे वक्ता की बात में व्यवधान क्यों उत्पन्न कर रहें हैं। उन्हें उतने समय तक बोलने की अनुमति दीजिए जब तक वह बोलना चाहते हैं। परन्तु उन्हें हमारे वक्ता के भाषण में व्यवधान नहीं उत्पन्न करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री नकली सिंह (सहारनपुर) : सभापति महोदय, इन लोगों को बेचारे शब्द के बारे में समझाइए। भारतवर्ष में बहुत कमजोर, बेसहारा और जिसे कोई पूछता नहीं है, उसे बेचारा कहा जाता है। आप बार-बार क्यों कोट कर रहे हैं। क्या सब बेचारे यहां बैठे हैं।... *(व्यवधान)*

डा॰ शफीकुर्रहमान बर्क (मुरादाबाद) : चेयरमैने साहब, आपसे गुजारिश है कि जब भी कोई मैम्बर साहबान बोलते हैं तो किसी को इंटरफेयर न करने दिया जाये और उनको ही बोलने दिया जाये।

सभापति महोदय : मैं आपकी बात से सहमत हूं। आप बराये मेहरबानी इंटरप्ट न कीजिये। वेंकटस्वामी जी, आपको 35 मिनट हो गये हैं।

श्री जी॰ वेंकट स्वामी : सभापति जी, मेरे 15 मिनट तो इन लोगों ने ले लिये। ये बीच में बोलेंगे तो मैं कैसे अपनी स्पीच खत्म करूंगा। यदि ये लोग इंटरप्ट न करें तो जल्दी से जल्दी अपनी स्पीच खत्म कर दूंगा।

सभापति महोदय : इन लोगों की शिकायत है कि आप 'बेचारा' शब्द कहकर इनको प्रोवोकेट कर रहे हैं जिसे इन लोगों ने एप्रीशिएट नहीं किया।

श्री जी॰ वेंकट स्वामी : तो मैं बता रहा था कि गांधी जी और डा॰ अम्बेडकर के बीच में पूना पैक्ट हुआ और उसमें रिजर्वेशन के मामले पर काफी तकरार हुई। यदि उस समय डा॰ अम्बेडकर अपनी आवाज नहीं उठाते तो...*(व्यवधान)* मैं किसी पर अटैक नहीं कर रहा हूं। आज यही कारण है कि देश का दलित डा॰ अम्बेडकर को पूछता है। आज के नौजवान को मालूम है कि यदि डा॰ अम्बेडकर उनके लिये आवाज नहीं उठाते तो आज यह रिजर्वेशन उनको नहीं मिलता। हजारों सालों से दलितों को दबाकर रखा हुआ था, आज उनकी आंख खुली है। हजारों सालों से उनका खून चूसते रहे हैं और उनकी मां-बहनों के साथ न मालूम क्या-क्या व्यवहार करते रहे? यह नक्शा देश के हर कोने में नजर आता है। आप भूल जाते हैं? उस समय गांधी जी जैसे फ्रीडम फाईटर ने दलितों के लिये आवाज उठाने के लिये मर्द पैदा किया। उसी पूना पैक्ट के तहत ही आज के नौजवान पढ़-लिखकर निकल रहे हैं। आज इन लोगों को मालूम हुआ कि उनका कोई नेता था। आज क्या हो रहा है? जब ये पढ़ कर बाहर आते हैं तो महसूस करते हैं। मैं 1952 में इलैक्शन लड़ रहा हूं। उस जमाने में जब गांव में दलितों से वोट देने के लिये कहा जाता था तो सारे के सारे वोट दे देते थे और उसके बाद दूसरे, तीसरे और चौथे इलैक्शन भी ऐसा हुआ लेकिन आज जो रिजर्वेशन पाकर पढ़कर बाहर आते हैं तो कहते हैं कि आप कौन होते हैं कि किसको वोट दें। यह तो हम फैसला करेंगे कि किसको वोट देना है। आज दलितों के अंदर जागृति आ गई है। वे फैसला कर सकते हैं। यह पालिटिकल रिजर्वेशन, सोशिल रिजर्वेशन और ऐजुकेशनल रिजर्वेशन तथा इक्नामिक रिजर्वेशन डा॰ अम्बेडकर ने उठाई हुई है जिसकी चिंगारी आज चल रही है। आप यह मत भूलो कि आंकड़ों के मुताबिक आज भी 40 परसेंट लोग बिलो पावर्टी लाईन हैं। इसका मतलब यह है कि आज भी 40 परसेंट लोगों के पेट में आग है, भूख है, तड़प है जिसे लेकर वे जी रहे हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री जी॰ वेंकट स्वामी, आप 40 मिनट का समय ले चुके हैं। अभी 20 और सदस्यों को भी बोलना है। इसलिए मैं अनुरोध करता हूं कि आप कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

श्री जी॰ वेंकट स्वामी : सभापति जी, मेरे से पहले जो मेम्बर्स बोले हैं, उनको किसी ने इंटरप्ट नहीं किया। आप बताइए कि क्या राम नाईक जी को किसी ने इंटरप्ट किया? मेरे बोलते वक्त इतने लोग बोल रहे हैं, आप इसके गवाह हैं।...*(व्यवधान)* आप बताइए मैं क्या करूं? आप इन लोगों की जुबान बंद करो।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अब आप भी तो प्रोवोकेशन की बात करते हैं। जुबान किसी की बंद नहीं होती।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं तो माननीय सदस्यों से केवल अनुरोध ही कर सकता हूं कि वे व्यवधान न डालें। मैं किसी की जबान तो बंद नही कर सकता।

[हिन्दी]

जुबान बंद करने वाला तो भगवान ही होगा। जुबान मैं किसी की बंद नहीं कर सकता हूं।

श्री जी॰ वेंकट स्वामी : वह जुबान बंद करने की बात मैं नहीं कह रहा हूं। मैंने बोला कि ये लोग जो इतना आवाज कर रहे हैं, कम से कम इनको जुबान से बंद करो।...*(व्यवधान)* मैं बताना चाह रहा था कि डा॰ अंबेडकर ने इस देश के दलितों के लिए जो लड़ाई शुरू की, उसका नतीजा है कि देश के दलित आज ऊपर आ रहे हैं। इससे लोगों को जलन सी शुरू हो गई है। गांव-गांव में बच्चे पढ़कर निकल रहे हैं और कोई मैट्रिक पास कर रहा है, कोई इंटर पास कर रहा है और कोई ग्रेजुएट बन रहा है। मैं आपको आंध्र प्रदेश का एक इंसीडेण्ट सुनाऊं। सात दलित भाग रहे थे तो उनको शिकार खेलकर मार डाला गया। एक और इंसीडेण्ट आंध्र प्रदेश में हुआ है।...*(व्यवधान)* मैं सही नाम बताऊंगा। वहां गुण्टूर के करीब पोदलीकुप्पम और कारमचेडू में क्या हुआ कि उस गांव में 217 पढ़े-लिखे शेड्यूल्ड कास्ट्स के लोग हैं और बिना पढ़े-लिखे दो हैं। इससे लोगों को जलन सी नहीं होगी तो क्या होगा? उन लोगों ने जलन सी के कारण एक-एक को काटकर फेंका। 15-20 लोगों को थैलों में भरकर नगर में फेंक दिया।

सभापति महोदय : यह कहां हुआ?

श्री जी॰ वेंकट स्वामी : यह आंध्र प्रदेश में गुण्टूर में हुआ। ...*(व्यवधान)*

श्री आनन्दराव विठोबा अडसूल : आपने पहले कहा कि इसके पहले इतनी ज्यादा हत्याएं दलितों की नहीं हुई। अब आपने खुद बोला है कि ऐसा हुआ।...*(व्यवधान)*

श्री जी॰ वेंकट स्वामी : वह पुलिस फायरिंग अलग है और यह दलितों की हत्या अलग है।...*(व्यवधान)*

श्री येल्लैया नंदी : महाराष्ट्र में जो फायरिंग हुई, आज तक ऐसा नहीं हुआ।...*(व्यवधान)*

श्री दत्ता मेघे (रामटेक) : वहां घर-घर में घुसकर लोगों को गोली मार दी। आपको उसका समर्थन नहीं करना चाहिए।... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप इंटरप्ट मत करें। वेंकट स्वामी जी बहुत अच्छा बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मेघे जी, आप प्लीज बैठिए। आपके सीनियर नेता बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया व्यवधान मत डालिए। आपके वरिष्ठ नेता बोल रहे हैं। कृपया उन्हें अवसर दीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री दत्ता मेघे : पुलिस ने घरों से निकाल कर लोगों को मारा है, इसलिए मेरा विरोध है।...*(व्यवधान)*

श्री जी॰ वेंकट स्वामी : ये सब टाइम आप मेरे अकाउंट में डाल रहे हैं।...*(व्यवधान)*

अपराह्न 5.00 बजे

सभापति महोदय : देखिये साहेबान, वेंकटस्वामी जी बड़े सीनियर लीडर हैं और वे बहुत अच्छे-अच्छे प्वाइंट्स रेज कर रहे हैं, आप इनको शांति से सुनिये और जिस बात से आप सहमत नहीं है आप उसका बाद में जवाब दीजिए। बीच में इंटरप्ट मत कीजिए, कृपया बीच में मत बोलिये।...*(व्यवधान)*

श्री जी॰ वेंकट स्वामी : अब जुबान क्या होनी चाहिए।... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : बराये-मेहरबानी बीच में इंटरप्ट मत कीजिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : वेंकट स्वामी जी वैसे यह खुश होकर कह रहे हैं, नाराजगी से नहीं कह रहे हैं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव : उन्हें एक बात तो जान लेनी चाहिए। वह कांग्रेस के सदस्य हो सकते हैं परन्तु वह एक दलित भी हैं। क्या उनके साथ व्यवहार करने का यह तरीका है? यह बहुत अनुचित है। वह एक माननीय नेता हैं। उन्हें सुनिए। आप उनकी बातों का जवाब बाद में दे सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री जी॰ वेंकट स्वामी : सभापति जी, हमारे दोस्तों से कहें कि अगर मुझे कंडेम करना है तो अपनी स्पीच में करिये। जब आप लोग बात करते हैं तो मैं कभी नहीं उठता हूं। क्योंकि मैं जानता हूं कि पार्लियामेंट क्या चीज है। मैं कभी इंटरफियर नहीं करता। मैं नहीं चाहता कि बात करते वक्त मुझे कोई रोके। इसलिए मैं यह कह रहा हूं कि डा॰ अम्बेडकर की आज देश में अंदर इज्जत है। कल हमारे दोस्त कह रहे थे कि डा॰ अम्बेडकर को हमारे कांग्रेस ने अपोज किया है। सभापति महोदय, डा॰ अम्बेडकर डेमोक्रेसी लाये हैं, उन्होंने कांस्टीट्यूशन लिखा है और कांस्टीट्यूशन लिखते वक्त जो चेयरमैन थे, मेरे पास वह सब कुछ है कि डा॰ राजेन्द्र प्रसाद ने डा॰ अम्बेडकर के बारे में क्या कहा, श्री जवाहर लाल नेहरू ने क्या कहा, श्री राजगोपालाचारी ने क्या कहा, गांधी जी ने क्या कहा – जो इन्होंने कहा उसे पढ़कर में सदन का समय नहीं लेना चाहता हूं। लेकिन मैं ऑनरेबल मैम्बर्स को यह बताना चाहता हूं कि उनकी इज्जत इन सारे लोगों के सिर पर है और कांस्टीटुएंट असेम्बली के अंदर डा॰ राजेन्द्र प्रसाद जो उसके चेयरमैन थे, उन्होंने कहा था कि अगर आज वह न होते तो यह संविधान इस तरह से नहीं बनता। गांधी जी ने कहा कि राजगोपालाचारी तुम और हम दोनों मिलकर भी डा॰ अम्बेडकर के मुकाबले में कुछ नहीं हैं। इतनी बड़ी इज्जत डा॰ अम्बेडकर की है। श्री जवाहर लाल नेहरू ने कहा कि यह मेरी केबिनेट के मिनिस्टर हैं, यह हमारे ज्वैल है। हम उनको भूल नहीं सकते हैं। इन्होंने देश के लिए जो दिया है उसको हम भूल नहीं सकते हैं। इसके बाद मिस्टर अरुण शौरी की एक किताब देश के सामने आई है। इसमें लिखा है – वर्शिपिंग फाल्स गॉड। इसमें जो लिखा है अगर सभापति महोदय आप इसको पढ़ेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जायेंगे। ये सारे मैम्बर जो बैठे हुए हैं, यह अलग बात हैं कि अगर उनकी पार्टी के मैम्बर हैं या नहीं, मुझे नहीं मालूम है।

सभापति महोदय : वेंकट स्वामी जी, मेरे तो हालात देखकर रोंगटे खड़े हो गये हैं, आप और रोंगटे क्यों खड़े करना चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री जी॰ वेंकट स्वामी : अरुण शौरी ने डा॰ बी॰आर॰ अम्बेडकर के बारे में जो लिखा है, उस मामले में कल में प्रेस कांफ्रेंस के अंदर इसको आग लगा रहा हूं और इस पार्लियामेंट के सामने यह जो लिखा है मैं इसको फाड़कर फेंक देता हूं। इसलिए कि उन्होंने डा॰ अम्बेडकर को गद्दार कहा। इसलिए मैं इस किताब को फाड़ रहा हूं। कल 11 बजे प्रेस कांफ्रेंस में गांधी जी की मूर्ति के सामने मैं इसको अंगार लगाऊंगा। इसलिए कि अरुण शौरी ने डा॰ अम्बेडकर का बहुत बड़ा अपमान किया है, अन्याय किया और सारे मैम्बरों को इस मामले में अगर जरा भी डा॰ अम्बेडकर के बारे में दुःख और दर्द है तो आप सब लोग इसको सपोर्ट करेंगे।

मैं आशा करता हूं कि मैंने यहां जो कुछ किया है, उसे आप सपोर्ट करेंगे और शोरी को कंडैम करेंगे। इन चन्द अलफाज के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं।

श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर) : सभापति जी, मैं ज्यादा बातें नहीं कहूंगा।

सभापति महोदय : मैं एक रिक्वैस्ट करना चाहता हूं। श्री जी॰ वेंकट स्वामी ने श्री राम नाईक की समय-सीमा को भी पार कर दिया। वे 52 मिनट तक बोले हैं। इसलिए आप मेहरबानी करके समय-सीमा का ध्यान रखें क्योंकि अभी 20 मैम्बर्स ने और बोलना है।

श्री तरित बरूण तोपदार : आप जितना सोचते हैं, मैं उससे भी कम बोलूंगा।

अभी आडवाणी जी की रथ-यात्रा को समाप्त हुए एक महीना भी नहीं हुआ था कि दलितों पर गोली चलने की घटना घट गई। मैं पिछले 8 वर्षों से इस पार्लियामेंट में हूं और हर अधिवेशन में कम से कम एक बार दलितों के विषय पर चर्चा अवश्य होती है। यह भी आश्चर्य की बात है कि जितनी हम यहां चर्चा करते हैं, दलितों पर होने वाले अत्याचारों की भर्त्सना करते हैं, सभी पार्टियों के लोग इसी तरह का भाषण देते आए हैं, लेकिन दलितों पर अत्याचार की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। हमें दलितों के विषय में कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए, कोई ऐसी सटीक दिशा लेनी चाहिए ताकि उन पर होने वाले अत्याचार समाप्त हो सकें। मैं समझता हूं कि इस मामले में पार्लियामेंट को डिटर्माइन्ड एफर्ट्स लेने की जरूरत है, सिर्फ चर्चा से काम नहीं चलेगा। इस तरह नहीं होना चाहिए।

यह बात सही है कि 1952 में पार्लियामेंट का जैसा कम्पोजीशन था, आज पार्लियामेंट का वैसा कम्पोजीशन नहीं है। अब पिछड़े वर्ग के लोगों और दलितों का कहीं ज्यादा योगदान पार्लियामेंट में हो रहा है जबकि पहले पार्लियामैंट में सिर्फ एरिस्टोक्रेटिक लोगों के लिए ही जगह थी—यही थोड़ी उन्नति हुई है कि अब कुछ साधारण लोग, थोड़ी तादाद में, कुछ संख्या में यहां आ गए हैं। यह बात भी सही है कि दिशा अभाव के कारण, वे कौन सा रास्ता अख्तयार करें ताकि उनका भविष्य बन सके, इस देश के गरीब और दलित अपने हक-हकूक को हासिल करने में कामयाब हो सकें, अपनी मंजिल पर पहुंच सकें, आज तरह-तरह के मदभेद सामने आते हैं। यही कारण है कि चाहे पिछड़े वर्ग के लोग हों, दलित हों, शैड्यूल्ड कास्ट हों, शैड्यूल्ड ट्राइब्स हों या साधारण लोगों के नुमाइन्दे हों, आज तक वे सभी एकजुट नहीं हो पाए।

इस वर्ष हम स्वतंत्रता की स्वर्ण जयन्ती मना रहे हैं लेकिन इस अवसर पर हम देख रहे हैं कि हमारे देश में साम्प्रदायिक तनाव, जांत-पांत के तनाव और भ्रष्टाचार चारों ओर फैला है। यदि पिछले 50 सालों में हम प्रोडक्शन के मामले में आत्म-निर्भर हुए हैं तो उसके साथ-साथ समाज में चारों तरफ भ्रष्टाचार भी फैला है।

सभापति महोदय, जो ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोग हैं उनके कंडक्ट पर विचार करना पड़ता है। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सुप्रीमकोर्ट के जज को यहां इंपीच करना पड़ा था। जो आफीसर लोग हैं, जो पुलिस कर्मचारी हैं, चाहे वे सी॰बी॰आई के हों, रिसर्च एनैलेसिस विंग (रा) के हों या कोई भी हों, वे इससे बाहर नहीं हैं। अगर मैंन प्रोडक्ट इस तरह का हुआ, तो बाई प्रोडक्ट दलीय, जातीय एवं सांप्रदायिक तनाव वाला होगा।

अपराह्न 5.10 बजे

(**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*)

उपाध्यक्ष महोदय, समाज में व्याप्त इन सारी चीजों को सुधारने के लिए क्या रास्ता अपनाया जाएगा, यह तो हाउस तय करेगा। आजादी की स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर जो स्पेशल अधिवेशन होगा, या जो तरह-तरह के प्रोग्राम होंगे, उनसे साबित होगा और उन्हीं से तय होगा, लेकिन आज जिस मामले पर यहां हम बहस कर रहे हैं, इस मामले पर बहस में योगदान करते हुए मैं इस बात को कहूंगा कि पार्टी की जो सीमा है, उससे बाहर निकल कर, पूरे सदन को इस काम की भर्त्सना करनी चाहिए। पूरे सदन को इसके खिलाफ जोरदार भर्त्सना करनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, आज इस मसले पर जब यहां आलोचना चल रही है, तो इसमें अरुण शौरी का रेफरेंस अखबार में आया। यहां पर एक किताब भी पेश की गई। इसमें इतनी गलत बात है। मैंने अखबार में पढ़ा है। किताब यहां पर दिखाई गई थी। उसके बारे में यहां पर सारी बातें बोली, लेकिन मैं नहीं जानता हूं कि अपना नाम या बदनाम करने के लिए ऐसी विकृत मनुष्य का परिचय देने का काम किया है। इस तरह से बयान देना ठीक नहीं है। इसका जो प्राब्लम है, इसका जो मामला है, इससे यह मामला और बिगड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को दोहराना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में ही जाकर यह स्थिर नहीं हुआ था। इसका फाल आउट गुजरात में हुआ था। तीन-चार दिन पहले उत्तर प्रदेश में बहुत अत्याचार हुए। गवर्नमेंट की तरफ से बयान आया कि यह जो मामला है यह जमीन का मामला है। यह जाति-पांति का मामला नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में जितने भी इस प्रकार के मामले हैं उनमें से 90 प्रतिशत जमीन के झगड़े हैं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जितने भी जमीन के मामले हैं, ये सब जाति-पांति से ही जुड़े हुए मामले हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात आदि में साल में कितने ऐसे मामले होते हैं जो जमीन के झमेले को लेकर या और कोई दूसरी चीजों को लेकर होते हैं, ये सारे के सारे मामले दलित और पीड़ितों के खिलाफ जाते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, हम लोग जानते हैं कि दलित, पीड़ित किसान जब तक जमीन के मामले पर उठकर, खड़े होकर अपने हक-हकूक को पल-पल पर कामयाबी के साथ हासिल नहीं करेंगे तब तक ये मामले पूरी तरह से हल नहीं होंगे।

पार्लियामेंट में हम देखते हैं, सब कहते हैं कि मैं किसान का लड़का हूं। हवाई जहाज में चढ़ने वाला किसान है। मैं किसान का लड़का हूं, अमरीका में पढ़ा हूं। इस तरह के किसान हैं। वैसे किसान नहीं चाहिए। ऐसे किसान बड़े-बड़े सरमाएदार टाइप के हैं। जो जमीन में मेहनत करने वाला है, जो अपना खून-पसीना बहाकर जमीन में अपने हाथ से पैदावार तैयार करता है, उसे जमीन का हकदार होना चाहिए। अम्बेडकर जी के स्टैचू को लोग प्रणाम करते हैं, कोई देवी-देवता के स्टैचू को करता है। लेकिन क्या यह बोलने की बात है। जो सिलसिला चल रहा है, क्या इसमें यह बात कहने लायक है। क्यों कह रहे हैं? लोगों को उकसाने के लिए, मामला बिगाड़ने के लिए

कह रहे हैं। दलित सिर्फ दलितों की लीडरी कर सकता है, ऐसी बात नहीं है। मेहनतकश किसान को इकाई बनाना, उसे मजबूती से आगे बढ़ाना और हकीकत को कामयाबी के साथ हासिल करने के लिए जो आंदोलन छेड़ना है, उस आंदोलन के रास्ते पर, संग्राम के रास्ते पर, लड़ाई के रास्ते पर चलने से दलितों का हित करने में दिशा मिल सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ मोशन के बारे में भी कहिए।

श्री तरित बरण तोपदार : मैं समाप्त कर रहा हूं।

मैं कहना चाहता हूं कि आज सारे दलितों की एक इकाई होनी चाहिए। इकाई नहीं है, मेरे ख्याल से इसलिए गोलियां चलाई गई हैं। वहां पर विरोधी दल के नेता भुजबल जी के घर पर जिस तरह अटैक हुआ, वह पार्लियामैंट्री डैमोक्रेसी में एक धब्बा है। ये दोनों काम जो हुए हैं, उसके खिलाफ पार्लियामैंट्री के सभी सदस्यों का एकमत से कन्डैम करना चाहिए, मोहन रावले जी को भी उसे कन्डैम करना चाहिए।...*(व्यवधान)* एकमत होकर हम इसे कन्डैम करें और इसका रिकरैंस न हो। यहां पर चर्चा होगी, रिकरैंस होगा। दुबारा चर्चा के बाद भी यदि किसी जगह पर ऐसा हुआ तो मैं उस पर जोरदार कार्यवाही करने के लिए गृह मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री आनंद मोहन (शिवहर) : उपाध्यक्ष महोदय, परसों माननीय शरद पवार जी महाराष्ट्र की घटनाओं पर नियम 184 के तहत विशेष बहस का प्रस्ताव लाये।

उन्होंने विस्तार से 11 जुलाई को महाराष्ट्र में रमाबाई अम्बेडकर नगर की जो घटना हुई, उसपर सांगोपांग अपने विचार रखे। अपमान चाहे राष्ट्रनायक, संविधान के निर्माता अम्बेडकर साहब का हो, चाहे दलितों पर जिस निर्ममता से गोली चली, सवाल उसका हो, हम भारी मन से इस घटना की तीव्र निन्दा करते हैं।

शरद पवार जी के विस्तृत भाषण के बाद माननीय प्रमोद महाजन जी, पीताम्बर पासवान जी, पृथ्वीराज डी॰ चौहान साहब, वेंकट स्वामी जी व अन्य वक्ताओं ने इस पर काफी विस्तृत चर्चा की है, बहस में हिस्सा लिया है। पीताम्बर जी ने दलितों के अन्दर जो आक्रोश है, जो गुस्सा है, उसकी अभिव्यक्ति करते हुए हजारों वर्षों से जो दलितों पर अन्याय भारतीय समाज में होते रहे, उसका वर्णन किया। उन्होंने कहा कि किस तरह द्रोण ने छल से अंगूठे काटे। उन्होंने बताया कि किस तरह बाबू जगजीवन राम जी की प्रतिमा का अपमान बनारस में हुआ, ये सारी बातें उन्होंने विस्तार से रखने का काम किया। हम करीब-करीब उनकी बातों से सहमत हैं।

यह सच है कि हम और हमारा समाज कुत्तों से मोहब्बत करता रहा, उन्हें बिस्तरों पर पालता रहा, उन्हें चूमता रहा, लेकिन आदमी की छाया से भी हम नफरत करते रहे, छुआछूत करते रहे। हजारों वर्षों से हमने दलितों को समाज की मुख्य धारा से काटकर रखा, यह भी सही है। सैंकड़ों हजारों साल से पहले इस भारतीय समाज में दलित और शूद्र हाट-बाजार में कौड़ियों के मोल बिकते रहे, यह भी सही है।

आरक्षण पर पिछले वर्षों में बार-बार चिल्लपों मची, लेकिन यह भी सही है कि आरक्षण किसी अम्बेडकर की देन नहीं है, आरक्षण किसी कर्पूरी ठाकुर की देन नहीं है, आरक्षण किसी वी॰पी॰ सिंह की देन नहीं है। आरक्षण की व्यवस्था हमने अपनी सुविधाओं के अनुसार कभी की। हमने अपने लिए अच्छे मकान बनाने का आरक्षण किया, हमने अपने लिए अच्छे वस्त्र धारण करने का आरक्षण किया, अच्छे भवनों में रहने का आरक्षण किया और दलितों, शूद्रों के लिए हमने आरक्षित किया कि हम गन्दा करेंगे, तुम साफ करोगे, हम पखाना करेंगे, तुम उसको उठाओगे, धोओगे। यह व्यवस्था हमने अपनी सुविधाओं के अनुसार की। आरक्षण किसी कर्पूरी ठाकुर, वी॰पी॰ सिंह और अम्बेडकर की देन नहीं है, यह भी सही है।

आरक्षण की व्यवस्था हजारों साल पहले समाज के नियंताओं ने की और कहा कि ब्रह्मर्षि वही होगा, जो ब्राह्मण होगा। आरक्षण का विरोध विश्वामित्र ने किया, जिसे बाद में विश्वामित्र के नाम से पुकारा गया। विश्वामित्र ने उस आरक्षण का विरोध किया और कहा कि जिसमें क्षमता होगी, जिसमें योग्यता होगी, जिसमें प्रतिभा होगी, वही ब्रह्मर्षि होगा। आरक्षण की खिलाफत भी हजारों वर्ष पहले से शुरू हुई। हम पीताम्बर जी, वेंकटस्वामी जी और अन्य मित्रों से थोड़ी असहमति व्यक्त करते हैं।

[अनुवाद]

श्री नीतीश कुमार : महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। सदन में कोई भी मंत्री उपस्थित नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : वह पीछे बैठे हैं। वह आ रहे हैं।

श्री नीतीश कुमार : परन्तु वह उनके बैठने का स्थान नहीं है। जिस तरह से वह बाहर से सदन को चलाते हैं, वह उचित नहीं है।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इतनी जानकारी देता हूं कि होम मिनिस्टर साहब मुझसे पूछकर गए हैं। उन्होंने कहा है कि मकबूल डार को आगे बुलाते हैं। ठीक है। आ गए हैं। अब बैक-बेंचर नहीं रहे।

(व्यवधान)

श्री आनंद मोहन : मैं माननीय सदस्यों को बताता हूं कि यह जो एकतरफा सोच है, उससे हम असहमति व्यक्त करते हैं। दुनिया जानती है कि समता का पहला दर्शन किसी मार्क्स की खोपड़ी में नहीं अगर यह धृष्टता माफ हो तो डा॰ राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण इत्यादि की खोपड़ी में भी नहीं जन्मा। आज से हजारों साल पहले समता का पहला दर्शन जो समाजवाद की गंगोत्री हुआ करती है, बुद्ध की खोपड़ी से उपजा। एक वह भी जमाना था जब कर्मकांडियों ने बुद्धिस्टों के एक-एक सर को सहस्त्र स्वर्ण मुद्राओं में मांगा। महात्मा बुद्ध के संदेश संवाहक शूद्र और दलित नहीं थे और इस तरह से एक-एक सहस्त्र मुद्रा में हमने दलित समाज के उद्धार के लिए दलित समाज और आम लोगों को कर्मकांड के खिलाफ समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए जो अपने सर गंवाए हैं, दलितवाद में

[श्री आनंद मोहन]

गैर-दलितों का भी हाथ है। बाबू जी का जब बनारस में अपमान हुआ, सम्पूर्णानंद की मूर्ति के अनावरण के बाद गंगोत्री जल से धोए गए। हमारे नाईक साहब ने ऐसा भुजबल जी का उदाहरण भी दिया कि उन्होंने भी किसी मामले में गंगा जल से गंगोत्री के जल से धोने का काम किया है। लेकिन मैं एक बात और कहूंगा कि किसी ने यह जिक्र नहीं किया कि उसी बनारस में काशी विश्वनाथ के मंदिर में दलितों के प्रवेश के लिए कुलीन ब्राह्मण परिवार के विनोबा भावे न सिर्फ कट्टर-पंथी कर्मकांडी, ब्राह्मणों और पंडितों से मार खाई, बल्कि एक-एक दाढ़ी उनकी उखाड़ ली गई। इसलिए मैं इस एकाकी सोच के लिए अपने माननीय सदस्यों से कहूंगा कि इससे समाज में टकराव की बू आती है। इसी तरह से राम, जिन पर शम्बूक की हत्या, वध करने का आरोप है कि किसी के उकसाने पर राम ने शम्बूक की हत्या की। लेकिन इसी के साथ एक बात और है कि उन्होंने मल्लाह को सखा कहकर गले से लगाने का काम किया। उन्होंने हजारों साल से शोषित तबके के दलितों में आत्म-विश्वास पैदा किया। हजारों साल से समाज के वंचित जो जंगलों में रहने वाले नर थे, जिनकी पूंछ थी और जिनको वानर कहा गया क्योंकि वे जंगलों में रहने वाले थे। लेकिन वे वानर नहीं थे, वे भालू नहीं थे। वे जंगलों में रहने वाले वन के नर थे। उनकी इस समाज में बड़ी पूछ थी। हमने उनके पीछे पूंछ लगा दी। राम ने उनके अंदर के पौरूष को जगाकर समाज की मुख्यधारा से जोड़कर उनमें आत्म-विश्वास जगाया। रावण जो जुल्म का प्रतीक था, समुद्र पर पुल बनाकर स्वेत बांध रामेश्वरम बनाकर जुल्म के प्रतीक रावण का खात्मा किया। यह भी समाज के लिए उदाहरण है। जब छूत की बात हुआ करती थी, राम ने शबरी के झूठे बेर खाए। हमें इस बात को भी स्वीकारना होगा। बाल्मीकि, जिन्होंने रामायण की रचना की, उनके संस्कृत का अनुवाद भले ही तुलसीदास ने किया हो लेकिन बाल्मीकि दलित समाज के थे और सारा देश और सारी दुनिया बाल्मीकि की रामायण की पूजा करती है। बाल्मीकि के विचारों से अभिभूत है। वेद व्यास कौन थे? वे शूद्र थे। रैदास भी दलित थे जिनकी इस देश ने पूजा की। अगर अन्य साधुओं और संतों की हम तुलना करें तो रैदास का सम्मान इस देश ने कभी कम नहीं किया।

इसी के साथ-साथ मैं यह भी कहूंगा कि कबीर भी अल्पसंख्यक थे, हालांकि उनकी जात अंत तक तय नहीं हो पायी थी, लेकिन कबीर से आज नौजवान प्रेरणा ले रहे हैं और लेते रहेंगे। गांधी जी बनिए थे और देश ने उन्हें महात्मा कहा। बड़े-बड़े पंडित, ब्राह्मण और सवर्ण आचार्य जे॰बी॰ कृपलानी, राजगोपाला चारी या मोतीलाल नेहरू, गांधी जी के चरणों में बैठकर आजादी के संग्राम को आगे बढ़ाने का काम किया और गांधी जी से शिक्षा-दीक्षा भी ली। यह भी सही है। अम्बेडकर-हम सब के सम्मानित नेता हैं। उन्होंने राष्ट्र के लिए, देश के लिए जो कुछ किया, यदि उसको निकाल दिया जाए, तो शायद भारत का संविधान अधूरा रहेगा, भारतीय समाज शायद वहीं रूक जाए, अटक जाए। अगर अम्बेडकर की बातों को, अम्बेडकर जी ने जो प्रेरणा दी है, उसको संविधान या समाज से निकाल कर बाहर किया जाए, तो अधूरा सा लगेगा। बाबू जगजीवन राम, जात के चमार थे, वैंकट स्वामी जी और पृथ्वीराज जी, आप सब जानते हैं, पूरे देश में अगर किसी को बाबू जी के नाम से पुकारा जाता था, तो वे सिर्फ बाबू जगजीवन राम जी थे। इस तरह से एकांगी सोच से टकराव बढ़ेंगे, तनाव बढ़ेंगे। तनाव और टकराव हम वोट की राजनीति के लिए कर रहे हैं। हम तमाम दलों के लोग फकत वोट की राजनीति के लिए इस तरह के काम कर रहे हैं। अगर तनाव और टकराव बढ़ा तथा जिस तरह से देश को हांका जा रहा है, तो यह देश जाएगा श्रीलंका के रास्ते पर। इस देश को जिस तरह से हांका जा रहा है, उससे यह देश जाएगा सोमालिया के रास्ते पर, यह देश जाएगा लेबनान के रास्ते पर। श्रीलंका आज तमिल और सिंहलियों के टकराव के कारण नहीं बच सकता है। यहां दो जातियों का टकराव है और भारत में तो छः हजार जातियां, उपजातियां हैं, तो धर्म और सम्प्रदाय में बंटे हुए समाज में जब खंजर लेकर लोग सड़कों पर निकलेंगे, तमंचा लेकर एक दूसरे के खिलाफ सड़कों पर निकलेंगे, तो हमारा यह चमन और गुलशन लाशों के ढेर में तबदील हो जाएगा। हम फकत राजनीति के लिए, फकत राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए तनाव और टकराव की बात न करें तो बेहतर है। मैं एक नया सदस्य हूं, आप सब के सामने छोटा हूं, लेकिन मैं अपनी बात आपके समाने रखता हूं।

मैं समझता हूं कि इसके पीछे दो षडयन्त्र हैं। बाबा साहब की मूर्ति को अपमानजनक तरीके से माला पहनाई गई, उस पर हम आरोप-प्रत्यारोप कर रहे हैं, पक्ष और विपक्ष में बंट कर। इस प्रकार की बातें देश को कोई नया संदेश नहीं दे सकती हैं। राष्ट्र की सबसे बड़ी पंचायत में सिर्फ आरोप-प्रत्यारोप नहीं होने चाहिए, बल्कि इसका समाधान ढूंढना चाहिए। इसके पीछे दो ताकतें हो सकती हैं। एक विदेशी ताकत है और विदेशी ताकत में दुनिया में नम्बर एक स्थान अमेरिका है, जिनकी नजर हिन्दुस्तान को तोड़ने पर लगी हुई है। एक तरफ पाकिस्तान है, जो पहले हमारा अंग था और काश्मीर आज भी हमारा अंग है, वहां के नौजवानों के दिल में भारत विरोधी भावना और हाथों में हथियार देकर जिस तरह से मुहिम छेड़ी जा रही है, वह बहुत ही आपत्तिजनक है। इसी प्रकार चीन, जो दुनिया की दूसरी ताकत है, वह बर्मा के माध्यम से जो हमारी सैवन सिस्टर्स हैं, जैसे असम का इलाका है, मणिपुर का इलाका है, अरुणाचल प्रदेश का इलाका है, मेघालय का इलाका है, इन सारे इलाकों से भारत को तोड़ने की साजिश रची जा रही है, इसी का परिणाम है नागा विद्रोह, इसी का परिणाम है बोडो विद्रोह। जब इस चाल में चीन सफल नहीं हो पाया, तो न जाने किन परिस्थितियों में सील बॉर्डर, जिसको कि नरसिंह राव जी की सरकार के समय में खोल दिया गया, आज मोरे की सीमा से अरबों रुपयों की हीरोइन, चरस, गांजा, अफीम, नशीली दवायें, सुइयां आदि आ रही हैं।

मंगोल मूल की लड़कियों के माध्यम से एड्स की चलती-फिरती दुकानें भारत में भेजी जा रही है। अखबार में रिपोर्ट है कि पूर्व के उस इलाके के, मणिपुर के इलाके के नौजवानों की दस प्रतिशत आबादी एड्स की शिकार हो गई है। ये एड्स की दुकानें जब यहां आएंगी तो यहां भी एड्स फैलाएंगी। मुंबई में तो पहले से ही है। पटना में, कलकत्ता में एड्स फैलाएंगी, देश के किसी भी भूभाग में जाएंगी तो वहां भी एड्स फैलाएंगी। मगर इसकी किसी को चिन्ता नहीं है।

बर्मा की आबादी पांच करोड़ है और सेना साढ़े चार लाख है। हिन्दुस्तान की आबादी सौ करोड़ है और सेना साढ़े 12 लाख है। ये सेना आन सान सू की के सफाए के लिए, एक औरत को दबाने के लिए नहीं है। चीन की साजिश बर्मा के माध्यम से है। हिन्दुस्तान में उग्रवाद फैलाना, चीन की साजिश बर्मा के माध्यम से हिन्दुस्तान को तोड़ने की है और अगर न तोड़ पाए तो नशीली दवाइयां खिला कर, ड्रग्स और सुइयां लगा कर, इस तरह से हिन्दुस्तान की नौजवान पीढ़ियों को सदा-सदा के लिए खत्म कर देने की है। ऐसे गंभीर मसलों की तरफ इस देश की, राष्ट्र की सबसे बड़ी पंचायत का ध्यान नहीं आया। हम आरोप-प्रत्यारोप करते हैं। वहां धारा 356 लगनी चाहिए, यहां लगनी चाहिए। एक-दूसरे पर आरोप करते हैं, निदान नहीं ढूंढते हैं। देश पर लपलपाती नजरों से विदेशी आते हैं यह हिन्दुस्तान को तोड़ने की साजिश है। क्या होगा? आज हम जाति, धर्म के मामले में मजहब, सम्प्रदाय के मामले में बड़े संवेदनशील हो गए हैं और यहां बैठे माननीय सदस्य इसको रोकने का काम नहीं करते हैं। हमको राष्ट्र के बारे में चिन्ता कम है और कुर्सी की चिन्ता ज्यादा है। इसलिए मैं आप सब से कहूंगा कि यह साजिश हो सकती है, राष्ट्रविरोधी ताकतों की साजिश हो सकती है या फिर राजनीति करने वाले लोगों की साजिश हो सकती है। किसी मंदिर में मांस के टुकड़े या हड्डियां फेंक दी जाती है और कहा जाता है कि बगल के मुसलमान ने मंदिर को भ्रष्ट कर दिया, गो मांस फेंक दिया और हम सैकड़ों की संख्या में लड़ने निकल पड़ते हैं। बेगुनाह मारे जाते हैं। किसी मस्जिद में सुअर मार कर फेंक दिया जाता है और हम इतने मूर्ख साबित हो रहे हैं कि हम एक-दूसरे के कत्लेआम के लिए निकल पड़ते हैं।...(*व्यवधान*) इस तरह से आज जूते की माला अम्बेडकर को, कल महाराणा प्रताप को, परसों शिवाजी महाराज को, कही कुंवर सिंह को पहना दी जाएंगी और हम जातीय युद्ध के लिए निकल पड़ेंगे। यह जाति युद्ध, धर्म युद्ध हमें कहां पहुंचा रहा है। किसी शायर ने कहा कि -"यह जाति युद्ध, धर्म युद्ध, रोटी युद्ध कैसे बन पाएगा, आपस में भूखों से भूखा लड़ जाएगा, शकुनी की बदनियत को समझ सके दोनों नहीं, घर के चिराग से घर खुद अपना जल जाएगा।"

अभी शरद जी जो प्रस्ताव लाए तो उन्होंने जिक्र किया कि महाराष्ट्र में क्या कुछ हुआ। वेंकट स्वामी जी ने विस्तार में बताया, पृथ्वीराज जी ने, सरपोत्तदार जी ने विस्तार से बताया, महाजन साहब ने बताया। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता लेकिन एक बात साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र की घटना पर शरद जी ने प्रस्ताव लाने के साथ-साथ अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए, धारा 356 के तहत, इसलिए उनकी राजनीति झलक कर सामने आई।

उनके इरादे स्पष्ट हो गये, उनका दलित प्रेम खुलकर सामने आया है। महाराष्ट्र में धारा 356 लगनी चाहिए लेकिन बिहार में सरकार को समर्थन देना चाहिए। जो कहानी शरद पवार जी ने प्रस्तुत की, वह मैं आपको बताना चाहता हूं। वे यहां उपस्थित नहीं है, नहीं तो हमें उनको सलाह देनी चाहिए कि वे रिटायरमेंट के बाद मुम्बई में सलीम जावेद से ज्यादा चलेंगे, राही मासूम रजा से ज्यादा अच्छे पट-कथाकार साबित होते। यह व्यवस्था वे रिटायरमेंट के बाद कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि 10 दलितों की हत्या हो गयी। जो कुछ हुआ, उस पर पूरा सदन और देश शर्मसार है। आजादी के 50 साल बाद भी अगर इस तरह की फायरिंग होती रही तो आजादी का कोई मतलब नहीं रह जाता है। वेंकट स्वामी जी ने डा॰ राम मनोहर लोहिया जी का उदाहरण दिया। वे भले ही स्वतंत्रता सेनानी हैं लेकिन भाई नीतीश जी, हम और समाजवादी समाज के लोग लोहिया जी को अपना पूर्वज मानते हैं। हम उनके मानस वंशज हैं। हमने लोहिया जी को ज्यादा पढ़ा है। उन्होंने केरल में गोली चलने पर अपनी सरकार के खिलाफ 1953 में कहा था कि भानु पिल्लई की सरकार को बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए, मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। 1952 में एकमात्र समाजवादियों की संविद सरकार वह कम्युनिस्टों के सहयोग से बनी थी। उन्होंने नारा दिया कि-संभलो अथवा टूटो। पार्टी अगर न माने तो सम्भलो, टूटो और अपनी नई पार्टी को "एकला चलो" का नारा उन्होंने दिया था। पार्टी उस समय टूट गयी थी। कोई भी सरकार या पार्टियां अगर डा॰ लोहिया का उदाहरण पेश करेगी तो हम उससे सहयोग करेंगे। हमें अपने गिरेबान में झांककर देखना चाहिए। आज आजादी का अर्थ ही निरर्थक हो गया है। किसी भी परिस्थिति में, शांतिपूर्ण ढंग से, अनशन पर बैठे लोगों पर गोली नहीं चलाई जानी चाहिए। हमें विकल्प ढूंढना चाहिए। टीयर-गैस चलाइये, पानी की बौझार करिये, लाठी चला-चलाकर लोगों को बंद कर दीजिए, लेकिन अहिंसक भीड़ पर गोली नहीं चलनी चाहिए। हिंसक भीड़ जब तक पुलिस-कर्मी की हत्या न कर दे, तब तक किसी भी सूरत में नाटक रचकर कि भीड़ ने पत्थर चलाया और गोली चलानी पड़ी। यह नहीं होना चाहिए। आजादी की 50वीं साल-गिरह पर हमें यह फैसला करना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में आम जन पर गोली नहीं चलनी चाहिए। पवार साहब महाराष्ट्र में 10 दलितों की हत्या पर धारा 356 की बात कर रहे थे लेकिन बिहार में 24 हजार दलित मारे गये हैं। वेंकट स्वामी जी कह रहे थे कि 11 आदमी मारे गये, इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन बिहार में उदाहरण है कि 80-80 लोग खस्सी बनाए गये। आगे आइये, नेता विरोधी दल, भुजबल पर हमला हुआ, उस पर चिल-पौं मच रही है। लेकिन मैं उदाहरण दूंगा कि अभी सुशील कुमार मोदी को सदन के अंदर अपमानित किया गया, पीटा गया। ऐसा करने वाले राम विचार राय कैबिनेट स्तर के मंत्री बनाये गये, पुरस्कृत किये गये। कांग्रेस के लोगों को मैं कहूंगा कि अपने गिरहबान में झांकिये और बिहार चलिये। दलित कांग्रेसी विधायिका, ज्योति देवी को सदन के अंदर लालू ब्रिगेड के लोगों ने न सिर्फ अपमानित किया, साड़ी फाड़ी, ब्लाउज फाड़ा, पेटीकोट फाड़ा। बिहार की सबसे बड़ी पंचायत में द्रोपदी के बाद यह दूसरी घटना थी।

उपाध्यक्ष महोदय : आनंद मोहन जी, एक मिनट बात सुनिये। पासिंग रैफरेंस कभी-कभी हो तो ठीक है, लेकिन आप अब महाराष्ट्र पर बोलें।

(*व्यवधान*)

श्री आनंद मोहन : उपाध्यक्ष जी, हम तो केवल तुलना कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने सुना नहीं कि उन्होंने क्या कहा था? मैं जो ठीक समझता हूं, वह मैंने कहा है। अगर ऐसा किसी और ने कहा है तो गलत कहा है। पासिंग रैफ्रेंस हो जाए तो ठीक है।

श्री आनंद मोहन : राज्य के पूर्व मुख्य मंत्री और दलित सांसद राम सुन्दर दास के घर में एक दफा नहीं, तीन-तीन दफा हमले हुए। उसमें सरफराज नामक अल्पसंख्यक मारा गया। जरा जानिए कि किस ने मारा? लालू जी के सत्ता सम्भालने के तुरन्त बाद तीन महीने के अन्दर जिस विधायक की हत्या हुई, उसका नाम त्रिलोकी है। वह हरिजन था। मैं पवार साहब से कहूंगा कि वह बिहार चलें और वहां का नजारा देखें। जब त्रिलोकी की हत्या हुई तब धारा 356 की याद नहीं आई। जब हेमन्त शाही जो कांग्रेस का विधायक था, प्रखंड मुख्यालय में मारा गया तो धारा 356 की याद नहीं आई। कामया नारायण सिंह, पूर्व सांसद और मंत्री दिन-दहाड़े राजधानी पटना में महेन्द्रू स्थित अपने घर में मारे गए, तब धारा 356 की याद नहीं आई। भाजपा के पूर्व सांसद और दलित नेता ईश्वर चौधरी चुनाव के दरम्यान मारे गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पासी चौधरी है या तलवार-दलवार चौधरी है। किसी ने कहा कि हजूर यह जात का पासी है जो कि तार पर चढ़ता है। उन्होंने आम सभा में कहा कि श्रवण कुमार तार पर से गिरेगा और आडवाणी जी की गोद में जय श्रीराम करके दम तोड़ेगा। हकीकत में सभा के खत्म होने पर दनादन गोलियां चली। उनको मारने वाले आज कैबिनेट मिनिस्टर हैं। आपने नाम लेने से मना किया है। वह गया से एम॰एल॰ए॰ हैं। उनका गाड़ी और भाई को पकड़ा गया। उनका इसमें नाम आया लेकिन उनका कुछ नहीं हुआ।

भुजबल पर हमले की बात आती है। जार्ज साहब और नीतीश जी पर हमला हुआ। मैं अपनी कहानी नहीं सुनाना चाहता। किस तरह से लवली आनन्द की गोद से उनका ढाई माह का बच्चा नाली में फेंका गया। जिस मां का जवान बेटा जो कि पहले एम॰एल॰ए॰ था और आज एम॰पी॰ है, जिस की बहू सांसद थी, आज एम॰एल॰ए॰ है, जिस का हजबैंड फ्रीडम फाइटर, जेठ फ्रीडम फाइटर, बाप फ्रीडम फाइटर और ससुर फ्रीडम फाइटर है, उस पर महिला पुलिस से लाठियां चलवाई गईं। घर पर गोली चली, ग्रामीण और परिजन मारे गए। हमने लालू जी की तरह पैसा नहीं कमाया। हमारे परिवारजनों ने गांधी जी के चरणों में चार किलो सोना देश की आजादी के लिए दान दिया था। उस मां पर लाठियां बरसाई गईं। उसके भतीजे को मौत के घाट उतारा गया। हमारा गुनाह इतना था कि हम उनके कैंडिडेट के खिलाफ खड़े हुए थे। जब बिहार में चुप्पी थी, बड़ी-बड़ी पार्टियां और बड़े-बड़े नेता लालू जी के आगे पीछे डोल रहे थे तब आनन्द मोहन ने आवाज बुलन्द की थी, सदन में और जनता दल में बगावत का परचम लहराया था। इसका नतीजा यह हुआ कि मुझ पर 6-6 हमले हुए। हमारी सभाओं में बम फेंके गए। मैं इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। मैं शरद जी और पासवान जी से पूछना चाहूंगा कि वह दलित समाज के प्रखर नेता हैं, वे दलित समाज का संरक्षण प्रदान कर सकते हैं। जो खुद मार खाए और सदन में मौन धारण करके बैठा रहे, उनसे पूरा देश जानना चाहता है कि उनके साथ बिहार में क्या हुआ? आज पासवान जी चुप हैं। शरद जी पिछड़ों के झंडाबरदार हैं। पूरे देश में मंडल रथ लेकर घूमते रहे। आज पिछड़ी जाति के लोग यह सवाल कर रहे हैं कि आज बिहार में पिछड़ों के साथ क्या हो रहा है? शरद जी चुप हैं। कभी दिनकर जी ने कहा था :—

समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध,
जो तटस्थ है, समय लिखेगा उसका भी अपराध

गुजराल साहब इसमें आते हैं। वह मौनी बाबा हैं। पासवान जी भी इसमें घसीटे जाते हैं। पप्पू यादव पर हमले हुए।

अभी पप्पू जी यहां नहीं है लेकिन कहेंगे कि प्रायश्चित करना होगा। बड़ी लाठी भांजते थे, एक-दो लाठी पड़ गई तो बावेला क्यों?

उपाध्यक्ष महोदय, ये लोग दलितों की बड़ी बातें उठाते हैं। समस्तीपुर के बाजार में भूखली दलित महिला को नंगा करके घुमाया गया, रजिया मुस्लिम महिला को महुआ बाजार में सरेआम नंगा करके घुमाया गया, पूसा में वीना देवी को बिहार की सामाजिक न्याय की सरकार के गुंडों द्वारा नंगा करके घुमाया गया। दरभंगा जिला में फुलेश्वरी को चार आम चोरी करने पर नंगा घुमाया गया। इतनी बात होती तो एक बात होती लेकिन अब तो लगता है कि रावण भी लजा रहा होगा। मैं नहीं जानता कि वह स्वर्ग में गया है या उसे नर्क मिला होगा, यह परिकल्पना हो सकती है। दुख तो इस बात का है कि फूल कुमारी के साथ*... मैमुन्निसा के साथ बलात्कार किया गया। तो इस प्रकार की घटनायें बिहार में घटी।

उपाध्यक्ष महोदय : आप कन्कलूड कीजिये।

श्री आनन्द मोहन : मैं कन्कलूड कर रहा हूं। यह बिहार की कहानी है। जब महाराष्ट्र में यह घटना घटी तो आप लोगों ने कहा कि न्यायिक जांच सिटिंग जज से होनी चाहिये और महाराष्ट्र सरकार ने आपके चार महीने के स्थान पर दो महीने में सिटिंग जज से जांच कराने का ऐलान किया। श्री पासवान जी ने तो चार महीने की बात कही थी।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर बनातवाला साहब नहीं बैठे हैं नहीं तो पूछते कि भागलपुर के दंगे किसके राज में हुये? जहां माना जाता है कि एक हजार लोग मरे लेकिन मेरे अनुमान के मुताबिक 3-4 हजार मुसलमान भागलपुर के दंगों में मारे गये। यह सब कांग्रेस के शासनकाल में हुआ। आज लगभग एक दशक गुजरने के बाद लालू सात साल तक बिहार की कुर्सी पर रहे हैं। जो आइने की तरह गुनहगार हैं,...(*व्यवधान*)*...

मुख्यमंत्री के आवास पर पाया गया, उसको कोई सजा नहीं। यहां पर श्री मकबूल डार साहब बैठे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि सीतामढ़ी में दंगे हुये जिसमें पूर्व जनता दल और अब राबड़ी जनता दल के लोगों का हाथ है, कोई सजा नहीं मिली। बिहार की सरकार सैकुलर सरकार कही जाती है लेकिन मैं यह कहूंगा कि एक व्यक्ति के शासनकाल में जितने दंगे हुए वह रिकार्ड है। बाबरी मस्जिद के गिराने से पहले 17 दंगे हुये और उसके बाद 9 दंगे हुये। इसके साथ सीतामढ़ी का दंगा, बिहार शरीफ का दंगा, पटना सिटी, हटिया, रांची, जमशेदपुर, अररिया के दंगों का रिकार्ड लालू राज में है।...(*व्यवधान*)

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

मैंने सम्पूर्ण रामायण कह दी और पूछते हैं सीता किसकी जोरू? आपको कोई सवाल करने का नैतिक हां नहीं है। वह इस तरह के कई इलाके हैं जैसे इमामगंज, चतरा जहां पर 400 मुसलमानों को हलाक कर दिया गया। यदि लालू कोई गुंडा मारा जाता है तो उसकी बस्ती में हैलीकाप्टर उतरता है।...(*व्यवधान*)

उपाध्यक्ष महोदय : मोहन जी, आप बैठ जाइए।

श्री आनंद मोहन : दो लाख रुपया और दो व्यक्तियों के लिए नौकरी की घोषणा होती है लेकिन चतरा, इमामगंज और कोठी के इलाके में 400 से ज्यादा मुसलमान मार दिये गए। आज तक कोई उनके आंसू पोंछने वाला नहीं है। हजारों एकड़ जमीन बंजर पड़ी हुई है। वहां ट्रैक्टर और घर फूंक दिये गए फिर भी कुछ नहीं हुआ। यह नजारा है बिहार का।...(*व्यवधान*)

श्री सुब्रत मुखर्जी (रायगंज) : गोपालगंज में जो डी॰एम॰ मरे वह भी तो शायद दलित थे?

श्री आनंद मोहन : जी। वह लालू के राज में हुआ है। आपने सवाल छेड़ा है तो मैं बताऊं। जब मुजफ्फरपुर में डी॰एम॰ की हत्या हुई...(*व्यवधान*)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इनको कनक्लूड करने के लिए कह रहा हूं और आप बोलने के लिए कह रहे हैं।

(*व्यवधान*)

श्री आनंद मोहन : सभापति जी, मुझे आरोप की सफाई देने दीजिए। मुजफ्फरपुर में डी॰एम॰ की हत्या हुई, उसके पहले बिहार पीपल्स पार्टी...(*व्यवधान*)

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : यह मामला सब-ज्यूडीस है। इसे मत बताइए, खुद फंस जाएंगे।...(*व्यवधान*)

श्री आनंद मोहन : यह बोलने से पहले सीनियर मेम्बर को सोचना चाहिए था कि यह मामला अदालत में है।...(*व्यवधान*)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें रैक्वेस्ट कर रहा हूं कि कनक्लूड करें, और आप उन्हें मजबूर कर रहे हैं कि और बोले।

(*व्यवधान*)

श्री आनंद मोहन : इल्जाम मुझ पर है, मेरी पत्नी लवली आनन्द पर हैं। हम लोगों के एम॰पी॰ और एम॰एल॰ए॰ रहते हुए भी बिना चार्जशीट हुए 20 दिन हमें सिर्फ आरोप पर हिरासत में रखा गया और ये लोग कहते हैं कि चार्जशीट कोई सजा है क्या? चार्जशीट सजा नहीं है। लालू जी कहते थे कि इस्तीफा करवा देंगे तो बाद में पता नहीं किस-किस का गिरेबान पकड़कर हिसाब लेंगे। मैं अपने बीस दिन का हिसाब वहां बैठे किस मेम्बर से लूं? मुझे आरोप पर बंद कर दिया गया, जेल में बंद कर दिया गया। मैं उस घटना का जिक्र आगे बताऊं। एक डी॰एस॰पी॰, एक एस॰डी॰ओ॰, एक मजिस्ट्रेट और 28 संगीनधारी कांस्टेबल, 6 इंस्पेक्टर और सब-इंस्पेक्टर ड्यूटी पर तैनात हैं। मुजफ्फपुर का डी॰एम॰ नहीं मरता है, गोपालगंज का डी॰एम॰ मरता है।...(*व्यवधान*)

उपाध्यक्ष महोदय : इन सारी दलीलों के कारण महाराष्ट्र के मोशन का क्या होगा? उस पर तो कुछ कहें।

(*व्यवधान*)

श्री आनंद मोहन : मैं उसी पर आ रहा हूं।...(*व्यवधान*)

श्री प्रमोद महाजन : यह मोशन केवल महाराष्ट्र का नहीं है। मोशन में

[अनुवाद]

देश के अन्य भागों

[हिन्दी]

का स्पेसेफिक उल्लेख है। इसलिए वह बिहार पर जितना चाहे बोलें। वह मोशन के अनुसार है।

उपाध्यक्ष महोदय : महाराष्ट्र के बारे में भी तो कुछ बोलें।

श्री आनंद मोहन : मुजफ्फरनगर में डी॰एम॰ मारा गया। वह जिस समय मारा गया उस समय वहां एक डी॰एस॰पी॰, एस॰डी॰ओ॰, 28 संगीनधारी पुलिस और 6 सब इंस्पेक्टर तथा एक मजिस्ट्रेट तैनात थे। गोली चलाने के आर्डर देने के लिए दूसरी जगह नहीं जाना था। स्पोट पर गोली चलाने का आदेश मिलता। हम पर यह आरोप है कि हमने कहा कि देखते क्या हो, मारो। यह सरकार का अंग है। लवली आनन्द ने रेवोल्वर निकालकर तीन गोली ठोक दी। अरुन कुमार सिन्हा और मैंने आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि अगर डीजीपी और स्वयं मुख्य मंत्री भी आकर कहेगा कि लवली आनन्द ने गोली चलाने का आदेश दिया या गोली चलाई तो मैं नहीं मानूंगा। यह कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा है। हम लोग गोली चलवा रहे थे और 28 संगीनधारी लोग गोलियों की गिनती कर रहे थे। गोलियां चली थी और पोस्टमार्टम में निकली दो। एफ॰आई॰आर॰ में लिखा है कि चार बजकर पंद्रह मिनट पर हमने गोली चलाने का आदेश दिया। वहां से 52 किलोमीटर दूर हाजीपुर में एक डी॰एम॰ और एस॰पी॰ हमें चार बजकर साढ़े अट्ठाइस मिनट पर गिरफ्तार करते हैं। हिन्दुस्तान ने ऐसी कोइ गाड़ी नहीं बनाई है जो 52 किलोमीटर की दूरी इतने कम समय में तय करे। या तो डी॰एस॰पी॰ ने जो एफ॰आई॰आर॰ दर्ज की है वह गलत है या वैशाली के डी॰एम॰ और एस॰पी॰ गलत हैं। मैं जानना चाहूंगा कि गोपालगंज का डी॰एम॰ उस दिन मुजफ्फरपुर क्या करने आया था? अब डी॰एम॰ स्वयं कहता है कि...(*व्यवधान*) गोपालगंज से मेरा तबादला करा दें, मैं दबाव महसूस कर रहा हूं। ये किसके दबाव थे?

उपाध्यक्ष महोदय : आनन्द मोहन जी, आधे मिनट में कनक्लूड कीजिए।

अपराह्न 6.00 बजे

श्री आनंद मोहन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि डी॰एम॰ की पत्नी को हवाई जहाज में चढ़ाकर विदा करने के बाद बिलखते मुख्य मंत्री ने कहा कि अपराधियों को बख्शा नहीं जायेगा। जो डी॰एम॰ की हत्या हुई, उसमें दस लाख रुपये का मुआवजा देंगे, 10 लाख के खर्चे से पैतृक घर बनायेंगे। बिहार सरकार

[श्री आनंद मोहन]

उनके बच्चों की मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था करेगी और पत्नी को अच्छी नौकरी दी जायेगी। पत्नी और मां ने कहा कि असली मुजरिम वह नहीं है जो जेल में है, असली मुजरिम कोई और है और इसकी सी॰बी॰आई॰ से जांच होनी चाहिए। इसके तुरंत बाद मुख्य मंत्री की यह ढपोरशंखी घोषणा हवा में विलीन हो गई। न उनकी पत्नी को नौकरी मिली, न पैतृक गांव में घर बना और न बच्चों की मुफ्त पढ़ाई की व्यवस्था हुई। क्या हुआ मैंने, सी॰पी॰आई॰, सी॰पी॰एम॰, भाजपा, बिहार पीपुल्स पार्टी, समता पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने सी॰बी॰आई॰ से जांच की मांग की, लेकिन मुख्य मंत्री भाग खड़े हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : मिस्टर आनन्द मोहन, अब आप बैठिये।

(व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, यह तो मोशन पर बोल रहे थे, वहां साफ तौर पर एक मंत्री बैठे हुए हैं, उन्होंने प्रोम्प्ट किया और एक मैम्बर उठकर बोले। अब वह तो कुछ नहीं जानते थे। ...*(व्यवधान)*

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, इसका इंसाफ मैं आप पर ही छोड़ता हूं। नीतीश कुमार जी ने जो कहा वह बिलकुल गलत है और बेबुनियाद है, वे गैरजिम्मेदाराना बात कर रहे हैं, यह सब लोगों के सामने हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि कृपा करके...*(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार : अब कैसा उनको तिनका जैसा लगा, मैंने उनका नाम भी नहीं लिया, ठीक है आपने नहीं उकसाया, अब आप बैठ जाइये।...*(व्यवधान)*

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने उन्हें उत्तेजित नहीं किया। मैं सुन रहा था और वह अनावश्यक रूप से खड़े हो गये। अब यह हमें उठने को बाध्य कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार : हम दूसरी बात कर रहे हैं, बीच में खड़े होना तो उनकी आदत है। जब इनको बीच में छेड़ा गया है तो यह अपनी सफाई में बोल रहे हैं। यह गलती इनकी नहीं है और यह बीच में पूरी सफाई दे लें, इसके बाद आप इनको रोक सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : छः बज गये हैं, मुझे हाउस से इजाजत लेनी है, कृपया बैठ जाइये। देखिये बी॰ए॰सी॰ का फैसला है कि सात बजे तक हाउस चलेगा। क्या आप इसको मंजूर करते हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप बैठिये, अब मैं दूसरे मैम्बर को बुला रहा हूं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : हाउस बढ़ गया है।

श्री आनंद मोहन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप बैठ जाइये, मैं इनको कई बार कंक्लूड करने के लिए कह चुका हूं।

श्री नीतीश कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, यह अन्याय होगा, वह एबरप्टली कैसे खत्म कर सकते हैं। वह एक मिनट में खत्म कर देंगे।

श्री आनंद मोहन : आप तो हमारे साथ इमरजेंसी में जेल में रहे हैं, इतना तो रहम कीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : हां, मैं आपके साथ जेल में तो था, लेकिन उसका मतलब यह तो नहीं है कि आप न सुनें।

श्री आनंद मोहन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप कंक्लूड कीजिए।

श्री आनंद मोहन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जिस पार्टी से आता हूं उस पार्टी का नाम समता पार्टी है। हिंदुस्तान की तमाम पार्टियां जहां कहीं कोई जाति पर, धर्म पर, मजहब पर आधारित हैं, कोई उत्तर पर है, कोई दक्षिण पर है, कोई पूर्व पर है और कोई पश्चिम पर हैं। हमारी समता पार्टी किसी के बाद में नहीं है। हम बीच में खड़े हैं। हम बुद्ध के इस विचार में यकीन करते हैं कि मध्य मार्ग अपनाया जाए और हम मध्य मार्गी हैं। समता पार्टी न उत्तर की हैं, न दक्षिण की है, न पूर्व की है और न पश्चिम की है, न यह हिंदी पर है, न गैरहिंदी पर है, न हिंदू पर हैं और न ही मुसलमान पर है। समता पार्टी समतामूलक समरस समाज की स्थापना के लिए संकल्पित और प्रतिबद्ध जमात का दूसरा नाम है। हम हर कीमत पर समाज से तनाव और टकराव के दूर करने और एक समरस सद्भावपूर्ण समाज की परिकल्पना को साकार करने के लिए डा॰ लोहिया, डा॰ अम्बेडकर, गांधी जी और श्री जयप्रकाश नारायण के सपनों को साकार करने के लिए निकले हैं। हम इस प्रस्ताव का जो शरद पवार जी लाये हैं, उसका तीव्र विरोध करते हैं। इसके साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री दासमुंशी।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : महोदय, हम समय बढ़ाने पर सहमत नहीं हुए हैं। ...*(व्यवधान)* कृपया मेरी बात सुनिए। परन्तु मुझे बताया गया है कि हो सकता है कि श्री दासमुंशी कल उपस्थित नहीं हों, इसलिए मेरा अनुरोध है कि उनका भाषण समाप्त होने के साथ-साथ ही सभा की कार्यवायी स्थगित कर दी जाए।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : हाउस का समय 7.00 बजे तक पहले ही बढ़ा दिया गया है।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कांति चटर्जी : परन्तु सभा इस पर सहमत नहीं हुई है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है।

श्री पी॰आर॰ दासमुंशी : महोदय, हम 7.00 बजे तक बैठने को सहमत हैं।...*(व्यवधान)*

श्री राम नाईक : महोदय, जैसे इन्हें जाना है, वैसे ही हमें भी जाना है परन्तु हमारे अपने वक्ता भी हैं और हम 7.00 बजे तक काम कर सकते हैं। श्री दासमुंशी 20-25 मिनट बोल सकते हैं तथा इस ओर से एक और सदस्य भी बोल सकता है। हम 7.00 बजे तक कार्य कर सकते हैं और यह समय पर्याप्त है।

श्री पी॰आर॰ दासमुंशी : मैं नहीं जानता कि मुझे कितना समय लगेगा। समय सीमा मुद्दों पर निर्भर करती है।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : परन्तु हम सहमत ही कहां हुए हैं?

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : यह बहुत इम्पौर्टेंट ईस्यू है। आनन्द मोहन जी को मैंने कई बार कहा लेकिन वे बैठ नहीं पाए, जिसके कारण ऐसी बातें हो गईं वर्ना जो कुछ उन्होंने कहा, आज हिन्दुस्तान में दलितों की जैसी स्थिति है, उसके संबंध में उन्होंने उर्दू में दो-तीन कप्लेट्स कहे, मैं भी एक कप्लेट सुनना चाहता हूं, जिससे आपको पता लग जाएगा। मैं दलितों के संबंध में कह रहा हूं :—

गुनहगारों में शामिल हूं, गुनाहों से नहीं वाकिफ,
सजा तो जानता हूं पर खुदा जाने खता क्या है।

हजारों सालों से हमें किस बात की सजा दी जा रही है, आज तक हमें बताया नहीं गया।

श्री पी॰आर॰ दासमुंशी : उपाध्यक्ष जी, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देते हुए अपना वक्तव्य पेश करना चाहता हूं। महाराष्ट्र में विगत 11 जुलाई को मुम्बई शहर में जो घटना घटी, उसके संबंध में श्री शरद पवार का प्रस्ताव सदन में लाए हैं जिस पर काफी चर्चा हो चुकी है। मैंने बड़ी श्रद्धा के साथ आदरणीय सांसद श्री प्रमोद महाजन, श्री सरपोतदार और श्री राम नाईक सहित कई सदस्यों के भाषण सुने। मैं कहना चाहता हूं कि दलितों पर जुल्म पहली दफा मुम्बई में हुआ, ऐसा नहीं है। मैं यह भी मानने को तैयार नहीं हूं कि भारत के किसी एक राज्य में, प्रशासन चलाते हुए, किसी ने जनता के ऊपर गोली नहीं चलाई। मैं यह भी मानने को तैयार नहीं हूं कि मुम्बई में दलितों पर जो कुछ हुआ, उससे पहले भारत के किसी प्रांत में, वैसी घटना नहीं घटी। यह बात भी नहीं है कि किस पार्टी ने क्या किया। राजनैतिक फायदा उठाने की बात मैं यहां नहीं करना चाहता लेकिन महाराष्ट्र ऐसी भूमि है जहां से पूरे देश को दिशा मिलती रही है और आगे भी मिलती रहेगी। एक कांग्रेस वर्कर होने के नाते, महाराष्ट्र हमारे लिए एक तीर्थ के समान है क्योंकि कांग्रेस की स्थापना मुम्बई शहर में हुई, वर्धा के आश्रम में गांधी जी की प्रार्थना, अर्बेदा जेल में गांधी जी के अनशन को तोड़ने के लिए गुरुदेव रविन्द्र नाथ टैगोर खुद पहुंचे थे, ये सब महाराष्ट्र में है।

महाराष्ट्र की जो गरिमा आजादी की लड़ाई के समय थी, उसका औद्योगिक विकास, संस्कृति, खेल-कूद के मामले में, साहित्य के मामले में, कला के मामले में महाराष्ट्र भारत को एक दिशा देता रहा है। इसलिए महाराष्ट्र की भूमि को, वहां की जनता को, किसी पार्टी को चोट पहुंचाने के लिए सदन में कुछ कहना, पूरे भारत के गौरव को हानि पहुंचाने के समान है, ऐसा मैं मानता हूं।

मुम्बई में जो घटना हुई, उसके बारे में यहां काफी चर्चा हो चुकी है। शिवाजी महाराज का नाम लेकर, उनके चिन्तन को लेकर, उनके आदर्शों को लेकर केवल महाराष्ट्र के कुछ लोगों ने चर्चा की, ऐसा नहीं है। जब मैं छठी क्लास का स्टूडेंट था, हम आज भी गुरु रविन्द्र नाथ टैगोर की कविता पढ़ते हैं—शिवाजी उत्सव, गुरू रामदास और शिवाजी का परिचय हमारे गुरुदेव रविन्द्र नाथ टैगोर ने कराया था। आप मुझे ऐसा कहने के लिए माफ करें कि शिवसेना के चिन्तन और शिवाजी के चिन्तन में काफी फर्क है। यह एक पोलिटिकल पार्टी या जमात है।

जब मैं स्कूल, कालेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, उस समय से मुझे मालूम है कि देश मे केवल तीन सेनाएं होती हैं - थल सेना, नौ सेना और वायु सेना क्योंकि सेना का एक कन्सेप्ट होता है।

[अनुवाद]

यह है युद्ध करने और राष्ट्र की सुरक्षा करने की योग्यता की धारणा; योद्धा का ध्येय होता है - युद्ध करना तथा राष्ट्र का संरक्षण और सुरक्षा करना

[हिन्दी]

सेना का कंसैप्ट मेरे ख्याल में

[अनुवाद]

राजनैतिक शब्दावली और वातावरण में यह धारणा सही नहीं है।

[हिन्दी]

राजनीतिक दल हो सकता है, संस्था हो सकती है, लेकिन फिर भी जिसने "सेना" शब्द को अपनाया है, उसकी अपनी विचारधारा है। मैं उसको ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं। शिवाजी महाराज के चिन्तन को जनता में आगे बढ़ाने के लिए यदि शिव सेना बनाई है, तो मैं उसका निरादार नहीं करना चाहता हूं। उनका कोई विचार हो सकता है। शिवाजी महाराज की भावना यदि पूरे देश में पहुंच सके, तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। मैं कह रहा हूं कि इस बारे में गुरू राम दास जी की कहानी, शिवाजी महाराज की कहानी से हमारे हृदय में उनका इतना बड़ा स्थान है कि हम उसको पालिटिक्स जैसी छोटी सी चीज से देखना नहीं चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, जो कुछ मुम्बई शहर में हुआ उसको ला एंड आर्डर की दृष्टि से हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी ने देखा। मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि अगर हम कोई ऐशोरेंस दे दें और फिर उसका पालन नहीं करें, तो सदन के सामने, देश के सामने हम गलत साबित हो जाएंगे। हमारे होम मिनिस्टर साहब ने मुम्बई का दौरा करने के बाद बड़ी हिम्मत के साथ सदन में स्टेटमेंट दिया और सब कुछ कहने के बाद उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर ने उनको ऐश्योर किया। बाल ठाकरे जी का नाम उन्होंने नहीं लिया। हम जानते हैं कि बाल ठाकरे जी प्रमुख नेता हैं। उनकी विचारधारा के साथ, उनकी चिन्तनधारा के साथ हमारे मतभेद हो सकते हैं। उनके जो कुछ विचार हैं, वे हो सकते हैं। मैं यहां उनको गाली देने के लिए खड़ा नहीं हुआ

[श्री पी॰आर॰ दासमुंशी]

हूं। मेरा कहना यह है कि हमारी सरकार को एशोरेंस देने का मामला था। केवल ला एंड आर्डर का मामला नहीं था।

[अनुवाद]

कानून और व्यवस्था का मुद्दा राज्य का एक नियमित मामला है।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय, कहीं झंझट हो सकता है, नहीं हो सकता है। वाटर कैनन पहुंचा। यह सब टैक्नीकल बात है। मुद्दा यह है कि हमारे देश की सरकार जो वहां चल रही है, हम लोग उसका समर्थन कर रहे हैं। उसका एक ही मुद्दा था कि देश को साम्प्रदायिक खतरे से बचाना है, देश की एकता को टूटने से बचाना है और इसके लिए हमने बिना शर्त समर्थन दिया। हमारी सरकार के खिलाफ यह आरोप था, लेकिन हम कहते हैं कि वह आरोप गलत था। सी॰पी॰आई॰, सी॰पी॰एम॰ और भी दल थे। आरोप यह था कि कल्याण सिंह ने प्रधान मंत्री, श्री नरसिंहराव जी को आश्वासन दिया और अंतिम दिन तक इंतजार किया। उससे देश को बहुत चोट पहुंची। यह आश्वासन किसने दिया था, श्री कल्याण सिंह ने दिया था। किसको दिया था, प्रधान मंत्री श्री नरसिंहराव को दिया था। लेकिन उसके बाद उस आश्वासन की पूर्ति नहीं हो सकी। इसके कारण यहां सदन में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे नेता को दुख प्रकट करना पड़ा था।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा हूं कि यह इंसीडेंट राम जन्म भूमि आन्दोलन से शुरू हुआ था। उनके और हमारे विचार अलग हो सकते हैं। फायनल आउटकम मस्जिद तक पहुंचा। आश्वासन कुछ दिया और काम कुछ हुआ। जब मोटिव सैट होता है, तो आश्वासन काम नहीं करता है। सरकार की डिजाइन को स्टडी करना चाहिए, मोटिव को स्टडी करना चाहिए। यह स्टडी करना चाहिए कि डिजाइन क्या चल रहा है और मोटिव क्या चल रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को सिर्फ बी॰जे॰पी॰ का नेता मानता। हम लोग राजनीति के मैदान में उनके खिलाफ बोलते हैं, लेकिन आज हमारे देश में महात्मा गांधी नहीं हैं, जवाहर लाल नेहरू नहीं हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं हैं, लोकनायक जयप्रकाश भी नहीं हैं, मोरारजी भाई भी नहीं हैं, इंदिरा गांधी जी नहीं हैं और हमारे नौजवान राजीव गांधी भी नहीं हैं। आज देश में जो कुछ भी हैं वे हैं गुजराल जी, देवेगौडा जी, कम्युनिस्ट पार्टी के सुरजीत जी, केसरी जी, हमारे वाजपेयी जी हैं। इन्हीं लोगों का हमें सहारा है। इन्हीं के मार्गदर्शन से हमें चलना है। वाजपेयी जी सिर्फ बी॰जे॰पी॰ के नेता नहीं हैं। वे देश के परम भक्त हैं। बड़े संकट के समय में उन्होंने देश को दिशा दी है। उस दिन बिहार की चर्चा में श्री वाजपेयी जी ने कहा कि सरकार चलाने का मतलब मैजोरिटी नहीं है। नैतिकता उनका सबसे बड़ा बल होता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं उसको दोहराना चाहता हूं कि नैतिकता क्या होती है। बी॰जे॰पी॰ की सरकार जिसका समर्थन करे, हम जिसका समर्थन करें, उस राज्य में, आजादी की स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर, जिसको वाजपेयी जी मानते हैं, राम विलास पासवान जी मानते हैं, देश का हर नेता मानता है और जिसको भारत का पिता कहते हैं, जिसको फादर आफ दि नेशन कहते हैं, उस महात्मा गांधी की इंटीग्रिटी, कैरेक्टर पर, खुले में हमारी नई पीढ़ी के सामने, कटु आलोचना होती रहे और छपती रहे और हम उसको सहन करें, तो यह ठीक नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप ही के शेर को दोहराना चाहता हूं। रवीन्द्रनाथ जी ने कहा था। बंगला में है –

"अन्याय जे करे
अन्याय जे सहे
तबो घृणा
जैनौ तारे तृणो सम दाहे"

[अनुवाद]

इसका अंग्रेजी अनुवाद है :

जो अन्याय करे
जो अन्याय सहे
अपनी घृणा से उसे तिनके की तरह भस्म होने दो।

[हिन्दी]

कहां से शुरू हुई महाराष्ट्र में यह कहानी। कोई जरूरी है, कांग्रेस को गाली देनी है तो हजारों शब्द आप निकाल सकते हैं। हम तो यह कहने के लिए खड़े हुए हैं कि कांग्रेस ने जो कुछ किया, वह सब सही नहीं किया। यदि कांग्रेस कुछ गलती नहीं करती तो हमारी संख्या कम क्यों होती। हमने जरूर कुछ गलती की है और उस गलती की चर्चा करने के लिए हम कलकत्ता में मिल रहे हैं। हमारी जो गलती है, उसे हम भी सुधारेंगे। लोकतंत्र में हमने गलती की है तो जनता से भी हमें सजा मिलेगी, सदन से भी मिलेगी, इतिहास हमें माफ नहीं करेगा, यह हम जानते हैं। फिर नई पीढ़ी को भी बनाने के लिए तैयार करना होगा। लेकिन मुम्बई शहर में क्या हुआ। महात्मा गांधी की सत्यनिष्ठा पर भी शक किया गया था। एक महान् कलाकार हैं, साहित्य लेखक हैं, उनके नाटक हम कलकत्ता के मंच पर देखते हैं। उनका नाम पी॰एल॰ देशपांडे है। हम बंगाल में उनको हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, इतना सुन्दर उनका लेखन है/उस लेखन की भी किस ढंग से, किस भाषा से, किस आवाज से महाराष्ट्र में चर्चा हुई, राम नाईक जी खुद जानते हैं। मुम्बई शहर के लिए श्री राम नाईक को गर्व है। क्या पी॰एल॰ देशपांडे के लिए आपको गर्व नहीं है? उन लोगों के लिए गर्व नहीं हैं। उन लोगों के बारे में क्या कहा गया है। उसे कहने के लिए नाना पाटेकर, जो फिल्मी सितारे हैं, उन को नासिक की मीटिंग में कन्डैम करना पड़ा। इसका हमे खेद है कि हमारे प्रान्त से ऐसी चर्चा होती है।

मैं राम नाईक जी की नज़र में यह बात लाना चाहता हूं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि सब कुछ ये लोग कर रहे हैं। मैं यही कह रहा हूं कि अरूण शोरी के लेखन, शिव सेना के चिंतन और बी॰जे॰पी॰ के बंधन का अल्टीमेट आउटकम दलित का निधन हुआ। इसलिए बी॰जे॰पी॰ पार्टी को, राम नाईक जी चाहे कुछ भी बोलें, जीतना अच्छा

है, लेकिन जीतने के लिए अहंकार नहीं होना चाहिए। महाराष्ट्र में जिसको ज्यादा वोट मिले, वह जनता-जनार्दन की सिफारिश से हुआ। इसलिए अहंकार नही होना चाहिए। आपको सबसे ज्यादा वोट दिया, इसका मतलब यह नहीं है कि बाकी लोग कुछ हैं ही नहीं। चुनाव में जो हार जाते हैं, वे भी पोलीटिकल आदमी हैं। राज नारायण भी जीते हैं, इंदिरा गांधी भी हारी हैं। इतिहास में क्या होता है। क्या कभी अटल जी नहीं हारे? क्या सभी लोग जीतते हैं? डैमोक्रसी रहेगी तो कोई जीतेगा, कोई हारेगा। इसलिए जीतने से यदि अहंकार हो जाए और जो हार गया है, उसे टोका जाए, गाली दी जाए तो लोकतंत्र कैसे चलेगा। ऐसे नहीं चलता है।

मैं यह कहने के लिए खड़ा हूं कि महाराष्ट्र में श्री गोपी नाथ मुंडे होम मिनिस्टर हैं। मैं बड़ी नम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि मैं उनके लिए हमदर्दी दिखाना चाहता हूं। ईमानदारी से कहिए, गोपी नाथ मुंडे जी जिस ढंग से सरकार के होम मिनिस्टर की जिम्मेदारी निभाना चाहते हैं, शायद उनको मौका नहीं मिला है। आज मेरी बात आपको कटु लगेगी लेकिन इसी सदन में, यह रिपोर्ट में रहेगा, एक दिन वह आएगा जिस दिन आपको खड़ा होकर बोलना पड़ेगा कि दास मुंशी ने सही कहा था। एक पोलीटिकल ऐलायंस में जिस ढंग से उन्हें काम करने का मौका होना चाहिए था, मुझे पूरा भरोसा है कि यदि गोपी नाथ मुंडे जी को पहले दिन से यह सिचुएशन संभालने दी जाती तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती। बी॰जे॰पी॰ के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मैं जब मुम्बई में इस घटना को देखने के लिए गया, मैं कालोनी में गया, मेघा पाटेकर जी अम्बेडकर जी के स्टैचू के सामने खड़ी हुई थीं। मेघा पाटेकर जी के साथ हमारा पोलीटिकल रिश्ता तो है ही नहीं, मैंने उनका बहुत नाम सुना है कि वे समाज के लिए काम करती हैं। उनकी आंखों में मैंने आंसू देखे। कहने लगी कि आप लोग तुरंत आए। हम एक-एक घर में गए। मैं गोली चलाने के बारे में नहीं कह रहा हूं, गोली तो चलती है, कोई न कोई राज चलाता है, लेकिन एक औरत, किस हालत में, कितनी मैडनैस, कितना मोटिवेशन, कितनी प्रोवोकेशन हो सकती है एक पुलिस आफिसर के अंदर, एक कान्सटेबल के अंदर कि एक औरत को, इंदिरा गांधी को 35 गोलियां लगीं, टैरोरिस्ट ने मारा। उसका एक मतलब था कि इंदिरा गांधी को हमें निकालना है। वह पागल हो गया था, उसके सिर पर खून सवार हो गया था। लेकिन कौशल्या नाम की एक हरिजन औरत, दलित औरत को सात गोलियां लग सकती हैं। क्या इसके बारे में आप यह सोचेगें कि यह मामली गोली है, इस पर कोई चिंतन नहीं करेंगे?

मैं मुम्बई शहर में नहीं रहता लेकिन जब भारतीय यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष था, मुम्बई शहर जैसा कोई वार्ड नहीं है, कोई जगह नहीं है जहां यूथ कांग्रेस की शाखा खोलने के लिए मैं नहीं गया। यह बहुत पुरानी कहानी है। तब मुम्बई शहर में इतने बड़े-बड़े मकान नहीं थे। हम 1971, 1972, 1973 में गए थे। हर जगह में, कांग्रेस के जितने कार्पोरेटर बने थे, उनमें से आधे तो मेरे यूथ कांग्रेस से आए थे। मैंने खुद कहा कि मैं देखना चाहूंगा, पैट्रोल टैंकर की कहानी के बारे में मुझे जानकारी नहीं है लेकिन देखना चाहूंगा कि क्या हुआ। प्रमोद महाजन जी को मालूम है, वह इनका क्षेत्र है, मैं पोर्ट ट्रस्ट के क्षेत्र से गाड़ी लेकर सीधा कालोनी में पहुंचा। यह जानने के लिए कि हाइवे से टैंकर क आने जाने में रूट की प्लानिंग क्या है। मैंने देखा कि जिस रास्ते में लोगों ने रूकावट की थी, उस रास्ते में जो टैंकर आते जाते हैं, वे गैस और तेल भरने के लिए जाते हैं और वापस आने के समय दूसरे काम से आते हैं। हो सकता है, सच है, झूठ है, वह दूसरी बात है। लेकिन मुझे जो कहा गया, मैं कह रहा हूं, अगर किसी ने गलत कहा तो गलत कहा। लेकिन पब्लिक ने कहा, पुलिस ने नहीं कहा। जहां पर गोली चली, प्रमोद महाजन जी को गोली चलने की जगह मालूम है और जिस रास्ते में लोग खड़े हुए थे, उस जगह पर इतना फर्क है कि किसी तरह वहां गोली चल ही नहीं सकती। गोली अगर चल सकती है तो हाइवे पर चल सकती है, लेकिन गली बस्ती के अन्दर, एकदम बस्ती के अन्दर, जहां सब्जी बेचने वाला, फूल बेचने वाला, फल बेचने वाला, थोड़ा बहुत ट्राली ठेला वहां रहता है, वहां नहीं चल सकती।

राम नाईक जी ने हमको पूछा कि आप लोग मुंबई मे आये तो कम से कम हम लोगों को बोल सकते थे। हम आपको पूछते हैं, हमारी गलती हुई, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन राम नाईक जी, जिनको चोट पहुंची, क्या आप उनके घर जाकर नहीं पूछ सकते थे कि तुम्हारे ऊपर क्या व्यवहार हुआ? यह तो आपकी जिम्मेदारी थी। मुंबई में सबसे ज्यादा वोट आपको मिले, उन्होंने आपको चुना था। राम नाईक जी, मैं बड़ी श्रद्धा के साथ कहना चाहता हूं, आप बुजुर्ग हैं, लेकिन 15 तारीख तक, जब मैं घर-घर में पहुंचा, कोई नेता उन लोगों के पास नहीं गया। मेघा पाटेकर को छोड़कर कोई नहीं गया। आप भी नहीं गये। आप बाद में गये। वहां कोई नहीं गया। हम सोच सकते थे, वे गुस्से में थे, उस समय गुस्से में थे, जाना ठीक नहीं था, अगर आप भी जाते तो जो व्यवहार उन लोगों ने अठावले के साथ किया, आपके साथ भी कर सकते थे। अगर करते तो हम इसका समर्थन नहीं करते।

आप एक नेता हैं, लेकिन आप लोग नहीं गये। चीफ मिनिस्टर साहब नहीं गये, होम मिनिस्टर साहब नहीं गये। कालोनी के अन्दर क्यों इतना रोष रहा, मैं बता नहीं सकता हूं। मैं सच कहता हूं इतना रोष रहा कि हमको भी हमारे कांग्रेसी नेता लोगों ने कहा कि हास्पिटल में घूमकर चले जाओ, उस कालोनी के अन्दर मत जाओ। मैंने कहा कि मैं विद्यार्थी आन्दोलन से आया हूं, दो-तीन पत्थर पड़ेंगे, चार पड़ेंगे, लेकिन जाना ही पडेगा। मैं वहां गया, मैं पुलिस लेकर नहीं गया। आप सरकार से पूछिये, वहां आपकी सरकार है, लेकिन पता करने के लिए हम गये थे कि क्या हुआ। जिस घटना का वर्णन उन्होंने किया, उसको मैं कहना नहीं चाहता हूं। मैं उसको भूलना चाहता हूं। सिर्फ एक रिक्शेवाले की कहानी है, जिंदगी में मौका आया तो मैं लिखूंगा। एक रिक्शावाला, जो एक आदमी को उठाकर हास्पिटल में ले जाना चाहता था, सिर्फ इतने कसूर में उसको भी मार दिया। यह कहानी मुंबई शहर के लिए नहीं है, यह कहानी आपके लिए नहीं है। शायद पुलिस के अन्दर किसी के दिमाग में इतना मोटीवेशन हो गया है, बिना मोटीवेशन के इतना नहीं हो सकता। आपने कहा है कि तुरन्त पहुंचें, उसने वाटर कैनन का इस्तेमाल नहीं किया। कैसे तुरन्त पहुंचते हैं, वायरलैस सिस्टम से खबर आती है। दंगा मिटाने के लिए तुरन्त पहुंच सकते हैं, लेकिन दंगा तो हुआ ही नहीं। रोड ब्लोकेड हुआ, होम मिनिस्टर

[श्री पी॰आर॰ दासमुंशी]

का डिटेल स्टेटमेंट है, उन्होंने कल राज्य सभा में कहा : लोगों की भीड़ शान्त थी और उसमें कोई उत्तेजना नहीं थी। तो पीसफुल लोग वहां दंगा कर सकते है?

मेरा कहना गोली के सम्बन्ध में नहीं है। मैं छगन भुजबल के बारे में भी नहीं कहना चाहता। मेरी नजर में अगर कोई कांग्रेस का नेता बनता है तो उसको मरने के लिए तैयार होना चाहिए। अगर उसको मारने के लिए कोई साजिश करे तो उसके बारे में पब्लिसिटी नहीं होनी चाहिए। इसमें दलित का इस्तेमाल होता हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। यह मोटीवेशन क्या हो रहा है। बी॰जे॰पी॰ के समर्थन में जितने शैड्यूल्ड कास्ट्स विधायक, एम॰पीज॰ का आपने जिक्र किया। मैं आपका समर्थन करता हूं, अच्छा है। हो सकता है कि हमारी कोई कमी है कि आपको सपोर्ट ज्यादा मिल रही है। इसका मतलब यह तो नहीं कि इस इश्यू को आप सपोर्ट करेंगे। राम नाईक जी ने कहा है, लेकिन शायद आपने इन सैकुलर लोगों को देखा नहीं कि मोटीवेशन कैसे हुआ है। इन्द्रजीत गुप्त जी ने कहा है कि कोलैप्स नहीं हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर का कोलैप्स गोली से नहीं होता है। मोटीवेशन कैसे बिल्ड अप हुआ है, देखिये। लोकतंत्र के जो चार पिलर हैं,

[अनुवाद]

पहला विधायिका है, दूसरा न्यायपालिका है, तीसरा मीडिया है और अंतिम, चौथा स्वयं जनता है, जो फैसला करती है।"

[हिन्दी]

लोगों के अन्दर डिवाइड करना, तोड़ना, अलग करना, अलगाववाद की बात करना क्या कांस्टीट्यूशन के पक्ष में है? संवाद पत्र के ऊपर हमला करना, महानगर के ऊपर हमला करना क्या संविधान की मंशा है? ज्यूडीशियरी को थेट करना क्या संविधान के नियम के अनुसार है? पब्लिक के अन्दर छेड़छाड़ की भावना पैदा करना, गणमान्य लेखक का अपमान करना, प्रतिष्ठित नेता को बर्बाद करना, यह क्या देश के लिए सुन्दर है? कैसे सैकुलर बना है? मैं ज्यादा नहीं कहूंगा।

[अनुवाद]

मैं पूरी जवाबदेही के साथ इसका उद्धरण दूंगा। मैं इसे सभा में रख सकता हूं।...*(व्यवधान)*

श्री राम नाईक : आपने न्यायपालिका, प्रैस इत्यादि का उद्धरण दिया है। क्या आपको यह जानकारी है कि महाराष्ट्र विधान सभा में क्या हुआ है?...*(व्यवधान)* उन्हें काम भी नहीं करने दिया गया।

श्री पी॰आर॰ दासमुंशी : राम नाईक जी, मैं उसी पर आ रहा हूं।

[हिन्दी]

राम नाईक जी विधान सभा के अंदर विरोधी पक्ष कौन सी स्ट्रेटजी अपनाता है, संसदीय परम्परा के वह खिलाफ है या नहीं, इसके हजारों उदाहरण यहां भी देख सकते हैं और वहां भी देख सकते हैं। मैं किसी के पक्ष में नहीं कह रहा हूं। अगर किसी ने कहा कि आपके राज में लोकतंत्र की समाधि बन रही है, उसकी अंतिम यात्रा के लिए प्रदर्शन किया, सम्भव है उसकी इंटरप्रिटेशन दूसरी हो, लेकिन मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा हूं। अगर हम डिफेंड करते तो कल जब वाजपेयी जी के जवाब देने से पहले गृह मंत्री गैरहाजिर थे, तो मैंने उठकर कहा था कि वाजपेयी जी हमारे विपक्ष के नेता हैं, उनके जवाब के समय होम मिनिस्टर नहीं हैं, यह गलत है। मैंने ऐसा कहा था क्योंकि मैं इसका समर्थन नहीं करता। लेकिन आपको यह पता नहीं है, आप यह सरकारी आर्डर देखें, 23 जुलाई, 1995 से लेकर अब तक सरकार में क्या-क्या होता रहा है। यह 15 सितम्बर, 1995 का है कि मोटिवेशन कैसे बन रहा है।

[अनुवाद]

यह 15 सितम्बर, 1995 का आदेश है। इसमें कहा गया है :

> "राज्य सरकार ने अ॰जा/अ॰ज॰जा॰ और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों की भर्ती और प्रोन्नति की नीति को बदल दिया है। इसने भारत सरकार से निदेशित 100 प्वाइंट भर्ती रोस्टर और 50 प्वाइंट प्रोन्नति रोस्टर को निरस्त कर दिया है और अपना 200 प्वाइंट का रोस्टर लागू कर दिया है जिसमें पहली रिक्ति/प्रोन्नति के आरक्षण को समाप्त करके इसे अनुसूचित जाति की जगह सामान्य श्रेणी के लिए कर दिया गया है।"

15 सितम्बर, 1995 की इस अधिसूचना से आक्रोश बढ़ने लगा।

[हिन्दी]

श्री जी॰एल॰ कनौजिया (रवीरी) : यह तो फार्मूला है, कभी 50 प्रतिशत, कभी 100 प्रतिशत तो कभी 200 प्रतिशत हो गया है। इसको तीन साल हो चुके हैं।

श्री पी॰आर॰ दासमुंशी : हम तो 1995 का कोट कर रहे हैं। 12 जुलाई, 1996 में इस परिपत्र में कहा गया है :

[अनुवाद]

> "सरकार ने सभी पृथक पदों को आरक्षण नियम से बाहर कर दिया है। इसके द्वारा सरकार किसी भी ऊंचे पद को पृथक अधिसूचित कर सकती है और बिना आरक्षण के अपनी पसंद का व्यक्ति नियुक्त कर सकती है।"

तत्पश्चात्, 2 नवम्बर, 1996 का एक अन्य परिपत्र था जिसके अनुसार :

> "सरकार ने पुनः संबंधित विभागाध्यक्षों को चेतावनी दी है कि पृथक पदों या आरक्षित पदों को तत्काल भरे जाने चाहिए।"

तत्पश्चात् 29 मार्च को एक अन्य परिपत्र निकाला गया। इसमें कहा गया है :

> "सरकार को 100 प्वाइंट रोस्टर जारी करना था और 200 प्वाइंट रोस्टर रद्द करना था। लेकिन इस पर भी इसने

उसके अंतर्गत हुई नियुक्तियों पर पुनर्विचार करने से इंकार कर दिया है, जिससे अ॰जा॰/अ॰ज॰जा॰ के वर्तमान कर्मचारियों में असंतोष फैल रहा है।"

[हिन्दी]

एक-एक करके सरकारी नोटिफिकेशन आते रहे, दलितों का, पिछड़े वर्गों का जो हक है उसको रद्द करने के लिए। ब्यूरोक्रेयर के दिमाग में क्या पैदा हो रहा है, उसका आउटकम क्या है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रमोद महाजन : क्या आप इन अधिसूचनाओं की खामियों पर प्रकाश डालने की कृपा करेंगे क्योंकि आप अपनी पार्टी के सहकर्मी द्वारा दिया गया नोट पढ़ रहे हैं?

श्री पी॰आर॰ दासमुंशी : नहीं, यह आपका है।

श्री प्रमोद महाजन : वह मैं जानता हूं। मैं उस पर आपत्ति नहीं कर रहा हूं। केवल इतना ही बताइये कि इन परिपत्रों में क्या गड़बड़ी है।

[हिन्दी]

श्री पी॰आर॰ दासमुंशी : गलती यह है कि जो उनके लिए रिजर्व था, उनको क्यों डिरिजर्व किया गया। गलत यह है। यह गलती थी, इससे उनके दिमाग में एक चिंतन शुरू हो गया कि शायद हमारी सुरक्षा होगी या नहीं।

[अनुवाद]

श्री सुरेश प्रभु (राजपुर) : क्या यह पहले की प्रणाली में सुधार नहीं है?...*(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन : क्या आप पहले को एक बार फिर पढ़ने की कृपा करेंगे?

श्री पी॰आर॰ दासमुंशी : मैं इसे पुनः उद्धृत करूंगा :

> "राज्य सरकार ने अ॰जा/अ॰ज॰जा॰ और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों की भर्ती और प्रोन्नति की नीति को बदल दिया है। इसने भारत सरकार से निदेशित 100 प्वाइंट भर्ती रोस्टर और 50 प्वाइंट प्रोन्नति रोस्टर को रद्द कर दिया है और अपना 200 प्वाइंट का रोस्टर लागू कर दिया है जिसमें पहली रिक्ति/प्रोन्नति के आरक्षण को समाप्त करके इसे अनुसूचित जाति की जगह सामान्य श्रेणी के लिए कर दिया गया है।"

मैं जो उद्धरण दे रहा हूं वह यही है।

श्री राम नाईक : हम लोग इस मुद्दे पर बहस नहीं कर रहे हैं। सम्भवतः व्याख्या ही गलत है। मैं केवल यही सुझाव दूंगा कि आप हमें उन वक्तव्यों को दीजिए और हम निश्चित तौर पर उनकी जांच करेंगे क्योंकि हम नहीं समझते कि हमारी सरकार यह करेगी।

श्री पी॰आर॰ दासमुंशी : मैं आपके साथ सहमत हूं। यदि मेरा अनुवाद गलत है और यदि आप मुझे सही करते हैं, मैं आपका आभारी होऊंगा और मैं अपनी टिप्पणी वापस ले लूंगा।

[हिन्दी]

श्री आनन्दराव विठोबा अडसूल : यहां नोटिफिकेशन क्यों नहीं लाए?

[अनुवाद]

श्री पी॰आर॰ दासमुंशी : यह नोटिफिकेशन है, यह मराठी में है।

[अनुवाद]

श्री राम नाईक : यह मराठी में है, इसलिए वह इसे नहीं पढ़ सकेंगे।

[हिन्दी]

श्री आनन्दराव विठोबा अडसूल : हम पढ़ते हैं।

श्री पी॰आर॰ दासमुंशी : आपको हम इंटरप्रिटेटर नहीं बनाएंगे, जब जरूरी होगा तब देखेंगे।

श्री आनन्दराव विठोबा अडसूल : फिर गलत क्यों पढ़ते हैं?

[अनुवाद]

श्री पी॰आर॰ दासमुंशी : मैंने कहा है कि यदि यह गलत है, तो मैं अपनी टिप्पणी वापस ले लूंगा।...*(व्यवधान)*

श्री राम नाईक : इसीलिए मैंने कहा कि हमारी सरकार कभी भी ऐसा नहीं करेगी। लेकिन हम इस पर विचार करेंगे और तब फैसला करेंगे। वास्तव में शिकायत यह है कि हम अनुसूचित जाति के ज्यादा हिमायती हैं।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : राम नाईक जी, एक मिनट। ब्यूरोक्रेसी क्या-क्या करती है, मैं एक घटना आपको बताता हूं।

ब्यूरोक्रेसी क्या-क्या करती है, इसका एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं।

मैं पार्लियामेंटरी कमेटी ऑन दि वैलफेयर ऑफ शैडयूल्ड कास्ट एंड शैडयूल्ड ट्राइब्स कर्नाटक में गया था। वहां प्रश्न था कि एस॰टी॰ को कैसे देश की मुख्य धारा में लाया जा सकता है? उनका रिटर्न रिप्लाई जो पार्लियामेंट में आज भी मौजूद है, वह रिटर्न रिप्लाई था कि एस॰सी॰ मुर्दा जानवर का मांस खाते हैं। उनको तो दूसरों के बराबर लाने का मतलब ही कोई नहीं है। ब्यूरोक्रेसी का यह रिटर्न रिप्लाई था। जब मैंने उनसे पूछा कि आपमें से कुछ नॉन-वैजिटेरियन होंगे। जरा बताइए कि आपमें से जिंदा जानवर का मांस कौन खाता है? उनको तो कहते हो कि मुर्दा जानवर का मांस खाते हैं, आपमें से जिंदा जानवर का मांस कौन खाता है? फिर कहने लगे सौरी सर, सौरी सर। इस प्रकार से मेंटल एटीट्यूड बदलने में तो बहुत देर लगेगी।

श्री पी॰आर॰ दासमुंशी : मैं भी वही बात बता रहा हूं।

[अनुवाद]

महोदय, मैं वही बात कह रहा हूं। जब तक इनकी जांच नहीं की जाती है, जब इन्हें ठीक नहीं किया जाता है और जब तक इन्हें नियंत्रित नहीं किया जाता है, पूरी की पूरी भावना गलत समझी जाएगी। मैं यही कह रहा हूं।

[हिन्दी]

मैंने आपको व्यक्तिगत कुछ नहीं कहा। मेरा कहना है कि ...*(व्यवधान)*

श्री मधुकर सरपोतदार : आप जिस ढंग से बता रहे हैं कि भाजपा और शिव सेना की सरकार आ गई, इसलिए यह हो रहा है। ऐसा नहीं है।...*(व्यवधान)*

श्री आनन्दराव विठोबा अडसूल : अगर 1995 में कोई गलत नोटिफिकेशन महाराष्ट्र सरकार ने निकाला तो वहां जो इनके अपोजीशन में लोग बैठे हैं, क्या उनके पास यह नोटिफिकेशन इससे पहले नहीं आया? क्या वे इसे सैन्ट्रल गवर्नमेंट के नोटिस में नहीं ला सकते थे और न इसके ऊपर कोई हंगामा कर सकते थे? आज इसका क्यों फायदा उठाते हैं?

श्री पी॰आर॰ दासमुंशी : मैंने फायदे की बात नहीं की ...*(व्यवधान)*

श्री सुरेश प्रभु : यदि सौ मार्क्स का एक रोस्टर हो तो उसको दो सौ का बनाया जाए तो इसकी वजह यह हो सकती है कि उसके लिए जो अवसर दिए गए हैं, रिजर्वेशन दिया गया है, वह उनको मिलना चाहिए। इस इंटेंशन से यदि कोई नया सिस्टम बनाया जाए जिससे लोगों को फायदा मिलना चाहिए। उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट किया जाए तो जो शायद ब्यूरोक्रेसी अच्छा करना चाहती है, सरकार अच्छा करना चाहती है, उसको मोटीवेशन चाहिए, यह इससे हो सकता है।

[अनुवाद]

श्री राम नाईक : हम इसकी जांच करेंगे।...*(व्यवधान)*

श्री के॰एस॰आर॰ मूर्ति : महोदय, इस संबंध में भारत सरकार के नियम हैं। भारत सरकार के आरक्षण संबंधी कुछ नियम हैं। इसका पालन सभी राज्यों के द्वारा समान रूप से किया जा रहा है। यदि महाराष्ट्र इसका पालन नहीं कर रहा है, यदि उन्होंने इस संबंध में कोई प्रगति नहीं की है, तो मैं सोचता हूं कि उस पर आरोप लगाने की जरूरत है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री पी॰आर॰ दासमुंशी : नोटिफिकेशन कोई भी सरकार के अंडर में ब्यूरोक्रेसी करें। हम उसको एक्सटेंड जरूर कर सकते हैं। लेकिन एकांउटेबिलिटी सरकार की होती है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रमोद महाजन : किसी भी अधिसूचना के लिए सरकार की ही जवाबदेही बनती है। लेकिन सिर्फ एक प्रश्न है: इन अधिसूचनाओं की क्या व्याख्या है जिसमें सिर्फ एक ही पहलू का उद्धरण दिया गया है? बहुत से मामलों में सीटों का आरक्षण करना और सीटों का आरक्षण समाप्त करना सभी राज्यों में नियमित रूप से होता है। किसी एक अधिसूचना को लेकर केवल इसका ही अनुपालन न करें। मैं उन सभी राज्यों की अधिसूचनाओं, जहां सीटों का आरक्षण हुआ है और आरक्षण समाप्त हुआ है, को आपको दिखा सकता हूं। ये बातें होती हैं।...*(व्यवधान)*

श्री पी॰आर॰ दासमुंशी : मैं आपके साथ विवाद करना नहीं चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

डा॰ बी॰एन॰ रेड्डी (मिरियालगुडा) : लेकिन वह व्याख्या नहीं कर रहे हैं। वह केवल इसका उद्धरण दे रहे हैं।...*(व्यवधान)*

डा॰ रामचंद्र डोम (बीरभूम) : यह उस तरह से नहीं होता है। इसका प्रभाव सभी राज्यों पर नहीं पड़ता है। आपकी सूचना के लिए हमारे राज्य, पश्चिम बंगाल में, हम कह सकते हैं कि...

श्री प्रमोद महाजन : पश्चिम बंगाल अपवाद है।...*(व्यवधान)* मैं पश्चिम बंगाल को छोड़कर देश के शेष भाग की बात कर रहा हूं।

डा॰ राम चन्द्र डोम : ऐसा अधिसूचना के जरिए नहीं हो सकता।

श्री ई॰ अहमद (मन्जेरी) : महोदय, आरक्षण के मामले में केरल एक आदर्श राज्य है। केरल में समाज के सभी वर्गों जिसमें विभिन्न समुदाय सहित सभी पिछड़े वर्ग के लोग शामिल हैं, के लिए आरक्षण की व्यवस्था है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने इंडिया की सभी स्टेट्स देखी हैं। आज यहां कहने का मौका नहीं है।

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : श्री प्रमोद महाजन ने कहा है कि वे इसे स्पष्ट करेंगे। यह ठीक है।

श्री प्रमोद महाजन : हम इसे ठीक करेंगे।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री पी॰आर॰ दासमुंशी : महाराष्ट्र में चुनाव के बाद जो सरकार बनाई है और इसमें जिन लोगों को सरकार बनाने का मौका मिला है, उनको गौरव मिलना चाहिए। जिनको सरकार बनाने का मौका नहीं मिला है, उनको खेद नहीं होना चाहिए। मैं यह मानने के लिए तैयार हूं कि महाराष्ट्र में इस चुनाव में कांग्रेस की हार हुई लेकिन शिव सेना और बी॰जे॰पी॰ और अन्य पार्टीज यदि इकट्ठा नहीं होती तो सरकार बनाना भी मुश्किल होता। इसलिए आप लोगों ने सरकार बनाई है तो आपको तो गर्व होना चाहिए। लेकिन सरकार की जिम्मेदारी है। वह

जिम्मेदारी सिर्फ यह नहीं है कि सुबह शाम यह देखना है कि सब कुछ चला है कि नही। उसको देखना है जिस परिस्थिति में समाज गुजर रहा है, देश के सामने उस खतरे का मुकाबला करने के लिए सरकार समर्थ है कि नहीं।...*(व्यवधान)*

श्री प्रभु दयाल कठेरिया (फिरोजाबाद) : जो बात माननीय सदस्य कह रहे हैं, उसी भावना को जोड़ते हुए, मैं एक बात कहना चाहता हूं। जिस प्रकार से दासमुंशी जी कह रहे हैं, रिसर्पांसिबिलिटी सरकार की है, मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आप ही का बहुमत है, आपकी ही सरकार चल रही है।...*(व्यवधान)* कृपा करके सुनिए। मैं इस सदन का सदस्य होते हुए...

उपाध्यक्ष महोदय : हो गई बात।

एक माननीय सदस्य : पाइंट ऑफ आर्डर क्या है?

श्री प्रभु दयाल कठेरिया : मैं पाइंट ऑफ आर्डर ही बता रहा हूं। मेरा अनुरोध है, जिस प्रकार से दासमुंशी जी कह रहे हैं, तो इनकी रिसर्पांसिबिलिटी क्या है?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं बनता। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रभु दयाल कठेरिया : इस सदन का सदस्य होते हुए भी, छः महीने हो गए हैं और रिसर्पांसिबिलिटी महाराष्ट्र सरकार के बारे में बता रहे हैं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, कृपया बैठ जाइये।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं बनता। कृपया बैठ जाइये।

[हिन्दी]

श्री प्रभु दयाल कठेरिया : महाराष्ट्र सरकार पर जिस प्रकार के आरोप कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप बार-बार कहलवा रहे हैं। आप बैठ जाइए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय . कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री पी॰आर॰ दासमुंशी : अम्बेडकर जी की मूर्ति के अनादर की वजह से यह गोलीकांड हुआ। इसकी निन्दा सब लोगों ने की है। मैं राम नाईक जी का भाषण सुन रहा था। उनके भाषण में सब कुछ था, कितना उनको एस सी/एस टी का सपोर्ट मिला और कितना वोट मिल रहा है। मुझे उम्मीद थी, राम नाईक जी बड़ी स्ट्रांगली, इफैक्टिवली पुलिस के इस घृणित रोल को कन्डैम करेंगे।

[अनुवाद]

मुझे खेद है कि यह रिकार्ड में शामिल नहीं है। यदि आप इसे करते हैं तो मुझे खुशी होगी।

श्री राम नाईक : मैं पुलिस हमले तथा मृत्यु की अभी भी भर्त्सना करता हूं। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि गोलीबारी उचित थी अथवा नहीं। इसका पता लगाया जाना चाहिए।

श्री पी॰आर॰ दासमुंशी : मैं यह नहीं कह रहा।

श्री राम नाईक : मैं खेद व्यक्त कर रहा हूं।

श्री प्रमोद महाजन : श्री पी॰आर॰ दासमुंशी, चुनने एवं छाटने का यह आपका विशेष गुण है। मान लीजिए कि श्री राम नाईक अपने भाषण में इस बात को भूल गए हों, मैंने इसे शुरू किया था और कहा था। मैंने अनेक संवाददाता सम्मेलनों में इसकी भर्त्सना की थी। मान लीजिए कोई आदमी एक वाक्य भूल गया हो, तो उनका बात में से आप मनमाने ढ़ंग से जो चाहे चुन लेंगे...*(व्यवधान)*

श्री पी॰आर॰ दासमुंशी : आप अपने कौशल को विकसित करें मैं अपने कौशल से परिचित हूं। इसमें क्या है? आपने विधान सभा की कार्यवाही में से श्री आर॰आर॰ पाटिल के भाषण चुना। उन्होंने शशांकी कहा- ...*(व्यवधान)* मैंने इसे नहीं चुना; मैंने कुछ और चुना इसमें गलत क्या है?

श्री राम नाईक : मेरा कहना है कि मैं श्री प्रमोद महाजन तथा श्री मधुकर सरपोतदार की बातों से सहमत हूं। मैं राज्य से बाहर जा रहा हूं। मैंने यही कहा है।

[हिन्दी]

श्री पी॰आर॰ दासमुंशी : इस घटना के बाद होम मिनिस्टर साहब ने कहा कि हमको एश्योरेंस मिल गया कि यह रैपीटीशन नहीं होगा। कितना रैपीटीशन हुआ, अगर मैं इसका जिक्र करूं, तो काफी समय लग जाएगा। मैं आपको लिस्ट पढ़ कर सुनाता हूं – नासिक से लेकर यतमल तक, यतमल से लेकर दोबारा सांगली तक, क्या-क्या घटनायें हई हैं। इसकी पूरी लिस्ट मेरे पास है। सबसे दुखद चीज यह है कि सब लोग बोलते हैं, महिलाओं का इज्जत होना चाहिए, महिलाओं के इज्जत की रक्षा होनी चाहिए, महिलाओं का आदर करना चाहिए और खास तौर से दलित महिलाओं का प्रोटैक्शन होना चाहिए। इस घटना के बाद 29 जुलाई को हमारे सोलापुर से मेयर, अंतुले जी उनको जानते हैं, मिसेस सावंती राव पवार, एक दलित मेयर हैं, जिस को मंच पर बुलाया और मंच पर चढ़ने नहीं दिया गया और कुचल

* कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री पी॰आर॰ दासमुंशी]

दिया गया, बुरी हालत से। जो खत लिखा है, मैं पढ़ कर सुनाता हूं। खत लिखा है :—

[अनुवाद]

उस महिला ने हमें पत्र लिखा। इसे शिव सेना तथा भा॰ज॰पा॰ के कार्यकर्ताओं ने किया। यह उसके द्वारा लिखा गया था।

[हिन्दी]

मैं कह रहा हूं कि ये लोग पार्टी के मैम्बर हैं। माहौल जब बनता है, तो गलत आदमी घुस आते हैं। शिवसेना और बीजेपी के लोगों ने मीटिंग बुलाई और मंच पर चढ़ने नहीं दिया, कुचल दिया।

[अनुवाद]

वह अत्यधिक रक्तस्राव के कारण एक घंटे तक बेहोश रही और बाद में उसे रिपोर्टरों तथा पुलिस द्वारा ले जाया गया। शोलापुर का महापौर भी एक अनुसूचित जाति की महिला है।

[हिन्दी]

यह हुआ है, 29 जुलाई को। क्या होम मिनिस्टर के आश्वासन के अनुसार काम हो रहा है? इसके बाद देश–उन्नति पेपर पर जो हमला हुआ है, यह भी आपकी जानकारी में नहीं है। इस हमले के बाद चीफ मिनिस्टर को बयान देना पड़ा कि मैं इसकी जांच कर रहा हूं, अगर शिकायत हुई, तो मैं मिनिस्टर के खिलाफ एक्शन लूंगा। इसको देखकर मुझे खुशी हुई।

श्री प्रमोद महाजन : आपको इस बात की जानकारी नहीं है कि उसी दिन जिले के जुझारू नेता पर हमला हुआ, जिसमें कांग्रेस के एक लैजिस्लेचर को पकड़ा गया। क्या उसकी भी जानकारी है? ...*(व्यवधान)*

श्री पी॰आर॰ दासमुंशी : प्रमोद महाजन जी, आपकी पार्टी का हौसला और बढ़ रहा है। आप देश में राज के लिए सब कुछ कीजिए, हमको कोई गुस्सा नहीं है।...*(व्यवधान)*

श्रीमती रजनी पाटिल : अभी प्रमोद महाजन जी ने जिसके बारे में जिक्र किया, मैं आपको बताना चाहती हूं मैं उस जिले से बिलोंग करती हूं। जिस दिन यहां शरद पवार जी की स्पीच हुई और उन्होंने जो रेफरेंसेस दिए कि पत्रकारों के ऊपर हमले कर रहे थे। उसी दिन हमारे जिले के कांग्रेस के पहले सांसद श्रीमती क्षीरसागर का लड़का पकड़ा गया। वह अभी तक पुलिस कस्टडी में है, उसको आप नजरअंदाज मत करिए।...*(व्यवधान)*

श्री पी॰आर॰ दासमुंशी : आपको कांग्रेस के परिवार के बारे में ज्यादा जानकारी है, मैं जानता हूं।...*(व्यवधान)*

श्रीमती रजनी पाटिल : हां, मुझे अच्छी जानकारी है।... *(व्यवधान)*

श्री पी॰आर॰ दासमुंशी : पुलिस ने हमारी पार्टी के कितने आदमियों को पकड़ा है, मैं जानता हूं...*(व्यवधान)* हम जिस राज में हैं उस राज में अभी तक कुछ कांग्रेसी लोग जेल के बाहर हैं, यह आपकी कृपा है। आप लोग रोज केस लगा कर ले जा सकते हैं, यह आपकी परम्परा है। लेकिन मैं प्रमोद महाजन जी को अफसोस के साथ कहना चाहता हूं। कि एक लीडर पर हर दिन हमला होने के बाद, हत्या की साजिश होने के बाद जिस सरकार की पुलिस बेलेबल, नॉन बेलेबल वारंट में उनको चार्ज करती है उस सरकार की क्या नीयत है, वहां डेमोक्रेसी का क्या भविष्य है, इसका आप खुद अंदाजा कर सकते हैं। मैं ईमानदारी से कह सकता हूं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रमोद महाजन : उन सभी को न्यायालय द्वारा जमानत मिल गया है। आप तथ्यों को तोड़मरोड़ रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति न्यायालय गया और न्यायालय ने उन्हें जमानत दी।

[हिन्दी]

श्री पी॰आर॰ दासमुंशी : प्रमोद जी, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सदन के अंदर आप जो बोलें मैं सुनने के लिए तैयार हूं लेकिन आप ही के क्षेत्र में गोलीकांड हुआ, आप उनके सबसे आदरणीय सांसद हैं, आप क्यों नहीं 15 तारीख को एक दिन के लिए उस जगह पर पहुंच सके।...*(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन : आप सुनिए, मैं आपको बताता हूं। जिस दिन यह गोलीकांड हुआ उस दिन मैं कानपुर में था। जब मुझे जानकारी मिली मैं उसी रात यहां आकर दूसरे दिन प्रातःकाल मुंबई पहुंच गया। उस दिन मुंबई बंद का आयोजन था, रास्ते पर चलना मुश्किल था। मैं आठ घंटे एयरपोर्ट पर बैठा रहा। मुझे होम मिनिस्टर लेने आए, उन्होंने कहा कि बीच में मॉब है मुझे पुलिस फोर्स का यूज़ करके आना पड़ेगा। मैंने कहा केवल मुझे ले जाने के लिए पुलिस फोर्स का उपयोग करके स्थिति को और गंभीर बनाना आवश्यक नहीं है। मैं आठ घंटे तक एयरपोर्ट पर कुर्सी पर बैठा रहा। इसलिए यहां नहीं जाने का सवाल नहीं है।

श्री पी॰आर॰ दासमुंशी : आपने जो कहा उसे मैंने स्वीकार किया, मैं आपकी बात को मानता हूं। इसलिए इससे साबित होता है कि स्थिति कितनी गंभीर थी।...*(व्यवधान)* मैं आपको सांसद, दोस्त होने के नाते कभी नहीं चाहूंगा, प्रमोद महाजन जी जैसे हमारे नेता को किसी दुर्घटना का शिकार होना पड़े, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन : मुझे अपनी चिन्ता नहीं थी, मुझे बचाने के लिए और मुझे रास्ते से ले जाने के लिए पुलिस को गोली चलानी पड़े, मुझे उसकी चिन्ता थी।...*(व्यवधान)*

श्री पी॰आर॰ दासमुंशी : आपको ले जाने के लिए पुलिस गोली चलाती, लेकिन क्योंकि आपको पुलिस पर भरोसा नहीं था, वह भी मॉब के सामने गोली चलाते, इसलिए आपने सही कहा।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रमोद महाजन : आप तथ्यों को बिल्कुल तोड़ मरोड़ रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री पी॰आर॰ दासमुंशी : आपने ठीक कहा।...*(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन : ऐसा है सरकार हमारी थी, गृह मंत्री जी हमारे थे। मैं चाहता तो पुलिस फोर्स लगा कर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता, मैं लोगों को कुचल कर भी एयरपोर्ट से अपनी कांस्टीट्यूएंसी या अपने घर में जा सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैं आठ घंटे वहां रहा और इस भावन से रहा कि कल जब मेरे प्रिय दा पूछेंगे तो मैं बता दूं कि मैं गया था। उसके लिए मुझे पुलिस की फोर्स उन पर यूज़ करने की नौबत नहीं आनी चाहिए। अगर इस इंटेंशन को भी आप इस प्रकार से ले रहे हैं तो मुझे बहुत दुख हो रहा है।

श्री पी॰आर॰ दासमुंशी : उपाध्यक्ष जी, मैं इस बात को दोहराना नहीं चाहता हूं। राम नाईक जी ने कहा है कि गोली चलने की घटना के बाद मुम्बई इतना शांत हो गया था कि वहां लाइफ सामान्य थी। वहां पर गोली चली 11 तारीख को और मैं पहुंचा 15 तारीख को। इस बीच 12 तारीख को मुम्बई बंद था लेकिन आप 15 तारीख तक उस जगह पर नहीं पहुंचे। मैं जब वहां गया तो मैंने लोगों से पूछा कि प्रमोद जी इधर आए, तो उन्होंने कहा कि नहीं आए। राम नाईक जी ने कहा कि बाकी तीन दिन स्थिति नार्मल थी, तो आपको जरूर जाना चाहिए था। लेकिन स्थिति नार्मल नहीं थी इसलिए आप नहीं पहुंचे। मैं यही कह रहा हूं, मैं कोई झूठ तो नहीं कह रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : दास मुंशी जी, 45 मिनट हो गये हैं।

श्री पी॰आर॰ दासमुंशी : मिनिस्टर साहब ने जो कुछ कहा है, अगर हम भी मिनिस्टर होते तो यही बयान देते। मैं उनके बयान के बारे में कुछ नहीं कह रहा हूं। मैं यही कह रहा हूं कि कल्याण सिंह के आश्वासन से नरसिंह राव को जो धोखा हुआ और जिसकी कीमत चुकाने के लिए देश को इतना खून बहाना पड़ा। कृपया, होम-मिनिस्टर साहब बाल ठाकरे के आश्वासन को देखें। वाजपेयी जी का आश्वासन होता, राम नाईक जी का आश्वासन होता, तो मैं मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन बाल ठाकरे के आश्वासन में अगर होम-मिनिस्टर ने सोचा कि स्थिति नोर्मल है, तो यह गलत है। आपके ऊपर दुबारा धोखा आयेगा और उस धोखे के समय कांग्रेस को जिम्मेदार मत ठहराना। इस चेतावनी के देते हुए और इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि कदम कुछ ऐसा उठाइये, नज़र कुछ ऐसी रखिये कि संविधान के अनुसार महाराष्ट्र की सरकार चले। किसी की मर्जी के अनुसार या फांसीवाद के इशारे पर महाराष्ट्र की सरकार न चले।

डा॰ सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : माननीय उपाध्यक्ष जी, दास मुंशी जी ने जिस तरह से अपनी बात कही है और घटना के तथ्यों को जिस प्रकार से तोड़-मरोड़कर रखने की बात की है तथा वे क्या कहना चाहते हैं, मेरी समझ से बाहर है। महाराष्ट्र में 11 जुलाई को घाटकोपर की घटना में जिन लोगों की मौत हो गयी, उनके प्रति सभी ने सम्वेदना प्रकट की है। किसी को मुआवजा देने से उन परिवार के लोग तो वापस आ नहीं सकते, क्योंकि किसी की भी जान की कीमत लाख, दो लाख रुपये नहीं हो सकती। जिसने जान दी है वही इसे लेने का हकदार है। इस घटना पर महाराष्ट्र सरकार ने न्यायिक जांच की घोषणा की है और सिटिंग जज, जो वर्तमान में न्यायाधीश हैं इसकी जांच करेंगे और क्या सच है और क्या झूठ है इसका पता लगाएंगे। इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इस चर्चा का मुख्य विषय ऐसी मानसिकता है जिसके चलते अम्बेडकर की प्रतिमा को, शिवाजी महाराज की प्रतिमा को, या जिनके प्रति लोगों की श्रद्धा है उनकी अवमानना होती है। जो लोग ऐसा करके समाज को तोड़ने का काम करते हैं वे समाज के दुश्मन हैं। वे समाज को एक देखना नहीं चाहते हैं और समाज की एकात्मकता के साथ घात करते हैं। जिन लोगों ने प्रतिमा को नुकसान पहुंचाया और उसके बाद जिस तरह से लोगों को उकसाया गया, दोनों ही तरह की मानसिकता वाले लोग, अनुसूचित जाति को किसी भी तरह से लाभ नहीं पहुंचाते है। अवमानना भी हुआ तो अम्बेडकर की प्रतिमा का और लोग भी मारे गये तो अनुसूचित जाति के मारे गये। इस तरह से अनुसूचित जाति के लोगों को मरवा करके राजनीति करने वाले लोग, जिनकी हुकूमत अब नहीं है और जो हुकूमत में आने के लिए इस प्रकार की साजिश कर रहे हैं, यह बात निश्चित रूप से शर्मनाक है। हमें इस घटना पर रोष है। लेकिन जिन लोगों ने इस घटना को राजनैतिक रंग देकर कांग्रेस के पक्ष को मजबूत करने का उपाय किया है, यह किसी भी प्रकार से ठीक नहीं है। अब यह तो न्यायिक जांच ही बताएगी कि इसके पीछे बात क्या है। महाराष्ट्र में जो घटना हो गई, उससे गुजरात में जो ये सारी बात हुई, वहां कौन सी सरकार किसके समर्थन पर चल रही है? निश्चित रूप से उस घटना के बारे में जो जानकारी दी जा रही है वह गलत है। उन्होंने कहा कि वह वहां होकर आए हैं। मुझे भी वहां जाने का मौका मिला। मैंने वहां के लोगों से बातचीत की। रमा बाई नगर जहां बसा हुआ है, उसे मैंने भी देखा है। वह सारी बस्ती अनुसूचित जाति के लोगों की है। वहां रहने वाले लोग मेहनतकश लोग हैं, श्रमिक लोग हैं। वह मेहनत करके गुजारा करते हैं। उनके मकान पक्के नहीं हैं। वहां की कालोनी अच्छी होगी या वह विकसित रूप में होगी, ऐसी बात नहीं है। यह श्रमिक बस्ती थी। मूर्ति और हाईवे की दूरी भी बहुत ज्यादा नहीं थी। इस सारी घटना का क्रम जिसे हम पुलिस एट्रोसिटी कह सकते हैं, इसके लिए धारा 356 लगा कर वहां की सरकार को बर्खास्त करना, फिर हुकूमत में आ जाना, अगर यह साजिश है तो निश्चित रूप से आप अनुसूचित जाति के लोगों के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। अगर आप इंसाफ की बात कर रहे हो तो निश्चित रूप से प्रतीक्षा करनी पड़ेगी क्योंकि न्याय का काम जारी हो चुका है। इस सबके बाद महाराष्ट्र और गुजरात में आक्रोश फूट पड़ा और देश के बाकी हिस्सों में असंतोष फैल गया। गुजरात में सरकार चलाने वाले कौन लोग हैं? वहां की सरकार का समर्थन करने वाले कौन लोग हैं? वहां भी यह घटना हो गई। सारे देश में इसके कारण जो बात हो गई है वह बात बनती नहीं है। जिस तरह से आपने बात की है, वह ठीक नहीं है। दलितों की रहनुमाई करने वाले जो लोग हैं जो दम्भ भरते हैं कि यह बहुत गलत बात हो रही है, क्या वह अपने शासन काल के समय की घटनाओं को भूल गए हैं? जिन्होंने इतने

[डा॰ सत्यनारायण जटिया]

वर्षों तक शासन किया, उनके समय में ऐसी घटनाएं अक्सर होती रहती थी।

न इधर-उधर की बात कर,
बता कि काफिला क्यों लूटा,
मुझे राहजनों से गिला नहीं।
तेरी रहबरी का सवाल है,
मैं बताऊं काफिला क्यों लुटा
तेरा राहजनों से था वास्ता।

शरारती तत्वों से मिल कर और लोगों को उकसा कर, उत्तेजित कर सत्ता को हासिल करने की साजिश करने वाले लोग निश्चित रूप से उन लोगों के साथ बइंसाफी कर रहे हैं जो सदियों से सताए गए हैं। वे लोग जिनको हजारों वर्षों तक न्याय नहीं मिला, आपने अपनी हुकूमत के समय उनके साथ इन्साफ नहीं किया। उन्होंने कभी हुकूमत में आने की कोशिश नहीं की क्योंकि उनको कोई मौका ही नहीं दिया गया। वे सेवा करने वाले लोग थे। उनका जन्म सेवा करने के लिए हो गया। इस हिन्दुस्तान में जन्म के आधार पर किसी की जात का निर्धारण किया जाता है। जो वर्षों तक सेवा का काम करता रहेगा, क्या वह आदर नहीं पाएगा? सेवा का सम्मान होना चाहिए। इसके बदले उसे गोलियां मिलेगी, मौत मिलेगी, यह बात देखकर आश्चर्य होता है। इसको करवाने वाले कौन लोग हैं? इसके पीछे कौन सी ताकत काम कर रही है? जो ताकतें काम कर रही हैं, वे बहुत चालाक और खतरनाक हैं। इसलिए उन लोगों को बेनकाब किया जाना चाहिए। ये सारी की सारी तकलीफ हमारे मन में है। जुल्म जब-जब भी बढ़ते हैं, सब्र के दरिया में तूफान आता है, लहरें मचल उठती हैं, किनारे टूट जाते हैं। इसलिए उनके साथ जो बेइन्साफी हुई है, उसे आप और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश मत करो। सदियों से जो दबाए गए हैं, उनके प्रति आप संवेदना प्रकट कर सकते हैं। आप उनकी वेदना को कैसे समझ सकते हैं? इन्होंने अपने स्वार्थ के लिए हमेशा इनका इस्तेमाल किया। ऐसे बात नहीं बनेगी।

मुम्बई की घटनाओं के बारे में बहुत सी बातें की जाती हैं। वहां हुकूमत अभी बदली है। इसके पहले वहां कांग्रेस की हुकूमत थी। यदि मैं आंकड़े बताने का काम करूं तो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। ग्रेटर मुम्बई में हुए दंगों के आंकड़े मेरे पास है। 1992 में 491 दंगे हुए। 1993 में 642 और 1994 में वह कम होकर 201 रह गए। 1995 में 129, 1996 में 118 की संख्या थी। जब कांग्रेस की हुकूमत थी तो दंगे 451 हुए और जब बी॰जे॰पी॰-शिव सेना की हुकूमत आई तो संख्या 118 रह गई। 1992 में जो प्रकरण थे, टोटल जो प्रकरण बन गए थे, आई॰पी॰सी॰ के जो प्रकरण थे, अत्याचार की जो घटनाएं थीं, वे 40929 थी। यह 1996 में कम होकर 32484 हो गई। आप क्या बात बोलते हैं? जहां घटनाओं का क्रम हुआ वहां आंकड़े सही बात बोल रहे हैं। इसी प्रकार से अखिल भारतीय स्तर पर घटनाओं का जो सिलसिला शुरू हुआ, उसमें अनुसूचित जाति की घटनाओं का जो सिलसिला था, उसमें 1987 में 13529, 1988 में 15207, 1989 में 15799, 1990 में 17733 के आंकड़े है। उस समय केन्द्र में किसकी हुकूमत थी? यदि मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो वहां पर सर्वाधिक रहा है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि यदि आप महाराष्ट्र की बात करेंगे तो वहां पर 1988 में 452, 1989 में 363, 1990 में 499 घटनाओं के आंकड़े हैं और कर्नाटक में 1988 में 393, 1989 में 480, 1990 में 690 हैं और इसी प्रकार केरल के हैं। आज आप तो बहुत खैर-ख्वाह बने हुये हैं। आप लोगों का भला करना चाहते हैं। भला करने के लिये मारने की क्या जरूरत है? क्या हुकूमत में आने का यही तरीका रह गया है कि गरीब लोगों के साथ इस प्रकार की बेइन्साफी करेंगे? आज जब ये सारी बातें हो रही हैं, क्या इससे रूतबा बढ़ेगा, अनुसूचित जाति के लोगों पर दबदबा बढ़ेगा और क्या उनको दबा-दबाकर अपनी हुकूमत कायम करने के लिए उनको उकसाकर हुकूमत में आने के लिये उपाय ढूंढेंगे? इतने वर्ष तक तो कुछ हुआ नहीं। पिछले दो-ढाई साल से वहां पर शिव सेना और भा॰ज॰पा॰ की सरकार चल रही है तो उस समय कुछ नहीं हुआ। जब भी वहां पर विधानसभा का सत्र आता है तो इस प्रकार उन्माद पैदा करके कारण बनाया जा रहा है। क्या ऐसी नीच, घिनौनी प्रवृत्ति के कारण आपको हुकूमत मिल जायेगी? सेवा करने से हुकूमत मिलती है, यह आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। जब आप इस प्रकार से बेनकाब हो जाते हैं तो सारी बातें साफ हो जाती हैं। इसलिये मैं कहना चाहूंगा कि ये जो सारी बातें हो रही हैं, ठीक नहीं। आज हम देश की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इतने सालों तक केन्द्र की सरकार को देखने के बाद आपको क्या लगता है? इस देश की 17 प्रतिशत आबादी अनुसूचित जाति के लोगों की है और हमेशा उनका गलत रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें इस बात की तकलीफ हुई कि आप लोक दिखावा करने के लिये वहां गये थे। यह कहा गया कि वहां पर बड़ा जुलूस निकला, लाखों लोग निकल आये। लेकिन यह जुलूस किसने निकाला? वे सारे के सारे लोग कौन थे? यह सब देश की जनता और दुनिया जानती है। मेरा तो यह कहना है कि यदि आपको लोक दिखावा करना था या उनके साथ संवेदना या सद्भावना दिखानी थी तो उनमें उत्तेजना पैदा करने की क्या जरूरत थी? गुजरात में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था फिर वहां पर सरकार के समर्थन से वाकया कैसे हो गया। घरों को लूटा जा रहा था, लोगों में असंतोष फैलाकर ऐसी बातें करने वाले हैं। गुजरात का वाकया क्या दर्शाता है? आप ऐसा माहौल पैदा कर महाराष्ट्र में धारा 356 लगाकर हुकूमत में आने की करतूत करने का काम करने वाले थे। लेकिन वहां पर गृह मंत्री जी ने जाकर देखा और पाया कि यह तो अनुसूचित जाति की बस्ती है और 80 प्रतिशत अनुसूचित जाति से हैं। वहां पर गोली आखिर किसने चलाई, यह प्रश्न था लेकिन उत्तर कोई नहीं था। इन सारी बातों के लिये देशभर में कितने कांड हो गये? ये अनुसूचित जाति के लोगों पर क्यों हो रहे हैं? क्या देश की आजादी के बाद आज भी बेलची, सादुपुर, बेहुली और पनवाड़ी जैसी घटनायें होती रहनी चाहिए? स्वतंत्र देश में राजसत्ता पाने के लिये इस प्रकार की बातें करके या लोगों को उत्साहित तथा प्रोत्साहित कर उत्तेजित करने के लिये यही उपाय करने वाले हैं? यदि ऐसा है तसे इस देश का भला होने वाला नहीं है।

महोदय, इस देश में महिलाओं को बेइज्जत करना, उनको नंगा घुमाना और न जाने क्या क्या होता है, यदि ये सब बातें पढ़ना शुरू

कर दूं तो बात कभी खत्म ही नहीं होगी। लेकिन 2 जनवरी, 1994 को उत्तर प्रदेश में भा॰ज॰पा॰ की हुकूमत नहीं थी जहां पर डा॰ अम्बेडकर की प्रतिमा को तालाब में फेंक दिया गया और ऐसी बातें करने वाले लोग आज सरकार में बैठे हुये हैं। एक गांव में तो सामूहिक नरसंहार किया गया जिसमें रात्रि में पेट्रोल डालकर सोते हुए आग लगा दी गई। इस कांड में पांच लोगों की तो घटनास्थल पर मृत्यु हो गई और 40 लोग गंभीर रूप से घायल हुये थे। दिनांक 26 जनवरी, 1994 के जनसत्ता अखबार में आया था कि फतेहपुर जिला के कजराना डेरा गांव में 50 घर जला दिये और 30 जनवरी, 1994 के जनसत्ता अखबार में दोना गांव में दो हरिजन महिलाओं को नंगा घुमाने का समाचार छपा है। दिसम्बर, 1993 के पंजाब केसरी में छपा कि दूल्हे को घोड़ी से ही गिरा दिया गया। बरेली जिला के नवाबगंज थाना में बड़ा गांव में सुमेर को मारा पीटा गया और उसके मुंह में पेशाब कर दिया गया। इन सब बातों से कौन सी मानसिकता प्रकट होती है? इसके अलावा 19.1.94 को शिवपति का कांड हो गया जहां अनुसूचित जाति की महिला जानवर के लिये चारा लेकर आ रही थी, उसकी पिटाई की गई और वस्त्र खींचे गये।

अपराह्न 7.00 बजे

यह किस मानसिकता को प्रकट करता है? उस वक्त किसकी हुकूमत थी? पासवान जी इसको बोलते हैं और आज वह हुकूमत में हैं। ये सारे कांड हो गए।...*(व्यवधान)*

श्री राम नाईक : उपाध्यक्ष जी, समय हो गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : इसलिए मैं कह रहा हूं कि कनक्लूड करें।

श्री राम नाईक : वह पांच मिनट में बात पूरी करेंगे क्योंकि उनको बाहर जाना है।

डा॰ सत्यनारायण जटिया : मध्य प्रदेश में रायगढ़ जिला है। वहां विकास खंड बरमकेला, ग्राम पंचायत सोलह आना। सरपंच श्रीमती द्रौपदी बाई। चौपाल में खड़ा करके उसको नंगा करके घुमाने का काम मध्य प्रदेश में होता है। किसकी हुकूमत है वहां पर?...*(व्यवधान)* महिला विधायकों ने जाकर रिपोर्ट दी है। अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। रायगढ़ जिला में अभी 21 जुलाई, 1997 की घटना है। रायगढ़ जिला का थाना बगीचा। सरगुजा से जुड़ा हुआ यह जिला है और अनुसूचित जाति की युवती को निर्वस्त्र करके घुमाने का काम किसने किया? ये आज़ाद देश के दृश्य तो नहीं हो सकते। इसलिए मेरा कहना है कि आज़ादी के पचासवें साल में कुछ ऐसा लगता है कि —

"बंदी जीवन के बंधन बदले हैं, कारागार वही हैं।
बदली मन की आशा लेकिन जीवन का विश्वास न बदला।
क्यों बदली जब मानवता की पीड़ा का इतिहास न बदला।
बदल गया है कुछ लोगों का जीवन, लेकिन
आंसू पीने वाले का परिवार वही है।"

इसलिए मेरा कहना है कि क्यों बदला जब जब मानवता का बंधन वही है, कारागार वही है। आज़ादी देश की हो गई होगी परंतु आज भी पचास साल स्वतंत्रता की स्वर्ण जयन्ती हो जाने के बाद भी जो लोग उसी प्रकार की परतंत्रता में जी रहे हैं, गुलामी में जी रहे हैं, उनको मुक्त कराने का सपना लेकर काम करने की बात कहने के बजाय लोगों पर कीचड़ उछालने की बात करने वाले देश के कितने मित्र हो सकते हैं यह मेरा प्रश्न है।

अछूतों के बारे में देश में एक गलत धारणा अभी भी बनी हुई है। डा॰ अम्बेडकर ने जिस प्रकार से बताया था कि पहले हमारे देश में कहते थे कि अछूत अपना मकान नहीं बना सकता। मकान बनाएगा तो दक्षिण में बनाएगा। अछूत धन नहीं रखेगा। अछूत पवित्रता का स्पर्श नहीं करेगा। अछूत अच्छे वस्त्र नहीं पहनेगा, अछूत अपने बच्चों का अच्छा नामकरण नहीं करेगा। अछूत कुर्सी और चौपाई पर बड़े लोगों के साथ नहीं बैठ पाएगा। ये सारी बातें बरसों से चली आ रही हैं। इसमें से कितनी बातें कम हुई हैं? गांवों में आज भी लोग इस प्रकार का जीवन जी रहे हैं कि अछूत घोड़े पर नहीं बैठेगा, अछूत जुलूस नहीं निकालेगा, पवित्र दिनों में गांवों में प्रवेश नहीं करेगा। अछूत उन कुओं और तालाबों का प्रयोग नहीं करेगा जिनका प्रयोग अन्य लोग करते हैं। अछूत मंदिर में प्रवेश नहीं करेगा, मूर्ति बनाएगा, मंदिर बनाएगा और बाहर हो जाएगा। यह सब किसके राज में होता है? ...*(व्यवधान)* अछूत का श्मशान भी अलग होगा। इसलिए मेरा कहना है कि जीते जी और मरते दम तक और मरने के बाद भी जहां भेदभाव की मानसिकता है, उसको बदलने से काम चलेगा। इस प्रकार के प्रपंच रचकर और इस प्रकार की घटनाओं को उत्तेजित करके काम होने वाला नहीं है। इसलिए मेरा कहना है उन सारे मित्रों से—

"व्यर्थ है करना खुशामद रास्तों की, काम अपने पांव ही आते सफर में।" इसलिए सारे अनुसूचित जाति के बंधुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, उनके मन में भी एक लहर आ गई है और परिवर्तन की बात वे करना चाहते हैं। मैं चाहूंगा कि परिवर्तन के इस सारे माहौल में इस गरिमामयी सदन के सदस्य क्या योगदान करना चाहते हैं? जब जुल्म हो जाता है तो—

"ये जुल्म भी करते हैं तो चर्चे नहीं होते,
हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम।"

इसलिए इन सारी बातों पर विचार किया जाए। पूना पैक्ट हो गया।

[अनुवाद]

पूना अधिनियम में यह उल्लेख किया गया है :

"केन्द्रीय विधान में ब्रिटिश इण्डिया के सामान्य मतदाताओं को लिए आरक्षित सीटों में से 18 प्रतिशत सीटें दलित वर्गों के लिए आरक्षित होंगी।"

[हिन्दी]

यह 24.9.1925 का है। यह 18 परसेंट था। आजकल हिन्दुस्तान में कितना परसेंट मिल रहा है? अनुसूचित जाति के लोगों की आबादी

[डा॰ सत्यनारायण जटिया]

17 प्रतिशत हो गई है। यदि यह भी हो गया तो इसके कारण भी विषाक्तता पैदा हा रही है। इन सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए मैं कहना चाहूंगा कि यह जो परिवर्तन लाने की बात है यह जरूरी है।

अभी एक आर्टिकल कल के "जागरण" में आया है। उसमें दलितों के प्रति अन्याय के अनंत सिलसिले का वर्णन है। उसमें कहा गया है कि अपने व्यक्तित्व, अहं, भावना अथवा राजनीतिक मकसदों के लिए ऐसे अनेक लोग हैं जो घृणा फैलाते हैं और उन्होंने महाराष्ट्र और गुजरात के जीवन की सरगम में विद्रुप किया है। वे चाहेंगे कि शेष देश में भी ऐसा ही विग्रह फैलाया जाए। ये इसमें लिखा है कि ये सब साबित करना चाहते हैं कि समाज में किसकी चलती है। ये अंबेडकर की विपुल सेवाओं को मान्य करने के बजाय राज्य व्यवस्था को तहस-नहस करना चाहते हैं। ऐसे लोग कौन हैं यह देखना चाहिए।

अंत में मैं कहना चाहूंगा कि रमाबाई नगर में जो लोग मारे गए हैं, उनके परिवार के लोगों को, उनके वारिसों को सरकारी नौकरी दी जाए। उनके पुनर्वास के लिए उपाय किये जाएं और इस हादसे से प्रभावित मृतकों के परिवारों को उनकी योग्यता के अनुसार सेवा के अवसर मिलें और उस बस्ती के उन्नयन के लिए काम किये जाएं।

अंत में उपाध्यक्ष महोदय मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं एक शेर कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं।

बुलंद वादों की बस्तियां लेकर हम क्या करेंगे,
हमें हमारी जमीं दे दो हम आसमां लेकर क्या करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा कल 1 अगस्त, 1997 को 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 7.05 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 1 अगस्त, 1997/10 श्रावण, 1919 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

पी. एल. एस.–48/15/7/97 (एन.)
220

© 1997 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (आठवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और डाटा प्वाईट कम्प्यूटिंग टैक्नोलोजी (इंडिया) प्रा.लि., जनक पुरी, नई दिल्ली–58 द्वारा मुद्रित।